हिन्दुस्तान का एक्ट मियाद समाअत.

नंबर ९ सन १९०८ ईस्वी

मय तशरीह वो नजायर हाई कोर्ट कलकत्ता, मद्रास वो बम्बई
अलाहाबाद, पंजाब वो मध्यप्रदेश



जिस को

आनरेबिल राय साहेब मथुराप्रसाद वकील
जिला छिन्दवाडा.
ने
तैयार किया

बाबू मोतीलाल मेनेजर के प्रबन्ध से सेन्ट्रल ला. प्रेस जिला
छिन्दवाड़ा मध्य प्रदेश में प्रकाशित हुवा
सन १९१६ ई०

दीबाचा.

पुराना एक्ट मियाद नम्बर १९ सन १८७७ ई० सन १९०८ ई० तरमीम होकर उस की जगह पर नया एक्ट मियाद नम्बर ९ सन १९०८ ई० जारी किया गया है—यह कानून मियाद बड़ा मुफीदा है इस का काम हर रोज हर अदालत वो सायल को हर मुकदमा में पड़ता है. और हर नालिश, अपील या दरख्वास्त का फैसला इसी एक्ट के मुताबिक अदालत को करना पड़ता है—इस को हम ने बड़ी मिहनत से तैयार किया है, और हर दफा गो मद के नीचे तशरीह वो हाई कोर्ट की नजीरें सन १९१४ ई० तक की दर्ज की हैं—

इन के पढ़ने से हर एक दफा गो मद का मतलब साफ साफ समझ में आ जाता है,

उम्मेद है कि कानून की पुस्तकों के रसिकों को इस एक्ट से बहुत फायदा मिलेगा—

जिन महाशयों के पास पुराना एक्ट मियाद है उन को नया एक्ट जरूर लेना चाहिये क्यों कि पुराना एक्ट मसूख हो गया और अब यह बेकाम है—

छिन्दवाड़ा
ता० १ जनवरी १९१६ ई०

द मथुरा प्रसाद वकील
जि० छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश

हिन्दुस्तान का एक्ट मियाद समाअ़त

नम्बर ६ सन १९०८ ई०

दफाओं का खुलासा.

हिस्सा—१.

शुरू कार्रवाई

दफा १—छोटा सिरनामा.
एक्ट का फैलाव
एक्ट का शुरू होना.

दफा २—तारीफें.

हिस्सा—२.

मियाद नालिशात, अपीलें और दरख्वास्तें.

दफा ३—नालिशात वगैरा का बाद गुजरने मियाद के खारिज होना

दफा ४ शर्त—जब कि अदालत उस रोज बन्द हो कि जिस दिन मियाद खतम हो जावे.

दफा ५—चन्द सूरतों में मियाद बढ़ाई जा सकती है.

दफा ६—कानूनी नाकाबलियत.

दफा ७—कई मुदईयान या सायलान में से एक की नाकाबलियत

दफा ८—खास छूटे

दफा ९—मियाद शुरू हो जावे तो बाद की नाकाबलियत उस को रोक नहीं सक्ती.

दफा १०—दावी बरखिलाफ सरीह अमीन या उस के कायम मुकामों के.

दफा ११—नालिश बरबिनाय उन माहदों के जो मुल्क गैर में हुवे हों

हिस्सा—३.

मियाद की मुद्दत का शुमार

दफा १२—उस दिन को छोड़ देना कि जिस दिन नालिश दाय करने का हक पैदा हुया—अपीलें और बाज दरख्वास्तों क सूरत में खारजी.

दफा १३—ब्रटिस इंडिया से मुदायलेह के गैर हाजिरी रहने का अरसा खारिज किया जायगा,

दफा १४—उस मुद्दत की खारजी कि जिस के अन्दर कार्रवाई नेक नियती से ऐसी अदालत में हुई हो जो अखत्यार समाअत न रखती हो—उसी तरह की खारजी दरखास्त की सूरत में हो.

दफा १५—उस मुद्दत की खारजी जिसके अन्दर नालिश की दायरी अजरूय हुक्म इमतनाई या दीगर हुक्म के मुल्तवी रहे.

दफा १६—उस मुद्दत का खारिज करना जिस के अन्दर नीलाम को मसूख कराने के लिये कार्रवाई चली हो

दफा १७—मौत का असर कब्ल पैदा होने हक दायरी

नालिश के

दफा १८—फरेब का असर

दफा १९—इकरार तहरीरी का असर

दफा २०—सूद की अदाई का असर,
जर असल के जुज के अदाई का असर,
आराजी मरहूना की पैदावार के वसूल होने का असर,

दफा २१—(१) मुखलासी उस शख्स का जो नाकाबलियत में होवे

(२) चन्द शरीक माहदा करने वाले वगैरा में से एक पर इस वजह से कि उन में से किसी दूसरे ने इकरार लिख दिया हो या कुछ अदा किया हो, जिम्मेदारी आयद न होगी

दफा २२—नया मुद्दई या मुद्दायलेह कायम करने या बढ़ाने का असर

दफा २३—लगातार खिलाफ वरजी और अमूर नाजायज

दफा २४—नालिश बाबत हरजा ऐसे फैल के जो बगैर खास नुकसानी काबिल इजराय नालिश के न हो.

दफा २५—शुमार उस मुद्दत का जो दस्तावेजात में दर्ज हो

हिस्सा—४.

हुसूल मालीकियत बजरिये कब्जा

दफा २६—हुसूल इस्तहकाक आसायशी के बारे में.

दफा २७—आराजी वहक उस शख्स के जिस की तरफ यह है, जिस में हक आसायश का बोझा हो, फिर वापस आ जावे

दफा २८—हक मिलकियत का नष्ट होना.

हिस्सा—५.

दरबारे बचत वो मंसूखी.

दफा २९—बचाव

दफा ३०—हुक्म निस्बत उन नालिशात के कि जिन के लिये मियाद उस मुद्दत से कम हो, जो अजरूय एक्ट मियाद हिन्द सन १८७७ ई० के मुकर्रर है.

दफा ३१—उन नालिशों के बारे में अहकामात कि जो मुरतेहनान की तरफ से जमीमा २ वाले मुल्कों में रूजू कों जावें.

दफा ३२—मंसूखी.

जमीमा १—मियाद.

„ २—फेहारिस्त उन मुल्कों की जिन का जिक्र दफा ३१ में दिया गया है.

„ ३—एक्ट हाय जो मसूख किये गये



हिन्दुस्तान का एक्ट मियाद.

नं० ९ सन १९०८ ई०

जिसको जनाब नव्वाब गवरनर जनरल बहादुर व इजलास कौंसिल ने तारीख ७ माह अगस्त सन १९०८ ई० को मंजूर फरमाया

एक्ट बगरज इकट्ठा करने वो तरमीम करने कानून मियाद वास्ते नालिशात वो दीगर गरजों के लिये.

जो कि यह करीन सलाह है कि नालशात, अपीलें और बाज बाज दरख्वास्तों के, जो अदालतों मे पेश होती हैं, ताल्लुक का कानून तरमीम वो इकट्ठा किया जावे, और जो कि यह भी सलाह की बात है कि आराम देने वाली चीजों और दूसरी जायदाद में बजरिये कब्जा मिलकियत हासिल करने के बारे में कायदे बनाये जावें, इस लिये नीचे लिखे मुताबिक हुक्म होता है

तशरीह —नया एक्ट मियाद नं० ९ सन १९०८ ई० का नीचे लिखे अमूरात पर लिहाज करके गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया:—

(१) नजीर बमुकदमा कलकत्ता वी० नो० जिल्द ११ सफा १००५ प्रिवी कौंसिल से बारा साल की मियाद का कायदा जारी होने की वजह से हिन्दुस्तान के बहोत से हिस्सों में रहनदारों यानी मुरतेहनान पर सख्ती हुई इस लिये उस सख्ती को दूर करना मुनासिब समझा गया

(२) जो कमेटी मजमूआ जाब्ता दीवानी का कानून बनाने के वास्ते मुकर्रर हुई थी उसकी सिफारश पर अमल करने की गरज से यह कानून जारी किया गया.

(३) पुराना एक्ट मियाद नं० १५ सन १८७७ ई० के अहेकामात के बारे में हाई कोर्टों की बहुतसी मुख्तालिफ नजीरें हैं--इन सब नजीरों पर लिहाज करके कानून म्याद की सुधारना मुनासिब मालूम होती है.

(४) जब से पुराना कानून एक्ट मियाद सन १८७७ ई० का जारी हुआ तब से कम से कम ११ मर्तबे इस कानून की तरमीम हुई और अब इन सब तरमीमों को इकट्ठा करना मसलेहत पाया गया.

हिस्सा १.

शुरू कार्रवाई.

छोटा सिरनामा, फैलाव एक्ट, वो उसका प्रारम्भ

दफा १—(१) यह एक्ट "एक्ट मियाद हिन्दुस्तान सन १९०८ ई०" के नाम से कहलाया जावेगा

(२) यह एक्ट ब्रिटिश इंडिया से ताल्लुक रखेगा

(३) यह दफा और दफा ३१ फौरन अमल मे आवेगी.

इस एक्ट का बाकी का हिस्सा तारीख पहिली माह जनवरी सन १९०९ ई० से अमल में आवेगा.

तशरीह:—लफ्ज "हिन्दुस्तान" में सरकारी हिन्दुस्तान का हर एक हिस्सा शामिल है और देशी रियासतों के मुल्क भी उस लफ्ज की तारीफ में दाखल

होंगे—"सरकारी हिन्दुस्तान" के लफ्जों में सरकार अंग्रेज बहादुर का मुल्क और वह जगह शामिल है कि जिसका इतजाम खुद जनाब गवर्नर जनरल साहेब बहादुर या गवर्नर साहेब बहादुर या कोई दूसरा ओहदेदार मातेहत गवर्नर जनरल साहेब करते हों (देखो आम जिमनों का एक्ट न० ११ सन १८९७ ई० दफा ३ फिकरा २७)

मुल्क "अदन" सरकारी हिन्दुस्तान का हिस्सा है और वह बम्बई हाते के सरहद में दाखल समझा जाता है.

यह एक्ट सरकारी हिन्दुस्तान के तमाम सूबों में जारी है.

दफा २—इस एक्ट में अगर किसी इबारत या मजमून से तारीफें. कोई दूसरा मतलब खिलाफ इस के न पाया जावे तो:—

(१) लफ्ज "सायल" में हर ऐसा शख्स भी दाखल है जिस्से या जिस्के जरिये से कोई सायल किसी दरख्वास्त के पेश करने का हक हासिल करता हो.

(२) "बिल आफ इक्सचेंज" में हुंडी और चिक भी दाखिल हैं.

(३) "तमस्सुक" में हर ऐसा दस्तावेज शामिल होगा कि जिस्के जरिये से कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को रूप्या देने की जिम्मेदारी अपने ऊपर इस शर्त पर लेवे कि किसी खास फैल के किये जाने या न किये जाने की सूरत में, जैसी कि सूरत होवे, वह जिम्मेदारी रद्द हो जावेगी.

(४) लफ्ज "मुद्दायलेह" में हर ऐसा शख्स भी दाखिल है जिस्से या जिस के जरिये से कोई मुद्दायलेह अपने ऊपर नालिश दायर कराने की जिम्मेदारी पावे—

(५) "हक आसायश" में ऐसा हक भी दाखिल है जो किसी मोआहिदा की रू से पैदा न हुआ हो, लेकिन जिस की

वजह से कोई शख्स हक निसबत उठा लेजाने और अपने फायदे के लिये उप्योग में लाने मिट्टी किसी जमीन मिलकियत गैर के, या किसी ऐसी चीज का रखता हो जो दूसरे की जमीन में ऊगी हो या उसमे लगी हो या उस पर मौजूद हो—

(६) "मुल्क गैर" से मुराद हर मुल्क सिवाय ब्रिटिश इंडिया के है—

(७) "नेक नियती–किसी ऐसे अमर का नेक नियती के साथ करना न समझा जावेगा जो इहतेयात और तवज्जह माकूल के साथ न किया गया हो—

(८) लफ्ज "मुद्दई" में हर ऐसा शख्स भी दाखिल है जिस्से या जिस्के द्वारा कोई मुद्दई नालिश करने के लिये हक हासिल करे,

(९) लफ्ज "प्रामिसरी नोट" से मुराद है हर ऐसा दस्तावेज जिसकी रू से उस का लिख देने वाला किसी दूसरे शख्स को, उस मुद्दत मे कि जो उस मे लिखी हो या तलब करने पर या दिखलाने पर, कतई तौर से किसी खास [निश्चित] रकम जर नक्द के अदा करने का इकरार करता हो—

(१०) लफ्ज "नालिश" में अपील या दरखास्त दाखिल नहीं है.

(११) लफ्ज अमीन" में बेनामीदार या ऐसा मुर्तोहिन जो रहन का रूप्या चुक जाने के बाद भी काबिज बना रहे या ऐसा नुकसान पहुंचाने वाला शख्स शामिल नहीं है जो बिला किसी इस्तेहकाक के काबिज हो—

तशरीह:—यह दफा पुराने एक्ट न १५, सन १८७७ ई० की दफा

३ के मुताबिक है लेकिन लफ्जों की तारीफ सिलसिलेवार जमाई गई है—

नजायर —खरीदार नलिाम अपना हक और जिम्मेदारी मदयून डिक्री के जरिये से या उसकी मारफत हासिल करता है (इ ला रि. बम्बई जि० १९ सफा १९७)—

जब हिन्दू धर्म शास्त्र के मुताबिक किसी जायदाद के कई वारसान हों और वह जायदाद हिन्दू बेवा छोड़ गई हो तो किसी वारिस की निस्बत यह नहीं कहा जा सकेगा कि उसने अपना हक दूसरे वारिस के जरिये हासिल किया, बलकि ऐसा वारिस अखीर मालिक से हक ले लेवेगा (इ. ला. रि. अलाहाबाद जि० २२ सफा ३३)—

इस मुकदमा में एक आदमी की दो बेवा औरतें थी—उन मे से छोटी बेवा ने बड़ी बेवा की मरजी के खिलाफ मुद्दई को गोद ॥ लिया और इस बड़ी बेवा का कब्जा जायदाद पर बाद में भी मुद्दई के बरखिलाफ बना रहा और पीछे से उसने मुदायलेह का गोद में लिया—हाई कोर्ट की यह तजवीज हुई कि मुदायलेह मुद्दई के दावे को बेरू मियाद करने की गरज से, बड़ी बेवा के कब्जे को अपने निज के कब्जे में शामिल करने का हकदार है (इ ला. रि बम्बई जि० १३ सफा १६४ पदाजीराव–बनाम–रामराव)—

जो शख्स किसी इजराय डिक्री के नीलाम में कोई जमीन खरीद करे और अगर उस पर तीसरा फरीक कब्जे की नालिश करे तो ऐसी हालत में वह मुद्दई के बराखिलाफ कब्जा मुखालिफ साबित करने की गरज से अपने कब्जे के साथ ऐसी मुद्दत भी शामिल कर सकता है कि जब तक मदयून डिक्री नीलाम में ली हुई जायदाद पर काबिज रहा हो (इ. ला. रि बम्बई जि० १५ सफा २८३ विश्वनाथ–बनाम–सुबरिया)

इस दफा में " हक आसायस " की तारीफ पूरी तौर पर नहीं की गई है– अहाता मद्रास, मध्य प्रदेश और मुल्क कुर्ग में इस लफ्ज की तारीफ बजरिये एक्ट न ५ सन १८८२ ई० दफा ३ के मसूग की गई और बम्बई, पश्चिम उत्तर देश और अवध में इस लफ्ज की तारीफ बजरिये एक्ट न ८ सन १८९१ ई० के मसूग की गई है—

दफा ३—बपाबन्दी उन हुक्मों के जो दफा ४ से २५ तक में (दोनों मिलाकर) दर्ज हैं, हर नालिश जो दायर की गई, वो हर अपील जो पेश की गई वो हर दरखास्त जो गुजरानी गई है बाद गुजरने उस मियाद के जो पहिले जमीमा की रू से नालिश वो अपील वो दरखास्त मजकूर के वास्ते मुकर्रर है, खारिज करदी जावेगी, गो मियाद का उजुर फरीक सानी के जवाब में न किया गया होवे—

नालिश वग़ैरा का बाद गुजरने मियाद के खारिज होना—

समझावना—मामूली सूरतों में नालिश का दायर किया जाना उस वक्त कहा जावेगा कि जब अरजीदावी उहदेदार मुनासिब के रूबरू पेश की जावे; और मुफलिसी की सूरत में, उस वक्त समझा जावेगा कि जब मुफलिसी में नालिश करने की इजाजत के वास्ते दरखास्त गुजर गई हो और दर सूरत दावी बनाम ऐसी कम्पनी के, जिस के लेन देन का तसफिया अदालत के जरिये हो रहा है उस वक्त समझा जावेगा कि जब दावीदार अव्वल मर्तबा अपना दावी तसफिया करने वाले अफसर के पास, कि जिसे सरकार ने मुकर्रर किया हो, लिखकर भेज देवे—

तशरीह—आम तौर पर इस अमर के सबूती का बोझा जिम्मे मुद्दई रहेगा कि दावी मुद्दई अन्दर मियाद है—अगर मुद्दायलेह यह बयान करे कि मुद्दई की नालिश में कोई खास कायदा मियाद का लागू होना चाहिये कि जिसमें कम मियाद मुकर्रर है तो मुद्दायलेह को ऐसे वाकेआत साबित करना जरूर है कि जिसकी रू से नालिश मुद्दई के लिये कम मुद्दत वाला कायदा लागू होवे (इ. ला रि बम्बई जिल्द ७ सफा ४७८)

नजीर—जब कोई दावा बेरू मियाद मालूम पड़े तो अदालत को उसे खारिज करना लाजिम है, हालांकि मियाद का उजर मुद्दायलेह की तरफ से पेश न किया गया हो—और अदालत अपील पर भी ऐसी अपील को खारिज करना

लाजिम है कि जो मियाद गुजरने के बाद दायर की गई हो, हालाकि रिस्पाडन्ट की तरफ से यह उजर न किया गया हो, और बार सबूत इस बात का, कि अपील मियाद के अन्दर पेश की गई है, अपलिाट पर रहेगा (इ ला रि जिल्द १० कलकत्ता सफा ६५८ रामें—बनाम—ब्राउटन—जो अदालत किसी दरखास्त की सुनाई करती है उस पर भी यह देखना लाजमी है कि आया दरखास्त अन्दर मियाद के पेश हुई है या नहीं

इस दफा के अहेकामत की तामील करने की गरज से खुद अदालत को अपनी तरफ से मियाद के बारे में तहकीकात करके यह देखना चाहिये कि आया हर नालिश जाहरा में अन्दर मियाद दायर हुई है या नहीं—अगर जाहरा में मुद्दई का दावा बेरू मियाद पाया जावे तो मुद्दई को सब के पहिले यह साबित करना होगा कि जिस बिनाय दावी पर उस की नालिश कायम है वह बेरू मियाद नहीं है—और अगर वह किसी खास कानून या मुसतसना की रूसे अपना दावा अन्दर मियाद समझता हो तो उसे यह साबित करना पड़ेगा, लेकिन जब मुद्दई जाहरा में यह साबित करदे कि उस की नालिश अन्दर मियाद है और अगर मुद्दायलेह यह बयान करे कि मुद्दई के दावी के लिये कम मियाद है तो उसे ऐसे हालात साबित करना चाहिये कि जिसमें मियाद की मुद्दत कम हो जावे (इ ला. रि बम्बई जिल्द ७ सफा ४७८ मोहन सिंग—बनाम—फोंढा)

जब किसी बेरू मियाद दावा या दरखास्त के निस्बत कोई अदालत मुद्दई या सायल के हक में फैसला करे तो जब तक मुद्दायलेह या फरीक सानी ऐसे फैसले की अपील करके मंसूख न करावे तब तक यह डिक्री या हुक्म जायज समझा जावेगा—(इ ला रि. बम्बई जि ६ सफा ५४ मजूनाथ—बनाम विन्कटेश वो इ ला. रि. कलकत्ता जि ११ सफा २८७ मोहम्मद हुसेन—बनाम—पुधर)

अगर किसी फरीक को अदालत अपील की तवज्जेह उजर मियाद पर दिलाना मंजूर हो तो ऐसे उजूर को याददाश्त मरनल में बराबर लिखना चाहिये—जब किसी अपील का फैसला कर दिया जावे और अपील की सुनाई के वक्त उजर इस बात का न किया जावे कि अपील बेरू मियाद है और अपील दोयम दायर होने पर भी उस वक्त तक ऐसा उजर न किया गया हो कि जब अपील सुनाई के

वास्ते पेश हुई तो ऐसी हालत में अपीलाट इतनी देरी से ऐसे उजर के पेश करने का हकदार न होगा (इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द १५ सफा १९३ एहमदअली बनाम--वारिस हुसैन)

जब कोई अदालत किसी डिक्री के इजराय का हुक्म देवे और उस डिक्री को इजराय के वास्ते दूसरी अदालत में भेजदे तो डिक्री जारी करने वाली अदालत को इस बात की तहकीकात करने का अखत्यार नहीं है कि आया डिक्री बेरू मियाद है या अन्दर मियाद (इ ला. रि बम्बई जिल्द १४ सफा ८ हुसैन अहमद—बनाम—मजूमोहम्मद)

जो नालिश अजरूय कानून बेरू मियाद मालूम हो वह काबिल खारजी है, हालाकि मुदायलेह मुद्दई के दावी को कबूल करता हो (कलकत्ता ला. रि जिल्द १३ सफा १५३ १५४ देवनारायन—बनाम—इशन)

अदालत अपील को अखत्यार है कि मियाद के उजर के बारे में नई शहादत लिये जाने का हुक्म देवे या न देवे (मदरास हाई कोर्ट रि. जिल्द १ सफा ३५८ मौरूसी—बनाम—क्रिशना)

अगर कोई शख्स बजरिये इकरारनामा मियाद के बारे में उजर न करने का इकरार करे तो ऐसे इकरारनामे के मौजूद होने की हालत में भी अदालत को अखत्यार है कि उजर मियाद की सुनाई करके नालिश खारिज करदे (मूर्स इंडियन अपील जिल्द ५ सफा ७०)

इस दफा का यह हुक्म, कि नालिश का दायर किया जाना उस वक्त समझा जावेगा कि जब मुफलिसी में नालिश दायर करने की इजाजत के वास्ते दरखास्त दी जावे, सिर्फ ऐसी ही सूरतों से ताल्लुक रखेगा कि जिन में इजाजत दी जावे और दरखास्त बतौर नालिश नबरी के दर्ज रजिस्टर की जावे—लेकिन हुक्म मजकूर उस हालत में लागू न होगा कि जब कोई सायल अपनी दरखास्त पेश करने के बहुत देर बाद एक दूसरी दरखास्त इस मजमून की पेश करदे कि उस की यह दरखास्त पेश्तर की दरखास्त के साथ शामिल होकर कुल एकही नबरी नालिश करार दी जावे (इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द २ सफा ३८६ चन्द्रमोहन—बनाम—भूवन मोहनी)

दफा मजकूर का यह हुक्म ऐसी सूरत में भी लागू न होगा कि जब मुफलिसी में नालिश दायर करने के वास्ते इजाजत मिलने की दरखास्त नामजूर कर दी गई हो (इ. ला रि कलकत्ता जिल्द ९ सफा ८०७ रामसहाय—बनाम—मनीराम)

और न हुक्म उस सूरत में भी हावी होगा कि जब मुफलिसी में अपील पेश करने के वास्ते इजाजत मिलने की दरखास्त नामजूर की गई हो, हालाकि अपीलाट बहुत देरी से, याददाश्त अपील पर स्टाम्प लगाने को राजी हो (इ. ला. रि अलाहाबाद जिल्द १३ सफा ३०५ विश्वनाथ—बनाम—जगरनाथ)

लेकिन अगर दरखास्त मुफलिसी की नामजूर किये जाने के पेश्तर सायल अपनी दरखास्त पर स्टाम्प बतौर नालिश नबरी के लगाने को रजामन्द और तैयार हो तो ऐसी नालिश की तारीख दायरी वही समझी जावेगी कि जब दरखास्त मुफलिसी सब के पहले पेश की गई (इ ला. रि अलाहाबाद जिल्द २ सफा २४१ और इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द २० सफा ४१ हीरा मोहन—बनाम—नैमुद्दीन)

हर नालिश के दायरी की तारीख वही समझी जावेगी कि जिस रोज अरजी दावी पेश की जावे न कि वह तारीख कि जिस रोज कमी स्टाम्प दाखल किया जावे (इ ला रि कलकत्ता जिल्द १९ सफा ७८० मोतीसाह बनाम-छची) लेकिन अलाहाबाद की हाई कोर्ट ने बमुकद्दमा इ. ला. रि जिल्द १५ सफा ६५ जैन्ती-बनाम-बाचू यह तजवीज की है कि जिस रोज कमी स्टाम्प दाखल किया जावे उसी तारीख को अरजीदावा का दायर होना समझा जावेगा——जब कोई अरजीदावी या दरखास्त दायर होने के बाद तरमीम के वास्ते वापस की जावे तो तारीख दायरी वही रहेगी कि जिस रोज अव्वल मर्तबा वह अरजीदावी या दरखास्त पेश की गई हो (शीशचन्द्र-बनाम-लालमन वी रि. जिल्द ७ सफा १५७ वो इ ला. रि अलाहाबाद जिल्द १ सफा २६० जगन्नाथ-बनाम-लालमन)

अगर कोई नालिश किसी नाबालिग पर, जायज वली मुकर्रर किये जाने के बगैर दायर की जावे तो ऐसी हालत में अरजी दावी के पेश होने की तारीख बतौर तारीख दायरी नालिश समझी जावेगी, हालांकि कुछ आगे तक बना जायज

अदालत के हुक्म से मुकर्रर न किया गया हो (इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ४ सफा ३७ खेमकरन-बनाम-हरदयाल)

मियाद बचाने के वास्ते यह बात जरूर है कि अरजी दाविया वगैरा उहदेदार मुनासिब (उचित) के पास और मुनासिब तौर पर पेश की जावे, और जब तक अरजीदावी खुद मुद्दई या उस की तरफ से उस का वकील या मुखत्यार पेश न करे तब तक वह अदालत में न ली जावेगी—जो अरजीदाविया या दरखास्तें डाक के जरिये आवें उन को अदालत कबूल करने से इकार कर सक्ती है, लेकिन जब अदालत ऐसी अरजीदावी को कबूल करके उस पर अमल करे तो उस अरजीदावी के निसबत यह समझा जावेगा कि वह ऐसी कबूली की तारीख पर बाजाब्ता काफी तौर से दायर हुई (इ ला रि. मदरास जिल्द ८ सफा ४११ सकरनारायन-बनाम-कुजाप्पा).

मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने यह तजवीज की है कि जो अरजीदावी गैर काफी स्टाम्प पर मुन्सरिम के रूबरू पेश की जावे और वह उस के लेने से इकार करे तो ऐसी अरजी की निसबत यह न कहा जावेगा कि वह वाजबी तौर से दायर की गई (सी पी. ला रि जिल्द १ सफा ६६ विनायक-बनाम-माधो)

पजाब चीफ कोर्ट ने यह तजवीज की है कि एक्ट मियाद की दफा ४ के पहिले फिकरा की मनशा के मुताबिक उस अपील का पेश किया जाना न कहा जावेगा जिस्के साथ नकल फैसला वो डिक्री बमूजिब दफा ५४१ मजमूआ जाब्ता दीवानी के शामिल न हो और अलाहाबाद हाई कोर्ट के इजलास कामिल ने भी इस तजवीज को बमुकदमा इ. ला. रि जिल्द १२ सफा १२६ वो १३८ पसन्द की है—अजरूय दफा ४८ मजमूआ जाब्ता दीवानी अर्जी दावी अदालत में या ऐसे उहदेदार के पास पेश की जावे जिसे वह इस काम के वास्ते मुकर्रर करे—ऐसे हाकिम या उहदेदार के खानगी मकान पर अर्जीदावी पेश नहीं हो सक्ती है—जो कैदी जहलखाने के अन्दर बन्द हो उस की तरफ से अपील का अदालत मजाज में उस वक्त पेश किया जाना समझा जावेगा कि जब उन के अपील की दरखास्त जहलखाने के अफसर के हवाला की जाने—(इ ला. रि. मद्रास जिल्द २ सफा २५१ मलिका मोजमा—बनाम—

लिंगैय्या)—

ऐसे अपील की खारजी का हुक्म, जो इस दफा के बमूजिब नामन्ज़ूर की जावे डिक्री का असर रखता है और इसलिये उसकी अपील भी हो सकेगी (इ ला रि कलकत्ता जिल्द १२ सफा ३० गंगादास—बनाम— रामजी)—

किसी अदालत दीवानी में अनरूय अख्तयार दफा ३१० (अ) मजमूआ जाब्ता दीवानी सन १८८२ ई० के एक ऐसी दरखास्त पर नीलाम मसूख किया गया कि जो नीलाम के १४ महीने बाद पेश की गई थी—खरीदार नीलाम ने इस हुक्म की तारीख से एक साल से ज्यादा अरसे के बाद दखलयाबी जायदाद जो इस्तकरार हक इस अमर के बाबत नालिश दायर किया कि यह हुक्म बमूजिब दफा ३१० (अ) बिला अख्त्यार सादिर किया गया था—तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि गो ऐसा हुक्म सही तौर पर या गलत तौर पर सादिर किया गया हो ताहम यह फल अदम रद नहीं है, और चूंकि यह हुक्म नालिश के सिवाय और किसी कार्रवाई के दौरान में सादिर किया गया है इसलिये मद १३ की रू से यह नालिश सुनाई के लायक नहीं है, क्योंकि मुद्दई बगैर मंसूखी इस हुक्म के डिक्री बाबत कब्जा जायदाद नहीं पा सक्ता (इ ला रि. अलाहाबाद जिल्द २३ सफा ६३)—

मद १६४ ऐसी दरखास्त मसूखी एकतरफा डिक्री में लागू न होगी कि जो इस एक्ट के जारी होने के बाद पेश की गई हो जब कि नालिश का फैसला इस एक्ट के जारी होने के पेशतर हो चुका है—इस नये एक्ट मियाद की दफा ३ में साफ तौर पर यह हुक्म दर्ज है कि एक्ट मजकूर के अहेकामात कुल ऐसी नालशात व अपीलें और दरखास्तों से ताल्लुक रखेंगे कि जो इस एक्ट के अमल में आने के बाद अदालत में पेश की जावें [पंजाब ला रि न ७० बाबत सन १९११ ई०]

एक्ट मियाद सन १९०८ ई० की दफा ६ दरखास्त बाबत मसूखी एकतरफा डिक्री से ताल्लुक न होगी और जो दरखास्त मद न० १६४ की मनशा के मुताबिक पेश की जाय वह बतौर एक ऐसी दरखास्त

के समझी जायगी कि जिसमें एक्ट मजकूर की दफा ३ लागू होगी (इ ला रि. मद्रास जिल्द ३५ सफा ६७८).

दफा ४—अगर मियाद समाअत, जो किसी नालिश या अपील या दरख्वास्त के वास्ते मुकर्रर की गई हो, अदालत की तातील के रोज खतम हो जावे तो जायज है कि वह नालिश या अपील या दरखास्त उस दिन दायर की जावे, पेश की जावे, या दाखिल की जावे कि जब फिर से अदालत खुले.

शर्त कि जब अदालत उस रोज बन्द हो कि जिस रोज मियाद खतम हो जावे.

तशरीह.—यह दफा उस उसूल पर कायम है कि जब फरीकैन अदालत में किसी खास दिन किसी फैल के करने से रोके जावें खुद उन्ही के फैल की वजह से नहीं बल्कि अदालत के हुक्म से तो फरीकैन मजकूर वह फैल उस दिन करने के हकदार होंगे कि जिस रोज कचहेरी खुले (इ ला रि. कलकत्ता जिल्द १८ सफा ६३१)

कचहेरी की तातील अकसर तेव्हार के सबब हुआ करती है ताकि मुकदम[illegible] में [illegible] रोज न आना पड़े और अपने घर बैठ कर तव्हार मनावें—हिन्दुस्तान की सरकारी अदालतों में हर इतवार को कचहेरी या कुल सरकारी दफ्तर बन्द रहते हैं—पस किसी मुकदमा या दरखास्त या अपील की जो म्याद, एक्ट म्याद की रू से मुकर्रर है अगर वह उस दिन गुजर जावे कि जिस रोज कचहेरी बन्द हो तो दरखास्त नालिश वो अपील पेश करने की कार्रवाई उस रोज की जावेगी कि जिस रोज कचहेरी खुले क्योंकि कानून की रू से हर फरीक को अखत्यार है कि मुकर्रर की हुई म्याद के अखीर दिन तक नालिश वगैरा पेश कर सक्ता है.

अलफाज "अदालत की तातील" से मुराद है अदालत का बन्द होना कुल ऐसे कामों के वास्ते जिन में नालिश का दायर करना, अपील या दरखास्त का पेश करना शामिल हो—अदालत का दफ्तर दूसरे कामों के वास्ते खुला रहे लेकिन अगर कोई ऐसा उहदेदार अदालत में मौजूद न हो

जो कानूनन अर्जीदावी या अपील या दरखास्तों के कबूल करने का मजाज होवे तो ऐसी हालत में इस दफा की गरज के लिये अदालत का बन्द होना समझा जावेगा, क्योंकि दरखास्तें वगैरा उहदेदार मुनासिब ही के पास पेश हो सक्ती हे (बम्बई हाई कोर्ट रि जिल्द ६ सफा २५४ वो इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द १६ सफा २९० अफरी-बनाम-चन्द्रमोहन)—जब कोई अदालत की कार्रवाई दो महिने के वास्ते बन्द करदी जाय लेकिन अदालत का दफ्तर हफ्ते में दो मर्तबे अर्जीदावी दरखास्तें वो दीगर कागजात लेने के वास्ते खुला रहे तो ऐसी सूरत में यह न समझा जावेगा कि पूरे दो महिने तक अदालत बन्द रही मगर जिस अपीलाट के अपील की मियाद इस अरसे के अन्दर गुजर चुकी हो उसे दो महिने के बाद अदालत के खुलने के पहिले दिन अपील पेश करने की इजाजत दी जावेगी (इ ला रि मद्रास जिल्द ५ सफा १८६ नचीयाप्पा-बनाम-अईयास्वामी)

अगर किसी अदालत का दफ्तर जरूरी काम के वास्ते खुला हो और कोई हाकिम या मुनसरिम भी अर्जीदावी, अपीलों और दरखास्तों के लेने के वास्ते हाजिर हो तो ऐसी हालत में जिन अर्जीदावीया, अपीलों या दरखास्तों की मियाद तातील के अन्दर गुजरती हो वे ऐसे हाकिम या मुनसरिम के पास पेश होना चाहिये, मियाद गुजरने के पहिले, लेकिन अगर ऐसी अर्जीदावियां वगैरा अदालत के पूरे तौर पर खुलने के बाद पेश की जावें तो उन की निसबत यह न कहा जावेगा कि अदालत उस वक्त बन्द थी कि जब मामूली तौर पर उनका पेश होना लाजमी था [इ ला रि मद्रास जि० १३ सफा ४५१]

जब कोई अदालत तातील के बाद मुकर्रर किये हुए रोज न खोली जावे बल्कि किसी आला दर्जे की अदालत के हुक्म से चंद रोज बाद में खुले तो जो अर्जीदावी अदालत के सचमुच में अव्वल मर्तबा खुलने के पहिले रोज पेश की जावे वह अन्दर मियाद समझी जावेगी (इ ला रि इलाहाबाद जि० १ सफा २६३ निहालचन्द-बनाम-अहमदखां)—कानून का आम उसूल यह है कि हालांकि खुद फरीकैन अदालत में कोई फेल करके किसी मुकद्दमे की मियाद को नहीं बढ़ा सक्ते हैं ताहम अगर अर्जी दावी वगैरा के पेश करने में देरी फरीकैन की तरफ से न हो बल्कि खुद अदालत के किसी फेल के सबब से हो जावे,

मसलन, अदालत का बन्द रहना, तो ऐसी सूरत में अर्जी दावी वगैरा के पे: करने की कार्रवाई अदालत खुलने के पहिले दिन पर की जा सकती है, एक डिक्री मवर्खे ७ सितम्बर सन १८७६ ई० (व) की अदालत में तारीख २ सितम्बर सन १८६१ ई० को इजराय के वास्ते भेजी गई लेकिन यह अदालत तारीख ३ से ८ तक बन्द थी, इसलिये इजरासी की दरखास्त तारीख ६ को पेश की गई—हाई कोर्ट की यह तजवीज हुई कि यह डिक्री जारी हो सक्ती है हाला कि तारीख डिक्री से बारा साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका [इ ला. रि. कलकत्ता जि० १८ सफा ६६१ प्यारीमोहन–बनाम–अनुन्दा]–उजरात बमूजिब दफा ५६१ मजमूआ जाब्ता दीवानी के दाखिल करने की मियाद अगर उस दिन खतम होती हो कि जिस दिन अदालत बन्द हो तो ऐसे उजरात अदालत के फिर से खुलने के पहिले दिन को पेश हो सकते हैं (इ. ला. रि अलाहाबाद जि० ४ सफा ४३०)—

जो अपलि मुकर्रर की हुई मियाद गुजर जाने के बाद पेश की जावे उसे अदालत अपील काफी वजह पर मजूर कर सक्ती है, लेकिन तसफिया इस बात का, कि आया किसी अपील या दरखास्त तजवीजसानी के अन्दर मियाद पेश न होने के वास्ते काफी सबब है या नहीं, मुनासिब तौर से होना चाहिये, लेकिन अगर मुफलिसी में अपील करने के लिये इजाजत मिलने की दरखास्त तीन दिन के बाद पेश की जावे तो अदालत ऐसी दरखास्त को मजूर न करेगी हालाकि ऐसी दरखास्त के मियाद के अन्दर पेश न होने के वास्ते काफी सबब हो (इ. ला. रि. अलाहबाद जि० १२ सफा ७६ पारबती–बनाम–भोला) मियाद के अन्दर अपील पेश न होने के वास्ते यह उजुर माकूल है कि अदालत मातेहत में उसी फैसला या डिक्री के तजवीजसानी की दरखास्त पेश थी क्योंकि अपील दायर करने के पेश्तर यह बहुत दुरुस्त है कि उसी अदालत में उस की डिक्री को सही करने की दरखास्त पेश की जावे (वी रि. जि० २ सफा ३५ नन्दू किशन–बनाम–कामिनी)—लेकिन तजवीज सानी के दरखास्त की पैरवी अच्छी तरह वो महेनत के साथ होना चाहिये क्योंकि जितने दिन तजवीज सानी की दरखास्त में लगें वो कुल बतौर इस्तेहकाक के मुजरा नहीं दिये जा सक्ते हैं और यह साबित करना चाहिये कि तजवीज सानी की दरखास्त के वास्ते

वजूहात माकूल थे—इ ला रि कलकत्ता जि० १५ सफा ३४२ अशनउल्ला—बनाम—कलक्टर आफ ढाका, वो इ ला रि. मद्रास जि० १४ सफा ८१ गोविन्द—बनाम—भंडारी, इ ला रि बम्बई जि०१८ सफा ८४ कुडलिक—बनाम—अचुत)—और दरखास्त तजवीज सानी का फैसला हो जाने के बाद बहुत जल्द अपीलांट को अपनी अपील पेश करना चाहिये (पंजाब रिकार्ड न० ८१ सन १८८२ ई० गंगा—बनाम—माधो, वो न० १६६ सन १८८३ ई० साहिबा—बनाम—हीरा, वो न० १८३ सन १८८८ ई० करीमबख्श—बनाम—दौलतराम)—जो वजूहात एक्ट मियाद की दफा १४ में दर्ज हैं वे भी काफी सबब समझे जा सके हैं जब कोई अपीलांट, अपील की मियाद गुजर जाने के बाद तक भी उसी अदालत में माकूल इहतेयात और नेक नियती के साथ नजर सानी के दरख्वास्त की पैरवी में लगा रहे और उस ने उस दरखास्त में वही दादरसी मांगी हो जो वह अपील में मांगता, लेकिन अगर उसकी यह दरखास्त नामन्जूर कर दी जावे तो यह काफी सबब बेरूं मियाद अपील की मंजूरी के वास्ते समझा जावेगा (इ. ला रि अलाहाबाद जि० ५ सफा ५६१ बलवंतसिंग—बनाम—गुमानीराम वो इ ला रि अलाहबाद जि० १० सफा ५१२ रामजीवन—बनाम चांदमल) एक मुकदमा में (अ) ने कुछ माल को कुर्की से छुड़ाने की दरख्वास्त की लेकिन वह दरखास्त नामजूर की गई, इसके बाद उसने माल मजकूर के छुड़ापाने की गरज से नालिश नबरी दायर की, यह भी खारिज हुई—इस पर (अ) ने उस हुक्म की नाराजी से अपील पेश की जिसके रू से उस की दरख्वास्त नामन्जूर की गई—हाई कोर्ट की यह तजवीज हुई कि जितने दिन नालिश नबरी के पैरवी में लगे हैं वे कुल अपील की मियाद शुमार करने में मुजरा दिये जा सकते हैं लेकिन वे दिन मुजरा न दिये जावेंगे जो दरमियान हुक्म कि जिसकी नाराजी से अपील की गई है और दायरी नालिश बीते हों [इ ला रि बम्बई जि० १२ सफा ३२० सीताराम—बनाम—शिवा]

जब किसी अपीलांट का नेकनियती के साथ यह यकीन हो कि उस की अपील हाई कोर्ट में दायर होगी —लेकिन उस के कलकत्ते के हाईकोर्ट ने यह राय दी कि यह अपील अदालत जिला में दायर होनी चाहिये, लेकिन इस अर्से में अदालत जिला में अपील करने की मियाद गुजर गई तो ऐसी हालत में अदालत

दफा ५—हर अपील या दरख्वास्त तजवीज सानी की या अपील पेश करने के लिये इजाजत मांगने की दरख्वास्त या कोई दूसरी दरख्वास्त कि जिस मे यह दफा अजरूय कानून या कायदा जो उस वक्त जारी हो लागू करदी जावे दरख्वास्त मजकूर के लिये मुकर्रर की हुई मियाद के गुजर जाने के बाद मंजूर की जा सक्ती है उस हालत में कि जब अपीलांट या सायल अदालत का इतमिनान इस विषय में करा देवे कि उस के पास मियाद मजकूर के भीतर वह दरख्वास्त या अपील दाखिल न करने के वास्ते काफी सबब था—

चंद सूरतो में मियाद बढाई जा सक्ती है

समझावना—यह अमर कि अपीलांट या सायल ने मुकर्रर की हुई मुद्दत मियाद के शुमार करने में या दरयाफ्त करने मे किसी हुक्म या जाब्ता कार्रवाई या फैसला किसी हाई कोर्ट से धोका पाया इस दफा की मनशा के मुताबिक बतौर काफी सबब के समझा जा सक्ता है—

तशरीह:—जब कोई अपील या दरख्वास्त नजरसानी की मुकर्रर की हुई मियाद के बाहर अदालत मजाज में पेश की जावे और ऐसी देरी से पेश करने के वास्ते कोई मुनासिब सबब हो तो इस दफा की मनशा के मुताबिक वैसी दरख्वास्त या अपील बतौर अन्दर मियाद के ली जावेगी मगर हर एक मुकद्दमा की खास सूरत पर लिहाज करके फैसला इस बात का करना चाहिये कि देरी के लिये काफी सबब था या नहीं—यह दफा नालशात से ताल्लुक नहीं रखेगी (देखो इ ला. रि अलाहाबाद जिल्द १२ सफा ४६१)

बमुकदमा (इ ला रि. मदरास जिल्द २९ सफा १६६) बेनसन्स साहेब जसटिस फरमाते हैं कि अदालतों की नियत हमेशा इस दफा का मतलब आजादगी के साथ निकालने की रहना चाहिये और बमुकदमा (इ ला रि. जिल्द १२ सफा २६६) हाई कोर्ट की यह राय करार पाई है कि अलफाज "काफी सबब" का मतलब इस तरह पर निकालना चाहिये कि जिस से फरीकैन के हक में इन्साफ हो जब कोई सुस्ती या लापरवाही या बददेयान्ती अपीलांट की तरफ से

नजर में आवे

बीमारी का उजूर मियाद के अन्दर अपील न पेश करने के वास्ते काफी सबब समझा जावेगा मगर उस के बारे में सबूत बहुत जोरदार होना चाहिये (अ व रि. जिल्द २ सफा ४५१)

एक नालिश बेदखली में मुदायलेह की तरफ से यह उजुर पेश किया गया कि उस ने जमीन हिस्सेदार की हैसियत से जोता पस ऐसी सूरत में उजुर निसबत हकियत के तसौव्वर करना चाहिये इस लिये अपील बअदालत डिस्ट्रीक्ट जज के होगी—मगर यह अपील साहेब कमिश्नर की अदालत में दायर की गई और साहेब मौसूफ ने वह अपील डिस्ट्रीक्ट जज की अदालत में पेश करने के वास्ते वापस किये लेकिन यह मियाद के बाहर पेश की गई मगर अदालत ने अन्दर मियाद समझकर मंजूर किया—हाई कोर्ट की यह तजवीज करार पाई कि अदालत मातेहत ने अपील मंजूर करने में बहुत दुरुस्त कार्रवाई की—(अ. ला. ज जिल्द ४ सफा १)

कुछ गलती की वजह से किसी गलत शख्स का नाम बतौर रिस्पांडेन्ट के शामिल किया गया और इस गलती की दुरुस्ती मियाद अपील की गुजरने के बाद की गई लेकिन अपील की सुनाई के पेशतर—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि अपील वाजिब तौर पर अन्दर मियाद मंजूर की गई गो उसकी दुरुस्ती मियाद के बाहर की गई—(अ वी नोट जिल्द ८ सफा ५८)

गलत नेकनियती की वजह से एक अपील गलत शख्स की तरफ से पेश की गई—अपील की मियाद गुजर जाने के बाद सही शख्स को बतौर अपीलांट के दाखिल करने में इस दफा के बमूजिब ऊपर लिखी किस्म की गलती बतौर काफी सबब के समझी जावेगी (अ वी. नोट जिल्द ४ सफा ९८)

जब कोई मवक्किल मुकदमा की जाब्तावार कार्रवाई के बारे में अपने वकील की सलाह कबूल करके धोखा में आजावे और इस वजह से मुकर्रर मियाद के भीतर अपील पेश न कर सके तो वह इस दफा का फायदा पाने का हकदार होगा (इ. ला. रि. इलाहाबाद जिल्द २१ सफा ६३८)

कानून की नावाकिफकारी इस दफा की मनशा के मुताबिक काफी सबब होगी

बशर्तेकि अपीलाट की तरफ से किसी किस्म की सुस्ती या लापरवाही या बददियान्ती न पाई जावे [इ. ला. रि. मदरास जिल्द १३ सफा २६९]

जब कोई याददाश्त अपील अदालत मातेहत की डिकरी के नकल के बगैर दायर की जावे तो ऐसी सूरत में यह न कहा जावेगा कि अपील वाजिब तौर पर पेश हुई, और यह अमर कि अपीलाट परदा नशीन औरत है और कानून के जाब्ता से वाकिफ नहीं, बतौर काफी सबब हस्ब मनशा इस दफा के नहीं समझा जावेगा, खास करके जब कि अपीलाट की तरफ से यह बयान न किया गया हो कि उस के मुखत्यार ने उन्हें धोखा दिया (इ केसेस जिल्द ६ सफा २२२)—

अहकामात दफा ५ एक्ट मियाद नालिशात बमूजिब दफा ७७ एक्ट रजिस्ट्री में लागू होवेंगे—जब मियाद नालिश की जो उस दफा की रू से वास्ते करापाने रजिस्ट्री किसी दस्तावेज की दायर की गई हो बड़े दिनों की तातीलों में बेरू मियाद हो जावे तो कचेहरी खुलने के पहिले दिन को अन्दर मियाद समझी जावेगी (क वी नो. जिल्द १६ सफा २०)

अपील की याददाश्त के साथ नकल डिकरी की जरूर शामिल होना चाहिये चाहे नकल फैसला की नत्थी न होवे—अदालत अपील नकल फैसला को माफ कर सकती है मगर नकल डिकरी की जिस्की नाराजी से अपील हुई जरूर पेश होना चाहिये—जब सिर्फ फैसला की नकल की दरखास्त पेश की जावे और मुकर्रर मियाद गुजर जाने के पेश्तर फैसला की नकल मिल जावे और मियाद भुगत जाने के बाद डिकरी की नकल की दरखास्त पेश की जावे तो अपीलाट को इन दोनों नकलों की तैय्यारी में जितने दिन लगे हों वे मुजरा न मिलेंगे तावक्ते कि कोई माकूल सबब न बतलाया जावे कि फैसला के साथ डिकरी की नकल की दरखास्त क्यों नहीं पेश की गई (नागपूर ला रि जिल्द ७ सफा ६७)—

दफा ६—(१) अगर वह शख्स, जो मुस्तेहक दायर कानूनी नाकाबलियत **करने नालिश या पेश करने दरखास्त वास्ते इजराय डिकरी के होवे, उस वक्त, कि जब से मियाद**

समाअत शुमार की जानी चाहिये, नावालिग हो या मजनून हो या फातिरउल-अक्ल हो तो उस को जायज है कि वह ऐसी नाकावलियत बन्द हो जाने के बाद, नालिश उसी मियाद के अन्दर दायर करे या दरखास्त पेश करे, जो दर सूरत न होने किसी नाकावलियत के उस वक्त से शुमार की जाती जो इस एक्ट के साथ लगा हुआ पहिले जमीमा के तीसरे खाने में मुकर्रर की गई है—

(२) जिस हालत मे वह शख्स उस वक्त, कि जब से मियाद शुमार होनी चाहिये, ऐसी दो नाकावलियतों में गिरफ्तार हो, या कि जब उस की नाकावलियत के बन्द हो जाने के पेश्तर वह किसी दूसरी नाकावलियत मे पड जावे तो जायज है कि वह शख्स, दोनों नाकावलियतों के बन्द होने के बाद उसी मियाद के अन्दर नालिश दायर करे या दरखास्त पेश करे, जिस के भीतर दर सूरत न होने नाकावलियत के उसी वक्त मुकर्रर से शुमार करके दायर करने या दरखास्त पेश करने का मजाज होता—

(३) जब उस शख्स की नाकावलियत उस के मरते वक्त तक जारी रहे तो उस का कायम मुकाम जायज उस के मरने के बाद नालिश उसी मियाद के अन्दर दायर कर सक्ता या पेश कर सक्ता है जो दर सूरत न होने नाकावलियत के उस वक्त से शुमार की जाती जो ऊपर लिखे मुतायिक मुकर्रर की गई है—

(४) जब ऐसा कायम मुकाम तारीख मरने पर वैसी ही किसी नाकावलियत मे गिरफ्तार हो तो जो कायदे इस दफा के पहिले वो दूसरे फिकरों में दर्ज हैं वे लागू होंगे—

तमसील

(क) एक नाव के किराया की नालिश का इस्तेहकाक

(अ) को उस की नाबालिगी में पैदा हुआ और हक मजकूर के पैदा होने के चार बरस बाद वह बालिग हुवा-वह अपनी नालिश बालिग होने की तारीख से तीन बरस के अन्दर किसी वक्त दायर कर सक्ता है—

(ख) मुसम्मी (अ) को नालिश करने का हक उस की नाबालगी की हालत में पैदा हुवा, और बाद पैदा होने उस इस्तेहकाक के उसी नाबालगी के अन्दर वह मजनून (पागल) हो गया-ऐसी हालत में (अ) के मुकाबले में मियाद उस तारीख से शुमार की जावेगी कि जब उस की नाबालगी और उस का पागल पना बन्द हो जावे—

(ग) एक नालिश करने का इस्तेहकाक (अ) को उस की नाबालगी में पैदा हुवा, (अ) बालिग होने के पहिले मरगया और उस का वारिस उस का नाबालिग बेटा (ब) हुवा; ऐसी हालत मे (ब) के मुकाबले में मियाद उसी तारीख से शुमार की जावेगी कि जब वह बालिग हुवा—

तशरीह:— थोड़ी सी तरमीम के साथ यह दफा पुराने एक्ट की दफा ७ से मिलान करती है.

इस दफा को बारीकी के साथ पढ़ने से साफ यह मतलब निकलता है कि यह दफा सिर्फ नालिश नम्बरी और दरखास्तों से ताल्लुक रखती है और हालांकि जो शख्स बाद फैसला किसी मुकदमा दीवानी के अपील की मियाद गुजरजाने तक पागल या फातिरउल अक्ल रहे ताहम वह इस दफा से कुछ फायदा न उठावेगा सिवाय उस सूरत में कि जब लफ्ज "दरखास्त" से "अपील" का मतलब निकले, लेकिन ऐसा होना बहुत मुशकिल मालूम होता है-यह दफा सिर्फ उन्हीं लोगों की तरफ से दायर की हुई नालिशों में लागू होगी जो किसी

नाकाबिलियत में गिरफ्तार हो लेकिन जो नालिशें ऐसे नाकाबिल शखसों के ऊपर दायर की जावे उन में यह दफा लागू न होगी (देखो इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द २१ सफा ८७२ श्यामचरन-बनाम चौधरी देबिया)-यह दफा सिर्फ उन्हीं नालिशों से ताल्लुक रखेगी जिन के वास्ते मियाद की कोई मुद्दत बजरूय कानून, न कि बजरूय हुक्म किसी अदालत के, वास्ते दाखिल किये जाने कुछ रूप्या कुछ मुद्दत के अन्दर, मुकर्रर की गई हो (पंजाब रिकार्ड न ३१ सन १८८४ ई० प्रेमा-बनाम-जवाहिर)-जब कोई शख्स जो हाल में बालिग हुवा है इस्तगासा इस बात का पेश करे कि जिस माल का कब्जा उसे डिकरी के रू से मिला है उस की इन्तालगी में रोक टोक की गई और यह रुकावट उस वक्त की गई हो कि जब वह नाबालिग था तो ऐसी हालत में दरखास्त मजकूर बमूजिब दफा हाजा और मद १६७ के उस के बालिग होने की तारीख से तीस दिन के अन्दर पेश होना चाहिये (इ. ला रि. बम्बई जिल्द ११ सफा ४७३ विनायकराव-बनाम-देवराव)-एक रजिस्ट्री शुदा दस्तावेज का रूप्या जो (अ) के हक में लिखा गया था सन १८७२ ई० में वाजिबुल अदा हो गया-(अ) सन १८७५ ई० में अपना नाबालिग बेटा (ब) को छोड़ कर मरगया-सन १८७७ ई० में करजदारों ने अपने करजे की जिम्मेदारी कबूल किये-(ब) सन १८८५ ई० में बालिग हुआ और दस्तावेज के रू से सन १८८७ ई० में उस ने नालिश की-हाई कोर्ट की यह तजवीज हुई कि (ब) इस बात का फायदा उठा सकता है कि वह उस वक्त नाबालिग था कि जब करजे की जिम्मेदारी उस के हक में कबूल की गई और इस लिये उस की नालिश बेरू मियाद नहीं है [इ.ला रि. मदरास जिल्द १३ सफा १३५]-नाबालगी वगैरा जाती हुकूक हैं और उन लोगों के सिवाय जो उन हकों के मुस्तेहक हों दूसरा कोई उन से फायदा नहीं उठा सका है इस लिये जो कोई किसी नाबालिग के पास से कोई जायदाद खरीद करे या पावे तो वह मियाद के मामूली कानून का पाबन्द होगा [इ ला रि कलकत्ता जिल्द ६ सफा ६६३ रूपा कुन्ट-बनाम-नवलकिशोर] यह दफा सिर्फ उन्हीं सूरतों में लागू होगी कि जब सिर्फ एक ही शख्स नालिश दायर करने या दरखास्त पेश करने का हकदार हो और वह उस वक्त नाबालिग हो या किसी दूसरी

नाकाबलियत में गिरफ्तार हो, या जब कि कुल वे लोग जो शामलाती में इस तौर पर हकदार हैं नाकाबिल हों—ऐसा मालूम होता है कि यह दफा ऐसी सूरतों में लागू न होगी कि जब किसी नाबालिग के हक की हिफाजत उन लोगों के जरिये से हो सकती है जो उस की शामलात में हकदार दायर करने नालिश या पेश करने दरखास्त के हों (इ. ला रि. मद्रास जिल्द १३ सफा २३६ सेशन—बनाम—राजगोपाला)—

इस दफा के अहकामात नाकाबलियत (अशक्ता) के कायम रहते तक कारगिर होंगे और उन का अमलदरआमद नाकाबलियत के बन्द हो जाने पर न होगा; इसलिये अगर नाकाबलियत के कायम रहने के अन्दर मामूली मुद्दत मियाद की खतम हो जावे तो ऐसी हालत में जो शख्स नाकाबिल (असमर्थ) है वह ऐसी मियाद के बीत जाने पर भी, लेकिन उस की नाकाबलियत बन्द होने के पेश्तर, अपने वली या दोस्त के जरिये से अपने दावी के निस्बत अदालत में नालिश दायर कर सक्ता है या दरखास्त पेश कर सकता है (इ ला रि. कलकत्ता जिल्द १ सफा २२६ फूलबास—बनाम लाला- जागेश्वर; इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ६ सफा ४११ बलदेवसिंग—बनाम—किशनलाल)—साहब जुडीशियल कमिश्नर मध्य प्रदेश ने एक मुकदमा में यह राय करार दी है कि एक्ट मियाद की दफा ७ हर एक नाबालिग से ताल्लुक रखेगी चाहे उस का कोई वली हो या न हो और उस के मुकाबले मियाद उस वक्त से शुरू होगी कि जब वह बालिग हो जावे (सी पी. ला रि. जिल्द २ सफा १८४ अगरसिंग—बनाम—खखी)—नाबालिग या पागल अपीलाट को इस दफा से कुछ फायदा न मिलेगा क्योंकि इस दफा में सिर्फ नालिशात और दरखास्तों के बारे में हुक्म है, अपीलों का जिक्र बिल्कुल नहीं है (देखो इ ला रि अलाहाबाद जिल्द १२ दफा ४८० बिर्चा—बनाम—अशनउल्ला)—किसी नाबालिग की नाकाबलियत सिर्फ इस वजह से दूर नहीं हो जाती है कि कुछ अरसे तक कुल कार्रवाई करने के वास्ते उस का वली मौजूद था, इसलिये ऐसा नाबालिग बालिग होने पर इस दफा के फायदे से महरूम न किया जावेगा, याने बालिग होने पर उस को वही फायदा इस दफा के रू से मिलेगा कि मानों उस का कोई वली न था (इ ला रि. मद्रास

जिल्द ४ सफा ११६ वो कलकत्ता जिल्द ७ सफा १३७)—मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने एक मुकद्में में यह फैसला किया है कि जब कोई मालगुजार किसी मौरूसी किसान के नाबालिग वारिस को उस के खेत से बेदखल कर देवे और एक्ट काश्तकारी न० ६ सन १८८३ ई० की दफा ३४ के बमूजिब किसान की तरफ से जमीन का छोड़ दिया जाना साफ तौर पर या बातनी तोर से न पाया जावे तो नाबालिग मज़-कूर एक्ट मियाद की दफा ७ का फायदा उठाने का हकदार होगा (सी. पी ला. रि जिल्द ६ दफा १ दाउला—बनाम—चितू)—मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट में एक मुकदमा में बहस इस बात की दर पेश थी कि जिस नाबालिग की तरफ से उस का वली मुकदमे की कार्रवाई करने को मोज़ूद हो तो उससे एक्ट मियाद की दफा २० ताल्लुक न रखेगी, बल्कि वह नाबालिग बालिग होने पर उस दफा का फायदा उठावेगा, लेकिन साहब जुडीशियल कमिश्नर ने इस दलील को नामंजूर करके यह तजवीज की है कि दफा मजकूर हर ऐसे शख्सों से ताल्लुक रखती है जो नाबालिग की वजह से नालिश दायर करने के काबिल न हो [सी. पी. ला रि जिल्द ६ सफा ६ नालाकिशन—बनाम—खुमान]—

एक्ट मियाद में लफ्ज "नाबालिग" की तारीफ कहीं नहीं की गई है लेकिन एक्ट बलुगियत हिन्द न. ६ सन १८७१ ई० दफा ३ में जिसकी तरमीम बजरूय एक्ट न ८ सन १८६० ई के की गई है नाबालिग की तारीफ इस तरह पर की गई है.—" जिस नाबालिग की देख रेख या उस के जायदाद की हिफाजत के वास्ते या दोनो कामों के लिये कोई वली किसी अदालत इन्साफ के हुक्म से उस की अठारा साल की उमर पूरी होने के पेश्तर मुकर्रर हुआ हो, उस वली को छोड़ कर जो किसी खास नालिश की कारर्वाई के वास्ते हस्ब मनशाय कमल ३१ मजमूआ जाता दीवानी के मुकर्रर किया गया हो और हर ऐसा नाबालिग जिसकी जायदाद कोर्ट आफ वार्डस के सिपुर्दगी में ली गई हो तो वह, जब तक उसकी २१ साल की उमर पूरी न होजावे तब तक नाबालिग रहेगा"—बम्बई हाई कोर्ट ने एक मुकदमा में अपनी राय यों जाहिर की है कि जब कोई नाबालिग या उस की जायदाद उस के अठारवीं साल की उमर में किसी वली के सिपुर्दगी में रहे तो वह नाबालिग, २१ साल की उमर पर बालिग होगा और हाई कोर्ट मजकूर की यह भी राय है कि जब किसी नाबालिग का वली मुकर्रर हो चुका हो तो दोनों मुकर्रर

रूप बालिग न हो जावे—

इस दफा का मतलब यह है कि जब किसी नालिश दायर करने या इजराय डिक्री करने के लिये कई अशखास शामलात में हक़ रखते हों और उन में से कोई एक शख्स कुछ कानूनी नाकाबिलियत में फंसा हो मगर बाकी शामिल शरीक साझेदारान वैसे नाकाबिल शख्स की रजामन्दी के बगैर फारखती दे सके हों, तो मियाद का सवाल उन सब के खिलाफ तसव्वर किया जावेगा; लेकिन जब वैसी फारखती न दी जा सक्ती हो तो फिर मियाद उस वक्त से शुरू होगी जब उन में से कोई एक शख्स दूसरो की रजामन्दी के बगैर फारखती देने के लायक हो जावै या जब कि वैसी कानूनी नाकाबिलियत बन्द हो जावे

यह दफा सिर्फ उन्हीं साहूकारान याने उन मुद्दईयान और दावीदारों से ताल्लुक रखती है जो हालाकि नालिश न करें, ताहम मुद्दई की हैसियत रखते हों, लेकिन जाहिरा में यह दफा अपीलान्ट और सायलों से कुछ वास्ता नहीं रखती है। जिन की तरफ से दरख्वास्त के जरिये कोई दावा पेश न किया जावे—कलकत्ता की हाई कोर्ट ने यह राय कायम की है कि इस दफा का आखीर हिस्सा सिर्फ उनही सूरतों मे लागू होगा कि जब कोई शरीक साहूकारान या दावीदारान कानूनी नाकाबलियत में गिरफ्तार हो (ई ला रि. कलकत्ता जिल्द १४ सफा ५३ अनन्दो-बनाम-अनन्दो)—लेकिन पूरी दफा के पढ़ने से यह मतलब पाया जाता है कि यह दफा कुल ऐसी सूरतों में लागू होगी कि जब साहूकारों में से कोई २ नाकाबिल हो और कोई २ नाकाबिल न हो लेकिन कर्ज की फारखती न दी जा सके—ऐसी हालत में मियाद उस वक्त से शुरू होगी कि जब उन साहूकारों में से एक या ज्यादा करजा की फारखती देने का मजाज हो जावे

एक मुकदमा में एक शामिल शरीक हिन्दू घराने के मुन्तजिम ने कि जिसमें (स) नाबालिग शरीकदार था, घराने की तरफ से (क) को कुछ रुप्या कर्ज दिया—कानून की रू से ऐसे रुप्या की नालिश करने की मियाद करजे की तारीख से तीन साल की है—(स) ने बालिग होने पर (क) पर

इस रुपया की नालिश की, लेकिन मामूली मियाद जो कानून की रू से ऐसी नालिशों के वास्ते मुकर्रर है वह नालिश की दायरी की वक्त गुजर चुकी थी, इस लिये उस ने इस दफा का फायदा उठाना चाहा -(ख) के नाबालिगियत में रहने के अरसे में उस के शामिल शरीकी घराने में एक से ज्यादा लोग पूरी उम्र के थे जो (ख) की रजमन्दी के बगैर [क] के कर्ज की फारखती दे सक्ते थे—पस ऐसी हालत में हाई कोर्ट की यह राय हुई कि [ख] की नालिश बेरू मियाद है (इ ला रि अलाहाबाद जि० ४ सफा ५१२ सूरजप्रशाद—बनाम—खाहिशअली)—इस नजीर के मुताबिक कार्रवाई बमुकद्दमा इ ला रि. मद्रास जि० १९ सफा ४३७ में की गई—हालांकि कोई शामिल शरीक घराना अपने में से किसी एक को बतौर कारिन्दे की मुकर्रर कर सकता है ताकि व लोग उस के फेलों के पाबन्द रहें ताहम ऐसे कारिन्दे को चाहिये कि खानदान के सब लोगों के नाम से नालिश दायर करे, वह अकेले अपने नाम से नालिश नहीं दायर कर सक्ता है (इ ला रि कलकत्ता जि० ६ सफा ८२६ रामसेवक—बनाम—रामलाल कुन्डू)—और यही नजीर बमुकद्दमा इ ला रि बम्बई जि० ६ सफा २१९ में पसन्द की गई—मुद्दायलेह भी, अगर ठीक वक्त पर ऐसा एतराज किया जाये, तो इस बात का हकदार होगा कि खानदान के सब लोगों का नाम मुद्दइयान की फेहरिस्त में शामिल किया जावे कि जिससे उस की इस बात की तसल्ली हो जावे कि मुद्दई बिला इजाजत या अख्तियार दीगर लोगों के नालिश नहीं करता है (इ ला रि बम्बई जि० १२ सफा १५८ हरिगोपाल—बनाम—गोकलदास) जब कोई तमस्सुक बिला बटे हुए हिन्दू घराने के किसी नाबालिग शरीकदार के हक में लिखा जावे तो वह इस दफा के पहिले फिक़रे के फायदा से इस बिना पर महरूम न किया जावेगा कि उस का एक भाई बालिग है जो उस के साथ शराकत में रहता है, क्यों कि वह भाई करजे की फारखती जायज तौर पर नहीं दे सक्ता है (इ ला. रि बम्बई [illegible] सफा २४१ ए[illegible]य—बनाम—वामन)— अगर किसी मुकद्दमा में कई मुद्दइयों पर डिक्री बाबत हरजा के सादिर हुई हो तो एक मुद्दई डिक्री के रुपया की पूरी फारखती नहीं दे सकता है कि जिस की पाबन्दी दूसरे मुद्दइयों पर लाजिम होवे (इ ला रि. कलकत्ता जि० १४ सफा ५४ [illegible]—बनाम—[illegible])—

शामिल शरीक हिन्दू खानदान का मुन्तजिम कारोबारी ऐसी डिक्री के की फारखती देने का इस दफा की मनशा के मुताबिक मजाज है जो कुल खानदान को वसूल पाना वाजिब है (मद्रास ला. जरनल जि० सफा १०८८ सन १६११)

शामलाती डिक्रीदार दफा ८ एक्ट मियाद की मनशा के मुताबिक शामलाती साहूकार के समझा जावेगा—जब दो शामलाती डिक्रीदारों में नाबालिग हो, तो दूसरा डिक्रीदार कर्ज की ऐसी फारखती देने का मजाज होगा कि जिससे नाबालिग मजकूर के हकीयत की पाबन्दी होती हो (इ जि० १५ सफा ६६४)

बालिग डिक्रीदारान या शामिल शरीक हिन्दू खानदान के कारोबारी होने के बाद करजे की फारखती देने के उसी तरह मजाज हैं जैसे वह होने के पेश्तर थे [मद्रास. वी. नो सफा २८८ सन १६१२]— सिर्फ वाकेआ कि दरखास्त के सिरनामे में किसी शख्स का नाम बतौर नाबा बविलायत वली के दर्ज लिया गया इस बात के लिये काफी न होगा नाबालिग मजकूर दफा ७ एक्ट मियाद का फायदा उठाने का हकदार हो और न अदालत का यह काम होगा कि शख्स मजकूर के हक मे अपनी से वैसा उजर निकाले (कलकत्ता वी नो. जि १७ सफा ६६७)—

जब बहुत से नाबालिग होंवे और उन के बालिग वली ने मुन्तकिल किया हो और खानदान के कारोबारी की कुछ एतराज न हो सक्ता हो तो नाबालिगान भी हस्ब ८५ वली के फैल के पाबन्द होंगे, क्योंकि कारोवारी न फारखती वो पावती देने का मजाज है [इ. के जिल्

दफा ७ कार्रवाई इजराय में लागू हो सकी तलब अमर यह है कि आया शामलाती डिकरीदारों शामलाती डिकरीदारों की रजामन्दी के बगैर जाय (मदरास वी नो सफा १५६ सन १६१४)

दफा ८—कोई इबारत मुन्दरजा

खास छूटे न

शफा का दावी किया गया हो और न ऊपर लिखी दफाओं की किसी इबारत से यह मतलब निकलसक्ता है कि उस मियाद की मुद्दत, कि जिस के अन्दर कोई नालिश दायर की जानी चाहिये या दरख्वास्त पेश होनी चाहिये उस तारीख से ३ साल से ज्यादा बढाई जावे कि जब नाक़ाबलियत बंद हुई या जब वह शख्स कि जो वैसी नाक़ाबलियत में फन्सा था मरगया हो—

तमसीलें.

(क) मुसम्मी रामलाल को किसी माल वसीअती की नालिश करने का इस्तेहक़ाक़ उस के नाबालगी की हालत में पैदा हुआ और उस हक़ के पैदा होने के ११ साल बाद रामलाल बालिग हुआ, मामूली तौर पर क़ानून की रू से रामलाल को सिर्फ १ साल ही बाक़ी रहा कि जिस के अन्दर उसे नालिश दायर करना चाहिये, लेकिन बमूजिब दफा ६ और इस दफा के उसे २ साल की और मोहलत बालिग होने की तारीख से दी जावेगी कि जिस के अन्दर वह अपनी नालिश दायर कर सके, इस तरह पर उस को कुल ३ साल बालिग होने पर मिलेंगे.

[ख] किसी ओह्दे की मौरूसियत के बारे में नालिश दायर करने का हक़ रामलाल को उस वक़्त हासिल हुआ कि जब वह पागल था—यह हक़ पैदा होने के ६ साल बाद रामलाल अपने होश में आगया—रामलाल को मामुली क़ानून के मुताबिक़ अपनी नालिश दायर करने के लिये उस तारीख से ६ साल की मुद्दत है कि जब उस का पागल पना ख़तम हुआ—तो ऐसी हालत में उस को बमूजिब दफा ६ या इस दफा से कोई ज्यादा मोहलत न मिलेगी.

(ग) मुसम्मी रामलाल को, कि जो फातिरउल-अक्ल याने सिड़ी है, मालगुजारी हैसियत से किसी किसान पर कब्जा की नालिश का हक पैदा हुआ—रामलाल ऐसा हक पैदा होने के ३ साल बाद मरगया, उस के मरने की तारीख तक वह सिड़ी बना रहा—रामलाल के कायम मुकाम हकीयत को मामूली कानून के मुताबिक रामलाल के मरने की तारीख से ६ साल की मुद्दत है कि जिस के अन्दर वह नालिश दायर कर सक्ता है-दफा ६ वो इस दफे की रू से ऐसी मियाद न बढ़ सकेगी सिवाय उस सूरत में कि जब वह ऐसा कायम मुकामी का हक पैदा होने के वक्त किसी नाकाबलियत में फंसा हो—

तशरीह.—यह दफा दफा ७ एक्ट १५ सन १८७७ ई० के अखीर फिकरे से मिलती है और इस दफा की तफसीलात (क) (ख) वो (ग) एक्ट १५ सन १८७७ ई० की तफसीलात (घ) (च [illegible] छ) के मुवाफिक हैं—इस दफा में यह बतलाया गया है कि दफा [illegible] हक शफा से लागू न होगी, और न मियाद [illegible] के बाद उस मुद्दत से ३ साल से ज्यादा [illegible] दायर करने का हुक्म है—मद्रास हाई कोर्ट [illegible] यह राय करार पाई कि दफा ८ ऐसी ना[illegible] ताल्लुक रखता है-दफा ८ ऐसी सूरत [illegible] दिला पाने की चारा जुई की गई हो, [illegible] बतौर हिन्दू शामलात शरीकदारान [illegible] जायदाद की तारीख पर नाबालिग रहे [illegible] ज्यादा मुद्दई तारीख दायर नालिश के [illegible] गये हों, मगर साहब जसटिस सुन्दर अ[illegible] ८ लागू न होगी जब तक कि मद ४४ [illegible] के मुलतवी न हो जावे, इस लिये ८ [illegible]

न होगी जिन में मद ४४ लागू हो सक्ता है —

जब दो हिन्दू शराकतदारान के वली ने जायदाद का इन्तकाल किया हो तो हर शरीकदार की बिनाय मुखासमत मुन्तकिल की हुई जायदाद में से अपना अपना हिस्सा पाने की अलेहदा २ समझी जावेगी, और दफा ८ ऐसे मामला में लागू न होगी—जब मुद्दईयान शरीकदारान में से एक का दावा मुतकिल की हुई जायदाद में से अपना हिस्सा पाने की निस्बत बेरू मियाद हो गया हो और उसका हक नष्ट हो गया हो तो दूसरा शरीकदार मुद्दई मुन्तकिल की हुई जायदाद में से सिर्फ अपना हिस्सा दिला पाने की नालिश दायर कर सक्ता है—(मद्रास ला जरनल जिल्द २१ सफा १०७१)—

मुद्दईयान एक बिला बटे हिन्दू घराने के शामलाती शरीकदार २ भाई थे—उन की मा ने सन १८९५ ई० में उन की जायदाद को उन की नाबालगी की हालत में उनके कुदरती वली की हैसियत से बेच डाला—मुद्दईयान ने बैनामा की मन्सूखी की नालिश दायर किया—मुद्दई नम्बर (१) सन १९०४ में बालिग हुआ और मुद्दई नम्बर (२) सन १९०७ ई० में बालिग हुआ—नालिश सन १९०९ ई० में दायर की गई—तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि नालिश बमूजिब मद ४४ एक्ट मियाद बेरू मियाद थी—(मद्रास ला टाईम जिल्द १४ सफा ४०१)—

जब वली ने हिन्दू घराने के दो नाबालिग भाईयों की तरफ से जायदाद का इन्तकाल किया हो और बड़े भाई ने बालिग होने पर घराने का कारोबारी बनकर बालिग होने के ३ साल के अन्दर वली की कार्रवाई को रद्द कराने की तदबीर न की, तो छोटा भाई भी बालिग होने के बाद ३ साल के अन्दर अपना हिस्सा पाने की नालिश दायर नहीं कर सकेगा—उस की नालिश बमूजिब मद ४५ जमीमा १ एक्ट मियाद बेरू मियाद होगी, क्योंकि बड़े भाई का फर्ज यह था कि जब वह बालिग हुवा तब हिन्दू धर्म शास्त्र की रू से बहैसियत कारोबारी घराने के छोटे भाई के हकीयत की देख रेख करता (इ. ले. मद्रास जिल्द २१ सफा ४१०)—

दफा ९—जिस हाल में एक मर्तबा मियाद शुरू हो जावे

मियाद शुरू हो जाए तो बाद की नाकाबलियत उस को रोक नहीं सक्ती है.

तो जो नाकाबलियत या नालियाकती बाबत दायर करने नालिश के, पीछे से पैदा होवे वह मियाद का दौड को रोक न सकेगी—

मगर शर्त यह है कि जब किसी साहूकार की जायदाद की निसबत चिट्ठियान मोहतमिमी उस के कर्जदार को दी गई हों तो वह मियाद जो कर्जा के वसूल करने की नालिश के वास्ते मुकर्रर है उस में अरसा मोहतमिमी का शुमार न किया जावेगा—

तशरीहः—यह दफा सिर्फ नालिशात से ताल्लुक रखती है न कि दरखास्तों से (पंजाब रिकार्डर नं० १०६ सन १८८६ ई० बिहारीलाल—बनाम—गनेस)—लफ्ज "नालियाकती" से, कि जिस्का हवाला इस दफा में दिया गया है, वह जाती नालियाकत (अशक्तता) समझना चाहिये जो खुद मुद्दई से सम्बंध रखती हो और जो उस्की हालत वो हैसियत जाहिर करती हो न कि उस शख्स की हालत, जिस्के ऊपर वह नालिश करने का हकदार हो—(इ ला. रि. बम्बई जिल्द ८ सफा ५६६ हनमतराम—बनाम—बाऊलेस)—इस दफा का साफ मतलब यह है कि जो वक्त मियाद की मुद्दत के शुरू होने के वास्ते मुकर्रर है उस वक्त अगर कोई आदमी किसी नाकाबलियत में न हो तो पीछे से कोई नाकाबलियत मियाद को न रोकेगी (वी रि. जिल्द ७ सफा १३४ गोविन्द कुमार—बनाम—हरीचन्द्रा)—जब किसी करजे की जिम्मेदारी का इकबाल उस्की मियाद खतम होने के पेश्तर किया जावे तो उस तारीख से एक नई मियाद शुरू होगी, और अगर वह शख्स जिस्के हक में ऐसा इकबाल लिखा जावे नाबालिग हो तो जब तक वह बालिग न हो जावे तब तक उस्के मुकाबले में मियाद शुरू न होगी—(इ. ला रि. मद्रास जिल्द १३ सफा १३५)—

कब्ल इस्के कि जो रोक मजमूआ जाब्ता दीवानी सन १९०८ ई० की दफा ४८ में दर्ज है लागू की जावे यह जाहिर करना चाहिये कि डिकरी उस तारीख को इजराय के लिये हर तरह से पक्की हो गई थी, जिस तारीख

से १२ साल की मियाद शुरू होती है-दफा ४८ की मनशा वाली इजरा वो दरखास्त का ताल्लुक ऐसी डिक्री से है जो उस तारीख को काबिल इजरा होवे जिस की निस्बत दरखास्त पेश की गई हो और इजरा चाही गई हो-और "हुक्म इजरा" से वैसा हुक्म मुराद है जो अदालत बमूजिब अहकाम डिक्री मजकूर के सादिर कर सक्ती वो अमल में ला सक्ती थी-(बम्बई ला रि जिल्द १४ सफा ३८१)—

दफा १०—ऊपर लिखी दफों मे चाहे कुछ भी लिखा हो मगर जो नालिश ऐसे शख्स पर, कि जिस को कोई जायदाद किसी खास गरज के लिये बतौर अमानत के पहुंची हो, या बनाम उसके कायम मुकाम या मुन्तकिल अलेह (यानी प्रति निधि) जायज के (जो मुन्तकिल अलहे बएवज कीमत बदल के न हो) इस गरज से कि उस के या उन के कब्जा में ऐसी जायदाद पर या उसकी बिक्री की कीमत पर हकदार का हक कायम रहे या वैसी जायदाद या उसकी बिक्री की कीमत का हिसाब समझाने की गरज से दायर की जावे, तो वह नालिश कितना भी अरसा गुजर जाने पर ऐसी न समझी जावेगी कि जो सुनाई के लायक नहीं है—

दावी बरखिलाफ सरीह अमीन या उन के कायम मुकामान के

तशरीह:—इस दफा में "अलफाज या उसकी बिक्री की कीमत पर या वैसी जायदाद या उसकी बिक्री कीमत का हिसाब समझाने की गरज से" बढ़ाये गये हैं-इस दफा में तरमीम करने के वजूहात यह थे कि पुराने एक्ट १५ सन १८७७ ई० की दफा १० अमानती जायदाद की निस्बत नालिश करने के लिये मुकम्मिल नहीं समझी जाती थी-कई नालजात दरबारे समझाने हिसाब जायदाद अमानती में यह तजवीज करार दी गई थी कि दफा १० लागू नहीं होती-(देखो नजीर इ ला. रि कलकत्ता जिल्द ५ सफा ८१०)—

इस दफा का साफ मतलब यह है कि आम तौर पर नालशात निस्बत जायदाद अमानती में म्याद का कोई सवाल पैदा न होगा—मगर जब ऐसी

अमानती जायदाद कीमती बदल के एवज मुन्तकिल की जावे तो आम कायदा म्याद का लागू होगा और अमानती जायदाद के मुन्तकिल अलेह को वही फायदा पहुंचेगा जो जायदाद के आम खरीदार को पहुचता है-- मतलब यह है कि जब जायदाद किसी खास गरज से अमानतन, अमानतदार के सिपुर्द की गई हो तो कुल अशखास जो वैसी जायदाद से फायदा उठाने का हक रखते हैं वैसे अमानतदार पर नालिश निस्बत जायदाद मजकूर के कभी भी और किसी अरसे के बाद दायर कर सक्ते हैं और नालिश में मुद्दायलेह या अदालत की तरफ से यह उजर नहीं किया जा सक्ता है कि नालिश बेरू मियाद है

लफ्ज "अमानत" की तारीफ एक्ट अमानत हिन्द न २ सन १८८२ ई० की दफा २ में अच्छी तरह से की गई है—लेकिन यह एक्ट सिर्फ सयुक्त प्रदेश, पजाब, अवध, मध्यप्रदेश, कुर्ग और असाम में जारी है, हिन्दुस्थान के किसी दूसरे हिस्से में चालू नहीं है.

सरकारी हिन्दुस्थान में ऐसी कम्पनी के डायरेक्टर लोग कि जिसकी रजिस्ट्री बमूजिब एक्ट न ६ सन १८८२ ई० के की गई है, मियाद का उजर कर सक्ते हैं क्योंकि कम्पनी की जायदाद उनको किसी तरह पहुचती नहीं है, बल्कि वे उसका इन्तजाम करते हैं (इ ला रि बम्बई जिल्द १८ सफा १३०)

जब कोई खास जायदाद किसी खास करजा या करजों की अदाई के वास्ते बतौर अमानत दी जावे तो ऐसी सूरत में अमानतदार पर एक नया काम डाला जाता है इस लिये कलकता की हाई कोर्ट ने ऐसे शख्स को, इस दफा की मनशा के मुताबिक, बतौर अमानतदार के तसौवर किया जहा तक कि वह खास जायदाद और वे खास करजे मुताल्लिक हैं—(इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द ७ सफा ७७२ अनन्दो बाई-बनाम-प्राणचन्द्र)

जब सरकार कोर्ट आफ वार्डस को किसी मरे हुए आदमी की जायदाद सौंपे तो ऐसी हालत में सरकार उस आदमी के कुनबे के बाकी लोगों के वास्ते बतौर अमानतदार न समझी जावेगी-- अगर कोर्ट आफ वार्डस किसी मरे हुए आदमी के हराम के बेटे को उसकी जायदाद सिपुर्द करदे और अगर यह

लड़का कोई ऐसा बड़ा भारी कसूर करे कि जिससे जायदाद मजकूर पर उसका हक जब्त हो जावे, तो उस मरे हुए आदमी का जायज बेटा सरकार को, कि जिसने जब्त करके जायदाद को अपने कब्जे में लिया, बतौर ऐसे शख्स के नहीं समझ सकेगा कि जिसे वह जायदाद किसी खास गरज के वास्ते बतौर अमानत पहुंची हो (देखो इ. ला रि मद्रास जिल्द ८ सफा ५२२ वो जिल्द ११ सफा २०६ नजीर इजलास कामिल)—जायदाद अमानती में रुपिया अमानती भी शामिल है (देखो इ ला रि बम्बई जिल्द ८ सफा ४३२).

जब कोई जायदाद किसी हिन्दू अमानतदार के कब्जे में हो तो ऐसी हालत में यह मान लेना चाहिये कि वह जायदाद उसको "पहुंची" हालां कि मालकी का हक जायज तौर पर उसको न मिला हो (इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द ५ सफा ४५५ वो ४६८ खेरोदामौनी-बनाम दुरगामोनी), लेकिन अजरूय एक्ट अमानत हिन्द सन १८८२ ई० अमानतदार जायदाद अमानती का जायज मालिक समझा जाता है.

जब कोई खरीदार नीलाम किसी ऐसी डिगरी के इजराय में, जो अमानतदार पर सादिर हुई हो, नीलाम के वक्त जायदाद अमानती खरीद करे तो ऐसी हालत में वह (याने खरीददार) इस दफा की मनशा के मुताबिक मुन्तकिल अलेह बएवज कीमती बदल समझा जावेगा और इस लिये मियाद के मामूली कवायद ऐसी नालिश में लागू होंगे जो ऐसे खरीदार पर अमानतदार की तरफ से दायर की जावे—[इ ला रि कलकत्ता जिल्द १६ सफा ७०३ चिंतामौनी-बनाम-सरूप].

जब वसीयत करने वाले की जायदाद एक मर्तबे अमानतदारान के हाथ किसी खास गरज के वास्ते पहुंच गई हो तो यह जरूर नहीं है कि बाकी और जायदाद का जिक्र जो कानून के अमल से उन्हीं अमानतदारान के हाथ पहुंच और जिसका जिक्र वसीयतनामा में नहीं है, वसीयतनामा में होना चाहिये था, ताकि वह दफा १० की मनशा में दाखल हो सके [इ. ला. रि बम्बई जिल्द २५ सफा ४६]

अगर कोई शख्स अमानती जायदाद पर मदाखलत बेजा करके दाखल हो गया हो और वह जायदाद बामूजब कानून के मुन्तकिल शुदा न हो तो

अमानती जायदाद कीमती बदल के एवज मुन्तकिल की जावे तो आम कायदा म्याद का लागू होगा और अमानती जायदाद के मुन्तकिल अलेह को वही फायदा पहुंचेगा जो जायदाद के आम खरीदार को पहुंचता है-- मतलब यह है कि जब जायदाद किसी खास गरज से अमानतन, अमानतदार के सिपुर्द की गई हो तो कुल अशखास जो वैसी जायदाद से फायदा उठाने का हक रखते है वैसे अमानतदार पर नालिश निस्बत जायदाद मजकूर के कभी भी और किसी अरसे के बाद दायर कर सक्ते हैं और नालिश में मुद्दायलेह या अदालत की तरफ से यह उजर नहीं किया जा सक्ता है कि नालिश बेरू मियाद है

लफ्ज "अमानत" की तारीफ एक्ट अमानत हिन्द न. २ सन १८८२ ई० की दफा २ में अच्छी तरह से की गई है-लेकिन यह एक्ट सिर्फ सयुक्त प्रदेश. पजाब, अवध, मध्यप्रदेश, कुर्ग और असाम मे जारी है, हिन्दुस्थान के किसी दूसरे हिस्से में चालू नहीं है.

सरकारी हिन्दुस्थान में ऐसी कम्पनी के डायरेक्टर लोग कि जिसकी रजिस्ट्री बमूजिब एक्ट न. ६ सन १८८२ ई० के की गई है, मियाद का उजर कर सक्ते है क्योंकि कम्पनी की जायदाद उनको किसी तरह पहुचती नहीं है, बल्कि वे उसका इन्तजाम करते हैं (इ ला रि बम्बई जिल्द १८ सफा १३०)

जब कोई खास जायदाद किसी खास करजा या करजों की अदाई के वास्ते बतौर अमानत दी जावे तो ऐसी सूरत में अमानतदार पर एक नया काम डाला जाता है इस लिये कलकता की हाई कोर्ट ने ऐसे शख्स को, इस दफा की मनशा के मुताबिक, बतौर अमानतदार के तसौवर किया जहा तक कि वह खास जायदाद और वे खास करजे मुताल्लिक हैं —(इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द ७ सफा ७७२ अनन्दो वई-बनाम-शशिचन्द्र)

जब सरकार कोर्ट आफ वार्डस को किसी मरे हुए आदमी की जायदाद सौंपे तो ऐसी हालत में सरकार उस आदमी के कुनबे के बाकी लोगों के वास्ते बतौर अमानतदार न समझी जावेगी-- अगर कोर्ट आफ वार्डस किसी मरे हुए आदमी के नाम के बेटे को उसकी जायदाद सिपुर्द करदे और अगर यह

पहिले ही से हो, वकील को बतौर अमानतदार के करार दे सकेगा- दामाद वो सुसर के दरम्यान का ताल्लुक ऐसा ताल्लुक नहीं समझा जा सक्ता है जैसा कि दरम्यान वकील वो मवक्किल होता है (इ के जि० २२ सफा ६३६)

दफा १० सिर्फ ऐसे अमानती जायदाद की निस्बत लागू होगी जब कि किसी खास या साफ गरज के वास्ते अमानत सिपुर्द करने वाले शख्स ने जायदाद मजकूर को अमानत में कायम की हो—यह दफा ऐसे अमानती माल की निस्बत लागू न होगी जिसकी अमानत मतलब से या कानून इन्साफ के लागू करने से निकलती हो और फरीकैन की असली नियत क्या थी उसका लिहाज न किया गया हो-ऐसे मामलात में मुमकिन है कि शहादत में इख्तिलाफ हो और फरीक मुताल्लिक को मियाद के फायदे से महरूम रखना जाहरा जोखमी होगा (सिन्ध ला रि जि० ८ सफा १३२)

नालिश बर बिना माहदों के जो मुल्क गैर में हुए हों

दफा ११—(१) जो नालिशें ब्रिटिश इंडिया की हद में बर बिनाय ऐसे माहदों के दायर की जावें कि जो गैर मुल्क में हुए हों, उन में भी इस एक्ट में लिखे हुए मियाद के कायदे मुताल्लुक होंगे—

(२) जो नालिश बर बिनाय किसी ऐसे माहदा के, जो गैर मुल्क में हुवा हो, ब्रिटिश इंडिया में दायर की जावे उस के जवाब देही में ऐसे मुल्क का कायदा मियाद पेश न किया जावेगा, सिवाय उस सूरत में कि जब उस कायदा के बमूजिब वह माहदा रद्द हो गया हो और ऐसी मुद्दत तक, कि जो ऐसे कायदे के रू से मुकर्रर है, फरीकैन उस मुल्क में मुस्तकिल सकूनत रखते रहे हों—

तशरीह—इस दफा में कोई तब्दीली नहीं की गई है यह पुरानी दफा के मुताबिक है—इस दफा का मतलब यह है कि मुल्क या रियासत गैर का कानून मियाद ब्रिटिश इंडिया में तसलीम न किया जावेगा—मसलन, अगर कोई नालिश रियासत गैर के कानून मियाद के मुताबिक अन्दर मियाद हो और ब्रिटिश इंडिया के कानून मियाद के मुताबिक बेरू मियाद हो और वह नालिश अदालत

वैसे शख्स की निस्बत मियाद का उजर पेश हो सकेगा (बम्बई ला. रि जि० १४ सफा ६८७)

हर ठेकेदार, जो जमीन को पट्टा में जोते और सालाना जर लगान देवे, एक्ट मियाद की दफा १० की मनशा के मुताबिक ऐसा मुन्तकिल अलेह समझा जावेगा कि जिसने जमीन कीमती बदल के एवज लिया, गो ठेका शुरू होते वक्त उससे कोई नजराना न लिया गया हो (मदरास ला. ज. जि० ३३ सफा २६०)—

इस मुकदमा में नालिश एक देवस्थान की निस्बत साबिक के अमानतदार पर हाल के जायज अमानतदार ने दायर किया—हाई कोर्ट की राय में यह तजवीज करार पाई कि एक्ट मियाद की दफा १० के अहकाम साफ तौर पर लागू होते है और मुद्दायलेह बेरू मियाद का उजर नहीं कर सक्ता है (मदरास ला टाईम जि० १४ सफा ४३७)—

अगर कोई अमानती जायदाद नेक नियती से बो बदल के एवज में और अमानत का इल्म न होने पर भी मुन्ताकिल अलह के हाथ में चली गई हो तो वैसी जायदाद पर हक उन लोगों का बिलकुल नहीं पहुच सकेगा जिनके फायदा की गरज से वह जायदाद अमानत में सिपुर्द की गई थी—ऐसे बदल व एवज के साथ लेने वाले मुन्तकिल अलेह की निस्बत मियाद का सवाल पैदा होगा जिसने नेक नियती से अमल न किया हो और जब उसने अपना हक असली फायदा उठाने वालों के हक के नष्ट हो जाने के बाद हासिल किया हो—अगर बिला बदल के जायदाद मुन्तकिल की गई है तो फिर मियाद का झगड़ा पैदा न होगा, चाहे नालिश कितने ही अरसे के बाद दायर की गई हो (मदरास ला ज जि० २६ सफा ५३७)

अमरसिंग का बेनीसिंग के पास रुपिया सिर्फ अमानत रख देने से बेनीसिंग की हैसियत अमानतदार की न हो जावेगी, और यह न समझा जायगा कि किसी साफ गरज से अमरसिंग ने बेनीसिंग के नाम अमानत कायम किया, ऐसे मामले में दफा १० लागू न हो सकेगी—मगर किसी वकील के पास कुछ अमानत रखना, जब कि वकील अपने मवक्किल का अमानतदार

पहिले ही से हो, वकील को बतौर अमानतदार के करार दे सकेगा- दामाद वो सुसर के दरम्यान का ताल्लुक ऐसा ताल्लुक नहीं समझा जा सक्ता है जैसा कि दरम्यान वकील वो मवक्किल होता है (इ के जि० २२ सफा ६३६)

दफा १० सिर्फ ऐसे अमानती जायदाद की निस्बत लागू होगी जब कि किसी खास या साफ गरज के वास्ते अमानत सिपुर्द करने वाले शख्स ने जायदाद मजकूर को अमानत में कायम की हो—यह दफा ऐसे अमानती माल की निस्बत लागू न होगी जिसकी अमानत मतलब से या कानून इन्साफ के लागू करने से निकलती हो और फरीकैन की असली नियत क्या थी उसका लिहाज न किया गया हो—ऐसे मामलात में मुमकिन है कि शहादत में इख्तिलाफ हो और फरीक मुताल्लिक को मियाद के फायदे से महरूम रखना जाहरा जोखमी होगा (सिन्ध ला रि जि० ८ सफा १३२)

दफा ११—(१) जो नालिशें ब्रिटिश इंडिया की हद में बर बिनाय ऐसे माहदों के दायर की जावें कि जो गैर मुल्क में हुए हों, उन मे भी इस एक्ट में लिखे हुए मियाद के कायदे मुताल्लुक होंगे—

नालिश बर बिना माहदों के जो मुल्क गैर में हुए हों

(२) जो नालिश बर बिनाय किसी ऐसे माहदा के, जो गैर मुल्क में हुवा हो, ब्रिटिश इंडिया मे दायर की जावे उस के जवाब देही में ऐसे मुल्क का कायदा मियाद पेश न किया जावेगा, सिवाय उस सूरत में कि जब उस कायदा के बमूजिब वह माहदा रद हो गया हो और ऐसी मुद्दत तक, कि जो ऐसे कायदे के रू से मुकर्रर है, फरीकैन उस मुल्क में मुस्तकिल सकूनत रखते रहे हों—

तशरीह.—इस दफा में कोई तबदीली नहीं की गई है यह पुरानी दफा के मुताबिक है—इस दफा का मतलब यह है कि मुल्क या रियासत गैर का कानून मियाद ब्रिटिश इंडिया में तसलीम न किया जावेगा—मसलन, अगर कोई नालिश रियासत गैर के कानून मियाद के मुताबिक अन्दर मियाद हो और ब्रिटिश इंडिया के कानून मियाद के मुताबिक बेरूं मियाद हो और वह नालिश [illegible]

वैसे शख्स की निस्बत मियाद का उजर पेश हो सकेगा (बम्बई ला. रि जि० १४ सफा ६८७)

हर ठेकेदार, जो जमीन को पट्टा में जोते और सालाना जर लगान देवे, एक्ट मियाद की दफा १० की मनशा के मुताबिक ऐसा मुन्तकिल अलेह समझा जावेगा कि जिसने जमीन कीमती बदल के एवज लिया, गो ठेका शुरू होते वक्त उससे कोई नजराना न लिया गया हो (मदरास ला. ज. जि० २३ सफा २६०)—

इस मुकदमा में नालिश एक देवस्थान की निस्बत साबिक के अमानतदार पर हाल के जायज अमानतदार ने दायर किया—हाई कोर्ट की राय में यह तजवीज करार पाई कि एक्ट मियाद की दफा १० के अहकाम साफ तौर पर लागू होते है और मुद्दायलेह बेरूं मियाद का उजर नहीं कर सक्ता है (मदरास ला टाईम जि० १४ सफा ४३७)—

अगर कोई अमानती जायदाद नेक नियती से वो बदल के एवज में और अमानत का इल्म न होने पर भी मुन्ताकिल अलेह के हाथ में चली गई हो तो वैसी जायदाद पर हक उन लोगों का बिलकुल नहीं पहुंच सकेगा जिनके फायदा की गरज से वह जायदाद अमानत में सिपुर्द की गई थी—ऐसे बदल व एवज के साथ लेने वाले मुन्तकिल अलेह की निस्बत मियाद का सवाल पैदा होगा जिसने नेक नियती से अमल न किया हो और जब उसने अपना हक असली फायदा उठाने वालों के हक के नष्ट हो जाने के बाद हासिल किया हो—अगर बिला बदल के जायदाद मुन्तकिल की गई है तो फिर मियाद का झगड़ा पैदा न होगा, चाहे नालिश कितने ही अरसे के बाद दायर की गई हो (मदरास ला ज जि० २६ सफा ५३७)

अमरसिंग का बेनीसिंग के पास रुपिया सिर्फ अमानत रख देने से बेनीसिंग की हैसियत अमानतदार की न हो जावेगी, और यह न समझा जायगा कि किसी साफ गरज से अमरसिंग ने बेनीसिंग के नाम अमानत कायम किया; ऐसे मामले में दफा १० लागू न हो सकेगी—मगर किसी वकील के पास कुछ अमानत रखना, जब कि वकील अपने मवाकिल का अमानतदार

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

वैसे शख्स की निस्बत मियाद का उजर पेश हो सकेगा (बम्बई ला. रि जि० १४ सफा ६८७)

हर ठेकेदार, जो जमीन को पट्टा में जोते और सालाना जर लगान देवे, एक्ट मियाद की दफा १० की मनशा के मुताबिक ऐसा मुन्तकिल अलेह समझा जावेगा कि जिसने जमीन कीमती बदल के एवज लिया, गो ठेका शुरू होते वक्त उससे कोई नजराना न लिया गया हो (मदरास ला. ज. जि० ३३ सफा २६०)—

इस मुकदमा में नालिश एक देवस्थान की निस्बत साबिक के अमानतदार पर हाल के जायज अमानतदार ने दायर किया—हाई कोर्ट की राय में यह तजवीज करार पाई कि एक्ट मियाद की दफा १० के अहकाम साफ तौर पर लागू होते हैं और मुद्दायलेह बेरू मियाद का उजर नहीं कर सक्ता है (मदरास ला टाईम जि० १४ सफा ४३७)—

अगर कोई अमानती जायदाद नेक नियती से वो बदल के एवज में और अमानत का इल्म न होने पर भी मुन्तकिल अलह के हाथ में चली गई हो तो वैसी जायदाद पर हक उन लोगो का बिलकुल नहीं पहुंच सकेगा जिनके फायदा की गरज से वह जायदाद अमानत में सिपुर्द की गई थी—ऐसे बदल व एवज के साथ लेने वाले मुन्तकिल अलेह की निस्बत मियाद का सवाल पैदा होगा जिसने नेक नियती से अमल न किया हो और जब उसने अपना हक असली फायदा उठाने वालों के हक के नष्ट हो जाने के बाद हासिल किया हो—अगर बिला बदल के जायदाद मुन्तकिल की गई है तो फिर मियाद का झगड़ा पैदा न होगा, चाहे नालिश कितने ही अरसे के बाद दायर की गई हो (मदरास ला ज जि० २६ सफा ५३७)

अमरसिंग का बेनीसिंग के पास रुपिया सिर्फ अमानत रख देने से बेनीसिंग की हैसियत अमानतदार की न हो जावेगी, और यह न समझा जायगा कि किसी साफ गरज से अमरसिंग ने बेनीसिंग के नाम अमानत कायम किया, ऐसे मामले में दफा १० लागू न हो सकेगी—मगर किसी वकील के पास कुछ अमानत रखना, जब कि वकील अपने मवक्किल का अमानतदार

पहिले ही से हो, वकील को बतौर अमानतदार के करार दे सकेगा- शामाद वो मुसर के दरम्यान का ताल्लुक ऐसा ताल्लुक नहीं समझा जा सक्ता है जैसा कि दरम्यान वकील वो मवक्किल होता है (इ के जि० २२ सफा ६३६)

दफा १० सिर्फ ऐसे अमानती जायदाद की निस्बत लागू होगी जब कि किसी खास या साफ गरज के वास्ते अमानत सिपुर्द करने वाले शख्स ने जायदाद मजकूर को अमानत में कायम की हो—यह दफा ऐसे अमानती माल की निस्बत लागू न होगी जिसकी अमानत मतलब से या कानून इन्साफ के लागू करने से निकलती हो और फरीकैन की असली नियत क्या थी उसका लिहाज न किया गया हो—ऐसे मामलात में मुमकिन है कि शहादत में इख्तिलाफ हो और फरीक मुताल्लिक को मियाद के फायदे से महरूम रखना जाहरा जोखमी होगा (सिन्ध ला रि जि० ८ सफा १३२)

नालिश बर बिना माहदों के जो मुल्क गैर में हुए हों

दफा ११—(१) जो नालिशें ब्रिटिश इंडिया की हद में बर बिनाय ऐसे माहदों के दायर की जावें कि जो गैर मुल्क मे हुऐ हों, उन से भी इस एक्ट में लिखे हुए मियाद के कायदे मुताल्लुक होंगे—

(२) जो नालिश बर बिनाय किसी ऐसे माहदा के, जो गैर मुल्क मे हुवा हो, ब्रिटिश इंडिया मे दायर की जावे उस के जवाब देही में ऐसे मुल्क का कायदा मियाद पेश न किया जावेगा, सिवाय उस सूरत में कि जब उस कायदा के बमूजिब वह माहदा रद्द हो गया हो और ऐसी मुद्दत तक, कि जो ऐसे कायदे के रू से मुकर्रर है, फरीकैन उस मुल्क में मुस्तकिल सकूनत रखते रहे हों—

तशरीह—इस दफा में कोई तबदीली नहीं की गई है यह पुरानी दफा के मुताबिक है—इस दफा का मतलब यह है कि मुल्क या रियासत गैर का कानून मियाद ब्रिटिश इंडिया में तसलीम न किया जावेगा—मसलन, अगर कोई नालिश रियासत गैर के कानून मियाद के मुताबिक अन्दर मियाद हो और ब्रिटिश इंडिया के कानून मियाद के मुताबिक बेरून मियाद हो और वह नालिश

ब्रिटिश इंडिया में दायर की गई हो तो वह बेरूं मियाद समझी जावेगी—इसी तरह अगर वह रियासत गैर के कानून मियाद के मुताबिक बेरू मियाद हो और ब्रिटिश इंडिया के कानून मियाद के मुताबिक अदर मियाद हो, वह अन्दर मियाद समझी जावेगी—मतलब यह है कि जवाब दिही में यह उजर पेश नहीं किया जा सक्ता कि माहदा मुल्क गैर में हुआ था और वह उस मुल्क के कानून मियाद के मुताबिक बेरू या अन्दर मियाद है इस लिये अदालत ब्रिटिश इंडिया में भी वह नालिश बरबिनाय माहदा मजकूर बेरू या अन्दर मियाद की जावे—

हिन्दुस्थानी रियासत कुच बिहार के अदालत की डिक्री इजराय के वास्ते सरकारी हिन्दुस्थान की अदालत में मुन्तकिल की गई—ऐसी हालत में जो कायदा मियाद सरकारी हिदुस्थान की अदालत के वास्ते मुकर्रर है वही ऐसी डिकरी में लागू किया जावेगा (इंडियन ला रि कलकत्ता जिल्द १४ सफा ५७० हुकमचन्द-बनाम-नरेन्दर).

अगर कोई डिकरी अदालत ऐसी रियासत की सादर की हुई अदालत ब्रिटिश इंडिया में वास्ते इजराय के भेजी गई हो तो उसकी इजराय की निस्बत वह कानून मियाद लागू होगा जो अदालत ब्रिटिश इंडिया में जारी है (इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द १४ सफा ५७०)

सरकार को अख्त्यार है कि खास २ नालशात में मुल्क गैर का कानून मियाद लागू करने का हुक्म दे (देखो दफा ६ एक्ट १७ सन १८८६ ई)

हिन्दू धर्म शास्त्र वो शरह मोहम्मदी में जो मियाद मुकर्रर हो वह अदालत हाय ब्रिटिश इंडिया में बतौर कानून मुल्क गैर के करार दी जावेगी (देखो मित्रा साहब का रिसाला चौथी बार छपा हुआ सफा ४१, ७१३ वो ७१४)

हिस्सा--३.

मियाद के मुद्दत की शुमार

उस दिन का छोड़ा जाना कि जिस दिन नालिश दायर करने का हक पैदा हुआ

दफा १२—(१)—मियाद समाअत जो हर नालिश या अपील या दरखास्त के वास्ते मुकर्रर है, उस का हिसाब लगाने मे वह दिन छोड़ दिया जावेगा कि जिस रोज से वह मियाद शुमार होनी चाहिये

अपीलों और बाज दरखास्तों की सूरत में इखराज

(२)—मियाद समाअत जो वास्ते अपील, और दरखास्त इजाजत अपील के और वास्ते दरख्वास्त तजवीज सानी के मुकर्रर है, उस का हिसाब करने में तारीख सुनाए जाने उस फैसले की, जिस की नाराजी से अपील या दरखास्त मजकूर हो, और वह अरसा जो डिकरी या हुक्म सजा या हुक्म की नकल हासिल करने में गुजरा हो, जिस्की नाराजी से अपील या दरखास्त तजवीजसानी पेश की जावे, शुमार न किया जावेगा

(३) जब किसी डिकरी की अपील हो या उसकी तजवीज सानी की दरखास्त की जावे तो जो अरसा वास्ते हासिल करने नकल फैसला, कि जिस पर वह डिकरी कायम है, गुजरे, वह भी हिसाब में न लिया जावेगा.

(४) और जो मियाद वास्ते दरख्वास्त मन्सूखी फैसला के मुकर्रर है उस के हिसाब लगाने में वह मुद्दत, कि जो उस फैसले की नकल हासिल करने के वास्ते जरूरी हो, शुमार न की जावेगी.

तशरीह:—इस दफा में मियाद शुमार करने का तरीका दर्ज है—

ब्रिटिश इंडिया में दायर की गई हो तो वह बेरू मियाद समझी जावेगी—इसी तरह अगर वह रियासत गैर के कानून मियाद के मुताबिक बेरू मियाद हो और ब्रिटिश इंडिया के कानून मियाद के मुताबिक अदर मियाद हो, वह अन्दर मियाद समझी जावेगी—मतलब यह है कि जवाब दिही में यह उजर पेश नहीं किया जा सक्ता कि माहदा मुल्क गैर में हुआ था और वह उस मुल्क के कानून मियाद के मुताबिक बेरू या अन्दर मियाद है इस लिये अदालत ब्रिटिश इंडिया में भी वह नालिश बरबिनाय माहदा मजकूर बेरू या अन्दर मियाद की जावे--

हिंदुस्थानी रियासत कुच बिहार के अदालत की डिकरी इजराय के वास्ते सरकारी हिन्दुस्थान की अदालत में मुन्तकिल की गई—ऐसी हालत में जो कायदा मियाद सरकारी हिंदुस्थान की अदालत के वास्ते मुकर्रर है वही ऐसी डिकरी में लागू किया जावेगा (इंडियन ला रि कलकत्ता जिल्द १४ सफा ५७० हुकमचन्द-बनाम-गेरेन्दर)

अगर कोई डिकरी अदालत ऐसी रियासत की सादर की हुई अदालत ब्रिटिश इंडिया में वास्ते इजराय के भेजी गई हो तो उसकी इजराय की निस्बत वह कानून मियाद लागू होगा जो अदालत ब्रिटिश इंडिया में जारी है (इ ला. रि कलकत्ता जिल्द १४ सफा ५७०)

सरकार को अख्त्यार है कि खास २ नालशात में मुल्क गैर का कानून मियाद लागू करने का हुक्म दे (देखो दफा ६ एक्ट १७ सन १८८६ ई)

हिन्दू धर्म शास्त्र वो शरह मोहम्मदी में जो मियाद मुकर्रर हो वह अदालत हाय ब्रिटिश इंडिया में बतौर कानून मुल्क गैर के करार दी जावेगी (देखो मित्रा साहब का रिसाला चौथी बार छपा हुआ सफा ४१, ७१३ वो ७१४)

हिस्सा—३.

मियाद के मुद्दत की शुमार

उस दिन का छोड़ा जाना कि जिस दिन नालिश दायर करने का हक पैदा हुआ

दफा १२—(१)—मियाद समाअत जो हर नालिश या अपील या दरख्वास्त के वास्ते मुकर्रर है, उस का हिसाब लगाने में वह दिन छोड़ दिया जावेगा कि जिस रोज से वह मियाद शुमार होनी चाहिये

अपीलों और बाज दरखास्तों की सूरत में इखराज

(२)—मियाद समाअत जो वास्ते अपील, और दरखास्त इजाजत अपील के और वास्ते दरख्वास्त तजवीज सानी के मुकर्रर है, उस का हिसाब करने में तारीख सुनाए जाने उस फैसले की, जिस की नाराजी से अपील या दरखास्त मजकूर हो, और वह अरसा जो डिकरी या हुक्म सजा या हुक्म की नकल हासिल करने में गुजरा हो, जिस्की नाराजी से अपील या दरख्वास्त तजवीजसानी पेश की जावे, शुमार न किया जावेगा

(३) जब किसी डिकरी की अपील हो या उसकी तजवीज सानी की दरखास्त की जावे तो जो अरसा वास्ते हासिल करने नकल फैसला, कि जिस पर वह डिकरी कायम है, गुजरे, वह भी हिसाब में न लिया जावेगा.

(४) और जो मियाद वास्ते दरख्वास्त मंसूखी फैसला के मुकर्रर है उस के हिसाब लगाने में वह मुद्दत, कि जो उस फैसले की नकल हासिल करने के वास्ते जरूरी हो, शुमार न की जायेगी.

तशरीह:—इस दफा में मियाद शुमार करने का तरीका दर्ज है-

ब्रिटिश इंडिया में दायर की गई हो तो वह बेरू मियाद समझी जावेगी—इसी तरह अगर वह रियासत गैर के कानून मियाद के मुताबिक बेरू मियाद हो और ब्रिटिश इंडिया के कानून मियाद के मुताबिक अंदर मियाद हो, वह अन्दर मियाद समझी जावेगी—मतलब यह है कि जवाब दिही में यह उजर पेश नहीं किया जा सक्ता कि माहदा मुल्क गैर में हुआ था और वह उस मुल्क के कानून मियाद के मुताबिक बेरू या अन्दर मियाद है इस लिये अदालत ब्रिटिश इंडिया में भी वह नालिश बरबिनाय माहदा मजकूर बेरू या अन्दर मियाद की जावे—

हिन्दुस्थानी रियासत कुच बिहार के अदालत की डिकरी इजराय के वास्ते सरकारी हिन्दुस्थान की अदालत में मुन्तकिल की गई—ऐसी हालत में जो कायदा मियाद सरकारी हिन्दुस्थान की अदालत के वास्ते मुकर्रर है वही ऐसी डिकरी में लागू किया जावेगा (इंडियन ला. रि कलकत्ता जिल्द १४ सफा ५७० हुकमचन्द-बनाम-गेरेन्दर).

अगर कोई डिकरी अदालत ऐसी रियासत की सादर की हुई अदालत ब्रिटिश इंडिया में वास्ते इजराय के भेजी गई हो तो उसकी इजराय की निस्बत वह कानून मियाद लागू होगा जो अदालत ब्रिटिश इंडिया में जारी है (इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द १४ सफा ५७०).

सरकार को अखत्यार है कि खास २ नालशात में मुल्क गैर का कानून मियाद लागू करने का हुक्म दे (देखो दफा ६ एक्ट १७ सन १८८६ ई)

हिन्दू धर्म शास्त्र वो शरह मोहम्मदी में जो मियाद मुकर्रर हो वह अदालत हाय ब्रिटिश इंडिया में बतौर कानून मुल्क गैर के करार दी जावेगी (देखो मित्रा साहब का रिसाला चौथी बार छपा हुआ सफा ४१, ७१३ वो ७१४)

के डिकरी पर दस्तखत न करने के सबब सायल को नक़ल डिक्री की मिलने में देरी हुई—(इ ला रि कलकत्ता जिल्द १३ सफा १०४—बेनी माधव—बनाम— काली शकर)—लेकिन अगर अपीलांट उस वक्त तक नकल की दरखास्त पेश न करे कि जब हाकिम ने डिकरी पर अपने दस्तखत कर चुके हों तो ऐसी सूरत में अपीलांट को यह दिन मुजरा न मिलेंगे.

मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने ब मुक़दमा सी पी. ला रि जिल्द ४ सफा १६६ यह राय कायम की है कि अपीलांट को तारीख देन दरखास्त नकल से तारीख मिलने नकल तक के दिन मुजरा मिलना चाहिये, बशर्ते कि अपीलांट की तरफ से नकल लेने में कोई सुस्ती या लापरवाही न पाई जावे, मसलन अगर नकल की दरखास्त तारीख २६ नवम्बर को दी गई और नकल तारीख ९ दिसम्बर को तैयार हुई लेकिन सायल ने नकल तारीख ११ दिसम्बर को लिया तो एसी हालत में तारीख २६ नवम्बर से तारीख ११ दिसब० तक कुल दिन मुजरा मिलेंगे क्योंकि नकल नवीस सायल को ठीक वह तारीख नहीं बतला सक्ता है कि जिस दिन नकल तैयार हो जावेगी—दरखास्त नकल की पेश करने पर सायल से कहा जाता है कि सात दिन में लेने को आना, अगर इस अरसे में नकल तैयार न हो सके तो सायल को फिर एक हफ्ता में आने के वास्ते कहा जाता है—पस ऐसी सूरत में अगर सायल की तरफ से लापरवाही न पाई जावे तो जिस तारीख को नक़ल तैयार हुई और जिस तारीख को नकल दी गई वे सब दिन मुजरा दिये जावेंगे—ब मुकदमा (सी. पी ला. रि. जिल्द ६ सफा १३ पूजाजी—बनाम—जगनाथ) साहब जुडिशियल कमिश्नर मध्य प्रदेश ने यह तजवीज की है कि जब किसी सायल से नकल लेने के वास्ते आठवें दिन आने को कहा जावे तो ऐसी हालत में उस की अपील की मियाद का हिसाब लगाते वक्त उसे पूरे आठ दिन मुजरा मिलेंगे

दफा १२ एक्ट मियाद में जो यह हुक्म दर्ज है कि हुक्म की नकल हासिल करने के दिन मुजरा किये जावेंगे यह हुक्म निसबत अपील जो बमूजिब दफा १० एक्ट जरायत नंबर ५ सन १८८२ ई० के दायर की जावे लागू न होगा क्योंकि अपील दायर करने में यह हुक्म नहीं है कि जिस हुक्म की नाराजी से अपील दायर

एक शख्स अपनी जायदाद से एक डिकरी के इजराय में तारीख १
दिसम्बर को बेदखल किया गया—उसने तारीख १४ जनवरी को अप
जायदाद का कब्जा वापस मिलने के वास्ते डिकरी जारी करने वा
अदालत में एक दरखास्त पेश किया—तारीख १३ जनवरी को अदाल
की तातील थी, इस लिये १४ तारीख को दरखास्त पेश की गई—बम
हाई कोर्ट की यह राय हुई कि दरखास्त मजकूर मुताबिक मद
१५८ एक्ट नं. ६ सन १८७१ ई (याने एक्ट मियाद न
सन १८७७ ई का मद १६५ के अंदर मियाद है—(इ. ला.
बम्बई जिल्द २ सफा ६७३).

जिस हालत में किसी कानून की रू से नकल फैसला की अपील के स
पेश होना लाजमी नहीं है तो जितना अरसा नकल के हासिल करने में ल
हो मुजरा न दिया जावेगा—(इं ला. रि अलाहाबाद जिल्द २ स
१६२ फजल मोहम्मद—बनाम—फूलकुंवर)—मजमूआ जाब्ता फौजदारी के मुताबि
अगर किसी कैदी की अपील जहलखाना से भेजी जावे तो अपीलांट को वे कु
दिन मुजरा दिये जावेंगे जो दरखास्त नकल की अदालत में भेजने वो वहा
नकल आने में लगे हों—(इं ला. रि. मदरास जिल्द ६ सफा २५८)

नकल डिकरी वगैरा के हासिल करने में सिर्फ उतने दिन मुजरा वि
जावेंगे जो दरअसल अफसर मजाज ने उन की तैयारी में लगाए—जिस तारी
को नकल की दरखास्त गुजरी हो उस तारीख से वे कुल दिन मुजरा मिलेंगे
जिस रोज नकल तैयार हुई, नाकि उस तारीख तक कि जिस दिन सायल नकल ले
के वास्ते हाजिर आया—(इ ला. रि अलाहाबाद जिल्द १२ सफा ७
पारबती- बनाम—भोला)—अगर उन मुलाजिमों की सुस्ती से कि जिन
काम नकल देने का है, नकल पड़ी रहे तो ऐसी हालत में अय्याम सुस्ती
मुजरा मिलेंगे—(इ. ला रि. अलाहाबाद जिल्द १२ सफा १०५)—ज
किसी फरीक को इस वजह से डिकरी की नकल नहीं मिल सक्ती है कि साह
जज ने डिकरी पर अपने दस्तखत नहीं किये तो ऐसी हालत में अपीलांट
उस के अपील की मियाद शुमार करते वक्त वे दिन भी मुजरा मिलेंगे जो दरम्या
सुनाए जाने फैसला और दरखास्त करने के गुजरे हों, बशर्ते कि हाकि

के डिकरी पर दस्तखत न करने के सबब सायल को नकल डिक्री की मिलने में देरी हुई—(३ ला रि. कलकत्ता जिल्द १३ सफा १०४—बेनी माधव—बनाम— काली शंकर)—लेकिन अगर अपीलांट उस वक्त तक नकल की दरखास्त पेश न करे कि जब हाकिम ने डिकरी पर अपने दस्तखत कर चुके हों तो ऐसी सूरत में अपीलांट को यह दिन मुजरा न मिलेंगे.

मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने ब मुकद्दमा सी पी. ला रि जिल्द ४ सफा १६६ यह राय कायम की है कि अपीलांट को तारीख देन दरखास्त नकल से तारीख मिलने नकल तक के दिन मुजरा मिलना चाहिये, बशर्ते कि अपीलांट की तरफ से नकल लेने में कोई सुस्ती या लापरवाही न पाई जावे, मसलन अगर नकल की दरखास्त तारीख २६ नवम्बर को दी गई और नकल तारीख ६ दिसम्बर को तैयार हुई लेकिन सायल ने नकल तारीख ११ दिसम्बर को लिया तो ऐसी हालत में तारीख २६ नवम्बर से तारीख ११ दिसंबर तक कुल दिन मुजरा मिलेंगे क्योंकि नकल नवीस सायल को ठीक वह तारीख नहीं बतला सक्ता है कि जिस दिन नकल तैयार हो जावेगी—दरखास्त नकल की पेश करने पर सायल से कहा जाता है कि सात दिन में लेने को आना, अगर इस अरसे में नकल तैयार न हो सके तो सायल को फिर एक हफ्ता में आने के वास्ते कहा जाता है—पस ऐसी सूरत में अगर सायल की तरफ से लापरवाही न पाई जावे तो जिस तारीख को नकल तैयार हुई और जिस तारीख को नकल दी गई ये सब दिन मुजरा दिये जावेंगे—ब मुकदमा (सी. पी ला. रि. जिल्द ६ सफा १३ पूजाजी—बनाम—जगन्नाथ) साहब जुडिशियल कमिश्नर मध्य प्रदेश ने यह तजवीज की है कि जब किसी सायल से नकल लेने के वास्ते आठवें दिन आने को कहा जावे तो ऐसी हालत में उस की अपील की मियाद का हिसाब लगाते वक्त उसे पूरे आठ दिन मुजरा मिलेंगे.

दफा १२ एक्ट मियाद में जो यह हुक्म दर्ज है कि हुक्म की नकल हासिल करने के दिन मुजरा किये जावेंगे वह हुक्म निसबत अपील जो बमूजिब दफा १० एक्ट जब्त नंबर ५ सन १८८२ ई० के दायर की जावे लागू न होगा क्योंकि अपील दायर करने में यह हुक्म नहीं है कि जिस हुक्म की नाराजी से अपील दायर

एक शख्स अपनी जायदाद से एक डिकरी के इजराय में तारीख १४ दिसम्बर को बेदखल किया गया—उसने तारीख १४ जनवरी को अपनी जायदाद का कब्जा वापस मिलने के वास्ते डिकरी जारी करने वाली अदालत में एक दरखास्त पेश किया—तारीख १३ जनवरी को अदालत की तातील थी, इस लिये १४ तारीख को दरखास्त पेश की गई—बम्बई हाई कोर्ट की यह राय हुई कि दरखास्त मजकूर मुताबिक मद नं १५८ एक्ट नं. ६ सन १८७१ ई (याने एक्ट मियाद न १५ सन १८७७ ई का मद १६५ के अदर मियाद है—(इ. ला. रि बम्बई जिल्द २ सफा ६७३).

जिस हालत में किसी कानून की रू से नकल फैसला की अपील के साथ पेश होना लाजमी नहीं है तो जितना अरसा नकल के हासिल करने में लगा हो मुजरा न दिया जावेगा—(इं ला. रि. अलाहाबाद जिल्द २ सफा १६२ फजल मोहम्मद—बनाम—फूलकुंवर)—मजमूआ जाब्ता फौजदारी के मुताबिक अगर किसी कैदी की अपील जहलखाना से भेजी जावे तो अपीलाट को वे कुल दिन मुजरा दिये जावेंगे जो दरखास्त नकल की अदालत में भेजने वो वहा से नकल आने में लगे हों —(इं ला. रि. मदरास जिल्द ६ सफा २५८)

नकल डिकरी वगैरा के हासिल करने में सिर्फ उतने दिन मुजरा दिये जावेंगे जो दरअसल अफसर मजाज ने उन की तैयारी में लगाए—जिस तारीख को नकल की दरखास्त गुजरी हो उस तारीख से वे कुल दिन मुजरा मिलेंगे कि जिस रोज नकल तैयार हुई, नाकि उस तारीख तक कि जिस दिन सायल नकल लेने के वास्ते हाजिर आया—(इ ला. रि अलाहाबाद जिल्द १२ सफा ७६ पारवती- बनाम—भोला)—अगर उन मुलाजिमों की सुस्ती से कि जिन का काम नकल देने का है, नकल पड़ी रहे तो ऐसी हालत में अय्याम सुस्ती भी मुजरा मिलेंगे—(इ. ला रि. अलाहाबाद जिल्द १२ सफा १०५)—जब किसी फरीक को इस वजह से डिकरी की नकल नहीं मिल सकी है कि साहब जज ने डिकरी पर अपने दस्तखत नहीं किये तो ऐसी हालत में अपीलाट को उस के अपील की मियाद शुमार करते वक्त वे दिन भी मुजरा मिलेंगे जो दरम्यान सुनाए जाने फैसला और दरखास्त करने के गुजरे हों, बशर्ते कि हाकिम

अदालत इब्तदाई के हुक्म की नकल लेने के लिये स्टाम्प ता० १ जुलाई सन १९११ को मांगा गया, स्टाम्प ता० ३ को दिया गया और नकल ता० १५ को तय्यार हो गई मगर सायल ने ता० १७ को लिया, दो दिन यानी २ री वो १६ वीं जुलाई को इतवार था—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि यह दो इतवार के दिन अपील की मियाद शुमार करने में मुजरा दिये जावें—(मद्रास ला रि० जिल्द १४ सफा १६४)—

मुनसिफ साहब ने डिक्री ता० १२ मई सन १९११ को सादर की, ता० १५ मई सन १९११ को मुद्दायलेह ने बजरिये डाक दरख्वास्त वास्ते मिलने नकल फैसला वो डिक्री अदालत मुनसिफ भेजी, जब अदालत की तातील हो गई तब दरख्वास्त पहुंची इस लिये दरख्वास्त नकल की निस्बत यह समझा गया कि वह ता० १६ जून को पहुंची जब कि अदालत तातील के बाद खुली—नकल ता० २ जुलाई को तय्यार हुई मगर उस रोज मुद्दायलेह को वह बजरिये डाक नहीं भेजी गई और दूसरे रोज ता० ४ जुलाई का मुद्दायलेह ने खुद हाजर हो कर नकल लिया और उसी रोज मुद्दायलेह ने अदालत डिस्ट्रिक्ट जज में अपील दायर किया—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई (१) कि ता० ३ वो ४ जुलाई के दिन नकल लेने में शुमार किये जावें (२) कि अपील अन्दर मियाद है—(इ. केस जिल्द १ सफा ६२४).

मुद्दई ने बजरिये एक ऐसी हाथ चिट्ठी के नालिश दायर किया जो ता० ७ मई सन १९०७ को बरोज सोमवार तहरीर की गई थी—तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि मियाद ७ मई सन १९०७ का दिन छोड़ कर शुरू समझी जायेगी—और मियाद ता० ७ मई सन १९१० को बारा बजे रात को खतम हो गई इस लिये नालिश बेरू मियाद है—(इ. केस जिल्द १८ सफा ५७४)—

ता० ९ सितम्बर सन १९१२ को एक डिक्री अदालत हाई कोर्ट से वसीगे इब्तदाई सादिर की गई, अपील बनाराजगी डिक्री मजकूर ता० ७ अक्टूबर सन १९१२ को पेश की गई—तसदीक की हुई नकल डिक्री के मिलने की भी दरख्वास्त उसी रोज दी गई, मगर नकल दिसम्बर सन १९१२ तक तय्यार नहीं हुई—अदालत अपील में अपीलांट की तरफ से यह बहस

की जाय उस की नकल अपील के साथ पेश करना चाहिये—(इं. ला. रि. मद्रास जिल्द ३४ सफा ५०).

फिकरा २ दफा १२ एक्ट मियाद ऐसी दरखास्तों से लागू होगा जो हासिल करने सरटीफिकेट आर्डर न. ४५ मजमूआ जाब्ता दीवानी पेश की जावे (इ ला रि. कलकत्ता जिल्द २६ सफा ५१०)

जब नकल फैसला वो डिक्री दोनों की दरखास्त पेश की जाय और वे दोनों तईय्यार होकर बजरिये डाक सायल के नाम हस्ब कायदा, जो डाक के जरिये नकलें भेजने के लिये मुकर्रर है, भेजी गई हों तो जो अरसा तय्यारी नकल वो डाक से भेजने में लगा हो वह इस दफा के मुताबिक मियाद शुमार करने में शामिल किया जावेगा–(नागपूर ला रि जिल्द ८ सफा ११).

अगर अपीलाट की तरफ से नकल की दरखास्त पेश करने में देरी हुई हो तो जो अरसा अदालत ने डिक्री तय्यार करने में लगाया हो उस के खारिज करने में दफा १२ अपीलाट को मदद न देगी–(इ ला रि.कलकत्ता जिल्द ३६ सफा ७६६)—

जब दरखास्त वास्ते मिलने नकल डिक्री इस बिना पर नामंजूर की गई हो कि डिक्री अभी तय्यार नहीं हुई है तो तय्यारी में जितना अरसा लगा है वह मुजरा दिया जायगा, गो नकल की उजरत दाखल न की गई हो–(इं. केस जिल्द १६ सफा ६७१).

अजरूये एक्ट सन १८५६ ई० हक्क मालकाना निस्बत जायदाद गैर मनकूला सिर्फ बतौर हक्कीयत के समझा जाता है न कि जर लगान के तौर पर और अगर वैसे हक का फायदा १२ साल तक न उठाया गया हो तो फिर उस की निस्बत जर लगान दिला पाने की नालिश बेरू मियाद समझी जावेगी–(इ. केस. जिल्द २१ सफा ७७६)—

अपीलाट को इस बात का हक है कि डिक्री की नकल लेने में जो अरसा लगा हो उस के अलावा फैसला की नकल लेने में जो अरसा लगा हो उसे मुजरा लेवे– (इ केस जिल्द १७ सफा ३६३)

देरी मुजरा न दी जावेगी (नागपूर ला रि जिल्द १० सफा १३६).

बमूजिब अहकाम दफा १२ यह जरूर नहीं है कि दरखास्त नकल खुद फरीक ही के तरफ से बजात खुद पेश की जाय—अगर दरखास्त फरीक खुद पेश न करे या उस का वकील पेश न करे बलकि वकील का मुन्शी पेश कर दे, तो ऐसे मुन्शी के पेश करने से यह समझा जायगा कि दरखास्त बजाब्ता पेश की गई (इ के जि २३ सफा २०६)

इस मुकदमा में फैसला ता० ८ अप्रेल सन १६११ को सुनाया गया तब उस के जरिये अपीलाट को जायद कोर्ट फी अदा करने की मोहलत ता० २२ जून सन १६११ तक की दी गई तो तजवीज अदालत हाई कोर्ट यह करार पाई कि तारीख ८ अप्रेल सन १६११ व २२ जून सन १६११ के दरम्यान जो अरसा गुजरा वह मुजरा किया जायगा, क्योंकि जब मोहलत अपीलाट को दी गई तो वह उस का फायदा उठाने का हकदार हो गया और जब तक कि जायद कोर्ट फी न पटाई जावे तब तक डिकरी तैयार नहीं की जा सकती थी—(इ के जि १५ सफा ६७).

अगर बहुजूर जनाब बादशाह बइजलास कौंसिल अपील करने की इजाजत लेने की दरखास्त ६ माह के अन्दर तारीख डिकरी से, जिस की नाराजी से अपील की जाती है नकल के दिन मुजरा करके पेश की जाय तो ऐसी दरखास्त बेरुन मियाद नहीं समझी जायगी दफा १२ एक्ट मियाद निसबत ऐसी दरखास्त के लागू न होगी जो बमूजिब दफा २२ एक्ट दिवानी प्रान्तीय पेश की जाय (मद्रास ला. टाईम जि. १६ सफा २४६)

दफा १३—हर नालिश की मियाद शुमार करने में जो उस वास्ते मुकरेर है, वह अरसा हिसाब में न लिया जावेगा कि जब तक मुद्दायलेह ब्रिटिश इंडिया के बाहर रहा और ब्रिटिश इंडिया को छोड़कर ऐसे मुल्क की हद के बाहर रहा हो कि जिस का इन्तजाम गवर्नमेंट के हुक्म में होता हो.

ब्रिटिश इंडिया से मुद्दायलेह के गैर हाजिर रहने का अरसा खारिज किया जावेगा.

तशरीह—यह दफा सिर्फ मुद्दायलेह की सरकारी हिन्दुस्तान से गैर हाजरी से ताल्लुक रखती है, इस लिए अगर कोई शख्स सरकारी हिन्दुस्तान से गैर हाजिर रहे या सरकारी हिन्दुस्तान के किसी जेलखाना में कैद रहे या अगर

पेश की गई कि अपील अन्दर मियाद पेश की गई क्योंकि डिक्री की नकल लेने में जो वक्त लगा वह बमूजिब दफा १२ एक्ट मियाद मुजरा करना चाहिये—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि अपील बेरूं मियाद थी क्योंकि जब तक ता० डिक्री से २० रोज के अन्दर दरखास्त वास्ते मिलने नकल डिक्री या फैसला न गुजरानी जाय जिस से रज पहुंचने वाले फरीक का इरादा अपील करने का मालूम हो सके तो म्याद बढाने का दावा अपीलांट नहीं कर सक्ता है—(बम्बई ला रि. जिल्द १५ सफा ६८१)—

जो मुद्दत फैसले की नकल लेने में वास्ते दायर करने कोई दूसरी अपील किसी दूसरे मुकदमें में लगी हो वह पहिली अपील की दायरी की निस्बत मियाद शुमार करने में मुजरा न की जायगी, गो उसी एक फैसले के जरिये उस दूसरे मुताल्लिक मुकदमें का फैसला किया गया हो—(इ केस जिल्द २५ सफा २८)—

जब सायल अदालत दीवानी के एक फैसले वो डिक्री की नकल लना चाहता हो तो उस के जिम्मे नीचे लिखे दो काम होंगे.—

(१). कि वह दरखास्त नकल में उजरत मुकर्रेरा ठीक वक्त पर पेश करे और उजरत अहलकार मुकर्रर शुदा को अदा करे.

(२). जो वक्त वो मुकाम नकल हवालगी के लिये उस को बतला दिया गया हो उस रोज उस मुकाम पर नकल लेने के लिये वह तैयार रहे—अगर सायल दोनों काम करने में कुसूर करेगा तो उस की निसबत यह समझा जायगा कि उस ने नकल हासिल करने में मुनासिब खबरदारी अमल में नहीं लाया--यह दोनों काम या इन में से एक भी काम वह खुद अपनी जात से या अपने मुखत्यार की मारफत कर सक्ता है, और मुहकमा डाक बतौर उस के मुखत्यार के समझा जायगा, लेकिन म्याद की मुद्दत शुमार करने में सिर्फ वही अर्सा मुजरा दिया जायगा जो नकल की दरखास्त पेश करने और नकल लेने की तारीख के दरम्यान गुजरा हो—नकल लेने की तारीख वह समझी जायगी कि जिस रोज उस को नकल लेना चाहिये चाहे कार्रवाई वह खुद अपनी जात से करे, या बजरिये मुखत्यार के अगर मुखत्यार की तरफ से कुछ देरी हुई हो, चाहे वह देरी मालिक के अखत्यार के बाहर थी, या वह किसी नागहानी हादसा या आपत्ति के सबब से वाके हुई हो तो ऐसे

कितने अरसे तक ब्रिटिश इंडिया से बाहर गैर हाजिर रहा जिम्मे मद्दई होगा तब ही वह मुद्दत उस को मुजरा मिलेगी (इ. के. जि. ६ सफा ६६८).

अगर कुल मुद्दायलेहुम ब्रिटिश इंडिया से गैर हाजर हों तो मुद्दई इस दफा का फायदा उठावेगा अगर कई मुद्दायलेहुम में से चंद मुद्दायलेहुम गैर हाजर रहे हों और चंद ब्रिटिश इंडिया में हाजर हों तो गैर हाजरी के अइयाम मुजरा न दिये जावेंगे (इ. ला. रि. मद्रास जि० १३८, २४०)

अगर मुद्दायलेह कभी २ ब्रिटिश इंडिया में आता हो तो यह दफा वे लागू न होगी (पंजाब रि. जि. २६ सन १८९७ ई०)

उस मुद्दत की खारजी कि जिस के अन्दर कार्रवाई नेकनियती से ऐसी अदालत में हुई हो जो अखत्यार समाअत न रखती हो.

दफा.१४—(१) जो मियाद किसी नालिश के वास्ते मुकर्रर है उस के शुमार करने में वह मुद्दत हिसाब में न ली जावेगी जिस्में कि मुद्दई वाजबी तौर पर मुस्तैदी के साथ दूसरी कार्रवाई दीवानी की पैरवी में लगा रहा हो, चाहे वह उसी मुद्दायलेह के नाम पहिली अदालत में हो या अदालत अपील में हो, बशर्ते कि वह कार्रवाई उसी बिनाय दावी पर कायम हो और नेक नियती के साथ ऐसी अदालत में उस की पैरवी की गई हो कि जो बवजह नुक्स अखत्यार याने अखत्यार न होने के कारण समाअत या इसी तरह के और सबब से उस की सुनाई न कर सकती हो—

उसी तरह की खारजी दरख्वास्त की सूरत में.

(२) जो मियाद समाअत किसी दरख्वास्त के वास्ते मुकर्रर है उसके शुमार करने में वह मुद्दत कि जब तक सायल उसी दादरसी के लिये कोई दूसरी कार्रवाई दीवानी मुस्तैदी के साथ उसी फरीक के बर खिलाफ चाहे इब्तदाई अदालत में या अदालत अपील में करता रहा हो हिसाब में न ली जावेगी, बशर्ते कि यह कार्रवाई नेकनियती के साथ ऐसी अदालत में पैरवी की

मुद्दायलेह भी सरकारी हिन्दुस्थान के किसी जेहलखाना में कैद रहे तो ऐसी हालत में ऐसी मुद्दत किसी नालिश की मियाद शुमार करते वक्त खारिज न की जावेगी (इ ला रि मद्रास जि ५ सफा ६१, ९६ वो १०३ और वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १० सफा २९३ डोमन–बनाम–शुबूल)—ब मुकदमा इ ला. रि जि. १० सफा ४४० (हरिंगटन–बनाम–गनेशराव) कलकत्ता की हाई कोर्ट ने यह तजवीज की है कि मुद्दई उस हालत में इस दफा का फायदा न उठावेगा कि जब मुद्दायलेह का मुख्त्यार मजाज सरकारी हिन्दुस्थान में उस की तरफ से कुल कारंवाई करने के वास्ते मौजूद होवे, हालांकि खुद मुद्दायलेह ब्रिटिश इंडिया (सरकारी हिन्दुस्थान) से गैर हाजिर होवे लेकिन हाई कोर्ट कलकत्ता की यह तजवीज प्रिवी कौंसिल की नजीर बमुकदमा रूखमाबाई–बनाम–लल्लूभाई मोतीचंद (मूर्स इंडियन अपील जिल्द ५ सफा ३३४) के बर खिलाफ है जिस में यह राय करार पाई है कि मुद्दायलेह का ब्रिटिश इंडिया में मुख्त्यार मजाज के मौजूद होने से मुद्दई इस दफा के फायदा से महरूम न किया जावेगा

मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने एक मुकदमा में यह तजवीज की है कि एक्ट मियाद की दफा १३ पर एक्ट मजकूर की दफा ९ से कुछ असर न पहुंचेगा-- कानून बनाने वालों की यह मनशा थी कि किसी नालिश की मुकर्रर की हुई मियाद शुमार करते वक्त वह कुल अरसा छोड़ दिया जावेगा कि जब तक मुद्दायलेह ब्रीटिश इंडिया से गैर हाजिर रहा हो, चाहे उस की गैर हाजरी बिनाय मुखासमत के पैदा होने के बाद या पेश्तर हुई हो (सी. पी ला रि. जि ५ सफा ८८ दौवला वो राम जी–बनाम–सीताराम)—एक दूसरे मुकदमा में साहब जुडिशियल कमिश्नर मध्य प्रदेश ने यह तजवीज की है कि एक्ट मियाद की दफा १३ का मतलब शब्द शब्द का निकलना चाहिये सिर्फ इस वजह से यह दफा बे असर न होगी कि मुद्दायलेह की तरफ से ब्रिटिश इंडिया में एक ऐसा मुख्त्यार मजाज रहता था कि जिस पर समन की तामील हो सक्ती थी याने ऐसी सूरत में भी कि जब मुद्दायलेह की तरफ से सरकारी हिन्दुस्थान में समन लेने के वास्ते मुख्त्यार मौजूद होवे मुद्दई इस दफा का फायदा उठावेगा (सी पी. ला. रि जिल्द ९ सफा ७२ भीमराज मोतीलाल–बनाम सेठ सुखलाल वो गुलाबचंद).

हस्ब दफा १३ इस बात की बहेस करना और साबित करना कि मुद्दायलेह

का रूपिया अदा करने पर वह रजामद हुआ और उसने यह भी बयान किया कि अमरसिंग और वेनीसिंग के दरमियान ऐसा करार ठहरा था कि ऊपर लिखी बाकी की रकम अदा करने के बाद किसी वक्त भी रहन का इनफिकाक हो सक्ता है—अदालत ने इस इकरार को साबित न समझकर यह हुक्म दिया कि रहन की पूरी रकम के पटने पर इनफिकाक जायदाद मरहूना का हो सक्ता है—पीछे से अमरसिंग ने वेनीसिंग पर अपने अलाहदा करजे की नालिश दायर किया लेकिन इस वक्त उसकी नालिश बेरू मियाद हो गई थी, इसलिये उसने इस दफा का फायदा उठाना चाहा, लेकिन हाई कोर्ट की यह राय हुई कि पहली नालिश की पैरवी उसी बिनाय मुखासमत पर नहीं की गई थी कि जिस पर पिछली नालिश की कार्रवाई दायर थी, क्यों कि मुद्दई के दावा के निस्बत यह नहीं कहा जा सक्ता है कि उसका दावा बवजह नुक्स अखत्यार समाअत या इसी तरह के दूसरे सबब से खारिज किया गया—(इ. ला. रि अलाहबाद जि० ८ सफा ४७५ मन्नूलाल–बनाम–कन्हैयालाल)—एक मुद्दई ने गलती से एक काश्तकार पर उसके खेत के वेदखली की नालिश किया लेकिन वह वह नालिश हार गया—इसके बाद उसने उसी काश्तकार पर जर लगान की नालिश दायर किया जो दौरान पहली नालिश में वाजिबुलअदा हो गया था हाई कोर्ट की यह राय करार पाई कि जो अरसा पहिली नालिश की पैरवी में मुद्दई ने लगाया वह मुद्दत उस को दूसरी नालिश बाबत जर लगान की मियाद शुमार करने में मुजरा न मिलेगी (इ. ला रि. कलकत्ता जि० ६ सफा २५५ हरोप्रशाद–गोपालचन्द)—

यह दफा ऐसे मुकद्दमों से ताल्लुक नहीं रखती है कि जिन में, हालात मुकदमा तो साफ हों लेकिन कोई फरीक कानून न जानने की वजह से गलत अदालत में अपनी नालिश दायर करे, बल्कि यह दफा उन नालिशों से ताल्लुक रखेगी जिन में किसी फरीक ने वाकेआ की नेक नियती के साथ गलती की वजह से गलत अदालत में अपना दावा पेश किया हो (इ ला रि अलाहाबाद जिल्द १० सफा ५८७ रामजीवन-बनाम-चाँदमल), मसलन, अगर किसी मुकदमा में मुद्दई का यह बयान हो कि मुद्दाअलेह एक खास मुकाम में अपनी सकूनत रखता है और इसी ख्याल से उसने उस जगह की अदालत में अपनी नालिश दायर की

जा रही हो जो बवजह नुक्स अख्त्यार समाअत या इसी तरह के और सबब से उस कार्रवाई की सुनाई न कर सक्ती हो—

समभावना:—[१] जिस अरसे तक कि पहिली नालिश या दरखास्त मुलतवी रही हो उस के खारिज करने में उस नालिश के दायर करने या दरखास्त पेश करने का दिन और वह तारीख कि जिस की कार्रवाई उस की खतम की गई थी दोनों तारीखें हिसाब में ली जावेंगी—

समभावना.—(२) इस दफा की गरजों के लिये जो मुदई या सायल किसी अपील की निसबत उज़र करता है उस के बारे में यह तसौव्वर किया जावेगा कि वह कार्रवाई मुकदमा की पैरवी कर रहा है.

समभावना:—[३] इस दफा की गरजों के लिये फरीकैन या बिनाय दावियों का बेजा तौर पर शामिल करना बतौर ऐसे सबब के तसौव्वर किया जावेगा जो नुक्स अख्त्यार समाअत के मुआफिक होवे--

तशरीह:—इस दफा का पहिला फिक़रा सिर्फ नालिशात से ताल्लुक रखता है और दूसरा फिकरा सिर्फ दरखास्तों से ताल्लुक रखता है—वह नालिश जिस्के सुन्ने की कोई अदालत जायज तौर पर मजाज न हो, उसी दादरसी के लिये " दूसरी दरखास्त " में दाखल नहीं है (पंजाब रि. न ६३ सन १८८६ ई० शिवजी–बनाम–शिवचंद)

जो मुदई वही जमीन पहिले एक इस्तहक़ाक पर दावा करे और इस पर हारने की सूरत में किसी दूसरे इस्तेहकाक पर उसी जमीन का दावी करे तो उस्के निस्बत यह न कहा जावेगा कि उसने उसी बिनाय मुखासमत पर दावी किया (मद्रास हाई कोर्ट रि. जि० २ सफा २६६)

बेनीसिंग अमरसिंग का करजा चाहता था—अमरसिंग ने बेनीसिंग पर कुछ जायदाद के जो बेनीसिंग के पास रहन थी इनफिकाफ कराने की नालिश किया और जो करजा बेनीसिंग पर अमरसिंग का आता था उस्को काटकर बाकी रहन

म्याद का फायदा नहीं मिल सकेगा--(इ केस जिल्द १४ सफा ८६)—

दफा १४ में दरखास्त नजरसानी बअदालत हाई कोर्ट दाखल न होगी और अगर किसी ऐसे हुक्म की नजरसानी की गई हो जिस्के जरिये मुद्दई को अर्जी दावा अदालत मजाज में पेश करने का हुक्म दिया गया था तो ऐसी नजरसानी कराने में जो मुद्दत गुजरी वह उस को मुजरा न दी जावेगी--(इ. केस. जिल्द १४ सफा २५६)

कार्रवाई जो अदालत गैर मजाज में गलती के साथ की गई हो बतौर जायज तसव्वर न की जावेगी और वह इस काबिल न समझी जावेगी कि उस्का सिलसिला किसी दूसरी अदालत में जारी रहा, और जब अर्जी दावा अदालत गैर मजाज में पेश किया जावे तो अदालत मजाज की कार्रवाई की निस्बत म्याद की गरज के लिये यह न समझा जायगा कि वह अदालत गैर मजाज की कार्रवाई के सिलसिले में की गई-(मद्रास ला जरनल जिल्द २२ सफा ३७७)

जब मुद्दई अदालती जरूरी इब्तदाई कार्रवाई कर रहा हो, मसलन, अपील दायर करने के लिये अपनी नालिश की खारजी के फैसला या डिग्री की तस्दीक शुदा नकलें लेता हो, गो उस अपील में उस्को कामयाबी हासिल न हुई हो तो, ऐसी कार्रवाई कर ने मे मुद्दई की निस्बत यह समझा जायगा कि वह दफा १४ (२) एक्ट मियाद की मनशा के मुताबिक दूसरी दीवानी कार्रवाई की पैरोकारी में लगा था—(कलकत्ता ला जरनल जिल्द १५ सफा १६०)—

दरखास्त नजरसानी जो अदालत हाई कोर्ट में बमूजिब दफा ६२२ मजमूआ जाब्ता दीवानी सन १८८२ ई० के पेश की जावे वह बतौर "कार्रवाई दीवानी बअदालत अपील" हस्ब मनशा दफा १४ एक्ट म्याद के तसौव्वर की जावेगी--लफ्ज "अदालत अपील" जो दफा १४ में आया है उसके माने में ऐसी अदालत शामिल है जिसको अदालत मातहत के फैसले की नजरसानी कर ने का अख्तियार हासिल है--एक अर्जी दावा अदालत मजाज में पेश कर ने के लिये वापस किया गया, मुद्दई ने ऐसे हुक्म की नाराजी

है कि जो सरकारी हिन्दुस्तान के अन्दर वाके हो न कि वह अदालत जो हिन्दुस्थानी रियासत के भीतर कायम की गई है (बम्बई ला. रि जिल्द १२ सफा ६७७)

लफ्ज "नुक्स समायत" जो दफा १४ में आये हैं उन से वैसी अदालत की नुक्स समायत मुराद है जिस्में कार्रवाई शुरू की गई, उस्में वैसी गलती शामिल न समझी जावेगी—मसलन किसी अपील का पेश करना या उस्की पैरोकारी करना जो किसी अदालत में दायर न हो सक्ती हो एक हक शफा की नालिश में मुद्दई को कुछ रूपिया पेशगी में जमा करने के लिये हिदायत की गई—वह तारीख मुकर्रर पर हाजिर नहीं हुआ और न उस ने रूपिया जमा किया—इस लिये उस्का मुकदमा खारिज किया गया—उस ने अपील दायर किया और अपील भी गैर काबलियत की बिनाय पर खारिज की गई—इस्के बाद उस ने अपने मुकदमें को फिर नबर पर कायम कर ने की गरज से दरखास्त पेश की और यह दरखास्त बेरू मियाद समझकर खारिज की गई— ऐसी खारजी की नाराजी से उस ने अपील दायर की और अपील में उस को कामयाबी इस बिनाय पर हासिल हुई कि जो मुद्दत उस ने अपने मुकदमें की खारजी की अपील की पैरोकारी में खर्च की वह उस्को मुजरा मिलना चाहिये, अदालत चीफ कोर्ट में अपील होने पर यह बहेस की गई कि मुद्दई को दफा १४ एक्ट मियाद का फायदा नहीं मिल सक्ता—तजवीज चीफ कोर्ट यह करार पाई कि जब पहिली अपील अदालत अपील मातहत में नहीं हो सक्ती थी तो उस अपील की निस्बत वह मुद्दत मुजरा पाने का हकदार नहीं हो सक्ता—हक शफा की नालिश की अपील डिविजनल जज समायत कर ने का मजाज नहीं है जब कि कीमत जमीन, जो जमा की रकम से तीस गुनी लगाई जाती है, ५०००) रू० से ज्यादा हो—(इ. केस. जिल्द ११ सफा ८८०)—

जब मुद्दई अपनी नालिश को मियाद के अन्दर कायम कर ने की गरज से दफा १४ एक्ट मियाद के अहकाम पर भरोसा करे तो उस्को इस बात का साबित करना जरूर होगा कि वह पहिली कार्रवाई की पैरोकारी नेक नियती के साथ करता था, यानी मुस्तैदी वो खबरदारी के साथ, अगर मुद्दई बे एहतेयाती के साथ अपनी नालिश का जर दावा कम बतलाकर अदालत गैर मजाज में अपने मुकदमें की पैरवी करता हो तो उस्को दफा १४ एक्ट

दफा १४ एक्ट मियाद ऐसी सूरत में भी लागू होगी जब कि मुद्दई की निसबत यह नहीं समझा जाता है कि उस की मनशा बदनियती के साथ अदालत गैर मजाज में नालिश दायर करने की थी—नालिशात हक शफा में रकम दावा की सही २ तशखीस करना जरा मुशकिल अमर होता है—एक बैनामा की निसबत यह कहा जाता था कि वह २०००) रु० का था मगर उस के हक शफा की नालिश में मुद्दई ने झगड़े वाली जायदाद की कीमत सिर्फ १०००) रू० कबूल किया इस लिये सब जज सा० ने अर्जी दावी को अदालत मुनसिफ में पेश करने की गरज से वापिस किया—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि जब कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिस से यह जाहर हो कि कोई गैर वाजिब फायदा उठाने की गरज से जानबूझकर या बेइहतेयाती से दावा की रकम कम बतलाई गई, तो मुद्दई दफा १४ एक्ट मियाद से फायदा उठाने का हकदार है [अवध केस जिल्द १७ सफा २१०]

मजमूआ जाब्ता दीवानी की दफा ७३ की रूसे जो नालिश दायर की जावे वैसी नालिश की मियाद का हिसाब लगाने में मुद्दई को बमूजिब दफा १४ एक्ट मियाद वह मुदत मुजरा नहीं दी जावेगी जो तारीख खारजी नालिश वो तारीख दायरी दरखास्त नजरसानी के दरमियान गुजरी—मुद्दई का यह उजर सुने के लायक न होगा कि उस का नकल हुक्म वो नकल फैसला लेना था—यह नहीं कहा जावेगा कि जब मुद्दई अपने दिल में अदालत हाई कोर्ट में नजरसानी कराने का इरादा कर रहा था तो वह उस अरसे तक कोई कार्रवाई करने में पैरोकारी करता था, और जब कि यह बात आम तौर पर तै हो चुकी है कि हाई कोर्ट सीगे नजरसानी में दस्तनदाजी नहीं करेगी जब कि सायल को कोई दूसरा इलाज या चाराजोई करने का दरवाजा खुला हो तो ऐसी सूरत में मुद्दई की निसबत यह न समझा जावेगा कि वह दफा १४ एक्ट मियाद की मनशा के मुताबिक नेक नियती के साथ दरखास्त नजरसानी की कार्रवाई की पैरोकारी में लगा था— [मद्रास ला. जरनल जिल्द २७ सफा ६४०]

दफा १५—(१) हर ऐसी नालिश या दरख्वास्त इजराय डिकरी की मुकरेर की हुई मियाद के शुमार करने में, जिस की दायरी या उस मुदत की खारजी जिस के अन्दर नालिश की दायरी

से अपील दायर किया और उसकी अपील खारिज की गई; तब उस ने हाई कोर्ट में नजरसानी कराई—नजरसानी की कार्रवाई में भी वह हार गया, तो जो मुद्दत नजरसानी की कार्रवाई में लगी उसके मुजरा पाने का वह हकदार होगा (इं. केस. जिल्द १७ सफा ५६३)—

जब मुद्दायलेह ने मुदई के अपने दावा की गलत रकम दर्ज करने के सबब से अदालत अपील मजाज में अपनी अपील पेश करने में गलती की हो और अपील उस को अदालत मजाज में पेश करने के लिये वापिस की गई हो, तो वह दफा १४ एक्ट मियाद का फायदा पाने का हकदार होगा और जो वक्त उस को अदालत अपील गैर मजाज में अपील पेश करने के लिये लगा है वह उस को मुजरा दिया जायगा, क्योंकि ऐसी कार्रवाई करने में उस की नेक नियती पाई गई (इ. के जिल्द १८ सफा ६२).

एक अर्जीदावा अदालत गैर मजाज में मियाद के अखीर रोज पेश किया गया उस पर यह हुक्म दिया गया कि वह अदालत मजाज में पेश करने के वास्ते लौटा दिया जाय—मगर दर अमल ३ रोज तक वह अर्जी दावा वापिस नहीं किया गया, और चौथे रोज वह अदालत माजज में पेश किया गया—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि नालिश बेरू मियाद नहीं थी—जब अखीर हुक्म उस तारीख के बाद जारी किया जाय जिस तारीख को उस पर दस्तखत हुए हों तो तारीख जारी हुक्म दफा १४ एक्ट मियाद की गरज के वास्ते बतौर ऐसी तारीख के समझी जावेगी कि मानो उसी तारीख को कार्रवाई खतम हुई—[कलकत्ता वी. नो जिल्द १७ सफा १०४३]

दफा १४ को लागू करने की गरज से मुदई को इस बात की सबूती देना चाहिये कि वह नेक नियती के साथ दूसरी कार्रवाई की पैरोकारी ऐसी अदालत में कर रहा था जो नुक्स समाअत की वजह से उस कार्रवाई की सुनाई नहीं कर सक्ती थी—जब कोई कार्रवाई अदालत गैर मजाज में शुरू की गई हो और बाद में वह अदालत मजाज में शुरू की गई हो, तो मियाद के सवाल का तसफिया उस वक्त से किया जायगा जब कि कार्रवाई अदालत मजाज में शुरू की गई, गो मुदई दफा १४ की मदद से मियाद की रूकावट से बचने का हकदार होवे (इ के जिल्द २८ सफा २३२).

मियाद शुमार करने में मुजरा दिया जावेगा जो रिसिवर की तरफ से कोटी के किसी करजदार पर दायर की जावे [इ ला रि मद्रास जिल्द ८ सफा २२९ शुमनूगम–बनाम–माईदीन]—वह हुक्म जो बमूजिब दफा २६८ मजमूआ जाब्ता दीवानी के किसी करजे की कुरकी के वास्ते सादिर किया जावे वह इस दफा की मनशा के मुताबिक दाखिल हुक्म इम्तनाई या हुक्म रोकने दायरी नालिश में नहीं है, क्योंकि ऐसे हुक्म की रूसे साहूकार को करजे की वसूली के लिये नालिश दायर करने की मनाई की जाती है–इस लिये अगर यह नालिश उस मियाद के अन्दर दायर न की जावे जो किसी खास मुकदमा के वास्ते एक्ट मियाद के जमीमा में मुकर्रर है तो वह नालिश बेरू मियाद में खारिज कर दी जावेगी (इ. ला रि अलाहबाद जिल्द १३ सफा ७९ शिवसिंग–बनाम–सीताराम)

इजराय की दरखास्त तारीख ६ अगस्त सन १९०८ को दी गई और उस पर हुक्म तारीख ३० नवम्बर सन १९०८ ई० को यह दिया गया कि डिकरी के एक हिस्से की इजराय शुरू की जाय—मदयून डिकरी ने वैसे हुक्म की अपील की और अपील में डिकरी मजकूर की इजराय तारीख ९ जनवरी से तारीख १५ फरवरी सन १९०९ तक मुल्तवी की गई तारीख १२ अगस्त सन १९११ को इजराय की दूसरी दरखास्त पेश की गई—अदालत मातहत ने दरखास्त मजकूर को इस बिना पर खारिज किया कि वह बेरू मियाद थी—दूसरी अपील होने पर तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि दरखास्त सानी (दूसरी) अन्दर मियाद थी क्योंकि मियाद का हिसाब लगाने में मायल बमूजिब दफा १५ एक्ट मियाद सन १९०८ ई० के उस मुद्दत के मुजरा पाने का हकदार है जब तक कि इजराय डिकरी मुल्तवी रखी गई (बम्बई ला. रि. जिल्द १५ सफा ९१८).

जब किसी डिकरी में हुक्म इम्तनाई सादिर किया गया हो और वह डिकरी अदालत अपील से मसूख की गई हो [जो हाई कोर्ट कि वैसे अदालत अपील मातहत का हुक्म मसूख करके मुकदमा को अदालत जिला में वापिस कर सकी है] तो यह न समझा जावगा कि हुक्म इम्तनाई रद्द किया गया और जितने अरसे तक मुकदमा मुल्तवी रहा हो वह उस शख्स के हक में खारिज न किया जावेगा कि जिस के खिलाफ हुक्म इम्तनाई सादिर किया गया था क्योंकि दर असल उस हुक्म इम्तनाई से उस पर कुछ असर नहीं पड़ा (मद्रास ला जरनल जिल्द ६७

अजरूय हुक्म इम्तदाई या दीगर हुक्म मुल्तवी रहे, इजराय बमूजिब हुक्म इब्तदाई या अजरूय किसी हुक्म के मुल्तवी रखी गई हो, मुद्दत दरमियान कायम रहने उस हुक्म इब्तदाई या दीगर हुक्म के और उस तारीख के कि जिस में वह हुक्म मंसूख कर दिया गया हो, हिसाब में न ली जावेगी.

(२) किसी नालिश की मियाद मुकररा शुमार करने में, कि जिस की निसबत नोटिस अजरूय अहकामात कानून, जो उस वक्त जारी हों, दे दिया गया हो, ऐसे नोटिस की मुद्दत खारिज कर दी जावेगी.

तशरीह—यह दफा सिर्फ नालिशों की दायरी से ताल्लुक रखती है, क्योंकि लफ्ज "नालिश" में अपील या दरखास्त शामिल नहीं है, इस लिये जब कोई हुक्म इम्तनाई जो किसी डिक्री का इजराय रोकने के वास्ते हासिल किया गया हो मंसख कर दिया जावे तो इस दफा के बमूजिब किसी नालिश की मियाद शुमार करते वक्त वह मुद्दत मिनहा की जावेगी कि जब तक हुक्म इम्तनाई जारी रहा हो–(इ. ला. रि बम्बई जिल्द ५ सफा २६ लुतफुलहक बनाम–संभूदीन बो इ ला. रि. कलकत्ता जिल्द ८ सफा २४८)—लेकिन बमूजिब मद १७८ हुक्म इम्तनाई के मंसूख किये जाने की तारीख को डिकरी जारी करने की दरखास्त पेश करने का हक पैदा होगा—मद्रास की हाई कोर्ट ने यह तजवीज की है कि जब हुक्म इम्तनाई किसी किस्म की दरखास्त पेश होने के पाहिले लेकिन डिकरी जारी करने का इस्तहकाक पैदा हो जाने के बाद जारी किया गया हो तो बावजूद मौजूदगी हुक्म इम्तनाई के मियाद का शुरू रहना जारी रहेगा–(इ. ला रि मद्रास जिल्द ११ सफा १०१).

एक कोठी के मरे हुए शरीकदार की बेवा ने शरीकदार जिन्दा पर शराकत के डुबानें की नालिश की और एक हुक्म इम्तनाई उस ने इस मजमून का हासिल किया कि मुद्दायलेह किसी ऐसी रकम के वसूल करने से रोका जावे जो कोठी मजकूर को पाना वाजिब हो, पीछे से कोठी के माल की वसूली के वास्ते एक रिसिवर मुकर्रर हुवा—हाई कोर्ट की यह तजवीज हुई कि जो अरसा तारीख हुक्म इम्तनाई से तारीख मुकर्ररी रिसिवर तक गुजरा हो वह कुल ऐसी नालिश की

मियाद शुमार करने में मुजरा दिया जावेगा जो रिसिवर की तरफ से कोर्ट के किसी करजदार पर दायर की जावे [इ ला रि. मद्रास जिल्द ८ सफा २२६ शुमनूगम–बनाम–मोईदीन]—वह हुक्म जो बमूजिब दफा २६८ मजमूआ जाब्ता दीवानी के किसी करजे की कुरकी के वास्ते सादिर किया जावे वह इस दफा की मनशा के मुताबिक दाखिल हुक्म इम्तनाई या हुक्म रोकने दायरी नालिश में नहीं है, क्योंकि ऐसे हुक्म की रूसे साहूकार को करजे की वसूली के लिये नालिश दायर करने की मनाई की जाती है—इस लिये अगर यह नालिश उस मियाद के अन्दर दायर न की जावे जो किसी खास मुकदमा के वास्ते एक्ट मियाद के जमीमा में मुकर्रर है तो वह नालिश बेरू मियाद में खारिज कर दी जावेगी (इ ला रि. अलाहबाद जिल्द १३ सफा ७६ शिवसिंग–बनाम–सीताराम).

इजराय की दरखास्त तारीख ६ अगस्त सन १६०८ को दी गई और उस पर हुक्म तारीख ३० नवम्बर सन १६०८ ई० को यह दिया गया कि डिकरी के एक हिस्से की इजराय शुरू की जाय—मदयून डिकरी ने वैसे हुक्म की अपील की और अपील में डिकरी मजकूर की इजराय तारीख ६ जनवरी से तारीख १५ फरवरी सन १६०६ तक मुल्तवी की गई तारीख १२ अगस्त सन १६११ को इजराय की दूसरी दरखास्त पेश की गई—अदालत मातहत ने दरखास्त मजकूर को इस बिना पर खारिज किया कि वह बेरू मियाद थी—दूसरी अपील होने पर तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि दरखास्त सानी (दूसरी) अन्दर मियाद थी क्योंकि मियाद का हिसाब लगाने में मायल बमूजिब दफा १५ एक्ट मियाद सन १६०८ ई० के उस मुद्दत के मुजरा पाने का हकदार है जब तक कि इजराय डिकरी मुल्तवी रखी गई (बम्बई ला. रि जिल्द १५ सफा ६३८).

जब किसी डिकरी में हुक्म इम्तनाई सादिर किया गया हो और वह डिकरी अदालत अपील से मसूख की गई हो [जो हाई कोर्ट कि वैसे अदालत अपील मातहत का हुक्म मसूख करके मुकदमा को अदालत जिला में वापिस कर सकती है] तो यह न समझा जायगा कि हुक्म इम्तनाई रद किया गया और जितने अरसे तक मुकदमा मुल्तवी रहा हो वह उस शख्स के हक में खारिज न किया जायगा कि जिस के खिलाफ हुक्म इम्तनाई सादिर किया गया था क्योंकि दर असल उस हुक्म इम्तनाई से उस पर कुछ असर नहीं पड़ा (मद्रास ला जरनल जिल्द २७

सफा ७३४)

दफा १६. जो नालिश खरीदार नीलाम इजराय डिकरी की तरफ से कब्जा मिलने के वास्ते दायर की जावे उस की मुक़र्रर की हुई मियाद के शुमार करने में वह अरसा कि जिस में नीलाम को मंसूख कराने के लिये किसी कार्रवाई की पैरवी चली हो हिसाब में न लिया जावेगा

उस मुद्दत का खारिज करना जिस के अन्दर नीलाम को मसूख कराने के लिये कार्रवाई चली हो.

तशरीह—मद १३७ वो १३८ एक्ट मियाद नं० ९ सन १९०८ ई० इस दफा से ताल्लुक़ रखते हैं—

दफा १७.—(१) जब वह शख्स जो जिन्दा रहने की सूरत में नालिश दायर करने या किसी दरखास्त के पेश करने का हक (इस्तेहकाक) रखता उस इस्तेहकाक के पैदा होने के पहिले मर जाए तो मियाद उस वक्त से शुमार होगी कि जब से मरे हुए शख्स का कोई जायज कायम मुकाम नालिश दायर करने या दरखास्त मजकूर के पेश करने के काबिल हो जावे.

मौत का असर कबल पैदा होने हक दायरी नालिश के.

(२). जब वह शख्स, जिस पर नालिश करने या दरखास्त गुजराने का इस्तहेकाक उसके जिन्दा रहने की सूरत मे पैदा होता, उस इस्तहेकाक के पैदा होने के पहिले मर जाय, तो मियाद उस वक्त से शुमार की जावेगी कि जब कोई उस का ऐसा कायम मुकाम जायज हो जिस पर मुदई नालिश मजकूर कर सके या दरखास्त मजकूर गुजरान सके

(३) इस दफा की शिकमी दफा (१) वो (२) की कोई इबारत उन नालिशो से ताल्लुक नहीं रखेगी जो हक शफा के दिलाय जाने या जायदाद गैर मनकूला या मनसब (उहदा) मौरूसी पर कब्जा दिलाने की बाबत हों

तशरीह —किसी मुकदमा की विनाय मुखासमत (दावी का कारण) उस वक्त तक सही तौर पर पैदा न होगा कि जब तक कोई शख्स नालिश दायर करने के काबिल मौजूद न हो और जब तक कि कोई ऐसा शख्स न हो कि जिस पर नालिश जायज तौर से दायर की जावे—लेकिन जब एक मर्तबा विनाय मुखासमत इस तौर पर पैदा हो जाय और मियाद का जारी होना शुरू हो जावे तो पीछे से किसी नाकाबलियत वगैरा से मियाद की दौड़ बन्द न होगी— (देखो दफा ९ एक्ट मियाद)—

जब किसी मेनेजर के मालिकों ने उस के मरने के वक्त तक उससे हिसाब तलब न किया हो, तो ऐसी हालत में मालिकों को उस के मरने के बाद उस के कायम मुकामों पर हिसाब किताब तलब करने का इस्तेहकाक पैदा होगा और जब तक मुतवफ्फी (मरे) की जायदाद के इन्तजाम के वास्ते चिट्ठियात मोहतमिमी किसी को न दी जावे (सिर्फ उन्ही सूरतों में कि जिन में किसी शख्स को कायम मुकाम जायज बनाने के वास्ते चिट्ठियात मोहतम्मी की जरूरत बमजरूप कानून पड़े) तब तक मियाद शुरू न होगी (इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द ■ सफा ६२७ लालेस-बनाम-कलकत्ता लेडिंग और शिपिंग कम्पनी)

जब कि नालिश दायर करने के लिये कोई शख्स कानून की रू से काबिल न हो तो म्याद का दौड़ शुरू न होगा—और दफा १७ की यही असल उसूल है—एक मदिर के अमानतदार का उहदा कुछ अरसे तक खाली रहा, मेम्बरान कमेटी ने मुकर्ररी के अखत्यार को अमल में नहीं लाये, और एक शख्स ने मदाखलत बेजा करके मदर के अमानतदारी के ओहदा पर कब्जा कर लिया तो ऐसे गैर शख्स का कब्जा मुखालफाना कब्जा तसव्वर न किया जायगा, जब तक कि कोई शख्स अमीन मंदर जायज तौर पर मुस्तेहक दायर करने नालिश के मुकर्रर न किया जाय- मदाखलत करने वाले गैर शख्स को अमीन का इस्तहेकाक सिर्फ कब्जा रखने से नहीं हासिल हो सका है जब तक कि कानून की रू से कोई जायज अमीन नालिश करने का हकदार न हो—जब मंदिर के लिये कमेटी वालों ने २४ साल तक यानी सन १८८३ से सन १९०७ तक कोई अमीन मुकर्रर नहीं किया और जब १९०७ ई० में मुद्दई उहदे पर मुकर्रर किया गया और कब्ल मुकर्ररी मुद्दई मुद्दायलेह ओहदे मजकूर पर

सन १९०७ ई० के पहिले काबिज रहे, तो ऐसी सूरत में तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि मुद्दई का मुखालफाना कब्जा सन १९०७ ई० से शुरू हुवा जब कि अमीन कानून की रू से मुकर्रर किया गया (इं. के. जिल्द १८ सफा ३७३)

जब किसी वसीयतनामा में अहकामात एक्ट वसीयतनामाजात हिन्दुस्थान के लागू न हो तो मरे हुए शख्स की जायदाद पर हक वसीयत करने वाले के मरने के बाद ऐसे शख्स का होगा जिस के नाम वसीयत की गई और गो ऐसे शख्स ने जिस के नाम वसीयत लिखी गई प्रिवेट हासिल न किया हो तो भी वह हस्ब मनशा दफा १७ एक्ट मियाद वसीयत करने वाले की मौत की तारीख से नालिश दायर करने के लायक होगा (इ. के जिल्द २४ सफा ८५२).

दफा १८—जब कोई शख्स जिसे नालिश दायर करने या

फरेब का असर **दरख्वास्त पेश करने का इस्तेहकाक हासिल हो फरेबन उस इस्तहेकाक या उस दस्तावेज के इल्म से, जिस पर कि वह इस्तहेकाक कायम हो, बाज रखा गया हो या जिस हाल में कि कोई दस्तावेज जो वास्ते इस्तकरार हक मजकूर के जरूरी है फरेब के साथ उस से छुपाया गया हो, तो मियाद जो नालिश के दायर करने या दरख्वास्त गुजराने के लिये मुकर्रर है.**

(अ) ऐसे शख्स के मुकाबला में जो मुजरिम फरेब या उस में शरीक होने का हो, या

(ब) ऐसे शख्स के मुकाबला में जो उस के जरिये से बगैर नेकानियत के और माविजा कीमत अदा करने के बगैर दावी करता हो,

उस वक्त से शुमार होगी कि जब वह फरेब अव्वल मर्तबा उस शख्स को मालूम हो जाए जिसे उस के सबब से नुकसान पहुंचे, या छुपाए हुए दस्तावेज की सूरत में मियाद उस वक्त से शुमार की जावेगी कि जब उसे अव्वल मर्तबा वसीला पेश करने दस्तावेज मजकूर या उस को जबरन पेश कराने का

हासिल हुवा हो–

तशरीह:—हर मुकदमा में इस दफा को लागू करने के वास्ते यह साबित करना जरूर है कि मुद्दई के हुकूक उस से छिपाये गये और मुकदमा के हालात से भी यह पाया जाना चाहिये कि मुद्दई को नावाकिफ रखने की हर तरह पर कोशिस की गई (पंजाब रि न ३२ सन १८८१ ई० अरसाला—बनाम—मोहम्मद)–अगर यह बयान किया जावे कि मुदायलेह के नौकर या कारिन्दे ने ऐसा फरेब किया तो ऐसी हालत में यह बतलाना जरूर है कि नौकर या कारिन्दा मजकूर ने अपने मालिक के फायदा के वास्ते उस फरेब को किया, और जब यह जाहिर हो कि ऐसा फरेब नौकर या कारिन्दा के निजी कर्ज के वास्ते किया गया तो ऐसी सूरत में उस का मालिक जिम्मेदार न होगा

अगर किसी मुकदमा में कोई दस्तावेज छिपाया गया हो तो यह दस्तावेज ऐसा होना चाहिये जो मुद्दई के हक की सबूती के लिये निहायत जरूरी था और दस्तावेज मजकुर के इस तौर पर छिपा देने की वजह से मुद्दई को उस की मौजूदगी का हाल मालूम नहीं हुआ—(मद्रास हाई कोर्ट रि. जि. ७ सफा २२).

अगर किसी मुकदमा में मुदायलेह की तरफ से फरेब का किया जाना साबित न हो तो मियाद उस वक्त से शुरू होगी कि जो बमूजब एक्ट मियाद रायजुलवक्त (याने उस समय प्रचलित हो) मुकर्रर है, हालाकि मुद्दई को उस वक्त अपने हक पर हमला किये जाने या अपने हक के पैदा होने या माहदा की टूट का हाल मालुम न हुआ हो (बी. रि. जि. १९ सफा २६९) -लेकिन बाज बाज सूरतों में सिर्फ छिपाना फरेब में दाखिल है, मसलन, अगर कोई मुख्त्यार अपने मालिक की तरफ से कुछ रूपया वसूल करले और अपने मालिक को यह हाल न बतलावे तो ऐसी हालत में यह कहा जावेगा कि उस ने फरेब किया और इस लिये मियाद उस वक्त से शुरू होगी कि जब मालिक को फरेब का हाल मालुम हो जावे (बी. रि. जि ११ सफा २४५)—एक मुकदमा में मुद्दई अपनी जायदाद से एक फरजी नीलाम बकाया जमा सरकारी मुताबिक एक फरेबी माहदा के बेदखल किया गया और यह फरेब इस हिकमत व चालाकी के साथ किया गया था कि जिस से मुद्दई को यह यकीन हुआ कि उस को नालिश दायर करने का कुछ हक नहीं

जा सक्ता है (इं. ला. रि. बम्बई जिल्द ११ सफा ४२० प्रिवी कौंसिल).

दफा १८ लागू नहीं होगी जब कि जाहिर जहूर वो जानबूझकर हालात छिपाये गये हों, अगर बेंचने वाले ने हक शफा का दावा करने वाले को बेचने का नोटिस न दिया हो तो सिर्फ ऐसे नोटिस का न दिया जाना हस्ब मनशा दफा १८ एक्ट मियाद फरेब की हद को न पहुचेगा, यह साबित करना लाजमी होगा कि सिर्फ इतना ही नहीं हुआ कि बेचने का इश्तिहार नहीं किया गया, बलकि यह साबित किया जावे कि बेचने की बात फरेब के साथ छिपाई गई—कोई कानून नहीं है कि जिस्की रू से बैनामे में दो गवाहों की तसदीक की जावे और न यह मामूली तौर से कायदा है कि जिस दस्तावेज की रजिस्ट्री करना लाजमी नहीं है उस की राजिस्ट्री कराई जाय, इस लिये सिर्फ इस वाकेआ से कि किसी बैनामें में सिर्फ एक ही गवाह की गवाही पड़ी है या कि किसी ऐसे दस्ता॰ वेज की राजिस्ट्री नहीं हुई जिस की राजिस्ट्री होना लाजमी नहीं है यह न समझा जायगा कि मामला हस्ब मनशा दफा १८ छिपाया गया (इ केस जिल्द ११ सफा ३१२)

दफा १८ सिर्फ ऐसे फरेब को लागू होगी जो छिपाने की हद तक पहुचता हो और जिस फरेब से यह नियत हो कि जिस शख्स को नुकसान पहुचे उस को उस नुकसान या उस के इलाज का इल्म मालुम न होने पावे, इस लिये यह दफा ऐसे मामले में लागू न होगा जिस्में नीलाम के इश्तिहार में जायदाद की कीमत कम बतलाई गई हो—फरेब साबित करने का बोझा सायल पर होगा—जब अदालत को यह मालुम पड़े कि खानदानी जायदाद के बटवाड़े में एक हिस्सेदार ने दूसरे हिस्सेदारों को धोका दिया और ऐसा धोका देकर गैर वाजिब बटवारा कराया तो यह मामला फरेब की हद को पहुचेगा और मुद्दई॰ का बिनाय दावा दर असल यह होगा कि उस को फरेब दिया गया और उस को यह कहने का हक होगा कि खानदान बतौर शामिल शरीक समझा जावे और खानदानी जायदाद का बटवारा नये सिरे से किया जावे—म्याद की गरज के लिये नालिश मद नबर १२७ से निकालली जावेगी—जब फरेब पाया जावे और अदालत को यह तसफिया करना हो कि आया नालिश अन्दर म्याद है या बेरू मियाद, तो अदालत इस बात की साफ शहादत तलब करेगी कि दर असल किस वक्त मुद्दई को फरेब का सिर्फ

धोका ही नहीं हुआ बल्कि किस वक्त उसको इल्म हुआ—बम्बई ला ।रि जिल्द १४ सफा ७७१)—आम तौर से मुद्दई की नालिश दायर करने के हक की सिर्फ ला इल्मी मियाद को उस के खिलाफ शुरू होने से न रोकेगी.

यह साबित करना चाहिये कि वैसी लाइलमी फरीक मुखालिफ के फरेब देने से वकूअ में आई तब दफा १८ एक्ट मियाद उस के हक में लागू होगी, हस्ब मनशा दफा १८ फरेब कायम करने के लिये यह काफी न होगा कि नालिश दायर करने का हक मुद्दई को सिर्फ मालूम न रहा हो बल्कि यह जाहर करना होगा कि जानबूझकर उसको धोका दिया गया या जानबूझकर कोई वाकेआत उस से छिपाया गये और उस सबब से उसकी ला इल्मी वकूअ में लाई गई (इ. के जिल्द १८ सफा ५१७)

दफा १'० लागू करने के लिये अदालत को इस बात का तसफिया करना चाहिये कि आया रज पहुचने वाले फरीक को फरेब दिया गया और वैसे फरेब की वजह से वह अपने हक के इल्म से बाज रखा गया—जो शख्स दफा १८ का फायदा उठाना चाहता हो उसको दो बातें साबित करना होगी —(१) कि फरेब किया गया (२) कि फरेब की वजह से वह इस बात के इल्म से बाज रखा गया कि दरखास्त पेश करने का उसका हक है (इ के. जि० २४ सफा २४६)—

दफा १६—(१) अगर मियाद के गुजर जाने के इकरार तहरीरी का असर **पेश्तर, कि जो किसी जायदाद या हक की बाबत नालिश या दरखास्त के लिये मुकर्रर है, उसी जायदाद या हक की बाबत कोई इकरार जिम्मेदारी का तहरीर पाकर उस पर दस्तखत उस शख्स के हो जाएं जिस मुकाबले में उस जायदाद या हक का दावी किया जावे या किसी ऐसे शख्स के हो जिस के जरिये से वह इस्तेहकाक हासिल करे या अपने पर जिम्मेदारी ले, तो एक नई मियाद समाअत उस वक्त से शुमार की जावेगी कि जब इकरार मजकूर पर इस तौर से दस्तखत किये जावें—**

(२) जब वह तहरीर, कि जिस्में इकरार मजकूर दर्ज है बिला तारीख होवे तो इस बात की शहादत

जबानी दी जा सकी है कि तहरीर मजकूर पर दस्तखत कब किये गये, लेकिन बपाबन्दी अहकामात एक्ट शहादत हिन्द सन १८७२ ई० के शहादत जबानी बाबत मजमून उस तहरीर के न ली जाएगी

समझावना:—(१) इस दफा की गरजों के लिये इकरार काफी होगा हालां कि उस में जायदाद या हक के ठीक किस्म की खास तफसील दर्ज न हो या उस में यह लिखा हो कि वक्त अदाई, या हवालगी या तामील, या फायदा उठाने का, अभी तक नहीं आया है या उस के साथ इंकार अदा करने या हवाला करने या तामील करने या फायदा उठाने की इजाजत का हो या उस के साथ दावा किसी रकम के मुजरा होने का किया गया हो या उस शख्स के सिवाय जो इस्तेहकाक उस जायदाद या हक का रखता हो ऐसा इकरार किसी और शख्स के नाम की तहरीर में लिखा हो—

समझावना—(२) इस दफा में लफ्ज दस्तखत से मुराद यह है कि दस्तखत बजात खुद या बजरिये मुख्तयार के जिस को हस्ब जाब्ता इस बारे में अख्तयार दिया गया हो, किये गये हों—

समझावना:—(३) इस दफा की गरजों के लिये दरखास्त इजराय डिकरी या हुक्म बतौर दरखास्त निसबत हक के तसौव्वर की जावेगी—

तशरीह—इस दफा के बमूजिब किसी जायदाद या हकीयत की जिम्मेदारी मौजूदा का इकरार साफ और पक्का होना चाहिये और बगैर इल्म इस बात के कोई ऐसा इकरार वाजिब न समझा जावेगा कि इकरार करने वाला फरीक कुछ जिम्मेदारी कबूल करता है (इं ला रि-बम्बई जिल्द ८ सफा ९९ वो सफा १०२)—एक राहिन ने कबजे की नालिश बशर्त अदाय एक खास रकम के दायर की और मुदायलेहुम ने अपने तहरीरी बयान में रहन की मौजूदगी को

साफ तौर पर कबूल किया—इस इकबाल मे राहिन के वारिसों का उस नालिश में फायदा पहुचा जो रहन के छुड़ाने के वास्ते रहन की तारीख के साठ साल बाद दायर की गई (पजाब रिकार्ड न २० सन १८८७ ई.)—मुद्दायलहुमे ने एक मौजे की मिसल हक़ियत पर सही समझ कर अपने दस्तखत बतौर तस्दीक के किये जो बर वक्त बन्दोबस्त मौजा मजकूर तैयार की गई थी—इस मौके पर मुद्दायलेहुम काबिज थे और इस लिये उस का बन्दोबस्त उन्हीं के साथ किया गया इस मिसल हक़ियत में उन का नाम बतौर मुर्तहिनान मौजा मजकूर के दर्ज किया गया था, लेकिन उस में राहनान का नाम नहीं बतलाया गया—हाई कोर्ट की यह राय करार पाई कि मुर्तहिनान की तसदीक मुनदरजा मिसल हकीयत से राहिन के इस्तेहकाक निसबत इनफिकाक रहन का इकबाल काफी समझा जावेगा—(इ ला. रि अलाहबाद जिल्द १ सफा ११७ बेयाचद—बनाम—सरफराज)—लेकिन अगर किसी मौजा की मिसल बन्दोबस्त में मुद्दायलेहुम का नाम खाना मालिकी में बतौर मुर्तहिन बिलकब्ज निसबत जमीन राहिन के दर्ज किया गया हो और इस इबारत में किसी के खास दस्तखत न हो बल्कि मुद्दायलेहुम में से एक मुद्दायलेहुम और चार दूसरे लम्बरदरों के दस्तखत मिसल मजकूर के अखीर में किये गये हों तो ऐसी हालत में ऐसे दस्तखत से मुद्दायलेहुम की तरफ से इस बात का इकबाल न पाया जावेगा कि रहन कायम है—(पजाब रि न. ११६ सन १८०१ ई० जवाला—बनाम—शेरसिंग)—एक कर्जदार ने रहन के रूपया के सूद की रकम का अलग तमस्सुक लिख दिया, यह इकबाल इस बात का समझा जायेगा कि रहन कायम है (देखो बम्बई हाई कार्ट के छप हुए फैसले जात बाबत सन १८८६ ई० सफा ३६ डोमिन—बनाम—धर्पान)

इस दफा के बमूजिब तहरीरी इकबाल जायज होने के वास्ते यह बात जरूर है कि वह एक्ट रजिस्ट्री और एक्ट स्टाम्प के अहकामात के बरखिलाफ न हो—(इ ला. रि कलकत्ता जिल्द १५ सफा १६२ व बम्बई जिल्द ४ सफा ५१०)—जब जायदाद गैर मनकूला के बैनामा में जो १०० रू० या उस से जियादा के बदले में लिखा गया है एक पेशतर के करजे की जिम्मेदारी का इकरार दर्ज होवे तो ऐसा इकरार काबिल मन्जूरी शहादत होगा, हालांकि खुद बैनामा रजिस्ट्री न होने के सबब जायदाद मजकूर की बिक्री साबित करने की गरज से अदालत में पेश न किया जा सकेगा—(इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द ५ सफा २१५ न

किशोर–बनाम–राम सुखी]—जिस डिकरी का रूप्या अदा नहीं हुआ है उस का तसफिया अदालत के बाहर हो सक्ता है, हालांकि वह बेरू मियाद हो गई हो इस लिय ऐसी डिकरी के रूप्या की अदाई का तमस्सुक बिला मजूरी अदालत मुताबिक दफा २५७ मजमूआ जाब्ता दीवानी के तहरीर किया जा सक्ता है–[इ. ला रि बम्बई जिल्द १४ सफा ३१० श्रीपतराव–बनाम–गोविन्द]—करजे की जिम्मेदारी का इकबाल या इकरार तहरीरी होना चाहिये और उस पर दस्तखत किये जावें (इ ला. रि. मद्रास जिल्द १५ सफा ३८० रामास्वामी–बनाम–मतृस्वामी)—मद्रास हाई कोर्ट के आईय्यार साहब जस्टिस की यह राय है कि अगर किसी मुकदमा में कोई फरीक जिम्मेदारी करजे की कबूली के बारे में अपना इजहार लिखावे और उस पर दस्तखत भी करदे तो यह तहरीरी इकबाल हस्ब मनशाय दफा १९ एक्ट मियाद के समझा जावेगा (इ ला रि. मद्रास जिल्द १९ सफा २२०)—वसियतनामा का मसौदा जिस पर बाजाब्ता दस्तखत न किये गये हों इस दफा के बमूजिब जिम्मेदारी के इकबाल के लिये काफी न होगा–(इ. ला रि. मद्रास जिल्द १५ सफा ३८०)–करजे की जिम्मेदारी के इकबाल से वह इकबाल मुराद है जिस के जरिये किसी करजे की अदाई का इकरार किया जावे और जिस में करजदारी व साहूकारी का रिश्ता मान लिया गया हो और उस से फरीकैन की यह नियत पाई जावे कि जब तक जायज तौर पर करजे की अदाई न हो जावे तब तक ऐसा रिश्ता कायम रहेगा–(इ. ला. रि. मद्रास जिल्द १६ सफा २२०) विन्कटा--बनाम–पारधा

अगर कोई साहूकार ऐसी रकम के वाजिब होने में अपनी रजामन्दी साफ तौर पर न दे जिस्की जिम्मेदारी उस के करजदार ने कबूल की हो, तो जब तक इकबाल मजकूर के बरखिलाफ करजदार सबूत पेश न करे तब तक उस का साहूकार उस इकबाल का फायदा उठाने का हकदार होगा–(देखो इ. ला. रि. कलकत्ता जि. ६ सफा ४४७)—ऐसी रकमों के हिसाब की सचाई के जबानी इकबाल से, कि जो मियाद के बाहर हो गई हैं, नई मियाद हस्ब मनशाय दफा हाजा न मिलेगी, क्योंकि इस दफा में साफ लिखा है कि जब करजे की जिम्मेदारी का इकबाल तहरीरी होवे तो साहूकार को नई मियाद तारीख लिखे जाने इकबाल मजकूर से मिलेगी—[देखो मद्रास हाई कोर्ट रि. जि. ३ सफा ३७८]—एक असल वही खाता जिस में करजे की जिम्मेदारी का इकरार दर्ज था अदालत में पेश

की गई लेकिन यह वहीं अदालत से गुम हो गई—हाई कोर्ट की यह तजवीज हुई कि ऐसे इकरार की शहादत नकली दी जा सक्ती है चाहे दफा १६ एक्ट मियाद में कुछ भी लिखा हो–हाई कोर्ट की यह भी राय हुई कि कोई शख्स किसी नाबालिग की तरफ से करजे की जिम्मेदारी का इकरार, कि जिस से साहूकार को नई मियाद मिल जावे, करने का सिर्फ इस वजह से मजाज न होगा कि वह उस नाबालिग की मा और वली यानी पालने वाली है–(देखो इ ला रि. कलकत्ता जि० १३ सफा २६२ वाजिबुन–बनाम–कादर बक्स)—खुद रिनिया की बही खाता में अगर वह अपने ही करजे की जिम्मेदारी का इकरार हस्व मनशा दफा १६ एक्ट न. १५ सन १८७७ ई० के दर्ज कर रखे तो जब तक उस की इत्तला उस के साहूकार या उस की तरफ से किसी शख्स को न दी जावे तब तक इकरार मजकूर कारगिर न होगा—हर ऐसे इकरार पर कि जिसमे नई मियाद पैदा करना मंजूर हो खुद करजदार के या ऐसे शख्स के दस्तखत होना चाहिये जिसे वह इस काम के वास्ते मुकर्रर करे (इ ला रि. बम्बई जिल्द १० सफा ७१)--एक मुकदमा में मुद्दायेलह ने अपनी जायदाद के नीलाम के-मुलतवी होने की दरखास्त पेश की और इस दरखास्त में उस ने डिक्री के रुपिया की अदाई करने का इकरार किया—हाई कोर्ट की यह राय हुई कि ऐसे इकरार से यह मतलब निकलता है कि इस्तेहकाक मुद्दई निसबत जारी करने डिक्री हस्व मनशाय दफा १९ एक्ट म्याद पाया जाता है और तारीख इकरार से मुद्दई को नई मियाद मिलेगी (इ ला रि बम्बई जि० १० सफा १०८)—जिस हालत में कुल खाते की इबारत करजदार खुद आपही लिखे और खाता के सिरनामा में अपना नाम अपने हाथ से लिखे तो ऐसी सूरत में यह समझा जावेगा कि हस्व मनशा दफा १६ एक्ट मियाद कर्जदार के दस्तखत काफी तौर से किये गये (इ. ला रि बम्बई जि०५ सफा ८६) किसी करजे की जिम्मेदारी के इकरार पर नाबालिग के वली के दरखास्त से करजे की जिम्मेदारी का इकबाल बमूजिब दफा १६ एक्ट मियाद क नहीं पाया जाता है कि जिससे बमुकाबले नाबालिग के नई मियाद शुरू होवे, क्योंकि दस्तखत नाबालिग बतौर दस्तखत ऐसे शख्स के नहीं समझा जायेगा कि जिस के मुकाबले में किसी हक का दावी किया गया [कलकत्ता ला. रि. जिल्द १३ सफा ११२ म्यादुद्दीन–बनाम–विलियम्ड].

एक शख्स ने बे लिखे पढ़े करजदार के कहने से बकाया हिसाब कर्जदार के

नाम से लिखा और लिखने वाले ने उस हिसाब पर अपने दस्तखत किया—तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि यह तहरीर बराबर इकबाल जिम्मेदारी करजा, हस्ब मनशाय दफा १६ एक्ट मियाद, दस्तखती मुखत्यार मजाज तसौव्वर की जावेगी (इं. ला रि बम्बई जिल्द ७ सफा ९१५) हिन्दू घराने के मेनेजर अर्थात मुन्तजिम को करजों की जिम्मेदारी कबूल करने का अखत्यार उसी तरह पर हासिल है कि जिस तरह पर वह घराने की तरफ से नया करजा लेने का मजाज है, लेकिन खास इजाजत के बगैर वह ऐसे दावी को कबूल नहीं कर सक्ता है कि जो घराने के मुकाबले में बेरू मियाद हो गया (इ. ला. रि मद्रास जिल्द ९ सफा १६६ चिन्नय्या—बनाम—गुरू नायम)—एक मुकदमा में नकदी रूपिया की डिक्री किस्म बन्दी थी, जिस में यह शर्त थी कि अगर किश्त का रूपया न पटाया जावे तो डिक्री कुल रूपिया के बाबत जारी की जावेगी, लेकिन डिक्रीदार ने किस्त चुकाने के तीन साल के अन्दर अपनी डिक्री जारी नहीं कराई—हाई कोर्ट की यह तजवीज हुई कि जिस हालत में मुदायलेह ने पहली किस्त चूकने के तीन साल बाद डिक्री की जिम्मेदारी का तहरीर इकबाल किया और उस इकबाल पर अपने दस्तखत भी कर दिया तो ऐसी सूरत में ऐसे इकबाल से डिक्री के लिये एक नई मियाद पैदा न होगी, क्योंकि उस वक्त डीक्री बेरू मियाद हो चुकी थी (इ ला. रि अलाहाबाद जिल्द २ सफा ४४३ शिवदत्त—बनाम—कालका प्रसाद).

अहकामात दफा १९ एक्ट मियाद सन १८७७ ई० इजराय डिक्री की दरखास्तों से ताल्लुक न रखेंगे—(देखो इंडियन ला. रिपोर्ट मद्रास जिल्द ५ सफा १७१).

जिम्मेदारी का इकबाल या इकरार हस्ब मनशाय दफा १६ उस शख्स के साथ किया जाना चाहिये जिसने कब्जा मागने की दादरसी पेश की हो या ऐसे शख्स के हक में किया जावे जो उस के जरिये से दावीदार हो (इ ला रि कलकत्ता जिल्द १४ सफा ८०१)—एक नालिश मुद्दई ने तारीख २० जौलाई सन १८८६ ई० को वास्ते दिला पाने कीमत उस माल के दायर की जो मुदायलेह के हाथ ता० १२ मार्च सन १८८१ ई० को बेचा गया था; मुद्दई ने मुदायलेह के दस्तखती दो खाते पेश किया जिसमें ता० ६ मार्च सन १८८२

ई० वो ता० २६ अक्टूबर सन १८८४ ई० को बेचे हुए माल के करजे की जिम्मेदारी का इकबाल किया गया था—अदालत मातहेत ने मुद्दई के दावी को बेरू मियाद समझा, लेकिन हाई कोर्ट की राय हस्ब जैल करार पाई कि नालिश मुद्दई बेरू मियाद नहीं है, क्योंकि करजे की जिम्मेदारी का इकबाल दूसरे मर्तबा उस "नई मियाद" के अन्दर किया गया जो पहले इकबाल मे पैदा हुई और इस पहले इकबाल पर मुद्दायलेह का दस्तखत उस मियाद के अन्दर किया गया जो कि नालिश के वास्ते मुकर्रर थी और उस तारीख से मुद्दई को नई मियाद तीन साल की मिलेगी (इ ला रि बम्बई जिल्द ११ सफा २८२)—एक मुकदमा में मुद्दायलेह ने उसका करजा बरू मियाद हो जाने के बाद अपने साहूकार को ब जवाब तलबी करजा नीचे लिखे मुताबिक लिखा "यह मामला मेरे ख्याल में है और जहा तक जल्द मुमकिन हो सकेगा मैं इस रूपिया की अदाई करने के वास्ते अपने मकदूर तक कोशिस करूगा"—हाई कोर्ट की यह तजवीज हुई कि यह तहरीर सिर्फ शर्तिया इकरार की हद तक पहुचती है, याने जब मकदूर हो तब रूपिया के अदा करने का करार था और जिस सूरत में कि मुद्दई ने यह बात साबित नहीं की है कि मुद्दायलेह रूपया अदा करने के काबिल था तो ऐसी हालत में यह करार बे असर है और उस के जोर से मुद्दई अपना दावा वसूल न कर सकेगा (इ ला. रि. बम्बई जिल्द ११ सफा ६८०) बजरूय दफा १६ एक्ट मियाद सन १८७७ ई० करजे की जिम्मेदारी का इकबाल या इकरार के मजमून की निस्बत जबानी शहादत मंजूर न की जावेगी—

एक मरे हुए करजदार के जायज वारिसों पर नालिश बाबत वसूली जर करजा दायर की गई—लेकिन हालात मुकदमा से यह जाहिर हुआ कि तीन साल से ज्यादा अरसा के पेश्तर कर्जा लिया गया जिसकी अदाई का करार तारीख नालिश के पेश्तर तीन साल से कम अरसे में था—उजर मियाद के जवाब में मुद्दई ने करजा मजकूर की जिम्मेदारी का एक ऐसे इकबाल पर भरोसा किया कि जो वसीयतनामा के मसौदा में दर्ज था—इस मसौदा की पहली सतर में सिर्फ दाइन का नाम बतलाया गया था—तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि जो इकबाल वसीयतनामा में दर्ज है वह बतौर इकबाल मुताबिक दफा १६ एक्ट मियाद के न समझा जावेगा (इ ला रि. मदरास जिल्द १५ सफा ३८० रामा स्वा-

बनाम गुन्तू स्वामी)—शामिल शरीक हिन्दू घराने का मेनेजर यानी मुन्तजिम उस करजे के बाबत घराने की जिम्मेदारी कबूल करने का अखत्यार रखता है जो वाजबी तौर पर लिये गये हों और जिस तारीख को ऐसा इकबाल किया गया हो उस तारीख से घराने के मुकाबले में नई मियाद शुरू होगी—क्योंकि वह हस्ब मनशाय दफा १६ एक्ट मियाद एक ऐसा मुखत्यार है जिसको बाजाब्ता अखत्यार हासिल है (इ. ला. रि बम्बई जिल्द १७ सफा ५१२ भास्कर तानिया सेठ -बनाम-बिजालाल नाथू) — एक्ट मियाद की दफा १६ को एक्ट शहादत की दफा ६५ वो ६१ के साथ पढ़ना चाहिये—इस दफा की रू से शहादत नकली उन सूरतों में काबिल खारजी न होगी कि जिन में ऐसी शहादत अजरूय दफा ६५ एक्ट शहादत के मंजूर हो सक्ती है (इ. ला रि. मदरास जिल्द १५ सफा ४६१)—

जब कोई नालिश किसी करजे की जिम्मेदारी के इकबाल पर दायर की जावे जिसे एक शख्स ने दूसरे की तरफ से लिख दिया हो, तो ऐसी हालत में यह साबित करना जरूर है कि उस शख्स को, कि जिसने इकबाल मजकूर लिखा दूसरे शख्स की तरफ से करजे की जिम्मेदारी कबूल करने का अखत्यार था—करजे की जिम्मेदारी का सिर्फ इकबाल बतौर हिसाब मकबूला हस्ब मनशा मद न ६४ जमीमा २ एक्ट मियाद के न समझा जावेगा और न वह इकबाल नालिश के लिये बतौर एक नई बिनाय मुखासमत के तसव्वर किया जावेगा (सी. पी. ला रि. जिल्द २ सफा ४० विठ्ठलशाह नानेशाह-बनाम-शिवदीन वो सवाल चंद).

एक्ट स्टाम्प न० १ सन १८७६ ई० के जमीमा १ मद १ के रू से करजे की जिम्मेदारी के इकबाल पर, कि जिसकी तादाद बीस रूपिया से ज्यादा हो, एक आना का स्टाम्प लगाना चाहिये, जब कि ऐसा इकबाल किसी बही (माहजन की पास बुक छोड़कर) या कागज के अलाहदा टुकड़े पर बतौर शहादत करजा मजकूर करजदार की तरफ से लिखा जाने या उस पर दस्तखत किये जावें और ऐसी बही या कागज साहूकार के कब्जे में छोड़दा जावे—उसी एक्ट की दफा ११ के बमूजिब एक आना का स्टाम्प इस तरह पर इकबाल मजकूर के लिखे जाने के वक्त या उसके पेश्तर लगाया जावे और मसूख किया जावेगा कि जिसमे कोई उसको दुबारा फिर काम में न ला सके.

इकरार तहरीह के मायने—एक चिट्ठी का यह मजमून था "कि आप की चिट्ठी के जवाब में मैं आप को इत्तला देता हू कि मैं हिसाब की जाच करना चाहता हू क्योंकि मेरे हिसाब में ऐसी कोई रकम दर्ज नहीं है जिस्का जिक्र आप की चिठी में है"—ऐसी चिट्ठी दस्त मनशा दफा १६ एक्ट मियाद बतौर इकरार तहरीरी नहीं समझी गई—दफा १६ की इबारत के पढ़ने से यह क्यास होता है कि जब इकरार तहरीरी नई मियाद पैदा करने के लिये किया गया हो तो जिसहक का इकरार किया गया वह उसी किस्म का होना चाहिये जिस्का जिक्र अर्जी दावा में किया गया है—खाता बही के हिसाब कर ने पर जो बाकी निकली और उस बाकी की निस्बत जो नालिश की गई हो, अगर ऐसी नालिश में इस बात का इकरार किया जाय कि हिसाब समझ कर चूकता करना चाहिये तो ऐसा इकरार बतौर जायज इकरार के तसौवरें किया जायगा—(मद्रास ला जरनल जिल्द २१ सफा १०२४)—

इकरार तहरीरी बजरिये मुख्त्यारः—मुख्त्यार का इकरार निस्बत एक रहननामें के जो सन १८८३ ई० में लिखा गया बमूजिब एक्ट १४ सन १८५६ ई० गैर काफी होता अगर नालिश उस वक्त दायर होती जब कि एक्ट मजकूर अमल में रहता, मगर हाल के एक्ट न० ९ सन १६०८ ई० की रू से यह इकरार नई मियाद पैदा कर ने के लिये काफी समझा गया और नालिश की मियाद का तसफिया बजरिये एक्ट हाल यानी एक्ट नम्बर ६ सन १६०८ ई० किया गया—(इलाहाबाद ला जरनल जिल्द ८ सफा १२७२ सन १६११ ई०)

इकरार जबानीः—इकरार जबानी निस्बत कर्जा दफा १६ एक्ट मियाद की मनशा में दाखिल नहीं होगा—(इ. केस जिल्द ११ सफा ४४५ सन १६११ ई०)

अगर कोई कर्जदार जो दिवालिया हो गया हो अपने कर्जे को नेगे नकशे में दर्ज करे जो नकशा दरख्वास्त दिवालिया करार देने में पेश होता है और उस पर वह अपने दस्तखत कर देवे तो वह नकशा इस दफा की मनशा में बतौर इकरार दाखिल होगा (बम्बई ला रि जिल्द १३ सफा १७३)—

बयान बतौर इकबाल कब समझा जायेगा:—अगर किसी इजहार या बयान में इकबाल किया गया हो तो वह इस दफा की मनशा में बतौर इकरार के समझा जावेगा, बशर्तेकि उस पर ब्यान करने वाले के दस्तखत हों—मरे हुए राहिन की बेवा ने एक अपनी दस्तखती दरखास्त पेश की जिस में उस ने रेहन से इकबाल किया तो ब्यान मुन्दर्जे दरखास्त मजकूर बतौर इकरार समझा गया—(इ केस जिल्द १० सफा १४२ सन १६११ ई०).

करजे का इकरार बजरिये गुमाश्ता मालिक के मरने के बाद:— इस के बारे में एक मुकदमा में तजवीज हाई कोर्ट नीचे लिखे मुताबिक करार पाई:—

(१) कि मोहर्रिर का बयान इकरार की हद तक हस्ब मनशा दफा १६ मियाद पहुच सक्ता है (२) कि गुमाश्ता अपने ऐसे मालिक की स्टेट को पाबन्द कर सक्ता है जो दो महीने पेश्तर मर गया हो, क्योंकि यह मामला अहकामात दफा २२ वो दफा २०६ एक्ट माहदा सन १८७२ ई० में दाखल होगा (३) कि अगर मुद्दईयान को मालिक के मरने का इल्म न हो तो जब तक ला इल्मी रहेगी जब तक उन पर गुमाश्ते की अदम अखत्यारी का असर न पड़ेगा—(४) कि गुमाश्ता का काम बमूजिब दफा १०२ एक्ट माहदा यह है कि वह अपने मरे हुए मालिक के वारसान के हक कि हिफाजत के लिये और जायदाद, जो उसके सिपुर्द बहैसियत गुमाश्ता की गई, उसको कायम रखने की गर्ज से तदबीर अमल में लावे (इ. ला. रि बम्बई जिल्द ३५ सफा ३०२)—

तीन मुर्तहिनान मे से एक के दस्तखत खेवट पर:—जब तीन शामिल शरीक मुर्तहिनान में से सिर्फ एक ने खेवट में अपने दस्तखत किये हों, तो उसका दस्तखत खिलाफ कुल मुर्तहिनान बतौर इकरार काफी न समझा जावेगा—इस लिये नालिश बेरू मियाद समझी जावेगी—मगर इस बात का शक किया गया कि लम्बी चौड़ी वाजिबुल अर्ज पर, जिस में दीगर बातों के सिवाय खेवट का भी जिकर हो, दस्तखत कर ने से यह

समझा जा सक्ता है कि राहिन के हक की निस्बत इस एक्ट की मनशा के मुताबिक इकरार किया गया–(अलाहबाद ला, जरनल जिल्द ८ सफा १०५)—

हिसाब किताब करके कर्जदार ने बाकी निकाली सूद अदा करने का वादाः—जब कर्जदार माहूकार के खाते बही में बाकी निकाल कर तहरीरी वादा करदे कि जो बाकी उसकी तरफ निकली है वह अदा करेगा ऐसी बाकी बिना की पर नालिश दायर हो सकेगी–ऐसी बाकी निकालना बमूजिब दफा २५ (३) एक्ट माहदा बतौर नये इकरार के समझा जावेगा और पुरानी रकमें या बाकी की म्याद का ख्याल न करके वैसा माहदा काबिल अमल होगा—जब बाकी निकालने का यह मतलब हो कि करजे से इकरार किया गया और यह भी बयान हो कि आईन्दा सूद फला शरह के हिसाब से दिया जायगा तो यह सूद देने के वादे के तौर पर समझा जावेगा (पंजाब ला. रि जि० ८ सन १९११ ई)—

रहन का इकरार जो अर्जीदावी में दर्ज होः—एक अर्जीदावा में मुर्तहन के बाबा (बाप के बाप) ने एक कलम इस मजमून की लिखी थी कि जायदाद उसके यहा रहन है, तो अर्जी दावा में वैसा बयान बतौर इकरार जिम्मेदारी निस्बत हक इनफिकाक राहिन इस दफा की मनशा के लिये समझा जावेगा, यानी, यह समझा जावेगा कि राहिन को जायदाद मरहूना के इनफिकाक कराने का हक है और अगर असली अर्जीदावा पेश न हो सके तो उस अर्जीदावा के मजमून की सबूती ऐसे फैसले के तसदीक की हुई नकल को पेश करने से की जा सक्ती है जिस में उस मजमून का खुलासा यार हाल दर्ज हो (पंजाब ला रि सफा १८० सन १९११)

इकरार के लिये जरूरी बातें, सूद की अदाई कई कर्जे:—यह जरूर नहीं है कि इकरार साफ तौर पर हो–इकरार मतलब से भी निकाला जा सक्ता है–मगर ऐसा मतलब सिर्फ उन्हीं लफ्जों से, जो इस्तेमाल किये गये हैं, निकालना चाहिये, और उस से यह मायने हों कि इकरार करने वाला खास उसी जिम्मेदारी का इकरार करता था जिसका कि झगड़ा है न कि कोई दूसरी जिम्मेदारी का अगर कर्जदार पर माहूकार की कई रकमें हैं और कर्जदार ने कोई रकम दी हो और अगर देते वक्त यह न बतलाया हो कि वह रकम

दस्तखत से जाहिर होता हो, इस लिये अगर कोई करजदार अपने साहूकार को इकट्ठे एक मुश्त एक रकम अदा करे और साहूकार को इस बात की इत्तला न दी जावे कि वह रकम किस तौर से मुजरा दी जावे और रकम मजकूर का देने वाला भी उस की अदाई के निसबत कोई याददाश्त न लिखे तो वह एक मुश्त रकम जर असल की जुज अदाई के समान न समझी जावेगी; क्योंकि रकम मजकूर की अदाई की न तो कोई याददाश्त है और न उस के निसबत करजदार ने कोई हिदायत दी—वह रकम बतौर वसूली जर सूद भी न समझी जायगी, क्योंकि रकम मजकूर सूद समझ कर या सूद में कहकर अदा नहीं की गई (इ. ला. रि. बम्बई जिल्द ३ सफा १९८ हनमन्तलाल–बनाम–रम्बाबाई)

जर असल की अदाई इस दफा के मुताबिक करजदार के दस्तखत से जाहिर होना चाहिये नकि यह बात कि अदा की हुई रकम किस तरह से वसूल दी जावे (इ. ला. रि. मद्रास जिल्द ६ सफा २८१)—अगर अदा करने वाला रकम का उस इबारत पर अपने दस्तखत कर दे कि जिस को तीसरे शख्स ने लिखा हो तो वह दस्तखत काफी होगा (पंजाब रिकार्ड न ९९ सन १८८४ ई० नरसिंगदास–बनाम–बचातर) – बल्कि अगर करजदार की उस इबारत पर सिर्फ निशानी की जावे तो भी काफी है (इ. ला रि. मद्रास जिल्द ७ सफा ९९).

वह जमीन जो बेअसर रहननामा में शामिल है (याने जिस रहननामा की रजिस्टरी अजरूय कानून लाजमी हो और उसकी रजिस्टरी न कराई जावे) इस दफा में लिखे हुए अलफाज "आराजी मरहूना" में दाखिल नहीं है (इ. ला रि मद्रास जिल्द ७ सफा ३१३ वो ५३९)—

जब दो मुद्दायलेहों ने जो आपस में साझेदार न हों दस्ती चिट्ठी मुद्दई को लिखादी हो और मुद्दई का यह ब्यान हो कि जो सूद पहिले मुद्दायलेह ने अदा किया वह दूसरे मुद्दायलेह की तरफ से था, तो ऐसी सूरत में दूसरे मुद्दायलेह के खिलाफ नई मियाद शुरू करने की गरज से मुद्दई को इस बात का साबित करना लाजिम होगा कि दूसरे मुद्दायलेह ने पहिले मुद्दायलेह को सूद की अदाई करने का अख्त्यार दिया था (इ के. जिल्द ११ सफा ८५८)—मरे हुए शख्स के वारसों में से एक वारिस ने उस करजे का सूद अदा किया जो

मरे शख्स पर था तो उस वारिस की तरफ से ऐसी अदाई होने की वजह से यह न समझा जायगा कि दूसरे वारसों के खिलाफ मियाद नये सिरे से शुरू हुई (इ. के. जि० १४ सफा १२८)—

अगर कोई अपढ शख्स करजा अदा करते वक्त किसी इबारत के नीचे जो दूसरे शख्स ने लिखी हो अपनी निशानी बना दे तो निशानी बनाना दफा २० की गरज के लिये काफी समझा जायगा (बरम्हा ला टाइम्स जि० ४ सफा २१७ सन १९११)—

जब किसी करजदार ने अपने साहुकार से कई हाथ चिट्ठिया लिख कर करज लिया हो और उस करजे की जुज अदाई में आम तौर पर कुल रकम पटाई हो और यह न बतलाया हो कि वह रूप्या किस हाथ चिट्ठी के करजे में मुजरा किया जाय आया वह असल रूप्या में या सूद में या दोनों में वसूल दिया जाय और ऐसी वसूली साहुकार की वही में खुद उसी शख्स के हाथ की इबारत से दर्ज हो कि जिसने रकम पटाई, तो इन सूरतों में उस रकम से हर एक हाथ चिट्ठी की मियाद का नये सिरे से शुरू होना समझा जायेगा, चाहे वह रकम असल में यों सूद में या दोनों में मुजरा दी गई हो (मद्रास वीकली नोट जिल्द १ सफा ७५४ सन १९१२)—

साहुकार दफा २० एक्ट मियाद का फायदा नहीं उठा सका तावक्तें कि वह यह जाहिर न करे कि जो रकम करजदार ने दी वह निस्बत सूद के थी—इस बारे में याती करजदार का साफ तौर पर ब्यान हो या इस किस्म के हालात हो जिन से यह क्यास किया जा सक्ता है कि कर्जदार ने रूपया ब्याज मध्धे दिया (इ के जि० २० सफा ८५७)—

एक्ट मियाद ऐसे मामले में लागू न होगा जब कि जायदाद जो कुर्क की गई हो और जब्त कर ली गई हो राहिन की मालगुजारी हक की हैसियत की न हो बल्कि मुर्तहिन के हक की हैसियत की हो—राहिन की मालगुजारी हैसियत पर ऐसी जब्ती से कोई फर्क न पड़ेगा। इसको जायदाद की निस्बत एक साल की खास मियाद के अन्दर जो इस दफा में मुकर्रर है नालिश दायर करना जरूर न होगा—जब सरकार मुर्तहिन के हक को जब्त करे तो उसे खरीदार [illegible]

मालगुजारी हुकूक बख्शने का अखत्यार नहीं है (अलाहाबाद ला. जरनल जि० ११ सफा ७२१)—

अगर करजदार जो लिखना पढ़ना जानता है जर असल में कुछ रूप्या अदा करे और अदाई बजरिये ऐसी तहरीर के की गई हो जिसको करजदार ने अपने हाथ से न लिखा हो बल्कि किसी दूसरे शख्स ने लिखा हो और उस ने सिर्फ अपने दस्तखत किये हों तो इस से दफा २० के अहकाम की काफी तामील न समझी जावेगी और जुज अदाई से नई मियाद शुरू न होगी (मद्रास ला. टाइम्स जिल्द १४ सफा ३१०)—

बमूजिब दफा २० एक्ट मियाद सूद की अदाई से नई मियाद शुरू हो सक्ती है बशर्ते कि अदाई सूद के मध्धे की गई हो, यानी, करजदार ने रूप्या इस नियत से दिया हो कि वह सूद में जमा किया जावे, और कुछ सबूती इस बात की होना चाहिये कि कर्जदार की वैसी नियत थी—साहुकार ने उस रकम को अपने खाते बही में ब्याज के मध्धे में जमा किया तो उस का ऐसा जमा करना करजदार की नियत की सबूती का काम न देगा (इ. के जि० १६ सफा ८२५)

लफ्ज सूद जो दफा २० एक्ट मियाद में आया है उससे सूद या सूद का हिस्सा जो बाकी हो मुराद है (अलाहाबाह ला. जरनल जि० ११ सफा ४७७)—दफा २० की शर्त ऐसी किस्तों की अदाई में लागू होगी जो दस्तावेज की रू से मुकर्रर वो वाजबुल अदा हो और दस्तावेज में यह भी शर्त हो कि अगर एक किस्त चूक जायगी तो कुल रूप्या एक मुश्त वसूल किया जायगा—किस्तों की वसूली कर्जदार के दस्तखती दाखलों के सिवाय और किसी बात से नहीं हो सक्ती—किस्त की अदाई असल कर्जे के रूप्यों में जमा की जायगी (पंजाब ला रि जि० १० सन १९०३)—

एक शख्स, मुसम्मी अमरसिंग का कुछ कर्जा अजरूय तमस्सुक चाहता था—उस ने अपनी जायदाद को मुसम्मी बेनीसिंग को रहन कर दिया और जर रहन का कुछ हिस्सा मुसम्मी बेनीसिंग के पास इस गरज से छोड़ दिया कि वह रूप्या मजकूर मुसम्मी अमरसिंग को उस के कर्जे के बारे में अदा कर दे, तो ऐसी सूरत में दफा २० की मन्शा के मुताबिक मुसम्मी बेनीसिंग राहिन का बतौर

मुखत्यार समझा जावेगा कि उस के जरिये राहिन पर जो कर्जा अमरसिंग का था अमरसिंग को दिया जावे—बेनीसिंग ने पूरा करजा न देने के बदले सिर्फ सूद ही रहन के करीब दो साल बाद अदा किया—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि गो बेनीसिंग को पूरा करज[1] अदा करने का अखत्यार दिया गया था और उस्को सिर्फ सूद अदा करने का अखत्यार नहीं दिया गया था इस लिये सूद के देने से जो नई मियाद शुरू की गई वह कायम नहीं रह सक्ती, और यह कि बेनीसिंग ने अपने अखत्यार से बाहर अमल किया और यह कि सिर्फ सूद की अदाई से राहिन की जिम्मेदारी कायम नहीं रह सक्ती (मद्रास ला. जरनल जि० २६ सफा ५०६)—

जब दरम्यान करजदार वो साहूकार इस किस्म का माहदा हो कि साहूकार करजदार की जमीन अपने कबजे में ले लेवे और बएवज सूद उस से फायदा उठावे तो ऐसी जमीन का मुनाफा बतौर अदाई सूद के हस्ब मन्शा दफा २० समझा जायगा (लोअर बर्मा रिपोर्ट जि० ७ सफा १३८)—

एक तमस्सुकी नालिश में कुछ रूप्या बजरिये मुखत्यार वसूल देने से दावा की मियाद कायम रहने का भरोसा किया गया था तो इस सूरत में यह साबित करने का बोझा जिम्मे मुद्दई रहेगा कि रूप्या मजकूर बतौर सूद अदा करने के लिये मुखत्यार मजकूर को अपने मालिक की तरफ से अखत्यार मिला था (इ. के जि० २३ सफा ८६३)—

अगर करजे के जर असल का कुछ हिस्सा ऐसे शख्स की तरफ से अदा किया जाय जो लिखना जानता है तो दफा २० के अहकाम की रू से यह जरूर होगा कि रकम मजकूर की अदाई की तहरीर खुद उस शख्स के हाथ से लिखी गई हो जिसने ऐसी अदाई की हो (ला. वीकली जि० १ सफा ५२६)--कर्जे के जर असल की जुज अदाई से, जब कि वह दरजा बेरू मियाद हो गया हो तो वैसा करजा मियाद के अन्दर न आवेगा (इ. के. जि० २२ सफा ६५६)—नालिश बटवारा या मुश्तामिली जायदाद में जो शख्स बतौर मुहतमिम मुकर्रर हो और जिस्को मुकर्ररी के हुक्म के जरिये सूद अदा करने के लिये अख्तयारात दिये गये हों और अगर वह वैसे सूद की अदाई करे, तो उसके फेल से कुल करजदारान के खिलाफ करजे की मियाद

कायम रह सकेगी (मद्रास ला टाइम्स जि १६ सफा ४८९)—

जर असल की जुज अदाई उसी शख्स के हाथ से तहरीर होना चाहिये जिस ने वैसी अदाई की हो मगर यह कायदा सूद की वसूली के लिये लागू न होगा (मद्रास ला टाइम्स जिल्द १६ सफा ५०५).

अगर किसी राहिन ने अपना हक इनफिकाक तीसरे शख्स को मुन्तकिल कर दिया हो और मुन्तकिल करने के बाद अगर वह सूद की अदाई करे तो ऐसी अदाई से उस तीसरे शख्स के खिलाफ मियाद की मुद्दत नहीं बढ़ सकेगी जिस की पीठ पीछे वैसे सूद की अदाई की गई (इ के. जिल्द २२ सफा ५१०)

एक जमीन जो मुद्दई वो मुद्दायलेह दोनों की थीं रहन की गई और इस रहन की निसबत रूपया मुद्दायलेह को मिला, उस रूपये का हिस्सा दिला पाने की नालिश की गई ऐसी नालिश बतौर नालिश करजा सादा नहीं समझी जावेगी और दफा २० एक्ट मियाद लागू न होगी (इ. के. जि २२ सफा ९५९).

एक ही जमीन की निसबत दरम्यान फरीकैन अदालत माल में पहिले मुकद में में राजी नामा हो गया था उस राजीनामा की रू से यह ठहराव हुआ कि हाल का मुद्दई जमीन पर काबिज साबिक दस्तूर के मुताबिक रहे तो ऐसा राजीनामा बतौर इकरार निसबत हक मुद्दई समझा जावेगा और उस से नई मियाद मिल सकेगी (अलाहाबाद ला. जरनल जिल्द १२ सफा ४४)

मुख्त्यार उस शख्स का कि जो नाकाबालियत में होवे

दफा २१—(१) अलफाज "बाजाब्ता मुख्त्यार मजाज इस विषय में" मुन्दरजा दफा १९ व दफा २० में उस शख्स की हालत में कि जो नाकाबलियत में फसा होवे उस का जायज वली या उस की तरफ से कोई कमेटी या मेनेजर और ऐसा मुख्त्यार भी शामिल है कि जिसे बाजाब्ता वैसे वली, या कमेटी या मेनेजर ने इकरार पर दस्तखत करने के वास्ते या रकम की अदाई करने के लिये अख्त्यार दिया हो.

चद शरीक माहदा करने वाले

(२) ऊपर लिखी दफाओं की किसी इबारत से यह लाजिम नहीं आता है कि मिनजुमला

वगैरा में से एक पर इस वजह से कि उन में से किसी दूसरे ने इकरार लिख दिया हो या कुछ अदा किया हो जिम्मेदारी आयद न होगी

चंद शामलाती माहदा करने वालों के या शराकत दारों या वसीओं के (जो शख्स वसीयतनामा के हुक्मों की तामील करने के वास्ते मुकर्रर किया गया हो) या मुर्तह्निान में से एक पर मतालवा सिर्फ इस वजह से आयद हो कि इकरार तहरीरी उन में से किसी दूसरे या दूसरों का दस्तखती या दूसरे या दूसरों के मुख्त्यार का दस्तखती है, या किसी दूसरे या दूसरों ने या किसी दूसरे या दूसरों के मुख्त्यार ने कुछ अदा किया हो.

तशरीह—यह दफा किसी तरह पर पिछली दफा १९ वो २० के हुक्मों को रोक नहीं सकी है, याने जब कई माहदा (ठहराव) करने वालों में से कोई एक दफा १९ के बमूजिब किसी करजे की जिम्मेदारी का इकबाल करे या दफा २० के मुताबिक करजे की सूद की रकम अदा करदे तो ऐसी कार्रवाई से दूसरे माहदा करने वाले न बांधे जावेंगे, सिवाय उस सूरत में कि जब बलिहाज खास हालत हर मुकदमा के बजरिये शहादत या कानून के मतलब से यह साबित किया जावे कि जिस शख्स ने करजे की जिम्मेदारी का इकबाल किया या सूद की रकम अदा की वह ऐसी अदाई करने या इकबाल लिखने के वक्त बाकी माहदा करने वाले लोगों का मुख्त्यार था और उस ने बहैसियत उन की मुख्त्यारी के ऐसी अदाई की या इकबाल लिखा (इ. ला रि. अलाहाबाद जिल्द १० सफा ४१८ गडूबीबी- बनाम–परसोत्तम)

शराकतदारी की सूरत में जब तक शराकत कायम रहे, इस के खिलाफ शहादत न होने की हालत में, हर शराकतदार की निस्बत यह गुमान कर लिया जावेगा कि वह शराकती कोठी के जिम्मे के करजों की वसूली में रकमों की अदाई के वास्ते, बाकी शराकतदारों का मुख्तार है, क्योंकि अगर किसी शराकतदार की तरफ से कुछ वसूली दी जावे तो ऐसी वसूली कोठी की तरफ से समझी जायेगी—लेकिन शराकत के टूटने पर ही कार्रवाई मुख्तार [illegible] बन्द हो जाती है, ता वक्ते कि खास अख्तियार फिर न दिया जावे—ऐसी हालत में जब कोई एक शराकतदार कुछ रुपया वसूल देवे तो वह वसूली सिर्फ इस सूरत में कुल शराकतदारान की तरफ से वसूली के तौर पर मानी जावेगी कि जब वह [illegible] [illegible]

किया जावे कि सब शराकतदारों ने ऐसी रकमों के पटाने का अख्त्यार दिया था (इ. ला रि बम्बई जिल्द १० सफा ३५८ प्रेमजी—बनाम—ढोसा)

जब किसी कोठी का एक शरीकदार कोठी का कारबार बन्द हो जाने के बाद किसी साहूकार की बही पर बकाया करजा पर दस्तखत कर दे तो उस के इस तौर पर दस्तखत करने से दीगर शरीकदारान न बांधे जावेंगे—(पंजाब रिकार्ड न. १४० सन १८८९ ई० नौबतराय बनाम—सेवाराम).

मा, जो जायज तौर से वली नाबालिग के फायदा के वास्ते काम कर रही हो, दफा २१ की मनशा में लफ्ज "वली जायज" में दाखिल होगी, गो वह कानून की रू से उस काम के लिये मुकर्रर न की गई हो (मद्रास ला जरनल जिल्द २४ सफा ४२८).

रहन नामा की शरतों के मुताबिक सूद के बदले जर लगान या मुनाफा हासिल करना इस दफा की मनशा के लिये बतौर वसूली सूद के समझा जावेगा—इस लिये हस्ब दफा २१ एक्ट नबर ९ सन १८७१ मुरतहन मियाद सन १८८९ ई० से शुमार करने का हकदार है और जब कि एक्ट १५ सन १८७७ सन १८८९ ई० के पेश्तर जारी था तो मुद्दई हस्ब अहकामात दफा ३१ एक्ट नबर ९ सन १९०८ ई० दो साल के अन्दर नालिश दायर करने का मुसतेहक हुवा (अलाहाबाद ला. जरनल जिल्द ११ सफा २८९).

नया मुद्दई या मुद्दायलेह कायम या बढाने का असर

दफा २२—[१] जब किसी नालिश के दायर हो जाने के बाद कोई नया मुद्दई या मुद्दायलेह कायम किया जावे या बढाया जाए, तो उस की निस्बत नालिश का दायर होना उस वक्त से समझा जावेगा कि जब वह उस तौर पर फरीक गरदाना गया हो.

(२) शिकमी दफा [१] की कोई इबारत ऐसी सूरत मे लागू न होगी कि जब कोई फरीक दौरान कार्रवाई मुकदमा मे बवजह इन्तकाल नामा या पहुंचने हक विरासत के कायम किया गया या बढाया गया हो

या जब कि कोई मुद्दई मुदायलेह बनाया गया हो या कोई मुदायलेह मुद्दई बना दिया गया हो

तशरीह—इस दफा में सिर्फ नालिशात मुद्दइयान वो मुदायलेहुम के बारे में हुक्म है लेकिन उस में अपील, अपीलांट और रिस्पांडेंट के बारे में कुछ जिक्र नहीं है—मजमूआ जाब्ता दीवानी में, जिस के रू से नये फरीकैन पहिली अदालत में बढ़ाये जा सक्ते हैं, इस दफा का सफा तौर पर हवाला दिया गया है, लेकिन मजमूआ मजकूर की दफा ५५६ में जिस के रू से अदालत अपील को रिस्पांडेंट के जियादा करने का अखत्यार दिया गया है ऐसा हवाला नहीं दिया गया—एक्ट मियाद न १५ सन १८७७ ई० की दफा २२ अगर मजमूआ जाब्ता दीवानी मजकूर की दफा ५५६ से मुताल्लुक की जावे तो अपीलांट नम आखीर दिन को, कि जो वास्ते पेश करने अपील बमोजिब एक्ट मियाद मुकर्रर है, अपनी अपील दायर करके अदालत के अखत्यार को खारिज करा सकेगा (देखो इं ला रि कलकत्ता जिल्द ६ सफा ३५५ वो ३६२)—एक्ट न ८ वो न १४ सन १८५६ ई० के रू से भी अदालत अपील को मिसल में भी नया रिस्पांडेंट शामिल करने के बारे में अखत्यार हासिल था (वी रि जिल्द ८ सफा ३६७ शौदामोनी–बनाम–रामरूद्रा)—एक मुकद्दमा में दोनों मुदायलेहुम की जिम्मेदारी शामलाती थी, और मुद्दई ने गलती से सिर्फ पहिले मुदायलेह के बखिलाफ अपील दायर किया, और दूसरा मुदायलेह उस वक्त रिस्पांडेन्ट गरदाना गया कि जब उस के बरखिलाफ अपील पेश करने की मियाद गुजर चुकी थी—हाई कोर्ट की यह तजवीज हुई कि एक्ट मियाद की दफा २२ ऐसी अपील में हरजा डालने वाली न होगी, हालांकि यह दूसरे मुदायलेह पर असर रखती हो (इं ला. रि. अलाहाबाद जि २ स १०७ वो १०६ फोर्ट आफ गार्डन–बनाम–गंगा प्रसाद)

लेकिन एक मुकदमा में मुद्दई ने दोनों मुदायलेहुम पर शामलात में वो अलग २ कर के कुछ रूपया दिला पाने की नालिश दायर की और सिर्फ पहिले मुदायलेह के बरखिलाफ डिगरी हासिल की और पहिले मुदायलेह ने मुद्दई के ऊपर अपील दायर किया, ऐसी हालत में डिस्ट्रिक्ट जज ने दूसरे मुदायलेह को उस मियाद के खतम हो जाने पर अपील में फरीक बनाया कि जो उस पर अपील दायर करने के वास्ते मुकर्रर थी—हाई कोर्ट इलाहाबाद

की यह राय हुई कि अजरूय दफा ५८२ मजमूआ जाब्ता दीवानी सन १८७७ ई० (एक्ट नं० १४ सन १८८२ ई०) वो दफा ३२ मजमूआ मजकूर एक्ट मियाद की दफा २२ इस मुकदमा में लागू होगी (इं. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द २ सफा ४८७ रजीत बनाम-शिवप्रसाद)—

लेकिन साहबान जज ने इस मुकदमा में जाब्ता दीवानी की दफा ५५९ का हवाला नहीं दिया-अलावा इस के मजमूआ जाब्ता दीवानी सन १८८२ ई० की तरमीम शुदा दफा ५८२ से अब यह बात साफ जाहिर होती है कि अलफाज "मुद्दई" और "मुद्दायलेह" मुन्दर्जा दफा ३२ मजमूआ मजकूर में "अपीलाट" और "रिस्पाडन्ट" शामिल नहीं है, इस लिये मजमूआ जाब्ता दीवानी की दफा ५५९ के बमूजिब किसी शख्स को रिस्पान्डन्ट बनाने के बारे में जो अखत्यार अदालत अपील को हासिल है वह एक्ट मियाद की दफा २२ की रू से नहीं निकाला गया है, क्योंकि दफा ५५९ दफा ३२ से कुछ सरोकार नहीं रखती है और नया रिस्पान्डन्ट उस मियाद के गुजरने पर भी गरदाना जा सक्ता है कि जिसके अन्दर अपील बरखिलाफ उस के दायर होनी चाहिये-जो अखत्यार अदालत को किसी वक्त नया रिस्पान्डन्ट बनाने के बारे में चाहे दरखास्त पर या बिना दरखास्त हासिल है वह इस वजह से निकाला न लिया जावेगा कि एक किसी शख्स की तरफ से नया फरीक ज्यादा करने के वास्ते दरखास्त पेश की गई (इ. ला. रि अलाहाबाद जिल्द १३ सफा ७८ सोहना—बनाम—खालक) वो कलकत्ता जिल्द १२ सफा ६४२ ओरिअन्टलबेंक—बनाम—चौरिपल)—एक मुकदमा में असल करजदार और जमानतदार दोनों पर शुरू में नालिश दायर की गई, लेकिन मुद्दई ने सिर्फ जमानतदार पर अपील दायर की, इस पर हाई कोर्ट की यह तजवीज करार पाई कि एक्ट मियाद की दफा २२ के रू से अदालत का वह अखत्यार महदूद नहीं किया गया है जो उसे अजरूय दफा ५५९ मजमूआ जाब्ता दीवानी के हासिल है जिसके बमूजिब कोई शख्स रिस्पान्डन्ट गरदाना जा सक्ता है (इं. ला रि. कलकत्ता जिल्द ९ सफा २५५ मानिक्रया—बनाम—वगेड़ा)—लेकिन जिस सूरत में किसी मुद्दायलेह के हक में एक ऐसी डिकरी कायम हो जिसकी अपील न

की गई हो और वह मुद्दायलेह मुद्दई की उस अपील के नतीजा से कुछ सरोकार न रखता हो जो मुद्दायलेह सानी (दोयम) के बरखिलाफ दायर की गई है, तो ऐसी हालत में मजमूआ जाब्ता दीवानी की दफा ५५६ के बमूजिब अदालत इस बात की मजाज न होगी कि उस को अपील में रिस्पान्डन्ट गरदाने (इ. ला रि. अलाहबाद जिल्द ५ सफा २६६ आत्माराम-बनाम-बालकिसन)—

एक दूसरे मुकदमा में (कारपोरेशन-बनाम-अंडेरसन इ ला. रि कलकत्ता जिल्द १० सफा ४४५)--असली मुद्दायलेह की इस अर्ज पर कि दूसरा शख्स भी देनदार दावा मुद्दई का है अदालत ने उस को मुद्दायलेह गरदाना, लेकिन मुकदमा में सिर्फ असली मुद्दायलेह पर डिकरी दी गई, इस लिये इस मुद्दायलेह ने मुद्दई के बरखिलाफ अपील की और मुद्दायलेह दोयम को रिस्पान्डन्ट नहीं बनाया--ऐसी हालत में हाई कोर्ट की यह तजवीज हुई कि डिकरी की नाराजी से अपील की मियाद बीत जाने के बाद मुद्दई को नये जोड़े हुए मुद्दायलेह के बरखिलाफ अपील कर ने की इजाजत न दी जावेगी, सिवाय उस सूरत में कि जब वह बमूजिब दफा ५ एक्ट मियाद अदालत को इतमिनान इस बात का कर देवे कि वह अन्दर मियाद अपील न दायर करने के वास्ते काफी सबब रखता था, लेकिन इस मुकदमा में इस अमर पर गौर नहीं किया गया कि आया दूसरा मुद्दायलेह इब्तदाई अपीलों में रिस्पान्डन्ट बनाया जा सक्ता था या नहीं—

अजरूय मजमूआ जाब्ता दीवानी जब किसी मुद्दायलेह का नाम बमूजिब हुक्म अदालत मिसल मुकदमा में दर्ज किया जावे तो उस के मुकाबले में कार्रवाई का शुरू होना उस वक्त समझा जावेगा कि जब उस पर सम्मन तामील किया जावे (देखो दफा ३२ एक्ट नं० १४ सन १८८२ ई० बो इ ला रि कलकत्ता जिल्द १४ सफा ४८० बो ४०१ सुबोदनी कुमार-बनाम-गनोदा)- जाब्ता दीवानी की दफा ३२ के बमूजिब कोई शख्स बतौर मुद्दई बिना रजामन्दी उस के गरदाना नहीं जा सक्ता है—

यह दफा सिर्फ नये मुद्दइयान और मुद्दायलेहुम से ताल्लुक रखती है जो बजात खुद फरीक बनाये जावें--यह दफा उस सूरत में कारगर न होगी

कि जब वही जायज शख्स मुद्दई या मुद्दायलेह बना रहे, लेकिन फरीक मजकूर पर उस के गलत नाम से या गलत मुख्तार के नाम से नालिश दायर की जावे—मसलन, एक मुकदमा में म्युनिसिपल कमेटी पर उन के सेक्रेट्री के नाम से नालिश दायर की गई, हालांकि ऐसी नालिश म्युनीसिपल कमेटी के प्रसीडेन्ट के नाम पर दायर होनी चाहिये था—प्रेसीडेन्ट कमेटी का नाम कायम करने के वास्ते दरखास्त उस वक्त पेश की गई कि जब नई नालिश अगर दायर की जाती तो बेरू मियाद हो जाती—तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि अरजी दावी का इस तरह पर तरमीम करने से नया मुद्दा० लेह का जोड़ना नहीं पाया जाता है (इ ला रि अलाहाबाद जिल्द २ सफा २९६ मान्नी कसौधन—बनाम—क्रक)—

इसी तौर पर हक मुकदमा में मुद्दायलेहुम पर एलजिन्स मिल कम्पनी के नाम से नालिश दायर की गई और इसी नाम से वह कम्पनी तिजारत किया करती थी, लेकिन पीछे से अरजी दावी तरमीम की गई और मुद्दायलेहुम की कोठी से कुल शरीकदारान मुद्दायलेह बनाये गये, तजवीज हाई कोर्ट हुई कि यह सिर्फ सिरनामा के गलती की दुरूस्ती है और उससे किसी नये मुद्दायलेह का नालिश में जोड़ा जाना पाया नहीं जाता है कि जिस से मुकदमा की कारवाई इस दफा के मुताबिक की जावे (इ. ला रि. अलाहाबाद जिल्द ७ सफा २८४ प्रागीलाल—बनाम—मेक्सवेल)—

एक नालिश एक कोठी के मेनेजर याने मुन्तजिम ने अपने ही नाम से दायर की और शरीकदारान कोठी के नाम पीछे से कोठी मजकूर के नाम के बदले में कायम किये गये—तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि यह भी सिरनामा की गलती की दुरूस्ती में दाखिल है (इ. ला रि बम्बई जिल्द १७ सफा ४१३ कसतूरचद—बनाम—सगरमल)—

जब शामिल शरीक हिन्दू घराने का कोई एक शरीकदार अपने ही नाम से शामलाती करजा की वसूली के वास्ते नालिश दायर करे और फरीक सानी की तरफ से घराना मजकूर के दीगर शरीकदारान का मुद्दई न बनाये जाने के बारे एतराज किया, जावे और जिस हालत में ऐसे दीगर शरीकदारान इस बिनाय पर मुद्दइयान न शामिल किये गये हों कि उस वक्त

उन का दावी बेरू मियाद हो चुका; लेकिन उन शरीकदारान ने अपनी रजामन्दी इस बात में जाहिर की कि खुद मुद्दई अकेला नालिश दायर करने का मजाज है, तो तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि ऐसी रजामन्दी से कुल जायज मुद्दयान को शामिल करने की जरूरत दूर नहीं हो सक्ती है, और यह कि बगैर उन के नालिश काबिल समाअत नहीं हो सक्ती है लेकिन अगर वे बजुमरे मुद्दयान शामिल भी किये जाते, ताहम उन का नालिश काबिल खारजी थी, क्योंकि उन का दावा बेरू मियाद हो चुका था–(इ. ला रि. बम्बई जिल्द ७ सफा २१७ कालीदास–बनाम–नाथू)—

जब एक शरीकदार, दीगर शरीकदारान में से सिर्फ एक ही पर शराकत का हिसाब किताब समझा पाने की नालिश दायर करे और वे शरीकदारान जो बर वक्त दायरी नालिश छोड़ दिये गये थे, उस मियाद के गुजर जाने के बाद शामिल किये जावें कि जो अजरूय एक्ट मियाद मुकर्रर है तो ऐसी हालत में नालिश खारिज की जानी चाहिये (इ. ला रि कलकत्ता जिल्द १४ सफा ७९१ रामदयाल–बनाम–जुन मन)—एक नालिश कई लोगों में से कि जो दावा की हुई जमीन पर काबिज थे एक पर दायर की गई और बाकी के लोग पीछे से शामिल किये गये, हालांकि उन के मुकाबले में दावा मुद्दई उस वक्त बेरू मियाद हो गया था, तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि पीछे से शामिल किये हुए फरीकैन के मुकाबले में नालिश मुद्दई खारिज होनी चाहिये (इ. ला रि कलकत्ता जिल्द ७ सफा २८४ उमीचरन–बनाम–कृतार्थ)—

जिन लोगों का नाम मिसल में नालिश की दायरी के वक्त से बतौर मुद्दयान के दर्ज होवे फरीक मुकदमा समझे जावेंगे हालां कि उन में से सिर्फ अरजीदावी पर तसदीक वो दस्तखत करें और सिर्फ इस वजह से उन की असली हैसियत में कुछ नुकसान न होगा कि अदालत ने पीछे से दीगर लोगों को मुद्दई बनाने का हुक्म दिया (इ ला रि. कलकत्ता जि० ७ सफा ५८० गंगली–बनाम–गुरन)—

अगर किसी मुद्दायलेह का नाम मुद्दायलेह की फेहरिस्त से खारिज करके मुद्दयान की फेहरिस्त में दर्ज किया जाय तो इस से यह न समझा जावेगा

कि हस्ब मनशा दफा २२ एक्ट मियाद कोई नय मुद्दई बढ़या गया (इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द १८ सफा ३४२)—

अगर किसी मन्दर के देवता की तरफ से नालिश मेनेजर के नाम से दायर की जाय तो नालिश इस बिनाय पर खारिज न की जायगी कि नालिश मेनेजर ने क्यों दायर की, अलबत्ता अर्जी दावी तरमीम किया जा सक्ता है और उस में यह बात खोली जा सक्ती है कि देवता की तरफ से मदिर के मेनेजर ने नालिश दायर की—इसी तरह मुद्दायलेह की निस्बत कार्रवाई समझी जावे, ऐसी तरमीम का असर यह न समझा जायगा कि मिसल में कोई तीसरा फरीक बढ़ाया गया और न मियाद का कोई सवाल पैदा होगा (इं. के जिल्द ११ सफा ४७).

अगर किसी बेनामीदार पर नालिश अन्दर मियाद दायर की गई हो तो असली शख्स का नाम, जिस ने बेनामीदार के नाम से कार्रवाई की, बाद गुजरने मियाद नहीं जोड़ा जायगा (इ. के जिल्द १८ सफा ३६२).

जब चंद शख्सों के, नाम जो बिला जरूरी फरीक हों, सिर्फ उन के हुकूक की रक्षा के लिये (अगर उन के कोई हकूक) हों, बतौर फरीक मुकदमा में जोड़ दिये गये हों तो दफा २२ एक्ट मियाद लागू न होंगी [ला. बी. जिल्द १ सफा २१२]

अहकाम दफा २२ फिकरा (१) एक्ट मियाद उन सूरतों में भी लागू होंगे जब कि किसी फरीक का नाम मिसल में अदालत के हुक्म से आर्डर न. १ कायदा १० फिक़रा २ मजमूआ जाब्ता दीवानी की रू से बढ़ाया गया हो, अगर किसी फरीक ने अपना नाम अपनी खुशी से दरखास्त देकर बढ़वाया हो तो उस से मुद्दई के हक पर वो एक्ट मियाद के आम अहकामात के लागू करने में कुछ असर न होगा [मद्रास ला जरनल जिल्द २६ सफा ४४१]

लगातार खिलाफ वर्जी और अमूर नाजायज.

दफा २३—जब किसी ठहराव यानी माहदा की टूट लगातार जारी रहे और दर सूरत जारी रहने नुकसानी निस्बत किसी अमर न जायज के, जो, माहदा यानी ठहराव से ताल्लुक न रखता हो, तो जितने अरसा तक माददा की टूट या अमर नाजायज का सिल-

सिला जारी रहा, जैसी कि सूरत हो, उस में से हर लेहज़ा (वक्त) पर नई मियाद समाअत का शुरू होना समझा जायगा—

तशरीह—इस दफ़ा का मतलब यह है कि जब किसी ठहराव की टूट अर्थात उस के विरुद्ध किया जाना जारी रहे और जब कोई नाजायज काम की नुकसानी बिला सरोकार किसी माहदा के जारी रहे तो ऐसी हालत में उस अर्से की हर सायत पर कि जब तक माहदा की टूट या नुकसानी जारी रहे नई मियाद शुरू होगी—

करजा अदा करने या मोल लिये हुए माल की हवालगी लेने का लगातार इन्कार उल्लघन सिलसिलेवार में दाखिल नहीं है (इ ला रि अलाहाबाद जिल्द १० सफा ८५ वो ९२ मसव—बनाम—गुलाब).

बाज जमीन के खरीदार ने जमीन मजकूर के बेचने वालों को कुछ फीस सालियाना के अदा करने को इकरार किया और यह शर्त भी ठहरी थी कि रकम मजकूर की अदाई में अगर कुसूर किया जावे तो बेचने वाला फरीक जमीन के कुछ हिस्से पर हक्कीयत मालिकी के पाने का मुस्तेहक होगा—लेकिन खरीदारों ने ऊपर लिखी फीस कभी अदा नहीं किया—तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि यह सिलसिले वार उल्लंघन माहदा में दाखिल नहीं है, हालांकि माहदा की लगातार खिलाफ वरजी वकूअ में आई हो (इ. ला. रि अलाहाबाद जिल्द ४ सफा ५१३ भोजराज—बनाम—गुलसम)—हिन्दू औरत का उस के खाविन्द के पास जाने से इन्कार करना और एक तीसरे शख्स का उस औरत को अपने पास रोक रखना और उस के खाविन्द के पास न जाने देना अमर नाजायज सिलसिलेवार में दाखिल है और तलब करने वो इन्कार करने पर हर वक्त बिनाय मुखासमत नालिश पैदा होती है (इ. ला. रि बम्बई जिल्द १६ सफा ७१५ हेमचन्द—बनाम—शिव)

एक शख्स ने अपनी दीवाल में ६ साल पहिले एक दरवाजा बनाया और वह मुद्दई की जमीन पर की रास्ता को इस्तेमाल किया करता था—मुद्दई ने मुद्दायलेह पर हुक्म इमतनाई जारी कराने के लिये और उस को अपनी जमीन पर जाने से रोकने के लिये नालिश दायर किया—तजवीज हाई कोर्ट हुई कि बिनाय दावा मुद्दई इस किस्म का है कि जो हस्ब मन्शा दफा २३ एक्ट

कि हस्ब मनशा दफा २२ एक्ट मियाद कोई नय मुद्दई बढ़या गया (इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द १८ सफा ३४२)—

अगर किसी मन्दर के देवता की तरफ से नालिश मेनेजर के नाम से दायर की जाय तो नालिश इस बिनाय पर खारिज न की जायगी कि नालिश मेनेजर ने क्यों दायर की, अलबत्ता अर्जी दावी तरमीम किया जा सक्ता है और उस में यह बात खोली जा सक्ती है कि देवता की तरफ से मंदिर के मेनेजर ने नालिश दायर की—इसी तरह मुद्दायलेह की निस्बत कार्रवाई समझी जावे, ऐसी तरमीम का असर यह न समझा जायगा कि मिसल में कोई तीसरा फरीक बढ़ाया गया और न मियाद का कोई सवाल पैदा होगा (इं. के जिल्द ११ सफा ४७).

अगर किसी बेनामीदार पर नालिश अन्दर मियाद दायर की गई हो तो असली शख्स का नाम, जिस ने बेनामीदार के नाम से कार्रवाई की, बाद गुजरने मियाद नहीं जोड़ा जायगा (इ. के जिल्द १८ सफा ३९२).

जब चंद शख्सों के, नाम जो बिला जरूरी फरीक हों, सिर्फ उन के हुकूक की रक्षा के लिये (अगर उन के कोई हकूक) हों, बतौर फरीक मुकदमा में जोड़ दिये गये हों तो दफा २२ एक्ट मियाद लागू न होगी [ला वी जिल्द १ सफा २१२].

अहकाम दफा २२ फिकरा (१) एक्ट मियाद उन सूरतों में भी लागू होंगे जब कि किसी फरीक का नाम मिसल में अदालत के हुक्म से आर्डर नं. १ कायदा १० फिकरा २ मजमूआ जाब्ता दीवानी की रू से बढ़ाया गया हो, अगर किसी फरीक ने अपना नाम अपनी खुशी से दरखास्त देकर बढ़वाया हो तो उस से मुद्दई के हक पर वो एक्ट मियाद के आम अहकामात के लागू करने में कुछ असर न होगा [मद्रास ला जरनल जिल्द २६ सफा ४४१]

लगातार खिलाफ वरजी और अमूर नाजायज.

दफा २३—जब किसी ठहराव यानी माहदा की टूट लगातार जारी रहे और दर सूरत जारी रहने नुकसानी निस्बत किसी अमर नाजायज के, जो, माहदा यानी ठहराव से ताल्लुक न रखता हो, तो जितने अरसा तक माहदा की टूट या अमर नाजायज का सिल-

लोगों के ख्यालात में कम हो जावे और उस से उस की बदनामी भी हो, तो ऐसी हालत में हतक मिले हुए लफ्जों या कलमों के बोलने वाले पर नालिश बिला साबित करने किसी खास हरजा के हो सकती है (इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द १२ सफा १०६ इबनेहसन-बनाम-हैदर)

एक आम सड़क पर दरवाजा खोला गया और उस दरवाजा खोलने से मुद्दई और आम लोगों को कुवे पर जाने और पानी लाने में अड़चन पड़ने लगी—तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि नालिश मुद्दई नहीं चल सक्ती जब तक कि वह यह साबित न कर सके कि उस को कोई खास नुकसान या हरजा हुवा (इ. ला रि. मद्रास जिल्द १४ सफा १७७)—

शुमार उस मुद्दत का जो दस्तावेजात में दरज रहे

दफा २५ तमाम लिखवटो का तहरीर पाना इस दफा की गरजों के वास्ते मुताबिक अंग्रेजी कलन्दरह गिरीगोरी के समझा जावेगा.

तमसीलें.

(अ) एक हिन्दू ने एक प्रामेसरी नोट लिखा जिस पर सिर्फ हिन्दी तारीख लिखी थी और वह तारीख तहरीर से चार महिने केबाद वाजिबुलअदा था--इस सूरत में मियाद समाअत जो प्रामेसरी नोट की नालिश से मुताल्लुक है अंग्रेजी कलन्दरह गिरीगोरी के मुताबिक चार महिने के गुजर जाने की तारीख से शुमार की जायगी.

(ब) एक हिन्दू ने तमस्सुक लिखा जिस में एक साल के अन्दर रूप्या के अदा करने की सिर्फ तारीख हिन्दी लिखी थी–इस सूरत में मियाद समाअत नालिश तमस्सुक की उस एक साल के गुजर जाने की तारीख से शुरू होगी जिस का शुमार मुताबिक अंग्रेजी कलन्दरह गिरीगोरी के किया जाए

मियाद लगातार जारी रहने वाला समझा जा सक्ता है, मुद्दायलेह के हर वक्त आने जाने को मुखासमत करने पर ताजा बिनाय दावा पैदा होगा (अलाहाबाद ला जरनल जिल्द १२ सफा ११५०)

दफा २४—जब कोई नालिश बाबत हरजा ऐसे फैल के हो जो किसी बिनाय दावी को नहीं पैदा करता है, सिवाय उस सूरत में कि जब कोई खास नुकसान सचमुच में उस से बतौर नतीजा के निकले तो मियाद उस वक्त से शुमार की जाएगी कि जब वह नुकसान बतौर नतीजा फैल मजकूर के निकला हो—

नालिश बाबत हरजा ऐसे फैल के जो बगैर खास नुकसानी काबिल रूजू नालिश न हो

तमसील

एक खेत की ऊपर की धरती का मालिक अमरसिंग है और बेनीसिंग जमीन के नीचे का भाग का मालिक है-बेनीसिंग उस में से, बगैर इस के कि कोई हाल का जाहिरी नुकसान ऊपरी भाग धरती को पहुंचे, कोयला निकालता है लेकिन आखीर को वह सतह जमीन की नीचे बैठ गई-इस सूरत में मियाद समाअत बमुकदमा नालिश अमरसिंग-बनाम-बेनीसिंग धरती बैठ जाने के वक्त से शुमार की जायगी

तशरीह—इस दफा का मतलब यह है कि जब तक कोई खास नुकसान न हो तो नालिश हरजा न चल सकेगी और जब कोई नुकसान दर असल हुआ हो तो नालिश की मियाद उस वक्त से शुरू होगी जब कि नुकसान मजकूर वकूअ में आया--

कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक मुकदमा में यह तजवीज की है कि हाला कि हर किस्म के गाली गुस्ता की जबान के निस्बत नालिश दायर नहीं हो सक्ती है, ताहम तारीफ अजाल हैसियत उरफी मुन्दरजा ताजीरात हिन्द, को गौर के साथ देखने से यह पाया जाता है कि जिस बोली या जबान से किसी की हतक होनी हो या किसी इज्जतदार शख्स की इज्जत उस के फिरके के

कलन्दरह गिरीगोरी के मुताबिक होना चाहिये (इ ला रि. बम्बई जिल्द ४ सफा १०३ नीलकठ--बनाम--दत्तात्रय) – मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने भी बमुकदमा सी पी ला. रि. जिल्द ११ सफा ९१ (भैयालाल बानी- बनाम--जमना दास पोतदार) यह तजवीज की है कि उस मुद्दत का शुमार कि जिस के अन्दर किसी करजे का अदाई होनी चाहिये एक्ट मियाद की गरज के वास्ते अंग्रेजी कलन्दरह (गिरीगोरी) के मुताबिक होना चाहिये.

एक्ट काश्तकारी मध्य प्रदेश की रूसे नालिश बेदखली काश्तकार काश्तकारी साल के जो १ जून को शुरू होता है शुरू होने के १० हफ्ते के अन्दर दायर हो चाहिये (सी पी ला. रि जिल्द १ सफा ९९)



तशरीह—इस दफा में बतलाया गया है कि मियाद मुताबिक अंग्रेजी तारीख या कलदरे के शुमार की जावेगी, न कि हिन्दी; फसली, या हिजरी सन के मुताबिक—जब किसी लिखोट में हिन्दी तारीख पड़ी हो तो पंचाग या जन्त्री में देख कर उस की अंग्रेजी तारीख निश्चित करके मियाद शुमार की जावे और देखा जावे कि कोई नालिश या अपील या दरखास्त अन्दर या बेरू मियाद है.

एक तमस्सुक में यह शर्त लिखी थी कि जर करजा तीस तारीख पूस बगाली सबत १२८३ को अदा किया जावेगा—लेकिन मौका ऐसा आया कि १२८३ के पूस के महिना में सिर्फ २६ दिन थे—इस लिये पूस का २६ वा दिन मुताबिक तारीख १२ जनवरी सन १८७७ ई० के था–तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि जो नालिश तारीख ११ जनवरी सन १८८० ई० को दायर की गई वह अन्दर मियाद थी (इ ला. रि. कलकत्ता जिल्द ६ सफा २३६ अलमास बानी–बनाम–मोहम्मद)—अदालत ने यह भी तजवीज की कि फरीकैन का यह इरादा था कि जब तक पूस महिना के शुरू होने की सायत से तीस दिन न गुजर जावें तब तक जर करजा वाजिबुल अदा न होगा.

एक दस्तावेज तारीख २६ दिसम्बर सन १८८१ ई० को लिखा गया था और उस में रूप्या की अदाई का करार दो साल का था–तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि बिनाय मुखास्मत तारीख २६ दिसम्बर सन १८८३ ई० को पैदा हुई (इ. ला. रि. बम्बई जिल्द १२ सफा ६१७ बेंकर–बनाम–लछमन)

एक दस्तावेज में सिर्फ यह इबारत लिखी थी–"माह कारतिक याने चार महिना में" जर करजा अदा किया जावेगा–तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि तारीख तहरीर दस्तावेज से चार महिना अंग्रेजी कलन्दरह के हिसाब से शुमार करना चाहिये, हालाकि इस तौर पर शुमार करने से कारतिक के बाद मियाद बढ़ जावे (इ. ला. रि बम्बई जिल्द ६ सफा ८३ रगो–बनाम–बाबाजी)—जिस दस्तावेज में सिर्फ हिन्दुस्थानी तारीख लिखी हो और जर करजा की अदाई का करार कुछ मुद्दत के गुजरने पर हो, यानी दस्तावेज मजकूर में करार चाहे कुछ महिना का लिखा हो या साल का, तो ऐसी सूरत में दस्तावेज की मियाद का शुमार अंग्रेजी

मानो बएवज अलफाज "बीस बरस" के अलफाज "साठ साल" कायम किये गये हैं

समझावना—इस दफा के मायने के मुताबिक कोई अमर मुजाहिमत मे दाखिल नहीं होगा सिवाय उस सूरत में कि जब दावीदार को छोड कर किसी और शख्स के फैल से मुजाहिमत होने के बाइस कब्जा या इस्तेहकाक मिलने फायदा का वाकई में कायम न रहा हो, और सिवाय उस हाल में कि जब उस मुजाहिमत से और उस शख्स से जिसने कि मुजाहिमत की या जिस की इजाजत से मुजाहिमत की गई दावीदार के मुत्तलह होने के बाद एक साल तक खामोशी अख्त्यार की गई हो, या मंजूर कर लेना समझा जाता हो.

तमसीलें

(अ) सन १९११ ई० मे एक नालिश रास्ता के इस्तेहकाक मे मुजाहिमत किये जाने के बारे मे दायर की गई—मुद्दायलेह ने मुजाहिमत से इकबाल करके रास्ता के इस्तेहकाक से इंकार किया—मुद्दई ने यह साबित किया कि वह इस्तेहकाक बिला मुजाहिमत और अलानिया तौर पर उसको हासिल था, और उस ने इस्तेहकाक का दावी इस बिना पर किया कि उसको फायदा उस रास्ते से बतौर आसायश और हक के बिना मुजाहिमत पहिली जनवरी सन १८९० ई० से पहिली जनवरी सन १९१० ई० तक लगातार होता रहा—इस सूरत में मुद्दई दादरसी पाने का हकदार है

(ब) उसी तरह की नालिश में मुद्दई ने साबित किया

हिस्सा ४.

हुसूल मालकियत बजरिये कब्जा.

दफा २६—(१) जब कि गुजर और फायदा रोशनी या हवा का किसी मकान में या किसी मकान के लिये मकान के साथ अमन चैन से बतौर आसायश और बतौर इस्तेह्काक के बिला कोई रोक टोक के और बीस बरस के अरसा तक होता रहा हो;

हुसूल इस्तेहकाक आसायशी के बारे में.

और जिस हाल में कि किसी रास्ता जमीन या पानी बहने की नाली से या किसी पानी के फायदा से या और किसी आसायश से (जो किसी शय के होने में हो या न होने में हो अमन चैन के साथ और अलानिया (जाहरा) तौर पर, कोई शख्स, जो उस के इस्तेह्काक का दावीदार हो, बतौर आसायश और हक्क के बिला रोक टोक किसी के और बीस बरस तक फायदा उठाता रहा हो;

तो हक्क उस गुजर और फाकदा रोशनी या हवा का या रास्ता या पानी के चाल या पानी के फायदा या आसायश का कतई और गैर जायल होगा.

हर सूरत में बीस बरस की ऊपर लिखी हुई मियाद ऐसी मियाद होगी कि जो जिस दावी से वह मियाद मुताल्लुक है उस की मुजाह्मित की नालिश रूजू होने के एन दो बरस पेश्तर के भीतर खतम होती हो.

(२) जब वह जायदाद कि जिस की निसंबत शिकमी दफा [१] की रू से दावी किया गया है मिलाकियत सरकार होवे तो वह शिकमी दफा इस तरह पढी जावेगी कि

मानो बएवज अलफाज "बीस बरस" के अलफाज "साठ साल" कायम किये गये हैं

समझावना—इस दफा के मायने के मुताबिक कोई अमर मुजाहिमत मे दाखिल नहीं होगा सिवाय उस सूरत में कि जब दावीदार को छोड कर किसी और शख्स के फैल से मुजाहिमत होने के बाइस कब्जा या इस्तेहकाक मिलने फायदा का वाकई मे कायम न रहा हो, और सिवाय उस हाल में कि जब उस मुजाहिमत से और उस शख्स से जिसने कि मुजाहिमत की या जिस की इजाजत से मुजाहिमत की गई दावीदार के मुत्तलह होने के बाद एक साल तक खामोशी अख्तयार की गई हो, या मंजूर कर लेना समझा जाता हो

तमसीलें.

(अ) सन १९११ ई० में एक नालिश रास्ता के इस्तेहकाक में मुजाहिमत किये जाने के बारे में दायर की गई—मुद्दायलेह ने मुजाहिमत से इकबाल करके रास्ता के इस्तेहकाक से इंकार किया—मुद्दई ने यह साबित किया कि वह इस्तेहकाक बिला मुजाहिमत और अलानिया तौर पर उसको हासिल था, और उस ने इस्तेहकाक का दावी इस बिना पर किया कि उसको फायदा उस रास्ते से बतौर आसायश और हक के बिना मुजाहिमत पहिली जनवरी सन १८९० ई० से पहिली जनवरी सन १९१० ई० तक लगातार होता रहा—इस सूरत में मुद्दई दादरसी पाने का हकदार है.

(ब) उसी तरह की नालिश में मुद्दई ने साबित किया

कि वह हक बिला मुज़ाहिमत और अलानिया तौर पर बीस बरस तक उसको हासिल रहा—मुदायलेह ने साबित किया कि मुद्दई ने उस बीस बरस के अन्दर एक मर्तबा मुदायलेह से इजाजत उस हक के इस्तफादा की मांगी थी— इस सूरत में नालिश खारिज की जायगी--

तशरीह:—इस दफा में फिकरा नम्बर (२) नया जोड़ा गया है और पुरानी दफा में जो तमसील (ब) थी वह छोड़ दी गई है—

इस दफा का यह मतलब है कि जब रोशनी या हवा या रास्ता या पानी की नाली या पानी के इस्तेमाल की निस्बत या दीगर आसायशी बात का फायदा या इस्तहकाक किसी शख्स को २० साल तक हासिस रहा हो, तो उसका वैसा हक बतौर कतई वो नातिक (यानी अमिट) के समझा जावैगा और उस में कोई शख्स रोक टोक या मजाहमत न करने पावेगा, और २० बरस की शुमार उस मुद्दत से उस मुद्दत तक किया जावेगा कि जो तारीख दायरी नालिश के २ बरस पहिले खतम हो, जैसा कि तमसील (अ) में समझा गया है—

तमसील (ब) में जो नालिश खारजी बतलाई गई है उस का सबब यह है कि वैसे बीस साल के अरसे के अन्दर मुद्दई का मुदायलेह से रास्ते से फायदा उठाने की निस्बत इजाजत मांगना यह बात जाहिर करेगा कि मुद्दई का इस्तेहकाक अमन चैन के साथ या बिला रोक टोक के नहीं था— अगर ऐसा होता तो वह मुदायलेह की इजाजत न मांगता—

इस दफा के लागू होने के लिये २० साल तक इस्तेहकाक से फायदा उठाना जरूर होगा—यह जरूर नहीं है कि दर असल इस्तेहकाक इस्तेहमाल हो, इतना सबूत करना काफी होगा कि मुकर्रर की हुई मियाद तक किसी इस्तेहकाक से हकीकत में फायदा उठाया गया—जब यह पाया जावे कि तालाब का पानी मुदायलेह की जमीन सींचने के काम में हमेंशा से लगाया जाता था, और यह कि जब कभी जरूरत पड़ती थी मुदायलेह काम में लाता था और यह कि मुदायलेह की जमीन पानी से २० साल से ज्यादा अरसे

तक सींची जाती थी, तो ऐसी सूरत में तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि मुद्दायलेह ने अपना हक, जिस में किसी दूसरे शख्स का दखल न था, निस्बत इस्तहमाल पानी तालाब वास्ते सींचने अपने खेत के साबित कर दिया—जब पानी सींचने के लिये बन्धी के सूराखों में से लिया जाता हो और जो सूराख कि पानी की उचाई निचाई के सबब साल ब साल मुतफ़र्रिक मुकामों पर थे, तो ऐसी सूरत में यह न समझा जायगा कि तरीके इस्तेहमाल में कोई ऐसा कच्चापन था जिससे कि मामला अनीश्चित हो जाय (कलकत्ता ला जरनल जिल्द १२ सफा ६७०)—

जब कभी रास्ते के इस्तेमाल के निस्बत बतौर हक दावा किया जाय तो ऐसे हक के तसफिया करने में अदालत नीचे लिखी बातों पर लिहाज करेगी—

(१) दावा करने के वजूहात किस किस्म के हैं

(२) किस अर्से तक वैसे इस्तेकाक का इस्तेहमाल किया गया जिस का दावा किया जाता है

(३) फरीकैन का आपसी ताल्लुक या रिश्ता क्या है—

(४) इस्तेमाल किन हालतों में हुआ, अगर फरीकैन एक दूसरे के रिश्तेदार या पड़ोसी हो और अगर मुद्दायलेह के उठान का इस्तेमाल कभी २ या हमेशा मुद्दई किया करता था तो ऐसा इस्तेमाल बतौर इस्तेहकाक के न समझा जायेगा (कलकत्ता ला जरनल जिल्द १३ सफा ३१६)—

जब किसी नदी में, जिसमें किश्ती चलने लायक पानी हो, मछली मारने का हक किसी खास शख्स को न दिया गया हो कि जिस की रू से दूसरे शख्स उस नदी में मछली न मार सके, और शहादत से यह मालुम हो कि मुद्दई ने उस नदी में मछली मारना सिर्फ वैसे इस्तहकाक से शुरू किया जो आम लोगों को हासिल है, और इस बात की सबूती न हो कि मुद्दई का वैसा हक कब उस की खासगी हक के तौर हो गया, और अगर मुद्दई के वैसे हक में मजाहमत करने के सबब से बाज शख्सों को अदालत फौजदारी से सजा भी हो गई हो, ताहम इससे यह न समझा जा सकेगा कि मुद्दई को उस नदी में मछली मारने का ऐसा खासगी हक हासिल हो चुका कि जिस के सबब से

वह उसी नदी में दूसरे शख्सों के मछली मारने के इसतहकाक में मजाहमत कर सके (कलकत्ता वीकली नोट जिल्द १५ सफा ९७२)—

दफा २६ की रू से पानी में मछली मारने का हक, हक आसायशी में दाखिल होगा अगर कोई शख्स ऐसा आसायशी हक का दावा करे तो उस को यह साबित करना लाजिम होगा कि वैसा हक उस ने तारीख दायरी नालिश के पेश्तर दो साल के अन्दर अमल में लाया था-मजाहमत, मजाहमत में फर्क है-एक मजाहमत तो ऐसी होती है कि जिस में कभी किसी दूसरे शख्स को मछली मारने के हक से बाज रखना, और एक मजाहमत ऐसी होती है कि जिससे हकदार शख्स को उस जगह में कतई आने से रोक रखना—पिछली सूरत मे रंज पहुचने वाले शख्स को अपनी बेदखली की निस्बत नालिस दायर करने का हक होगा (कलकत्ता ला जरनल जिल्द १४ सफा ५७२)

इखराज व हक्क उस शख्स के जिस की तरफ वह शै जिस में हक्क आसायश का बोझा हो फिर वापस आये

दफा २७. जब कोई जमीन या पानी जिस के ऊपर या जिस से फायदा या हुसूल किसी आसायश का होता रहा है अजरूय या ब वसीला किसी हक्कीयत के एक शख्स की हयात जीतेजी तक या तारीख अताय से तीन साल से जियादा अरसा तक उस के कबजा मे हो तो उस आसायश के हुसूल की मुद्दत जो दर असनाए कायम रहने उस हकियत या मियाद के हो ऊपर लिखी हुई बीस बरस की मुद्दत के शुमार में उस सूरत में हिसाब मे न ली जायगी जब कि दावी की निसबत उस हकियत या मियाद के गुजर जाने के बाद तीन बरस के अन्दर उस शख्स ने, जो उस आराजी या पानी पर बर वक्त उस के गुजरने के इस्तेहकाक रखता हो, एतराज किया हो.

तमसील.

अमरसिंग ने बगरज इस्तकरार इस अमर के नालिश दायर की कि वह बेनीसिंग की आराजी पर रास्ता का इस्तेहकाक रखता है—और अमरसिंग ने यह साबित

किया कि वह पचीस वरस तक उस हक से फायदा उठाता रहा है, लेकिन वेनीसिंग ने यह सावित किया कि उस अरसा पचीस साल मे से दस वरस तक एक मुसम्मात केलासी हिन्दू वेवा उस जमीन पर हाकियत हीन हयाती रखती थी और मुसम्मात केलासी के मरने पर वेनीसिंग उस जमीन पर मुसतेहक हुआ, और यह भी सावित किया कि मुसम्मात केलासी के मरने के वाद दो वरस के अन्दर अमरसिंग के इस्तेहकाक की निसवत उसने झगड़ा किया था तो इस सूरत मे नालिश खारिज की जायगी इस सबब से कि अमरसिंग ने वलिहाज अहकाम इस दफा के सिर्फ पंद्रा वरस तक फायदा उस इस्तेहकाक का सावित किया.

एक्ट मियाद नबर १५ सन १८७७ ई० की ऊपर लिखी दफा २६ वो २७ मुल्क मदरास वो मध्य प्रदेश और कुर्ग वो बम्बई और पश्चिम उत्तर देश और मुल्क अवध में जारी नहीं है–ये दोनों दफा बजरिये एक्ट नंबर ५ सन १८८२ ई० दफा ३ के मसूख की गई है–इस लिये इन दोनों दफाओं की तशरीह यहा पर खुलासा के साथ दर्ज नहीं की गई.

हक्क मिलकियत का नष्ट होना

दफा २८ उस मियाद के खतम होने पर जो इस एक्ट के रू से हर शख्स के लिये वास्ते दायर करने नालिश कबजा किसी मिलकियत के मुकर्रर की गई है उस शख्स का हक्क निसबत उस मिलकियत के नष्ट हो जायगा.

तशरीह:—यह दफा कुल ऐसी मिलकियत से ताल्लुक रखती है जिस के कबजा के वास्ते नालिश दायर हो सके, चाहे वह मनकूला हो या गैर मनकूला (इ. ला. रि मदरास जिल्द १३ सफा ४११)

लेकिन यह दफा मिलकियत को छोड़ कर किसी दूसरे किस्म के दावों से ताल्लुक न रखेगी, मसलन, करजे वगैरा चाहे वह मामूली करजा हो या डिग्री का करजा (पंजाब रिकार्ड नबर ३ सन १८८७ ई० गडामल–बनाम–रनछोड़).

क्योंकि दर सूरत करजा वेरू मियाद कानून मियाद से हिन्दुस्तान मे दादरसी का मिलना वन्द हो जाता है लेकिन इस्तेहकाक जायल नहीं हो जाता है (इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द ५ सफा ८९७ नरासिंग दयाल–बनाम–हरीहर)

इसी वजह से नकदी रूपया की डिक्री बाबत जर रहन के वेरू मियाद हो जाने की वजह से जायदाद मरहूना का कबजा पाने का इस्तेहकाक जायल न हो जायेगा (पजाव रिकार्ड नवर ३ सन १८८७ ई० गडामल-बनाम नानकचन्द).

यह दफा सिर्फ उन्ही लोगों से ताल्लुक रखती है जो जायदाद के कबजे के वाहर हो और जिन्हो ने कबजा पाने के इस्तेहकाक को गुमा दिये हों, इस लिये वे लोग जो काबिज हों और जिन को नालिश करने का मौका नहीं मिलता है इस दफा का अमल नहीं कर सक्ते हैं और न उन को इस बात की मनाई होगी कि वे अपना कवजा कायम रखने की गरज से कोई कानूनी जवाब पेश न करें (इ. ला रि. मदरास जिल्द १७ सफा २५५ सुन्द्रा–बनाम–आर).

दफा २८ का असर सिर्फ मालिक जमीन के हक जायल करने का नहीं है बलिके काबिज के हक पर असर रखेगा अगर उस का कवजा बमुकाबले मालिक के जमीन पर से निकल जाय (ला जरनल जिल्द ११ सफा ६२५).

इस मुकदमे में यह तजवीज करार पाई कि गो डिकरी खिलाफ मुद्दायलेह अमरसिंग मियाद गुजर जाने से इजरा नहीं की जा सक्ती, ताहम उस की रू से हक डिकरीदार का कायम रहेगा, और गो वैसा हक खिलाफ अमरसिंग इजरा डिकरी से अदालत की मारफत अमल में न लाया जा सके, ताहम डिकरीदार मजाहमत करने वालों को मय अमरसिंग के भी वेदखल करके जायदाद पर दाखिल हो सक्ता है (बम्बई ला. रि. जिल्द १२ सफा ६५७)

एक हिन्दू मा ने ने वहैसियत वली अपने नाबालिग बेटों की कुछ जमीन बेच ढाली नाबालिगों ने बालिग होने के ३ बरस से ज्यादा के अरसे के बाद मगर तारीख इन्तकाल जायदाद से बारा साल के अन्दर [illegible] दिला बारा साल के अन्दर पाने की ना[illegible] किया–तजवीज हा[illegible] करार पाई कि नालिश वेरू मियाद थी [illegible] का हक [illegible] २८ वो मद ४४ एक्ट मियाद बालि[illegible] ताल बाद [illegible] केस जिल्द १७ सफा ५२]—

हिस्सा-५.

दरबारे वचत वो मसूखी

बचाव दफा २९—(१) इस एक्ट की कोई इबारत —

(क) हिन्दुस्थान के एक्ट माहदा सन १८७२ ई० की दफा २५ से ताल्लुक न रखेगी, और,

(ख) न किसी ऐसे मियाद की मुद्दत को तबदील करेगी या उस पर असर डालेगी जो बजरिये खास या मुकामी कानून के, जो अब ब्रिटिस इंडिया में चालू होवे या आयन्दा जारी होगा, किसी नालिश या अपील या दरखास्त के वास्ते मुकर्रर की गई हो

(२) इस एक्ट का कोई मजमून उस नालिशात में लागू न होगा जो हिन्दुस्थान के एक्ट स्मोल कोज कोर्ट के बमूजिब दायर की जावे

(३) दफा २६ वो २७ और तारीफ लफ्ज "इस्तफादा" मुन्दरजा दफा २ ऐसी सूरतों से ताल्लुक न रखेगी जो उन प्रान्तो में पैदा होवें कि जहा पर हिन्दुस्थान का एक्ट इस्तफादा [दादरसी सन १८८२ ई० का उस वक्त जारी होवे.

तशरीह:—इस दफा में यह बतलाया गया है कि एक्ट मियाद नम्बर ९ सन १९०८ ई० किन २ एक्टों वो अमूरात से ताल्लुक न रखेगा.

हम विस्तरी के निसबत नालिश दायर करने का हक एक ऐसा इस्तहकाक है कि जो अजरूए अहकामात दफा २८ एक्ट मियाद नष्ट न होगा (इलाहाबाद ला जरनल जिल्द ९ सफा ७८४)

एक्ट मियाद के आम अहकामात इन नालिशात वो दीगर कार्रवाई में लागू

होंगे जो कि दूसरे एक्टों की रूसे दायर की जाय और जिन में मियाद के निसबत खास मुद्दत मुकर्रर हो, मगर वे कानून खुद मुकम्मिल न हो और अलफाज "असल या तबदील करना" सिर्फ मियाद मुकर्रा से मुताल्लिक होंगे, न कि उस तरीके से जिस तरीके से मियाद शुमार की जाती है—दफा ४६ (४) एक्ट दिवालिया प्रान्तीय के बनाये जाने की जरूरत नहीं मालुम होती मगर जरूरत थी या नहीं वह एक्ट मियाद के आम अहकामात को गैर मुताल्लिक नहीं करार देते एक्ट दिवालिया प्रान्तीय, गो वह ब्रटिश इंडिया के बहुत से हिस्सों में जारी है, दफा २६ की गरज के लिये बतौर एक खास कानून के समझा जायगा, क्योंकि उस के जरिये एक खास किस्म का अखत्यार समाअत पैदा होता है और उस में कानून की एक खास बात का जिक्र दर्ज है [इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ३४ सफा ४९६]

हुक्म निसबत उन नालिशात के कि जिन के लिये मियाद उस मुद्दत से कम हो जो अजरूय एक्ट मियाद हिन्द सन १८७७ ई० के मुकर्रर है

दफा ३०—चाहे इस एक्ट में कुछ भी हुक्म दर्ज होवे ताहम हर नालिश, कि जिसके लिये वह मुद्दत मियाद जो इस एक्ट की रू से करार दी गई है उस मुद्दत से कम होवे कि जो अजरूय एक्ट मियाद हिन्द सन १८७७ ई० के मुकर्रर है इस एक्ट के जारी होने के बाद ही दो साल के भीतर दायर की जा सक्ती है या उस मुद्दत के अन्दर दायर की जा सक्ती है कि जो हिन्दुस्थान के एक्ट मियाद सन १८७७ ई० की रू से मुकर्रर हों, यानी इन दोनों मुद्दत में से जो पहिले गुजरती हो उस के अंदर दायर की जा सक्ती है.

तशरीह:—यह दफा नई है और इस में उन सूरतों का जिक्र है कि जिन में मियाद की मुद्दत नये एक्ट मियाद न. ९ सफा १९०८ ई० की रू से कम कर दी गई है, मसलन अगर किसी नालिश की मियाद पुराने एक्ट १५ सन १८७७ ई० की रूसे ६० साल की मुकर्रर हो और नये एक्ट न. ९ सन १९०८ ई० की रू से १२ साल की मुकर्रर हों तो अगर १२ साल गुजर चुके हों तो नये एक्ट के जारी होने के बाद २ साल के अन्दर तक नालिश दायर हो सकेगी, या अगर १२ साल की मियाद न गुजरी हो तो १२ साल के अन्दर नालिश

हो सकेगी—यह दफा दरखास्तों से, मसलन, एक तरफा डिगरी के रद्द कराने की दरखास्तों से लागू न होगी [इ ला. रि मद्रास जि ३५ सफा १७८]

दफा ३० का अमल सिर्फ ऐसे मुकद्दमात में ही न होगा जिन में मियाद की मुद्दत जाहरा तौर पर तबदील हुई हो, बलकि यह दफा उन नालिशात से भी ताल्लुक रखेगी जिन में मियाद की मुद्दत बसबब बदलने शकल मुकद्दमें की तबदील हो गई हो (कलकत्ता वी. नोट जि १८ सफा ७७०).

उन नालिशों के बारे में अहकामात कि जिन के लिये उस मुद्दत से कम की मियाद मुकर्रर है कि जो अजरूय एक्ट मियाद हिन्द सन १८७७ ई० में करार दी गई है—

दफा ३१ (१) चाहे इस एक्ट में या हिन्दुस्तान के एक्ट मियाद सन १८७७ ई० में कुछ भी हुक्म दर्ज हो ताहम उन मुल्कों में कि जिनकी तफसील दूसरे जमीमा में लिखी है नालिश बैयात या नालिश नीलाम जो मुर्तहिन की तरफ से इस एक्ट के जारी होने की तारीख से दो बरस के अन्दर या उस तारीख से साठ साल के भीतर दायर की जा सकी है कि जब वह रकम वाजिबुलअदा हो गई कि जो रहननामा की रू से पाना निकलती हो, यानी इन दोनों मुद्दतों में से जो पेश्तर गुजर जावे उसके भीतर दायर हो सकी है, और कोई नालिश जो ऊपर लिखे मुल्कों में ऊपर बतलाई हुई मुद्दत साठ साल के अन्दर दायर की गई हो और जो इस एक्ट के जारी होने की तारीख को मुल्तवी हो, चाहे अदालत इब्तदाई में या अदालत अपील में, इस बिना पर खारिज न की जावेगी कि उसमें बारा साल का कायदा लागू होता है—

(२) जिस हाल में कि ऊपर लिखे मुल्कों में मुर्तहिन की तरफ से दावी बैयात या नीलाम पूरे तौर पर या उसका कोई हिस्सा तारीख २० माह जौलाई सन १९०७ ई० के बाद और इस एक्ट के अमल में आने के पेश्तर खारिज किया गया हो या वापस ले लिया गया हो, चाहे अदालत इब्तदाई या अदालत

अपील से, इस बिना पर कि वैसे दावी के लिये बारा साल की मियाद का कायदा लागू होता है, तो मुकदमा ऐसी अदालत में तहरीरी दरख्वास्त पेश किये जाने पर कायम किया जा सकेगा कि जिसने दावी मजकूर को खारिज किया हो या जहां से वह दावी वापस ले लिया गया हो, बशर्ते कि वह दरखास्त इस एक्ट के जारी होने की तारिख से छे माह के अन्दर पेश की गई हो और इस तरह पर मुकदमा कायम किये जाने की सूरत में शिकमी दफा (१) के अहकामात लागू होवेंगे—

तशरीह:—यह दफा नई है और इस के बनाने की इस सबब से जरूरत पड़ी कि प्री० कौंसिल ने मुकदमा वासुदेव—बनाम—श्रीनिवास (कलकत्ता वीकली नोट जिल्द ११ सफा १००५) यह तजवीज करार दी कि मद न. १४७ जिस में ६० साल की मियाद मुकर्रर है सिर्फ ऐसे रहन की नालिशात में लागू होगा जिन में रहन बतौर अंगरेजी तरीके के किया गया हो, और यह कि नालिशात जो दीगर किस्म के रहननामों के जरिये दायर की जाये उन में मद १३२ की रू से जो १२ साल की मियाद मुकर्रर है वह लागू होगी—इस फैसला के पेश्तर कानून, जैसा कि हाई कोर्ट हाय बम्बई, मद्रास वो अलाहाबाद के फैसलों से मालुम होता है वह यह था कि मद १४७ हर ऐसे रहन की नालिश में लागू हो सक्ता था कि जिस में मुद्दई ने बैबात या नीलाम जायदद चाहा हो, इस का नतीजा यह हुवा कि उन मुल्कों में जिन का जिक्र जमीमा २ में दर्ज है बहुत सी रहन की नालिशों में जिन की मियाद ६० साल यकीन की जाती थीं वे प्रीवी कौंसिल के इस नये फैसले की रू से, जिस का जिक्र ऊपर किया गया है, बेरू मियाद हो जायगी—इस लिये इस दफा में वैसी नालिशात वो मुल्तवी मुकदमात के चलने की निस्बत अहकाम दर्ज किये गये हैं

मुद्दई ने वास्ते दिला पाने रुप्या के जो उसे अज़रूय रहननामा मुवर्खे ४ मार्च सन १८६७ ई० पाना वाजिब था नालिश दायर किया— अखीर तारीख जिस रोज कि नालिश दायर हो सक्ती थी, ४ मार्च सन १६०६ ई० थी, मगर

दफा ३१ की रू से उस वक्त मियाद तारीख ७ अगस्त सन १९१० ई० तक बढ़ी हुई समझी गई, मुद्दायलेह काश्तकार था, इस लिये मुद्दई ने तारीख १५ जून सन १९१० ई० को बमूजिब दफा ३९ एक्ट इमदाद काश्तकारान दखन सन १८७९ ई० इमदाद पहुचाने वाले अफसर के पास वास्ते मिलने सर्टीफिकट दरख्वास्त पेश की—सर्टीफिकट उस को तारीख ८ अगस्त सन १९१० ई० को अता किया गया, मुद्दई अपनी नालिश अन्दर मियाद करार दिये जाने की निस्बत यह वजह बतलाता था कि वह बमोजिब दफा ४८ एक्ट इमदाद काश्तकारान दखन सन १८७९ ई० उस मुद्दत के मुजरा पाने का हकदार है जो उस को अफसर इमदाद पहुचाने वाले के सर्टीफिकट हासिल करने में लगी—तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि नालिश मुद्दई बेरू मियाद थी, क्योंकि दफा ३१ एक्ट मियाद सन १९०८ ई० मे रियायती मियाद मुकर्रर की गई हे और ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सक्ती (बम्बई ला रि. जिल्द १३ सफा २८४)

ता० २२ जून सन १८९१ ई० को मुद्दायलेह के बाप दादा ने मुद्दई के बाप दादा को एक रहननामा तहरीर किया—रहननामा में मियाद ७ साल की थी—बेबात की नालिश सन १९०९ में दायर की गई—मुद्दायलेह का उजर जवाब दावा में यह था कि नालिश बेरू मियाद है—मुद्दई इस उजर के जवाब में दफा ३१ एक्ट मियाद सन १९०८ ई० पर भरोसा करता था—तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि जब कि रहननामा में मुकर्रर की हुई मियाद याने ७ साल के गुजर जाने के बाद १२ साल के अन्दर मुद्दई ने जायदाद मरहूना पर कब्जा पाने का दावा नहीं किया तो नालिश बेबात बेरू मियाद समझी जावेगी—यह भी तजवीज करार पाई कि दफा ३१ की रू से मुद्दई को बेबात की नालिश करने का हक बमोजिब अहकामात एक्ट इन्तकाल जायदाद नहीं मिल सक्ता जब कि ऐसी नालिश उस तारीख को दायर न हो सक्ती हो जिस तारीख से एक्ट मजकूर अमल में आया (इ फे. जिल्द ६ सफा १०३८)

अगर रियायती मियाद जो दफा ३१ की रू से दी गई है वह किसी इतवार के रोज खतम होती हो, तो अगर उस किस्म की नालिशें जिन का जिक्र इस दफा में किया गया है दूसरे दिन याने सोमवार के रोज दायर की जाय तो उस की निस्बत यह न समझा जायगा कि वह मुकर्रर की हुई,

मियाद के अन्दर दायर की गई (बम्बई ला. रि. जिल्द १३ सफा ११५३)—

अगर कोई नालिश बैबात या नीलाम प्रीवी कौंसिल की तरफ से वास्ते तहकीकात मजीद हिन्दुस्तान के किसी अदालत में वापिस की गई हो और ऐसी तहकीकात एक्ट ६ सन १९०८ ई० के जारी होने की तारीख पर न की गई हो, तो वैसी नालिश बैबात की निस्बत यह समझा जायगा कि वह हस्ब मन्शा दफा ३१ जिमन १ एक्ट ९ सन १९०८ ई० मुलतबी थी—(अलाहाबाद ला. जरनल जिल्द ९ सफा५०४)

सादा रहन में जर रहन की अदाई की शर्त जरूर होना चाहिये, अपने हक को बैबात के अखत्यार के साथ मुन्तकिल करना जरूर न होगा, अगर किसी कर्जे की निस्बत जायदाद गैर मनकूला पर बोझा डाला जाय और कर्जे के रुपये की अदाई की शर्त की जाय तो ऐसी सूरत में यह मामला दफा ३१ एक्ट मियाद की मन्शा के लिये बतौर रहन के समझा जावेगा—(मद्रास ला. जरनल जिल्द २३ सफा १३१).

एक रहननामा जिसमें नीलाम की शर्त थी तारीख २६ मार्च सन १८९९ ई० को लिखा गया और उस में यह शर्त थी कि सूद साल ब साल दिया जायगा और अगर किसी साल सूद के अदा करने में राहिन चूक जाय तो वह जायदाद पर कब्जा मुरतहन को दे देगा–रहननामा में वादा की मुद्दत ६ वर्ष की दर्ज थी और यह शर्त थी कि ६ वर्ष में इनफिकाक न किया जाय तो बैबात समझा जायगा, मुरतेहन ने नालिश बैबात मई सन १९१० ई में दायर की—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि नालिश अन्दर मियाद थी (इ. केस जिल्द १३ सफा ५०४)—

दफा ३१ जिमन (२) वैसी दरख्वास्तों में लागू होगा कि जो ऐसे मुकदमें की नालिश नम्बर पर कायम कराने के लिये दी गई हो जो १२ साल की मियाद की बिनाय पर खारिज या वापिस की गई–यह जिमन नई नालिश के लिये लागू न होगा, ऐसी नालिश में जो हस्ब अहकाम दफा ३७४ मजमूआ जाब्ता दीवानी सन १८८२ ई० आर्डर नम्बर २३ कायदा नम्बर २ के दायर की जाय मियाद का कायदा उसी तरह लागू

होगा, मानों कि नई नालिश दायर नहीं की गई—जब कोई नालिश बमूजिब दफा ३७३ मजमूआ जाब्ता दीवानी सन १८८२ ई० इस परवान्गी के साथ वापिस की गई हो कि दूसरी नालिश दायर की जाय और दूसरी नालिश नये एक्ट सन १६०८ ई० के जारी होने के बाद २ साल के अन्दर दायर की जाय तो वह अन्दर मियाद समझी जायगी (अलाहाबाद ला जरनल जिल्द ६ सफा ३७८)—

अगर रियायती मियाद जो दफा ३१ की रू से दी गई है किसी इतवार के दिन खतम होती हो तो नालिश अदालत के खुलने के रोज बमूजिब दफा ४ एक्ट मियाद या दफा १० एक्ट आम जिमन दायर की जा सकेगी—(अलाहाबाद ला. जरनल जिल्द ६ सफा ४३६).

नालिशात मुन्दर्जे मद नम्बर १३२ एक्ट मियाद को दफा ३२ का फायदा नहीं पहुचेगा, (इ. केस जिल्द १५ सफा ८५१).

अलफाज "इस एक्ट के जारी होने की तारीख," जो एक्ट नम्बर ६ सन १६०८ ई० की दफा ३१ में दर्ज हैं और जो एक्ट कि मुन्फ ज़ार में तारीख २८ अगस्त सन १६०८ ई० को जारी किया गया बतौर अलफाज "इस एक्ट को लागू करने की तारीख के" न पढ़े जावेंगे—मगर उन का मतलब वही निकाला जायगा कि जो असली था और जिस के मुताबिक मियाद रियायती २ साल की जो इस दफा की रू से दी गई है तारीख ८ अगस्त सन १९१० ई० रोज सोम्बार को खतम हुई—इस लिये जिन नालिशों की मियाद का दार मदार दफा ३१ पर हो अगर वे तारीख ८ अगस्त सन १६१० के बाद दायर की जावें तो वे बेरू मियाद समझी जावेंगी—(नागपूर ला रि जिल्द ६ सफा ४६)

जो हक एक्ट मियाद सन १८७१ ई० की रू से बेरू मियाद हो गया वह एक्ट १५ सन १८७७ ई० की रू से नये सिरे से कायम नहीं हो सक्ता, इसी तरह से सन १६०८ ई के एक्ट की दफा ३१ की रू से हर ऐसा इस्तहकाक नये सिरे से कायम नहीं किया जा सक्ता कि जो बेरू मियाद हो चुका है—

इस लिये जब एक नालिश जो सन १८६३ ई० के रहन की विनाय पर दायर की गई हस्ब अहकाम एक्ट मियाद सन १८७७ ई० बेरू मियाद होगी तो वह दफा ३१ एक्ट मियाद सन १९०८ ई० की रू से नये सिरे से जानदार नहीं की जा सक्ती (इ ला रि. अलाहाबाद जिल्द ३५ सफा १६७)—

एक बैबात की नालिश जो ऐसे रहन नामा की विनाय पर जो जून सन १८६३ ई० में लिखा गया था दफा ३१ (१) एक्ट ६ सन १९०८ ई० की रियायती मुद्दत के अन्दर दायर की गई, वह अन्दर मियाद समझी गई [इ के जिल्द १६ सफा २९]—

इस बात के तसफिया करने में कि आया कोई रहन अहकाम दफा ३१ जिमन (१) एक्ट मियाद में दाखिल होता है या नहीं, तारीख तहरीर रहननामा से कुछ फायदा नहीं—रहन कायम करने के लिये यह जरूर नहीं है कि राहिन अपना हक मुन्तकिल करे या मुरतहन को यह अख्तयार देवे कि रहन का रूप्या न देने की सूरत में मुरतहन जायदाद को बेच कर अपना रूप्या वसूल करे—अगर किसी दस्तावेज में यह शर्तें भी मौजूद न होवे तो भी वह बमोजिब दफा ५८ एक्ट इन्तकाल जायदाद की मन्शा के मुताबिक बतौर रहननामा करार दिया जा सक्ता है (इ. के. जिल्द २४ सफा २४)—

दफा ३२—जो कवानीन तीसरे जमीमा में दर्ज हैं वे उस मन्सूखी **कदर मंसूख किये जावेगे कि जिसकी बाबत तफसील जमीमा मजकूर के चौथे खाने में दर्ज है—**

तशरीहः—इस दफा की रू से पुराना एक्ट सन १८७७ ई० वो कई कानून जिन की रू से वह तरमीम किया गया था सब मसूख किये गये—जब कोई नया एक्ट बनता है और अमल में आता है तो उस के अमल में लाने में जैसा २ तजुर्बा होता जाता है और जो २ हरकतें या नुक्स पेश आतें हैं उन के दूर करने की गरज से उस एक्ट की तरमीम की जाती है और जब बहुतसी तरमीमें हो जाती हैं तो उन सब को इकट्ठा करके और कुछ रद्द बदल करके नया एक्ट बना लिया जाता है

जमीमा-१.

(देखो दफा ३)

पहिला भाग नालिशात के बारे में

फसल—१ तीस दिन.

मद १—नालिश बाबत मनमूखी फैसला बोर्ड माल, मुताबिक एक्ट नं. २३ सन १८६३ ई० (बगरज मुकर्रर करने क़ायदा वास्ते तसफिया दावा जमीन बंजर के)—तीस दिन—उस तारीख से कि जब इत्तलानामा फैसले का मुद्दई के हवाला किया जावे:—

तशरीह:—यह मद पुराने एक्ट मियाद का है उसके बमूजिब नालिश एक खास अदालत में, जो बमूजिब एक्ट नं २३ सन १८६३ ई० के कायम की गई हो, दावीदार या उजरदार की तरफ से बोर्ड के फैसला की इत्तला मिलने पर दायर की जा सकती है, याने साहब कलक्टर ऐसे फैसले की इत्तला खास अदालत में भेजते हैं और अदालत मजकूर दावीदार या उजरदार को नोटिस देती है—यह मद ऐसी नालिशों से ताल्लुक नहीं रखता है जो सरकार की तरफ से जमीन बंजर पर दावा साबित कराने की गरज से दायर की जावे, उस हालत में कि जब हाकिमान माल ने ऐसे दावियों को मंजूर किये हों—(देखो दफा ५ और दफा ७ एक्ट नं. २३ सन १८६३ ई०) ये नज़ीरें रिपोर्ट जिल्द ५ सफा ! तारानाथदत्त-बनामकलक्टर आफ सिलहट—इस मुकदमा में यह तजवीज हुई थी कि अदालत अपने किसी हुक्म के जोर से मियाद की मुद्दत नहीं बढ़ा सकती है—

फसल २—नब्बे दिन

मद २—नालिश हरजा बाबत करने या न करने ऐसे काम

के जिस्का अमल में आना बमूजिब किसी कानून जो उस वक्त ब्रिटिश इंडिया में जारी हो, बयान किया गया हो—नब्बे दिन-उस तारीख से कि जब उस फैल का करना या न करना अमल मे आया हो—

तशरीह:—जो शख्स इस मद से फायदा उठाना चाहता है उसे यह बतलाना चाहिये कि वह अपना फैल उस खास एक्ट के बमुजिब करने के लिये कि जिसपर यह भरोसा करता है, माकूल वजूहात रखता था, सिर्फ यह कहना काफी न होगा कि उसने अपनी अकल से ख्याल किया (देखो पंजाब रिकार्ड नं १२४ सन १८८१ ई०)—जब इस मद के बमूजिब मियाद का उजर किया जावे तो यह साबित करना चाहिये कि जिस एक्ट पर मुद्दायलेह भरोसा करता है वह उस वक्त और उस जगह पर दर असल जारी था कि जहा और जिस समय वे काम किये गये हैं जिन के बाबत हरजे का दावी किया गया -सिर्फ यह कहना काफी न होगा कि मुद्दायलेह नेक नियतसे के साथ उस एक्ट को प्रचलित समझता था-(पंजाब रिकार्ड न १०५ सन १८८६ ई० जैराम-बनाम-गुरमुखसिंग)—एक मुकद्दमा में एक म्युनिसिपल कमेटी ने कुछ ईंटों पर नाजायज तौर से कबजा करके अपने काम में लाई, लेकिन म्यूनिसिपल कमेटी ने यह फैल किसी ऐसे अख्त्यार से नहीं किया जो कमेटी को अजरूय म्यूनिसिपल एक्ट दिये गये थे—पस ऐसी हालत में यह लाजमी नहीं है कि उन ईंटों की कीमत दिला पाने की नालिश तीन महिने के अन्दर दायर की जावे (पंजाब रिकार्ड न. ७१ सन १८८४ ई० हर भगवान-बनाम-हस्सन)

यह मद सिर्फ नालिशात बाबत हरजा से ताल्लुक रखता है न कि नालिशात वास्ते दिला पाने कब्जा जमीन या इस्तकरार हक से [इ ला रि' कलकत्ता जिल्द ६ सफा ८वो अलाहबाद जिल्द ४ सफा १०२]—यह मद नालिशात नुकसानी बाबत खिलाफ वरजी माहदा (ठहराव की टूट) से ताल्लुक न रहेगा, मसलन, नालिश बाबत दिला पाने कीमत माल जो किसी मुलाजिम सरकारी को दिया गया हो (इ ला. रि. मद्रास जिल्द २ सफा १२४)—यह मद दरखास्त हुक्म इम्तनाई में लागू न होगा (इ ला रि बम्बई जिल्द २२ सफा ६०५) और न यह मद किसी माहदा की खास तामील कराने की नालिश में लागू होगा

(इ ला. रि बम्बई जिल्द २२ सफा १३७)

फसल ३—छे माह

मद ३—नालिश बमूजिब एक्ट दादरसी खास सन १८७७ ई० दफा ६ वास्ते हासिल करने कब्जा जायदाद गैर मनकूला के—छे महिना—उस तारीख से कि जब बेदखली वाके होवे.

तशरीह—जब किसी शख्स का कब्जा किसी जायदाद गैर मनकूला पर चला आता हो और अगर कोई दूसरे शख्स ने उस को कानून के खिलाफ और उस की रजामन्दी के बगैर उस जायदाद से बेदखल कर दिया हो तो वह शख्स जो इस तौर पर बेदखल हुआ है एक्ट दादरसी की दफा ६ के मुताबिक बेदखली की तारीख से छे माह के अन्दर अपनी जायदाद का कब्जा वापस पाने की नालिश कर सक्ता है—ऐसी नालिश में किसी फरीक के हक्क के निसबत कुछ तहकीकात न की जावेगी बल्कि सिर्फ यह दरयाफ्त किया जावेगा कि अया तारीख दायरी नालिश के पेश्तर छे माह के अन्दर मुद्दई दावा की हुई जायदाद पर काबिज था या नहीं और अगर अदालत के नजदीक यह बात साबित मालूम होवे कि मुद्दई का कब्जा छे माह के अन्दर था तो वह डिक्री पाने का हकदार होगा हालांकि मुद्दायलेह उस जायदाद पर अपना इस्तकाक बयान करे—ऐसी नालिश पर रसूम स्टाम्प भी बमूजिब जमीमा २ मद २ एक्ट कोर्ट फीस (न. ७ सन १८७०) के आधा लगाया जावेगा, मसलन, अगर दावा की हुई जायदाद की मालियत ४००) रू० मुद्दई अपनी अर्जी दावी में करार देवे तो वाजिबी तौर पर स्टाम्प ३०) रू० होना चाहिये लेकिन अगर एक्ट दादरसी की दफा ६ के मुताबिक नालिश दायर की जावे तो सिर्फ १५) रू० का स्टाम्प काफी होगा—कोई ऐसी नालिश (याने एक्ट दादरसी की दफा ६ के बमूजिब) सरकार पर दायर न की जावेगी और ऐसी नालिश में जो डिक्री या हुक्म अदालत सादिर करे उस की न तो अपील होगी और न ऐसे हुक्म या डिक्री की तजवीज सानी मंजूर की जावेगी—लेकिन वह शख्स जो अपने तईं ऐसी जायदाद का हकदार समझता है अपना हक कायम कराने की गरज से नालिश नम्बरी अदालत दीवानी में पूरे स्टाम्प पर दायर कर सक्ता है और ऐसी नालिश में फरीकैन के हकों की तहकीकात की जावेगी.

के जिसका अमल में आना बमूजिब किसी कानून जो उस वक्त ब्रिटिश इंडिया में जारी हो, बयान किया गया हो—नब्बे दिन— उस तारीख से कि जब उस फैल का करना या न करना अमल में आया हो—

तशरीह:—जो शख्स इस मद से फायदा उठाना चाहता है उसे यह बतलाना चाहिये कि वह अपना फैल उस खास एक्ट के बमुजिब करने के लिये कि जिसपर वह भरोसा करता है, माकूल वजूहात रखता था, सिर्फ यह कहना काफी न होगा कि उसने अपनी अक़ल से ख्याल किया (देखो पजाब रिकार्ड न १२४ सन १८८१ ई०)—जब इस मद के बमूजिब मियाद का उजर किया जावे तो यह साबित करना चाहिये कि जिस एक्ट पर मुद्दायलेह भरोसा करता है वह उस वक्त और उस जगह पर दर असल जारी था कि जहा और जिस समय वे काम किये गये हैं जिन के बाबत हरजे का दावी किया गया —सिर्फ यह कहना काफी न होगा कि मुद्दायलेह नेक नियतो के साथ उस एक्ट को प्रचलित समझता था—(पजाब रिकार्ड न १०५ सन १८८६ ई० जैराम—बनाम—गुरमुखसिंग)—एक मुकद्दमा में एक म्युनिसिपल कमेटी ने कुछ ईंटों पर नाजायज तौर से कबजा करके अपने काम में लाई, लेकिन म्यूनिसिपल कमेटी ने यह फैल किसी ऐसे अखत्यार से नहीं किया जो कमेटी को अज़रूय म्यूनिसिपल एक्ट दिये गये थे—पस ऐसी हालत में यह लाजमी नहीं है कि उन ईंटों की क़ीमत दिला पाने की नालिश तीन महिने के अन्दर दायर की जावे (पजाब रिकार्ड न. ७६ सन १८८४ ई० हर भगवान—बनाम—हस्सन)

यह मद सिर्फ नालिशात बाबत हरजा से ताल्लुक़ रखता है न कि नालिशात वास्ते दिला पाने कब्जा जमीन या इस्तक़रार हक्क से [इ, ला रि' कलकत्ता जिल्द ६ सफा ८वो अलाहबाद जिल्द ४ सफा १०२]—यह मद नालिशात नुकसानी बाबत खिलाफ वरजी माहदा (ठहरार की टूट) से ताल्लुक़ न रहेगा, मसलन, नालिश बाबत दिला पाने कीमत माल जो किसी मुलाजिम सरकारी को दिया गया हो (इ ला रि. मद्रास जिल्द २ सफा १२४)—यह मद दरखास्त हुक्म इम्तनाई में लागू न होगा (इ ला रि, बम्बई जिल्द २२ सफा ६०५) और न यह मद किसी माहदा की खास तामील कराने की नालिश में लागू होगा

ऐसे इस्तगासा से सम्बन्ध न रखेगा जो बमूजिब एक्ट न. १३ सन १८५९ ई० के ऐसे काम के बाबत जो पूरा न हुवा हो कुछ रकम दिलाये जाने की गरज से पेश किया जावे [इ ला रि मद्रास जिल्द ११ सफा ३३२]—

मद ५—नालिश बमूजिब जाब्ता सरसरी जिस का जिकर मजमूआ जाब्ता दीवानी सन १९०८ ई० की दफा १२८ [२] (च) मे किया गया है—छे महिना—उस तारिख से कि जब रकम करजा या हरजा की वसूली के काबिल हो गई हो या जब जायदाद हासिल किये जाने के लायक हो गई हो.

तशरीह—अजरूय नया मजमुआ जाब्ता दीवानी एक्ट न० ५ सन १९०८ ई० जो नालिशात काबिल तहकीकात सरसरी के करार दी गई है वे सिर्फ वैसी ही नालिशें न होगी कि जो बर बिना दस्तावेजात काबिल खरीदी वो फरोख्तगी के कायम होवे जैसा कि कायदा पुराना मजमूआ की रू से था (मद ला. जरनेल जिल्द १८ सफा ४६).

फसल ४—एक साल.

मद ६—नालिश बर बिनाय किसी आईन इंगलिस्थान या एक्ट या कानून या जाब्ता कानूनी के बाबत तावान या जब्ती एक साल—उस तारीख से कि जब जुरमाना या जब्ती आयद की गई—

तशरीह—लफ्ज "तावान" से वह रकम मुराद है जो मुद्दायलेह से बतौर सजा के वसूल करना मंजूर होवे और न बतौर माविजा जो मुद्दई को दिलाया जावे और यह सजा बाबत किसी जुर्म या गुनाह के मुद्दायलेह पर कायम की गई हो—जब्ती से नुकसान होना किसी हक जायदाद तहदा मिलकियत के समझा जावेगा ब वजह कोई गुनाह या कसूर या शर्त की टूट जो मुद्दायलेह के जिम्मे लगाई गई होवे

यह मद कब लागू होगा —

(१) यह मद सिर्फ उसी वक्त लागू होगा कि जब बर्जारिये किसी खास या मुकामी कानून के कोई मियाद नालिश के बारे मुकर्रर न की

किसी गांव में आसामियान का जिमींदार को लगान देना बन्द करना या उन की तरफ से किसी तीसरे शख्स को लगान का दिया जाना जरूर करके बेदखली में दाखिल नहीं है (देखो इ ला रि कलकत्ता जिल्द १४ सफा ६४६ तारीनी–बनाम–गुन्गा).

जब कोई नालिश वास्ते दिला पाने कब्जा बाद साबित किये जाने हक के दायर की जावे तो ऐसी नालिश इस मद की मनशा में दाखिल न होगी गो वह छे माह के अन्दर दायर की गई हो और मुद्दई बिना साबित करने अपना हक के कामयाब न हो सकेगा [इ. ला. रि मद्रास जिल्द २५ सफा ४४८].

यह मद ऐसी नालिश में लागू होगी कि जो किसी शख्स की तरफ से दायर की जावे कि जिस का कब्जा जायदाद गैरमनकूला पर रहा हो चाहे उस का हक कितना भी कम जोर होवे और जो जायदाद मजकूर से बेदखल कर दिया गया हो मगर ऐसी नालिश तारीख बेदखली से छे माह के अन्दर दायर की जानी चाहिये और ऐसा दावी एक्ट दादरसी खास की दफा ६ के बमूजिब पेश किया गया हो (इ ला. रि. अलाहबाद जिल्द १३ सफा ५३७).

मीर बेहरी का हक इस मद की मनशा के बमूजिब बतौर जायदाद गैर मनकूला के समझा जावेगा (इ ला. रि मद्रास जिल्द १३ सफा ५४).

मद ४—दावी बमूजिब एक्ट नं. ६ सन १८६० ई० दफा १ (एक्ट बगरज तसफिया तनाजा दरामियान मालिकान वो मजदूरान) छे महिना उस दिन से कि जब दावा की हुई मजदूरी या किराया या उजरत वाजिब उल वसूल हुई हो.

तशरीह—एक्ट न. ६ सन १८६० ई० के खास अहकामात मुल्क बगाल के जिला नदिया और चौबीस परगना में प्रचलित किये गये हैं इस लिये यह मद उन जिलों में कि जहा सरकार ने इस एक्ट को चालू नहीं किया है तनखाह वगैरा की नालिशों से ताल्लुक नहीं रखेगा–जिन मजिस्ट्रेटों को ऐसे झगड़ों के तसफिया करने का अख्त्यार दिया गया है वे सिर्फ उस मालियत तक के झगड़ों का फैसला करने के मजाज है जिन की तादाद २००) रू० से जियादा न हो एक्ट मियाद का जो सिर्फ दीवानी नालिशों से ताल्लुक रखता है कोई हुक्म

तशरीह:—लफ्ज "मुलाजिम" से वे सब लोग मुराद हैं दरमियान जिन के और किसी दूसरे शख्स बहैसियत मालिक के तनखाह के बदले में नौकरी का ठहराव हुवा हो और यह मद सिर्फ ऐसी नालिश से ताल्लुक रखेगा जो किसी मुलाजिम खानगी की तरफ से बनाम उस के मालिक के दायर की जावे जिस की नौकरी में वह काम करता हो (देखो मदरास हाई कोर्ट रिपोर्ट जिल्द ४ सफा ४३)—जहा कहीं कुल काम के कीमत की, जो किसी सुनार या तसवीर बनाने वाले ने किया हो अदाई का इकरार होवे तो ऐसे कीमत के दिला पाने की नालिश इस मद के बमूजिब, नालिश बाबत तनखाह में शामिल नहीं होगी (म. हाई कोर्ट रिपोर्ट जिल्द २ सफा ६)—इस मद के बमुजिब वह ठेकेदार या शिकमी ठेकेदार जो काम कोशिश करके चलाता है, लेकिन जिस ने खुद काम न किया हो, कारिगर या मजदूर न समझा जावेगा (इ ला रि मदरास जिल्द ७ सफा १००)—और न कोई मुखत्यार या किसी कम्पनी का मेनेजर या तहसीलदार मुलाजिम खानगी में दाखिल है (वी रिपोर्टर जिल्द ६ सफा ११ नित्त गोपाल बनाम-में विनाटाश)—जो शख्स किसी दूसरे की जमीन इस शर्त पर जोते कि वह जमीन मजकूर के पैदावार का हिस्सा अपनी मेहनत के बदले में पावेगा वह ऐसा मजदूर न कहा जावेगा कि जिस ने तनखाह पर काम किया (मदरास हाई कोर्ट रिपोर्ट जिल्द २ सफा ३८७)—वह शख्स जिस का काम किसी मन्दिर को झाड़ना वो साफ करना, और देवता की रोज मर्रा पूजा के वास्ते फूल लाने का है, वह खानगी मुलाजिम या मजदूर में दाखिल नहीं है—(इ. ला रि. मदरास जिल्द ७ सफा ९१).

चौकीदार मुलाजिम हो सक्ता है लेकिन वह मुलाजिम खानगी में दाखिल नहीं है (वी रिपोर्टर जिल्द १८ सफा २९८)- हर पेशादार (मसलन, चित्र आदि बनाने वाला (कारिगिर में दाखिल नहीं है (देखो मदरास हाई कोर्ट रिपोर्ट जिल्द २ सफा ६) और न सुनार या जीनगिर कारिगिर समझा जावेगा। इस लिये जब कोई सुनार अपने बनाये हुए जेवरों के महनताने के बाबत नालिश करे तो टस की नालिश मुताबिक मद ५६ के समझी जावेगी—माहवारी तनखाह हर महिने के अखीर में वाजिबउल अदा होती है और हर महिने की तनखाह के बाबत नालिश की मियाद महिना खतम होने से न कि नौकर के मौकूफ हो जाने की तारीख

गई हो

(२) यह मद ऐसी नालिशात से लागू न होगा कि जो किसी कानून या कायदा की बुनियाद पर कायम न होवे.

(३) जिस नालिश में कोई रकम बतौर तावान अजरूय शर्त किसी दस्तावेज के वसूल करना मजूर होवे वैसी नालिश में यह मद लागू न होवेगा

(४) नालिश के जरिये कब्जा जायदाद गैर मनकूला का दावी इस बिना पर किया जावे कि मुद्दई अजरूय किसी शर्त जब्ती या टूट शर्त माहदा के कब्जा पाने का हकदार है तो वैसी नालिश में यह मद लागू न होगा बल्कि मद १४३ लागू होवेगा;

(५) नालिश बाबत दिला पाने कुछ रकम बतौर टेक्स या मेहसूल अजरूय किसी कानून बतौर नालिश वसूली तावान के न समझी जावेगी

(६) जो नालिश बाबत वसूली तावान या रकम जब्ती सरकार बहादुर की तरफ से दायर की जावे उस में अगर कोई खास कानून लागू न किया जावे तो मद १४६ लागू होवेगा [देखो मित्र साहब की शरह कानून मियाद सफा ४६१]

(७) नालिश बाबत वसूली बकाया जमा सरकारी में यह मद लागू न होगा बल्कि ऐसी नालिश में वह खास कानून लागू होगा कि जो एक्ट मालगुजारी मध्य प्रदेश की दफा ११८ में दर्ज है (सी. पी. ला रि. जिल्द १६ सफा ५२).

मद ७ नालिश बाबत दिला पाने तनखाह मुलाजिम खानगी यानी घर में काम करने वाला या उजरत कारीगिर या मजदूर की जो इस जमीमा के मद ४ में दाखिल नहीं है एक साल—उस तारीख से कि जब दावा की हुई तनखाह या उजरत वसूल किये जाने योग्य हो जावे

वास्ते मकान किराये पर दिया गया हो—यह मद सिर्फ उन्हीं नालिशात से ताल्लुक रखेगा जो मुसाफरों पर सराय के किराया की वसूली के बाबत दायर की जावें, क्योंकि सराय में मुसाफिर लोग किसी खास मुद्दत के लिये किराया ठहरा कर नहीं रहते हैं, अकसर होटल या डाक बंगलों में किराया घंटों व दिन के हिसाब से वसूल किया जाता है.

मद १०—नालिश वास्ते तामील कराने हक्क शफा के, चाहे वह हक्क किसी कानून, या आम रिवाज या खास ठहराव पर कायम हो—एक साल—उस तारीख से कि जब खरीदार ने बमोजिब उस बै के, जिस की निसबत एतराज है बेची हुई कुल मिलकियत का कबजा वाकई हासिल कर लिया हो, या जिस सूरत में बेचा हुवा माल ऐसा न हो कि खुद उस का कबजा वाकई मिल सके, तो जब बैनामे की रजिस्टरी हो गई हो

तशरीह—लफ्ज "कबजा" से यह कबजा मुराद है कि खरीदार ने ब हैसियत खरीदारी के हासिल किया हो, न कि दूसरी हैसियत से, मसलन, मुर्तहनान या ठेकेदारी की हैसियत से—इस लिये हाई कोर्ट की यह राय है कि जब कोई मुर्तहन बिल कब्ज [कब्जे के साथ] रहन की जायदाद को खुद मोल लेवे तो इस मद के बमूजिब उस का कबजा वाकई हासिल करना उस वक्त समझा जावेगा कि जब उस के हक में बै मुकम्मिल हो जावे क्योंकि उस का कबजा पेश्तर बहैसियत मुर्तहन के था और अब बहैसियत मालिक के हुवा (देखो इ. ला रि. इलाहाबाद जिल्द ५ सफा ५०६ लक्ष्मी—बनाम—शिवशंकर).

कबजा वाकई से सिर्फ यही मतलब नहीं है कि कबजा करने वाला खुद अपनी जात से उस जायदाद पर अपना दखल जमावे और उस में रहे, या उस की काश्त करे—खरीदार का कबजा वाकई उस वक्त भी कहा जावेगा कि जब आसामी लोग उस को अपना मालिक मानकर उसे लगान पहुंचाते हों.

जब खुद जायदाद पर कबजा वाकई का हासिल करना मुमकिन नहीं है तो ऐसी हालत में बैनामा की रजिस्ट्री की तारीख से मियाद शुरू होगी (पंजाब रिकार्ड नम्बर १५६ सन १८८२ ई० उमर बख्श—बनाम—चौगट्टा).

और दस्तावेज की रजिस्ट्री की तारीख वह तारीख समझी जावेगी कि जब

से शुरू होती है (वी. रिपोर्टर जिल्द ६ सफा ३३).

नीचे लिखे लोग खानगी नौकर न होंगेः—

(१) कोई मोहर्रिर जो बटवाड़ा अमीन की मातेहती में माहवारी तनखाह पर काम करता हो (वी री. जिल्द १३ सफा १५०)

(२) कोई शख्स जो मालगुजार की तरफ से बतौर तहसीलदार वास्ते वसूली जरलगान काश्तकारान के मुकर्रर किया जावे [वी. रि. जि. १० सफा २६०]

(३) कुश्ती वो पटे खेलने के काम में सिखापन देने वाला उस्ताद (मदरास हाई कोर्ट रि. जिल्द ८ सफा ६).

(४) कोई कारिन्दा या मुख्त्यार जो माहवारी तनखाह के ठहराव पर मुकर्रर किया गया हो [वी रि. जिल्द ६ सफा ११)

(५) कम्पनी का मेनीजर खानगी नौकर नहीं है (इ जूरिस्ट जिल्द १ सफा १८१)

दाई जो बच्चे को दूध पिलाती है मुलाजिम खानगी न समझी जायगी और उस की उजरत की नालिश में मद न १०२ जमीमा १ एक्ट मियाद लागू होगा (इलाहबाद ला. जरनल जिल्द १० सफा ३९९)

मद ८—नालिश बाबत कीमत खुराक मय शराब (पीने की चीज) जो किसी होटल या शराब खाना या सराय के मालिक ने बेंची हो—एक साल—उस तारीख से कि जब खूराक या शराब हवाला की जाय

तशरीहः— शराब खाना वह मकान है जहा शराब अर्थात दारू के थोड़ी थोड़ी मिकदार के बेचने का लैसन्स दिया जावे

मद ९—नालिश बाबत किराया सराय—एक साल—उस तारीख से कि जब किराया के अदा होने का वादा गुज़रे

तशरीह—कोई करार या खास दस्तूर न होने की सूरत में रोज मर्रा या हफ्ते वार रकमें हर रोज या हर अठवाड़े में वाजबुल अदा होती है-किसी मकान के किराया की नालिश में यह मद लागू न होगा बशर्ते कि एक खास मुद्दत के

वास्ते मकान किराये पर दिया गया हो—यह मद सिर्फ उन्हीं नालिशात से ताल्लुक रखेगा जो मुसाफरों पर सराय के किराया की वसूली के बाबत दायर की जावें, क्योंकि सराय में मुसाफिर लोग किसी खास मुद्दत के लिये किराया ठहरा कर नहीं रहते हैं, अकसर होटल या डाक बंगलों में किराया घटों व दिन के हिसाब से वसूल किया जाता है

मद १०—नालिश वास्ते तामील कराने हक शफा के, चाहे वह हक किसी कानून, या आम रिवाज या खास ठहराव पर कायम हो—एक साल—उस तारीख से कि जब खरीदार ने बमोजिब उस बै के, जिस की निसबत एतराज है बेची हुई कुल मिलकियत का कबजा वाकई हासिल कर लिया हो, या जिस सूरत मे बेंचा हुवा माल ऐसा न हो कि खुद उस का कबजा वाकई मिल सके, तो जब बैनामे की रजिस्टरी हो गई हो.

तशरीह—लफ्ज "कबजा" से यह कबजा मुराद है कि खरीदार ने ब हैसियत खरीदारी के हासिल किया हो, न कि दूसरी हैसियत से, मसलन, मुर्तहनान या ठेकेदारी की हैसियत से—इस लिये हाई कोर्ट की यह राय है कि जब कोई मुर्तहन बिल कब्ज [कब्जे के साथ] रहन की जायदाद को खुद मोल लेवे तो इस मद के बमूजिब उस का कबजा वाकई हासिल करना उस वक्त समझा जावेगा कि जब उस के हक में बै मुकम्मिल हो जावे क्योंकि उस का कबजा पेश्तर बहैसियत मुर्तहन के था और अब बहैसियत मालिक के हुवा (देखो इ. ला रि. अलाहाबाद जिल्द ५ सफा ४०६ लछमी—बनाम—शिवअवर)

कबजा वाकई से सिर्फ यही मतलब नहीं है कि कबजा करने वाला खुद अपनी जात से उस जायदाद पर अपना दखल जमावे और उस में रहे, या उस की कारत करे— खरीदार का कबजा वाकई उस वक्त भी कहा जावेगा कि जब असामी लोग उस को अपना मालिक मानकर उसे लगान पटाते हों

जब खुद जायदाद पर कबजा वाकई का हासिल करना मुमकिन नहीं है तो ऐसी हालत में बैनामा की रजिस्ट्री की तारीख से मियाद शुरू होगी (पञ्जाब रिकार्ड नम्बर १५६ सन १८८२ ई० उमर बरु—बनाम—चौगट्टा).

और दस्तावेज की रजिस्ट्री की तारीख वह तारीख समझी जावेगी कि जब

रजिस्ट्रार की किताब में दस्तावेज की नकल होकर उस पर रजिस्ट्री का सारटीफिकेट लिख दिया जावे (पंजाब रिकार्ड नंबर १० सन १८८१ ई० करम—बनाम—फजल)

बिला तकसीम की हुई जिमींदारी के महाल के किसी हिस्से पर कबजा वाकई नहीं दिया जा सक्ता है, इस लिये ऐसी हालत में बैनामा के रजिस्ट्री की तारीख से मियाद शुरू होगी (इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ४ सफा २४ ओंकारदास—बनाम—नारायण).

अगर कोई राहिन हक इनफिकाक रहन (याने रहन छुड़ाने का हक) किसी शख्स को बेंच डाले तो उस की निसबत यह न कहा जावेगा कि ऐसे हक का कबजा वाकई मिल सक्ता है—पस ऐसी हालत में हक शफा की नालिश की मियाद इस मद्द के बमूजिब बैनामा की रजिस्ट्री की तारीख से शुरू होगी (इ. ला. रि अलाहाबाद जिल्द ६ सफा २३४ भगानी—बनाम—अन्तरा वो पंजाब रिकार्ड नंबर ६८ सन १८८४ ई० गफूरखा—बनाम—सत्तार—वो नंबर १६० सन १८८६ ई०).

किसी शामलाती आराजी के बिला बटे हुए हिस्से की निसबत हक शफा के नालिश की मियाद इस मद्द की बमूजिब शुमार न होगी, बलिके मद्द १२० की मुताबिक, बशरते कि ऐसे बिना बटे हुए हिस्से का कबजा वाकई मिल सक्ता हो—और उस पर खरीदार ने अपना इनफिकाक बजरिये कार्रवाई बैबात नो नालिश दखलयाबी के पाया हो (पंजाब रिकार्ड नंबर ३० सन १८९२ ई०)

कानून बनाने वालों ने इस मद्द में अलफाज कबजा वाकई का इस्तेमाल इस गरज से किया है कि जब कोई शख्स किसी जायदाद को मोल लेवे तो उस को अपने बैनामा की रू से मोल ली हुई जायदाद का कबजा जाहिर जहर में ऐसे फेल करके लेना चाहिये, कि जिस्से हक शफा के दावा करने वाले को इस बात की इत्तला पूरी तौर से मिल जावे कि खरीदार का दखल उस जायदाद पर हो गया है (इ. ला. रि अलाहबाद जिल्द ९ सफा २३४ श्याम—बनाम—अमानत).

मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने यह तजवीज की है कि कायदा मियाद जो इस मद्द के बमूजिब हक शफा की नालिशों से ताल्लुक है ऐसे मुकदमा में लागू न होगा कि जिस में मालगुजार ऐसे बैनामा के मसूखी का दावा करता हो, कि जो किसी

कारतकार मौरूसी मुस्तकिल ने खिलाफ शरायत वाजिबुल अर्ज और अपने अख्त्यार के बाहर लिख दिया हो (सी पी ला रि जिल्द १ सफा ५३ उमराव वो ७ दूसरे बनाम–दौलत सिंग वो मुसम्मात नन्ही)

अजरूय तितम्मा वाजबुल अर्ज कारतकार मौरूसी मुस्तकिल पर इस शर्त की तामील करना लाजमी है कि वह अपने कब्जे की जमीन किसी गैर शख्स के हाथ बेचने के पेश्तर मालगुजार को उस जमीन के खरीद करने का मौका देवे और अगर इस तरह पर मालगुजार को किसान की जमीन को मोल लेने का मौका न दिया जावे तो बैनामा नाजायज होगा, और मालगुजार उसे मसूख कराने का हकदार होगा

लेकिन जो कायदा मियाद इस मद में नालिशात हक शफा के बारे में दर्ज है वह उस नालिश में लागू न होगा, जिस में मालगुजार की तरफ से ऐसे बै की मंसूखी का दावा किया जावे (सी पी ला रि जिल्द १ सफा १३२ पैंडरा गोड़–बनाम–हीरासिंग)—

एक कारतकार मौरूसी मुस्तकिल मुसम्मी सुमेरा ने सन १८७० ई० में अपने खेत का एक रहननामा बैबुलवफा की शर्त पर मुद्दायलेह दीनानाथ के हक में तहरीर किया—ता० १२ सितम्बर सन १८८४ ई० को दीनानाथ ने डिगरी बैवात हासिल करके ता० २६ जुलाई सन १८८६ ई० को सजमुय में उन खेतों का कबजा हासिल किया, अब मुद्दई मालगुजार अपने हक शफा की रूसे बैवात को, जो दीनानाथ के हक में हुआ है, इस बिनाय पर मसूख कराने का दावा करता है कि उसे इन खेतों के खरीद करने का मौका नहीं दिया—साहिब जुडीशल कमिश्नर मध्यप्रदेश की यह राय हुई कि मुद्दई मालगुजार की नालिश बाबत दावी हक शफा अजरूय मद १० जमीमा २ एक्ट मियाद के बेरूं मियाद है (सी पी. ला. रि. जिल्द ४ सफा ७२ फतेहचंद वो दीगर लोग–बनाम–दीनानाथ वो दीगर लोग)

यह नजीर बमुकद्दमा सी पी. ला. रि जिल्द ६ सफा ६७ में पसन्द की गई जिस में मालगुजार ने चन्द रोज हक मौरूसी मुस्तकिल पर अपना हक शफा के कायम कराने का दावा किया था और वह गैर डिगरी के इजराय में नीलाम किये गये थे—

मुद्दई की तरफ से उजर पेश किया गया था कि उसे कुल वे दिन मुजरा मिलना चाहिये जो दरम्यान तारीख दरखास्त वास्ते मुकर्रर करा पाने कीमत जमीन (जो कलक्टर के पास पेश की गई थी) और तारीख हुक्म साहेब कलक्टर के गुजरे हों; साहेब जुडीशल कमिश्नर बहादुर की यह राय हुई कि एक्ट मियाद की दफा ६ ऐसे मुकदमें में लागू न होगी और मुद्दई को ऊपर लिखे दिन मुजरा न मिलेंगे—

साहेव जुडीशल कमिश्नर बहादुर की यह भी राय हुई कि ऐसी नालिश में मंद १०, न कि मद १२०, लागू होगा और इस लिये नालिश मुद्दई जो तारीख ११ दिसम्बर सन १८६० ई० को दायर की गई बेरू मियाद है, क्योंकि खरीदार नीलाम ने कबजा ता० २६ अपरेल सन १८८६ ई० को हासिल किया (सी. पी. ला. रि. जिल्द ६ सफा ६७ रामजी–बनाम–देवाजी वगैरा)

जो नालिश मालगुजार की तरफ से वास्ते दिला पाने हक शफा बमोजिब दफा ४१ एक्ट काश्तकारी के दायर की जाव उस के लिये जमीमा एक्ट मियाद का मद न. १० लागू होवेगा, सिर्फ इस अमर से कि जर खरीदी की तादाद अफसर माल मुकर्रर करेगा मियाद के सवाल में कुछ असर न पहुचेगा (नागपूर ला रि. जिल्द १ सफा ६)

अब रहन के बैबात की सूरत में हक शफा की नालिश दायर की जावे तो नालिश करने वाले को बिनाय दावी उस तारीख को पैदा होवेगा कि जब रहन की बैबात हो जावे, और मियाद उस वक्त से शुमार की जावेगी कि जब मुर्तहन ने डिगरी के इजराय में कबजा हासिल कर लिया होवे (इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ३ सफा ६१०)

एक बटे हुए महाल की जायदाद की निस्बत बैनामा ता० १८ जून सन १६०८ ई० में तहरीर किया गया वो रजिस्टरी किया गया वो उसका दाखिल खारिज ता० १७ जुलाई सन १६०८ ई० को किया गया, उस बैनामा की निस्बत हक शफा की नालिश ता. १३ जुलाई सन १६०९ ई० को दायर की गई–यह नालिश बेरू मियाद करार दी गई (ई के. जिल्द ६ सफा ३०६).

अगर कोई जायदाद किसी शख्स को पहिले २ बेची गई हो—और खरीदार ने दूसरे शख्स को बेची हो, तो ऐसे दूसरे खरीदार के खिलाफ हक शफा की नालिश ऐसे शख्स की तरफ से जो खरीदार बढ़िया हक रखता है, मद नं० १२० एक्ट मियाद से ताल्लुक रखेगा, न कि मद नं० १० से—यह नालिश बतौर इस्तकरार इस अमर के होगी, कि हक शफा चाहने वाले मुद्दई पर ऐसे दुबारा बेचने का असर नहीं पड़ता और दूसरा खरीदार उस डिगरी का पाबन्द होगा, जो अखीर में दरम्यान फरीकैन बाबत हक शफा के सादिर की जाय [इ. के जिल्द २४ सफा ११६]—

मद—११ नालिश उस शख्स की तरफ से जिस के बरखिलाफ नीचे लिखे हुए हुक्मों मे से कोई हुक्म सादिर किया गया हो, बाबत इस्तकार ऐसे हक के जिस्का दावा वह ऐसी जायदाद की निस्बत करता हो, जिस्का जिक्र उस हुक्म मे हो—

(१) हुक्म बमुजिब मजमुआ जाब्ता दीवानी सन १९०८ ई० निस्बत दावा जो पेश किया गया हो, या उजरदारी जो किसी इजराय डिकरी मे कुर्क किये हुए माल की निस्बत की गई हो—

(२) हुक्म बमूजिब दफा २८ एक्ट १५ सन १८८२ ई० यानी एक्ट प्रेसीडेन्सी स्माल काज कोर्ट का—

एक साल तारीख हुक्म से—

तशरीह:—जब कोई जायदाद गैर मनकूला किसी डिकरी जर नकद की इजराय में मुद्दई की तरफ से कुर्क कराई जावे, अगर कोई गैर शख्स उस जायदाद में अपना हक ब्यान करके यह उजर पेश करे, कि जायदाद मजकूर में मुद्दायलेह का कुछ हक नहीं है इस लिये वह काबिल कुरकी व नीलाम नहीं—ऐसी उजरदारी पेश होने पर अदालत मंजूरी या नामंजूरी उजरदारी का हुक्म सादिर कर सकती है—अगर उजरदारी मंजूर की जावे तो जायदाद कुर्की से छोड़ दी जावेगी—अगर नामंजूर की जावे तो जायदाद नीलाम पर चढ़ाई जावेगी—

पस जो नालिश वास्ते इस्तकारार हक के दायर की जावे, चाहे वह उजरदार की तरफ से हो, या डिकरीदार की तरफ से इस मद की मन्शा के मुताबिक तारीख हुक्म से १ साल के अन्दर दायर होना चाहिये —

जब किसी डिकरी के इजराय में ऐसे शख्स की जायदाद कुर्क की जावे जो उस डिकरी के रूप्या का देनदार न हो और उस जायदाद में वह अपना खास इस्तेहकाक ब्यान करता हो, तो उस को लाजिम है कि बमूजिब दफा २७८ मजमुआ जाब्ता दीवानी सन १८८२ ई० के यानी आरडर न. २१ कायदा ५८ म. जा दी सन १६०८ के अपनी जायदाद को, जो कुर्क हूई है, कुर्की से छुडा पाने की गरज से एक उजरदारी पेश करे और अदालत ऐसी उजरदारी के निस्बत तहकीकात करेगी–मजमुआ जाब्ता दीवानी की दफा २७६ (आर्डर २१ रूल ५६) के बमूजिब दावीदार या उजरदार को इस बात की शहादत पेश करना चाहिये कि तारीख कुर्की को वह कुर्क शुदा जायदाद में इस्तहकाक रखता था, या वह उस तारीख को उस पर काबिज था, अगर अदालत को ऐसी तहकी-कात पर इस बात का इतमीनान हो जावे कि जिस वक्त जायदाद कुर्क की गई उस वक्त वह मुदायलेह के कबजे में नही थी या यह कि उस वक्त मुदायलेह का उस जायदाद में कुछ हक न था तो ऐसी हालत में अदालत उस जायदाद को बमूजिब दफा २८० (आरडर २१ रूल ६०) मजमुआ मजकूर कुर्की से छोड़ सक्ती है—

लेकिन अगर अदालत को यह मालूम पड़े कि तारीख कुर्की को जायदाद मुदायलेह के कबजे में थी और मुदायलेह उस का मालिक कामिल था तो ऐसी हालत में अदालत बमुजिब दफा २८१ (आरडर २१ रूल ६१) मजमुआ मजकूर को उजरदारी नामजूर कर सक्ती है- जब अदालत को यह जान पड़े कि कुर्क शुदा जायदाद किसी के पास रहन है, और अदालत उस जायदाद को कुर्की में रखना मुनासिब समझती है तो ऐसी हालत में बमूजिब दफा २८२ (आर्डर २१ रूल ६२) मजमुआ मजकूर अदालत यह हुक्म दे सक्ती है, कि वह जायदाद रहन के बोझ के साथ कुरकी में रहेगी—जिस फरीक के बखिलाफ (बिरूद्ध) कोई हुक्म बमूजिब दफा २८०, २८१, या २८२ मजमुआ मजकूर के सादिर हुवा हो वह झगड़े की जायदाद पर अपना हक कायम कराने के

वास्ते अदालत दीवानी में नालिश नम्बरी दायर कर सक्ता है, और बपाबन्दी नतीजा ऐसी नालिश के (अगर कोई दायर की गई हो) ऐसा हुक्म कतई समझा जावेगा–जिस फरीक के बरखिलाफ कोई हुक्म बमूजिब दफा २८०,२८१ और २८२ वो ३३५ (आरडर २१ रूल ९७, ९९, १०३) मजमुआ जाब्ता दीवानी के सादिर हुआ है तो वह नालिश नम्बरी बाबत इस्तकरार अपने हक के तारीख हुक्म से एक साल के अन्दर दायर कर सक्ता है—लेकिन नालिश बमुजिब दफा २८३ (आरडर २१ रूल ६३) मजमुआ जाब्ता दीवानी वास्ते इस्तकार हक इस बात के हो सक्ती है कि झगड़े की जायदाद या तो किसी डिकरी के इजराय में नीलाम कराई जावे, या वह जायदाद उसी मुकदमा में कुर्की से छुड़ा दी जावे (इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द १५ सफा ६७४ वो ६७६ कदर–बनाम–रखला—लेकिन अगर ऐसी नालिश दूसरा मुखालिफ इस्तहकाक कायम कराने की गरज से दायर की जावे तो उस में यह मद लागू न होगा (इ ला. रि कलकत्ता जिल्द १२ सफा ४५३)—

कानून की यह मन्शा है कि जितने सवालात इस्तेहकाक की निस्बत कार्रवाई इजराय डिकरी में पैदा हुए हों, उन सब का तसफिया बहुत जल्दी होना चाहिये, इस गरज से कि सिर्फ १ साल की मियाद ऐसी नालिश के वास्ते मुकर्रर की गई है जो बमूजिब दफा २८३ एक्ट नम्बर १४ सन १८८२ ई० जाब्ता दीवानी आरडर २१ रूल ६३ के इस्तकरार हक के वास्ते दायर की जावे–(इ ला रि कलकत्ता जिल्द १५ सफा ५२१ सरधारीलाल–बनाम–बम्मीका)

दर असल नालिश बमूजिब दफा २८३ बतौर नालिश वास्ते मन्सूखी हुक्म कार्रवाई इजराय डिकरी के समझी जाती है, इस लिये ऐसे हुक्म को रद कराने के लिये बहुत मजबूत शहादत दरकार है–(इ. ला रि. इलाहाबाद जिल्द ८ सफा ६ प्रिवी कौंसिल)—

जब तक कि हुक्म बमूजिब दफा २८०, २८१, २८२, (आरडर २१ कायदा ६०, ६१, ६२)—मजमूआ जाब्ता दीवानी तहकीकात किये जाने के बाद न सादिर किये जायें, जैसा कि मजमूआ मजकूर में दर्ज है, तब तक यह मद लागू न होगा–(बी. रि. जिल्द १६ सफा २२, ३

ला. रि. बम्बई जिल्द ४ सफा २१, वो जिल्द १२ सफा १०८)—

जब कोई उजरदारी अदम पैरवी में खारिज कर दी जावे और कोई हुक्म बमूजिब दफा २८०, २८१, या २८२ के सादिर न हुवा हो तो यह मद लागू न होगा (इ. ला. रि अलाहाबाद जिल्द ३ सफा ५०४ कल्लू–बनाम- ब्राउन)—

जब कोई उजरदार शहादत पेश करने में कसूर करे और उस की दरखास्त उजरदारी खारिज कर दी जावे तो उजरदारी के खारजी का ऐसा हुक्म बरखिलाफ उजरदार बमूजिब दफा २८३ (आरडर २१ कायदा ६३) में दाखिल है और इस मद के मुताबिक उस को नालिश के लिये सिर्फ एक साल की मियाद तारीख हुक्म से मिलेगी–(कलकत्ता ला रि. जिल्द १२ सफा ४३ सादुत–बनाम–रामधन)—

अगर उजरदार को उस की उजरदारी वापिस लेने का हुक्म दिया जावे तो ऐसा हुक्म बरखिलाफ उजरदार न समझा जावेगा (इ ला. रि बम्बई जिल्द ५ सफा ४४०)

जब कोई उजरदारी या इस्तगासा इजराय डिकरी की कारवाई में पेश न किया जावे तो यह मद लागू न होगा (बम्बई हाई कोर्ट रि. जिल्द ५ सफा १३९ लालचन्द–बनाम–लखाराम)–वह शख्स जिस के वरखिलाफ हुक्म बमूजिब दफा २८०, २८१, या २८२, के सादिर किया जावे या तो डिकरीदार है या उजरदार–(इ. ला. रि अलाहाबाद जिल्द ३ सफा २३३)–इस लिये मुद्दायलेह किसी ऐसे हुक्म का पाबन्द न होगा, सिवाय उस सूरत में कि जब वह दर असल इस कारवाई में फरीक बनाया गया हो (इ. ला. रि. मद्रास जिल्द १ सफा ३६१ वो बम्बई जिल्द ११ सफा ११४)–और जो नालिश मुद्दायलेह मदयून डिकरी की तरफ से वास्ते इस्तकरार हक निस्बत जायदाद मुतनाजिया (झगड़े की) या वास्ते हासिल करने कब्जा उस जायदाद के दायर की जावे, तो ऐसी नालिश में मद ११ एक्ट मियाद लागू न होगा, क्योंकि यह नालिश ऐसे शख्स की तरफ से दायर नहीं की गई है जिसके खिलाफ हुक्म बमूजिब दफा २८०, २८१,

या २८२ के सादिर हुवा हो (इ ला. रि कलकत्ता जिल्द १५ सफा ६७४ वो ६७६)—

मध्यप्रदेश के हाई कोर्ट ने यह तजवीज की है कि जब किसी उजरदारी बाबत छुड़ाने जायदाद कुर्क शुदा की नामजगी का हुक्म एक साल के अन्दर मसूख न कराया जावे तो वह हुक्म कतई समझा जावेगा और डिकरीदार वो खरीदार नीलाम ऐसे हुक्म को दावीदार या उजरदार के हक को रद्द करने की गरज से हर मुकदमा में पेश कर सक्ता है (सी. पी. ला. रि जिल्द १ सफा ३ अजोध्या—बनाम—शिवप्रसाद)—

जब अदालत ने किसी दरखास्त को बाबत दिला पाने कब्जा जायदाद गैर मनकूला हस्ब दफा ३३५ (आर्डर २१ कायदा ९७, ९९, १०१) मजमूआ जाब्ता दीवानी इस वजह से खारिज की हो कि सायल ने अपनी शहादत पेश करने में कसूर किया कि जिस के पेश करने का मोका उस को दिया गया था, तो ऐसा हुक्म खारजो बतौर कतई समझा जावेगा और अगर कोई नालिश उस हुक्म के तारीख के एक साल बाद दायर की जावेगी तो वह बेरून मियाद बमोजिब मद ११ करार दी जावेगी [अलाहाबाद ला जरनल जिल्द ८ सफा ६२६].

अगर सायल अपनी सबूती पेश करना नहीं चाहता और इस सबब से उस की दरखास्त बमोजिब दफा २५३ मजमूआ जाब्ता दीवानी खारिज की गई हो तो ऐसी सूरत में मद ११ लागू हो सकेगा (इ. के जिल्द १० सफा ४०२)

अगर किसी मदयून डिकरी को तीसरे शख्स को यानी अपने डिकरीदार के कुर्की कराने वाले साहूकार को दुबारा रूपया अदा करना पड़ा हो इस वजह से कि उस के डिकरीदार ने पहिली रकम की अदाई की तसदीक नहीं की तो ऐसी दुबारा रकम को वापस वसूल पाने का बिनाय दावा उस वक्त पैदा होगा जब कि मदयून डिकरी ने दुबारा रकम अदा की, और अगर वह ऐसे रकम की वापसी के लिये नालिश तारीख अदाई के तीन साल बाद दायर करे तो उस की नालिश बेरून मियाद न होगी, मगर मामला दूसरे किस्म का हो जायगा, अगर नालिश ऐसे रुपये की वापसी के निसबत की जाय जो खुद डिकरीदार को दुबारा दिया गया हो— [मद्रास ला जरनल जिल्द २१ सफा ५१८]

मुद्दई का माल मुद्दाअलेह ने नाजायज तौर पर कुर्क करा कर नीलाम कराया

और बिकरी की रकम अपने पास रख लिया, मुद्दई ने पाहिले मजमूआ जाबता दिवानी की दफाओं की रूसे उजरदारी किया—मगर इस उजरदारी में उसे कामयाबी हासिल न हुई—इस के बाद उस ने मुद्दायलेह पर नालिश बाबत मिलने रकम बिकरी माल मजकूर के दायर किया—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि ऐसी नालिश की मियाद बमोजिब मद न. २९ न कि बमोजिब मद न ११ शुमार की जायगी.

मद न ११ की रूसे ऐसी नालिश दायर होगी जिस के जारिये मुद्दई उस जायदाद पर कब्जा चाहता हो जिस की कुर्की की गई या जो नीलाम हुई मगर दफा २९ में ऐसी नालिश का हुक्म है जो किसी सरकारी हुक्मनामा के जरिये माल मनकूला में बेजा गिरफतारी के सबब से मालिक माल को हरजा दिला पाने के लिये दायर की जाय (इ. के. जिल्द ९ सफा ७७३)

जब कोई हुक्म दरखास्त उजरदारी पर बमुकाबले दीगर दावेदारों के कतई हो गया हो तो अदालत वैसे हुक्म को वैसे दावेदार के खिलाफ ऐसी नालिश में रद्द करने की मजाज न होगी जो दीगर दावेदारान करे [मद्रास ला जरनल जिल्द २२ सफा २२५]

जब किसी दखलयाबी की डिकरी में मुद्दईयान को कब्जा जायदाद गैर मनकूला पर दे दिया गया हो और फिर दफा ३३२ (आर्डर २१ कायदा १००, १०१, १०२) मजमूआ जाब्ता दीवानी की रूसे जो उजरदारी की गई हो-उस से बेदखल कर दिये गये हों तो ऐसी सूरत में मुद्दईयान की नालिश वास्ते दखलयाबी जायदाद मजकूर मद न १४२ न कि मद न. ११ वो १३ वो १२० की रूसे चल सकेगी (कलकत्ता वी. नो जिल्द १६ सफा ९७१).

मुद्दईयान ने झगड़े वाली जायदाद को अदालत के रूबरू नीलाम में खरीदा— जब उन्हों ने कब्जा करने की कार्रवाई शुरू की तो उन को एक तीसरे शख्स ने रोका और यह दावा किया कि जायदाद उस की है—इस पर उन्हों ने दरखास्त बमोजिब दफा ३६५ एक्ट १४ सन १८८२ ई० (आर्डर २२ कायदा ३ [१]) गुजरानी अदालत ने दरखास्त के तसफिया के लिये तारीख ५ दिसम्बर सन १९०८ ई० की पेशी मुकर्रर की—उस तारीख पर मुद्दई की दरखास्त इस बिनाय पर खारिज की गई कि उन्हों ने कोई शहादत नहीं पेश की—तब मुद्दईयों ने यह नालिश तारीख २९ सितम्बर सन १९१० ई० को दायर की—तजवीज हाई कोर्ट यह

करार पाई कि नालिश बेरू मियाद थी, क्योंकि वह तारीख खारजी दरखास्त मे एक साल से बहुत ज्यादा अरसा गुजरने के बाद दायर की गई (इ. के जिल्द २० सफा ३९९)—

अमरसिंग ने बेनीसिंग पर हकरसी जारी कराया और कल्लुसिंग भतीजा अमरसिंग ने मकान तारीख २२ सितम्बर सन १९०८ ई० को खरीदा—नीलाम होने के तीन रोज पेश्तर बेनीसिंग ने अपना दूसरा मकान अमरसिंग याने डिक्रीदार को बेचा था और उस दूसरे मकान के बिक्री के दाम उस ने डिकरी में मुजरा देने को कहा था—जब नीलाम के खरीदने वाले याने कल्लूसिंग ने मकान पर कब्जा लेने की कोशिश किया तब डोमन बेनीसिंग के नाती ने उस की मुजाहमत की—डोमन की उजरदारी तारीख २६ फरवरी सन १९१० ई० को खारिज की गई—खारिज होने पर डोमन ने नीलाम मसूख कराने की नालिश तारीख २०-४-१९१० ई० को दायर किया—तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि ऐसी नालिश मद ११ [अ] में आती है और यह कि वह बेरू मियाद नहीं थी (इ. के जि १७ सफा ५९१)—

हर नालिश की मियाद की जाच वैसे एक्ट मियाद की रू से की जायगी जो कि तारीख दायरी नालिश के वक्त प्रचलित हो, न कि किसी पीछे से बनाये हुए कानून के मुआफिक, जो नालिश के दौरान मुकदमे में जारी होवे.

जो नालिश मजमूआ जाब्ता दीवानी, सन १८८२ ई० की दफा ३३२ (आरडर २१, कायदा १००, १०१, १०२) के अखीर फिकरे की रू से दायर की जाय, उस में मद न. ११, १२, १३, १४, जमीमा २ एक्ट मियाद सन १८७७ ई० लागू न होंगे और अगर वह नालिश ऐसा हुक्म जारी होने के एक साल से ज्यादा अरसा के बाद दायर हो, जिस हुक्म के जरिये वह नालिश खारिज की गई हो तो वह बेरू मियाद नहीं समझी जायगी [इंडियन के. जिल्द ११ सफा ६६८]

मद न. ११ एक्ट मियाद सिर्फ ऐसे हुक्म के निसबत लागू होगा, जो तहकीकात करने के बाद सादिर किया गया हो जब कोई उजरदारी, जो बमोजिब दफा २७८ (आरडर २१, रूल ५८) मजमूआ जाब्ता दीवानी पेश हुई, और बअदम गैर हाजरी में खारिज की गई हो तो हुक्म खारजी की निसबत यह न समझा

जायगा कि यह अजरूय दफा २८१ [आरडर २१, रूल ६१] मजमूआ मजकूर सादिर किया गया बलकि उस की निसबत यह समझा जायगा कि वह मजमूआ जाब्ता दीवानी की ऐसी दफाओं की रू से दिया गया जिन के जरिये अदालत अदम पैरवी की सूरत में मुतफरकात मुकदमा खारिज कर सक्ती है, और यह कि दावेदार की ऐसी नम्बरी नालिश बेरू मियाद नहीं समझी जायगी वह उजरदारी का हुक्म सादिर होने के एक साल से ज्यादा के बाद मगर उस मियाद के अन्दर जो ऐसे मुकदमें के लिये मुकर्रर है, दायर की गई हो–(कलकत्ता वी. नोट जिल्द १८ सफा ७७०).

मद ११ (अ ,— नालिश उस शख्स की तरफ से जिस के बर खिलाफ हुक्म बमोजिब मजमूआ जाब्ता दीवानी सन १६०८ ई० के सादिर किया गया हो डिकरीदार की ऐसी दरखास्त पर जो उस ने जायदाद गैर मनकूला पर कबजा पाने की निसबत पेश की हो—या ऐसी दरखास्त जो खरीदार माल गैर मनकूला ने पेश की हो, निसबत माल मजकूर के जो इजराय डिगरी में नीलाम हुआ, और जिस दरखास्त में वह खरीदार इस बात की शिकायत करता हो, कि माल मजकूर पर कबजा देने के लिये उस के साथ मजाहमत या रोक की जाती है—या ऐसी दरखास्त पर जो ऐसे शख्स की तरफ से पेश की गई हो जो डिकरीदार या खरीदार को माल पर कबजा दिलाते वक्त माल मजकूर से बेदखल कर दिया गया हो और जो दरखास्त कि बाबत इस्तकरार ऐसे हक के हो जिस का दावा वह उस जायदाद पर, जिस का जिक्र उस हुक्म में हो, कबजा हाल की निसबत करता हो.

एक साल—तारीख हुक्म से:—

तशरीह:—यह मद इस गरज से तरमीम की गई है कि इस में वे सब सूरतें दाखिल हो जावे, जिन में मजमूआ जाब्ता दीवानी की रू से ऐसे हुक्मों की निसबत नालिश करने का अखत्यार दिया गया है जो अदालत की तरफ से कार्रवाई बाबत ऐसी मजाहमत या रोक टोक के सादिर किये गये हों, जो (रोक टोक) बर वक्त देने कबजा जायदाद डिकरीदार या ... साथ इजराय डिकरी में और ऐसा कबजा

और हवालगी कबजा में बे दखली की निसबत की गई हो.

मद १२—नालिश वास्ते मसूखी किसी नीलाम मुन्दर्जा जैल के:—

(क) नीलाम बइल्लत इजराय डिगरी अदालत दीवानी,

(ख) नीलाम मुताबिक डिगरी या हुक्म कलक्टर या दूसरे अफसर माल के,

(ग) नीलाम ब इल्लत बकाया मालगुजारी सरकार या किसी मतालबा के जो बतौर ऐसे बकाया वसूल हो.

(घ) नीलाम पतनी ताल्लुक का जो बाबत बकाया लगान हाल के हुवा हो,

एक साल—उस तारीख से, कि जब नीलाम मंजूर हो या दर सूरत न दायर होने ऐसी नालिश के और तौर पर अखीरी व कतई हो जाता.

समझावनाः—इस मद में लफ्ज "पतनी" में हर ऐसी हकीयत दरमियानी दाखिल है जो हाल के बकाया लगान के बाबत नीलाम हो सक्ती हो.

तशरीह.—यह मद सिर्फ उन्हीं नालिशों से ताल्लुक रखता है जिन में मुद्दई को मांगी हुई दादरसी दिलाने के वास्ते नीलाम के मसूख करने की जरूरत न हो और यह मद ऐसी नालिशों में भी लागू न होगा, जिन में जायदाद मुद्दई के हुकूक के बोझ के साथ नीलाम की गई है या रि जिल्द ७ सफा २५२ रतनेश्वर–बनाम–मजेड़ा)—और न यह मद ऐसी नालिश दखलयाबी जायदाद में लागू होगा कि जिस में ऐसे सार्टीफिकेट नीलाम के मसूखी का दावा किया जावे जिस की रू से जितनी जायदाद दर असल नीलाम हुई थी उस से ज्यादा दिलाई गई हो, और जिस के जरिये मुद्दई बिला नीलाम शुदा जायदाद के एक हिस्से से बेदखल किया गया हो (बी रि. जिल्द ७ सफा २५३).

नालिश दखल याबी जमीन में बाबत उस जमीन के जो हिस्से में शामिल नहीं है यह मद लागू न होगा (वीकली रिपोर्टर जिल्द १३ सफा

४५९)- और न यह मद ऐसी नालिश से ताल्लुक रखेगा जिस में जर नीलाम की दादरसी हो और इस नीलाम का सही होना मान लिया गया हो, और वह ऐसा नीलाम हो कि जिस्की निस्वत किसी किस्म का इतराज नहीं हो सक्ता है (इ. ला रि जिल्द ९ सफा ५७).

जब किसी मदयून डिकरी की जायदाद के हक, हुकूक वो इस्तेहकाक नीलाम किये गये हो, और कोई तीसरा शख्स इस बिनाय पर उस जायदाद के कबजे की या इस्तकरार हक की नालिश करे कि वह जायादाद उस की मिलकियत है तो ऐसी हालत में उसकी नालिश में यह मद लागू न होगा, क्योंकि उस के लिये नीलाम की मसूखी का दावा करने की कुछ जरूरत नहीं है इस वजह से कि अदालत ने उस का हक नीलाम नहीं किया (इ ला. रि अलाहाबाद जिल्द ५ सफा ६१४ वो मद्रास जिल्द ४ सफा १७८ वो मद्रास जिल्द ९ सफा ४६०)

यह मद ऐसी नालिश से भी ताल्लुक न रखेगा जिस में दावा बाबत इस्तकरार हक इस बात के किया जावे कि नीलाम बमुकाबले मुदई ब असर है (इ ला रि बम्बई जिल्द ११ सफा ११९).

मद्रास की हाई कोर्ट ने यह तजवीज की है कि यह मद कुल ऐसी नालिशात से ताल्लुक रखता है जिन में खुद जायदाद नीलाम हो चुकी है, और नीलाम अदालत के रू से खरीदार को जायदाद कतई तौर से मिल जाती है और उस के कबजे में उस वक्त तक बनी रहेगी कि जब तक नीलाम मसूख न कर लिया जावे [इ. ला. रि मद्रास जिल्द ७ सफा २५८]

जब कोई जायदाद किसी जायज डिकरी की इजराय में नीलाम कराई जावे तो वह नीलाम जायज समझा जावेगा, हाला कि वह डिकरी पीछे से व सीगा अपील व नजरसानी मसूख की जावे [वीकली रिपोर्टर जिल्द १० सफा १५४ जानअली–बनाम–जानअली चौधरी]—और इस लिये जो जायदाद नीलाम हो चुकी है वह खरीदार के पास से वापिस न मिल सकेगी, सिवाय उस सूरत में कि जब नीलाम काफी सबब पर, मसलन, फरेब या साजिश, मसूख कराया जावे, और ऐसे नीलाम के मसूखी की नालिश नीलाम मञ्जूर होने की

तारीख से एक साल के अन्दर दायर होना चाहिये (इं ला. रि अलाहबाद जिल्द ५ सफा ५७३ परसादी–बनाम–मोहम्मद).

जब कोई माल या जायदाद कार्रवाई इजराय डिकरी में, जिसे अदालत अपील ने बेरू मियाद करार दी हो, नीलाम हो चुका हो तो वह माल खरीदार नीलाम से वापिस मिल सक्ता है, लेकिन अगर उस माल को खुद डिरकीदार ने खरीद किया हो तो वह नीलाम मसूख हो सक्ता है (इ ला रि. कलकत्ता जिल्द १० सफा २२०)—लेकिन नीलाम के मसूखी की नालिश उसी मुद्दत के अन्दर दायर होना चाहिये जो इस मद में दर्ज है (इ ला. रि कलकत्ता जिल्द ११ सफा २८७).

जब किसी नीलाम शुदा जायदाद की तफसील बजरिये नम्बर यो तादाद सही तौर से बतलाई गई हो लेकिन उस की हुलिया गलत दर्ज हो, और खरीदार नीलाम हुलिया के मुताबिक कब्जा मिलने की नालिश करे या इस बात का दावा करे कि जर नीलाम उसे वापिस दिलाया जावे तो ऐसी सूरत में यह नालिश मसूखी नीलाम की नालिश समझी जायगी, और वह उसी मुद्दत के अन्दर दायर होनी चाहिये जो इस मद में दर्ज है (इ ला रि बम्बई जिल्द १० सफा २१४ मोहम्मद सयाद–बनाम–नवरोजी)

जब नीलाम फरेब की बिनाय पर मसूख कराने की दादरसी की जावे तो यह मद लागू न होगा, बल्कि बमोजिब मद ९५ के उसे तीन साल की मियाद मिलेगी (इ. ला. रि अलाहाबाद जिल्द ६ सफा ४०६ नथू–बनाम -जोधा)

जो नीलाम अजरूय मजमुआ जाब्ता दीवानी मन्जूर किया जावे यह मुकद्दमे के फरीकैन और खरीदार को बांधेगा—इस बिनाय पर नीलाम के मसूखी की दरख्वास्त जो नीलाम करने या नीलाम के प्रसिद्ध (मुश्तहिर) करने में बेजाब्तगी हुई, मजमुआ जाब्ता दीवानी की दफा ३११ [आर्डर २१ कायदा ९० के मुताबिक हो सकती है—और इस बिनाय पर नीलाम मसूख कराने की नालिश नम्बरी अदालत दीवानी में दायर न होगी, क्योंकि मजमुआ मजकूर की दफा ३१२ (आर्डर २१ कायदा ९२) के आखीर फिकरा के रू से ऐसी नालिश की साफ तौर से मनाई की गई है (इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द १९ सफा ३१

भीमसिंग--बनाम--सरवन)—

नीलाम पतनी, बमूजिब बंगाल रेगुलेशन नंबर ८ सन १८१९ ई० के लिये कलक्टर की मंजूरी दरकार नहीं है इस लिये ऐसा नीलाम उस वक्त अखीर और कतई समझा जायगा कि जब रेगुलेशन मजकूर की दफा ६ के मुताबिक कुल जर नीलाम दाखिल किया जावे और ऐसी दाखली की तारीख से एक साल की मियाद शुमार की जावेगी (भूबा--बनाम--प्रोश कलकत्ता हाई कोर्ट)

इस मद की रू से मियाद तारीख मंजूरी नीलाम से उन सूरतों में शुरू होगी जिन में कि कानून की रू से वैसे नीलाम की मंजूरी दरकार हो, मगर दूसरी सूरतों में मियाद उस तारीख से शुरू होगी जब कि नीलाम की मंजूरी दरकार न हो और वह आखीरी वो कतई दीगर तौर पर हो जावे (कलकत्ता ला जरनल जिल्द १३ सफा ३३६)

मद १३—नालिश वास्ते तबदील या मंसूख करा पाने तजवीज या हुक्म अदालत दीवानी के जो नालिश के सिवाय किसी और कार्रवाई में सादिर हुआ हो,—एक साल—तजवीज या हुक्म अखीर की तारीख से जिस हालत में कि उसे किसी ऐसी अदालत ने सादिर किया हो जो मुकदमा का कतई तौर पर फैसला करने की मजाज हो

तशरीह.—मद ११, १२, वो १३ में एक साल की मियाद इस गरज से मुकर्रर की गई है कि जिस शख्स ने एक मर्तबा नालिश फिरयाद शुरू की है उसे लाजिम है कि एक मुनासिब मुद्दत के अन्दर अपना झगड़ा अदालत से तै करा लेवे (इ. ला रि बम्बई जिल्द ११ सफा १२३ वो कलकत्ता जिल्द १५ सफा ५२१ प्रिवी कौंसिल).

मजमूआ जाब्ता दीवानी की दफा ३१२ (आर्डर २१—कायदा ९२) के बमूजिब मंजूरी नीलाम या मन्सूखी नीलाम का हुक्म इस बिना पर रद कराने की गरज से नालिश नंबरी काबिल सुनाई न होगी कि नीलाम करने वो उस को प्रसिद्ध करने में बे जाब्तगी हुई—अगर यह हुक्म बतौर हुक्म दौरान नालिश तसौवर किया जावे तो ऐसे हुक्म के मसूखी की नालिश में मद १३ लागू न होगा (देखो इ. ला. रि मदरास जिल्द ८ सफा ८२)—जब कोई जज या कलेक्टर किसी

दरखास्त को अपनी अदालत में दायर न करने दे या इस बिना पर कोई हुक्म सादिर करने से इकार करे कि उसे अख्त्यार समायत हासिल नहीं है तो ऐसी हालत में यह मद लागू न होगा (इ ला रि कलकत्ता जिल्द ६ सफा १४२ किश्टोराम-बनाम-रामकन्ठ)—जो हुक्म बिला अख्त्यार सादिर हुवा है उस के मसूख कराने की कुछ जरूरत नहीं है क्योंकि वह खुद ब खुद बे असर है (इ ला. रि मदरास जिल्द ८ सफा ८२)

जानशीनी के सारटिफिकट से सिर्फ जायदाद के इन्तजाम का हक मिलता है, उस से किसी मिलकियत के इस्तेहकाक का तसफिया नहीं होता है, इस लिये जिस शख्स को ऐसा सारटीफिकट इकार किया जावे उस को अख्त्यार है कि सारटिफिकट मजकूर को मसूख कराने के बगैर सारटिफिकट पाने पर उस जायदाद के कबजा की नालिश दायर करे जो उस में शामिल है—और ऐसी नालिश में मियाद के मामूली कवायद निसबत दिला पाने कबजा जायदाद लागू होंगे (इ ला रि बम्बई जिल्द १० सफा ४४६ काशी बाई-बनाम जमना)—हुक्म अदालत मन्जूरी नीलाम जायदाद मुताबिक दफा १८ एक्ट नंबर ४० सन १८५८ ई० के दाखिल हुक्म मुन्दरजा मद हाजा नहीं— (इ ला रि कलकत्ता जिल्द ५ सफा ३६३ सिखरचन्द-बनाम दलपटसिंग).

मद १४—नालिश वास्ते रद कराने किसी फैल या हुक्म उहदेदार सरकारी जो उस ने ब हैसियत अपने उहदा सरकारी के किया हो और जिसका जिक्र साफ तौर पर इस जमीमा में और जगह नहीं आया है,-एक साल-तारीख फैल या हुक्म से.

तशरीह—यह मद सरकारी मुलाजिमों के ऐसे अहकामात और कार्रवाईयों से ताल्लुक रखता है, जिन को अजरूए कानून एक शख्स के हक में या दूसरे शख्स के बरखिलाफ एक खास तासीर दी गई हो बपान्दी नतीजा ऐसी कार्रवाई अदालती के कि जिन में उन हुक्मों या कार्रवाई के मसूखी की दादरसी की जावे—जब कोई हुक्म किसी मुलाजिम सरकारी के अख्त्यार के हद में न आता हो तो वह कानूनन रद है, मगर उस को मन्सूख कराने की जरूरत नहीं है-(इ ला रि. जिल्द ११ बम्बई सफा ४२६ जीवाजी-पराजी पापान-बनाम-माहब-फनपटर रान-

गिरी)—मसलन, वह हुक्म जो किसी कलक्टर ने बमूजिब दफा ३७ एक्ट मालगुजारी बम्बई के सादिर किया हो जिस्के रू से उस शख्स को छोड़कर कि जो उस के रूबरू बतौर दावीदार के खड़ा हुआ, दूसरे शख्स को किसी जमीन का ठेका दिया गया हो-(इ. ला. रि बम्बई जिल्द १५ सफा ४२४)—वह फेल या हुक्म जिस्का जिक्र इस मद में किया गया है, ऐसा होना चाहिये जो फरीकैन के रूबरू लिखा गया हो या जिस्की इत्तला उन को दी गई हो क्योंकि किसी ऐसे हुक्म या फैसला के मसूखी की कार्रवाई शुरू करने के पेश्तर यह बात जरूर है कि जिस शख्स के बरखिलाफ ऐसा हुक्म या फैसला सादिर हुआ है उस्का इल्म उस फरीक को होवे—(इ. ला. रि मद्रास जिल्द ६ सफा १८१)—

हकीयत की नालिशों में मद १४ लागू न होगा—(इ. केस. जिल्द १० सफा २२२)—

मद १४ ऐसे हुक्म को लागू न होगा जिस को अफसर ने अपने अख्त्यार के बाहर सादर किया हो, या जिस्के सादर करने का मजाज न हो—जब कलेक्टर हस्ब अहकाम दफा ३७ लेन्ड रेवेन्यू कोड बम्बई किसी ऐसी जमीन की निस्बत कार्रवाई कर रहा हो जो किसी खास शख्स की जायदाद हो और वह शख्स अमन चैन से उस पर काबिज रहा हो और वह जमीन सरकार की न हो, अगर ऐसी जमीन के निस्बत कलेक्टर मजकूर कोई हुक्म सादिर करे तो उस्का हुक्म अख्त्यार के बाहर समझा जायगा—(बम्बई ला रि जिल्द १४ सफा ३३२ वो इ केस जिल्द १९ सफा ५६५)—

ऐसा हुक्म जिस्के जारिये मुद्दई की जमीन साहब कलेक्टर ने दूसरों को बगैर किसी हुक्म कानूनी के दे दी वैसे हुक्म को जरूर नहीं है कि मुद्दई मसूख करावे और मद नंबर १४ वैसी नालिश में लागू न होगा जो मुद्दई जमीन मजकूर की दखलयाबी के वास्ते दायर करे—(कलकत्ता वी नो. जिल्द १७ सफा ५५६)—

अगर किसी जमीदार की जमीन सरकार ने कार्रवाई जब्ती में खालसा करली हो; और उस कार्रवाई में वह जमीदार फरीक न हो और

अगर जमींदार वैसी जमीन की दखलयाबी के लिये नालिश दायर करे तो ऐसी नालिश में मद १४ लागू न होगा-(ला बी जिल्द १ सफा ६६२)

मद १५—नालिश बनाम सरकार वास्ते मंसूख कराने ऐसी कुर्की या पट्टा या इन्तक़ाल जायदाद गैर मनक़ूला के जो हाकमान माल ने बाबत बकाया मालगुजारी सरकार किया हो,—एक साल—उस वक्त से कि जब कुर्की या पट्टा या इन्तकाल अमल में आया हो—

तशरीह:—यह मद उस सूरत में लागू न होगा कि जब कुछ रकम साफ और कुबूल की हुई जिम्मेदारी के निस्बत नीलाम रोकने की गरज से अदा की जावे-(पश्चिम उत्तर देश रि जिल्द २ सफा ५२ शादीलाल-बनाम भवानी)—

मद १६—नालिश बनाम सरकार वास्ते वापस पाने उस रूप्या के जो बजरिये उजरदारी वास्ते पूरा करने दावी हाकमान माल के, बाबत बाकी मालगुजारी या ऐसे मतालबा के अदा किया गया हो, जो मिस्ल बाकी मजकूर के वसूल हो सकता है—एक साल—उस वक्त से कि जब रूप्या अदा किया गया हो—

तशरीह:—एक शख्स ने तशखीस की हुई जमा कई बरसों के लिये बजरिये उजरदारी दाखिल किया, ऐसी हालत में तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि वह इस मद के बमूजिब इन बरसों में से सिर्फ अखीर साल के बाबत रकम वापस पाने की नालिश कर सका है [बम्बई हाई कोर्ट रिपोर्ट जिल्द ११ सफा १ भुगज-बनाम कलक्टर आफ बेल गांव]—लेकिन नालिश बाबत इस्तक़रार हक इस बात के कि वह बिला जमा जमीन पर काबिज रहने का मुस्तहक है, उस वक्त से बारा साल के अन्दर दायर हो सकी है कि जब उस के इस्तेहकाक में दस्तनदाजी की गई—

मद—१७—नालिश बनाम सरकार पाबत मावजा उस आराजी (जमीन) के जो सरकार के काम के लिये ली गई हो;

—एक साल—तारीख तजवीज तादाद रकम मावजा से—

तशरीह:—साहब कलक्टर को कानून के रू से लाजिम है कि रकम मावजा की तजवीज करने के बाद वह रकम पाने वाले को देदे या चन्द सूरतों में अदालत में बतौर अमानत जमा रखे—अगर इस तौर पर रकम मजकूर न अदा की जावे और न बतौर अमानत अदालत में दाखिल की जावे, तो तादाद जर माविजा मय सूद बजरिये नालिश बनाम सरकार वसूल की जा सक्ती है यह मद जाहिरा में ऐसी नालिशात बनाम ऐसे शख्सों के ताल्लुक नहीं रखता है जिन्हों ने सरकार से माविजा की कुल या जुज रकम पा लिया हो, तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि ऐसी नालिशों मे मद १२० लागू होगा, (इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द ५ सफा ५६७ नन्दलाल–बनाम–मीरआयू)—

मद १८—उसी तरह की नालिश बाबत माविजा के जब कि वसूल अराजी की तकमील न हुई हो;—एक साल—तकमील से इंकार करने की तारीख से.

तशरीह—यह मद सिर्फ उन नालिशों से ताल्लुक रखेगा जो–बनाम–सरकार बमूजिब एक्ट नबर १ सन १८९४ ई० के दायर की जावे–एक्ट नबर १ सन १८९४ ई० में माविजा की रकम तजवीज करने या साहब कलक्टर की तरफ से अदालत में इस्तस्वाब किये जाने के बारे में हुक्म है–अगर बजरिये हुक्म कलक्टर जर माविजा की तादाद तजवीज कर दी गई हो, तो मालिक पर लाजिम होगा कि तारीख हुक्म से एक साल के अन्दर अपनी नालिश दायर करे—

अगर इस्तस्वाब अदालत में भेजा जावे तो डिकरी सादिर की जावेगी–अगर साहब कलक्टर न तो जर माविजा की रकम तजवीज करें और न अदालत में इस्तस्वाब करे तो मालिक को तकमील से इकार करने की तारीख से एक साल की मुद्दत माविजा की नालिश करने के वास्ते मिलेगी और खुद जमीन वापिस लेने की नालिश उस तारीख से बारा साल के अन्दर हो सकेगी कि जब कलक्टर ने जमीन मजकूर का दखल लिया हो.

मद १९—नालिश बाबत कैद बेजा—एक साल—उस तारीख से कि जब कैद अखीर हो जावे

तशरीह—कैद बेजा से मुराद है किसी शख्स की आजादगी को किसी जहल खाने में बन्द करके या खुली जगह में जबरन रोक कर महदूद करना

किसी जायज वारन्ट या हुक्मनामा का तामील नाजायज तौर से करना कैद बेजा में दाखिल है इस लिये नालिश बाबत कैद बेजा दायर हो सक्ती है—बशर्ते कि यह कैद बेजा ऐसे जायज हुक्मनामा के आड़ से अमल में आई हो और पीछे से यह हुक्मनामा किसी बेजाब्तगी की वजह से मसूख किया जावे (इ. ला. रि. बम्बई जिल्द ६ सफा १)—

ऐसे हरजा की नालिश में जो शामलाती में कैद बेजा या अदावतन मुकदमा चलाने से हुआ हो मद न १६ वो मद न २३ लागू होगा एक ही किस्म क वाकेआत से दो किस्म के बिनाय दावा पैदा नहीं हो सके यानी दावा हरजा वो हरजा पहुचने की नियत से साजिश करना क्योंकि इस किस्म के दावे एक दूसरे से अलहदा हैं और दावा हरजा जो साजिश करने से हुआ एक बात है और हरजा या नुकसान जो दरअसल पहुचाया गया वह दूसरी बात है (इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द ४० सफा ८६८)—

मद २०—नालिश मिनजानिब (तरफ से) वसीयत के माल पाने वालों या मुहतमिमाम तरका या कायम मुकामों के बमूजिब एक्ट नं. १२ सन १८५५ ई० (जिस का यह मतलब है कि मुतवफ्फी के एकजीक्यूटरस याने औसिया अर्थात जिन के नाम वसीयत की गई और एडमिनिसटेटस याने मोहतमिमाम या रिप्रेजेन्टेटिवस याने कायम मुकामान बाज हरकत बेजा की निसबत नालिश कर सकें और उन पर वैसी हरकत की निस्बत नालिश हो सके)—एक साल—उस शख्स के मरने की तारीख से जिस को हरकत बेजा हुई हो.

तशरीह—नालिश बाबत दिला पाने कीमत हाथी जिसे एक मरे हुए शख्स ने बेंच डाला था या नालिश बाबत वसूली उस रुपया के जो मुतवफ्फी कारिन्दा के जिम्में बाकी था—बनाम— कायम मुकाम मुतवफ्फी के मुताबिक एक्ट

न० १२ सन १८५५ के न समझी जावेगी (वी. रि. जिल्द १ सफा २५१ श्रीमती चन्द्रमोनी—बनाम—सन्तोमोनी)

जो नालिश खुद नुकसान पहुचाने वाले शख्स के ऊपर बाबत गिरफतारी बेजा या अदावतन झूट मुकदमा फौजदारी चलाना या कोई दूसरी जाती जरर के दायर की जावे उस की कार्रवाई मुद्दायलेह के मरने पर फौरन बमूजिब दफा ३६१ मजमूआ जाब्ता दीवानी के बन्द कर दी जावेगी.

मद २१. नालिश मिनजानिब औसिया या मोहतमिमान तरका या कायम मुकामों के हस्ब एक्ट नं १३ सन १८५५ ई० (जिस का यह मतलब है कि अगर कोई शख्स ऐसी हरकत के बाइस जिस की नालिश हो सके फौत हो जाय तो उस के फौती का मावजा मुतवफ्फी के खानदान के लोगों को दिलाया जावे) एक साल—शख्स मकतूल याने मार डाले गये हुए शख्स की मौत की तारीख से

तशरीह- पेश्तर किसी ऐसे शख्स पर कोई नालिश या दूसरी कार्रवाई दायर नहीं हो-सक्ती थी, कि जिस के फैल बेजा सुस्ती या कसूर से किसी दूसरे आदमी की मौत वकूअ में आई हो—लेकिन एक्ट न १३ सन १८५५ ई० की रूसे ऐसा नुकसान पहुचाने वाला शख्स उस नुकसानी हरजा के बाबत जवाबदार हो सक्ता है कि जो उस ने पहुचाइ एक्ट नं १३ सन १८५५ ई० के जारी होने के पेश्तर इस तरह पर हरजा की नालिश करने का इस्तेहकाक नुकसान उठाने वाले शख्स के मरने के साथ ही नष्ट हो जाता था—अब ऐसी नालशें मरे हुए आदमी की बेवा बच्चे और मा बाप के फायदा के वास्ते दायर की जाती है (इ ला. रि. जि १ अलाहबाद सफा ६०)

मद २२—नालिश हरजा किसी और जरर जिस्मानी (शरीरक हानि) के बाबत, एक साल, जरर पहुंचाये जाने की तारीख से

तशरीह—यह मद उस वक्त लागू होगा कि जब किसी शख्स की लापरवाहीं या फैल बेजा के सबब किसी दूसरे आदमी की तनदुरुस्ती, या उस के

बदन में कुछ नुकसानी पहुंची हो, मसलन, जब कोई डाक्टर या हकीम लापरवाही के साथ किसी मरीज का इलाज करे और उस के ऐसे इलाज से उस मरीज की तनदुरुस्ती या हाथ पैर वगैरा में नुकसान पहुचे.

मद २३—नालिश हरजा बाबत दायर करने मुकदमा के जो वर बिनाए अदावत कायम हो,—एक साल—उस तारीख से कि जब मुद्दई बरी किया गया हो या नालिश (फौजदारी) का खातमा (अंत) दूसरी तरह पर हुवा हो.

तशरीह—इस मद के बमूजिब किसी इस्तगासा के मुल्तवी रहने के दौरान में नालिश बाबत हरजा की सुनाई न होगी, क्योंकि यह मुमकिन है कि शायद मुद्दई सजायाब हो जावे, इस मद के मुताबिक नालिश हरजा की कार्रवाई चलने के वास्ते यह साबित करना जरूर है कि मुकदमा फौजदारी का मुद्दई के हक में खतम हुआ, याने चाहे मुद्दई बरी किया गया हो या बिला जमान रिहा हुआ हो या इस्तगासा वापिस ले लिया गया हो (वी रि जि १३ सफा ११८).

अगर मुद्दई की सजा पहली अदालत से हो गई हो और उसे अदालत अपील ने अपील पर बरी किया हो तो ऐसी हालत में जिस तारीख को मुद्दई बरी किया गया उसी तारीख से मियाद शुरू होगी—(इ ला रि. कलकत्ता जि २० सफा ४१ हरी मोहन—बनाम—नैमुद्दीन)—अगर कोई शख्स किसी दीवानी मुकदमा में अदावतन और बेजा तौर से गिरफ्तार किया जावे तो यह मद लागू न होगा मद १९ लागू हो सकेगा.

जब किसी इस्तगासा की पैरवी न की जावे बलकि इस्तगासा सिर्फ दायर ही किया गया हो तो तारीख इस्तगासा बतौर तारीख शुरू होने मियाद समझी जावेगी और ऐसी नालिश में मद ३६ लागू होगा—(इ. ला. रि. बम्बई जिल्द ७ सफा ४२७)

मद २४—नालिश हरजा बाबत तोहमत लगाने के—एक साल—उस वक्त से कि जब तोहमत मिस्ल तहरीर मुश्तहर (प्रसिद्ध) की गई हो

तशरीह:—इस मद के बमूजिब मियाद उस वक्त से शुरू होगी कि जब

हतक मिली हुई तहरीर प्रसिद्ध हुई हो और न कि उस वक्त से कि जब मु.ई को इस का हाल मालूम हुवा.

अगर एक मर्तबा एक अखबार के छापने वाले पर हरजा की डिक्री हो जावे तो इससे किसी दूसरे अखबार छापने वाले पर हतक मिली हुई तहरीर दुबारा मुश्तहर करने के लिये हरजा के नालिश की रूकावट न होगी (इ ला रि बम्बई जि. १२ सफा १६७ वो १६६).

मद २५—नालिश हरजा बाबत अलफाज तुहमत मिले–एक साल–उस वक्त से कि जब तुहमत मिले अलफाज कहे गए, या, जिस हाल में कि वे अलफाज खुद काबिल नालिश न हों, तो उस वक्त से कि जब वह खास नुकसानी जिस्की बाबत नालिश हो, वकूअ में आइ हो

तशरीह:— यह मद ऐसी नालिशों से ताल्लुक रखेगा जो किसी शख्स पर वास्ते दिला पाने हरजा इस बिना पर दायर की जावे कि मुद्दायलेह ने चन्द हतक मिले हुए अलफाज बोलकर मुद्दई की बेइज्जती की—मसलन, किसी सौदागर को दिवालिया कहना, या किसी हकीम को नीम हकीम कहना या किसी वकील को लुच्चा कहना या किसी मजिस्ट्रेट के निसबत यह कहना कि वह तरफदार और बेइमान है—ऐसी हालात में खास नुकसानी साबित करने के बगैर उन लोगों पर नालिश हरजा की दायर हो सकेगी कि जिन्हों ने ऐसी तुहमत लगाई.

अगर हतक की तहरीर खुद उसी शख्स के पास भेजी जावे कि जिस्की निसबत हतक की बातें उस में लिखी हो तो ऐसी हालत में यह न कहा जावेगा कि तहरीर मजकूर प्रसिद्ध की गई (वी. रि जि १० सफा १८४). लेकिन अगर ऐसी तहरीर किसी दूसरे शख्स के हवालो नकल करने के वास्ते की जावे तो उस का मुश्तहर करना पाया जावेगा.

मद २६—नालिश बाबत हरजा नुकसान खिदमत के जो मुद्दई का मुलाजिम या उस्की बेटी को फुसलाने के सबब हुआ हो—एक साल—उस वक्त से कि जब नुकसान वाके हो—

तशरीहः—वमुकदमा इ ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ४ सफा ९७ (रामलाल-बनाम-तुलाराम) एक हिन्दू ने अपनी लड़की के खिदमत की नुकसानी के बावत हरजे की नालिश इस बिना पर दायर की कि मुद्दायलेह ने उस को भगाले गया—मुद्दायलेह का इस जुर्म में फौजदारी अदालत से सजा भी दी गई—इस लड़की की शादी हो चुकी थी लेकिन उसे उसके खाविन्द ने छोड़ दिया था—और भगा ले जाने के वक्त यह अपने बाप मुद्दई के साथ रहती थी—स्टूअर्ट साहब चीफ जस्टिस की यह राय हुई कि लड़की के बाप की तरफ से नालिश हरजा बावत उस नुकसानी मुलाजिमत के, कि जो उसे उसके भगाले जाने की वजह से उठाना पड़ा काबिल समाअत है और मुद्दई मुकदमा फौजदारी की पैरवी का खर्चा पाने का भी हकदार है—लेकिन ओल्डफील्ड साहब जसटिस की यह राय हुई कि नालिश लड़की के बाप की तरफ से बावत नुकसानी मुलाजमत उस की लड़की की कि जो उसे उस को भगाय जाने के सबब उठाना पड़ा काबिल समाअत नहीं है—

मद २७—किसी शख्स को मुद्दई के साथ माहदा तोड़ने के लिये तरगीब देने (फुसलाने) के बाबत हरजा की नालिश—एक साल—तारीख तोड़ने माहदा से—

तशरीह—एक जमींदार की रियाआ को, जिन्हों ने मुद्दई के साथ फसल हलदी के बोने का माहदा किया था, उस माहदा के तोड़ने के लिये अगर कोई दूसरा शख्स फुसलाने, तो ऐसे हरजा की नालिश में यह मद लागू होगा.

मद २८—नालिश हरजा बावत कुर्की खिलाफ कानून या बेजाब्ता, या मुनासिब अन्दाज से ज्यादा—एकसाल—कुर्की की तारीख से—

तशरीह—यह मद उस नालिश में लागू होगा कि जिसमें ऐसी नुकसानी का दावा किया जावे, जो किसी माल के नाजायज तौर पर या खिलाफ जाब्ता या हद से ज्यादा कुर्क करने की वजह से मुद्दई को उठाना पड़े—

मद २९—नालिश हरजा बेजा गिरफ्तारी माल मनकूला की बजरिये हुक्मनामा कानूनी के—एकसाल—गिरफ्तारी

की तारीख से—

तशरीह:—इस मद के बमोजिब मियाद शुरू होगी माल मनकूला के गिरफतारी की तारीख से, न कि उस से कि जब माल मजकूर कुर्की से छुड़ाया गया(वीकली रिपोर्टर जिल्द २४ सफा २९८ रामसिंग—बनाम- भोईरो)—

मियाद नालिश दिला पाने हरजा की, जिस में मुद्दई के बैल एक तीसरे शख्स के बरखिलाफ की डिक्री के इजराय में गिरफतार किये गये थे इसी मद के मुताबिक शुमार की जावेगी, और इसी तरह पर ऐसी नालिश की भी मियाद इसी मद के मुताबिक शुमार की जावेगी, जिस में दावा बाबत दिला पाने ऐसा रकम मये सूद वो नुकसानी मुनाफा के किया गया हो कि जो एक डिक्री के इजराय में नाजायज तौर पर वसूल हुआ है (इ. ला रि. बम्बई जिल्द ८ सफा १७).

एक मुकदमा में मुद्दायलेह ने माल मनकूला कुर्क कराया—इस पर मुद्दइयान ने उस माल को कुर्की से छुड़ाने का हुक्म हासिल किया, लेकिन मुद्दायलेह ने कुरकी कायम रखने के लिये नालिश नम्बरी दायर की, बलकि हुक्म इमतनाई भी इस मजमून का जारी हुआ, कि ता तसफिया मुकदमा कुरकी कायम रहे—अखीर में मुद्दई की नालिश खारिज हुई—तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि नालिश हरजा बाबत कायम रहने कुरकी के मद नम्बर ४२ लागू होगा न कि मद नम्बर २९ (पजाब रिकार्ड नम्बर ४० सन १८८१ ई० हाजीपीर-बनाम—ठाकुरदास).

बमुकदमा सी० पी० ला० रिपोर्ट जिल्द ७ सफा ७७ (तेज—बनाम—महम्मदअली) मुद्दायलेह अपीलान्ट ने इजराय डिक्री में चद मवेशियान अपने मदयून डिक्री का माल करार देकर कुर्क कराया—मुद्दई रिस्पाडेन्ट ने इन मवेशियों के निस्बत अपना दावा बजरिये उजरदारी पेश किया, लेकिन उस की उजरदारी ना मजूर हुई और कुर्क शुदा मवेशियान नीलाम पर चढ़ाये गये, और उन को मुद्दायलेह अपीलान्ट ने खुद तारीख ना मजूरी उजरदारी से एकसाल के अन्दर, लेकिन तारीख कुर्की माल मजकूर के, एक साल बाद, खरीद किया—अब मुद्दई ने मुद्दायलेह पर नालिश नम्बरी दायर की है, जिस में इस मजमून की ... नहीं की गई, कि डिक्री जारी करने वाली अदालत का हुक्म ना मजूरी

उजरदारी, मसूख किया जावे, या यह कि माल उसे वापस दिलाया जावे, बलकि नालिश मजकूर मे सिर्फ हरजा का दावी किया गया था, साहब जुडीशल कमिश्नर मध्यप्रदेश की यह राय हुई कि बलिहाज किस्म दावा मुद्दई जैसा कि उस ने खुद अपनी अर्जी दावी में बतलाया है, नालिश मुद्दई बमोजिब मद २९ जमीमा २ एक्ट मियाद बेरूं मियाद है—

नालिश वास्ते दिला पाने माल मनकूला जो इजराय डिगरी में बेजा तौर से कुर्क होकर नीलाम हुआ हो, बतौर नालिश बाबत हरजा मुताबिक मद न० २९ समझी जावेगी, न कि मद न० १२० के मुताबिक–(इ केस जिल्द ९ सफा ७७४)—

यह मद वैसे मुद्दई को भी लागू होगा, जो माल का मालिक न हो मगर जो हरजा पाने का दावा इस बिनाय पर करता हो, कि जायदाद मकरूका पर उस का हक है–(इ केस जिल्द १२ सफा ४०६)

जब कोई करजा जो मदयून डिकरी को पाना हो, कुर्क हो, और रकम पीछे से मदयून डिकरी का फर्जदार खुशी से अदालत में दाखिल कर दे और उस रकम को कुर्क कराने वाला साहूकार बरामद करले, तो ऐसे शख्स की नालिश जिस को मदयून डिकरी ने अपना फर्जा इन्तकाल कर दिया हो वास्ते वापसी रकम बतौर नालिश अजरूय मद न० २९ नहीं समझी जावेगी, मगर वह नालिश, चाहे मद न० २९ के मुताबिक हो, या मद न० १२० के, अन्दर मियाद समझी जायगी, अगर वह उस तारीख से ३ साल के अन्दर दायर की जावे कि जिस तारीख को डिगरी दार ने रकम को बरामद किया–(मद्रास ला. जरनल जिल्द २३ सफा ५१९)—

ऐसी नालिश बाबत मावजा नुकसान जो मुद्दई को इस सबब से उठाना पड़ा कि उस की फसल बेजा तौर पर कुर्क हुई थी, और दौरान कुर्की में मुद्दायलेह की लापरवाही की वजह से फसल खराब हो गई हो, ऐसी नालिश में मद न० ६२ या १२० लागू होगा, जो बिनाय दावा उस वक्त पैदा होगी जब कि कार्रवाई उजरदारी में हुक्म बहक मुद्दई सादिर

हुवा हो; मगर हस्ब राय साहेब जसटिस सदाशिव अय्या मद २९ या ३६ ऐसे मामले में लागू होगा, और बिनाय मुखासमत तारीख बेजा कुर्की से शुरू होगी–(मद्रास ला. जरनल जिल्द २३ सफा ६२०)

तारीख ४ जुलाई सन १९०५ ई० को मुद्दयलेह नं० ४ ने जिस को डिकरी एक शख्स मुसम्मी प्यारेलाल पर मिली थी, ऐसे कर्जे की कुर्की कराई जो मुद्दायलेह की तरफ से प्यारेलाल को पाना वाजिब था–तारीख ६ नौम्बर सन १९०५ ई० को मुद्दायलेह न० १ ने अदालत से ऐसा हुक्म हासिल किया, जिस के रू से उस को रकम करजा अदालत मे जमा करने की परवानगी मिली और तारीख १५ जून सन १९०६ को मुद्दायलेह न० १ ने कर्जा की रकम अदालत में दाखिल की, तारीख ३ अक्टूबर सन १९०६ ई० को वह रकम मुद्दायलेह न० ४ को दी गई– मुद्दई ने वर वक्त कुर्की करजा उजरदारी पेश थी मगर वह खारिज हुई, फिर उस ने बमूजिब दफा २८३ (आरडर २१ कायदा ६३) मजमूआ जाब्ता दीवानी नालिश दायर की–इस नालिश में वह हार गया मगर अपील में जीता–तारीख १५ सितम्बर सन १९०८ ई० को उस ने नालिश वास्ते वापसी रकम जो अदालत से मुद्दायलेह न० ४ को दी गई थी दायर किया–इस बात की बहस पेश हुई कि उस नालिश में मियाद ३ साल की है जैसा कि मद न० २९ या ३६ में हुक्म है और मियाद तारीख कुर्की से यानी ४ जुलाई सन १९०५ ई० से शुरू है, इस लिये नालिश बेरू मियाद है– तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि ऐसी नालिश में मद न ६२ या १२० लागू होगा, इस लिये वह अन्दर मियाद है और यह कि मद न० २९ लागू न होगा, क्योंकि लफ्ज "गिरफतारी" से ऐसा फेल मुराद है कि जिससे कब्जे का दिया जाना पाया जावे, चाहे वह कबजा दर असल दिया गया हो या बराये नाम और बमूजिब आर्डर न० २१ कायदा ४६ मजमूआ जाब्ता दीवानी सन १९०८ यह नहीं कहा जा सक्ता कि जो मनाई का हुक्म कायदे मजकूर के मुताबिक जारी किया जाय उस से गिरफतारी करजा समझी जावे–और मुद्दायलेह न० १ ने वह रकम अपनी खुशी से दाखिल की थी इस लिये उस की निस्बत यह नहीं कहा जा

सक्ता कि वह किसी कानूनी इक़रारनामा के जरिये से दाखिल की गई (मद्रास वी नो सफा ३४८ सन १९१४)—

मद ३०—नालिश बनाम हम्माल (ले जाने वाला माल के) माल को गुम कर देने या नुकसान पहुंचाने के हरजा की बाबत—एक साल—उस तारीख से कि जब माल गुम हो जाय या उसे नुकसान पहुंचे

तशरीह—मद न. ३० वाली नालिश में इस बात के साबित करने का बोझा, कि माल रेलवे कम्पनी को कब सिपुर्द किया गया, जिम्मे कम्पनी होगा—मावजा पाने के दावे का नोटिस अगर ट्रैफिक मेनेजर को दिया जाय तो वह बतौर जाब्ते के नोटिस के समझा जावेगा—तामील नोटिस के तरीके जो एक्ट रेलवे की रू से मुकर्रर है वे मुकम्मिल नहीं है, अगर कोई तरीका रेलवे कम्पनी के कायदों में मुकर्रर है और उस कायदे की तामील हुई तो कम्पनी यह उजर नहीं कर सक्ती कि कायदे की तामील कानून के मुताबिक काफी नहीं हुई (मदरास ला जरनल जिल्द २३ सफा ५११)

मद ३१—नालिश बनाम हम्माल माल के हवालगी न करने या हवालगी मे देर करने के हरजा की बाबत—एक साल—उस तारीख से कि जब माल हवाला करना चाहिये था

तशरीह:—ऊपर लिखे दोनों मदें माल के खानगी और आम तौर पर ले जाने वालों से ताल्लुक रखते हैं—चाहे माल खुश्की की रास्ता से ले जाया जावे या पानी की रास्ता से—जब माल के ले जाने वाले की जिम्मेदारी किसी माहदा से जो माल की हवालगी के निसबत ठहराय हो पैदा होती हो तो जो नालिश हरजा उस पर दायर की जावे उस में मद ११५ लागू होगा, क्यों कि यह मदें सिर्फ उस सूरत में लागू होंगे, कि जब कोई ऐसा माहदा करार न पाया हो, और माल का गुम हो जाना या नुकसानी ले जाने वाले की सुस्ती और ला परवाही से वजूद में आई हो (इ. ला. रि मदरास जिल्द २ सफा १७७ व २४०).

जब मुद्दई अपनी नालिश बतौर नालिश बाबत शिकस्त शर्त (टूट) माहदा निसबत हवालगी माल के दायर करे और अपना मुकदमा साबित करदे तो

मद ११५ वो ११६, जैसी कि सूरत हो लागू होगा, और मुद्दायलेहुम मुद्दई की नालिश में मद ३० लागू करने के वास्ते यह साबित कर सकते है कि वे गफलत और लापरवाही के कसूर वार हैं [इ ला रि कलकत्ता जिल्द १२ सफा ४७७] माल का हवाला न करना माल के गुम हो जाने में दाखिल नहीं है.

किसी खास तारीख पर माल के हवाला न किये जाने से यह मतलब नहीं निकलता है कि उस तारीख को माल सचमुच में गुम हो गया—अगर माल का ले जाने वाला इस मद का फायदा उठाना चाहता है तो उसे यह साबित करना पड़ेगा कि किस तारीख को माल गुम हुआ, मान लिया जावे कि मुद्दई ने जाहिरा में शहादत इस अमर की पेश की है कि उस की नालिश मियाद के बाहर नहीं है [इ. ला रि जिल्द ७ सफा ४७८]

हम्माल पर जो माल हवाला न करने की वजह से नालिश की जाय, उस में मद न ३१ न कि मद न. ४९ लागू होगा—अगर यह साबित हो जाय कि माल जिस का दावा किया गया मुद्दायलेह के कबजे में बजरिये कोई इकरार या दीगर तौर से था तो मद न ४१ लागू होगा [इ. केस. जिल्द २४ सफा ६७४].

फसल ५—दो साल.

मद ३२—नालिश बनाम उस शख्स के जिसे किसी माल को खास कामो मे उपयोग करने का इस्तेहकाक हो, मगर वह दूसरे कामो मे उसे उपयोग करे-दो साल-उस तारीख से कि जब माल मजकूर का दूसरे कामो में उपयोग करना उस शख्स को अव्वल मर्तबा मालुम हो जावे कि जिस को उस से नुकसान पहुंचा हो

तशरीह'—यह मद ऐसी नालिश से ताल्लुक रखेगी कि जिस में किसी माल के साथ बेजा तौर पर कार्रवाई करना या उस को उस के असली गरज को छोड़ कर किसी दूसरे काम में उपयोग करना बयान किया गया हो, बशरते कि ऐसा उपयोग किसी माहदा यान ठहराव के बरखिलाफ हो (इ ला रि कलकत्ता जिल्द ६ सफा २४ केदारनाथ—बनाम—खेतरपाल) बल्कि यह मद उन सूरतों में भी लागू होगा जिन में दावा बतौर हरजा के किया गया हो, मसलन नालिश मिन

जानिब जमींदार बनाम काश्तकार मौरूसी जिस में दादरसी यह हो कि मुद्दायलेह को मनाई इस बात की की जावे कि वह जमीन काबिल काश्तकार को अमराई में न तब्दील करे (इ. ला रि. अलाहाबाद जिल्द ८ सफा ४४६ गंगाधर–बनाम–जहूरिया)

अलावा इस के, यह मद ऐसे मुकदमों से ताल्लुक होगा कि जिन में मुद्दायलेह को किसी माल का चन्द खास कामों में उपयोग करने का इस्तेहकाक हो, लेकिन वह उस माल को दूसरे कामों में लगावे और उस से किसी को नुकसानी पहुंचावे, लेकिन यह मद उन मुकदमों में लागू न होगा, कि जिन में बिला इस्तेहकाक किसी माल के निसबत कोई फेल करे (इ ला. रि अलाहाबाद जिल्द १८ सफा ६२४).

एक मौरूसी हक वाले खेत के मुर्तहनान खेत मजकूर को किसी खास काम में इस्तेमाल करने का हक रखते थे, उन्हों ने सन १९०० ई० में उस खेत में कुछ मकानात बनाये—उन मकानात के तोड़ने के लिये मुद्दई ने नालिश दायर की, ऐसी नालिश में मद न ३२ लागू होगा क्योंकि खेत जिस काम के लिये दिया गया था उस काम में न लाया जाकर दूसरे काम में लाया गया, या मद १२० लागू हो सक्ता है क्योंकि यह नालिश बतौर हुक्म इम्तनाई मागने के समझी जा सक्ती है (अलाहाबाद ला जरनल जिल्द ८ सफा ६१४).

किसी खास खेत से मुद्दायलेह को बेदखल कराने की नालिश इस वाकेआ से दफा २३ एक्ट मियाद में दाखिल न होगी कि खेत मजकूर बतौर हिस्सा आम सड़क वो शामलात देह दर्ज है—जब किसी सड़क का कुछ हिस्सा दाब लिया गया हो और बाकी बचा हुवा हिस्सा इतना चोड़ा रह गया हो कि आम लोग उस पर से अच्छी तरह आ जा सकें तो ऐसे दबाने से खलल आसायश न समझा जावेगा कि जिस से बिनाय मुखासमत बमूजिब दफा २३ एक्ट मियाद पैदा हो सके—नालिश बे दखली मुद्दायलेह शामलात देह के किसी खास हिस्से से जिस पर वह दीगर मालकान के मुकाबले में अपना मुखालफाना कबजा रखता हो, या मुद्दायलेह ने आम लोगों के फायदा उठाने में जो रोक की हो उस रोक के हटाने के लिये नालिश बमूजिब मद न १२० एक्ट मियाद दायर की जायगी. (इ के. जिल्द १५ सफा २८५)

मद ३३—नालिश मुताबिक एक्ट नं. १२ सन १८५९ ई०

(जिस का यह मतलब है कि मरे शख्स के वसीयती माल पाने वाले या मुहतमिम तरका या कायम मुकामान बाज हरकत बेजा की निसबत नालिश कर सके और उस पर वैसी हरकत की निसबत नालिश हो सके)—बनाम वसीयती माल पाने वाले के–दो साल–उस तारीख से कि जब वह हरकत बेजा जिस की नालिश है, वकूअ में आई हो.

यह मद पुराना एक्ट मियाद न १५ सन १८७७ ई० के मुताबिक है

एक्ट मियाद नम्बर १५ सन १८७७ ई० का पुराना मद नम्बर ३२ तीन हिस्सों में तकसीम होकर उस के नये मद नम्बर ३३, ३४ वो ३५ कायम किये गये है, और पुराने मद नं. ३४ वो ३५ खारिज कर दिये गये है–खारजी का सबब तशरीह मद ३४ वो ३५ के नीचे दर्ज है.

मद ३४—नालिश मुताबिक एक्ट मजकूरे मद नं. ३३ बनाम मोहतमिम के–दो साल—उस तारीख से कि जब वह हरकत बेजा जिस्की नालिश है वकूअ में आई हो.

मद ३५—नालिश मुताबिक एक्ट मजकूरे मद नं. ३३ बनाम किसी दूसरे कायम मुताबिक–दो साल–उस तारीख से जब वह हरकत जिस की नालिश है वकूअ में आई हो.

तशरीह—एक्ट मियाद न १५ सन १८७७ ई० के पुराने मद न. ३४ वो ३५ नये एक्ट से खारिज कर दिये गये हैं, सबब खारजी यह है, कि (जोजा) औरत, गो नाबालिग हो कानून की नजर में बतौर ऐसे माल के तसव्वर नहीं की जा सक्ती है कि जिस पर कबजा किया जा सके—मजमूआ जाब्ता दीवानी एक्ट ५ सन १९०८ ई० में भी अहकामात निसबत डिक्री दिला पाने औरत खारिज कर दिये गये हैं.

मद ३६—नालिश हरजा बाबत फैल मुजिर [हानिकारक] या फैल बेजा या अदम तामील के जो माहदा से ताल्लुक न रखता हो, और जिस का जिक्र खास करके इस जमीमा मे नहीं किया गया—दो साल—उस तारीख से कि जब वह फैल हानिकारक या फैल बेजा या अदम तामील वकूअ में आवे

तशरीहः—यह मद आम तौर के हरजों की नालिशों में लागू होगा जिन के लिये इस जमीमा में कोई खास हुक्म दर्ज नहीं है, खास तौर के हरजों के लिये, देखो मद १९ से २९ तक, मसलन नालिश हरजा जाती या नेकनामी में एक साल की मियाद लागू होगी—(देखो मद १९–२७)—वो नालिशात हरजा निसबत जायदाद माल मनकूला वो गैर मनकूला में ३ साल की मियाद शुमार लागू होगी, देखो मद नम्बर ३७, ४२, ४८, वो ४९.

मुद्दई की गाड़ी या जहाज को नुकसानी पहुचाने के बाबत हरजा की नालिश में यह मद लागू होगा, बशर्ते कि ऐसा गाड़ी या जहाज उस वक्त मुद्दायलेह के कबजा में न हो (इ. ला. रि. बम्बई जिल्द ११ सफा १३२ हो १३६)

एक मुकदमा में मुद्दई के ऊपर गल्ला की चोरी का इस्तगासा दायर किया गया, मजिस्ट्रेट ने अपने तरफ से गल्ला कुर्क कराए और फरीकैन को अदालत दीवानी में अपना २ हक साबित करने के वास्ते हुक्म दिया गया लेकिन अदालत दीवानी ने मुद्दई की नालिश खारिज की और गल्ला मुद्दई को खराब हालत में वापस दिया गया—तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि मुद्दई का गल्ला बेजा तौर पर रोका जाने के बाबत नालिश हरजा में मद ३६ लागू होगा और कुर्की की तारीख से मियाद शुरू होगी (इ. ल. रि बम्बई जिल्द ७ सफा ४२७).

एक मुकदमा में मुद्दायलेह ने एक डिक्री के रू से मुद्दई को कुछ जायदाद से बेदखल करके उस जमीन की फसल ले गया जिस के पाने का हकदार वह अजरूय डिक्री न था—यह डिक्री पीछे से मनूख की गई और इस पर मुद्दई ने फसल मजकूर की कीमत के दिला पाने क नालिश दायर की—तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि ऐसी नालिश में यह मद लागू, न होगा बल्कि मद १०९ लागू होगा (इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द ४ सफा ९२५).

नालिशात बाबत हरजा जनाकारी भगा ले जाने औरत और खराब करने पानी वगैरा के इसी मद के मुताबिक दायर होना चाहिये.

साजिश करके जो नुकसान किया गया हो वैसे नुकसान के हरजा दिलाये जाने की नालिश मद न. ३६ या मद न. १२० एक्ट मियाद की रू स होगी, न कि मद न. २३ की रू से (इ. के नि. ११ सफा ७२१).

मद नं. २ ऐसे मामलों में लागू होगा कि जिन में किसी सरकारी मुलाजिम या सरकारी हुकूमत रखने वाले शख्स ने या किसी खानगी याने गैर सरकारी शख्स ने कोई ऐसा फैल किया हो जिस से किसी दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचे या पहुचने का इहतेमाल हो, और वह फैल उस ने इस यकीन पर किया हो कि वैसा करने के लिये उसे किसी कानून की रूसे अखत्यार दिये गये हैं—मद नं. २ ऐसे मामले में लागू न होगा जिस में नुकसान किसी फैल के करने या न करने से हुआ हो, बलकि उस फैल के बेजा तौर पर या अदावत से या बेइहत्याती से करने में हुआ—ऐसे मामले में दफा ३६ लागू होगा (अवध के जिल्द १६ सफा २११)

मुरतहन की नालिश बाबत वसूली मावजा तीसरे शख्स से निस्बत ऐसे नुकसान के जो उस शख्स ने माल मनकूला को जो मुर्तहन के पास रहन था पहुचाया, मद न १६ की रू से हो सकेगी—मद न. ३६ सिर्फ ऐसे मामलों में लागू होगा जिन का जिक्र इस जर्माने में कही नहीं है (इ. के. जिल्द १७ सफा ६०६)

फसल ६—तीन साल.

मद ३७—नालिश हरजा बाबत रोकने रास्ता या पानी बहने की—तीन साल—रोकने की तारीख से—

मद ३८—नालिश हरजा बाबत फेर देने पानी बहने की रास्ता को—तीन साल—फेर देने की तारीख से—

तशरीह:—यह दोनों मद इकट्ठे पढे जावें, नालिशात निस्बत खलल आसायश में जिस का जिक्र इन मदों में नहीं है मसलन, खलल इस्तेमाल हवा वो रोशनी, मद न. ३६ से ताल्लुक रखेंगे न कि मद नं ३७ वो ३८ से.

पानी बहने और रास्ता के इस्तेमाल में लगातार मजाहमत अज किस्म लगातार नुकसानी समझी जाती है, कि जिस से जब तक मजाहमत जारी रहे तब तक हर दम नई बिनाय मुखासमत पैदा होती है, देखो दफा २३ एक्ट मियाद (इ ला. रि. कलकत्ता जिल्द ६ सफा२६४).

इस लिये हरजा बाबत रोकने वो फेर देने रास्ता के उस तारीख से, कि जब

रास्ता मजकूर रोकी गई, या फेर दी गई, तीन साल के अन्दर किसी वक्त बजरिये नालिश वसूल किया जा सक्ता है, लेकिन ऐसा हरजा, नालिश दायर होने के पहिले तीन साल से ज्यादा अरसा के बाबत वसूल नहीं किया जा सकेगा

मद ३९—नालिश हरजा मदाखलत बेजा ऊपर जायदाद गैर मनकूला के—तीन साल—तारीख मदाखलत बेजा से—

तशरीह:—जायदाद गैर मनकूला पर मदाखलत बेजा का किया जाना उस वक्त कहा जावेगा, कि जब कोई शख्स बिला इस्तेहकाक जायज के जायदाद पर दाखिल हो जावे—जब कोई मालिक, जो कब्जा के निस्बत इस्तेहकाक हाल रखता हो, उस जमीन पर जबरन चला जावे तो उस का जाना मदाखलत बेजा में दाखिल न होगा, कि जिस की नालिश हो सके.

हर शख्स अपनी ही मदाखलत बेजा का जवाबदार होगा न कि उस के मवेशियान के मदाखलत बेजा का.

जब कोई शख्स मुद्दई के तालाब या झील में उस की इजाजत के बगैर मछली का शिकार करे तो उस शख्स का यह फैल मदाखलत बेजा के तौर पर समझा जावेगा, बशर्ते कि खुद मुद्दई को उस तालाब या झील में मछली मारने की मनाई न की गई हो (कलकत्ता ला. रिपोर्ट जिल्द ३ सफा ५०६).

मद न ३९ ही एक मद है जो ऐसी नालिश में लागू होगा जिस में मुद्दई ने मुनाफा तारीख दायरी मुकदमा से तारीख फैसला तक का तीसरे शख्स से पाने की नालिश की हो जब कि बे दखली की डिकरी बहक मुद्दई सादिर की गई हो और मुनाफा मुद्दायलेह को न मिला हो (इ. ला. रि. मद्रास जिल्द ३४ सफा ५०२).

मदाखलत बेजा सिर्फ उसी वक्त न कहा जायगा कि जब कोई शख्स किसी शख्स की जमीन पर नाजायज तौर से दाखिल हो, अगर मुद्दायलेह ने मुद्दई की जमीन में आग लगाकर जमीन को नष्ट कर दिया हो, तो मुद्दई की ऐसी नालिश में मद न. ३९ न कि मद न. ३६ लागू होगा (मद्रास ला. जरनल जिल्द २३ सफा ६१८).

जिन यो उस की खड़ी फसल बेजा तौर से कुर्क कराने में मदी ...

की नुकसानी के हरजाने की नालिश मद नं. ३९ की रू से न, मद कि नं ३६ की रू से, होगी (मद्रास ला. टाइमस जिल्द १४ सफा २२५).

मद ४०—नालिश हरजा बवजह उल्लंघन करने हक ग्रंथकारी (यानी किताब बनाना) या किसी और इस्तेहकाक जिस में किसी दूसरे शख्स का दखल न हो—तीन साल—तारीख उल्लंधन से—

तशरीहः—इस मद का मतलब यह है कि जब कोई शख्स एक किताब बनावे, और उस की रजिस्ट्री भी एक्ट नं ५ सन १८८८ ई० के बमोजिब इस गरज से करादे कि कोई दूसरा आदमी उस किताब को अपने तरफ से छपवा कर न बेचें, तो ऐसी हालत में नालिश हरजा जो इस आदमी पर दायर की जावे मुताबिक इस मद के होनी चाहिये.

किसी किताब का तरजुमा करना हक तालीफी के उल्लघन में दाखिल न होगा (इ ला रि. बम्बई जिल्द १९ सफा ५५७).

इसी तरह किसी किताब का खुलाशा मतलब नेक नियती के साथ मुख्तसर में करना हक तालीफी में खलल पहुचाने में दाखिल न होगा [रिसाला कालेट साहेब दफा २३४].

लेकिन ऐसे मुख्तसर करने में अगर एक किताब का असली मतलब निकाल कर दूसरी किताब में दर्ज कर दिया जावे, जिस का यह नतीजा हो कि उस किताब के एवज में दूसरी किताब बनजावे तो इस सूरत में यह मद लागू हो सकेगा (एम टन्ड सी. जिल्द ३ सफा ७११).

मद ४१—नालिश वास्ते बिगाड़ने, या नष्ट करने के; —तीन साल—उस तारीख से कि जब बिगाड़ना या नष्ट करना शुरू हो—

तशरीहः—"बिगाड़ने" या "तलफ करने से" मकानात, जंगल बागीचा, दरख्त, जमीन, वगैरा का ठेकेदार, मुर्तहन बिल कब्ज, या राहिन

या हिस्सेदार की तरफ से बिलकुल मिटा देना या बहुत ज्यादा बरबाद करना मुराद है—

मद नं० ३६ में नालिश हरजा व सबब बिगाड़ने या नष्ट करने जायदाद का जिक्र है और नालिशात निस्बत जारी कराने हुक्म इमतनाई कि मुद्दायलेह ऐसे बिगाड़ने वो नष्ट करने से बाज रखा जाये, इस मद न० ४१ से ताल्लुक रखेंगी—

मद ४२—नालिश बाबत मावजा उस नुकसान के जो किसी हुक्म इमतनाई के बेजा हासिल करने से हो,—तीन साल—उस तारीख से कि जब हुक्म इम्तनाई बन्द हो—,

तशरीह—एक मुकदमा में मुद्दायलेह ने कुछ माल मनकूला कुर्क कराया, इस पर मुद्दई ने माल मजकूर को कुर्की से छुड़ाने का हुक्म हासल किया, लेकिन मुद्दायलेह ने कुर्की कायम रखने की नालिश दायर की, और हुक्म इम्तनाई भी इस मजमून का हासिल किया कि ता फैसला मुकदमा कुर्की कायम रहे, लेकिन पीछे से यह नालिश खारिज की गई तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि नालिश हरजा बाबत कायम रखने कुर्की के इस मद के मुताबिक दायर होगी-(पंजाब रिकार्ड नंबर ४० सन १८८१ ई० हाजीपीर-बनाम-ठाकुरदास)—

इस मद के बमूजिब नालिश सिर्फ उसी सूरत में दायर हो सकेगी कि जब अदालत दीवानी से मावजा मुताबिक दफा ४९७ एक्ट न० १४ सन १८८२ ई० (दफा ९५ एक्ट ५ सन १९०८) के न दिलाया गया हो

मुद्दायलेह हाल ने ता० ३ नोम्बर सन १९०२ ई० को बजरिये अर्जी दावी, जिसमें हुक्म इम्तनाई की चारा जोई चाही गई, नालिश दायर किया—हुक्म इम्तनाई खिलाफ मुद्दई हाल सादिर किया गया—मुद्दायलेह, को उस नालिश में अदालत इब्तदाई ने डिकरी दी, मगर वह डिकरी अदालत अपील अव्वल में ता० ३ जुलाई सन १९०५ ई० को मंसूख की

गई–यह हुक्म मसूखी हाई कोर्ट में, अपील करने पर भी ता० २२ दिसम्बर सन १६०५ ई० को बहाल रहा ता० २ जुलाई सन १६०८ ई० को मुद्दई हाल ने बमूजिब दफा ४९७ मजमूआ जाब्ता दीवानी सन ८२ ई० (दफा ६५ सन १६०८) १०००) रू० हरजा पाने की दरखास्त दी, अदालत ने दरखास्त की सुनाई करने से इन्कार किया मगर मुद्दई को यह इजाजत दिया कि वह उसी दरखास्त को रसूम अदालत अदा करके बतौर अर्जी दावा पेश करे–रसूम अदालत अदा किया गया और दरख्वास्त तरमीम होकर बतौर अर्जीदावा ता० १ अगस्त सन १६०८ ई० में दर्ज रजिस्टर की गई, अदालत इब्तदाई ने ऐसी नालिश की निस्बत यह करार दिया कि मानों वह ता० २ जुलाई सन १६०८ ई को दायर की गई–तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि अदालत इब्तदाई की राय दुरूस्त थी जो कि उस ने यह करार दिया कि वह नालिश ता० २ जुलाई सन १६०८ ई० को दायर हुई समझी जावे, और यह कि बमूजिब मद ४२ मियाद उस वक्त से शुरू हुई जब कि हुक्म इम्तनाई खतम हुवा, और इस मुकदमे में हुक्म इम्तनाई का खतम होना उस तारीख को समझा जावे, जब कि नालिश खारिज की गई, यानी ता० ३ जुलाई सन १६०५ ई० को और जब कि नालिश की दायरी ता० २ जुलाई सन १६०८ ई० को वाजिब तौर से ली जाती है तो वह बेरू मियाद नहीं है–(कलकत्ता ला जरनल जिल्द १६ सफा ३४)—

अगर कोई नालिश निस्बत मिलने हुक्म इम्तनाई दवामी यानी (हमेशा के लिये) दायर की जाय और उस में ता फैसला अखीर चन्द रोज के लिये हुक्म इम्तनाई दिया जावे, तो ऐसा चन्द रोज वाला हुक्म इम्तनाई उस वक्त दवामी हुक्म इम्तनाई में (जज्ब) शामिल होकर बन्द समझा जावेगा जब कि अखीर फैसला में डिकरी मुद्दई को दवामी हुक्म इम्तनाई की मिली—और चन्द रोजा हुक्म इम्तनाई हासिल करने से जो हरजा हुवा, उस के दिला पाने की नालिश में मियाद उस तारीख से शुमार की जावेगी जब कि वैसा चन्द रोजा हुक्म इम्तनाई दवामी हुक्म इम्तनाई की डिकरी में शामिल हुआ–(अलाहाबाद वी. नो जिल्द १८ सफा ११८९).

मद ४३—नालिश बमोजिब दफा ३२० या ३२१ एक्ट विरासत हिन्द सन १८६५ ई०, या बमोजिब दफा १३६, या १४० एक्ट बाबत प्रोबेट वो सनद मोहतमिमी सन १८८१ ई०, इस गरज से कि वह शख्स, जिस को वसी या मोहतमिम तरका ने माल वसीयती अदा किया हो, या जायदाद तकसीम की हो, उस के लौटा देने पर मजबूर किया जावे—तीन साल—अदाई या तकसीम की तारीख से

तशरीह—यह मद पुराने एक्ट मियाद नंबर १५ सन १८७७ ई० के मुताबिक है.

मद ४४—नालिश नाबालिग की तरफ से जो अब बालिग हो गया है वास्ते मंसूख कराने इन्तकाल जायदाद, जिस को उस के वली ने किया हो,-तीन साल,-उस तारीख से कि जब नाबालिग बालिग होवे.

तशरीह:—पुराने एक्ट मियाद सन १८७७ ई० में लफ्ज "बै" की एवज में लफ्ज इन्तकाल नये एक्ट सन १९०८ में दर्ज किया गया है

यह मद उस सूरत में लागू न होगा कि जब वह शख्स जिसका वली होना कहा गया हो दरअसल या कानून के मुताबिक नाबालिग का वली न हो (पंजाब रि. न. १३५ सन १८९२ ई० चन्दू-बनाम-अतराम).

जब किसी हिन्दू नाबालिग का वली नाबालिग की जायदाद बेच डाले, और इस के बाद वह नाबालिग बालिग होने के पेश्तर मर जावे और मुतवफ्फी की जगह पर एक दूसरा नाबालिग लड़का गोद में लिया जावे जिस का वली भी वही शख्स हो, तो गोद में लिया हुआ लड़का बालिग होने के बाद तीन साल के बाद बै मजकूर को मंसूख कराने की नालिश दायर कर सकता है—(इ. ला रि कलकत्ता जिल्द ४ सफा ५२३)

बमुकदमा सी. पी. ला रि जि २ सफा ७१ [सीताराम सदाशिव-बनाम-नीलू पटेल] एक बेवा ने बहैसियत वली अपने नाबालिग बेटा का, तारीख २४ जनवरी सन १८७२ ई० को, एक गांव, जो उस के लड़के का मिलकियत थी

बेंच दिया—तारीख २१ जनवरी सन १८८५ ई० को लड़के ने यह नालिश गाव मजकूर का कबजा पाने को दायर की—साहिब जुडीशल कमिश्नर मध्य प्रदेश की यह राय हुई कि ऐसी नालिश में मद ४४ जमीमा २ एक्ट मियाद लागू होना चाहिये, क्योंकि जिस सूरत में वली कुछ जायदाद बेंच डाले और नाबालिग बैनामा को मसूख कराने के बगैर उस जायदाद का कबजा नहीं पा सक्ता है, तो ऊपर लिखा हुवा मद लागू होना ही चाहिये, हालाकि मुकदमा में दादरसी सिर्फ जायदाद गैर मनकूला का कबजा दिलाये जाने के बाबत की गई हो.

इस बात का तसफिया करने के लिये कि आया मुदई बगैर बैनामा रद्द किये जायदाद बैशुदा पर कबजा पाने का हकदार है या नहीं उस मामले की असली कैफियत दरयाफ्त करना जरूर होगा—अगर बैनामा रद्द या बेअसर हो तो मुदई को उस के मसूख कराने की जरूरत न होगी, अगर मामला काबिल रद्द के हो और जब तक रद्द न किया जाय तब तक वह कारआमद हो तो मुदई उसे बगैर रद्द कराये जायदाद वापिस नहीं पा सक्ता—मद न ४४ सिर्फ ऐसे मामलों में लागू होगा जिन में मुदई सच्चे मामलों को मंसूख कराना चाहता हो, अगर कोई दस्तावेज बिलकुल बेकार इस वजह से हो कि उस का बदल फर्जी था, तो ऐसी सूरत में मुदई को ऐसे बैनामा के मसूख कराने की जरूरत न होगी—लेकिन अगर बदल बैनामे का हो, और दस्तावेज लिखने वाले के अखत्यार से बढ़ कर तहरीर हो तो मुदई को पहिले वैसे दस्तावेज को दखलयाबी पाने के पेश्तर मसूख कराना पड़ेगा—ऐसी सूरत में नालिश बमोजिब मद न. ४४ दायर की जायगी, यह मद सिर्फ ऐसे ही इन्तकाल नामों में लागू न होगी जो वली की तरफ से अपने नाबालगों की जायदाद का किया गया हो बल्कि वैसे वलियों को भी लागू होगा जो वाकई में वली नाबालिग के होवें (इ. के जिल्द ६ सफा ३७७).

मद न. ४४ न कि मद न १४४ ऐसी नालिश में लागू होगा जो इस बात के इस्तकरार हक के लिये दायर की जाय कि मुदई उस बै का जिम्मेदार नहीं हो सक्ता कि जो मुदई की जायदाद का उस की मा ने बहैसियत वली के किया और मुदई वैसी जायदाद पर कबजा और मुनाफा पाने का हकदार है (मद्रास ला. जरनल जिल्द २२ सफा ४०४).

हर नालिश मुसलमान मुद्दई की तरफ से वास्ते दिला पाने कब्जा जायदाद जो उस्की नाबालगी में उस के वली ने बै कर दी हो मुताबिक मद न १४४ रुजू की जायगी, न कि मद न ४४, और ९१ की रू से--नाबालिग की जायदाद को इन्तकाल करना सरीह तौर पर बतौर रद्द के है और ऐसा बैनामा बतौर कलअदम के समझा जावेगा, और उस के मसूख कराने की जरूरत नहीं है (इ के जिल्द १९ सफा २३५).

मद न. ४४ वैसे इन्तकाल जायदाद को लागू न होगा जो गैर अखत्यार रखने वाले वली ने किया हो (मद्रास ला. जरनल जिल्द २७ सफा २८५)

मद ४४ ऐसे मामलात में भी लागू होगा जब कि इन्तकाल जायदाद किसी ऐसे वली की तरफ से किया गया हो, जो अजरूय एक्ट नाबालिगान या इसी तरह के दूसरे एक्ट के मुकर्रर किया गया हो (इ के जि २४ सफा ११०)

मद ४५—नालिश बमुराद मंसूखी उस फैसला के जो मजमूआ बंगाल के नीचे लिखे हुए कानून में से किसी के बमूजिब सादिर हुआ हो:—

कानून नं ७ सन १८२२ ई०
कानून नं ९ सन १८२५ ई०
कानून नं. ९ सन १८३३ ई०

तीन साल—मुकदमा के अखीर फैसला या हुक्म की तारीख से—

तशरीह—यह मद हर शख्स की नालिश में लागू होगा चाहे वह उस फैसला के पाबन्द हो या नहो, और जो शख्स वैसे फैसला का पाबन्द हो उस की नालिश में मद न ४६ लागू होगा.

मुल्क बंगाल में फैसला पैमायश बाकबस्त निसबत हदबन्दी मवाजियात के बतौर फैसला बमूजिब एक्ट न. ९ सन १८२५ ई० के समझा जायेगा (मों रिपोर्टर जिल्द १२ सफा ६ वो १८ प्रिवी कौंसिल)—

अखीर ओहदेदार माल (मसलन, बोर्डमाल) के हुक्म कतई (... ... [illegible]

वेंच दिया–तारीख २१ जनवरी सन १८८५ ई० को लड़के ने यह नालिश गाव मजकूर का कबजा पाने की दायर की–साहिब जुडीशल कमिश्नर मध्य प्रदेश की यह राय हुई कि ऐसी नालिश में मद ४४ जमीमा २ एक्ट मियाद लागू होना चाहिये, क्योंकि जिस सूरत में वली कुछ जायदाद बेंच डाले और नाबालिग बैनामा को मसूख कराने के बगैर उस जायदाद का कबजा नहीं पा सक्ता है, तो ऊपर लिखा हुवा मद लागू होना ही चाहिये, हालांकि मुकदमा में दादरसी सिर्फ जायदाद गैर मनकूला का कबजा दिलाये जाने के बाबत की गई हो

इस बात का तसफिया करने के लिये कि आया मुद्दई बगैर बैनामा रद किये जायदाद बैशुदा पर कबजा पाने का हकदार है या नहीं उस मामले की असली कैफियत दरयाफ्त करना जरूर होगा–अगर बैनामा रद या बेअसर हो तो मुद्दई को उस के मसूख कराने की जरूरत न होगी, अगर मामला काबिल रद के हो और जब तक रद न किया जाय तब तक वह कारआमद हो तो मुद्दई उसे बगैर रद कराये जायदाद वापिस नहीं पा सक्ता–मद न. ४४ सिर्फ ऐसे मामलों में लागू होगा जिन में मुद्दई सच्चे मामलों को मसूख कराना चाहता हो, अगर कोई दस्तावेज बिलकुल बेकार इस वजह से हो कि उस का बदल फर्जी था, तो ऐसी सूरत में मुद्दई को ऐसे बैनामा के मसूख कराने की जरूरत न होगी—लेकिन अगर बदल बैनामे का हो, और दस्तावेज लिखने वाले के अख्त्यार से बढ़ कर तहरीर हो तो मुद्दई को पहिले वैसे दस्तावेज को दखलयाबी पाने के पेश्तर मसूख कराना पड़ेगा–ऐसी सूरत में नालिश बमोजिब मद न. ४४ दायर की जायगी, यह मद सिर्फ ऐसे ही इन्तकाल नामों में लागू न होगी जो वली की तरफ से अपने नाबालगों की जायदाद का किया गया हो बल्कि वैसे वलियों को भी लागू होगा जो वाकई में वली नाबालिग के होवें (इ के जिल्द ६ सफा ३७७).

मद न ४४ न कि मद न १४४ ऐसी नालिश में लागू होगा जो इस बात के इस्तकरार हक के लिये दायर की जाय कि मुद्दई उस बै का जिम्मेदार नहीं हो सक्ता कि जो मुद्दई की जायदाद का उस की मा ने बहैसियत वली के किया और मुद्दई वैसी जायदाद पर कबजा और मुनाफा पाने का हकदार है (मद्रास ला. जरनल जिल्द २२ सफा ४०४)

मद ताल्लुक रखता है—मजमूआ मजकूर की दफा १४५ में यह हुक्म है कि जब जायदाद गैर मनकूला के कब्जा लेने की निस्बत कोई फरीक झगड़ा फिसाद का डर बतलावे तो वह मजिस्ट्रेट जिला के पास दरखास्त इस मजमून की पेश कर सकता है कि दोनों में से किसी फरीक के निस्बत हुक्म दिया जावे कि वह जायदाद मजकूर पर काबिज बना रहे जब तक कि दूसरा फरीक अपना इस्तेहकाक अदालत दीवानी से कायम न करा ले—पस यह मद उस शख्स से ताल्लुक रखेगा जो मजिस्ट्रेट के ऐसे हुक्म के मंसूखी की नालिश दायर करे—लेकिन यह मद सिर्फ उन्हीं लोगों से ताल्लुक रखेगा जो उस हुक्म के पाबन्द करार दिये गये हों, या उन शख्सों से जो बजरिये उन के दावीदार हों, न कि उन लोगों में से जो उन दोनों फरीकैन के बरखिलाफ दावीदार हों जिन के दरमियान यह हुक्म सादिर हुआ हो—

जब मजिस्ट्रेट इस बात का तसफिया न कर सके कि जमीन पर कब्जा दरअसल किस का है या जब वह यह फैसला करे कि कोई फरीक काबिज नहीं है और मजिस्ट्रेट मजकूर मजमूआ जाब्ता फौजदारी की दफा १४६ के अख्त्यार से उस जायदाद को कुर्क करके मजिस्ट्रेट मातहत के सिपुर्द करदे तो उस का हुक्म इस मद के बमूजिब न समझा जावेगा—

मद न० ४७ ऐसी नालिश के लिये रोक न करेगा जो किसी ऐसे शख्स की तरफ से दायर की जाय जो हुक्म मुन्दर्जे मद मजकूर में फरीक न हो (मद्रास ला जरनल जिल्द २३ सफा ३४८)—मद न० ४७ ऐसे मामलों में लागू न होगा जब कि कोई हुक्म निस्बत कब्जा जायदाद गैर मकूला बमूजिब मजमूआ जाब्ता दीवानी न हुआ हो, गो अर्जी मुद्दई कब्जा सबूत न करने की वजह से खारिज की गई हो (इ केस जिल्द १६ सफा ७३५)—

मद [illegible]—नालिश बाबत ख़ास माल मनक़ूला जो गुम गया [illegible] के साथ तसर्रुफ बेजा हो या जो [illegible] नालिश किया गया हो करके या [illegible] बेजा तौर पर लेने या

से मियाद शुरू होगी, बशर्ते कि अपील ऐसे उहदेदार माल के पास पेश हुई हो—(वी रिपोर्टर जिल्द १० सफा ९१ किशन—बनाम—मोहम्मद)—

मद ४६—नालिश वास्ते दिला पाने किसी माल के, जिस की बाबत फैसला हो, मिन जानिब उस फरीक के जिस को उस माल का हासिल करना वाजिब हो,—तीन साल—मुकद्दमा के अखीर फैसला या हुक्म की तारीख से—

तशरीह:—मद ४५ की रू से हर शख्स पर जो किसी फैसला को मसूख कराना चाहता है लाजिम होगा कि अपनी नालिश तीन साल के अन्दर दायर करे, चाहे वह फैसला मजकूर का पाबन्द हो या न हो—लेकिन अगर वह मांगी हुई दादरसी फैसला के मसूख कराने के बगैर पा सकता है तो यह मद लागू न होगा—मद ४६ सिर्फ उन्ही लोगों से ताल्लुक रखता है जो उस फैसला के पाबन्द करार दिये गये हैं—

जब साहब कलेक्टर ने किसी जमीन का बअजरूये कानून नं. ७ सन १८२२ ई० बन्दोबस्त करते वक्त यह फैसला किया हो कि कुछ रकबा जमीन मुद्दई का नहीं है, जैसा कि मुद्दई बतलाता है बल्कि मुद्दायलेह का है तो कलेक्टर सा० का ऐसा तसफिया मद ४६ की मन्शा में बतौर फैसला दाखिल न होगा—(कलकत्ता वीकली नो जि० १७ सफा ५५)—

मद ४७—नालिश मिनजानिब ऐसे शख्स के जिसपर पाबन्दी ऐसे हुक्म की वाजिब हो जो निस्बत कबजा जायदाद बमूजिब मजमूआ जाप्ता फौजदारी (एक्ट नं ५ सन १८६८ ई०) या बम्बई के एक्ट मुताल्लुके अदालत हाय मामलतदारान (बम्बई नं. २ सन १६०६) या मिन जानिब किसी शख्स के जो बजरिये शख्स मजकूर दावीदार हो, बाबत दिलापाने उस जायदाद के जो ऐसे हुक्म में दर्ज है—तीन साल—मुकद्दमा के हुक्म अखीर की तारीख से—

तशरीह—इस मद में पुराना मजमूआ जाब्ता फौजदारी एक्ट न० १० सन १८७२ ई० का हवाला दिया गया है—मजमूआ जाब्ता फौजदारी हाल सन १८८२ ई० की बारवीं फसल है कि जिस में यह

नाजायज तौर पर हुवा हो.

तशरीह:—मद ४९ ऐसी नालिश में लागू न होगा कि जिस में मुद्दई ब हैसियत वारिस मुतवफ्फी के मनकूला माल का कबजा पाने की नालिश दायर करे—(इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द २१ सफा ५७ मोहम्मद—रियासत—बनाम—मुसम्मात हसनि)

खड़ी फसल जायदाद गैर मनकूला समझी जावेगा-(इ. ला. कलकत्ता जिल्द ४ सफा ६६५ पडा राजी—बनाम—जैनुद्दीन).

लेकिन जब फसल काट ली जावे तो वह जायदाद मनकूला हो जाती है, और जब ऐसी फसल काट कर जमीन से उठा ली जावे और नाजायज तौर पर रोक रखी जाय तो हरजा की नालिश में ऊपर लिखे दोनों मद लागू होंगे [बम्बई हाई कोर्ट रिपोर्ट जिल्द ६ सफा ११४]

मद ४९ के बमूजिब मियाद उस वक्त से शुरू होती है कि जब वह नुकसानी कि जिस की बाबत नालिश दर पेश है, वकूअ में आवे, और मद ४९ के रू से नालिश की मियाद उस वक्त से शुरू होगी कि जब मुद्दई को यह बात मालूम हो जावे कि जायदाद किस के कबजा में है.

एक मुकदमा में प्रीवी कौंसिल ने यह तजवीज की है कि जब खुद मुद्दायलेह ने किसी माल को नाजायज तौर पर तबदील न किया, बल्कि उस के मुख्तार ने माल मजकूर को बेंच कर बिक्री का रुपया मुद्दायलेह के लिये रोक रखा हो, तो मुद्दई की नालिश में मद ४९ या ६२ लागू न होगा [इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द १० सफा ८६० गुरूदास—बनाम—रामनारान].

अगर किसी माल का मालिक उस को मुद्दायलेह के कबजा में छोड़ दे तो नाजायज तौर पर उस माल का तबदील किया जाना उस वक्त तक न कहा जावेगा कि जब मुद्दायलेह वह माल उस के मालिक को देने से इन्कार करे—

" खास माल मनकूला" में वह माल दाखिल है कि जिसे मालिक उसी अपनी असली हालत में वापस मांगने का हकदार हो सकता है—(इ. ला. रि बम्बई जि० ११ सफा १३३)—इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह तजवीज की है कि

रोक रखने से हुवा हो—तीन साल—उस तारीख से कि जब उस शख्स को जो माल का कब्जा पाने का हक रखता हो, अव्वल मरतबा मालूम हो जाय कि माल किस के कब्जे में है—

तशरीहः—नालिश बे कसूर शख्स पर बाबत दिला पाने माल मसरूका (चोरी का) या उस की कीमत बतौर हरजाना मुताबिक मद न. ४८ दायर हो सक्ती है और मियाद उस तारीख से शुरू होगी जब कि मुदई को इस बात का इल्म हुवा कि माल मजकूर मुद्दायलेह के कबजे में आया (इ. के. जि. ११ सफा ४४६)

जब नाजायज कुरकी की तामील में मुद्दायलह ने मुदई के खेत की खड़ी फसल कटा कर ले गया तो ऐसी सूरत में नालिश मुदई बाबत हरजा मद न. ४८ या ४६ की मन्शा में दाखिल हो सकेगी (कलकत्ता वीक्ली नेट जिल्द १७ सफा ३०८).

जब एक शख्स किसी दूसरे का जेवर ग्राहक को बेचने के लिये ले जाय और वह उस जेवर को किसी तीसरे शख्स के पास गिरवी रख कर रूपया अपने खर्च में ले आवे तो जेवर का असली मालिक अपने जेवर को उस शख्स के पास से वापिस दिलाये जाने की नालिश कर सक्ता है जिस के यहा वह गिरवी रखा गया है, और नालिश की मियाद उस तारीख से तीन साल तक शुमार की जायगी जब कि मुदई को इल्म हुवा कि उस का जेवर मुद्दायलेह के पास है और मुद्दायलेह अपने गिरवी का रूपया गिरवी रखने वाले से दिला पाने का हकदार न होगा, क्योंकि गिरवी रखने वाले का गिरवी रखते वक्त उस माल पर हक जायज न था (मद्रास ला टाइम्स जि. १५ सफा २२१)

मद ४६—नालिश बाबत दूसरे किस्म की खास जायदाद मनकूला के, या बाबत हरजा बेजा तौर पर ले लेने या नुकसान पहुंचाने या रोक रखने ऐसे माल के—तीन साल—उस तारीख से जब कि माल बेजा तौर पर ले लिया गया हो या उस को नुकसान पहुंचा हो या जब कि रोक रखने वाले का कबजा

कब्जा देने के बदले में बेनीसिंग ने वही जायदाद कल्लूसिंग के हाथ बेच कर उसे कब्जा दे दिया—अमरसिंग ने अब बेनीसिंग और कल्लूसिंग दोनों पर तामील मुखतिस यानी माहदा की खास तामील करा पाने की नालिश दायर की जिस में उस ने डिकरी हासिल किया—लेकिन कल्लूसिंग का कब्जा इस के बाद में भी मनकूला माल पर बना रहा, इस लिये अमरसिंग ने उस के ऊपर उस माल के दिला पाने की नालिश दायर की—तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि कल्लूसिंग का कब्जा सब के पहिले उस तारीख को नाजायज हुवा कि जब तामील मुखतिस की अखीर डिकरी अपील में सादिर की गई—(इ ला रि. बम्बई जिल्द ५ सफा ५५४)—

बाद इनफिकाक रहन जायदाद मरहूना के दस्तावेजात मुर्तहिन के कबजा मे रहे थी जब उस से वे दस्तावेज मागे गये उस ने उन को देने से इन्कार किया—तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि नालिश बमूजिब मद ४६ दायर होनी चाहिये और मियाद उस तारीख से शुरू होगी कि जब दस्तावेज जायज तौर से वापस मागे गये और इस तारीख के बाद उन का रोक रखना नाजायज समझा जावेगा—(इ ला रि. मद्रास जिल्द १५ सफा १५७)—

मुद्दई ने एक जेवर मुद्दायलेह को इस गरज से हवाले किया कि वह उस को किसी तीसरे शख्स के पास गिरवी रख कर रूप्या कर्ज ले आवे, मुद्दायलेह ने ऐसा ही किया—मुद्दई ने यह करजा मुद्दायलेह के मारफत अदा कर दिया—मुद्दायलेह ने वह रूप्या देकर जेवर ले आया मगर वह जेवर मुद्दई को न देकर अपने पास रख लिया—जिस हालत में इस बात का माहदा न था कि कर्जा के अदाई के बाद मुद्दायलेह जेवर को अपने पास अमानत रखे, तो मद न. १४५ लागू न होगा, बल्कि मद न. ४६ लागू होगा (मद्रास ला. जरनल जिल्द २० सफा १५२)—

मद ५०—नालिश बाबत किराया जानवर या सवारी या किश्ती या असबाब घर के—तीन साल—उस तारीख से जब के किराया वाजबुलअदा हो—

तशरीह:—यह मद मुताबिक पुराने एक्ट मियाद न १५ सन १८७७

नालिश बाबत दिला पाने एक खास रकम, कि जो मुद्दायलेह के पास किसी खास काम के वास्ते बतौर अमानत रखी गई हो, लेकिन जिसे उस ने नाजायज तौर पर खर्च कर डाला हो, एक ऐसी नालिश के तौर पर समझी जावेगी कि जिस में मद ४८ लागू होगा (इ. ला. रि. अलाहाबाद जि. ५ सफा २४१ रामेश्वर-बनाम-माताभीख).

एक मकान के मुर्तहिन ने, जिसे उस के बेचने का अख्त्यार हासिल था, मकान मजकूर का कब्जा लेकर उस को एक तीसरे शख्स के हाथ बेच डाला-जिस तारीख को मुर्तहिन ने उस मकान का कब्जा लिया उस वक्त कुछ इमारती लकड़ी और दूसरी चीजें मकान मजकूर में इकट्ठा रखी थीं, मकान के बेचते वक्त मुर्तहिन को यह हाल मालूम न था, इस लिये उस ने मकान का कब्जा भी खरीदार के हवाला कर दिया-मकान के राहिन को अख्त्यार है कि वह मुर्तहिन पर मद ४६ के बमूजिब खास इमारती लकड़ी या मावजा के दिला पाने की नालिश करे-(इ. ला रि. मद्रास जिल्द ११ सफा ३३३)—

एक मुकदमा में एक शख्स ने कुछ खास माल मनकूला अमरसिंग के हक में वसीयत किया लेकिन अमरसिंग ने वह माल कल्लूसिंग के हाथ बेच डाला-बेनीसिंग ने सारटीफिकट बमूजिब एक्ट न० २७ सन १८६० ई० के हासिल करके माल मजकूर का कब्जा लिया-लेकिन ता० १६ अगस्त सन १८७३ ई० को यह सारटीफिकट मसूख होकर बेनीसिंग को हुक्म दिया गया कि वह माल मजकूर अमरसिंग या उस के खरीदार के हवाले कर दे-कल्लूसिंग ने अपनी नालिश ता० २२ मार्च सन १८७८ ई० को दायर की-तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि ऐसी नालिश में मद ४६ लागू होगा और बेनीसिंग का कब्जा ता० १६ अगस्त सन १८७३ ई० को नाजायज हुवा-(इ ला. रि. कलकत्ता जिल्द ६ सफा ७६ इस्सूर-बनाम-जगत)—

एक दूसरे मुकदमा में, बेनीसिंग ने कुछ जायदाद मनकूला और गैर मनकूला अमरसिंग को बेचा, लेकिन उस को जायदाद मनकूर का

सफा २८४).

मद ५४—नालिश बाबत कीमत बेचे हुए और हवाला किये हुए माल के, जिस हाल मे कि कीमत बजरिये बिल आफ एक्सचेंज (हुन्डी)अदा होने वली हो, और वह हुन्डी न दी जाय—तीन साल—उस तारीख से कि जब हुन्डी मजकूर की मुद्दत गुजर जाये.

तशरीह—जब कोई माल छै महीना के करार से बेंचा जावे और उस की कीमत खरीदार की मरजी पर दो या तीन माह की मिती वाली हुन्डी के जरिये अदा करने का करार होवे, तो ऐसी हालत में दर असल वह नव माह का करार समझा जावेगा, और नव महीना के खतम होने की तारीख तक मियाद शुरू न होगी।

मद ५५—नालिश बाबत कीमत झाड़ या खड़ी फसल कि जो मुद्दई ने मुद्दायलेह के हाथ बेची हो, और उसकी अदाई के लिये किसी मुद्दत का वादा आपस में न ठहराया हो—तीन साल—बेंचने की तारीख से

तशरीहः—मद ५२ से ५५ तक में नालिशात बाबत कीमत माल, दरख्तान और खड़ी फसल की मियाद के बारे में हुक्म है, यानी माल मनकूला की कीमत की निस्बत—जमीन या जायदाद गैर मनकूला (दरख्तान और खड़ी फसल को छोड़ कर) की कीमत के दिला पाने की नालिशात के बारे में ऐसा कोई मद नहीं है—उगने वाले झाड़ों के दखलयाबी की नालिश की मियाद का जिक्र मद १४२ या १४५ में है

मद ५६—नालिश बाबत उजरत काम के जो मुद्दायलेह की दरख्वास्त पर मुद्दायलेह के वास्ते मुद्दई ने किया हो और उजरत के अदाई की कोई मियाद मुकर्रर न की गई हो—तीन साल—उस तारीख से कि जब वह काम किया गया हो—

तशरीह—जो नालिश किसी सुनार की तरफ से बाबत दिला पाने कीमत मिहनत ने [illegible] के तैयार करने में की हो, दायर की जावे, उस में यह मद ... (देखो ... हुए ... बाई

ई० के है—

मद ५१—नालिश बाबत बाकी उस रूप्या के जो माल हवाला करने के लिये उसकी कीमत में दिया गया हो—तीन साल—उस तारीख से कि जब माल हवाला करना चाहिये था—

तशरीह:—कानूनी तारीफ के बमोजिब लफ्ज "रूप्या" में सिर्फ सरकारी सिक्का ही शामिल नहीं है, बल्कि आम तौर पर उस लफ्ज में हर ऐसा कागज, जिम्मेदारी या किफालत का भी शामिल है जो फौरन और जरूर करके जर नक्द में तबदील हो सक्ता है (इ. ला. रि अलाहाबाद जिल्द ३ सफा ७८८ वो ७९३)

अगर हवालगी माल के वक्त की निस्बत कोई खास शर्त मुकर्रर हो और वक्त का अन्दाजा किसी तिजारत के रिवाज या तर्ज लेन देन दरमियान फरीकैन के न मालूम हो सके, तो ऐसा रूप्या बतौर पेशगी दिये जाने की तारीख से माकूल मुद्दत दी जावेगी (वीकली रिपोर्टर जिल्द ७ सफा १६४)

मद ५२—नालिश बाबत कीमत किसी बेचे हुए और हवाला किये हुए माल के, जिस हाल में कि कीमत अदा करने के लिये किसी मुद्दत का वायदा आपस मे न ठहरा हो—तीन साल—माल के हवालगी की तारीख से—

तशरीह:—इस मद के मुताबिक हर चीज के हवालगी की तारीख उस के कीमत की नालिश के बिनाये मुखासमत की तारीख समझी जायगी.

मद ५३—नालिश बाबत कीमत ऐसे बेचे हुए माल और हवाला किये हुए माल के, जिस हाल में कि एक मुद्दत मुकर्रर के बाद अदा करने का वादा हुवा हो,—तीन साल—वादा की मुद्दत गुजरने की तारीख से—

तशरीह:—यह मद एक ऐसे मुकदमा में लागू किया गया है कि जिस में माल के कीमत का दावा हर एक हवालगी के तारीख को बतौर इस्तेहकाक नहीं किया जा सक्ता था क्योंकि माल की कीमत उस वक्त वाजुबुलअदा होनी चाहिये थी कि जब कुल माल हवाला किया जावे (इ ला रि. अलाहाबाद जिल्द ७

करके अपने साहूकार से, कबल इस के कि उस का रूप्या सचमुच में पट चुका हो उस की रकम मुजरा ले ली हो—

मद ५९—नालिश बाबत ऐसे करजा के जिस का मांगने पर अदा किये जाने का इकरार हुवा हो—तीन साल—उस तारीख से कि जब करजा दिया जाय—

तशरीह:—जब कोई शख्स कुछ रूप्या मांगने पर अदा करने का करार करे और रकम मजकूर अदा करने के लिये उस का काम हो चाहे वह तलब की जावे या नहीं तो ऐसी हालत में जर करजा फौरन वाजबुल अदा हो जाता है और उस करजा के निस्बत उस पर नालिश करने के पेश्तर उस रकम को तलब करने की कुछ जरूरत न पड़ेगी, मसलन दर सूरत दिला पाने जर करजा यो रूप्या बाबत बेचा हुआ माल या किया हुआ काम के, लेकिन जब रूप्या की अदाई का ऐसा इकरार किसी शर्तिया अमर के हो जाने के बाद तलब करने का हो, तो उस इकरार की तामील जब्र के साथ कराने के पेश्तर करजे का तलब किया जाना जरूर है—याने जब तक रूप्या तलब न किया जावे तब तक बिनाय मुखासमत दावी की पैदा न होगी—मसलन, अगर (अ) ढाका शहर, को हुक्म मिलने पर जावे या अगर (अ) (क) को तलब करने पर २००) रू० देवे तो (ब) को १००) रू० दिया जावेगा (इं. ला. रि. कलकत्ता जिल्द ४ सफा २८३ वो २६४ रामचन्द्र–बनाम–जानमन मोहनी)—

ऐसे इकरार में, कि जिसके रू से कुछ रूप्या "तलब किये जाने से छै मास के अन्दर वाजबुल अदा होगा" मद ५९ या ७३ लागू न होगा (इं. ला. रि मद्रास जिल्द ६ सफा २६०).

मद ६०—नालिश बाबत दिला पाने उस रूप्या के जो इस इकरार पर अमानत रखा गया हो कि वह मांगने पर वाजिबुलअदा होगा, और इस में आढ़्त का ऐसा रूपया भी दाखल है जो उस के साहूकार के पास जमा है और वह वाजबुलअदा हो—तीन साल—उस तारीख से कि जब तलब किया जाय—

... में लागू होगा कि जब कुछ रूप्या किसी

हाई कोर्ट बाबत सन १८८५ ई० सफा २५२ बिशनू–बनाम–गोपाल)—

नालिश बाबत उजरत काम में, जो मुखत्यार या वकील ने किया हो मद ८४ लागू होगा.

एक जिमींदार ने मुद्दायलेहुम की दरखास्त पर एक तालाब की मरम्मत की वह उन के हिस्से का खर्चा इस तौर पर तारीख खतम होने काम से तीन साल के अन्दर बजरिये नालिश वसूल कर सक्ता है कि गोया वह काम उन लोगों की दरखास्त पर किया गया (इ. ला. रि मद्रास जि. ६ सफा ३३४)

मद ५७—नालिश रूप्या के दिला पाने की बाबत जर करजा—तीन साल—उस तारीख से कि जब करजा दिया गया हो—

तशरीह'—नालिश दिला पाने रूप्या, जो बतौर करजा के दिया गया हो, मामूली तौर पर ऐसे करजा के वसूली की नालिश के मुवाफिक तसौवर की जावेगी जिस की अदाई फौरन या मागने पर होनी चाहियें, लेकिन जब जर करजा की अदाई के वास्ते कोई खास तारीख बजरिये इकरार तहरीरी या जबानी मुकर्रर हुई हो, तो ऐसी हालत में करार दी हुई तारीख अदाइ से मियाद शुरू होगी; और जब ऐसा इक़रार जबानी हो तो मद ११५ लागू होगा [इ ला रि.कलकत्ता जिल्द १० सफा १०३३ रामचन्द–बनाम–रामचन्द]—इस मुकदमा में नालिश बाबत दिला पाने कुछ रूप्या मय सूद बजरिये इकरार जबानी दायर की गई थी जिस में यह शर्त थी कि जर करजा मय सूद तारीख करजा से एक साल के अन्दर अदा किया जावेगा—

मद ५८—इसी तरह की नालिश कि जब दायन (करजा देने वाला) ने रूप्या का चिक (रूक्का) लिख दिया हो—तीन साल—उस तारीख से कि जब रूक्के का रूप्या अदा किया गया हो—

तशरीह:- अगर करजा बजरिये चिक याने रूक्का के दिया गया हो तो करजदार के मुकाबले में बिनाम मुखासमत उस वक्त तक पैदा न होगी कि जब तक चिक मजकूर भंजाया न जावे, हालांकि करजदार ने उस चिक का उपयोग

को वारिस की नालिश से बचाने के लिये नीचे लिखे मजमून का एक दस्तावेज मुद्दायलेह की तरफ से मुद्दई के नाम लिखा गया "तुम ने मुझ को इस बात की रसीद दी है कि तुम को मेरे पास से रकम १०६८१॥-)९ की जो तुमने मेरे पास बतौर अमानत जमा की थी मिल चुकी है, और यह रकम तुमने हमारे पास अमानत तुम्हारे बगाली के मुकदमे के तसफिया होते तक जिस की पेशी १५ अगस्त सन १९०० ई० को है रखी थी, मगर तुमने रसीद तो रूप्या पाने की दे दी है, मगर यह रकम मैंने तुम को अभी तक वापस नहीं दी है, इस रकम को मय सूद के मैं मुकदमा के तसफिया होने के बाद तुम को अदा कर दूगा, और अभी हाल में मैं तुम को अदालती वो घरू खर्च के लिये वाजिब खर्चा दूगा"—तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि ऐसी रकम की नालिश में मद न ६६ या ११५ लागू होगा—चूंकि यह दावा वास्ते मिलने हरजा तोड़ने माहदा रजिस्ट्री शुदा के है, इस लिये मद नं. ११५ लागू होगा और मियाद मुकदमा के तसफिया होने के बाद रूप्या न देने की तारीख से शुरू होगी (इ के. जिल्द २२ सफा ६०).

मद ६१—नालिश उस रूप्ये की जो मुद्दायलेह की बाबत मुद्दई ने अदा किया हो, और मुद्दई को वाजुबुलअदा हो—तीन साल—रूप्या के अदा किये जाने की तारीख से—

तशरीह'—अगर मुद्दई ने रूप्या किसी तीसरे फरीक को भी मुद्दायलेह के कहने या अखत्यार देने पर दिया हो, चाहे वैसी इजाजत जाहरा तौर पर दी गई हो या मतलब से निकलती हो और मुद्दायलेह ने वैसा रूप्या पटाने की जिम्मेदारी जाहरा या मानवी तौर पर अपने ऊपर ली हो, तो भी वैसे रूप्या के दिला पाने की नालिश इस मद के मुताबिक चल सकेगी

टीकाराम ने सन १८६१ ई० में नन्दराम से अमरसिंग के नाम से एक खाता लेन देन का खोला—तारीख २१ मई सन १८७३ ई० को टीकाराम ने वह कुल रूप्या माग कर जो अमरसिंग के नाम जमा था बेनीसिंग के हवाले कर दिया—तारीख ३० जनवरी सन १८७८ ई० को अमरसिंग के वारसों की नालिश पर नन्दराम के ऊपर उस रकम के वापसी की डिक्री दी गई—बाद वारसों ने नन्दराम के हक में उन के हिस्सा रकम मन्जूर की निस्बत दस्तबर्दारी

शख्स के पास बतौर अमानत इस शर्त पर रखा जाय, कि जिस वक्त मांगा जाय उसी वक्त फौरन रूप्या मजकूर वापस कर दिया जावे.

जिस हालत में कुछ रूप्या किसी ओहदा का काम बराबर चलाने के लिये बतौर जमानत अमानत में रखा गया हो तो यह मद लागू न होगा (इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द १२ सफा ११३).

एक मुकदमा में कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह तजवीज की है कि यह मद उस सूरत में लागू होगा कि जब कुछ रूप्या का किसी शख्स के पास जमा किया जाना साफ तौर पर बतौर अमानत के मालूम पड़े या जब वह रूप्या ऐसी हालत में रखा जावे कि जिस से अमानत का मतलब निकलता हो- मामूली तौर पर जमा की हुई रकम मिस्ल करजा के समझी जावेगी—यह भी कहा गया है कि जब तक ऐसे रूप्या पाने वाले को अमानतदार की हैसियत न दी जावे तब तक कुल मामला करने के समान, न कि बतौर अमानत के समझा जावेगा (कलकत्ता ला रि. जिल्द ६ सफा ४७०)—लेकिन यह नजीर बमुकदमा इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द १६ सफा २५ (ईशरचंद—बनाम- जीवन कुमार) नापसन्द की गई, जिस मे यह राय करार पाई थी कि जब मुद्दई ने मुद्दायलेह की दूकान में, जहा महाजनी अर्थात लेन देन का रोजगार होता था, कई रकमें जमा किया और इस जमा शुदा रकम पर सूद भी जारी था, और कई वक्त मुख्तलिफ रकमें भी मुद्दई ने मगा लिया और साल के अखीर में असल वो सूद का हिसाब होकर बाकी निकाली गई जो मुद्दई के पास भेज दी जाती थी—तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि एक्ट मियाद के मद ६० के बमोजिब बिनाय मुखासमत दावी मुद्दई उस तारीख को पैदा हुई कि जब अखीर बकाया तलब किया गया—ऐसे मुकदमा में मद ५७ लागू न होगा.

एक दूसरे मुकदमा में बम्बई की हाई कोर्ट ने यह तजवीज की है कि मद ६० ऐसे मुकदमों से ताल्लुक न रखेगा कि जिन में जमा की हुई रकम अजरूय कानून बतौर करजा समझी जावे, जैसा कि मामूली महाजनी कारोबार में मामलेजात दरम्यान ऐसे साहूकारान और उन के ग्राहकों के हुआ करते हैं (इ ला. रि. बम्बई जिल्द १३ सफा ३३८ इच्छा धनजी—बनाम—नाथा).

मुद्दायलेह के पास कुछ रकमें बतौर अमानत जमा की गई और उस रूप्ये

पाने की नालिश में जो कारिन्दे ने अपने मालिक की तरफ से अदा किया हो मद न ११६ एक्ट मियाद लागू होगा जब कि मुख्त्यारनामा में वैसी कोई शर्त न हो—अगर मुख्त्यार ने अपने मालिक के मुकदमे में कुछ खर्चा अपनी तरफ से किया हो तो वैसे रूप्या के दिला पाने की नालिश में मद नं. ६१ लागू होगा और मियाद उस वक्त से शुमार होगी जब कि रूप्या खर्च किया गया, न कि मुख्त्यारागिरी छूटने की तारीख से (मद्रास ला. जरनल जि० २० सफा ८१)

मद ६२—नालिश उस रूप्या के जो मुद्दायलेह से पाना मुद्दई को बाबत ऐसे रूप्ये के, जो मुद्दायलेह ने मुद्दई की तरफ से ,वसूल किया हो—तीन साल—उस तारीख से कि जब रूप्या वसूल किया गया हो—

तशरीह:—मुद्दई ने मुद्दायलेह पर उस रूप्या के दिला पाने की नालिश दायर की जो इजराय डिकरी में वसूल किया गया था, लेकिन जो बमूजिब हुक्म दफा ३९५ (आरडर २१ कायदा १२) मजमूआ जाब्ता दीवानी के गल्ती से मुद्दायलेह के हवाला कर दिया गया था—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि ऐसी नालिश मुताबिक मद न ६२ के समझी जावेगी, इस लिये नालिश मुद्दई की उस तारीख से तीन साल के अन्दर दायर होना चाहिये कि जब मुद्दायलेह ने वह रूप्या वसूल किया—(इ ला. रि. बम्बई जि० १५ सफा ४३८ विशन—बनाम—अच्युत)—मुद्दई के उस रूप्या के दिला पाने की नालिश जो मुद्दायलेह के फरेब से और तीसरे फरीक की साजिश से हासिल किया गया हो, इसी मद के मुताबिक समझी जायगी (इ ला रि. कलकत्ता जि० २ सफा ३६३)

अमरसिंग ने अपने बाप और भाई बेनीसिंग पर खानदानी जायदाद के बटवारा की नालिश [illegible]यर करके एक डिकरी हासिल की जिस के रू से वह उस करजा के एक तिहाई हिस्से का हकदार करार दिया गया जो उस के खानदान को पाना वाजिब था—माह मई सन १८७८ ई० में करजदार ने कुल करजा की अदाई उस के बाप को की, क्योंकि उसे अमरसिंग के दावा की [illegible] नहीं मिली थी—बाप के मरने पर उस की कुल जायदाद अमरसिंग के कबजा में आई—अब अमरसिंग ने माह जोलाई सन १८८२ ई० में बेनीसिंग पर करजा मजकूर के तिहाई हिस्से की नालिश दायर की—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि [illegible]

लिख दिया और नन्दराम को मुबलिग ६३०)॥ रू० की रकम बाकी के दूसरे वारसान को तारीख १५ जनवरी सन १८८३ ई० को देना पड़ा—तारीख १५ फरवरी सन १८८४ ई० को नन्दराम ने टीकराम, बेनीसिंग, और अमरसिंग के वारसों पर नालिश बाबत दिला पाने इस रकम मय सूद के दायर किया, तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि मुद्दई के लिये बिनाय मुखासमत तारीख १५ जनवरी सन १८८३ ई० को पैदा हुई याने जिस तारीख को दावा की हुई रकम अदा की गई, इस लिये नालिश बेरू मियाद नहीं है (इ ला. रि कलकत्ता जि १३ सफा १५५ तुराबअलीखा—बनाम—नालिरतनलाल)।

दो भाइयों में से एक ने अपने नाम से रूप्या कर्ज लेकर शामलाती करज की अदाई में उसे खर्च किया—और पहिले करजे की अदाई के वास्ते उस ने फिर कर्ज लिया, लेकिन इस पिछले कर्जे की अदाई उस ने अपने पास के निजी रूप्या से की—पस ऐसी हालत में नालिश बनाम दूसरे भाई बाबत दिला पाने उस रूप्या के बकदर हिस्सा रसदी जो करजा मजकूर की अदाई में लगा उस तारीख से तीन साल के अन्दर दायर होनी चाहिये कि जब शामलाती करजा की अदाई में रूप्या खर्च किया गया न कि उस तारीख से तीन साल के अन्दर कि जब पहिला या दूसरा करजा अदा किया गया—(इ. ला. रि. कलकत्ता जि० ५ सफा ३२१ वो जिल्द २० सफा १८)—

ऐसी नालिश में जो वास्ते दिला पाने उस रूप्या के दायर की गई हो जिस का बोझा किसी जायदाद पर हो मद न १३२ लागू होगा, मगर जाती डिकरी के रूप्या दिला पाने की नालिश में मद न ६२ नकि मद न. ६१ लागू होगा और मियाद उस तारीख से शुरू होगी जब कि मालिक म ज को जायद बिक्री का रूप्या मिला—मद न ६६ नालिश वास्ते दिला पाने रूप्या जाती डिकरी में लागू होगा, न कि ऐसी नालिश में जो वास्ते दिला पाने ऐसे रूप्या के दायर की जाय जिस का बोझा बमूजिब दफा ८२ एक्ट इन्तकाल, जायदाद किसी जायदाद पर हो—(इ के. जि० ११ सफा १४५)—

कानूनी जिम्मेदारी मालिक की बमूजिब दफा २२२ एक्ट माहदा कारिन्दे के हाथ से कोई नुकसानी भर देने के लिये हस्ब मन्शा मद न. ८३ एक्ट मियाद लफ्ज " माहदा " में दाखिल न होगी, और न किसी ऐसे रूप्या के दिला

पाने की नालिश में जो कारिन्दे ने अपने मालिक की तरफ से अदा किया हो मद न ११६ एक्ट मियाद लागू होगा जब कि मुख्त्यारनामा में वैसा कोई शर्त न हो—अगर मुख्त्यार ने अपने मालिक के मुकदमे में कुछ खर्चा अपनी तरफ से किया हो तो वैसे रूप्या के दिला पाने की नालिश में मद नं. ६१ लागू होगा और मियाद उस वक्त से शुमार होगी जब कि रूप्या खर्च किया गया, न कि मुख्त्यारागिरी छूटने की तारीख से (मद्रास ला. जरनल जि० २० सफा ८६).

मद ६२—नालिश उस रूप्या के जो मुद्दायलेह से पाना मुद्दई को बाबत ऐसे रूप्ये के, जो मुद्दायलेह ने मुद्दई की तरफ से ,वसूल किया हो—तीन साल—उस तारीख से कि जब रूप्या वसूल किया गया हो—

तशरीह:—मुद्दई ने मुद्दायलेह पर उस रूप्या के दिला पाने की नालिश दायर की जो इजराय डिकरी में वसूल किया गया था, लेकिन जो बमूजिब हुक्म दफा ३९५ (आरडर २६ कायदा १२) मजमूआ जाब्ता दीवानी के गल्ती से मुद्दायलेह के हवाला कर दिया गया था—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि ऐसी नालिश मुताबिक मद न ६२ के समझी जावेगी, इस लिये नालिश मुद्दई की उस तारीख से तीन साल के अन्दर दायर होना चाहिये कि जब मुद्दायलेह ने वह रूप्या वसूल किया—(इ ला. रि. बम्बई जि० १५ सफा ४२८ विशन—बनाम—अच्युत)—मुद्दई के उस रूप्या के दिला पाने की नालिश जो मुद्दायलेह के फरेब से और तीसरे फरीक की साजिश से हासिल किया गया हो, इसी मद के मुताबिक समझी जायगी (इ ला रि. कलकत्ता जि० २ सफा ३६३)

अमरसिंग ने अपने बाप और भाई बेनीसिंग पर खानदानी जायदाद के बटवारा की नालिश दायर करके एक डिकरी हासिल की जिस के रू से वह उस करजा के एक तिहाई हिस्से का हकदार करार दिया गया जो उस के खानदान को पाना वाजिब था—माह मई सन १८७८ ई० में करजदार ने कुल करजा की अदाई उस के बाप को की, क्योंकि उसे अमरसिंग के दावी की इत्तला नहीं दी थी—बाप के मरने पर उस की कुल जायदाद बेनीसिंग के कब्जा में आई—बाद अमरसिंग ने माह जोलाई सन १८८२ ई० में बेनीसिंग पर करजा मजकूर के तिहाई हिस्से की नालिश दायर की—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि जो करजा

बाप ने पाया था वह किसी खास काम के वास्ते बतौर अमानत उस के पास नहीं रखा गया था–इस लिये नालिश मुद्दई बमोजिब मद न ६२ जमीमा २ एक्ट मियाद बेरूं मियाद है–(इ. ला. रि मद्रास जिल्द ६ सफा ४०२)—एक मुकदमा में प्यारेलाल और टीकाराम दोनों एक हिन्दू शामिल शरीक घराने के मेम्बर थे–उन के अलग होने के बाद भी चन्द दस्तावेजात शामलातो रहे–इस अलेहदगी के चार साल बाद प्यारेलाल ने इन दस्तावेजों में से एक पर डिक्री हासिल की [जो सिर्फ उसी के नाम से था] और डिक्री का रूप्या भी उस ने उसी साल वसूल कर लिया—आठ साल बाद टीकाराम ने प्यारेलाल पर नालिश करके यह दावा किया कि वह वसूल हुवे रूप्या में से अपना हिस्सा पाने का हकदार है–तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि मद न ६२, न कि मद न १२७, ऐसी नालिश में लागू होगा (इ ला रि. अलाहाबाद जिल्द ६ सफा ४४२ ठाकुरप्रसाद–बनाम–परताब)—

अमरासिंग ने एक शामिल शरीक हिन्दू घराने के एक शरीकदार के हिस्से की जायदाद खरीद की, लेकिन उस की नालिश बाबत दखलयाबी हिस्सा मजकूर इस बिनाय पर खारिज हुई कि जो बैनामा अमरासिंग के हक में लिखा गया था उस में दीगर शरीकदारों की रजामन्दी न होने के सबब वह कानूनन नाजायज था–इस पर अमरसिंग ने जर समन, अर्थात वह रूप्या जो जायदाद खरीद करने में उस ने दिया था वापस दिला पाने की नालिश दायर की–तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि नालिश मुद्दई इस मद के बमोजिब उस तारीख से तीन साल के अन्दर दायर होना चाहिये कि जब जर समन अदा किया गया–(इ ला. रि. कलकत्ता जि १९ सफा ५१)

अगर डिकरीदार ने डिकरी किसी शख्स के हाथ बेची हो और वैसी डिक्री का रूप्या डिकरीदार ने वसूल कर लिया हो, और अगर वह शख्स जिस को डिक्री बेंची गई हो वैसे रूप्या के वसूली की नालिश डिकरीदार पर करे तो ऐसी नालिश में मद न. १२० लागू होगा, न कि मद न ९६ या ५६ या ६२

मद न. ६२ के लागू करने के लिये यह जरूर है कि मुदायलेह ने मुद्दई की तरफ से रूप्या दर असल पाया हो, या रूप्या का पाना मतलब से निकलता हो, (मद्रास ला. जरनल जिल्द २१ सफा ७०५).

अगर किसी ऐसी जायदाद का नीलाम हुवा हो कि जिस पर मदयून डिक्री

का कोई हक न हो और नीलाम का रूप्या अदा कर दिया गया हो तो वैसे रूप्या के दिला पाने की नालिश में मद न ६२ वो मद न ९७ लागू होगा—जब कि मामला नीलाम जायदाद मौजूदा का न हो, जिस पर मदयून डिक्री का कुछ हक न हो या उस के हक में कुछ नुक्स हो, बलकि मामला नीलाम गैर मौजूदा जायदाद का हो, तो नीलाम का रूप्या वापिस पाने की नालिश में मद न. ६२ लागू होगा (अवध केस जि १४ सफा ७४)

अगर कोई मुखत्यार हिसाव समझाने से इकार करे तो मद ८९ एक्ट मियाद लागू होने के लिये उस का इकार साफ तौर पर किसी खास तारीख को हिसाब न समझाने का होना चाहिये—अगर उस ने हिसाब देने का इकरार किया हो और उस इकरार को वह पूरा न करता हो तो ऐसे पूरा न करने से उस की इन्कारी न समझी जावेगी—हिसाब समझाने का मतलब सिर्फ यह ही नहीं है कि मुख्त्यार हिसाब लिख कर भेज देवे या हिसाब किताब की बहियें मालिक को सिपुर्द करदे—हिसाब समझाने का मतलब यह है कि हिसाब मालिक के रकम ब रकम समझाया जावे और अगर मुखत्यार की तरफ कुछ रूपया बाकी निकले तो मुखत्यार मालिक को देवे—अगर कोई नालिश मरे हुए मुखत्यार के वारसों पर वास्ते समझाने हिसाब ऐसे रूप्यों के दायर की जाय जो रूपया कि मुखत्यार मजकूर ने मालिक की जायदाद के जर लगान के मुनाफा का वसूल किया हो और वह जायदाद मुखत्यार के इन्तजाम में उस के जीते जी रही हो, और उस नालिश में यह चाराजोई न की गई हो कि हिसाब समझाने पर जो कुछ बाकी मुखत्यार की तरफ निकले वह उस के वारसों से दिलाई जावे तो ऐसी नालिश में मद न १२० लागू होगा न कि मद न. ६२ या ८९ और मियाद मुखत्यार के मरने की तारीख से शुरू होगी (पंजाब रिकार्ड जिल्द १ सन १९१२).

मद न. ६२ और ९७ से ऐसी नालिश मुराद है जो फरीकैन माहदा किसी दूसरे फरीक माहदा पर ऐसे रूपया के दिला पाने की दायर करे जो बैनामे के पेश्तर दिया गया हो, मगर बेचने वाले की तरफ वादा तोड़ने के सबब वह बैनामा बे असर हो गया हो—यह मद ऐसी नालिशों में लागू न होगा जो खरीदार नीलाम ने नीलाम रद्द होने पर अपने रूपयों की वापसी के लिये दायर की हो (इ. लाग जिल्द १८ सफा ७०७).

मुद्दायलेहुम को इमारत बनाने का ठेका दिया गया और उन को ३३२०२) रू० पाना वाजिब था-मुद्दई ने उन को पेशगी ३४,४३३) रू० तक दे दी थी—मुद्दायलेह ने अपने रूपेय दिला पाने की नालिश दायर की और इजराय डिकरी में उन्हों ने दो रकमें ३३००) रू० और १४००) रू० की जुदी २ तारीखों में वसूल की–इस के बाद मुद्दई ने नालिश उस कुल रूपया की, जो मुद्दायलेहुम को मुद्दई की तरफ से मिला, दायर की—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि यह नालिश वैसे रूप्ये के दिला पाने की नालिश समझी जायगी कि जो मुद्दायलेह ने मुद्दई के इस्तेमाल के लिये रखा वो पाया और ऐसी नालिश में मद न. ६२ लागू होगा, न कि मद न १२० और यह भी तजवीज करार पाई कि जो रूपया इजराय डिकरी में वसूल किया गया वह डिकरी के अमल में रहते वक्त वापिस नहीं दिलाया जा सक्ता–(इ के. जिल्द २२ सफा ५६२).

झगड़े को पचायत से तसफिया कराते तक एक शख्स माल और रूप्या वसूल करने के लिये मुकर्रर किया गया—पचायत फिस्ख हो गई, और नालिश ऐसा माल वो रूप्या दिला पाने की दायर की गई, जो शख्स मजकूर ने वसूल किया था–तजवीज हाई कोर्ट करार पई कि ऐसी नालिश में मद न. ६२ लागू होगा, क्योंकि मुद्दायलेह ने वह रूपया मुद्दई के इस्तेमाल के लिये वसूल किया था (अलाहाबाद ला जरनल जिल्द १२ सफा १२५६)

जब किसी ठेकानामा की निसबत कुछ बदल का रूप्या न दिया गया हो तो बदल के रूप्यों के वापिस दिला पाने की नालिश में मद न ६२ एक्ट मियाद लागू होगा—(कलकत्ता वी नोट जि. १९ सफा १०२).

खरीदार नीचे लिखी हुई तीन हालतों में बेचने वाले पर नालिश बाबत हरजा बदल न होने के वजह से दायर कर सक्ता है:—

(१) जब शुरू ही से बेचने वाले का हक बेची हुई जायदाद पर न था और खरीदार को कबजा न दिया गया हो.

(२) जब बैनामा सिर्फ तीसरे गैर शख्सों के उज्र करने पर काबिल मसूखी हो और ऐसे रद होन के लायक बैनामे की रू से कबजा दिया गया हो.

(३) जब कि बेंचने वाले को मालूम है कि उस का हक मुकम्मिल नहीं है और माहदा की तामील कबजा देकर की गई हो

सूरत न. १ में मियाद तारीख बै से शुरू होगी, और सूरत न २ वो में बिनाय मुखासमत उस वक्त पैदा होगी, जब खरीदार क कब्जे मे छेड़ छाड़ जाय एक हिन्दू बेवा ने, जो अपने खाविन्द की जायदाद पर काबिज थी, जिस के हक में उस की सास ने (याने उस के खाविन्द की मा ने) उ जायदाद की निसबत दस्तबरदारी नामा तहरीर कर दिया था, जायदाद मजकूर का कुछ हिस्सा मुद्दायलेह के बाप को बेचा और बाप ने वही हिस्सा मुद्दई को बेच कर मुद्दई का कबजा करा दिया—मुद्दई उस जायदाद का काबिज सन १६११ तक बना रहा और तब यानी उसी सन १६११ में सास न जिस का जिक्र ऊपर आया है, इस बात के इस्तकरार हक की नालिश दायर की, कि जो दस्तबरदारी नामा उस ने बहक बहू लिख दिया था उस से बहू के मरने के बाद जायदाद की विरासत पाने का हक जो उस को यानी सास को है, उन हक म कोई असर नहीं पड़ता और कबजा पाने की भी नालिश दायर किया—नालिश में यह कामयाब हुई और उसी साल उस ने डिकरी इजरा करके मुद्दई से जायदाद मजकूर पर कबजा पा लिया—बेदखल होने के तीन साल के अन्दर मुद्दई ने मुद्दायलेह पर उस रूप्या के दिला पाने की नालिश दायर किया, जो मुद्दई ने मुद्दायलेह के बाप को उस जायदाद की निसबत दिया था—मुद्दायलेह ने यह बहस पेश की कि मुद्दई की नालिश बेरू मियाद है क्योंकि बेनामे की तारीख से तीन साल से ज्यादा के बाद नालिश दायर की गई—उस की बहस ना मञ्जूर करके तजवीज हाई कोर्ट यह करार हाई कि ऐसी नालिश में मद न ६२ या न. ६७ लागू होगा, और मियाद उस वक्त से शुमार की जायगी कि जब से कबजे में छेड़ छाड़ की गई, इस लिये यह नालिश बरू मियाद नहीं करार दी जा सकी—(मदरास वी नोट सन १६१४ सफा ३७६

मद न. ६२ एक्ट मियाद सिर्फ उस वक्त लागू होगा जब कि यह रूप्या जिस के दिला पाने की नालिश दायर की गई हो मुद्दायलेह ने मुद्दई के इस्तैमाल के लिये वसूल किया हो—कुछ रूप्या म्यूनिसिपालटी को बतौर टौनडियूटी [चुंगी] लकड़ी पर जो अन्दर हद म्यूनिसीपालटी लाई गई दिया गया था—टौनडियूटी की वापसी की दरख्वास्त इस बिनाय पर की गई कि लकड़ी मजकूर सरकारी काम में लाई गई थी—म्यूनिसीपालटी ने वापसी देने से इनकार किया और

नालिश म्यूनिसीपालटी पर दायर की गई—तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि ऐसी नालिश में मद न. ६२ लागू न होगा क्योंकि म्यूनिसीपालटी की तरफ से रूप्या लेना शुरू में गैर वाजिब नहीं कहा जाता है–इस लिये जो मद लागू होगा वह मद नं. १२० है और बिनाय मुखासमत म्यूनिसीपालटी के वापसी देने से इन्कार करने पर पैदा हुई—[अलाहाबाद ला, जरनल जिल्द १२ सफा ६५२].

मद ६३–नालिश ऐसे रूप्या के सूद की जो मुद्दई को मुदायलेह से पाना वाजिब हो–तीन साल–उस तारीख से कि जब सूद वाजबुलअदा हुवा हो.

तशरीह—नालिश बकाया सूद की, उस हालत में कि जब जर असल और सूद का कुछ हिस्सा अदा किया गया हो, और शरह सूद की निसबत तकरार होवे तो इसी मद के मुताबिक समझी जावेगी [इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ३ सफा ३२८]–लेकिन अगर नालिश बाबत असल रू॰॥ के बेरू मियाद हो गई हो तो सिर्फ सूद के दिला पाने की नालिश न चल सकेगी (इ. ला रि कलकत्ता जिल्द ५ सफा ७५६ वो ७६५)—सिर्फ चन्द खास २ सूरतों में, मसलन जब असल रूप्या की अदाई के वास्ते कोई खास मुद्दत मुकर्रर हो, लेकिन सूद की अदाई के लिये दरमियानी मुद्दतें करार दी गई हो तो सूद का दावी असल रूप्या से अलग करके किया जा सकेगा–क्योंकि आम कायदा यह है कि जर सूद असल रूप्या में शामिल रहता है, और दोनों के वास्ते एक ही बिनाय मुखासमत होगी

जिस तमस्सुक के रू से सूद का दावी किया गया हो अगर उस की रजिस्ट्री बाजाब्ता करा दी गई हो तो छे साल तक के बकाया सूद की नालिश चल सकती है

मद ६४—नालिश उस रूप्या की जो दरमियान मुद्दई और मुदायलेह के हिसाब किताब के तसफिया के वक्त मुद्दई को पाना वाजिब निकले–तीन साल–उस तारीख से जब हिसाब लिखा जाय, और उस पर दस्तखत मुदायलेह या उस के मुख्त्यार के, जो उस विषय में हस्ब जाब्ता मजाज हो, किये जांय, सिवाय

उस सूरत में कि जब करजा उसी वक्त के इकरार तहरीरी की रू से जिस पर दस्तखत ऊपर लिखे मुताबिक हो, किसी वक्त आयन्दा पर वाजबुलअदा करार दिया गया हो, फिर ऐसी सूरत में मियाद उस वक्त आयन्दा से शुमार होगी

तशरीह:—पुराना एक्ट न ९ सन १८७१ ई० के रू से उन नालिशों की मियाद, जो हिसाब किताब के तसफिया पर कायम थी, उस वक्त से शुमार की जाती थी कि जब हिसाब किताब तसफिया पाने याने इस से हिसाब किताब का कोई भी जबानी या बिला दस्तखती तसफिया मुराद था और साहूकार उस से फायदा उठा सक्ता था, लेकिन अब एक्ट न. १५ सन १८७७ ई० याने एक्ट हाल न ९ सन १९०८ ई० के जारी होने से यह अमर लाजमी रखा गया है कि ऐसे हिसाब किताब का तसफिया तहरीरी होना चाहिये, और उस पर मुद्दायलेह या मुख्तार मजाज के दस्तखत हों (इ ला. रि. अलाहाबाद जिल्द २ सफा १४८ नजीर इजलाज कामिल).

अगर हिसाब किताब का तसफिया तहरीरी और दस्तखती न हो तो मुद्दई को कर्ज में दिये हुए रूप्या की नालिश करना पड़ेगा और ऐसी नालिश में वह सिर्फ वही रकमें वसूल कर सकेगा जो उस वक्त बेरू मियाद न हो गई हो—(इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द २ सफा ८७२).

रूप्या के अदाई की मियाद बढ़ाने का इकरार तहरीरी और दस्तखती होना चाहिये (इ ला रि. बम्बई जिल्द ८ सफा ५४२)

नालिश वास्ते दिला पाने जुज तशखीश (टेक्स) जिस का रूप्या बजरिये चिक उस के साथ अदा किया गया हो, बमूजिब मद न. ६४ एक्ट मियाद दायर होगी अगर नालिश चिक भजाने के दो साल के अन्दर दायर की जाय, क्योंकि मियाद तारीख हवालगी चिक से नहीं शुरू होती बल्कि उस तारीख से शुरू होती है कि जिस तारीख को मुद्दायलेह ने चिक भजा कर रूप्या पाया—(बम्बई ला. रि जिल्द १६ सफा १२१)

मद ६५—नालिश बाबत हरजा तोड़ने ऐसे इकरार के कि कोई फैल किसी खास वक्त पर या किसी खास अमर के

वकूअ पर किया जायगा—तीन साल—उस तारीख से कि जब वह खास वक्त पहुचे या वह अमर वकूअ में आवे—

तशरीह:—मुद्दायलेह ने मुद्दई के हक में एक जमानतनामा इस मजमून का तहरीर किया कि अगर तीसरा शख्स बदचाल चलेगा तो वह (याने मुद्दायलेह) उस का जिम्मेदार समझा जावेगा, और जो कुछ नुकसानी होगी वह मुद्दई को भर देगा—इस तीसरे शख्स ने पीछे से कुछ रूप्या गबन किया अर्थात खा गया—तजवीज हाइ कोर्ट यह करार पाई कि ऐसी नालिश बमूजिब मद ६५ के तसव्वर की जावेगी, लेकिन अगर इकरारनामा मजकूर की रजिस्ट्री की गई हो तो बमूजिब मद ११६ ऐसी नालिश के वास्ते छे साल की मियाद मिलेगी (इ. ला रि. अलाहाबाद जिल्द ३ सफा ७१२ किशन—बनाम—किनलाच).

नालिश बाबत दिला पाने ऐसे रूप्या में मद ६५ या ६२ न कि मद ६० लागू होगा, जो बजरिये इकरारनामा बिला रजिस्ट्री शुदा इस शर्त पर बतौर अमानत रखा गया हो कि किसी खास अमर के होने पर वह रूप्या वाजिबुलअदा होगा (इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द ५ सफा ८३० जौहरी—बनाम—ठाकुर).

अगर कोई करजदार यह इकरार करे कि जब उस को मकदूर होगा तब करजा की अदाई की जावेगी, तो ऐसी हालत में इकरार मजकूर की तामील उस तारीख से तीन साल के अन्दर कराई जा सकेगी कि जब वह करजा मजकर की करने की हैसियत हासिल करे.

जो नालिश असल करजदार के मुकाबले में बेरू मियाद हो जावे वह जरूर करके बमुकाबले उस के जमानतदार के बेरू मियाद न समझी जावेगी (इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द १२ सफा ३० क्रिष्टो—बनाम राधा और देखो दफा १३४ से १६७ तक कानून माहदा की).

जामिनदार की जिम्मेदारी माहदा जमानत से न कि कर्जे के सिर्फ बकाया रहने से पैदा होगी, मियाद जमानतदार के खिलाफ कर्जा अदा न करने की तारीख से शुरू होगी और उस पर नालिश करने में मद न. ६९ लागू होगा (मद्रास वी नो. जिल्द २ सफा ४१).

सन १८७८ में एक रहननामा तहरीर किया गया था—उस के सूद के

एवज में दो दस्तावेजात एक सन १८८२ ई० में वो दूसरा सन १८९२ ई० में तहरीर किये गये, एक दस्तावेज में यह शर्त थी कि रूप्या यातो फला तारीख को दिया जायगा और अगर उस तारीख को न दिया जायगा तो उस तारीख को अदा किया जायगा जब कि रहन छुड़ाया जायगा, और दूसरे दस्तावेज में यह शर्त थी कि रूप्या रहन छुड़ाते वक्त अदा किया जायगा-रहन सन १९०७ ई० में छुड़ाया गया मगर सूद के दस्तावेजों का रूप्या अदा नहीं किया गया, इन दस्तावेजों के रूप्या दिला पाने की नालिश दायर की गई-तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि नालिश बेरू मियाद नहीं थी, क्योंकि बिनाय दावा उस वक्त पैदा हुआ जब सन १८७८ ई० के रहन का इनफिकाक किया गया (अलाहाबाद ला जरनल जिल्द ८ सफा २३३)

जो रूप्या मुद्दायलेह के पास वास्ते खर्चा नालिश और घर खर्च के लिये अमानतन रखा गया हो और उस के साथ यह भी शर्त हो कि नालिश का तसफिया होने के बाद जो रूप्या बाकी बचे वह मयँ सूद के मुद्दई को वापिस दे दिया जाय, तो ऐसे रूप्या के दिला पाने की नालिश में मद न ६६ या १५९ लागू होगा, क्योंकि यह मामला बतौर ऐसे कर्ज के समझा जावेगा जिस की अदाई के लिये कोई खास तारीख मुकर्रर थी, मद न. १२० लागू न होगा (इ. के जिल्द २४ सफा ८५२)

मद ६६—नालिश तनहाई (अकेले एक) तमस्सुक की बिनाय पर जब कि उस में अदाई के लिये एक तारीख दर्ज की गई हो—तीन साल—उस तारीख से जो इस तौर पर दर्ज हो—

मद ६८ में ऐसे दस्तावेज का जिक्र है जिस में कोई शर्त दर्ज होवे, वो मद ६७ में ऐसे दस्तावेज का जिक्र है कि जिसमें रूपयों की अदाई के लिये कोई तारीख या वायदा मुकर्रर नहो (अवध केस जि० ८ सफा ७७) और मद न ६६ में ऐसे तमस्सुक का जिक्र है कि जिस में अदाई के लिए सिर्फ तारीख मुकर्रर हो मगर कोई शर्त या तावान मुकर्रर न हो

" तनहाई तमस्सुक" से तहरीरी इकरार वास्ते अदाई रूप्या बिना शर्त के मुराद है (इ ला रि. अलाहाबाद जिल्द ४ सफा २ वो ६)-मद ६८

में एक रहननामा में यह शर्त लिखी थी कि राहिन दस साल में करजा की अदाई करके जायदाद मरहूना का इनफिकाक करा सकेगा—तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि लफ्ज "में" का यह मतलब नहीं है कि दस साल से कम की मुद्दत गुजर ने पर राहिन अपनी जायदाद, रहन का रूप्या अदा करके छुड़ा सकेगा—(इ. ला. रि. बम्बई जि० ५ सफा २२)—मुद्दायलेह ने एक तमस्सुक तहरीर किया जिसमें यह शर्त थी कि सूद माहवार अदा किया जावेगा, और असल रूपया तारीख तहरीर तमस्सुक से छे माह में वाजिबुलअदा होगा, तमस्सुक में इस मजमून की भी शर्त दर्ज थी, कि अगर सूद मुताबिक शरायत दस्तावेज अदा न किया जावेगा, या अगर साहूकार को असल रूप्या की वसूली के बारे में कुछ शक मालूम पड़े तो उस पर यह लाजिम न होगा कि वह अपनी नालिश दायर करने के वास्ते छे माह तक इन्तजारी करे, लेकिन वह जिस तरह चाहे जर असल मय सूद वसूल करने का मजाज होगा—तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि ऐसी नालिश अगर उस तारीख से तीन साल के अन्दर दायर की जावे, कि जो दस्तावेज मजकूर में वास्ते अदाई जर करजा के दर्ज है, तो वह नालिश मुताबिक मद न ६५, न कि मुताबिक मद न. ७५ जमीमा २ एक्ट मियाद के समझी जावेगी, इस लिये वह बेरू मियाद न होगी—(इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द ५ सफा १ नारायन बाबू—बनाम- गोरीप्रसाद बिळास)—

नालिश वास्ते दिला पाने ऐसे रूप्या के, जो अजरूय रजिस्टरी वाले दस्तावेज के वाजबुल अदा हो, गो सूरत शकल में बतौर नालिश वास्ते पाने दस्तावेजी रूप्या के है, मगर दर असल वह बतौर नालिश हरजा निस्बत तोड़ने माहदा के है, और ऐसी नालिश में मद न ११६ न कि मद न. ६२ लागू होगा (बम्बई ला रि. जि० १६ सफा २४)—

मद ६७—नालिश बाबत तनहा तमस्सुक के जब कि उस में कोई तारीख मुकर्रर दर्ज न की गई हो—तीन साल—तमस्सुक के तकमील की तारीख से,

तशरीह:—बमुकदमा इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ३ सफा ४१५ (रूपकिशोर—बनाम—मोनही) यह तजवीज करार पाई कि जिस दस्तावेज का

रूप्या मांगने पर वाजबुलअदा हो उस की मियाद इसी मद के बमूजिब शुमार की जावेगी, क्योंकि उस में कोई खास तारीख बाबत अदाई जर दस्तावेज के मुकर्रर नहीं है

मद ६८—नालिश बाबत इकरारनामा मशरूत के यानी जिस में कोई शर्त हो—तीन साल—उस तारीख से कि जब शर्त तोड़ी जावे

तशरीह—इस मद को दफा (२) की इबारत के साथ पढ़ना चाहिये जिस के रू से लफ्ज "इकरारनामा" की तारीफ में हर ऐसा दस्तावेज शामिल है जिस की रू से एक शख्स दूसरे को रूप्या अदा करने का इकरार करता है इस शर्त पर कि अगर एक खास अमर की तामील की जावे या न की जावे, जैसी कि सूरत हो, तो वह इकरार रद्द हो जावेगा.

जब किसी दस्तावेज में यह शर्त होवे कि किसी मुकर्रर की हुई मुद्दत में जर करजा की अदाई होना चाहिये तो उस मुद्दत का अखीर दिन वह दिन समझा जावेगा कि जो करजा मजकूर की अदाई के वास्ते बमूजिब मद न ६६ मुकर्रर हो (इ. ला रि. अलाहाबाद जिल्द २ सफा ३३१ वो कलकत्ता जिल्द ५ सफा २१)

जिन दस्तावेजों का जिक्र उपर लिखे मदों में किया गया हो अगर उन में से किसी एक की रजिस्ट्री की गई हो तो मद ११६ लागू होगा—(इ ला. रि कलकत्ता जिल्द ६ सफा ८४ वो बम्बई जिल्द ६ सफा ७५).

मद ६९—नालिश बर बिना बिल आफ एक्सचेंज या प्रामिसरी नोट के जो मिती भरने के बाद एक वक्त मुकर्रर पर वाजबुल-अदा हो—तीन साल—उस तारीख से कि जब उस बिल या नोट का रूप्या वाजबुलअदा हुवा हो—

तशरीह—जब कोई बिल या नोट का रूप्या मांगने पर वाजबुलअदा न हो तो वह उस तारीख के बाद तीसरे दिन वाजबुलअदा होगा कि जिस रोज उस का रूप्या पटना चाहिये—एक्ट न २६ सन १८८१ ई० की दफा २२ से २५ तक देखी जायें

मद ७०—नालिश बर बिना बिल आफ एक्सचेंज जो दर्शनी यानी (दिखलाये जाने पर) या बाद दिखलाये जाने के वाजबुल-अदा हो, लेकिन किसी वक्त मुकर्रर पर वाजबुलअदा न हो—तीन साल—उस तारीख से कि जब बिल वास्ते अदाय पेश किया जाय.

तशरीह—देखो दफा २१ वो ६१ से ७६ तक एक्ट न. २६ सन १८८१ ई०.

मद ७१— नालिश बर बिनाय बिल आफ एक्सचेंज के जिस का रूप्या एक खास मुकाम पर अदा होना मंजूर कर लिया गया हो—तीन साल—उस तारीख से कि जब वह बिल उस मुकाम पर अदाई के लिये पेश किया जावे.

तशरीह—यह मद पुराने एक्ट मियाद नं. १५ सन १८७७ ई० से मिलता है

मद ७२— नालिश बर बिनाय बिल आफ एक्सचेंज या प्रामिसरी नोट के जो बाद मुआइना या बाद तलब किसी मियाद मुकर्रर पर वाजबुलअदा हो—तीन साल—उस तारीख से कि जब मुकर्रर की हुई मियाद गुजर जावे.

तशरीह—बिल आफ एक्सचेंज में हुन्डी या चिक भी शामिल है—लफ्ज "प्रामिसरी" नोट से हर ऐसा दस्तावेज मुराद है जिस के जरिये से उस का लिखने वाला एक खास रकम किसी दूसरे शख्स को वक्त मुकर्रर पर या तलब करने पर या उस के दिखलाने पर कतई तौर पर अदा करने की जिम्मेदारी अपने सिर पर लेवे (देखो दफा ३ एक्ट हाजा)

मद ७३—नालिश बर बिनाय बिल आफ एक्सचेज या प्रामिसरी नोट के जो इन्दुल तलब याने मांगने पर वाजबुलअदा हो, और उस के साथ कोई तहरीर बाबत मनाई या मुल्तवी रखने इस्तहकाक नालिश का न हो—तीन साल—बिल आफ एक्स चेंज या प्रामिसरी नोट की तारीख से

तशरीह—जिस प्रामिसरी नोट का रूप्या ६ महिने गुजर जाने के बाद

–तीन साल–उस वक्त से कि जब पहले मर्तबा कोई किस्त अदा न हो सिवाय उस सूरत में कि जब रूप्या का पाने वाला या दस्तावेज का लिखवाने वाला इस हुक्म के फायदे को छोड़ देवे अगर छोड देवे तो ऐसी सूरत में उस वक्त से जब कि फिर कोई ऐसी किस्त अदा न हो जिस की बाबत ऐसी दस्तबरदारी न की गई हो.

तशरीह:—मद न. ७५ उन नालिशों से ताल्लुक रखता है जो ऐसे दस्तावेजात और प्रामिसरी नोट के रू से दायर की जावे कि जिन का रूप्या बजरिये किस्तें वाजबुलअदा हो–यह मद ऐसी डिकारियों के इजराय की दरखास्तों से मुताल्लिक न होगा कि जिन का रूप्या बजरिये किस्त पटाये जाने का हुक्म हो (इ ला. रि अलाहाबाद जिल्द ४ सफा ८२).

लेकिन जो उसूल इस किस्म की नालिशों में लागू होगा वह डिकरी किस्त बन्दी से ताल्लुक रखेगा—यह मद ऐसी नालिश में लागू न होगा जो बर बिना माहदा या ठहराव जबानी के दायर की गई हो (इ. ला रि कलकत्ता जिल्द ३ सफा ६१९ कैलासचन्द्र–बनाम–बैकुन्ठनाथ)

एक दस्तावेज में यह शर्त थी कि दस्तावेज मजकूर के लिखवाने वाले को जमीन का कबजा दिया जावे ताकि वह उस की पैदावार में से चन्द रकमें सालियाना ले लिया करे और बाकी की रकम दस्तावेज लिखने वाले के हवाला करे, और उस में यह भी शर्त थी, कि अगर दस्तावेज के लिखवाने वाले के साथ पैदावार जमीन के पाने में किसी किस्म की रोक टोक की जावे तो दस्तावेज लिखने वाले को चन्द रकमें सालियाना देना लाजिम होगा–तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि दस्तावेज मजकूर मिस्ल एक ऐसे तमस्सुक के समझा जावेगा कि जिस का रूप्या बजरिये किस्त वाजबुलअदा हो (देखो छपे हुए फैसले जात बम्बई हाई कोर्ट रिपोर्ट बाबत सन १८७७ ई० सफा ३०६ रामचन्द्र बाजी–बनाम–गोकल गिरी)

जिस दस्तावेज में यह शर्त हो कि सूद की किसी एक किस्त का रूप्या चूकने पर कुल असल रूप्या एक मुश्त वाजबुलअदा हो जावेगा, उस में यह मद लागू न होगा (इ ला. रि. कलकत्ता जिल्द ५ सफा २१ नारायन–बनाम- गौरी).

एक मुकदमा में सन १८८३ ई० में एक किस्त के रूप्या की अदाई में

कुसूर किया गया, लेकिन डिकरीदार ने पीछे से उस ... । एक
और इस के बाद की किस्तों का रुपया भी लेते ... जायगा
में कुल डिकरी के इजराय की दरखास्त पेश की, ... मियाद किस्त
नहीं की गई —तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि ... २)—
के फायदा को छोड़ दिया, इस लिये वह कुल डिकरी के ... मन्शा में बतौर
पेश कर सक्ता है—(इ. ला. रि इलाहाबाद जिल्द ... गुजरने के चन्द

तमस्सुक किस्त बन्दी यातो सादा दस्तावेज ... रकम दी गई हो
ऐसी शर्त के कि किस्त चूकने पर कुल रुपया ... जायगा कि कुल
की नालिश में मद न. ७४ लागू होगा, ... दिया गया (इ. क.
किस्तबन्दी के समझा जाता है कि जिस में ...
सूरत में मद न. ७५ लागू होता है, मद न. ... री नोट के जो एक
कुल रुपयों की नालिश दायर की जावे, ... या गया हो कि जब
जो बाद मुजराई ... किस्तों के ... उस का रुपया मिलने
मद में दस्तबरदारी ... बारे में दर्ज है ... ल—रुपया मिलने वाले
रि जिल्द ... मुकाबला ...

... होगा चाहे नोट का रुपया

एक ... तमस्सुक में यह शर्त है ...
किया जावे ... और कोई किस्त ...
साहूकार ... का रुपया ... जैसे बिल मुचलका गैर के
कि अगर ... किस्त चूके तो ... देने का किया गया हो
का रुपया ... होवे तो ... तता की तारीख से—
नालिश ... ६०
अदा ... तारीख गुजरने ...
याज ... होने के ...
की ... इकरार ...
...

रखता था—(इ. केस जि० ११ सफा ५२१)—

एक किस्तबन्दी वाले तमस्सुक में यह शर्त थी कि अगर पाच किस्तें चूके तो करजदार कुल रकम एक मुश्त मय सूद मुकर्ररा के देनदार होगा, और यह भी शर्त थी कि अगर साहूकार चाहे तो वह एक मुश्त वसूल न करके किस्तबन्दी से अपना रूप्या वसूल करे—ऐसा तमस्सुकी करजा दिला पाने की नालिश में तजवीज हाई कोर्ट करार पाई:—

(१) कि ऐसी नालिश में दफा ७५ एक्ट मियाद लागू होगा—

(२) कि गो तमस्सुक की रू से करजे की वसूली करना बजरिये एक मुश्त या किस्तबन्दी करके साहूकार की मरजी पर था, ताहम ऐसी शर्त से उस को मद न. ७५ की मन्शा से बढ़ कर कोई ज्यादा बात हासिल नहीं हुई—

(३) कि मियाद पाचवीं किस्त के चूकने की तारीख से लगाई जायगी, सिवाय उस सूरत में कि जब साहूकार यह साबित करे कि उस ने कुल रूप्या एक मुश्त वसूल करने के फायदा से दस्तबरदारी करने के लिये कोई कार्रवाई की—सिर्फ नालिश न करने से यह नहीं समझा जा सक्ता है कि मुदई ने किस्त चूकने के फायदा को छोड़ दिया—(नागपूर ला रि. जि०८ सफा ४४)

एक किस्तबन्दी तमस्सुक में यह शर्त थी कि कोई भी एक किस्त चूकने पर कुल रूप्या एक मुश्त दिया जायगा—एक भी किस्त अदा नहीं की गई—साहूकार ने पहिली किस्त चूकने के तीन साल से ज्यादा के बाद चन्द किस्तों का रूप्या दिला पाने की नालिश दायर किया—हाई कोर्ट की यह राय हुई कि जब मुदई ने कोई दस्तबरदारी नहीं की तो उस की नालिश बेरू मियाद है (इ. के. जि० १५ सफा८५६)—

जब कर्जदार रूप्या देने को तैयार वो रजामन्द हो तो यह नहीं समझा जायगा कि उस ने देने में चूकी की (मद्रास वी. नोट सफा ६७६ सन १९१२)—

अगर किसी किस्त का रूप्या वाजबुलअदा होने के बाद भी मंजूर कर

तशरीह:—यह मद मुताबिक मद ७८ पुराना एक्ट मियाद नम्बर १५ सन १८७७ ई० के है

मद ७९—नालिश मिन जानिब उस शख्स के जो बिल करजा को सिकारे बनाम लिखने वाला उस बिल के—तीन साल—उस तारीख से कि जब सिकारने वाला बिल का रूप्या अदा करे.

तशरीह:—यह मद पुराना एक्ट मियाद नम्बर १५ सन १८७७ ई० के मुताबिक है.

मद ८०—नालिश बर बिनाय ऐसे बिल आफ एक्सचेंज या प्रामिसरी नोट या तमस्सुक के जिस्का जिक्र इस जमीमा मे साफ तौर पर नहीं किया गया है—तीन साल—उस तारीख से जब बिल आफ एक्सचेंज या प्रामिसरी नोट या तमस्सुक का रूप्या वाजिबुलअदा हो—

तशरीह—जो नालिश बनाम सरकार गवर्नमेंट प्रामिसरी नोट की बिनाय पर दायर की जावे, उस की मियाद उस तारीख से शुरू होगी, कि जब नोट मजकूर बाद देने नोटिस मुन्दरजा गजट हस्ब शरायत करजा के वाजिबुलअदा हो (देखो इश्तहार सरकार नम्बर ५६ मुवरखे ११ जनवरी सन १८८२ ई०).

मद ८१—नालिश मिन जानिब जामिन बनाम असल करजदार के—तीन साल—उस तारीख से कि जब जामिन, दायन (यानी साहूकार) को रूप्या अदा करे—

तशरीह—माहदा जमानत वह माहदा है जो एक शख्स किसी तीसरे शख्स के वादा की तामील या जिम्मेदारी की अदाई के लिये, बशर्ते कसूर करने उस तीसरे शख्स के, करे—जो शख्स जमानत लेता है, वह जामिन कहलाता है, और जिस शख्स के कसूर करने की शर्त पर जमानत ली जाय वह असल करजदार है, वो जिस शख्स को जमानत दी जाय वह दायन अर्थात साहूकार है, और यह जमानत जबानी हो सक्ती है या तहरीरी (देखो दफा १२६ कानून

माहदा एक्ट नम्बर ९ सन १८७२ ई०)—जब एक जामिन किसी जामिन सानी (दूसरे) को, कि जिस ने असल साहूकार का रूपया पटा चुका है, रूपया अदा करे तो जो नालिश जामिन की तरफ से असल कर्जदार पर दायर की जाय उस में यह मद लागू न होगा (देखो रीवन साहब का बनाया हुवा एक्ट मियाद सफा १६९)

मद ८२—नालिश मिन जानिब एक जामिन बनाम किसी शरीकदार जामिन के—तीन साल—उस तारीख से कि जब (मुद्दई) जामिन अपने हिस्सा से जियादा कुछ अदा करे—

तशरीह—यह मद पुराने एक्ट मियाद नम्बर १५ सन १८७७ ई० के मुताबिक है.

मद ८३—नालिश बर बिनाय किसी और माहदा के नुकसान भर देने के लिये—तीन साल—उस वक्त से कि जब मुद्दई ने दरअसल नुकसान भर दिया हो—

तशरीह—जो नालिश नुकसानी भर देने के ठहराव पर दायर की जाय उस में यह मद लागू होगा और मियाद उस वक्त से शुरू होगी कि जब मुद्दई को सचमुच में नुकसानी उठानी पड़ी हो—

अगर एक शख्स किसी दूसरे शख्स से उस की तरफ से जमानत लेने के वास्ते कहे और यह दूसरा शख्स उस की जमानत लेवे और उसे मजबूरन रूपया अदा करना पड़े, तो असल कर्जदार पर बजरिये माहदा मानवी (छिपा हुवा) यह लाजिम होगा कि जामिन की नुकसानी भर दे, और जो रूपया उसे बहैसियत जामिन देना पड़ा हो उस की अदाई कर दे (वीकली रिपोर्टर जिल्द ७ सफा ३८६)

जब किसी साहूकार की नालिश बमुकाबले असल कर्जदार [illegible] हो जावें तो इस से यह मतलब नहीं निकलता है कि यह जरूर [illegible] जमानतदार भी बेरूं मियाद है (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द [illegible] ३३७ किशटो—बनाम—राधा)

मद ८४—नालिश मिन जानिब मुख्तार या वकील बाबत

खर्चा मुकदमा या किसी खास काम के जिस हाल में कि कोई खास इकरार इस बात का न हो कि किस वक्त खर्चा अदा किया जावे—तीन साल—मुकदमा या उस काम के खतम हो जाने के वक्त से या (जिस हाल में कि मुखत्यार या वकील मुनासिब तौर से मुकदमा या काम की पैरवी से दस्तबरदार हो जावे तो) दस्तबरदारी की तारीख से.

तशरीह—एक नालिश बाबत दिला पाने फीस वकील वकालतनामा की रू से दायर हुई—यह वकालतनामा सिर्फ बतौर मुख्त्यार नामा के था न कि बतौर माहदा तहरीरी के—पस ऐसी नालिश अगर तीन साल के अन्दर न दायर की जावे तो बेरू मियाद समझी जावेगी—अगर इस किस्म के ठहराव की निसबत, कि फीस (महनताना) कब पटना चाहिये, कोई शहादत न हो, तो मानवी माहदा यह समझा जावेगा कि मुकदमा के खतम हो जाने पर फीस का रूप्या अदा किया जाना चाहिये (वी रि जि ५ सफा २९८ काशीनाथ राय चौधरी—बनाम—इस्सुरचन्द्र मुकरजी)—

मुकदमा नम्बर ९ सन १८६३ ई० में मुद्दायलेहुम ने मुद्दई को अपना वकील मुकर्रर किया, और माह जोलाई सन १८६३ ई० में उस के नाम वकालतनामा लिख दिया, लेकिन फीस के निसबत कोई इकरारनामा नहीं लिखा गया—मुद्दई ने मुद्दायलेहुम की तरफ से बतौर उन के वकील के डिकरी सादिर होने तक कार्रवाई की—यह डिक्री माह सितम्बर सन १८६४ ई० में सादिर की गई—नालिश हाल [बाबत दिला पाने फीस] माह दिसम्बर सन १८६६ ई० में दायर की गई—तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि जब कोई खास इकरार बाबत अदाई फीस के न था तो ऐसी हालत में मुद्दई को नालिश करने का इस्तहकाक उस वक्त तक पैदा नहीं हुवा, कि जब तक उस ने कामिल तौर से मुकदमा की कार्रवाई न कर चुका हो और उस मुकदमा में यह कार्रवाई सन १८६४ ई० में खतम हुई, इस लिये नालिश हाल जो उस तारीख से तीन साल के अन्दर दायर की गई बेरू मियाद नहीं है (मद्रास हाई कोर्ट रिपोर्ट जिल्द ६ सफा २६५).

बम्बई की हाई कोर्ट ने यह तजवीज की है कि मुताबिक मद ८४ जमीमा २ एक्ट मियाद न १५ सन १८७७ ई० मुकदमा का खतम होना उस तारीख

को समझा जावेगा कि जब फैसला सुनाया जावे-[इ. ला. रि बम्बई जिल्द ७ सफा ५७८ बालकृश्न पाडुरंग—गोविन्द सैनाजी)

नालिश दिला पाने मिहनताना बाबत तहरीर करने बैनामा वगैरा के भी इसी मद के मुताबिक तसौवर की जावेगी

एक्ट कानून पेशा की दफा २८ की रू से वकील को, मनाई इस बात की नहीं है कि वह किये हुये काम या महनत की फीस जायज के दिला पाने की नालिश न करे (देखो इ ला रि. मद्रास जिल्द ६ सफा ३७५ राम—बनाम—कुनजी)

मद ८५—नालिश, बाबत बाकी हिसाब परस्पर वो खुला वो चलतू के, जिस हाल मे कि दरमियान फरीकैन हर एक का मतालबा दूसरे पर हो—तीन साल— उस साल के अखीर होने से कि जिस मे अखीर रकम तसलीम की हुई या साबित की हुई, हिसाब मे दर्ज हो, और शुमार उस साल का उसी तौर पर होगा जैसा कि उस हिसाब मे हो—

तशरीह:—लफ्ज "हिसाब" से जमा और खर्चा की रकमों का तफसीलवार ब्यान मुराद है.

यह मद सिर्फ उन्ही सूरतों में लागू होगा कि जब दोनों फरीकैन के दरमियान हिसाब किताब जारी रहे और वक्त बवक्त बकाया भी निकाला गया हो कि जिस से यह मालूम हो सके कि इन फरीकैन में से एक की तरफ दूसरे फरीक का कितना रूप्या पाना वाजिब निकलता है, और यह मद सिर्फ ऐसी नालिश से ताल्लुक रखेगा जो इन फरीकैन म से एक की तरफ से दूसरे फरीक के ऊपर बाबत दिला पाने रकम, जो इस तौर पर बाकी निकली हो, दायर की जावे (इ ला रि कलकत्ता जिल्द ६ सफा ४४७ सालगी साहू—बनाम—रघुनन्दन लाल)

एक परस्पर चलते हिसाब का समकिया जो सम्वत मास के मुताबिक रखा गया था, आसुन सुदी सम्वत १९३१ मुताबिक तारीख २५ अक्तूबर सन १८७४ ई० को हुआ और यह तारीख तसलीम की हुई अखीर रकम की थी—

पीछे से एक नालिश तारीख ६ दिसम्बर सन १८७७ ई० को इस तसफिया की रू से वास्ते दिला पाने जर बाकी के दायर की गई—तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि अगर यह मान भी लिया जावे कि तसफिया की तारीख को हिसाब रवा (याने चालू) न था, ताहम एक्ट मियाद का मद ८५ ऐसी नालिश में लागू होगा, और इस लिये नालिश मजकूर की मियाद साल १९३१ सम्वत के खतम होने की तारीख से याने तारीख २० अप्रेल सन १८७५ ई० से शुरू होगी (कलकत्ता ला. रिपोर्ट जिल्द, ५ सफा २११)

"शुमार मियाद साल का उसी तौर पर होगा जैसा कि उस हिसाब में हो" इस से यह मुराद है कि हिसाब का साल अंग्रेजी या बंगाली या महाजनी या फसली होना जरूर नहीं है, बल्कि उस से वह साल मुराद है जो हिसाब में काम आता हो—अगर हिसाब उस खास तारीख तक है जब किताब बन्द होती है तो मियाद ऐसे फरजी साल के अखीर से तीन साल मिलना चाहिये—जब कि मुद्दई की किताब साल ब साल ३० जून तक तैयार होती थी तो मियाद का शुमार उसी तारीख से किया जावेगा—(बंगाल ला रि जिल्द २ सफा ५५०).

अमरसिंग ने बेनीसिंग को अपना कारिन्दा मुकर्रर किया—सिर्फ बेनीसिंग ने रकूमात जमा खर्चा का हिसाब रखा—अब अमरसिंग ने बेनीसिंग पर उस रकम के दिला पाने की नालिश दायर की जो अजरूय हिसाब दरमियान उन के बाकी निकली थी—तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि हिसाब जमा खर्च से यह पाया जाता है कि दरम्यान मुद्दई वो मुदायलेह एक का दूसरे पर मतालबा होता रहा, और इस लिये वह हिसाब परस्पर चालू हिसाब के समान बमोजिब मद न ८५ एक्ट मियाद समझा जावेगा (इ ला रि मद्रास जिल्द १० सफा १९९)

यह जरूर नहीं है कि फरीकैन में से हर एक तहरीरी हिसाब किताब रखे—अगर उन में से कोई एक तहरीरी हिसाब रखे तो काफी होगा (इ ला. रि. मद्रास जिल्द १७ सफा २१३ बिलू—बनाम—घोस)

आम कायदा यह है कि जो रूप्या एक फरीक देवे, और उस को दूसरा फरीक जमा करे, चाहे रूप्या नगदी में दिया जाय या जिन्स में, ऐसे जमा खर्च

से आपसी यानी परस्पर हिसाब न समझा जायगा-परस्पर हिसाब करार देने के लिये लेन देन हर फरीक की तरफ से होना चाहिये जिस से कि दूसरे फरीक की तरफ कुछ जिम्मेदारी लग सके, न कि सिर्फ एक फरीक की तरफ जिम्मेदारी रहे और दूसरे की तरफ कुछ न हो–मुद्दायलेह ने मुद्दई से कुछ रुपया कर्ज लिया उस ने उस की मारफत कई किस्म का माल पाया, और उस ने वक्त २ पर उस को काफी (यानी कहवा) भेज कर दाम दिये-ऐसे लेन देन मे परस्पर हिसाब नहीं समझा गया (मद्रास ला जरनल जिल्द २१ सफा १९१)

मद न ८५ में नालिश दाखिल होने के लिये यह जरूर है कि परस्परी मतालबा होना चाहिये—नालिश को इस मद के अन्दर दाखिल करने के लिये इतना काफी नहीं है कि हिसाब खुला और चलतू होवे, या रकमें नामे या जमा में दर्ज होवें–सिर्फ यह वाकेआ कि बाकी हमेशा एक फरीक के हक में निकला करती थी, हिसाब की परस्परता के खिलाफ बतौर कतई सबूत के न होगा, क्योंकि यह काफी है कि परस्परी लेन देन हुआ है (मदरास ला जरनल जिल्द २२ सफा १४)

परस्परी खुला और चलतू हिसाब की खास पहिचान यह है कि परस्परी मतालबा आपस में होता रहा हो और सिर्फ इतना काफी न होगा कि हमेशा बाकी एक फरीक या दूसरे फरीक पर निकला करती थी, गो ऐसे बाकी निकलने से उस हिसाब के किस्म की जाच करने में मदद मिलती हो (मदरास ला जरनल जिल्द २३ सफा ५१६).

मुद्दई और मुद्दायलेह के दरमियान यह माहदा हुआ कि मुद्दई मुद्दायलेह की तरफ से गल्ला की खरीदी करे और अपने कोठे में रखे और मुद्दायलेह लागत पर सूद देवेंगे और नुकसानी के सबब से जो हरजा हो उसे भर देने के लिये कुछ रकम बतौर अमानत रख देंगे और गल्ला की बिक्री से जो मुनाफा होगा उस का लेनदार मुद्दायलेह होगा तो ऐसी सूरत में यह मामला बतौर परस्परी खुला और चलतू हिसाब के समझा जावेगा, और मियाद उस साल के खतम होने से शुरू होगी, जिस साल में सब से पिछली रकम का जमा खर्च हिसाब में लिया गया (१ के जिल्द १५ सफा १३६).

एक नालिश वास्ते दिलापाने रूपया जो हिसाब की बाकी निकल कर है।

वाजिब समझा गया था दायर की गई—उस में यह बात मालूम हुई कि मुद्दई और मुद्दायलेह के दरमियान ताल्लुक एक हिसाब से बतौर साहूकार और कर्जदार के था, क्योंकि मुद्दई ने कर्ज मुद्दायलेह को दिया था, मगर दूसरे हिसाब से उन का ताल्लुक बतौर मुख्त्यार वो मालिक के था, क्योंकि मुद्दायलेह ने अपना माल मुद्दई को बेचने के लिये सिपुर्द किया था, तो ऐसी सूरत में हर फरीक की तरफ से ऐसी जुदी जिम्मेदारी समझी गई कि जिस की वजह से यह नालिश मद न. ८५ में दाखिल हो सक्ती है (इ के जिल्द २१ सफा ७७३).

जब मुद्दई बतौर मुख्त्यार मुद्दायलेह का माल बेचता हो, और उस की दूकान चलाता हो, और हिसाब का देनदार हो और मुद्दायलेह की तरफ यह जिम्मेदारी हो कि वह मुद्दई को हर महीने खास मुकर्रर की हुई रकम तक का माल दिया करे, तो ऐसी सूरत में हिसाब दरमियान फरीकैन बतौर परस्परी खुला वो चलतू हिसाब के समझा जावेगा, और इस में मद न ८५ लागू हो सकेगा (इ के. जिल्द २४ सफा १२८)

मद ८६—नालिश बरबिनाय बीमा, जिस हाल में बीमा का रूप्या उसी वक्त वाजिबुलअदा हो जब कि सबूत मौत या नुकसान का बीमा करने वाले को दिया गया हो या वह पावे—तीन साल—उस तारीख से कि जब सबूत मौत या नुकसान का बीमा करने वाले को मुद्दई ने या किसी और शख्स ने दिया हो या उसे हासिल हुआ हो—

तशरीहः—यह मद पुराना एक्ट मियाद न १५ सन १८७७ ई० के मुताबिक है

बीमा जान का या मकान का या माल का या जहाज का, बीमा कम्पनी के साथ किया जाता है—जब बीमा कराने वाले की मौत हो, या जिस मकान या माल या जहाज का बीमा किया गया हो वह जल जाय या नुकसान हो जाय या डूब जाय तो सबूत मौत या जलने मकान या नुकसान पहुचने माल या डूबने जहाज पेश होने के बाद तीन साल के अन्दर नालिश कम्पनी पर बीमा का रूप्या पाने की दायर हो सकेगी.

मद ८७—नालिश मिन जानिब उस शख्स के जिस ने बीमा कराया हो वास्ते वापस दिला पाने उस जर बीमा के जो ऐसे दस्तावेज बीमा के बमूजिब अदा किया गया हो जो बीमा करने वाले की मरजी पर काबिल रद्द हो—तीन साल—उस तारीख से कि जब बीमा करने वाले ने दस्तावेज बीमा को रद्द करना चाहा हो

तशरीह—यह मद पुराना एक्ट मियाद नम्बर १५ सन् १८७७ ई० से मिलता है—जब बीमा कम्पनी किसी पालीसी यानी दस्तावेज बीमा का रद्द करदे तो रद्द करने की तारीख से ३ साल के अन्दर बीमा का रुपया वापिस पाने का नालिश दायर की जा सक्ती है

मद ८८—नालिश बनाम गुमाश्ता बाबत हिसाब-तीन साल-उस तारीख से कि जब हिसाब दौरान गुमाश्तगिरी में तलब किया जाए और वह देने से इंकार करे, या जिस हाल में कि कोई हिसाब तलब न किया जाय तो उस वक्त से कि जब गुमाश्तगिरी खतम हो—

तशरीह—गुमाश्ता वह शख्स है जिस के सिपुर्द कुछ माल उस के मालिक की तरफ से बेचने के वास्ते किया जाय, लेकिन चूंकि वह अकसर ऐसे माल के वास्ते पेशगी रकमें लिया करता है, इस लिये माल मजकूर पर उसी का कबजा तसौवर करना चाहिये, और वह उस माल को अपने नाम से भी बेच सक्ता है.

हर मुनासिब वक्त पर मालिक अपने गुमाश्ता से हिसाब तलब करने का मजाज है (इ ला रि कलकत्ता जि ७ सफा ६३२)

लेकिन अगर वह हिसाब तलब करे और उस का गुमाश्ता हिसाब देने से इन्कार करे तो ऐसी हालत में तलब किये हुवे हिसाब के निसबत तारीख इन्कारी से मियाद शुरू होगी, और जब तक हिसाब की तलबी वो इन्कारी दोनों वकूअ में न आवें तब तक मियाद शुरू न होगी, अगर गुमाश्तगिरी गुमाश्ता के मरने तक कायम रहे तो उस के मरने ही से गुमाश्तगिरी का खतम होना समझा जावेगा, और गुमाश्ता के वारिसों के हक में उस के मरने की तारीख से मियाद

शुरू होगी—(वी. रिपोर्टर जिल्द ११ सफा ७६ वो इंडियन ला. रि कलकत्ता जिल्द ७ सफा ६२७)

जब हिसाब तलब किया जावे और किसी खास वक्त पर उस के दिये जाने का इकरार हो, लेकिन अगर उस वक्त यह हिसाब न दिया जावे तो यह मान लेना चाहिये, कि उसी वक्त हिसाब देने से इन्कार किया गया—(कलकत्ता ला. रि जि ३ सफा ४४६).

जिन सूरतो में गुमाश्तागिरी मौत के सिवाय किसी दूसरे तौर पर खतम हो जावे तो गुमाश्तगिरी का खतम हो जाना बजरिये शहादत साबित करना चाहिये, और ऐसी शहादत याती इस किस्म की हो कि मालिक ने अपने गुमाश्ता को इस बात की इत्तला दे दी कि वह उस का गुमाश्ता नहीं रहा, या शहादत से ऐसे वाकेआत साबित किये जावे कि जिन से अदालत मतलब निकाल सके कि गुमाश्तगिरी एक खास तारीख को खतम हुई—जब कोई गुमाश्ता या मुखत्यार बरखिलाफ अपने मालिक के सिपुर्द किये हुऐ माल में अपना ही हक ब्यान करे, तो इस से गुमाश्तगिरी का खतम होना तसौवर किया जावेगा—(इ. ला रि. कलकत्ता जि ९ सफा ६६८ कालीचरन—बनाम—दुखी ,— अगर कोई दीवान अपने मालिक की नौकरी छोड़ कर चला जावे, तो इस से भी गुमाश्तगिरी का खतम होना पाया जावेगा—

माल के बचने के वास्ते जो गुमाश्तागिरी कायम की जावे वह बलिहाज दफा २०१ वो २१८ एक्ट माहदा माल के बिक जाने पर फौरन खतम नहीं हो जाता है—जब तक गुमाश्ता अपने मालिक को बिके हुवे माल की कीमत अदा न कर दे तब तक उस की गुमाश्तागिरी जारी रहगी, और नालिश बाबत हिसाब किताब या दिला पाने कीमत माल की सिर्फ इस वजह से बेरू मियाद न होगी कि माल के बिक जाने की तारीख या उस वक्त से तीन साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका कि जब मुद्दई को गुमाश्ता के बदचलनी का इल्म हुआ—(इ. ला. रि. अलाहाबाद जि०१२ सफा ५४१ बाबूराम—बनाम— रामदयाल)

जब कोई मालिक अपने गुमाश्ता पर हिसाब किताब की नालिश दायर करे तो उसे

इस बात का भी दावी करना चाहिये कि हिसाब समझाया जावे और मुद्दई उस रकम के दिलाय जाने का हुक्म हो कि जो उस के हक में हिसाब पा वाजिब निकले—(कलकत्ता ला रि जि० ८ सफा २८५ सीर्घा म बनाम-गुरूचरन)—

हिसाब समझापाने की नालिश से सिर्फ यह मुराद नहीं है, कि जो रु दिया गया हो उस के खर्च का हिसाब दिया जावे, बल्कि उस में ऐसे रुप्या की अदाई की जिम्मेदारी भी दाखिल है जो हिसाब करने पर गुमाश्ता तरफ बाकी निकले—(वी रि जि० ११ सफा ७६) —

अगर मालिक, ने कुछ माल बचने के लिये दलाल के पास भेजा हो, ऐसे माल का हिसाब समझापाने की नालिश में मद नम्बर ८९ लागू है (इ ला. रि अलाहाबाद जि०१२ सफा ५४१)—

मद ८९—नालिश मिन जानिब मालिक बनाम उस गुमाश्ता के माल मनकूला की बाबत जो गुमाश्ता ने वसूल किया और जिस का हिसाब उस ने न दिया हो—तीन साल—उस तारीख से कि जब हिसाब दौरान गुमाश्तागिरी तलब किया जाए और गुमाश्ता देने से इंकार करे, या जिस हालत में कि कोई हिसाब तलब न किया जावे तो उस वक्त से कि गुमाश्तागिरी खतम हो—

तशरीह:—यह मद जरूर करके सिर्फ ऐसी ही नालिश में लागू न होगा जिस में किसी खास जायदाद मनकूला के दिलापाने की दादरसी की जावे बल्कि यह मद हर ऐसी नालिश से ताल्लुक रखेगा कि जिस में किसी भी माल मनकूला के वापसी का दावी किया जावे, जिस का हिसाब किताब इस तौर पर समझाना गुमाश्ता पर लाजिम होवे कि वह या तो माल मजकूर मालिक के हवाला करदे, या यह बतलादे कि उस ने उस का क्या किया.

बमूजिब मद २९ नक्द रुपिया बतौर माल मनकूला के [illegible] है—(देखो इ ला रि बम्बई जिल्द ८ सफा १७ जार्मीस्न [illegible]— बनाम गुनाम जीलानी).

जब कोई नालिश किसी गुमाश्ता पर एक निश्चित रकम के दिलापाने के लिये दायर की जावे और अर्जी दावी में यह भी दादरसी दर्ज हो, कि उस के हक में रकम मजकूर की, जो अदालत के फैसला से गुमाश्ता के जिम्मे बाकी निकले, डिक्री सादिर की जावे तो ऐसी नालिश हिसाब किताब के समझाने की समझी जावेगी-(इ ला रि कलकत्ता जिल्द १४ सफा १४७ हरीनाथ-बनाम-कृष्ण कुमार)—जब किसी दीवान से हिसाब तलब किया जावे और वह हिसाब देने से साफ इकार करने के बगैर अपने मालिक की नौकरी छोड़ कर चला जावे तो उस के चले जाने की तारीख से मियाद शुरू होगी.

जो नालिश किसी कोठी के मेनेजर (मुन्तजिम) पर, कि जिसको तनखाह के बदले में मुनाफा का कुछ हिस्सा दिया जाता हो, बाबत दिला पाने उस रूप्या के दायर की जाय जो उस ने कोठी मजकूर से निजी खर्च के वास्ते कर्ज लिया था और उस में उस के हिस्से की नुकसानी के बाबत भी दावा किया जावे तो वह नालिश इसी मद के बमूजिब समझी जावेगी (पजाब रिकार्ड न ३१ सन १८९१ ई० गनेश-बनाम-शकर)

अमरसिंग ने एक साहूकार बेनीसिंग के पास कुछ रूपिया बतौर अमानत रखा और उस ने इस रूपिया में से कुछ रकमें बरआमद भी की, लेकिन पूरी रकम नहीं उठाया—बाकी की रकम को बेनीसिंग ने बहैसियत गुमाश्ता अमरसिंग के मुताबिक उस इकरार के, जो उन के दरमियान ठहरा था, खर्च में लाया-तजवीज यह हुई कि अलावा रिश्ता महाजन वो ग्राहक के उन लोगों के दरमियान मालिक और गुमाश्तगिरी का भी नाता कायम था, और इस लिये नालिश दायर करने का हक उस वक्त पेदा होगा कि जब मुद्दई ने रकम मजकूर तलब किया-(देखो बम्बई हाई कोर्ट रिपोर्ट जिल्द १० सफा ३० नसीर-बनाम-दयाचद)—जो नालिश मरे हुए गुमाश्ता के कायम मुकामों पर दायर की जावे उस में भी यह मद लागू होगा (पजाब रिकार्ड न ९६ सन १८८६ ई० चादमल-बनाम-कलयान)

जो नालिश एक मालिक की तरफ से दूसरे बराबरीदार मालिक के ऊपर बाबत दस्त करार हक मालिक अव्वल निस्बत जायदाद जिसके वे मालिक हैं, वो बाबत समझापाने हिसाब मुनाफा के भी दायर की जावे तो वह नालिश बतौर

ऐसी नालिश के न समझी जावेगी कि जो मालिक की तरफ से गुमारता पर दायर होवे—(इ ला रि अलाहाबाद जिल्द ७ सफा २५ मोहम्मद हबीबुल्ला—बनाम—सफदर हुसेन)

नालिश बाबत ऐसे रूपिया के जो हिसाब करने पर निकले बतौर नालिश वास्ते समझाने हिसाब किताब के समझी जावेगी—ऐसी नालिश गुमारता के मरने पर उस के वारसों पर चलेगी, मगर हिसाब किताब की नालिश जो गुमारता पर न हो बल्कि उस के वारसों पर हो बमूजिब मद न ११५ या ११६ बाकी मद न ८९ दायर होगी—यह उजर कि एक साझेदार कुल साझेदारों के गुमश्ता पर अपने हिस्से के हिसाब किताब की नालिश नहीं कर सक्ता उस सूरत में लागू न होगा जब कि बाकी साझेदारान बतौर मुद्दायलेह करार दिये गये हों, और डिक्री पूरी दूकान के हिसाब समझाने की सादिर की गई हो—(कलकत्ता वी नो जिल्द १६ सफा १०४२)

ताल्लुक दरमियान एक साझेदार वो दूसरे ऐसे साझेदार के, जो जायदाद का इन्तजाम करता हो या साझेदारी की दूकान चलाता हो और जिस का हक उस साझेदारी की जायदाद पर आधा हो, बतौर ताल्लुक गुमारतगिरी के समझा जावेगा—वह शख्स जो साझेदारी माल का इन्तजाम करता हो या दूकान चलाता हो उस शख्स की मौत तक बतौर गुमारते के समझा जावेगा जिस की तरफ से वह कारबार करता हो और अगर वह अपने साझेदार के मरने के बाद भी जायदाद या कारोबार चलाता हो और जब तक चलाता जाय तो वह उस शख्स के वारसों का गुमारता के बतौर समझा जायगा और यह वारिस बतौर मालिक के समझे जावेंगे—ऐसे वारसों की नालिश ऐसे इन्तजाम करने वाले साझेदार या गुमारता पर बाबते समझाने हिसाब बमूजिब मद न ८९ होगी—अगर पहिले हिसाब तलब न किया गया हो तो मियाद गुमारतगिरी खतम होने की तारीख से शुमार की जावेगी—अगर हिसाब तलब किया गया मगर गुमारते ने कुछ हिसाब न दिया न समझाया और न वैसे हिसाब मांगने पर ध्यान दिया तो मियाद हिसाब तलब करने की तारीख से लगाई जावेगी—और अगर असली साझेदार के मरने के बाद उस के वारसों ने गुमश्ता से साझेदारी का कारोबार कायम रहने वक्त हिसाब कई बार तलब किया हो, मगर जिन २ तारीख को हिसाब तलब किया हो वह तारीखें मालूम न हों, तो मियाद कारोबार बन्द होने की तारीख से शुरू होगी—(इ ला. रि कलकत्ता जिल्द ४० सफा १०८)

बतौर इमदादी न कि जरूरी समझा जाय—[इ. ला रि बम्बई जिल्द १६ सफा १८६ अबदुल रहीम-बनाम-कृपाराम दाजी]

अमरसिंग ने अपनी जायदाद साहूकारों से बचाने की गरज से एक फरजी बैनामा बेनीसिंग के हक में लिख दिया-उन लोगों के दरमियान आपनी समझौते के मुताबिक चन्द सालों तक अमरसिंग जायदाद पर काबिज बना रहा-फिर बेनीसिंग ने बैनामा के जोर से जायदाद में अपना हक ब्यान करके अमरसिंग की मालिकियत से इन्कार किया—इस पर अमरसिंग ने नालिश वास्ते इस्तकरार इस अमर के दायर किया कि वह जायदाद का असली मालिक है-मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने यह तजवीज की कि जिस हालत में अमरसिंग को मांगी हुई दादरसी देने के वास्ते बैनामा मसूख करने की जरूरत न थी तो ऐसी सूरत में मद न. ६१ जमीमा २ एक्ट मिआद इस नालिश में लागू न होगा—(सी पी ला रि. जि १ सफा १६५ बाजीराव-बनाम- हरपाल वो देनकरन)

एक नालिश दो दस्तावेजों की मसूखी कराने की गरज से दायर की गई जो माह अप्रैल सन १८८४ ई० में तहरीर किये गये थे और यह नालिश अगस्त सन १८८७ ई० में दायर की गई, यानी, तारीख तहरीर के बाद तीन साल से ज्यदा अरसा गुजर चुका-मुद्दई ने ब्यान किया कि दस्तावेजात लिख जाने के वक्त उसे यह हाल मालुम न था कि वे दस्तावेजात उन रकमों से ज्यादा के बाबत हैं कि जो डिकरी की रू से पाना वाजिब है-साहब जुडीशल कमिश्नर मध्य प्रदेश की यह राय हुई कि मुद्दई के ब्यान के सबूत में कोई शहादत न होने की हालत में यह गुमान किया जावे, कि मुद्दई को यह बात मालुम थी, कि अजरूय डिकरी उसे कितना देना है-इस लिये नालिश मुद्दई साफ तौर पर बेरून मिआद है (सी पी. ला रि जिल्द ३ सफा १८२ शिवलिंग नम्बरदार-बनाम जेलाल माहतो).

मद नम्बर ६१ ऐसी नालिश में लागू न होगा जो किसी शामिल शरीक हिन्दू खानदान के एक शरीकदार की तरफ से बाबत इस्तकरार ऐसे हक के दायर की जावे कि दीगर शरीकदारान मुनदर्जा ने जो शामलाती खानदानी जायदाद का रहन और रजामंदी मुद्दई के किया वह नाजायज करार दिया जावे, और यह कि वह रहननामा [illegible]

मोहम्मदी इस वजह से नाजायज है कि बखशिश करने वाले ने बखशिश पाने वाले को दान की हुई जायदाद का कबजा नहीं दिया—तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि सिर्फ इस वजह से यह नालिश बेरूं मियाद बमोजिब मद नं ६१ एक्ट नं १९ सन १८७७ ई० के न समझी जावेगी, कि वह तारीख बखशिश नामा से तीन साल के अन्दर दायर नहीं की गई, क्योंकि इस्तेहकाक मुद्दई निसबत मसूख कराने बखशिश नामा के सिर्फ उसी वक्त पैदा होगा, कि जब कबजा मिलने स बखशिश नामा कानून के मुताबिक कारगिर हो जाने—(इ ला. रि अलाहाबाद जिल्द ६ सफा २०७ मेदा बीबी—बनाम—इमामन बीबी).

मद न ६२ जमीमा १ एक्ट न ९ सन १९०८ ई०, यानी एक्ट मियाद हाल ऐसी नालिश से ताल्लुक न रखेगा, कि जिस में मसूखी रहननामा बर बिनाय फरेब और उस में लिखी हुई जायदाद गैर मनकूला का कबजा दिला पाने का दावा किया जावे—यह मद सिर्फ उसी सूरत में लागू होगा कि जब किसी तमस्सुक या दूसरे दस्तावेज की सिर्फ मसूखी का दावा किया जाने—[इ. ला. रि. बम्बई जि. ११ सफा ७८ वेजनातबू—बनाम—शानागर बलब कानजी]

बमोजिब मद १२० जमीमा १ एक्ट मियाद नालिशात इस्तकरार हक के वास्ते मियाद तारीख पैदा होने हक से छै साल की है, और यह मियाद मद नं. ६१ से किसी तरह पर तबदील न होगी, हालाकि डिक्री इस्तकरार हक का असर किसी दस्तावेज को मुद्दई के मुकाबले में रद्द करने का हो—(इं ला रि मद्रास जिल्द १० सफा २१२)

नालिश इस्तकरार हक जिसमें यह दावा किया जावे कि "फलां दस्तावेज सिर्फ बराय नाम वो उस पर अमल न करने के इरादा से" तहरीर किया गया था बतौर नालिश मसूखी दस्तावेज हस्ब मन्शा मद न. ६१ एक्ट मियाद के न समझी जावेगी (इ ला. रि. मद्रास जिल्द १३ सफा ४४)

मद नम्बर ६१, ९२ वो ९३ जमीमा १ एक्ट मियाद सिर्फ ऐसी नालिशों से ताल्लुक रखते है जो किसी दस्तावेज को मसूख कराने, रद्द कराने या उसे जाली करार दिये जाने की गरज से दायर की गई हों—लेकिन वे मद ऐसी नालिशात में लागू न होंगे, जिन में असली दादरसी मांगी जावे, और जहा कि ऐसी दादरसी दिलाने के वास्ते दस्तावेज का मसूख करना या रद्द करार देना सिर्फ

बाबत दखलयाबी जायदाद न चल सक्ती हो तो मुद्दई को चाहिये कि वह पहिले उस दस्तावेज के मसूख कराने की नालिश बमूजिब मद न० ९१ के तीन साल के अन्दर दायर करे मद न० १२७ एक्ट मियाद नालिश मुसलमान मुद्दई—बनाम—मुसलमान मुद्दायलेह में लागू न होगा, और यह भी शक है कि मद मजकूर खोजा वो मोमिन लोगों को भी लागू होगा या नहीं सिवाय उस हालत में कि जब जायदाद विरासतन तरका में उन के वारसों को पहुची हो और वह बतौर शामलाती खानदानी जायदाद के बाकी मानदों यानी (बचे हुए) वारसों के कब्जे में हो—(बम्बई ला. रि. जिल्द १५ सफा १०४४)—

मद ९२—नालिश वास्ते करार दिये जाने जाली किसी दस्तावेज के जो लिखा गया हो या जिसकी रजिस्ट्री कराई गई—तीन साल— उस तारीख से कि जब दस्तावेज के लिखे जाने या रजिस्ट्री होने का हाल मुद्दई को मालूम हो —

तशरीह—यह मद सिर्फ ऐसी नालिश में लागू होगा, जो साफ तौर पर किसी दस्तावेज को जाली करार दिये जाने के वास्ते दायर की जाय—पर मद उस सूरत में लागू न होगा जब असली दादरसी मांगी गई हो, या जब असली दादरसी देने के लिये दस्तावेज का मसूख करना, या इस्तकरार हक करार देना बतौर अमर इमदादी हो, न कि अमर जरूरी, (इ. ला रि बम्बई जि० १६ सफा १८६)

इस मद वो अगले मद के मुताबिक जो नालिशें दायर की जावें, वे मय और नालिशात बमूजिब मद न ११८ वो ११९ सिर्फ नालिशात इस्तकरारी समझी जाती हैं, और उन का नतीजा भी इस्तकरारी हुआ करता है—लेकिन जो नालिश ऐसे दस्तावेज के मसूखी के बाबत दायर की जावे, कि जिस का जाली होना कहा गया है वह निरल नालिश वास्ते करार दिये जाने जाली किसी दस्तावेज के समझी जावेगी (इ ला. रि. कलकत्ता जि० ८ सफा १७८ वो १८८ प्रीवी कौंसिल)—

नालिश दखलयाबी जायदाद या बाबत इस्तकरार हक जायदाद में मद न. ९२ वो ९३ लागू न होंगे, हालांकि मुद्दायलेह एक एम दस्तावेज पर

पर बधन नहीं डाल सक्ता (इ केस जिल्द १३ सफा ५४७)—

अगर कोई जायदाद बजरिये दस्तावेज मुन्तकिल की गई हो, तो वैसी जायदाद पर कब्जा पाने की नालिश में यह लाजमी नहीं है कि इन्तकालनामा जरूर करके मसूख किया ही जावे, नालिश दखलयाबी जायदाद मजकूर सिर्फ इस वजह से बेरू मियाद नहीं समझी जा सक्ती कि वैसे इन्तकालनामे के मसूख कराने की नालिश के लिये जो मियाद मुकर्रर है वह गुजर चुकी (इ केस जिल्द १२ सफा १४०)—

अगर कोई बखशीशनामा इस बिना पर काबिल रद्द किये जाने के हो कि वह बखशीश करने वाले से बजरिये फरेब वो बेजा दबाव वो जब्र के साथ हासिल किया गया था, तो वह कारआमद रहेगा जब तक कि वह उस मियाद के अन्दर मनसूख न कराया जावे जो मुताबिक मद न० ९१ एक्ट मियाद के मुकर्रर है-फरीक मुताल्लिक यानी बखशीशनामा के लिख देने वाले फरीक को लाजिम है, कि वह वैसे दस्तावेज को बाजाब्ता मंसूख कराये, अगर वह शुरू ही से नाजायज वो बेअसर हो या उस का असर निकल गया हो, और उस से मुद्दई के हक को कोई नुकसान न पहुचता हो—(कलकत्ता ला जरनल जिल्द १७ सफा २३३)—

दस्तावेज को बेजा दबाव की बिनाय पर मसूख कराने की नालिश में मद नम्बर ९१ लागू होगा—अगर मुद्दई जायदाद पर कब्जा पाना इस बिना पर चाहता हो कि मुद्दायलेह को पट्टा बेजा दबाव डाल कर हासिल हुवा था तो उस को लाजिम होगा कि वह पहिले उस पट्टे को उस मियाद के अन्दर मसूख कराये जो इस मद में मुकर्रर है, फिर उस को जायदाद पर कब्जा मिल सकेगा—पट्टा सिर्फ एक तरफा फेल या नियत से बेकार न होगा—यातो मुद्दायलेह जायदाद को वापस कर दे, या अदालत से जब फैसला हो जाय तब ही दस्तावेज जो रद्द होने काबिल है बतौर रद्द के समझा जावेगा—(मद्रास वी. नोट सफा ४५३ सन १९१३ ई०)—

अगर कोई दस्तावेज जो जायज और लिखने वाले फरीक पर बधन डालने वाला हो, और उस के मौजूद रहने के सबब से मुद्दई की नालिश

बाबत दखलयाबी जायदाद न चल सक्ती हो तो मुद्दई को चाहिये कि वह पहिले उस दस्तावेज के मसूख कराने की नालिश बमूजिब मद नं० ९१ के तीन साल के अन्दर दायर करे मद नं० १२७ एक्ट मियाद नालिश मुसलमान मुद्दई–बनाम–मुसलमान मुद्दायलेह में लागू न होगा, और यह भी शक है कि मद मजकूर खोजा वो मोमिन लोगों को भी लागू होगा या नहीं सिवाय उस हालत में कि जब जायदाद विरासतन तरका में उन के वारसों को पहुची हो और वह बतौर शामलाती खानदानी जायदाद के बाकी मानदों यानी (बचे हुए) वारसों के कब्जे में हो–(बम्बई ला. रि. जिल्द १५ सफा १०४४)—

मद ९२—नालिश वास्ते करार दिये जाने जाली किसी दस्तावेज के जो लिखा गया हो या जिस्की रजिस्ट्री कराई गई—तीन साल— उस तारीख से कि जब दस्तावेज के लिखे जाने या रजिस्ट्री होने का हाल मुद्दई को मालूम हो —

तशरीह —यह मद सिर्फ ऐसी नालिश में लागू होगा, जो साफ तौर पर किसी दस्तावेज को जाली करार दिये जाने के वास्ते दायर की जाय–पर मद उस सूरत में लागू न होगा जब असली दादरसी मांगी गई हो, या जब असली दादरसी देने के लिये दस्तावेज का मसूख करना, या इसतकरार हक करार देना बतौर अमर इमदादी हो, न कि अमर जरूरी, (इ ला रि बम्बई जि० १६ सफा १८६)

इस मद वो अगले मद के मुताबिक जो नालिशें दायर की जावें, वे बगैर नालिशात बमूजिब मद नं ११८ वो ११९ सिर्फ नालिशात इसतकरारी समझी जाती हैं, और उन का नतीजा भी इसतकरारी हुवा करता है–लेकिन जो नालिश ऐसे दस्तावेज के मसुखी के बाबत दायर की जाये, कि जिस का जाली होना कहा गया है वह मिस्ल नालिश वास्ते करार दिये जाने जाली किसी दस्तावेज के समझी जावेगी (इ ला. रि. कलकत्ता जि० ८ सफा १७८ वो १८८ प्रीवी कौंसिल)—

नालिश दखलयाबी जायदाद या बाबत इसतकरार हक जायदाद में मद नं. ९२ वो ९३ लागू न होंगे, हालांकि मुद्दायलेह एक ऐसे दस्तावेज पर

भरोसा रखता है कि जिस को मुद्दई जाली कहता है, अगर मुद्दई अचानक ऐसे दस्तावेज के मसूखी की दादरसी मागे, तिस पर भी तीन साल की मियाद का कायदा लागू न होगा (कलकत्ता ला. रि. जि० २ सफा १० वो सफा ५६१) —

मद ९३—नालिश वास्ते करार दिये जाने जाली किसी दस्तावेज के जिस को मुद्दई के मुकाबला में काम में लाने का इकदाम (प्रयत्न) किया गया—तीन साल—इकदाम की तारीख से—

तशरीह:—मुद्दई ने अपने मेनेजर पर एक नालिश बाबत दिला पाने कबजा जमीन के दायर की, और इत्तफाक से यह भी दादरसी मागी कि एक जाली बैनामा जिस पर मुद्दायलेह भरोसा करता था मसूख कर दिया जावे—तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि अगर दस्तावेज जाली था या बिलकुल नहीं तहरीर किया गया, तो मद नम्बर १४४, न कि मद न. ९२ या ९३, ऐसी नालिश में लागू होगा—(इ ला रि. बम्बई जि० १७ सफा ७५५ वो ७५८ नवाब मीर-बनाम-यासीन)—

जब नालिश सिर्फ करार दिये जाने जाली किसी दस्तावेज के हो, जिस की रजिस्टरी होने का हाल मुद्दई को मालूम था और जिसको मुद्दई के मुकाबले में जारी करने का इकदाम याने कोशिश तीन साल से ज्यादा अरसा के पेश्तर किया गया, वह बमूजिब मद हाजा वो पिछले मद के बेरू मियाद समझी जायगी (इ ला रि कलकत्ता जि० ८ सफा १७८ प्रीवी कौंसिल)—

मद ९४—नालिश बाबत जायदाद के जो मुद्दई ने पागलपन की हालत में मुन्तकिल की हो—तीन साल—उस तारीख से कि जब मुद्दई के होश हवास दुरुस्त हो जावें और वह उस इन्तकाल से आगाह हो—

तशरीह—जो नालिश इस मद के मुताबिक दायर की जावे, वह सिर्फ बतौर नालिश बाबत मसूखी इन्तकालनामा के न होगी, बल्कि बेची हुई जायदाद के वापिस दिला पाने के बाबत होना चाहिये—

म. ९५—नालिश बाबत मंसूख कराने डिकरी के जो

फरेब के साथ हासिल की गई हो या बाबत दिलापाने दूसरी दादरसी फरेब की बिनाय पर—तीन साल—उस तारीख से कि जब फरेब उस शख्स को मालूम हो कि जिसे नुकसान पहुंचा हो—

तशरीह— यह मद कुल ऐसी नालिशों से ताल्लुक रखेगा, कि जिन में मुद्दई ने मुद्दायलेह के फरेब की वजह से कोई काम किया हो, या नुकसानी उठाई हो (इ ला रि कलकत्ता जि० ३ सफा ५०७)—

यह मद ऐसी नालिशों में लागू न होगा कि जिन के लिये किसी दूसरे एक्ट की रू से कोई खास मियाद मुकर्रर की गई हो, हालांकि मुद्दई की बिनाय मुखास्मत फरेब की बिनाय पर कायम हो, लेकिन ऐसी नालिश उसी मियाद के अन्दर दायर हो जाना चाहिये कि जो उन एक्ट के रू से मुकर्रर की गई हो, और ऐसी मियाद का शुमार उस तारीख से किया जावेगा कि जब फरेब का हाल मुद्दई को मालुम हो जाय (इ. ला रि मद्रास जि० १२ सफा १६८)—

नालिश बाबत दिला पाने कबजा बजरिये मसूखी बैनामा फरेबी या बेनामी बतौर नालिश बाबत दादरसी बर बिनाय फरेब न समझी जावेगी, (इ ला. रि. अलाहाबाद जि० ६ सफा ७५ वो ७८)—

जो डिकरी दोनों फरीकैन के फरेब या साजिज से हासिल की जावे, उसे उन में से कोई एक फरीक मामूली तौर पर मनसूख न करा सकेगा (इ ला रि. बम्बई जि० ६ सफा ७०३)—

नालिश खरीदार नीलाम की तरफ से बाबत मनसूख कराने नीलाम के, फरेब की बिनाय पर और वापिस पाने रकम नीलाम के मुताबिक मद नं ९५ दायर हो सकेगी—(इ ला, रि, मदरास जिल्द ३४ सफा १४३)

मद न, ९५ लागू न होगा जब कि अरजी दावा को देखते ही यह मालूम हो कि फरेब की बिनाय पर कोई चाराजोई बमूजिब कानून इस्तक नहीं चाही गई है—(बम्बई ला, रि. जिल्द १५ सफा १९२).

मुद्दई ने नालिश इस ब्यान के साथ दायर किया कि नालिश के १४ साल पहिले उसने कुछ जायदाद मुद्दायलेह ने खरीद किया था, और मुद्दायलेह १ ३ १

निसबत अपने हक के घोका दिया था, और नालिश के दो साल ९ महीने पेश्तर एक तीसरे शख्स ने उसे जायदाद से यह कह कर बेदखल किया, कि जायदाद खुद उस की है, नालिश वास्ते दिला पाने वापिस जर नीलाम वो हरजाना के थी—तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई, कि ऐसी नालिश में मद न ९५ या ९७ लागू होगा, और नालिश अन्दर मियाद समझी जावेगी—(इ के जिल्द १६ सफा ५).

मद ९६—नालिश दिला पाने दादरसी किसी गलती के बिनाय पर—तीन साल—उस तारीख से कि जब मुद्दई को गलती मालूम हो जावे—

तशरीह:—पुराने एक्ट मियाद याने नम्बर ६ सन १८७१ ई० का मद ९७ सिर्फ "गल्ती वाकेआ" से ताल्लुक रखता था, लेकिन अब यह मद गलती कानूनी से और गलती वाकेआ दोनो से मुताल्लुक है—(इ ला रि. बम्बई जिल्द २० सफा ५११)

एक शामलाती हिन्दू घराने के शरीकदारों ने जायदाद खानदानी आपस में इस तरह पर तकसीम कर लिये, कि जिस से उस शरीकदार को, कि जो उस वक्त नाबालिग था, अपने वाजिब वो जायज हिस्सा से कम मिला—बटवाड़ा के वक्त नाबालिग की तरफ से उस का चचा कार्रवाई करता था, हालांकि यह चचा उस नाबालिग का कानून के मुताबिक वली न था, और न वह किसी तरह से नाबालिग की जायदाद को अपने कबजा में करने का हकदार था— नाबालिग ने बालिग होने पर अपने पूरे हिस्से के पाने की नालिश दायर की—तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि यह नालिश बाबत दादरसी बरबिनाय फरेब या गलती के न समझी जायगी, क्योंकि अजरूय बटवाड़ा नाबालिग के हुकूक में किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचता है, इस लिये ऐसी नालिश में तीन साल की मियाद मुन्दरजा मद न. ९५ वो मद न ९६ जमीमा २ एक्ट न १५ सन १८७७ ई० के न लगाई जावेगी—(इ ला. रि. अलाहाबाद जिल्द १४ सफा ४९८ लाल बहादुर सिंग—बनाम—सिसपालसिंग)

मद न ९६ ऐसी नालिश में लागू होने के लिये मकसूद है जिन में अदालत से यह चाराजोई की जाय, कि माहदा करने में जो गलती फरीकैन की तरफ से

हो गई हो, उस का असर उन पर न होने पावे—यह मद ऐसी नालिश में लागू न होगा, जिस में कोई डिक्री गलती की बिनाय पर मसूख कराने की चाराजोई की गई हो, मगर वह ऐसी नालिश में लागू हो सकेगा, जिस में डिकरी की गल्ती को छोड़ कर और किसी गल्ती के सबब से चाराजोई की गई हो—अमरसिंग ने हक़ शफा की नालिश दायर किया, मगर अर्जी दावा में एक किता (टुकड़ा) जमीन मिनजुमला उन टुकड़ों के जो बेचे गय थे, शामिल नहीं किया, इस टुकड़े के बदले में उस ने ऐसा टुकड़ा दर्ज किया जो बिलकुल नहीं बेचा गया था—अमरसिंग को डिकरी बमूजिब उस के अर्जी दावे के दी गई—पीछे से अमरसिंग ने उस टुकड़े की भी नालिश की जो छूट गया था—और उसने डिकरी की दुरुस्तगी के लिये दरखास्त दिया—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि अमरसिंग का दावा वास्ते दुरुस्तगी डिकरी चल सक्ता है, क्योंकि पहिली नालिश में जो एक टुकड़ा छुट गया था वह कोई गल्ती के सबब से नहीं छुटा, बल्कि गफलत वो लापरवाही के सबब से (इ. के. जिल्द ११ सफ़ा ५३७)

जो डिक्री हलफ़दरोगी यानी झूठ गवाही के जरिये हासिल की गई हो, उस की निस्बत यह समझा जायगा, कि वह बजरिये फरेब हासिल की गई और वह मद न. ६५ में दाखिल हो सकेगी, और फरीक डिक्री इस मद के अमल को नहीं टाल सक्ता, यह कह कर कि उमी चाराजोई की निस्बत अदालत की पहिली डिक्री जो फरेब से हासिल की गई थी बतौर रद के थी (मद्रास ला. जरनल जि २२ सफा १८७)—

मद ६७—नालिश किसी जर नक़्द की जो किसी चीज मौजूदा पर दिया गया हो और पीछे से वह चीज बिगड़ जावे, तीन साल—उस चीज के बिगड़ जाने की तारीख से—

तशरीह:—अगर कोई रूपया अदालत के बाहर किसी ऐसी डिक्री की बाबत में दिया जाय जो मसूख हो गई हो, तो ऐसे रूपये के दिलापाने की नालिश में यह मद लागू न होगा, क्योंकि वह एक ऐसा मुहदा नहीं है जो इस मद के मनशा के मुताबिक और ऐसी मौजूदा चीज के समझा जा सके जो कि बिगड़ गई (इ ला रि मद्रास जि. १२ सफा ४३७)—

एक रहननामा में राहिन की तरफ से रहन का रूप्या पटने के बारे में कोई जाती शर्त दर्ज न थी, और उस के कसूर से किफालत रहन जाती रही, पस ऐसी नालिश में रहन के रूप्या के दिला पाने की नालिश तारीख बिगड जाने किफालत से तीन साल के अन्दर दायर हो सकेगी—(इ. ला. रि बम्बई जिल्द ११ सफा ४७५).

जब कोई जमीन बेंची जावे, और यह बै (बिक्री) जरूर करके रद्द न हो, बल्कि उस हालत में नाजायज हो सकता हो, कि जब शामलाती घराने के दूसरे शरीकदार उस की निस्बत एतराज करें–बैनामा लिखे जाने के बाद खरीदार ने जमीन का कब्जा लेने की कोशिश की, लेकिन उस शामलाती घराने के दीगर शरीकदारों ने उस को जमीन मजकूर का कबजा लेने से रोका-ऐसी रूकावट पर बैनामा के बदल का बिगड़ जाना तसौवर किया जावेगा–और जर समन (बिक्री का रूप्या) के दिला पान की नालिश में मियाद उस तारीख से शुरू होगी कि जब खरीदार कबजा लेने से रोका गया—(इ ला. रि. कलकत्ता जिल्द १६ सफा १२३ हनूमान–बनाम हनूमान).

इस मुकदमा में मुद्दायलेह ने मुद्दई से बजरिये रहननामा बिला रजिस्टरी शुदा कुछ रूप्या कर्ज लिया और उस को जायदाद मरहूना का कबजा भी दे दिया- लेकिन पीछे से रहनमामा की रजिस्टरी न होने का फायदा उठाकर उस ने मुद्दई को कबजा से निकाल दिया–पस ऐसी हालत में नालिश बाबत दिला पाने जर करजा इसी मद के मुताबिक समझी जावेगी, और मियाद उस वक्त से शुरू होगी कि जब मुद्दायलेह ने कबजा वापस लिया. (पजाब रिकार्ड न १६३ सन १८८८ ई० गुरमुखसिंग–बनाम–चन्दूशाह).

मुद्दायलेह ने एक कुवा मुद्दई से ठेका लेकर बनाया, तीन साल से ज्यादा अर्से के बाद मुद्दायलेह ने कुवा का काम बन्द कर दिया, तब मुद्दई ने अपने रूप्या के दिला पाने की नालिश दायर किया, जो उन ने मुद्दायलेह को दिया था, और इस अर्से में उस कुवे को हाकमान माल ने भी नामजूर कर दिया–इस किस्म की नालिश में मद न ११५ लागू होगा, और मियाद काम बन्द करने की तारीख से शुरू होगी, खास करके जब यह उजर न हो, कि

कोई फरेब छिपाया गया, और मद नं ६६ लागू न होगा (इ. के. जिल्द ६ सफा २३७).

मुदायलेह अपने तईं नेकनियती से यह यकीन करता था, कि उस को कुछ जायदाद गैर मनकूला बेचने का अख्त्यार है, और उस ने ऐसा यकीन करके जायदाद मजकूर को सन १६०२ ई० में मुद्दई के हाथ बेंच डाला—मुद्दई ने अपना दखल कर लिया, और उस का कबजा सन १६०६ ई० तक बना रहा और सन १९०९ ई० में असली मालिक ने उस जायदाद का कबजा उन से छुड़ा लिया—मुद्दई ने मुदायलेह से जर समन (बिक्री का रूपया) वापिस पाने की नालिश दायर किया—पहिली अदालत ने यह नालिश बमोजिब मद नंबर ६२ बेरू मियाद समझकर खारिज कर दी—अदालत अपील मातहत की यह राय हुई कि इस नालिश में मद नंबर ६७ लागू होगा और नालिश अन्दर मियाद है-अपील होने पर तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि मद नं ६७ लागू होगा, क्योंकि बेनामें के जरिये जो कबजा हासिल कर लिया गया है, वह बतौर मौजूदा बदल के होगा, जो कि कबजा रहने तक कायम रहेगा, यों खरीदी हुई जायदाद की निस्बत वह जायदाद ही बतौर कुल बदल के समझी जायगी—जब खरीदार को कबजा जायदाद पर मिल जावे, तो जब तक कबजा उस का बना रहे तब तक कानून के मुताबिक जितना बदल पाने का वह हकदार है वह सब उस को हासिल रहता है, चाहे वह बदल कानूनन जायज हो या नाजायज (बम्बई ला. रि जिल्द १५ सफा ५५६)

जब मुद्दई ने मुदायलेह पर ऐसे रूपया की नालिश दायर की, कि जिस की निस्बत वह (मुद्दई) कहता था, कि वह रूपया उस ने मुदायलेह को इस बदल की निस्बत दिया कि मुदायलेह मुद्दई को किसी जमीन पर २० बर्ष तक अपना कबजा रखे रहने देवे, और यह कि जब मुदायलेह ने जमीन पर तारीख मुकर्रर के पहिले अपना कबजा कर लिया और मुद्दई को बेदखल कर दिया तो ऐसी सूरत में बदल की निस्बत समझा जायगा, कि नहीं दिया गया, और ऐसी नालिश में मद नं. ६७ लागू होगा (लोवर बर्मा रि. जिल्द ७ सफा १३८).

मद ६८—मुतवफ्फी (मरे हुए) अमीन की आम जायदाद

से नुकसान दिलापाने की नालिश जिस हालत में कि वह नुकसान अमीन की ख्यानत से हुवा हो—तीन साल—अमीन के मरने की तारीख से या जिस हाल में कि उस वक्त नुकसान न हुवा हो तो नुकसान होने की तारीख से

तशरीह—अमीन की तरफ से ख्यानत उस के मरने के पेश्तर वकूअ में आती है—लेकिन नालिश इस मद के बमूजिब उस के मरने के बाद दायर की जाती है—

जो नालिश इस मद के मुताबिक दायर की जावे वह बाबत दिलापाने जायदाद अमान्ती के न होगी, बल्कि वह नालिश नुकसानी के मावजा के दिलापाने के बाबत होगी, जो मरे हुए अमीन की आम जायदाद से दिलाई जावे—(मितरा साहब का रिसाला चौथी बार छपा हुआ सफा ६१७)

मद ६६—नालिश वास्ते वसूल याबी रूप्या के मिन जानिब उस फरीक के जिस ने कुल रूप्या या अपने हिस्सा रसदी से ज्यादा ऐसी शामलाती डिकरी का अदा किया हो जो उस की तरफ से मुताबिक हिस्सा रसदी के अदा होना चाहिये था, या मिनजानिब ऐसे शरीकदार महाल शामलाती के जिसने कुल मालगुजारी या अपने हिस्सा रसदी से ज्यादा जो उस पर और उसके शरीक दारों पर वाजिबुलअदा थी अदा कर दी हो—तीन साल—उस तारीख से कि जब मुद्दई ने अपने हिस्से से जियादा रूपया अदा किया हो—

तशरीह:—इस मद में लफ्ज "या अपने हिस्सा रसदी से ज्यादा" बढ़ाये गये हैं—बढ़ाने का सबब यह था कि बमुकदमा (इ ला. रि. मद्रास जि० २० सफा २३ हाई कोर्ट मद्रास की यह राय हुई थी कि पुराने एक्ट मियाद का यह मद ऐसी नालिश में लागू न होगा जिसमें किसी शामलाती डिक्री का कुल रूपिया नहीं, बल्कि जुज रुपिया, मुद्दई से उसकी जायदाद नीलाम करके अदालत ने वसूल किया हो—

इस मद के बमूजिब मियाद उस तारीख से शुरू होगी कि जब रूपिया दर असल डिक्रीदार को अदा कर दिया जावे, न कि उस तारीख से कि जब

रूपिया अदा किये जाने के बारे में हुक्म हुआ हो या रूपिया लेने के वास्ते कहा जावे—(कलकत्ता ला. रि. जि० ३ सफा ४८०)

यह मद ऐसी सूरत में लागू न होगा कि जब मुद्दई जमा मालगुजारी पटाने को मजबूर किया जावे और यह जमा पूरे तौर पर मुदायेलह को दाखिल करना चाहिये था—

आया किसी नालिश की मियाद बमूजिब मद ९७ है या नहीं इसका दारमदार हर नालिश के खास हालात पर होगा, क्योंकि वैसे हालात पर लिहाज करके अदालत इस बात का तसफिया करेगी कि बदल किस तारीख को चुकाया गया—एक ठेकेदार जमीन को ऐसे शख्स ने बेदखल कर दिया जिसका हक उस जमीन पर बढ़िया था—ठेकेदार ने ठेका देने वाले पर ठेके के नजराने का रूपिया वापिस पाने की नालिश दायर किया—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि मुद्दई के खिलाफ मियाद उस तारीख से शुरू हुई जब कि वह दरअसल जमीन से बेदखल कराया गया, न कि उस तारीख से कि जीतने वाले दावेदार की दखलयाबी की डिक्री उस पर मिली—(इ. केस जिल्द १० सफा ४८८)—

मद १०० – नालिश मिन जानिब शरीकदार अमीन के, मरे हुए अमीन की जायदाद से उस के जिम्मे का हिस्सा दिला पाने के लिये—तीन साल—उस तारीख से कि जब हिस्सा रसदी के दिला पाने का इस्तहकाक पैदा हुवा हो—

तशरीह:—यह मद उस हालत में लागू न होगा कि जब वह अमीन जो हिस्सा रसदी का देनदार हो मरा न हो—(एक्ट अमानत हिन्द नं २ सन १८८२ ई० की दफा २७ देखो)

मद १०१—नालिश बाबत उजरत खलासी जहाज के—तीन साल—उस सफर दरया के खतम होने के वक्त से कि जिसमें वह उजरत वाजिब हुई हो—

तशरीह —इस मद से उस खास म्याद में कुछ खलल वाक्य न होगा जो सरसरी कार्रवाई के वास्ते मुकर्रर है—लेकिन यह मद सिर्फ उसी हालत में नालिश बाबत दिला पाने उजरत खलासी जहाज में लागू होगा जब कि ऐसी नालिशें दायर हो सक्ती हों—

मद १०२—नालिश बाबत उस उजरत के जिस्के वास्ते इस जमीमा में और तरह का हुक्म साफ तौर पर दर्ज नहीं है—तीन साल—उस तारीख से कि जब उजरत वाजिबुलअदा होवे—

तशरीह:—सड़क, रेलवे वो दीगर सरकारी कामों के मजदूरों की उजरत की वसूली के लिये मियाद बमूजिब मद ४ मुकर्रर है, वो खानगी मुलाजिमान वो कारीगिरों की उजरत के वास्ते मद ७ में मियाद दर्ज है; और जहाज के खलासियों की उजरत के दिलापाने की नालिश के लिये मद १०१ मुकर्रर है—लेकिन यह मद याने मद १०२ ऐसे लोगों की उजरत के दिलापाने की नालिश में लागू होगा कि जिनके लिये ऊपर लिखे मदों में कोई मद नहीं है

मद १०३—नालिश मिन जानिब अहल इसलाम याने मुसलमान के, बाबत महर मोअज्जल के—तीन साल—उस तारीख से कि जब महर तलब किया जाय और उस से इंकार हो, या जिस हाल में कि दौरान कायम रहने शादी के मतालबा न किया गया हो, तो जिस वक्त कि मौत या तिलाक (छोड़ छुट्टी) की वजह से शादी फिस्ख हो जावे

तशरीह:—हर एक मुसलमान के निकाह के वक्त जोरू खाविन्द के दरमियान महर बाधा जाता है—और यह महर दो किस्म का होता है, याने महर "मुवज्जल" वो महर "मुवज्जल"—महर मुवज्जल फौरन वाजिबुल-अदा होता है और महर मुअज्जल का रूपिया उस वक्त तक वाजिबुलअदा न होगा कि जब तक निकाह फिस्ख न हो जावे—अगर किसी मुसलमान की औरत का महर मुअज्जल हो तो जब तक यह रूपिया अदा न कर दिया जावे तब तक खाविन्द अपनी औरत पर हमबिस्तरी करा पाने की नालिश न कर सकेगा और उस की औरत भी अपने खाविन्द के पास जाने से इंकार कर सक्ती है—(इ. ला. रि अलाहाबाद जिल्द १ सफा ४८३)—जब किसी मुसलमान के निकाह के वक्त इस बात की तशरीह न कर दी गई हो कि आया महर मुवज्जल था या मुअज्जल तो ऐसी हालत में किस्म

महर का तसफ़िया वलिहाज
हिस्सा बतौर महर मुअज्जल के
इलाहाबाद जिल्द १ सफा ५०६)

मद १०४—नालिश
मुसलमान के बाबत
तारीख से कि जब शादी
के फ़िस्ख हो जावे.

तशरीहः—जब नि
वास्ते कोई मियाद मुकर्रर न की
या औरत या सिर्फ़ खाविन्द की
होगा—

अगर महर का रुपिया
हो तो बमूजिब मद ११
रि जिल्द २ सफा ३०६

मद १०५—
रहन अदा हो गया,
के जो मुर्तहिन
से कि जब राहिन

तशरीहः
मद १०५ के रू से
फ़ाजिल वासिलात
नं० ९ सन १९०
तारीख से शुरू
कर लेवे—जर फ़ा
जो खर्चा जाकर

मद १०
शराकत

ौर जायदाद
री की बाबत
-तीन साल—

राहकार ने अपनी
ा में लगाया, और
लिया; इसके बाद
की—तजवीज हाई
ने लिये मियाद उस
कामों के लिये लिया—
ाम—गिरिशचन्द].

ले पट्टा के उन
खिलाफ़ शरायत
जब दरख्त काटे

मियाद में शुरू
कि जिस में मुद्दई
ा से पैदा होती

साल—शराकत के टूटने की तारीख से—

तशरीह:—यह मद सिर्फ उसी वक्त लागू होगा कि जब शराकत टूट जाये-दर सूरत न होने कोई खास माहदा खिलाफ इसके, कुल शराकतें, चाहे वे एक खास मुद्दत के वास्ते करार पाई हों या न हो, किसी शराकतदार की मौत पर टूट जाती हैं-(देखो दफा २५३ कानून माहदा एक्ट न० ९ सन १८७२ ई०)—

हर एक शराकत को फिस्ख करा पाने की नालिश मामूली तौर पर दीवानी अदालतों में दायर हुआ करेगी-(इ ला रि अलाहाबाद जिल्द ७ सफा २२७ नजीर इजलास कामिल बमुकदमा रामजीवन बनाम-चांदमल)

हिन्दू बेवा की नालिश वास्ते दिला पाने हिस्सा मुनाफा जो साझेदारी में उस के खाविन्द को मिलना चाहिये बमूजिब मद न. १०६ बेरू मियाद समझी जावेगी-इस मुकदमा में तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि ताल्लुक दरम्यान फरीकैन जैसा कि अर्जी दावा से जाहिर होता है बतौर साझेदारी के था जिस की तारीफ दफा २३९ एक्ट म्याद में की गई है, न कि वैसा ताल्लुक हिन्दू धर्म शास्त्र के मुवाफिक बतौर मौरूसी ब्योपारी किस्म की साझेदारी का समझा जावेगा-और यह भी तजवीज करार पाई कि वैसी साझेदारी बमूजिब दफा २५३ फिकरा ७ एक्ट माहदा मुद्दईया के खाविन्द के मरने पर खतम हो गई, और यह कि दावा निसबत पूंजी साझेदारी वो हिसाब समझाने के दोनों बेरू मियाद है—(पंजाब ला. रि जि ११ सन १९११ ई०).

नालिश वास्ते बटवाडा करने ऐसी जायदाद गैर मनकूला के जो साझेदारी की जायदाद का एक हिस्सा हो साझेदारी टूटने के बाद बमूजिब मद नं १०६ चल सकेगी—(इ के. जि ११ सफा २८८).

जब सालाना हिसाब साझेदारी का जो पहले हर साल बना करता था वैसा बनना बन्द हो गया हो और अखीरी हिसाब पूंजी वो आमदनी के बटवाड़ा का बना हो तो यह कयास पैदा होगा कि साझेदारी का काम काज उस तारीख को बन्द हो गया जिस तारीख को वैसा अखीर हिसाब तैयार हुआ और इस तारीख के तीन साल से ज्यादा के बाद मुनाफा के हिस्सा पाने की जो नालिश दायर की जावे वह बेरू मियाद समझी जावेगी-(अलाहाबाद ला जरनल जिल्द ११

सफ़ा २५९).

मद १०७—नालिश मिन जानिब सरबराहकार जायदाद शामलाती खानदान बिला घटे के उस हिस्सा रसदी की बाबत जो उस ने जायदाद के हिसाब में अदा किया हो—तीन साल—तारीख अदाई से

तशरीहः—एक शामिल शरीक हिन्दू घराने के सरबराहकार ने अपनी जाती जमानत पर कुछ रूपया कर्ज लेकर घराने की जरूरी कामों में लगाया, और पीछे से इस कर्जे की अदाई के वास्ते फिर कुछ रुपिया कर्ज लिया; इसके बाद उस ने इस दूसरे कर्जे की अदाई अपने निजी रुपिया में से की—तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि ऐसी हालत में सरबराहकार की नालिश के लिये मियाद उस तारीख से शुरू होगी कि जब उस ने पहला करजा घराने के कामों के लिये लिया—[इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द २० सफा १८ अघोरनाथ—बनाम—गिरिशचन्द]

मद १०८—नालिश मिन जानिब देने वाले पट्टा के उन दरख्तों की मालियत के बाबत जो पट्टादार ने खिलाफ शरायत पट्टा काट डाले हो—तीन साल—उस तारीख से जब दरख्त काटे गये हों.

तशरीहः—तारीख खतम होने मुद्दत पट्टा से नालिश की मियाद में कुछ नुकसान न पहुचेगा—दरख्तों का काट डालना एक ऐसा फैल है कि जिस में मुद्दई को नालिश करने के वास्ते बिनाय मुखासमत तारीख काटने दरख्त से पैदा होती है—(वी. रिपोर्टर जिल्द ३ सफा ६)

मद न १०८ सिर्फ उस वक्त लागू होगा जब कि मालगुजार ऐसे दरख्तों की कीमत वापिस पाने की नालिश दायर करे जो ठेकेदार ने काट डाले हो—मगर ठेकेदार तरफ़ी जमीन का मालगुजार से दावा करता हो और मालगुजार दरख्तों की कीमत तरफ़ी के दावे में मुजरा देता हो तो ऐसे मामले में पानी मुजरा लेन देने में यह मद लागू न होगा—(६ के निम्द २५ सफा ७०४)

मद १०९—नालिश बाबत मुनाफा जायदाद गैरमनकूला मुद्दई के जो मुद्दायलेह ने बेजा तौर से वसूल किया हो—तीन ...

—उस तारीख से कि जब मुनाफा वसूल किया गया हो—

तशरीह—जब शामलाती हिन्दू घराने का एक शरीकदार दूसरे शरीकदार पर शामिल शरीक जायदाद के मुनाफा के हिसाब का दावा करे तो वह दावा बाबत जर वासिलात के न समझा जावेगा, क्योंकि जब तक शामलाती जायदाद का बटवाड़ा न हो जावे तब तक जायदाद मजकूर में मुद्दई की कोई खास इस्तेहकाक हासिल नहीं होता है–[इ ला. रि. कलकत्ता जिल्द १४ सफा ४६३ वो ५०६ प्रथिपाल–बनाम–जवाहिर सिंग]

जब कोई शख्स ऐसी डिकरी के इजराय में खड़ी फसल को काटकर उठा ले जाय और यह डिकरी पीछे से मसूख कर दी जावे तो उस शख्स की निसबत यह कहा जावेगा कि उस ने बेजा तौर पर जायदाद गैरमनकूला का मुनाफा पाया–(इ. ला रि कलकत्ता जिल्द ४ सफा ६२९)—

बमूजिब मद न १०६ मुनाफा की नालिश में मियाद उस तारीख से शुरू होगी जब कि मुनाफा दर असल मुद्दायलेह ने वसूल किया हो -(नागपूर ला रि. जिल्द १० सफा ७६)—

मद ११०—नालिश वास्ते वसूली बकाया लगान या किराया के– तीन साल—उस तारीख से कि जब बाकी वाजिबुल वसूल हुई हो

तशरीह—यह मद सिर्फ नालिश लगान से ताल्लुक रखता है, और लगान से वह रूप्या मुराद है जो काश्तकार की तरफ मालगुजार को अजरूय माहदा दरमियान उन के पटना चाहिये—

जब वह शख्स जो (ज्यादा) लगान की नालिश करने का हकदार हो, इस किस्म का दावी करे कि या तो उसे कब्जा खास जायदाद का दिलाया जावे या यह बात जाहिर कर दी जावे कि वह ज्यादा लगान का मुस्तेहक है, लेकिन अगर उस को सिर्फ डिकरी इस्तकरारी मिले तो वह सिर्फ उतने ही साल के बकाया लगान की डिकरी पावेगा जो अजरूय एक्ट मियाद अन्दर मियाद हो (इ. ला रि कलकत्ता जिल्द १७ सफा २५१ हरो कुमार–बनाम–कालीकिरन).

एक मालगुजार ने अपने काश्तकार को एक पट्टा दिया जिस के नमूना की निसबत एतराज किया गया था और उस ने उस की तामील करापाने की नालिश

दायर की- लेकिन अदालत ने डिकरी इस बात की सादिर की कि पट्टा दूसरे नमूना पर होना चाहिये था–पस ऐसी हालत में इस्तेहकाक मुद्दई बाबत नालिश करने बकाया लगान उसी तारीख से शुरू होगा कि जब नमूना पट्टा मुकर्रर करने के बाबत डिकरी सादिर की जावे–(इ ला. रि. मद्रास जिल्द १७ सफ २२९).

मद न ११६ के अहकाम निसबत रजिस्ट्री किये हुए माहदों के वैसे पट्टों को लागू होंगे जो मकान बनाने वो गोदाम क़ायम करने के लिये दिये जायें और जो पट्टे काश्तकारी या बगीचे के काम के लिये न हों–(इ. केस जिल्द ११ सफा ६)—

मद न ११०, न कि मद न ११६, ऐसी नालिश में लागू होगा जो रजिस्ट्री किये हुए ठेकेनामे की रूसे जर लगान पाने के लिये दायर की जाय–(इ ला रि अलाहाबाद जिल्द ३४ सफा ४६४)

नालिश वास्ते दिलापाने महसूल वो कमीशन बमूजिब मद न ११६ न कि मद न ११० के होगी–(कलकत्ता ला. जरनल जिल्द १७ सफा ७२)

मद १११–नालिश मिन जानिब बेचने वाला जायदाद गैरमनकूला के बाबत जाती मतालबा जर समन (किमी का रूपया) जो पटाया न गया हो—तीन साल—उस वक्त से जो वे की तकमील के लिये मुकर्रर हुवा हो, या (जिस हालत में कि मुकर्रर किये हुए वक्त के बाद इस्तेहकाक तसलीम किया गया हो) तो तसलीम की तारीख से.

तशरीह:—जब खरीदार जायदाद गैर मनकूला, ब हैसियत खरीदारी के मोल ली हुई जायदाद पर अपना कबजा करले तो उस जायदाद के बेचने वाले को जायदाद मजकूर पर जर समन के बाबत कि जो न पटाया गया हो, इस्तेहकाक हासिल रहेगा–(इ. ला रि बम्बई जिल्द ३ सफा १७२)—जायदाद [illegible] के बेचने वाले को जर समन के वसूली की नालिश बजरिये नीलाम [illegible] हुई के करना चाहिये (देखो दफा ५५ वो १०० एक्ट न ४ सन १८८२ ई०)

मदयून डिक्री जरूर करके ऐसी तहकीकात का फ़रीक नहीं [illegible] जा [illegible] जो बमूजिब दफा २४६ एक्ट ८ सन १८५९ ई० के की जाय और [illegible]

साबित न हो कि हुक्मनामा की तामील उस पर की गई है तो उस उजरदारी के हुक्म को मसूख कराना तारीख हुक्म से एक साल के अन्दर लाजिमी न होगा— अदालत बमूजिब दफा २४६ एक्ट मजकूर सिर्फ हुक्म निसबत छोड़ने जायदाद कुरकी से या उजरदारी खारिज करने का दे सकती है, यानी उजरदारी निसबत न किये जाने नीलाम कुरकी वाली जायदाद का—किसी दावे दार का हक जो उस जायदाद पर हो, (मसलन, हक इनफिकाक जायदाद) जो मदयून डिक्री के कबजे में हो तहकीकात दफा २४६ एक्ट ८ सन १८५६ में दाखल न होगा—(मदरास ला जरनल जिल्द २१ सफा ११०).

मद ११२—नालिश बाबत तल्बी जर मिनजानिब ऐसी कम्पनी के जो किसी कानून इंगलिस्तान या एक्ट की रू से दर्ज रजिस्टर हुई हो—तीन साल—उस तारीख से कि जब तलबी का रूपया वाजबुलअदा हो

तशरीह:—पुराने एक्ट मियाद न. ६ सन १८७१ ई० के मद ११२ के रू से मियाद उस तारीख से शुरू होती थी कि जब रूपया तलब किया जावे— लेकिन अब एक्ट मियाद न. १५ सन १८७७ ई० व न. ९ सन १९०८ ई० की रू से मियाद उस तारीख से शुरू होगी कि जब रूपया वाजबुलअदा हो जाय— यह मद ऐसी नालिशों से मुताल्लुक होगा कि जो किसी कम्पनी दर्ज रजिस्टर की तरफ से कम्पनी के किसी मेम्बर याने हिस्सेदार पर हिस्सा के रूपया की वसूली के बाबत दायर की जावे—मगर कम्पनी टूटने पर लिकीडेटर (यानी हिसाब का बेबाक करने वाले) की नालिश में मद न. १२० लागू होगा (इ. ला रि. बम्बई जिल्द १० सफा ६८३).

मद ११३—नालिश वास्ते खास तामील माहदा के— तीन साल—उस तारीख से कि जो तामील के लिये मुकर्रर हो, या अगर कोई तारीख मुकर्रर न हो तो उस वक्त से कि जब मुद्दई को इस बात की इत्तला हो जाय कि उस तामील से इन्कार किया गया—

तशरीह.— जब कोई नालिश उन गैर शख्सों पर दायर की जावे

कि जो असली माहदा के फरीक न हो तो ऐसी नालिश बतौर नालिश तामील खास माहदा के न समझी जायगी–(इ ला. रि मद्रास जिल्द १ सफा २४६ प्रीवी कौंसिल).

जब किसी जमीन के बेंचने का माहदा हुआ हो तो जो नालिश वास्ते तहरीर वो तकमील बैनामा और बाबत दिला पाने कबजा उस जायदाद के दायर की जावे वह बतौर नालिश तामील खास माहदा के तसौवर की जावेगी और उस में मद ११३ लागू होगा, क्योंकि कबजा पाने का हक माहदा ये से पैदा होता है और ऐसी नालिश में कबजा पाने की दादरसी तामील खास माहदा की दादरसी में शामिल रहती है–अगर बवजह गुजरजाने तीन साल, जो इस मद की रू से मुकर्रर है, किसी माहदा के खास तामील की नालिश दायर न हो सकी हो, तो ऐसी हालत में उस जायदाद के कबजा की नालिश भी न चल सकेगी कि जिस के बै अर्थात बेंचने का ठहराव हुवा था–(इ. ला. रि अलाहाबाद जिल्द ६ सफा २३१ मोहाउद्दीन–बनाम- मजलिस).

जब कोई शख्स ऐसी जमीन का बैनामा लिखदे कि जो उस के कबजे में न हो और बैनामा में खरीदार को कबजा देने के बारे में कोई खास इकरार दर्ज न हो तो ऐसी सूरत में जो नालिश खरीदार की तरफ से बेचने वाले पर वास्ते दिला पाने कबजा जायदाद बेची हुई के [जब कि बेंचने वाले ने खुद कबजा हासिल कर लिया हो] दायर की जावे, वह बतौर नालिश तामील खास माहदा के न समझी जायगी, इस लिये उस में मद १३६ या १४४ लागू होगा (इ. ला रि. अलाहाबाद जिल्द सफा ७१८ शिवप्रसाद–बनाम–उदई)–नालिश दखलयाबी जमीन, जो बर बिनाय किसी राजीनामा माबिक दरमियान फरीकैन के कायम हो बतौर नालिश तामील खास माहदा के मुतसौवर न होगी, बल्कि वह बतौर नालिश दिला पाने कबजा जायदाद गैर मनकूला के समझी जावेगी जिस में मद १४४ लागू होगा–अगर राजीनामा में जमीन छोड़ देने के बाबत कोई साफ या खुला हुवा इकरार दर्ज हो तो ऐसी हालत में मुद्दायलेहुम का कबजा सिर्फ तारीख राजीनामा से और उस के बाद उन के बरखिलाफ इस वजह से हो सकेगा कि उन लोगों ने राजीनामा के शर्तों को तामील करने से इंकार किये (वीकली रि. जिल्द २५ सफा ४२१)

साबित न हो कि हुक्मनामा की तामील उस पर की गई है तो उस उजरदारी के हुक्म को मसूख कराना तारीख हुक्म से एक साल के अन्दर लाजिमी न होगा-अदालत बमूजिब दफा २४६ एक्ट मजकूर सिर्फ हुक्म निसबत छोड़ने जायदाद कुरकी से या उजरदारी खारिज करने का दे सक्ती है, यानी उजरदारी निसबत न किये जाने नीलाम कुरकी वाली जायदाद का—किसी दावेदार का हक जो उस जायदाद पर हो, (मसलन, हक इनफिकाक जायदाद) जो मदयून डिक्री के कबजे में हो तहकीकात दफा २४६ एक्ट ८ सन १८५६ में दाखल न होगा—(मदरास ला जरनल जिल्द २१ सफा ५५०).

मद ११२—नालिश बाबत तल्बी जर मिनजानिब ऐसी कम्पनी के जो किसी कानून इंगलिस्तान या एक्ट की रू से दर्ज रजिस्टर हुई हो—तीन साल—उस तारीख से कि जब तलबी का रूप्या वाजबुलअदा हो

तशरीहः—पुराने एक्ट मियाद न ६ सन १८७१ ई० के मद ११२ के रू से मियाद उस तारीख से शुरू होती थी कि जब रूप्या तलब किया जावे-लेकिन अब एक्ट मियाद न. १५ सन १८७७ ई० वो न. ६ सन १६०८ ई० की रू से मियाद उस तारीख से शुरू होगी कि जब रूप्या वाजबुलअदा हो जाय-यह मद ऐसी नालिशों से मुताल्लुक होगा कि जो किसी कम्पनी दर्ज रजिस्टर की तरफ से कम्पनी के किसी मेम्बर याने हिस्सेदार पर हिस्सा के रूप्या की वसूली के बाबत दायर की जावे-मगर कम्पनी टूटने पर लिकीडेटर (यानी हिसाब का बेबाक करने वाले) की नालिश में मद न. १२० लागू होगा (इ ला. रि. बम्बई जिल्द १० सफा ६८३).

मद ११३—नालिश वास्ते खास तामील माहदा के—तीन साल—उस तारीख से कि जो तामील के लिये मुकर्रर हो, या अगर कोई तारीख मुकर्रर न हो तो उस वक्त से कि जब मुद्दई को इस बात की इत्तला हो जाय कि उस तामील से इन्कार किया गया—

तशरीहः— जब कोई नालिश उन गैर शख्सों पर दायर की जावे

दिलापाने मावजा जो पचायती फैसले की तामील न करने से हुआ समझी जावेगी, और वैसी नालिश में म्याद बमूजिब मद नं० ११६ या १२० लगाई जावेगी–(अलाहाबाद ला जरनल जिल्द ८ सफा ११३८)—

जब किसी ऐसी जायदाद की निस्बत दस्तावेज लिखने की कोई जरूरत न हो जो किसी राजीनामे के रू से मिली हो और उस पर हक तारीख राजीनामा से पहुचा हो, तो नालिश वास्ते कब्जा रहन बमूजिब मद १४४ न कि मद न ११३ दायर होगी–(पजाब वी. रि सफा १०१ सन १९१३ ई०)—

जब अदालत मुद्दायलेह को हुक्म दे कि वह मुद्दई को एसा रूपिया देवे जो कि उसको बमूजिब शरायत किसी फैसले के देना चाहिये था मगर जो उस ने नहीं दिया तो ऐसी सूरत में यह न समझा जायगा कि अदालत किसी माहदे की खास तामील करा रही है बल्कि यह समझा जायगा कि वह फैसले की शराकत की तामील के लिये हरजाना देने के लिये रिआयत कर रही है, और ऐसे मामले में मद नं० १२० एक्ट म्याद लागू होगा इस लिये मद न० ११३ इस किस्म के मामले में लागू न होगा–और यह सवाल, कि आया मद नं० ११५ और अगर रजिस्ट्री किया हुआ दस्तावेज हो तो मद नं० ११६ लागू होगा या नहीं, इसका दारमदार उस खास मुकदमें के हालात पर होगा–यह मुमकिन है कि अगर फरीकैन पच के फैसला पर अपने दस्तखत कर देवे जिस से यह जाहिर हो कि उन्हों ने फैसला पचायत मजूर किया और इस तरह वे उस पचायती फैसले को आपस में बतौर एक नये माहदा के करार दें तो दावा बतौर दावा हरजाना बाबत तोड़ने माहदा के हस्ब मनशा मद न ११५ वो ११६ समझा जायगा–(इ केस जिल्द १६ सफा ८७४)—

मद ११४—नालिश वास्ते मंसूखी माहदा के—तीन साल—उस तारीख से कि जब वे वाकेयात जिन से मुद्दई को माहदा के रद्द कराने का इस्तेहकाक हो, अव्वल मर्तबा उसे मालूम हो जावे—

तशरीह:—यह मद सिर्फ ऐसी नालिशों में लागू होगा [illegible]

इकरार को खास तौर पर तामील कराने की नालिश में इस बात के साबित करने का बोझा जिम्मे मुद्दई होगा कि वह अपने माहदे के हिस्से को तामील करने के लिये तईयार था—माहदा के खास तौर पर तामील कराने की नालिश में मद न ११३ लागू होगा (इ के जिल्द ६ सफा २४३)—

अमरसिंग ने बेनीसिंग के साथ तारीख १७ सितम्बर सन १८६५ ई० को इकरार किया जिस की रू से उस ने बेनीसिंग को ६००) रूपिया कर्ज दिया और १०,०००) रू० तक और भी कर्ज देने का इकरार किया ता कि बेनीसिंग अपने खानदान के दीगर शरीकदार पर बटवाड़े की नालिश की पैरवी कर सके और इस इकरार के बदले में बेनीसिंग ने यह इकरार किया कि बटवाड़े के मुकदमा में या आपसी तसफिया करने में जो कुछ जायदाद उसको या उसकी औरत को मिलेगी उसका कुछ हिस्सा वह अमरसिंग को देगा—बटवाड़ा की नालिश में तारीख ४ अप्रेल सन १८६८ को एक राजीनामा की डिक्री सादिर की गई जिसकी रू से बेनीसिंग को जायदाद का कुछ हिस्सा मिला—इकरारनामें में उस इकरार के तामील करने की कोई तारीख मुकर्रर नहीं थी—जो जायदाद बेनीसिंग को मिली उसका एक पाचवा हिस्सा दिला पाने की नालिश अमरसिंग ने बेनीसिंग पर दायर किया और इस नालिश में उस ने यह भी चाराजोई की कि अगर १/५ हिस्सा न दिलाया जाय तो जो कर्ज उस ने बेनीसिंग को दिया है वह मय सूद के दिलाया जावे—तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि मियाद की गरज के लिये यह नालिश, बतौर नालिश वास्ते तामील कराने माहदा के समझी जावेगी—और इस में मद न ११३ लागू होगा, यह भी तजवीज करार पाई कि जब माहदा की तामील के लिये कोई तारीख मुकर्रर नहीं थी तो नालिश बेरू मियाद नहीं हो सक्ती जब तक कि तामील माहदा से इकार न किया गया हो और वैसे इकारी की इत्तला मुद्दई को तारीख दायरी नालिश के तीन साल पहिले न दी गई हो (इ. के जिल्द ११ सफा २५)

नालिश वास्ते दिलापाने रूपया के जो पचायती फैसले के बमूजिब मुद्दई को पाना वाजिब है, और जो दिया न गया हो बतौर नालिश निस्बत तामील कराने माहदा न समझी जावेगी बलकि वह बतौर नालिश वास्ते

है कि जो उस की (बेवा की) शादी पर उस के खानदान के लोगों ने खर्च किये थे–ऐसा दावी मुल्क अजमेर के जाटों के एक ऐसे रिवाज पर कायम था, कि जिस की रू से अगर कोई शख्स किसी जाट की औरत के साथ शादी करले तो उस को वह कुल सरफा देना लाजिम होगा जो उस बेवा के खाविन्द के खानदान वालों ने उस की शादी में खर्च किया हो–तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि ऐसी नालिश बतौर नालिश हरजा बाबत तोड़ने एक छुपे हुए ठहराव के समझी जावेगी, और उस में एक्ट मियाद का मद ११५ लागू होगा—(इ ला. रि अलाहाबाद जिल्द ३ सफा ३८५ मादा–बनाम–शिवे बक्श)

एक मुकदमा में मुद्दायलेह ने डिक्री की अदाई में कुछ रूपया पटाया जिसकी इत्तला अदालत को नहीं दी गई—लेकिन पीछे से डिक्रीदार ने डिक्री के पूरी रकम की इजरा की–पस एसी हालत में जो नालिश मुद्दायलेह की तरफ से वास्ते दिला पाने उस रकम और हरजा के दायर की जावे जो उस ने अदालत के बाहर डिक्रीदार को पटाया था, उस में मद ११५ लागू होगा–[पंजाब रिकार्ड न.७६ सन १८९२ ई० गनपत–बनाम–कृपाराम]—एक कर्जदार मुतवफ्फी के कायम मुकाम पर करजा के वसूली की नालिश दायर की गई–यह करजा तारीख ३० सितम्बर सन १८८५ ई० को लिया गया था और इस तारीख के एक महिना बाद करजा मजकूर की अदाई का करार था–नालिश हाल तारीख २४ अक्टोबर सन १८८८ ई० को दायर की गइ–तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि ऐसी नालिश की म्याद उस तारीख से शुमार की जावेगी कि जब करजा वाजिबुलअदा हुआ और इस लिये नालिश बेरू मियाद न होगी, क्योंकि एसी नालिश में मद ११५, न कि मद ५७, जमीमा २ एक्ट मियाद लागू होना चाहिये—(इ ला. रि मद्रास जिल्द १५ सफा ३८०).

जब फरीकैन तारीख २ अप्रेल सन १९०५ ई० को इस बात पर रजामन्द हो गये थे कि उन के दरमियान साझेदारी का हिसाब एक खास तौर से ते किया जावे और आखरी तसफिया तारीख २० अगस्त सन १९०६ को किया गया और खाते बही में वैसे तसफिया का जमा खर्च को दाखला किया गया, मगर उस [illegible] पर फरीकैन के दस्तखत नहीं हुए और तारीख १६ [illegible] को नालिश [illegible] की निसबत तसफिया करार पाया दायर की गई [illegible]

मियान माहदा करने वालों और माहदा कराने वालों के दायर हों, वास्ते रद्द कराने माहदा जो उन के बीच मे हुआ हो, न कि ऐसी नालिशों में जो तीसरे फरीक की तरफ से किसी दस्तावेज के मसूख या रद्द कराने के लिये दायर की जावें–(इ ला. रि अलाहाबाद जिल्द ३ सफा ८४६ भवानी--बनाम--विशेश्वर)—

मद ११५---नालिश हरजा बाबत तोड़ने माहदा साफ तौर या मानवी तौर का जो तहरीरी और रजिस्टरी शुदा न हो और जिस का जिक्र खास इस जमीमा में किसी जगह नहीं हुवा है–तीन साल—उस तारीख से कि जब माहदा से खिलाफ वर्जी की जाय या (जिस हाल में कि खिलाफ वर्जी लगातार हो) तो जब वह खिलाफ वर्जी वाके हुई कि जिस की बाबत नालिश दायर की गई, या जिस हाल में कि खिलाफ वर्जी जारी रहे तो जिस वक्त वह खिलाफ वर्जी मौकूफ (बन्द) हो जावे—

तशरीह:—इस मुकदमा में मुद्दई की नहर से मुद्दायलेह की जमीन में पानी सींचा जाता था इस के बदले मुद्दायलेह ने फी एकड़ पर कुछ रूपया अदा करने का करार किया था लेकिन उस ने कुछ भी अदा नहीं किया इस लिये इस रकम के दिलापाने की नालिश मुद्दायलेह पर दायर की गई–तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि ऐसी नालिश बतौर नालिश किराया या महसूल के न समझी जायगी, इस वास्ते उस में यह मद लागू न होगा–(पंजाब रिकार्ड न० १७१ सन १८८३ ई० आला–बनाम सोधी)– एक मुकदमा में कुछ माल के हवालगी का माहदा किया गया और कुछ रूपया बतौर पेशगी भी मुद्दायलेह को दिया गया, लेकिन मुद्दायलेह ने कम माल मुद्दई के हवाला किया–इस कमी माल की कीमत के दिलापाने की नालिश में मद ११५ एक्ट मियाद लागू होगा–(पंजाब रि न० २२ सन १८८३ ई० इडुलजी–बनाम–अर्जुन)—

मुद्दायलेह ने मुद्दई के भाई मुतवफ्फी की बेवा के साथ शादी कर लिया–अब मुद्दई ने मुद्दायलेह पर बतौर हरजा उस रूपया के दिला पाने की नालिश दायर की

अब भी मुर्तहन को देना बाकी रह गया हो उस की वसूली बेह मियाद है या न तारीख नालिश, न कि तारीख दरखास्त, जो दफा ९० एक्ट इन्तकाल जायदाद रू से दी गई हो, हिसाब में ली जायगी.

यह मद रजिस्ट्री शुदा माहदों की तामील खास की नालिशों से ताल्लुक रखेगा बलकि वह मद वैसे माहदों के खिलाफ वरजी के बाबत हरजे की नालि में लागू होगा—इस लिये यह कहना गलत है कि जिस माहदा की रजिस्ट्री जाय उस के लिये तीन साल के बदले छे साल की मियाद है—लेकिन मा की रजिस्ट्री हो जाने से सिर्फ नालिशात मावजा याने हरजा में छे साल की मिया मिलती है—(इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द १६ सफा ५ रघुबर—बनाम—मदन) नालिश बाबत वापिस दिला पाने किसी खास माल के जो बरबिना खिलाफ वरज किसी माहदा रजिस्ट्री शुदा के कायम हो सिर्फ बतौर नालिश हरजा या मावजा समझी जावेगी, इस लिये उस में मद ११६ लागू न होगा—(देखो इ. ला. मदरास जिल्द १५ सफा १५७ वो १५६).

हर करजा से यह मतलब निकलता है कि उस के अदा करने का वा किया गया, और कर्जदारी का इकबाल बराबर होगा इस बात के कि कर्जदार साफ माहदा किया और अपने ऊपर जिम्मेदारी ली—साहूकार अपना करजा किस खास मुकर्रर तरीक पर वसूल करने के लिये पाबन्द न होगा—अगर उस ता मुकर्रर तरीके से उस का रूप्या वसूल न होता हो तो वह दूसरे वसीलों से भ अपना रूप्या वसूल कर सक्ता है.

नालिश वास्ते दिला पाने रूप्या जो रजिस्ट्री की हुई दस्तावेज के रू से वाजिज हो, बतौर नालिश हरजा बाबत तोड़ने माहदा जो तहरीरी वो रजिस्ट्री शुदा हो, होगी और मद नं० ११६ में दाखल होगी और ऐसी नालिश तारीख तोड़ने माहदा से छे साल के अन्दर दायर की जाय, या जब लगातार तोड़ हुई हो तो उस तारीख से मियाद लगाई जावेगी कि जिस को वह तोड़ वाक़ा में आई जिस की निसबत नालिश की गई—या जब कि तोड़ लगातार जारी रहे तो उस तारीख से जब वह बन्द हुई—अगर कर्जदार को अपने कर्ज की अदाई करने के लिये कुछ साल की मोहलत दी गई हो, और उस ने उस मोहलत के गुजरजाने का करजा न अदा किया तो मुद्दई हरजाना बाबत तोड़ने माहदा वसूल कर

तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि चूं कि तसफिया मजकूर की तारीख से एक नई बिनाय मुखासमत पैदा हुई और गो मद न. ११५ लागू हो या मद न १२०, नालिश बेरू मियाद नहीं समझी जावेगी—और जब अर्जी दावा में तारीख तसफिया दर्ज न हो मगर अन्दाजन यह वक्त बतलया गया हो कि जिस रोज तसफिया हुआ मगर पेशी के वक्त असली तारीख की सबूती दी गई तो अदालत को वैसी शहादत की रू से नतीजा निकालने के लिये कोई रोक न होगी—(कलकत्ता वी नो. जिल्द १५ सफा ८८२).

हक मालकाना रोक रखने से जो हरजा वाके हो उस के दिला पाने की नालिश में मद न ११५ वो ११६ लागू होगा मगर मुद्दई नालिश होने के पहले सिर्फ तीन साल के बाकी मालकाना की निसबत हरजाना पाने का हकदार होगा [कलकत्ता ला. जरनल जि १५ सफा ६८४]

कुछ जमीन की ठेकेदारी के हक नीलाम किये जाने को थे और नीलाम के नोटिस में ठेकेदारों से यह कहा गया कि तुम ५००) रूप्या बतौर अमानत जमा कर दो और यह भी शर्त थी, कि जिस ठेकेदार को जमीन नीलाम में न मिलेगी उस की अमानत उस को फौरन वापिस कर दी जावेगी और जिस ठेकेदार के नाम नीलाम मजूर होगा उस को उस की अमानत भी बाद तहरीर ठेकानामा वो जमानत नामा के तहरीर होने पर वापिस कर दी जायगी वैसी अमानत वापिस नहीं की गई—उस की वापसी की नालिश में मद नम्बर ११५ लागू होगा—(इ के. जिल्द २५ सफा ८१२).

फसल ७—छे साल

मद ११६—नालिश हरजा बाबत तोडने माहदा तहरीरी रजिस्टी शुदा के—छे साल—उस तारीख कि जब मियाद समाप्त उस नालिश की शुमार होती, जो इस किस्म माहदा बिला रजिस्टी शुदा की बिना पर रुजू की जाती.

तशरीहः—यह मद नालशों में लागू होगा न कि दरखास्तों में—एक्ट इन्तकाल जायदाद की दफा ९० की दरखास्त से यह मद ताल्लुक न रखेगा—इस बात के लिहाज करने में कि आया जायदाद मरहूना के नीलाम के बाद जो रूप्या

कि मद न ६६, लागू होगा-(इ के. जिल्द २३ सफा ३५३)

मद ११७—नालिश बर बिनाय फैसला मुल्क गैर के जिस की तारीफ मजमूआ जाब्ता दीवानी एक्ट नं. ५ सन १६०८ ई० में की गई—छे साल—तारीख फैसला से—

तशरीह:—' फैसला मुल्क गैर " से उस अदालत का फैसला मुराद है जो सरकारी हिन्दुस्तान की हद के बाहर वाके हो, और जिस को सरकारी हिन्दुस्तान के अन्दर अखत्यार हासिल न हो, और जो अजरूय हुक्म जनाब नव्वाब गवरनर जनरल बहादुर मइजलास कौंसिल के न कायम की गई हो (देखो दफा २ (५) एक्ट न. ५ सन १६०८ ई० मजमूआ जाब्ता दीवानी)

फैसला अदालत मुल्क गैर ऐसा होना चाहिये जिस की बिनाय पर हिन्दुस्तान में नालिश दायर हो सके, लेकिन हिन्दुस्तानी रियासतों की अदालतों के फैसलों की बिनाय पर इस तरह से नालिश नहीं दायर हो सकती है (इ ला. रि. बम्बई जिल्द ६ सफा २१२)—लेकिन अजरूय नजीर मद्रास हाई कोर्ट बमुकदमा इ. ला रि. मद्रास जिल्द ७ सफा १६४ नालिश बर बिनाय फैसला अदालत मुल्क गैर वो नीज फैसलेजात रियासत हाय हिन्दुस्तानी दायर हो सक्ती है—लेकिन मजमूआ जाब्ता दीवानी की दफा १३ से यह जाहिर होता है कि कानून बनाने वालों ने मद्रास हाई कोर्ट की नजीर को पसन्द किये.

मद ११८—नालिश वास्ते इस्तकरार इस अमर के कि एक ब्यान किया हुवा गोद में लेना नाजायज है, या दर असल वकूअ में नहीं आया—छे साल—उस तारीख से कि जब ऐसे ब्यान की हुई मुतबनी, याने (गोद में लेने) का हाल मुद्दई को मालूम हो जावे—

तशरीह:—यह मद पुराना एक्ट मियाद न १५ सन १८७७ ई० से मिलता है

मद ११८ एक्ट मियाद सिर्फ ऐसी नालिशों से ताल्लुक रखता है,

सक्ता है—(कलकत्ता ला जरनल जिल्द १५ सफा १७).

नालिश वास्ते वसूली ऐसे रूपयों की कर्जदार की जात खास से जो रहननामा की रू से वाजिब हो बतौर नालिश हरजाना वास्ते तोड़ने माहदा जो तहरीरी वो रजिस्ट्री शुदा हो, होगी और वैसी नालिश में मद न ११६ लागू होगा— (कलकत्ता वी नो. जिल्द १० सफा ३६९).

नालिश वास्ते दिला पाने बकाया लगान जो रजिस्ट्री शुदा फर्द लगान की रू से वाजिब हो बमूजिब मद न. ११६ न कि मद न. ११० दायर होगी— (बम्बई ला. रि जिल्द १५ सफा ८३८)

नालिश वास्ते दिलापाने रूप्या जो किसी पचायत के फैसले की रू से वाजिब हो बमूजिब मद न. १२० दायर होगी क्योंकि ऐसी नालिश बतौर नालिश हरजा बाबत तोड़ने जिम्मेदारी फैसला पचायत के समझी जावेगी न कि नालिश वास्ते तामील खास फैसला पचायत की—नालिश वास्ते दिलापाने किसी खास रकम के, जिस की अदाई दस्तावेज या माहदे की रू से मुकर्रर हो, बतौर नालिश वास्ते तामील खास दस्तावेज या माहदा मजकूर के न समझी जावेगी—लफ्ज " माहदा " में जो मद न ११६ में इस्तेमाल किया गया है फैसला पचायत दाखल नहीं है— (इ. के जिल्द १९ सफा ३७८)

नालिश हरजा बाबत तोड़ने माहदा हक जो साफ तोर पर हो या मतलब से निकलता हो और जो नालिश किसी ऐसे बैनामे की निस्वत जो एक्ट इतकाल जायदाद के बाद तहरीर पाया हो बिला रोक टोक फायदा उठाने की निस्वत की जाय, ऐसी नालिश में मद न ११६, न कि मद न. ६२ या ९७, लागू होगा—जिस कानूनी इकरार का जिक्र दफा ५५ (२) एक्ट इतकाल जायदाद में है वह माहदा बै वो बैनामे में शामिल रहता है—(इ के जिल्द २५ सफा ६१८).

ऐसे रहननामे की रू से जो नालिश दायर की जाय जो दो गवाहों की गवाही न होने के सबब से बेअसर होवे, वह नालिश, गो सूरत शकल में तमस्सुकी नालिश के तौर पर है, ताहम बतौर नालिश हरजा वास्ते तोड़ने माहदा जो तहरीरी वो रजिस्टरी शुदा हो, समझी जावेगी और उस मे मद नं. ११६, न

मुसम्मात मुन्नी बाई एक हिन्दू बेवा ने सन १८६१ ई० में अपने खाविन्द की मालियत विरासतन पाई–सन १८७० ई० में उस ने मुद्दायलेह को गोद में लिया, सन १८७५ ई० में वह मरी–बेवा के मरने की तारीख से बारा साल के अन्दर, लेकिन मुद्दायलेह के गोद में लिये जाने की तारीख से छे साल से ज्यादा अरसा के बाद मुद्दईयान ने अपने तईं वारिस माबाद (पीछे के) करार देकर कब्जा की नालिश दायर किया–साहिब जुडीशिल कमिश्नर मध्यप्रदेश की यह राय हुई कि ऐसी नालिश बमोजिब मद ११८ जमीमा २ एक्ट न १५ सन १८७७ ई० के बरू मियाद नहीं हो सकती है, क्योंकि यह मद सिर्फ नालिश इस्तकरार हक बाबत इस अमर में लागू होता है कि फलाना गोद नाजायज है या दर असल कभी नहीं हुआ—(सी. पी ला रि. जिल्द ३ सफा ३२ चिन्तामन–बनाम–सेठ मोहनलाल).

ऐसी नालिश में जो वारिस किसी ऐसे शख्स पर दायर करे, जो मरे हुये शख्स की जायदाद गैर मनकूला पर गोद लेने की बिनाय पर अपना कबजा रखता है, मद नं १४४, न कि मद न ११८, लागू होगा, चाहे गोद बिला इजाजत लिया गया हो, या इजाजत बेजा तोर पर काम में लाई गई हो, या गोद लेने वाले को गोद लेने के लिये दर असल कोई अखत्यार न था—(इ. फे. जिल्द ११ सफा ११)

अगर इस बात के इस्तकरार हक की नालिश न की जाय, कि मुद्दायलेह का गोद में लिया जाना नाजायज था या दरअसल वह गोद में लिया ही नहीं गया, तो ऐसी नालिश न करने से मुद्दायलेह से जायदाद पर कबजा पाने की नालिश दायर करने में कोई रुकावट न होगी—(मद्रास ला जरनल जि. २२ सफा २४०).

तारीख २६ जनवरी सन १८८४ ई० को बेनीसिंग की बेवा गगा बाई ने एक विनायक नामी लड़के को गोद में लिया, और ऐसे गोद का इन्तकाल मुद्दई को था, जो बेनीसिंग का वारिस था–गगा बाई तारीख १२ अप्रेल सन १९०१ ई० को मरी–मुद्दई ने तारीख १४ जनवरी सन १९०८ ई० को बेनीसिंग की जायदाद पर कबजा दिला पाने की नालिश दायर किया–तजवीज हुई कोर्ट करार पाई कि नालिश बमोजिब नंबर ११८ बेरू मियाद है—(बम्बई ला. रि. जिल्द १५ सफा ५३३)

जिन में दादरसी सिर्फ बाबत इस्तकरार इस अमर के की जावे कि एक ब्यान किया हुवा गोद नाजायज है या सचमुच में नहीं हुवा, ऐसी नालिश, दखलयाबी जायदाद की नालिश से बिलकुल अलग है, और यह पिछली किस्म की नालिश अजरूय मद ११८ सिर्फ इस वजह से बेरू मियाद न होगी कि उस में गोद के जायज होने का सवाल पैदा हुवा, बल्कि ऐसी नालिशों के लिये मद न १४१ अलहदा तौर से मुकर्रर है—यह बात अदालत की मरजी पर है कि वह इस्तकरार हक की दादरसी अता करे या न करे, और इस लिये किसी शख्स की तरफ से नालिश इस्तकरार हक न दायर किये जाने से नालिश बाबत दिला पाने कबजा में किसी तरह की रूकावट बर बिनाय मियाद नहीं होना चाहिये (इ ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ८ सफा १४४ वासुदेव-बनाम-गोपाल).

एक मुकदमा में मुद्दई ने सन १८७७ ई० में एक गोद के मंसूख करा पाने की नालिश दायर की, जिस की निस्बत यह ब्यान किया गया था कि वह (याने गोद) बीस साल से पेश्तर वकूअ में आया था—इस नालिश में मुद्दई ने बहैसियत वारिस खाविन्द अखीर अधिकारी के, जो सन १८८२ ई० में मरा, एक मंदिर और उस के ताल्लुक की कुछ जायदाद का कबजा पाने की दादरसी की—इस मालियत को मुद्दायलेह, गोद में लिया हुवा बेटा की हैसियत से दावा करता था—तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि ऐसी नालिश अजरूय मद ११८ जमीमा २ एक्ट मियाद न १९ सन १८७७ ई० के अन्दर मियाद थी (कलकत्ता ला. रि जिल्द ६ सफा ४६)

एक नालिश सन १८८९ ई० में बाबत इस्तकरार इस अमर के दायर की गई कि जो गोद सन १८७१ ई० में हुवा था वह बिलकुल रद और नाजायज है—मुतबन्नी (याने गोद लेना) से इंकार किया गया और शहादत से यह बात साबित नहीं की गई, कि उस गोद का हाल मुद्दई को सन १८८१ ई० के पेश्तर मालूम था—तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि ऐसी नालिश अजरूय मद ११८ जमीमा २ एक्ट मियाद न १५ सन १८७७ ई० के अन्दर मियाद है (इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ९ सफा २५३ गंगासहाय-बनाम-लेखराजसिंग)

उस मुकदमा में लागू नहीं होता है—(इ. ला. रि. अलाहाबाद जि० ३ सफा १७८ कुन्दनलाल–बनाम–बन्सीधर)—

नीचे लिखे हुवे मुकदमों में यह मद लागू किया जायगा:—

(१) नालिश बाबत दिला पाने रूप्या जो अजरूय डिकरी जर लगान अदा किया गया हो–और यह डिकरी एक ऐसी पाहिले की डिकरी पर कायम हो कि जो पीछे से रद कर दी गई है–ऐसी नालिश मद ६१ या ६२ के मुताबिक न समझी जायगी, क्योंकि जब तक डिकरी मसूख न हो जाय तब तक जर डिकरी के वसूल करने का इस्तेहकाक पैदा न होगा—(इ. ला रि मद्रास जिल्द १३ सफा ४३७)—

(२) जो नालिश किसी जायदाद के खरीदार नीलाम अदालत की तरफ से बनाम ऐसे शख्स के दायर की जाय, जिस ने जर नीलाम पा लिया हो वास्ते दिला पाने उस जर के इस बिना पर कि मदयून डिकरी जायदाद नीलाम शुदा में इस्तेहकाक काबिल नीलाम नहीं रखता था, उस की मियाद भी इसी मद के मुताबिक शुमार की जावेगी–(इ. ला. रि मद्रास जि० १६ सफा ३६१)—

(३) नालिश बर बिनाय प्रामिसरी नोट जो तलब किये जाने पर छे साल के अन्दर उसी वक्त वाजबुलअदा होवे (इ. ला रि मद्रास जि० ६ सफा २६०)—

(४) नालिश बावत हक शफा निस्बत एक ऐसे शर्तिया बै के जो बटे हुवे महाल में एक हिस्सा के बाबत किया गया हो (इ. ला. रि अलाहाबाद जि० ४ सफा २१८)—

(५) नालिश दरमियान दो शख्सों के बाबत इस्तकरार इस अमर के कि हक शफा पाने का हकदार कौन है (इ ला रि. अलाहाबाद जि०७ सफा १६७)—

(६) नालिश बाबत इस्तकरार हक मुद्दई निस्बत किसी जायदाद के (पंजाब रिकार्ड न २० सन १८८१ ई०) हालांकि इस

नालिश मुद्दई वास्ते बटवाड़ा वो, दखलयाबी कब्जा खानदानी जायदाद के उस कदर हिस्से पर जो उस का है सिर्फ इस वजह से खारिज न की जायगी कि मुद्दई ने इस बात के इस्तक़रार हक की नालिश नहीं किया, कि खानदान के एक शरीकदार का गोद लेना नाजायज था या वैसा गोद लेना बिलकुल नहीं हुवा— नालिश बटवाड़ा वो दखलयाबी में मुद्दई इस बात के साबित करने का मजाज है कि गोद लेने का रसम बिलकुल नहीं हुवा, या अगर हुवा तो बिलकुल नाजायज था—(इ के. जि. १८ सफा ४९३).

मद ११९—नालिश वास्ते इस्तकरार इस अमर के कि गोद लेना [दत्त विधान] जायज है—छे साल—उस तारीख से कि जब गोद लिये हुवे लड़के के हुकूक में जो बहैसियत ऐसे गोद लेने के हों, मदाखलत की जाय.

तशरीह:—यह मद हर ऐसी नालिश में लागू होगा जिस में गोद में लिया जाने के वाकेआ से या वैसे गोद के जायज होने से इकार किया जाता हो.

इस मद की रू से गोद की तारीख से मियाद नहीं शुरू होती है, बलकि उस वक्त से मियाद का दौड़ शुरू होगा कि जब गोद में लिये हुवे लड़के (दत्त पुत्र) के हकूक में दस्तनदाजी की जावे—जब गोद में लिया हुवा लड़का उस वक्त नाबालिग हो कि जब उस के हुकूक में मदाखलत की गई हो, तो अपना दत्त जायज करार दिये जाने की नालिश के वास्ते उस को बालिग होने की तारीख से तीन साल की मियाद मिलेगी

नालिश मुद्दई वास्ते दखलयाबी जायदाद गैर मनकूला इस बिना पर कि वह अखीरी मालिक का मुतबन्ना बेटा है, मगर दूसरा फरीक उस बात को न मानता हो बमोजिब मद न. १४१ होगी न कि मद न ११९ (बगाल ला. रि. सफा २०३ सन १९१४ ई०)

मद १२०—नालिश जिस के वास्ते इस जमिमा में कोई मियाद समाअत मुकर्रर नहीं की गई है—छे साल—उस तारीख से कि जब इस्तेहकाक नालिश का पैदा हो--

तशरीह:— किसी मुकदमें में यह मद लागू करने के पेश्तर अदालत को इस बात का इतमीनान कर लेना चाहिये, कि इस जमीमें का कोई दूसरा मद

नाजायज करार दी जावे, तो उस का दावी इस मद के बमूजि
अन्दर मियाद समझा जावेगा (इ. ला रि. बम्बई जिल्द १
सफा ४५५)—

(१०) नालिश वास्ते दुरूस्त कराने किसी दस्तावेज के इसी म
के मुताबिक समझी जायगी, और तारीख पैदा होने बिनाय मुखासमत
से छे साल के अन्दर दायर हो सकती है (इ ला. रि बम्बई
जि० १८ सफा ५६२)—

(११) नालिश वास्ते इस्तकरार इस अमर के कि सिर्फ अकेला मुद्दई
किसी मूरत की पूजन करने का हकदार करार दिया जावे (इ. ला
रि. कलकत्ता जि० ४ सफा ६८३ ईसनचन्द्र–बनाम–मनमोहनी)–
नालिश बर खिलाफ किसी म्यूनीसिपल कमेटी वास्ते इस्तकरार
हक मुद्दई निस्बत बनाने एक बाजार के—(इ. ला रि इलाहाबाद
जि० ४ सफा १०२)—

(१२) नालिश वास्ते मजबूर करने किसी ठेकेदार को इस अमर
के लिये कि वह उस तालाब को पुरवा दे कि जो उस ने
अपने ठेका की शर्त के खिलाफ खोद डाला था–(इ. ला रि,
कलकत्ता जिल्द ६ , सफा ३४ केदारनाथ–बनाम–खेतरपाल)–
नालिश वास्ते मजबूर करने किसी काश्तकार को इस बात के
लिये कि वह ऐसी जमीन पर लगाये हुये दरख्तों को उखड़ा
डाले कि जो उसे काश्तकारी कामों के वास्ते शरह लगान पर दी
गई थी–(इ ला रि कलकत्ता जिल्द ८ सफा १४७ (गनेशदास–
बनाम–गोंडर कुरमी)—

(१३) नालिश बाबत हुक्म इम्तनाई दवामी यानी हमेशा के
वास्ते मुताबिक दफा ५४ एक्ट दादरसी खास सन १८७७
ई० की मियाद इसी मद के बमूजिब शुमार की जावेगी–(इ
ला रि मद्रास जिल्द १३ सफा ४४५)—

(१४) जब कोई गिरवीदार इस बात की नालिश करे कि माल
मनकूला जो उस के पास गिरवी रखा गया है करार दिये

इस्तकरार के असर से कोई दस्तावेज बमुकाबले मुद्दई रद करार दिया जावे (इ. ला रि. मद्रास जि०१० सफा २१३)-अगर मुद्दायलेह जायदाद पर काबिज होवे, तो मियाद उस वक्त से शुमार की जावेगी, कि जब मुद्दायलेह की तरफ से कोई ऐसा फेल अव्वल मर्तबा किया जाय कि जिस से मुद्दई के इस्तेहकाक में नुकसान पहुचे-(पजाब रिकार्ड न. ८८ सन १८८२ ई० फतह-बनाम खुराक)—जब किसी रहननामा की निस्बत इस अमर के इस्तकरार का दावी किया जावे कि उस की तामील मुद्दई पर लाजिम नहीं है, तो मियाद उस तारीख से शुरू होगी, कि जब रहननामा लिखा गया हो, [पजाब रिकार्ड न १११ सन १८८४ ई० चैतसिंग-बनाम-जीवन]—

(७) जो नालिश वास्ते इस्तकरार हकूक मुद्दईयान ब हैसियत वारिसान बाद मरने बेवा के दायर की जाय वह, जब तक हुकूक मजकूर कायम रहे तब तक बेरू मियाद न होगी और जब तक बेवा जिन्दा रहे तब तक ऐसे इस्तेहकाक कायम रहेंगे-लेकिन ऐसी नालिश उस वक्त से अन्दर मियाद मुकर्रर दायर की जा सकती है कि जब मुद्दईयान कबजा या दूसरी दादरसी के हकदार हो जावें (इ. ला. रि. कलकत्ता जि० २० सफा ९०६)—

(८) नालिश बाबत इस्तकरार इस अमर के कि मुद्दईया एक मरे शख्स की लड़की करार दी जावे, इसी मद के मुताबिक समझी जावेगी और मियाद उस वक्त से शुमार की जायगी, कि जब मुद्दायलेह मुद्दई की ऊपर लिखी हुई हैसियत से इकार करे, न कि उस के बाप के मरने की तारीख से-(इ. ला. रि. बम्बई जि० १५ सन, ४२२ तुकाबाई-बनाम-विनायक)—

(९) जब सरकार ऐसे वक्त में किसी मौजा की जब्ती का हुक्म दे कि जब सरकार ऐसे मौजा की जब्ती का हुक्म अजरूय कानून सादिर करने की मजाज न हो, और अगर मुद्दई छे साल के अन्दर नालिश बाबत इस्तकरार इस अमर की दायर करे कि ऐसी जब्ती

के नजदीक ऐसे इस्तकरार हक का हुक्म देना साफ तौर पर जरूरी मालूम हो, ताकि मुदई को मुनासिब वो माकूल दादरसी निस्बत दावा मजकूर मिल सके, तो ऐसी नालिश में मियाद उस मद की रू से लगाई जावेगी जो कि असली दादरसी पाने के दावा में, न कि इस्तकरार हक के पाने में लागू होवे–(इ. के जिल्द १५ सफा ५४५)—

नीलाम इजराय डिकरी से जो असर मालिक जायदाद के हक पर पड़ता है वह बमुकाबले उस असर के, जो कुरकी से पड़ता हो, दूसरे ही किस्म का होता है, इस लिये नीलाम हकरसी से मालिक जायदाद को नया बिनाय दावा वास्ते इस्तकरार इस बात के कि नीलाम नाजायज है कुरकी से अलहदा मिल सकेगा–(मद्रास ला. जरनल जिल्द २२ सफा १०८)—

यह जरूर नहीं है कि मुदई अपने किसी खास हक या इस्तेहकाक की निस्बत इस्तकरार हक की नालिश करने से सिर्फ इस वजह से रोका जावे कि ६ साल पहिले उसी मुदायलेह ने उस के हक में नुक्स बतलाया था और उस बारे में मुदई ने उस वक्त कोई कार्रवाई करना मुनासिब नहीं समझा था–मुसम्मात झड़ा एक काल्या की बेवा थी–काल्या कुछ जायदाद वो बेवा मजकूर वो अपने दो भाइयों को छोड कर मर गया–मुदईयान उन भाइयों के वारसान थे-बेवा का नाम तारीख नालिश के कुछ २६ साल पहिले दाखिल खारिज रजिस्टर में दर्ज हुवा था, और उस का नाम सरसीम बन्दोबस्त में बना रहा, मगर मुदईयान का यह ख्याल था कि बेवा मजकूर ने अपने खाविन्द के मरने के थोडे ही अर्से बाद गाव छोड दिया और उस ने मुनाफा का कुछ हिस्सा नहीं पाया–नालिश होने के ६ साल के अन्दर उस ने जायदाद के एक हिस्से को एक शख्स मुसम्मी शमशुद्दीन के नाम मुन्तकिल किया–शमशुद्दीन ने नम्बरदार पर नालिश किया और इस्तकरार हक के लिये हाल का मुकदमा दायर किया–तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि बेवा की तरफ से जायदाद का मुन्तकिल होना और शमशुद्दीन की नालिश वास्ते पाने मुनाफा यह दोनों मामले हाल के मुकदमा के ६ साल के अन्दर वाके हुए, इन से मुदई को बिनाय दावा इस्तकरार हक की नालिश दायर करने के वास्ते मिला, पस नालिश मुदई बमूजिब मद नं० १२०

मुद्दायलेह की अदाई में नीलाम कराया जावे, तो ऐसी नालिश में मद १२० लागू होगा—(पंजाब रि. न ११६ सन १८८१ ई० दौलत—बनाम—जीवन)—

(१५) मद न० १२० जमीमा २ एक्ट मियाद नालिश बाबत दिला पाने ऐसे रूप्या में लागू होगा जिस के पाने का हकदार जायज तौर पर मुद्दई था लेकिन जो मुद्दायलेह को गल्ती से दे दिया गया है—(सी पी. ला रि. जिल्द ५ सफा ६ घनशाम छदामीलाल—बनाम—धनराज वो धनरूप मल) —

नालिश हिसाब में ६ साल की मियाद जो मद न० १२० की रू से मुकर्रर है, हिसाब की हर रकम की तारीख से शुरू की जायगी न कि हिसाब के करने वाले फरीक की मौत की तारीख से (बम्बई ला. रि जिल्द १३ सफा १०१४)—

एक शिया मजहब का मुसलमान, बेटे और एक ला औलाद बेवा छोड़ कर मरा, सब से बड़े बेटे ने मुतवफ्फी की जायदाद की निस्बत चिट्ठी मोहतमिमी मिलने का दरखास्त दिया—ऐसी चिट्ठी मोहतमिमी दिये जाने की निस्बत बेवा ने उजर किया—बेवा ने बड़े बेटे पर जायदाद में से अपना हिस्सा पाने की नालिश दायर किया—नालिश में तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि मद न० १२० की गरज के लिये मियाद उसी तारीख से शुरू हुई, जिस तारीख को अदालत अपील से चिट्ठी मोहतमिमी देने का हुक्म बहाल पाया—(कलकत्ता ला. जरनल जिल्द १३ सफा २३६)—

मद न० १२० नालिश बटवाड़ा में लागू न होगा, गो बटवाड़ा की जायदाद में माल मनकूला वो गैर मनकूला दोनों शामिल होवें—जायदाद गैर मनकूला के बटवाड़े की नालिश बमूजिब मद न० १४४ होगी और यह वाकेआ कि मुद्दई माल मनकूला को दबाये है, जिस का असर उस के हिस्सा माल गैर मनकूला पर पड़ना चाहिये मामला में कोई हरकत न पहुचा सकेगा—(मद्रास ला. जरनल जिल्द २० सफा ६६४)—

जब कि दावा इस्तकरार हक का सिर्फ बतौर इमदादी दीगर असली चारा जोई के एक ही नालिश में किया गया हो, और जब कि अदालत

मद न. १२५ की मनशा के मुताबिक़ बतौर इन्तकाल जायदाद के नहीं समझा जावेगा—पस अगर किसी हिन्दू बेवा ने अपना हक़ इन्फिकाक रहन बेचा हो तो वैसे हक़ के बे को नाजायज करार दिये जाने की नालिश में मद न. १२० लागू होगा और मियाद ६ साल की लगाई जावेगी—(पंजाब ला रि. सफा २६ सन १९१३).

नालिश इस्तकरार हक़ इस बात की कि सरकार को महसूल पानी वसूल करने का हक़ नहीं है, बमूजिब मद न १२० न कि बमूजिब मद न. १३१ होगी और बिनाय दावा हर वक़्त पैदा होगा जब कि ज्यादा महसूल वसूल किया जावे (मद्रास ला टाइम्स जिल्द १३ सफा २३४)

मद न० १२० सिर्फ उस वक़्त लागू होगा जब यह साबित किया जावे, कि कोई दूसरा मद लागू नहीं होता—नालिश चन्दा हिस्सा रसदी में मद नम्बर १२०, न कि मद न० ६१ या मद न० ९९ लागू होगा, (कलकत्ता वी. नो जिल्द १८ सफा ४८०)—

सन १९०१ में कुछ माल बेचा गया और जर समन उसी वक़्त दिया गया, मगर पीछे से खरीदार ने जर समन वापिस पाने की नालिश दायर किया और उस की डिकरी होने पर बेचने वाले को रुपया वापिस देना पड़ा—बेचने वाले ने नई नालिश खरीदार पर रुपया मजकूर की निस्बत दायर किया—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि जब मुद्दई जर समन वापिस देने के लिये मजबूर किया गया तो ऐसा समझा जावेगा कि बिनाय मुखासमत नई पैदा हुई, और वैसी नालिश मुद्दई में मद न १२० लागू होगा वो मद न० ६१ की इबारत ऐसे मामले में लागू न होगी—(पंजाब ला रि. न० २८५ सन १९१४)—

कुछ जमीन शख्स काबिज के नाम बतौर हक़ मालगुजारी के दर्ज थी, और अलावा वारिस नरीना की बेवा की लड़की ने कुल जायदाद को सिवाय जमीन के शख्स मजकूर को बेच डाला—पीछे से खरीदार ने दरजा हक़ मालगुजारी तसलीम किये जाने की कागजात दर्ज के दुरुस्त किये जाने की दरखास्त पेश किये, मगर वह सन १९०३ में नामंजूर की गई—इस के बाद जिस शख्स का नाम बतौर मालगुजार दर्ज था उस ने सन १९१२

अन्दर मियाद समझी जावेगी--(अलाहाबाद ला. जर्नल जिल्द ११ सफा ८७७)

अमरसिंग ने अपने मौरूसी खेत का रहन बिल कब्ज जमनादास को सन १८७७ ई० में किया—सन १८८० ई० में अमरसिंग का नाम माल के कागजात से खारिज होकर जमनादास का नाम बतौर असली काश्तकार के दर्ज किया गया—सन १९०७ ई० में अमरसिंग ने साहब अफसर बन्दोबस्त को वास्ते दुरूस्तगी कागजात माल दरख्वास्त पेश किया, मगर उस की दरखास्त नामजूर की गई—इस लिये अमरसिंग ने इस बात के इस्तकरार हक की नालिश दायर किया कि वह बतौर राहिन और जमनादास बतौर मुर्तहिन समझा जावे—ऐसी नालिश बेरू मियाद करार दी गई क्योंकि नालिश की बिनाय मुखासमत सन १८८० ई० को पैदा हुई थी—(इ. केस जिल्द १९ सफा ७५१)

मद न. ९२ वो मद न. ९७ की मशा में ऐसी नालिश दाखिल है जो एक फरीक माहदा की तरफ से दूसरे फरीक पर जर समन (बिक्री का रूपया) वापिस पाने की निसबत दायर की जाये, और जिस में बैनामा, बेंचने वाले के कसूर से बे असर हो - मद न १२० ऐसी नालिश में लागू होगा जो खरीदार अदालती नीलाम की तरफ से जर समन वैसे तीसरे शख्स से वापिस पाने की निसबत दायर की जावे, जिस ने जर समन के कुछ हिस्से को बहैसियत जायदाद मदयून डिकरी के कुर्क कराया (अवध केस जिल्द ८ सफा १८७)—

नालिश वास्ते इस्तकरार हक इस अमर के कि पट्टा में मुद्दायलेह सिर्फ मुद्दई का बेनामीदार है, मुताबिक मद न ९१ दायर न होगी बल्कि वैसी नालिश में मद नं. १२० लागू होगा—(इ ला. रि अलाहाबाद जिल्द ३५ सफा १४९).

नालिश इस्तकरार हक में कोई रुकावट नहीं हो सक्ती, गो हक जायदाद जिस के निसबत वैसा इस्तकरार चाहा गया हो, असली हक न हो, बल्कि उस का दारमदार किसी दूसरे हक पर हो—इस बात के इस्तकरार की नालिश कि पट्टा जो नम्बरदार ने दिया खिलाफ मुद्दई नाजायज है, अन्दर मियाद समझी जावेगी, अगर वह उस तारीख से बारा साल के अन्दर दायर की जाय जब कि पट्टा का लिखा जाना मुद्दई को मालूम हुवा—[इ केस जिल्द २० सफा १४७]

लफ्ज "जमीन" में जो मद नं. १२५ में आया है, "हक इन्फिकाक रहन जायदाद गैरमनकूला" दाखिल नहीं है—इस लिये हक रहन इन्फिकाक का बेंचना

कि यह नालिश बतौर नालिश बाबत दिलाये जाने ऐसे रूप्या के समझी जावेगी, जिस का बोझा जायदाद गैर मनकूला पर हस्ब मन्शा मद न १३२ एक्ट मियाद है--(इ के जिल्द २१ सफा ६६१)—

मुद्दई ने नालिश इस बात के इस्तकरार हक के दायर किया कि जो रहन उस के बाप, वो चाचा की बेवा ने किया है उस का असर उस के हक विरासत पर कुछ नहीं पड़ेगा--तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि ऐसी नालिश में मद न १२० लागू होगा, मद न १२५ लागू न होगा, क्योंकि वह सिर्फ नालिशात बताल्लुक जमीन में लागू होता है मद न० १२६ भी लागू नहीं हो सक्ता, क्योंकि नालिश वास्ते इस्तकरार इस बात के कि इन्तकाल जायदाद से मुद्दई के हक पर कुछ असर न पहुंचेगा बतौर नालिश मसूखी इन्तकाल जायदाद के नहीं समझी जा सक्ती-(इ के. जिल्द २५ सफा ४६३)—

नालिश बाबत इस्तकरार हक इस बात के कि अमानती माल का इन्तकाल नाजायज है बमूजिब मद न० १२० होगी और बिनाय मुखासमत इन्तकाल-नामा के मुन्तकिल होने पर पैदा होगी न कि जब मुद्दई को इन्तकाल का इल्म हुआ अगर ऐसी नालिश तारीख इन्तकाल से ६ साल से ज्यादा अरसे के बाद दायर की जावे तो यह बेरू मियाद समझी जावेगी, गो मद न० १३४ के बमूजिब १२ साल की मियाद उस तारीख से मुकर्रर है जब जायदाद अमानतदार के पास से खरीदी जावे और उस जायदाद पर कब्जा पाने का दावा किया जाय-(देखो दफा १० एक्ट मियाद मद्रास ला जरनल जिल्द २६ सफा ३०७)—

फसल ८ —बारा साल—

मद १२१—नालिश वास्ते फिस्ख करने उन मनारापेजात या हक्कीयत हाय शिकमी के जो ऐसे महाल सालिम में हों, जो बइल्लत बकाया मालगुजारी सरकार नीलाम हो या पतनी तालुक में, या दीगर हक्कीयत काबिल नीलाम में हों, जो बइल्लत बकाया लगान नीलाम की जाय—बारा साल—उस तारीख से कि

ई० में तशखीस जमा के लिये दरखास्त पेश किया, और हाकिमान माल ने तशखीस जमा की कार्रवाई शुरू की, तब वारसान ने नालिश इस्तकरार हक इस बात की दायर किया कि असली मालकान वे हैं राय अदालत हाई कोर्ट यह करार पाई कि ऐसी नालिश इस्तकरार हक में मद न० १२० लागू होगा, और यह भी राय करार पाई कि ऐसी नालिश में बिनाय मुखासमत उस वक्त पैदा हुई जब कि जमा तशखीस की गई, इस लिये सन १६१२ ई० के हुक्म से मुद्दई को बिनाय दावा नया हासिल हुवा और नालिश, गो वह हाकिमान माल के पहिले हुक्म सादिर होने के ६ साल से ज्यादा के बाद दायर हुई, ताहम बेरूं मियाद नहीं समझी जावेगी, क्योंकि वह नये बिनाय मुखासमत के पैदा होने के ६ साल के अन्दर दायर की गई है-- (अलाहाबाद ला जरनल जिल्द १२ सफा ८१०)—

नालिश एक भाई की दूसरे भाई पर निस्बत दिला पाने हिस्सा माल मनकूला जो कि तीसरे भाई की बेवा उस के पास छोड़ कर मरी, और जो हिस्सा कि वह अपने पास नाजायज तौर से रखे है, और अपने भाई को नहीं देता, मुताबिक मद न० १२० चल सकेगी--(इ. के जिल्द २१ सफा ६१६) —

अगर मजदूर को सामान किसी काम के लिये दिया गया हो तो मजदूरी वो कीमत सामान दिला पाने की नालिश में मद न० १२० लागू होगा-- मद न० ५२ किये हुए काम की कीमत से ताल्लुक नहीं रखता, इसी तरह मद नं० ५६ कीमत सामान से जो पहुचाया गया ताल्लुक नहीं रखता-- जब कि कोई दूसरा खास मद लागू न हो सके तो मद न १२० लागू होगा-- (इ के जिल्द २० सफा ५७६)—

रहन साबिक की इजराय डिकरी में जायदाद नीलाम की गई और जायद बिक्री का रुपया जो पहिले रहन का करजा देने के बाद बाकी बचा वह एक तीसरे रहन के करजा की अदाई के वास्ते अदालत से बरामद किया गया जहा कि वह जमा था, दूसरा मुर्तहन फरीक नहीं बनाया गया, और न उस को ऐसी अमानत की इत्तला दी गई--उस ने यह नालिश वास्ते बरामदी जायद कीमत बिक्री दायर किया--तजवीज हाई कोर्ट करार पाई

कि यह नालिश बतौर नालिश बाबत दिलाये जाने ऐसे रूप्या के समझी जावेगी, जिस का बोझा जायदाद ग़ैर मनकूला पर हस्ब मंशा मद न १३२ एक्ट मियाद है--(इ. के जिल्द २१ सफा ६६१)—

मुद्दई ने नालिश इस बात के इस्तकरार हक के दायर किया कि जो रहन उस के बाप, वो चाचा की बेवा ने किया है उस का असर उस के हक विरासत पर कुछ नहीं पड़ेगा--तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि ऐसी नालिश में मद न १२० लागू होगा, मद न १२५ लागू न होगा, क्योंकि वह सिर्फ नालिशात बताल्लुक जमीन में लागू होता है मद न० १२६ भी लागू नहीं हो सक्ता, क्योंकि नालिश वास्ते इस्तकरार इस बात के कि इन्तकाल जायदाद से मुद्दई के हक पर कुछ असर न पहुचेगा बतौर नालिश मंसूखी इन्तकाल जायदाद के नहीं समझी जा सक्ती-(इ. के. जिल्द २५ सफा ४६३)—

नालिश बाबत इस्तकरार हक इस बात के कि अमान्ती माल का इन्तकाल नाजायज है बमूजिब मद न० १२० होगी और बिनाय मुखासमत इन्तकाल-नामा के मुन्तकिल होने पर पैदा होगी न कि जब मुद्दई को इन्तकाल का इल्म हुआ अगर ऐसी नालिश तारीख इन्तकाल से ६ साल से ज्यादा अरसे के बाद दायर की जावे तो वह बेरू मियाद समझी जावेगी, गो मद न० १३४ के बमूजिब १२ साल की मियाद उस तारीख से मुकर्रर है जब जायदाद अमानतदार के पास से खरीदी जाये और उस जायदाद पर कबजा पाने का दावा किया जाय-(देखो दफा १० एक्ट मियाद मद्रास ला जरनल जिल्द २६ सफा ३०७)—

फसल ८ —बारा साल—

मद १२१—नालिश वास्ते फिस्ख करने उन मतालबेजात या हक्कीयत हाय शिकमी के जो ऐसे महाल साबिक मे हों, जो बइल्लत बकाया मालगुजारी सरकार नीलाम हो या पतनी तालुक में, या दीगर हक्कीयत काबिल नीलाम में हों, जो बइल्लत बकाया लगान नीलाम की जाय—बारा साल—उस तारीख से कि

जब नीलाम कतई और अखीर हो जावे

तशरीहः—यह मद ऐसे खरीदार महाल को लागू न होगा जिसने उस महाल को बइल्लत बकाया मालगुजारी सरकारी जो खास उस महाल पर बाक़ी न हो नीलाम में खरीदा हो—ऐसा खरीदार इस मद का फायदा नहीं उठा सक्ता—(इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द २२ सफा २४४).

यह मद पुराना एक्ट मियाद न १५ सन १८७७ ई० के मुताबिक़ है।

मद १२२—नालिश बर बिनाय फैसला के जो ब्रिटिश इंडिया में हासिल किया गया हो, या बर बिनाय मुचलका के—बारा साल—तारीख फैसला या मुचलका से.

तशरीहः—इस मद की रू से कुल ऐसे फैसलों की बिना पर नालिश दायर नहीं हो सक्ती है, जो ब्रिटिश इंडिया में हासिल किये गये हों बलाकि इस मद में सिर्फ ऐसे फैसलों की बिना पर, कि जिन के जरिये नालिश रुजू हो सक्ती है, नालिश दायर किये जाने के लिये मियाद मुकर्रर की गई है—(इ. ला. रि बम्बई जिल्द ३ सफा २०६ जीवा—बनाम—रामजी)

जब कोई डिकरीदार ऐसी जमीन का कबजा हासिल करने की कोशिश करे कि जिस के पाने का हकदार वह अजरूय डिकरी है और उस के साथ रोक टोक की जावे और उस की दरखास्त मुताबिक दफा ३३१ (आर्डर २१ कायदा ९९) मजमूआ जाब्ता दीवानी की तहकीकात बतौर मुकदमा नम्बरी के की जावे तो ऐसी हालत में यह मद लागू न होगा बलकि मद १४४ मुताल्लुक होगा—(देखो छपे हुए फैसलेजात बम्बई हाई कोर्ट के बाबत सन १८८५ ई० सफा १९९ हरीभाई—बनाम—बालाजी)

किसी ऐसी डिकरी की बिना पर कोई नालिश दायर न हो सकेगी कि जो बेरू मियाद हो गई है—(इ. ला. रि, बम्बई जिल्द ६ सफा ७).

मद १२३—नालिश बाबत माल वसीयती के, या हिस्सा बक़िया जायदाद मतरूका मूसी यानी (वसीयत करने वाला) या बाबत क़ाबिल तकसीम हिस्सा माल गैर वसीयती के—बारा साल—उस तारीख से कि जब माल वसीयती या वाजबुलअदा हो या उस की हवालगी लाजिम हो.

तशरीह — यह मद सिर्फ उन्ही नालिशों से ताल्लुक रखता है कि जिन में दावा किया हुआ माल वसीयती माल या हिस्सा बकिया जायदाद मतरूका हो और इस माल का दावी उस शख्स से किया जावे जो जायज तौर पर मुतवफ्फी के जायदाद की देख रेख करता हो—(इ ला. रि. कलकत्ता जिल्द ९ सफा ८१ इशरचन्द्र—बनाम—जगतचन्द्र)

जो नालिश किसी वारिस की तरफ से वास्ते दिला पाने माल मनकूला मुतवफ्फी के इसी हैसियत से दायर की जावे उस में यह मद लागू न होगा, बलकि ऐसी नालिश से मद १२० मुताल्लुक होगा —(इ ला रि कलकत्ता जिल्द २१ सफा १५७ मोहम्मद रियासत—बनाम—मुसम्मात हसनि)

नालिश बाबत दिला पाने माल वसीयती मुताबिक न १२३ दायर हो सकेगी गो वैसी वसीयत को वसी यानी वसीयत के माल पाने वाले ने मन्जूर न किया हो और नालिश में कुल इस्टेट का इन्तजाम भी शामिल हो —(बम्बई ला. रि जिल्द १३ सफा १०२५)

अगर किसी मुसलमान की औरत की जायदाद दीगर हिस्सेदार के कब्जे में औरत के मरने से १२ साल से जियादा अरसे से हो, और वैसी जायदाद उस हिस्सेदार से दिला पाने के लिये अगर औरत का खाविन्द नालिश करे, तो अगर माल गैर मनकूला है तो मद न १४४ लागू होगा, और अगर माल मनकूला है तो मद न १२० लागू होगा —मद न १२३ सिर्फ उस वक्त लागू होगा जब कि नालिश ऐसी इस्टेट के हिस्सा पाने के लिये हो जिस का तकसीम करना मुतवफ्फी का कानून की रू से काम हो —और यह मद ऐसे मुसलमान की सूरत में लागू न होगा जो बगैर करने वसीयत के मरा हो—ऐसी सूरत में उस की जायदाद फौरन उस के वारसों को पहुचती है और कानून की रू से कोई शख्स तकसीम करने का जिम्मेदार नहीं होता है -(इ. ला रि मदरास जिल्द ३४ सफा ५११).

अगर किसी मरे हुए मुसलमान का वारिस दूसरे वारिस पर नालिश वास्ते दिला पाने हिस्सा जायदाद मुसलमान मुतवफ्फी के दायर करे तो ऐसी नालिश में मद न. १४४ लागू होगा न कि मद न. १२३-मद न १२३ सिर्फ ऐसी नालिशों में लागू होगा जिन में किसी ऐसी इस्टेट का हिस्सा पाने का दावा किया

जावे जिस का तकसीम करना मुद्दायलेह का काम कानून की रू से हो (इ. के जिल्द २४ सफा ४५).

मद १२४—नालिश वास्ते दिला पाने कबजा किसी ओह्दा मौरूसी के—बारा साल—उस तारीख से कि जब मुद्दायलेह ने उस ओह्दा पर कबजा खिलाफ दावी मुद्दई के कर लिया हो—

समझावना:—कबजा मनसब मौरूसी का उस हालत में मुतसौवर होता है, कि जब उस का मुनाफा हस्ब मामूल वसूल किया जाय, या (जिस हाल में कि कोई मुनाफा न हो) तो; जिस वक्त कि खिदमत उस की हस्ब मामूल अनजाम दी जायँ—

तशरीह:—यह मद सिर्फ उस सूरत में लागू होगा जब कि जानशीनी बजरिये विरासत हो (यानी बाप के बाद बेटा मौरूसी मनसब का हकदार हो), मगर जब जानशीनी बजरिये नाम जदी यानी किसी को मुकरेर कर देने से हो तो ऐसी सूरत में मद, न. १२० लागू होगा [इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द १९ सफा ७७६ वो जिल्द २५ सफा ३५४].

जब किसी मनसब मौरूसी का काबिज अपने उहदे को मुन्तकिल करे तो ऐसा इतकाल मामूली तौर पर उसके जीते जी तक जायज रहेगा और जब तक इतकाल करने वाला न मर जाय तब तक मुन्तकिल अलेह का कब्जा उस के वारिस के मुखालिफ न होगा—(इ. ला. रि बम्बई जिल्द १ सफा ५८७ वो मद्रास जिल्द ७ सफा ८५).

अगर किसी मनसब याने उहदा की आमदनी मुद्दायलेह ने, या उस शख्स ने जिस के जरिये वह अपने पर नालिश दायर कराने की जिम्मेदारी लेता है, मुद्दई के बरखिलाफ बारा साल से ज्यादा अरसा तक बराबर लेता रहा हो तो ऐसी हालत में उस मनसब मौरूसी में मुद्दई का इस्तेहकाक मिट जावेगा और मुद्दई पिछले तीन बरसों के बकाया आमदनी की नालिश न कर सकेगा—(इ ला रि बम्बई जिल्द ९ सफा २६०).

इस मद की रू से जो रूकावट मुद्दई के दावे में होगी वह सिर्फ इस वजह से होगी कि उहदा मौरूसी जायज जानशीन के मुखालिफ मुद्दायलेह के कबजे में रहा हो—मुद्दायलेह अपने कबजे के अर्से में वह मुद्दत भी शामिल कर सक्ता है कि जिस मुद्दत तक वे। उहदा किसी ऐसे शख्स के कबजे में रहा हो, जिस के जरिये वह दावा करता हो—मगर जब दायरी नालिश के पहिले, बारा साल के अन्दर वह उह। किसी के कब्जे में न रहा हो तो मुद्दई की नालिश में कोई रूकावट न होगी—' इ के जिल्द १० सफा १५)

अगर किसी उहदे के मुताल्लिक की जमीन पर किसी शख्स को ऐसा हक हासिल हुआ हो जिस में किसी दूसरे का दखल न होवे तो सिर्फ जमीन पर उस का ऐसा हक पहुचने से यह न समझा जावेगा कि उहदा मजकूर पर भी उस का हक पहुच गया, तावक्त कि उहदे मजकूर पर उस का मुखालफाना कब्जा १२ साल तक न रहा हो—सिर्फ उहदे की आमदनी लेने से बगैर देने अंजाम खिदमत उहदा मजकूर के आमदनी लेने वाले को उस उहदा पर कबजा करने का इस्तहेकाक हासिल न होगा, अगर उहदा की खिदमत का अंजाम कोई दीगर शख्स खुद अपनी तरफ से करता हो, न कि बतौर मुखत्यार उस शख्स के जो आमदनी लेता है—मुद्दईया ने, जो कि एक आचार्य की बेवा थी, मुद्दायलेह नं १ पर, जिस के नाम उसके खाविन्द ने इस्तकाल नामा लिख दिया था, नालिश वास्ते दिला पाने कब्जा उहदा आचार्यी मय जमीन मुताल्लिके उहदा मजकूर के दायर किया—यह पाया गया कि मुद्दायलेह नं (१) का कब्जा मुखालफाना सिर्फ जमीन पर था मगर उसका मुनाफा पाने का हक मुद्दईया के खानदान वालों को पहुचता था—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई.—

(१) कि मुद्दईया उहदा मजकूर पाने की हकदार है क्योंकि जमीन पर मुद्दायलेह का मुखालफाना कब्जा रहने से मुद्दायलेह का हक उहदा मजकूर पर नहीं पहुचता है,

(२) कि मुद्दईया का दावा निस्बत जमीन मुताल्लिके उहदा बाहर मियाद नहीं है क्योंकि उसका हक निस्बत इस्तमरारी जायदाद उस वक्त से शुरू हुआ जब कि उस को आमदनी पाने का हक

जावे जिस का तकसीम करना मुद्दायलेह का काम कानून की रू से हो (इ. के. जिल्द २४ सफा ४५).

मद १२४—नालिश वास्ते दिला पाने कबजा किसी ओहदा मौरूसी के—बारा साल—उस तारीख से कि जब मुद्दायलेह ने उस ओहदा पर कबजा खिलाफ दावी मुद्दई के कर लिया हो—

समझावनाः—कबजा मनसब मौरूसी का उस हालत में मुतसौवर होता है, कि जब उस का मुनाफा हस्ब मामूल वसूल किया जाय, या (जिस हाल में कि कोई मुनाफा न हो) तो, जिस वक्त कि खिदमत उस की हस्ब मामूल अनजाम दी जायें—

तशरीहः—यह मद सिर्फ उस सूरत में लागू होगा जब कि जानशीनी बजरिये विरासत हो (यानी बाप के बाद बेटा मौरूसी मनसब का हकदार हो), मगर जब जानशीनी बजरिये नाम जद्दी यानी किसी को मुकरेर कर देने से हो तो ऐसी सूरत में मद, न. १२० लागू होगा [इ ला. रि. कलकत्ता जिल्द १९ सफा ७७६ वो जिल्द २५ सफा ३५४].

जब किसी मनसब मौरूसी का काबिज अपने उहदे को मुन्तकिल करे तो ऐसा इतकाल मामूली तौर पर उसके जीते जी तक जायज रहेगा और जब तक इतकाल करने वाला न मर जाय तब तक मुन्तकिल अलेह का कब्जा उस के वारिस के मुखालिफ न होगा—(इ. ला. रि बम्बई जिल्द १ सफा ५८७ वो मद्रास जिल्द ७ सफा ८५).

अगर किसी मनसब याने उहदा की आमदनी मुद्दायलेह ने, या उस शख्स ने जिस के जरिये वह अपने पर नालिश दायर कराने की जिम्मेदारी लेता है, मुद्दई के बरखिलाफ बारा साल से ज्यादा अरसा तक बराबर लेता रहा हो तो ऐसी हालत में उस मनसब मौरूसी में मुद्दई का इस्तहेकाक मिट जावेगा और मुद्दई पिछले तीन बरसों के बकाया आमदनी की नालिश न कर सकेगा—(इ ला रि बम्बई जिल्द ९ सफा २६०).

की दूसरी शादी (पुनर -विवाह) के करार दिया जावे—बारह साल—तारीख इन्तकाल से

तशरीह:—यह मद सिर्फ उन्हीं नालिशों से ताल्लुक रखता है जो किसी औरत के जीते जी वास्ते हासिल करने डिक्री इस्तक़रार दायर की जाए–अगर उस के जीते जी में या उस की दुबारा शादी होने के पेश्तर वारिस मावाद की तरफ से कोई नालिश न दायर की जावे, तो उस औरत के मरने पर या दुबारा शादी हो जाने पर असली वारिस के हुक़ूक़ वजूद में आजाते हैं और उस खास क़िस्म की जायदाद के दिला पाने की नालिश के लिये मियाद औरत मज़कूर की मौत या दुबारा शादी की तारीख से शुरू होगी—(मूर्स इंडियन अपील जिल्द १० सफा ९३५ ख़ुशाल बख्श–बनाम–धरमसिंग, वी. रि जि १५ सफा १ परशादसिंग–बनाम–छेदूलाल)

अगर किसी हिन्दु बेवा ने अपनी जायदाद अपने जीते जी मुन्तकिल कर दी हो तो उस के रद्द कराने के लिये वारिस का बिनाय दावा ऐसे बिनाय दावे से मुख़्तलिफ होगा जो दूसरे वारिस को वैसी मन्सूखी की नालिश दायर करने के लिये हासिल हो, और यह वाकेआ कि पाहिले वारिस की नालिश बेरू मियाद है दूसरे वारिस की नालिश में रुकावट न करेगा जिसको मियाद ब सबब नाबालिगी ज्यादा मिल सकेगी—[मद्रास ला जरनल जिल्द २३ सफा २६९].

मद १२६—नालिश किसी हिन्दू की तरफ से जो ताबे कानून मिताक्षरा के हो, वास्ते मंसूखी उस इन्तकाल के जो उस के बाप ने जायदाद मौरूसी का किया हो—बारा साल—उस तारीख से कि जब मुन्तकिल अलेह उस जायदाद का कब्जा ले लेवे—

तशरीह:—इस मद में जो म्याद मुकर्रर है वह लागू होगी चाहे मुन्तकिल अलेह यह बात जानता हो या न जानता हो कि जो जायदाद वह ले रहा है वह एक बिला बटी हुई जायदाद का जुज (हिस्सा) है–(इ ला. रि. बम्बई जि० २३ सफा १३०, १४२)—

अगर कोई हिन्दू बाप शामिल शराकती खानदानी बाप की रजामन्दी के बगैर बेचे तो बेटा १२ साल के

हासिल हुआ-(इ के. जिल्द १० सफा ५७३)—

मदर के कई शामलाती शेवत यानी पन्डों में से एक शरीकदार पन्डा जिस का हक मदर की रोजाना चढोत्री में से ≡)॥ हिस्सा पाने का था मर गया—उस की बेवा उसकी जगह पर शेवत यानी पन्डा मुकर्रर हुई—उस बेवा के साहूकार ने बेवा के खिलाफ डिक्री हासिल कर के उस के ≡)॥ हिस्से को नीलाम कराया और वह हिस्सा उस ने खुद नीलाम में खरीदा और सन १८६२ से लगा कर आगे तक साहूकार चढोत्री में का ≡)॥ हिस्सा लेता रहा—बेवा सन १६०० में मर गई—और मुद्दई हाल ने, जो उस के खाविन्द का वारिस था, यह नालिश सन १६१० में दायर किया निसबत इस्तकरार हक इस अमर के कि चढोत्री के ≡)॥ हिस्से के पाने का वह हकदार है—मदर के शेवत का उहदा मौरूसी है और ऐसे उहदा पर कोई ऐसा शख्स मुकर्रर नहीं हो सक्ता जो ब्राम्हन जात का पन्डा न हो—खरीदार हिस्सा ब्राम्हन नहीं है बलकि एक छोटी जात का शख्स है जो कि मदर की शेवत के उहदे पर खुद मुकर्रर होने के या उस उहदे का काम चलाने के काबिल नहीं है—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई, कि गो खरीदार वक्त फ वक्त ≡)॥ हिस्से की आमदनी लेता रहा ताहम उस के ऐसी आमदनी लेने से बेवा या मुद्दई उहदे शेवती से महरूम नहीं किये जा सक्ते, और मद न १२४ एक्ट मियाद ऐसे मामले में लागू न होगा—खरीदार के ≡)॥ हिस्सा चढोत्री लेने से उस को कोई हक हासिल नहीं होता—हर वक्त जब २ वह वैसी आमदनी लिया करता था उस वक्त ऐसा समझा जावे कि उस के खिलाफ नया विनाय दावा पैदा हुआ—शेवत के उहदे पर हक, सिर्फ आमदनी पाने से हासिल नहीं होता और न उस का दारमदार आमदनी पर है गो आमदनी पाने का हक शेवती के आधीन वो मुताल्लिक था—[कलकत्ता वी नो. जिल्द १८ सफा १०२६)

मद १२५—नालिश व हीन हयात याने जीते जी एक हिन्दू या मुसलमान औरत के, किसी हिन्दू या मुसलमान की तरफ से जो तारीख रूजू नालिश पर उस औरत के फौत हो जाने की सूरत में कबजा आराजी का मुस्तहक होता, इस मुराद से कि औरत मजकूर ने जो इन्तकाल उस आराजी का किया है, उस का रद्द हो जाना बाद उस की हयात (याने जिन्दगी) या उस

की दूसरी शादी (पुनर विवाह) के करार दिया जावे—बारा साल—तारीख इन्तकाल से

तशरीहः—यह मद सिर्फ उन्हीं नालिशों से ताल्लुक रखता है जो किसी औरत के जीते जी वास्ते हासिल करने डिक्री इस्तकरार दायर की जाए—अगर उस के जीते जी में या उस की दुबारा शादी होने के पेश्तर वारिस मावाद की तरफ से कोई नालिश न दायर की जावे, तो उस औरत के मरने पर या दुबारा शादी हो जाने पर असली वारिस के हुकूक वजूद में आजाते हैं और उस खास किस्म की जायदाद के दिला पाने की नालिश के लिये मियाद औरत मजकूर की मौत या दुबारा शादी की तारीख से शुरू होगी—(मूर्स इंडियन अपील जिल्द १० सफा ५३५ जुवाला बख्श—बनाम—धरमसिंग, वी. रि जि १५ सफा १ परशादसिंग—बनाम—छेदूलाल)

अगर किसी हिन्दू वेवा ने अपनी जायदाद अपने जीते जी मुन्तकिल कर दी हो तो उस के रद्द कराने के लिये वारिस का विनाय दावा ऐसे विनाय दावे से मुख्तलिफ होगा जो दूसरे वारिस को वैसी मन्सूखी की नालिश दायर करने के लिये हासिल हो, और यह वाकेआ कि पाहिले वारिस की नालिश बेरू मियाद है दूसरे वारिश की नालिश में रुकावट न करेगा जिसको मियाद व सबब नाबालिगी ज्यादा मिल सकेगी—[मद्रास ला जरनल जिल्द २३ सफा २६६]

मद १२६—नालिश किसी हिन्दू की तरफ से जो ताबे कानून मिताक्षरा के हो, वास्ते मसूखी उस इन्तकाल के जो उस के बाप ने जायदाद मौरूसी का किया हो—बारा साल—उस तारीख से कि जब मुन्तकिल अलेह उस जायदाद का कबजा ले लेवे—

तशरीहः—इस मद में जो म्याद मुकर्रर है वह लागू होगी चाहे मुन्तकिल अलेह यह बात जान्ता हो या न जानता हो कि जो जायदाद वह ले रहा है वह एक मिला बटी हुई जायदाद का जुज (हिस्सा) है—(इं ला रि बम्बई जि० २३ सफा १३७, १४०)—

अगर कोई हिन्दू बाप शामिल शराकती खानदानी जायदाद को लड़के की रजामन्दी के बगैर बेचे तो बेटा १२ साल के अन्दर बैते बेनामा को मन्सूख

की नालिश दायर कर सक्ता है बशर्ते कि खरीदार का कब्जा बमूजिब मद नं. १४४ मुखालफाना न हुआ हो और बशर्ते कि बापने जायदाद किसी पुराने कर्जे की अदाई में या किसी जायज जरूरत की वजह से न बेची हो—(बम्बई ला. रि जि० ३ सफा ६८१)—

अजरूये कानून मिताक्षरा बेटा अपने बाप की जायदाद में शरीकदार समझा जाता है—इस एक्ट के बमूजिब मियाद तारीख इंतकाल से नहीं शुरू होती है बल्कि उस वक्त से शुरू होगी कि जब मुन्तकिल अलेह ने खरीद की हुई जायदाद का कब्जा ले लिया हो—[देखो बीं रिपोर्टर जि० ८ सफा १५ फुलबेंच]—

जो लडका इंतकाल जायदाद के बाद पैदा होवे उसको नालिश करने का कोई नया इस्तेहक्काक न मिलेगा (बी. रि. जि० ८ सफा २१ नजीर इजलास कामिल)—नीलाम अदालत बइल्लत इजराय डिक्री इंतकाल में दाखिल नहीं है—(इ ला रि कलकत्ता जि० ८ सफा ६५३ ईश्वरीदत्त—बनाम—इब्राहिम)—

मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने बमुकदमा सी पी ला. रि जि० २ सफा १४१ सरदारसिंग—बनाम—अजीतसिंग यह तजवीज की है कि कोई बेटा ऐसे बै से एतराज नहीं कर सक्ता है कि जो उसके पैदा होने के पेश्तर वकूअ में आया हो—यह भी तजवीज की गई कि बेटे को नालिश करने का ऐसा इस्तेहकाक जिसकी रू से वह अपने बाप के किये हुए बैनामा को मन्सूख करा सक्ता है जाती इस्तेहकाक है—यह हक उसके नाती को न मिलेगा, क्योंकि बिनाय मुखासमत उस तारीख को पैदा होगा कि जब खरीदार ने जायदाद का कबजा लिया हो—

मद १२७—नालिश किसी ऐसे शख्स की तरफ से जो शामिल शराकती खानदानी जायदाद से खारिज किया गया हो, वास्ते दिला पाने उस के हक हिस्सा जायदाद मजकूर के—बारा साल—उस तारीख से कि जब खारिज होने का हाल मुद्दई को मालूम हो जाय—

तशरीह:—इस मद के लागू होने के लिये शामलाती खानदानी जायदाद का मौजूद होना लाजिम है और मुद्दई उस जायदाद से शामलाती

फ़ायदा उठाने से खारिज किया गया हो—(इ. ला. रि कलकत्ता जि० ५ सफा ६३८)—

इस मद के बमूजिब यह जरूर नहीं है कि मुद्दई एक खास हिस्सा की बटवाड़ा का दावी कर सके सिर्फ यह जाहिर करना काफी होगा कि वह जायदाद शामलाती का हिस्सा पाने का हकदार है—[इ ला रि. मद्रास जि० १५ सफा १८६]—

ऐसे शख्स की निस्बत खारिज किया जाना कहा जावेगा कि जो पेश्तर शामिल रहा हो—(इ ला रि कलकत्ता जि० ५ सफा ६३८ सरोदा सुन्दरी—बनाम—दौयामोनी)—इस लिये यह मद सिर्फ ऐसे शख्सों से ताल्लुक रखेगा जो शामलाती खानदान में शरीकदार हो और खानदान के शामलाती जायदाद के हिस्से का दावी इस बिना पर करते हों कि वे उस घराने के शरीकदार हैं कि जिसके ताल्लुक दावा की हुई जायदाद है—(इ. ला रि. कलकत्ता जि० १८ सफा ६४२ कार्तिक—बनाम—सरोडा)—

लेकिन यह मद उन लोगों से ताल्लुक न रखेगा जो बजरिये ऐसे शख्स के जो शामलाती खानदान के शरीकदार न हो हक विरासत की रू से दावीदार हो, मसलन, लड़की का लड़का जिसके लिये मद १४० वो १४१ लागू होगा [कलकत्ता ला. रि. जि० ११ सफा ३१२], और न यह मद ऐसे अजनबी शख्स से मुताल्लुक होगा कि जिसने शामलाती खानदान के किसी शरीकदार का हिस्सा खरीद किया हो—(इ. ला रि कलकत्ता जि० ११ सफा ६८० रामलखी—बनाम—दुरगा चरन)—

यह मद शामलाती खानदान की सिर्फ शामलाती जायदाद से, ताल्लुक रखता है—(इ. ला. रि. कलकत्ता जि. ५ सफा ६३८)—न कि ऐसी जायदाद से जिस का बटवाड़ा हो चुका हो, हालांकि बाटी हुई जायदाद की मेड़ बन्दी या हद बन्दी न की गई हो (देखो छपे हुए फैसले जात बम्बई हाई कोर्ट के, बाबत सन १८७७ ई० सफा १६४ देयावा—बनाम—गनपैया)—जब किसी खानदान की शामलाती जायदाद सचमुच में तकसीम की गई हो और शरीकदारों में से एक पीछे से उस रूपया को, कि जिसे उस ने अपने हिस्सा के बदले पाया हो, दूसरे शरीकदार के पास बतौर अमानत जमा कर दे तो यह रूपया शामलाती जायदाद

न तसौवर किया जायगा और जो नालिश जर मजकूर के दिला पाने के लिये दायर की जावे उस में मद १२७ लागू न होगा—(इं. ला. रि अलाहाबाद जिल्द १० सफा १०६ अहमदअली–बनाम हुसेन अली) खानदान की शामलाती जायदाद में वह जायदाद शामिल है जो कोई मुसलमान मुतवफ्फी ने छोड़ मरा हो और जो उस्के वारिसों में क़ाबिल तक़सीम हो, ऐसी जायदाद उस वक्त तक शामलाती कही जावेगी कि जब तक वह दर असल न बाट दी जावे—

जब तक मुद्दई अपने हिस्से पर काबिज बना रहे तब तक कोई बिनाय मुखासमत पैदा नहीं होती है—(वी. रि. जि १६ सफा १९२ गोसाईदास–बनाम–सिरी कुमारी)—और बिनाय मुखासमत उस हालत में भी पैदा न होगी कि जब मुद्दई दूसरे शरीकदारों के साथ जायदाद पर अपनी गुजर करता हो और घराने में उस की परवरिश खानदानी जायदाद की आमदनी में से होती हो—(इ. ला. रि. मद्रास जिल्द ११ सफा ३९२).

हालाकि शामलाती खानदान के किसी एक शरीकदार का कबजा मामूली तौर पर मिस्ल कबजा कुल शरीकदारों के समझा जाता है, ताहम यह उसूल उस हालत में लागू न होगा कि जब किसी शरीकदार के खारिज होने के बाबत साफ शहादत मौजूद हो—[मूर्स इंडियन जिल्द १० सफा ५११ ज्वाला बख्श–बनाम–धरमसिंग]—शामलाती जायदाद में मौजूद न रहने से किसी शरीकदार का खारिज होना नहीं पाया जाता है, हालाकि बहुत अरसे तक गैर हाजिर रहना एक ऐसा वाकेआ है कि जिस्से इस बात का तसफिया हो सक्ता है–कि आया शख्स गैर हाजिर खानदान का शरीकदार समझा जाए या नहीं—(मद्रास हाई कोर्ट रि. जिल्द ३ सफा ६६)

एक मुकदमा में मुद्दई और दूसरे लोगों की जायदाद उन के नाम पर शराकत में दर्ज की गई थी, लेकिन मुद्दई २१ साल तक गैर हाजिर रहा और जायदाद की देख रेख वो इंतजाम में वह बिल कुल शरीक नहीं हुआ—जब उस को यह बात मालूम हुई कि उस की जायदाद का नया बन्दोबस्त हो रहा है बलकि मुद्दायलेहुम ने जायदाद मजकूर में अपनाही नाम चढ़वा लिया तब वह याने मुद्दई अपनी मिलकियत में वापस आया–तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि जब तक बन्दोबस्त में अकेले मुद्दायलेहूम का नाम दर्ज न

तब तक मुद्दई का उस की जायदाद के कब्जा से खारिज होना न कहा जावेगा–(पंजाब रिकार्ड न. १८ सन १८८६ ई० मेहरचंद–बनाम–दुलीचंद)—सिर्फ इस वजह से कि अकेला मुद्दायलेह पन्द्रा साल से ज्यादा अरसा तक जायदाद पर काबिज रहा मुद्दई की नालिश में रूकावट न होगी, सिवाय उस सूरत में कि जब ऐसे कब्जा से मुद्दई का खारिज होना पाया जावे और इस खारिजी का हाल मुद्दई को मालूम हो जाय–(इ. ला. रि. बम्बई जिल्द ६ सफा ७४१).

इस मुकदमा में मुद्दायलेह ने मुद्दई को इस मजमून की चिट्ठी लिखा कि "तुम वापस आकर जायदाद के अपने हिस्सा का इंतजाम करो या अपनी तरफ से किसी को अपने हिस्सा की देख रेख के वास्ते मुकर्रर करो"—यह चिट्ठी शहादत इस बात की है कि उस वक्त तक मुद्दायलेह ने जायदाद का दावा अपनीही निजी जायदाद के तौर पर मुद्दई को खारिज करके नहीं किया और मुद्दई के शामलाती जायदाद से खारिज होने के बाबत कोई दूसरी शहादत न होने की हालत में सिर्फ इस बात से, कि इसके बाद मुद्दई ने जायदाद का कुछ मुनाफा नहीं लिया, यह नतीजा न निकल सकेगा कि उस वक्त से मुद्दई खारिज किया गया–(इ. ला. रि. बम्बई जिल्द ११ सफा ३६९ दिनकर–बनाम–भीकाजी)

जब एक मकान छोड़ कर बाकी कुल जायदाद खानदानी तकसीम की जावे और अगर वह मकान बटवाड़ा के बाद अकेले मुद्दायलेह के कब्जे में २५ साल तक रहे और दीगर शरीकदारों के हकूक किसी तौर पर न बचाए जावें, तो यह ऐसी मजबूत शहादत है कि जिस से मुद्दई का घराने से खारिज होना पाया जावेगा (इ. ला. रि. बम्बई जिल्द ११ सफा २१६ रामचंद्र–बनाम–नारायन)—जब किसी शामिल शरीक खानदान के, चंद शरीकदारान, बाकी के शरीकदारों से अलग हो जावें और कई बरसों तक खानदान से अलहदा होकर रहें तो इस शहादत से उन लोगों का खानदान से खारिज होना तसव्वर होगा (इ. ला. रि. मदरास जिल्द २६ सफा १८९)

मद न० १२९ ऐसी नालिश में लागू होगा जो ऐसे शरीकदार की तरफ से की जाय जिस ने जायदाद शामिल शरीक खानदान के ऐसे हिस्सा

से खरीदी हो जिस्की निस्बत यह कहा जाता है कि उसका कब्जा बैनामें के पक्ष जायदाद मजकूर पर न रहा हो, वो मद न०, १२७ लागू न होगा-मद न १३६ में जो लफ्ज "कब्जा" का इस्तेमाल हुआ है उस में कब्जा हर मेम्बर शामिल शरीक खानदान का खानदानी जायदाद में क्यास किया जायगा, जब तक कि वह बेदखल न किया जाय-(इ. के. जिल्द ६ सफा ४६५)-मद न. १२७ अहल इसलाम यानी मुसलमान को लागू न होगा इस लिये मुद्दई मुनाफा सिर्फ ३ साल का बमूजिब मद न १०६ पाने का हकदार होगा--(पजाब रि. नम्बर ८१ सन १६११)--अदालत हाय कब्जा मुखालफाना को बतौर सबूत हुआ न मानेगी जब कि वैसा कब्जा मशकूक होवे यानी मुबहम होवे--अगर किसी शरीकदार ने जमीन खानदानी को खरीदार के नाम सिर्फ मुन्तकिल किया हो और कब्जा न दिया हो तो ऐसे मुन्तकिल करने से यह न समझा जायगा कि वह हिस्सादार बेदखल हो गया और खरीदार का कब्जा मुखालफाना हुआ--(बम्बई ला रि. जिल्द १४ सफा ६३१).

मद १२८—नालिश किसी हिन्दू की तरफ से बमुराद मिलने बकाया नान वो नफका के (यानी खाना कपड़ा के)—बारा साल—उस तारिख से कि जब बाकी मजकूर वाजबुलअदा हो.

तशरीह:—यह मद सिर्फ उस नालिश में लागू होगा जो किसी हिन्दू की तरफ से न कि मुसलमान या दूसरे कौम या मजहब वालों की तरफ से वास्ते दिलापाने बकाया नान वो नफका (खाना कपड़ा) दायर की जावे.

खाना कपडा के बकाया की नालिश में मुद्दई को सुफलता नहीं मिल सक्ती जब तक कि वह इस बात की सबूती न दे कि ऐसा बकाया तलब किया गया था मगर देने से इंकार किया गया या वह नाजायज तौर से बन्द कर दिया गया है-(इ. ला रि. मदरास जिल्द २४ सफा १४७ प्रि. कौंसिल)

मद १२९—नालिश एक हिन्दू की तरफ से, वास्ते इस्तकरार हक खाना कपड़ा के,—बारा साल--उस तारीख से कि जब उस हक का इन्कार किया जाय—

तशरीह:—मद १२८ वो १२९ मुसलमान और क्रिस्तानों से ताल्लुक नहीं रखते हैं—जब कोई हिन्दू या दूसरा मुद्दई ऐसे खाना कपड़ा का दावी करे कि जिस का बोझ जायदाद गैरमनकूला पर रखा गया हो तो मद १३२ लागू होगा-(इ ला रि कलकत्ता जिल्द ९ सफा ९४५ नजीर प्रि कौंसिल अहमद हुसेन-बनाम-निहालुद्दीन).

जब तक मुद्दई के हक खाना कपड़ा का इकार न किया जावे तब तक ऐसे हक के इस्तकरार की नालिश के लिये मियाद शुरू न होगी, हालाकि कोई रकम बाबत खाना कपड़ा न अदा की गई हो और न उसका दावी किया गया हो-(इ ला रि. मद्रास जि० १२ सफा ३४७)—

खाना कपड़ा का हक हस्ब जरूरत दावीदार के समय प्रति समय पैदा हुआ करता है-(इ ला रि. बम्बई जि० ३ सफा ४१५ वो कलकत्ता ला रि. जि० ६ सफा १६२)—

अगर खाना कपड़ा के हक से इकार किया जावे तो ऐसे हक के कायम करापाने की नालिश तारीख इकारी से बारा साल के अन्दर दायर की जाना चाहिये, नहीं तो वह हक नष्ट हो जायेगा, लेकिन अगर ऐसा हक एक मर्तबा कायम कर लिया जावे तो पीछे से वह (हक) इस बिना पर नष्ट नहीं हो सक्ता है कि जो रकम दिलाई गई थी उसका दावा नहीं किया गया, अलबत्ता देरी का सिर्फ यह नतीजा होगा कि बारा साल से जियादा का बकाया न दिलाया जाएगा-(इ. ला रि. बम्बई जि० ५ सफा ६८ छगनलाल-बनाम-बापूबाई)

यह दोनों मद न. १२८ वो १२६ सिर्फ ऐसे शख्स को लागू होंगे जो खाना कपड़ा का दावा अजरूये हिन्दू धर्म शास्त्र करता हो न कि ऐसे हिन्दू शख्स को जो अपना दावा किसी माहदा की रू से करता हो-(इ. ला रि कलकत्ता जि० २३ सफा ६४५)—

मद १३०—नालिश बगर्ज जब्ती या तशखीस लगान जमीन माफी के—बारा साल—उस तारीख से कि जब हक जब्ती या तशखीस लगान जमीन पहिले मर्तबा पैदा हो—

तशरीह:—जब कोई इस्तमरारी जमीन किसी सरकार की तरफ से अता की गई हो, तो अगर उसका जानशीन, (वारिस) जो उस सरकार के से

एक हो, जिसके साथ रेगूलेशन न. २६ सन १८१४ ई० का ताल्लुक है उस जमीन को जब्त करना चाहे तो उसे अपनी नालिश जायदाद घाटवाले पर काबिज होने के बाद बारा साल के अन्दर दायर करना चाहिये-(इ ला. रि. कलकत्ता जि० ६ सफा ४११ मोधो कुएरी-बनाम-टिकैतराम)—

चूंकि जर लगान देने की जिम्मेदारी समय प्रति समय की जिम्मेदारी समझी जाती है इसलिये मालगुजार की नालिश बमूजिब मन्शा मद न. १३० बेरू मियाद न समझी जावेगी (इ ला. रि फलकत्ता जि० ३६ सफा ४३६)—

मद १३१—नालिश वास्ते कायम करने उस हक के जो बाद एक मुद्दत मुकर्रर के हासिल हुवा करता है—बारा साल—उस तारीख से कि जब पहिले मर्तबा मुदई के उस हक का फायदा लेने से इंकार किया जाय.

तशरीह:—किसी मूर्ति की हर एक साल के छटवें हिस्सा तक यानी दो माह पूजन करने के दावी की नालिश इसी मद के मुताबिक समझी जावेगी-(इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द ४ सफा ६८३ ईशनचन्द्र--बनाम--मनमोहनी)—इसी तरह पर किसी मूर्ति की हर साल ४९ दिन तक पूजा करने का दावा इसी मद के बमूजिब तसव्वर होगा-(इ ला रि. कलकत्ता जिल्द ८ सफा ८०७ गोपी किशन--बनाम--ठाकुर दास).

सन १८४६ ई० में मुदायलेहूम ने डिक्री इसरकरार हक वास्ते वसूल करने रसूम ताल्लुकदारी मुदई के हासिल किये—लेकिन इन रसूमात का दावी मुदायलेहूम ने नहीं किया--इस पर मुदईयान ने एक नालिश बाबत इस्तकरार इस अमर के दायर किया कि वे इन रसूमात के देनदार नहीं है—तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि इस नालिश की दायरी के वास्ते मुदईयान को सिर्फ यह बात ही साबित करना लाजिमी नहीं है कि रसूम मजकूर तलब नहीं किये गये, बलकि उन को यह भी साबित करना जरूर है कि दायरी नालिश के बारा साल पेश्तर उन से रसूम तलब किया गया लेकिन मुदई ने उन के देने से इकार किया (पंजाब रि. न १५४ सन १८८६ ई० गहना—बनाम—इखलासखा)

चन्द रकमों के समय प्रति समय पाने का इस्तेहकाक, मसलन,

जिस में यह शर्त हो कि वह बोझा उसी जायदाद गैरमनकूला से वसूल किया जावे— अगर जाती चाराजोई मागी जावे तो यह मद लागू न होगा (इ ला. रि कलकत्ता जिल्द ७ सफा ५०२).

इस मद के बमूजिब सूद और असल रूप्या जिस का बोझा जमीन पर रखा गया हो बारा साल तक बजरिये नालिश वसूल हो सकता है (इ. ला. रि मदरास जिल्द ६ सफा ४१७)–सिवाय उस सूरत में कि जब माहदा खास और तौर पर करार न हुवा हो तो जो रूप्या किसी जमीन की किफालत पर बतौर कर्ज दिया गया हो उस के सूद का मवाखजा (याने बोझा) उसी जमीन पर रहेगा (पजाब रिकार्ड न. ५७ सन १८८८ ई० राधा किशन–बनाम मुहामद)

यह मद सिर्फ उन नालिशों से ताल्लुक रखता है जो हकदार और इसी किस्म के दीगर लोगों की तरफ से ऐसे शख्स के बरखिलाफ दायर की जावे जो उस हक या उपजीवका का देनदार ठहराया गया हो, न कि ऐसी नालिशों से जो किसी वतन में एक हिस्सेदार की तरफ से उस दूसरे हिस्सेदार पर दायर की जाय, कि जिस ने मुद्दई का हिस्सा वसूल कर लिया हो (इ ला रि. बम्बई जिल्द ७ सफा १६१ हरसुखगौरी–बनाम–हरीसुख प्रसाद)

कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी यह तजवीज की है कि यह मद ऐसी नालिश में लागू होगा कि जिस में किसी रकम के वसूली का दावा उस जमीन में से किया [illegible]ावे जिस पर रकम मजकूर का बोझा हो (इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द १२ [illegible]फा ३९९)—जिस रूप्या की वसूली का ठहराव किसी जमीन के मुनाफा या [illegible]लगान में से हो तो उस का मवाखजा जायदाद गैरमनकूला पर रहेगा (इ. [illegible] इलाहाबाद जिल्द ७ सफा १२०)

सालियाना तनख्वाह की अदाई का करार किसी जायदाद गैरमनकूला [illegible] मे हो तो उस की निसबत यह कहा जायगा कि उस का बोझा [illegible] के मुताबिक जायदाद गैरमनकूला पर है (इ [illegible] सफा १८६).

[illegible]ई का करार किसी जागीर की आमदनी में से [illegible] [illegible] जावेगा, कि उस का बोझा जायदाद गैरमनकूला

मुद्दायलेहों ने देने से इकार किया था, और चूंकि इस बात की कोई शहादत नहीं है, इस लिये नालिश मुद्दईयान बेरू मियाद नहीं समझी जा सक्ती (इ. के. जिल्द २१ सफा १७६)

मद न १३१ मुकर्रर मुद्दत के बाद हासिल होने वाले हक के इस्तकरार की नालिश में बराबर उसी तरह लागू होगा जैसे कि वैसे हक़ की बिना पर वैसे रकम की वसूली की नालिश में और जिस में कि वैसे इस्तकरार की चाराजेई न की गई हो--(मद्रास वी. नो. सफा २२८ सन १६१४ ई०).

किसी खास जायदाद के मालिक को, कुछ रकमें, मुकर्रर मुद्दत के बाद दूसरी जायदाद के मालकान से बहैसियत मालिक जायदाद, पाने का हक हासिल था और वैसा हक़ पाने की बुनियाद कानून के रू से थी, और वह हक पुश्तान पुश्तों यानी मौरूसी था, और उस के देने की जिम्मेदारी जाती न थी बलकि उस जायदाद के साथ २ थी, यानी, उस शख्स के जिम्मे थी जिस के हाथ में वह जायदाद पहुंचे--इस किस्म का हक बतौर हक बताल्लुक जायदाद गैर मनकूला समझा जावेगा--और वैसे हक के वसूल पाने की नालिश बमूजिब एक्ट मियाद सन १८५६ ई० (यानी एक्ट मियाद हाल न ६ सन १६०८ ई०) उस वक्त से १२ साल के अन्दर रुजू हो सकेगी जब कि बिनाय मुखासमत पैदा हुई और बिनाय मुखासमत वैसे हक के न देने या इकारी पर शुरू होगी--लफ्ज "इकारी" जो मद न १३१ में आया है उस से यह मतलब निकलता है कि पहले मतालबा किया गया तब इकारी की गई (कलकत्ता ला. जरनल जिल्द १९ सफा ११८)

मद १३२—नालिश वास्ते दिलापाने उस रूप्या के जिस का बोझा किसी जायदाद गैरमनकूला पर हो—बारा साल—उस तारीख से कि जब वह रूप्या जिस का दावी किया गया है, वाजबुल वसूल हो

समझावनाः—रसूम मालिकाना और हक इस मद की गरजो के वास्ते बतौर वैसा रूप्या के तसौव्वर होगा, जिस का बोझा जायदाद गैरमनकूला पर होता है.

तशरीहः—यह मद सिर्फ ऐसी नालिश में लागू होगा, जिस में मुद्दई ऐसे रूप्या के दिलापाने का दावा करे जिस का बोझा जायदाद गैरमनकूला पर हो और

जिस में यह शर्त हो कि वह बोझा उसी जायदाद गैरमनकूला से वसूल किया जावे—अगर जाती चाराजोई मांगी जावे तो यह मद लागू न होगा (इ ला. रि कलकत्ता जिल्द ७ सफा ५०२).

इस मद के बमूजिब सूद और असल रूप्या जिस का बोझा जमीन पर रखा गया हो बारा साल तक बजरिये नालिश वसूल हो सकता है (इ. ला. रि मदरास जिल्द ६ सफा ४१७)—सिवाय उस सूरत में कि जब माहदा खास और तौर पर करार न हुवा हो तो जो रूप्या किसी जमीन की किफालत पर बतौर कर्ज दिया गया हो उस के सूद का मवाखजा (याने बोझा) उसी जमीन पर रहेगा (पंजाब रिकार्ड न. ५७ सन १८८८ ई० राधा किशन—बनाम मुहम्मद)

यह मद सिर्फ उन नालिशों से ताल्लुक रखता है जो हकदार और इसी किस्म के दीगर लोगों की तरफ से ऐसे शख्स के बरखिलाफ दायर की जावे जो उस हक या उपजीवका का देनदार ठहराया गया हो, न कि ऐसी नालिशों से जो किसी पता में एक हिस्सेदार की तरफ से उस दूसरे हिस्सेदार पर दायर की जाय, कि जिस ने मुद्दई का हिस्सा वसूल कर लिया हो (इ. ला रि. बम्बई जिल्द ७ सफा १६१ हरसुखगौरी -बनाम—हरीसुख प्रसाद)

कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी यह तजवीज की है कि यह मद ऐसी नालिश में लागू होगा कि जिस में किसी रकम के वसूली का दावी उस जमीन में से किया जावे जिस पर रकम मजकूर का बोझा हो (इ ला. रि कलकत्ता जिल्द १२ सफा ३९९)—जिस रूप्या की वसूली का ठहराव किसी जमीन के मुनाफा या जर लगान में से हो तो उस का मवाखजा जायदाद गैरमनकूला पर रहेगा (इ. ला. रि अलाहाबाद जिल्द ७ सफा १२०).

जिस सालियाना तनख्वाह की अदाई का करार किसी जायदाद गैरमनकूला की आमदनी में से हो तो उस की निसबत यह कहा जायगा कि उस का बोझा इस मद की मनशा के मुताबिक जायदाद गैरमनकूला पर है (इ ला रि. अलाहाबाद जिल्द १६ सफा १८६)

जिस रूप्या की अदाई का करार किसी जागीर की आमदनी में से से हो उस की निसबत भी यह कहा जावेगा, कि उस का बोझा जायदाद गैरमनकूला

पर है (पंजाब रिकार्ड न ४ सन १८९४ ई० रामप्रसाद–बनाम–किशन)

अजरूय एक्ट इन्तकाल जायदाद जब कि मुर्तहन सादा, नालिश नीलाम दायर करने का हकदार है, तो ऐसी हालत में मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट की यह राय है कि जो नालिश उस की तरफ से बाबत दिला पाने जर रहन बजरिये नीलाम जायदाद मरहूना दायर की जाय वह मुताबिक मद १४७ न कि मद न १३२ के समझी जावेगी (सी. पी. ला. रि. जिल्द २ सफा ५७ घासीराम बनाम- दुलीचंद)

अमराई (याने आमों के झाड़) उस जमीन को छोड़ कर जिस पर वह लगी हो, रजिस्ट्री की गरज के लिये बतौर जायदाद गैरमनकूला के समझी जावेगी– मगर मियाद की गरज के लिये ऐसी अमराई हस्ब मन्शा मद न० १३२ बतौर जायदाद गैर मनकूला तसौवर की जावेगी–(इ के. जिल्द ९ सफा ४७८)—

अगर किसी बाप ने जिस को मिताक्षरा धर्म शास्त्र लागू होता हो, खानदानी जायदाद को रहन रख कर कर्ज लिया हो तो वैसे कर्ज की वसूली की नालिश बजरिये नीलाम जायदाद मजकूर जो राहिन के बेटों वो नातियों के हाथ में हो, बतौर नालिश बाबत अदाई बाबत ऐसे रूप्या के समझी जावेगी जिस का बोझा जायदाद गैरमनकूला पर है और बारा साल की मियाद जो मद न. १३२ के रूसे मुकर्रर है ऐसी नालिश में लागू होगी [इ. के जि० १९ सफा ८७८)—

मद नम्बर १३२ सिर्फ ऐसी नालिशात में लागू होगा जिन में कर्ज ऐसी जायदाद से वसूल करने का दावा हो जिस पर उस रूप्या का बोझा है यह मद ऐसी नालिश में लागू न होगा, जो एक शरीकदार की तरफ से दूसरे शरीकदार पर जिस ने मुद्दई का हिस्सा लिया हो दायर की जावे (इ के जि० २२ सफा ६५९)—

सादा रहन की जायदाद नीलाम करा पावे की नालिश में दफा १३२ लागू होगा न कि मद न. १४४, गो कोई गैर शख्स बजरिये कबजा मुखालफाना अपना हक का दावा भी करता हो, क्योंकि ऐसी नालिश बतौर नालिश कबजा नहीं है मद न. १३२ की रू से नालिश उन सब कबजा रखने वाले लोगों

पर चल सकेगी जिन का कब्जा तारीख रहन के बाद हुआ हो, बशर्ते कि नालिश रूप्या वाजबुलअदा होने की तारीख से बारा साल के अन्दर दायर की जावे (अलाहाबाद ला. जरनल जि० १२ सफा १८२)—

अगर किसी मुखत्यार ने अपने मालिक को बजरिये किसी रजिस्टरी दस्तावेज के कुछ जायदाद बतौर जमानत दयानतदारी के साथ काम करने की निस्बत रहन कर दी हो, वह दस्तावेज की रजिस्ट्री करा दी हो और मालिक ऐसे मुखत्यार पर उन रजिस्टरी किये हुवे दस्तावेज की रू से अपने रूप्ये पैसे का हिसाब समझाने की नालिश दायर करे तो ऐसी नालिश मे मद न १३२ लागू होगा. न कि मद न ११६ (इ. के जि० २४ सफा १८)—

मद नं १३२ वो मद नं. १४७ किन २ नालिशात में लागू होंगे:—सादा रहन में जब रूप्या की वसूली के लिये यह शर्त हो, कि जर रहन जायदाद मरहूना के नीलाम से वसूल किया जावे तो मद न. १३२ लागू होगा (कलकत्ता वकिली नोट जिल्द ११ सफा १००५ प्रीवी कौंसिल)—और मद न १४७ सिर्फ उस हालत में लागू होगा जब मुर्तहन अपना दावा सिर्फ बजरिये नालिश बैआत या नीलाम हासिल कर सके, या करने का हकदार हो—इस किस्म के रहननामे " अंगरेजी किस्म के रहननामें " समझे जाते हैं—(कलकत्ता वकिली नोट जिल्द ११ सफा १००५ प्रीवी कौंसिल)—

इसी नजीर प्रीवी कौंसिल की बिनाय पर यह एक्ट मियाद तरमीम किया गया है, और दफा ३१ नई कायम की गई है—

मद १३३—नालिश वास्ते दिला पाने माल मनकूला के जो मुतवफ्फी की वसीयत से बतौर अमानत या तहवील या गिरवी के मुन्तकिल किया गया हो, और पीछे से अमीन या तहवीलदार या गिरवीदार से कीमती बदल पर खरीद किया गया हो—बारा साल—तारीख खरीदी से—

तशरीह:—यह मद पुराने एक्ट मियाद नम्बर १५ सन १८७७ ई० के मद न. १३३ के मुताबिक है—

मद १३४—नालिश वास्ते दिला पाने कब्जा जायदाद

गैरमनकूला के जो मुतवफ्फी की वसीयत से बतौर अमानत या रहन मुन्तकिल की गई हो, और बाद में अमीन या मुर्तहन से कीमत बदल पर मुन्तकिल की गई हो—बारा साल—तारीख इन्तकाल से—

तशरीह—यह मद उन नालिशों से ताल्लुक रखेगा कि जिन में जायदाद खुद मुर्तहन से इस ख्याल के साथ खरीद की गई हो, कि मानो मुर्तहन को उस जायदाद मे पुरा हक हासिल है, लेकिन यह मद ऐसी नालिशों में लागू न होगा, कि जिन में रहननामा किसी को मुन्तकिल कर दिया गया हो, या सिर्फ मुर्तहन का हक खरीद किया गया हो, (इ ला. रि अलाहबाद जि० ६ सफा ६७ भगवानदास—बनाम—भगवान्दीन)—

यह मद ऐसी सूरत में भी लागू न होगा, कि जब कोई शख्स गैर- मजाज, रहन का रूप्या अदा करके जायदाद पर कबजा कर लेवे (पजाब रिकार्ड नम्बर १२४ एन १८८३ ई० अजीम—बनाम—मोहम्मद)—

अलफाज खरीदार व कीमती बदल मुन्दरजा मद नम्बर १३४ एक्ट मियाद में मुर्तहन और खरीदार दोनों शामिल हैं—[इ ला. रि. बम्बई जिल्द १५ सफा ५८३]—

साहिबान जज प्रिवी कौंसिल ने नजीर [इडियन अपील जिल्द ३६ सफा १४८] मजूर फरमा कर एक इकतरफा मामले में मद न. १३४ एक्ट मियाद ऐसी नालिश में लागू किया जो शैवत यानी पुजारी मदिर की तरफ से ऐसी जायदाद के वापिस पाने की निस्बत दायर की गई थी, जो पुजारी मजकूर के बाप दादे यानी पूर्वाधिकारी ने तारीख नालिश से बारा साल से ज्यादा अर्सा गुजरने के पहिले बजरिये पट्टा दे दी थी—मद न १३४ ऐसे मामले में लागू नहीं हो सक्ता खास कर के जब इस बात का लिहाज किया जाय, कि एक्ट मियाद सन १९०८ ई० की मद न. १३४ में लफ्ज "खरीद" के बदले लफ्ज "इन्तकाल" इस्तेमाल किया गया है—[कलकत्ता वी. नोट जिल्द १५ सफा ४१७)

मुद्दई ने सन १९०६ में सन १८५४ ई० के रहन के इफिकाक की नालिश दायर किया—सन १९०४ ई० में मुर्तहिन के हकीयत रखने वाले कायम मुकाम ने अपने को जायदाद मरहून का कतई मालिक समझ कर जायदाद मजकूर को

एक शख्स मुसम्मी अमरसिंग के पास रहन बिल कब्जा कर दिया था, और इस अमरसिंग ने अपना मुर्तहनी हक मुद्दायलेह नं ५ को बेच दिया था--चूं कि नालिश जायदाद अमरसिंग के नाम मुन्तकिल होने के बारा साल से ज्यादा अर्से के गुजरने के बाद दायर की गई थी, इस लिये मुद्दायलेह न ५ ने बमुकाबला मुद्दई बमोजिब मद न. १३४ कब्जा मुखालफाना रखने की बिनाय पर अपनी हैसियत बतौर मुर्तहन करार दे कर उजर दावा किया---तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि:-

(१) मुद्दई पर यह बात लाजमी है कि जायदाद पर कब्जा पाने के पेश्तर वह मुद्दायलेह न ५ का भी रूप्या देवे.

(२) कि मद न० १३४ की इबारत में रद बदल होने से यह बात साफ जाहिर होती है, कि सरकार ने इस राय को तसलीम किया है कि यह मद उन सब लोगों को फायदा पहुचाने की गरज से बनाई गई है, जिन के नाम जायदाद ब ऐवज कीमती बदल मुन्तकिल हुई हो और इन लोगों में मुर्तहनान भी शामिल हैं—(बम्बई ला रि जिल्द १३ सफा १०५७).

इन्फिकाक रहन की नालिश में जब कि मुद्दायलेह का यह उजर हो कि उस ने सिर्फ हक रहन नहीं खरीद किया, बलकि कुल जायदाद कतई तौर से मुर्तहन के पास से खरीदी है और वह मद न. १३४ का फायदा उठाना चाहता है, तो ऐसी सूरत में इस बात की सबूती देना जिम्मे मुद्दायलेह होगा, कि उस ने जायदाद कतई तौर से मुर्तहन के पास से खरीदी और मुद्दई को यह बात साबित करना जरूर न होगा कि मुर्तहन की मंशा सिर्फ अपने हक रहन से ज्यादा कोई और बात मुन्तकिल करने की न थी—(इ के. जिल्द १५ सफा ६०६).

मुर्तहन के पास से रहन छुड़ाने की नालिश, बमुकाबल मुर्तहन से खरीदार पाने वाले के, मुताबिक मद न. १३४ दायर न होगी, क्योंकि यह मद ऐसे शख्सों को लागू नहीं होता जो कीमती बदल देकर मुन्तकिल अलेह न हुरे हों, यानी जिन्हों ने कीमती बदल दे कर जायदाद न ली हो--एक इन्फिकाक रहन की नालिश में मुर्तहन का यह उजर हुआ कि जायदाद उस को बजरिये रजिस्टरी शुदा दस्तावेज के बै की गई थी, न कि रहन की गई थी--मुद्दई की तरफ से यह बहस पेश की गई कि गो दस्तावेज उन ने तहरीर किया, [illegible]

उस के दस्तखत उस दस्तावेज पर ऐसा झूठ मूठ समझा कर कि वह रहननामा है लिये गये थे—तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि ऐसी नालिश में मद नं. १४८ लागू होगा, और मुद्दई इस बात के साबित करने का हकदार होगा कि उस के साथ फरेब किया गया और यह कि मामला बतौर रहन (न कि बै) के था, और यह भी तजवीज करार पाई कि मद न. ९१ या १४२ इस मुकदमा में लागू न होगा (बरमा ला टाइम्स जिल्द ७ सफा २६५).

जब कि सिर्फ हक मुर्तहनी न कि कुल मालकियत मुन्तकिल हुई हो तो मद न. १३४ लागू न होगा—(इ. के. जि ११ सफा १२३)

मद न १३४ सिर्फ उस वक्त लागू होगा जब कि मुन्तकिल अलेह - जायदाद को इस यकीन के साथ लेवे कि मुन्तकिल करने वाले शख्स को वैसे मुन्तकिल करने का पूरा अख्त्यार था—(मद्रास वी. नोट सफा ७३५ सन १९१४ ई०).

कुछ ऐसी जायदाद मुद्दायलेहुम को बेची गई जिस पर शर्तिया बैबात रहन का बोझा था, और जिस की निसबत डिक्री बैबात की सादिर हो चुकी थी, मुद्दई ने जिस्के पास जायदाद पीछे से रहन थी, नालिश वास्ते कराने नीलाम बमोजिब खास रियायती मियाद जो दफा ३१ एक्ट न. ९ सन १९०८ ई० की रू से दी गई है, दायर किया—हाई कोर्ट की यह राय करार पाई कि नालिश बमोजिब मद न. १३४ बे रू मियाद नहीं है, क्योंकि ऐसी नालिश बतौर नालिश नीलाम बमोजिब खास अहकाम दफा ३१ एक्ट मियाद है और यह कि मुद्दायलेहुम बतौर ऐसे मुन्तकिल अलेहान नहीं हैं कि जिन्हों ने जायदाद मद न. १३४ की मन्शा के मुताबिक मुर्तहन के पास से ली हो, क्योंकि जब मुन्तकिल करने वाले को असली राहिन के पूरे इस्तेहकाक हासिल हो गये थे तो वह जायदाद के इन्तकाल के वक्त बतौर मालिक जायदाद समझा जायगा—[अलाहाबाद ला. जरनल जि. १२ सफा ४५७].

मद १३५—नालिश मुर्तहिन की तरफ से वास्ते कब्जा जायदाद गैरमनकूला मरहूना के ऐसी अदालत में जो अजरूय सनद शाही न कायम की गई हो—बारा साल—उस तारीख से कि जब राहिन का हक कब्जा खतम हो जाय—

तशरीह—जब अजरूय शरायत रहननामा मुर्तहिन सिर्फ उस

हालत में कब्जा पाने का हकदार करार दिया गया हो कि जब राहिन रहन का रूपया अदा करने में कसूर करे तो मुर्तहिन उस तारीख से १२ साल के अन्दर कब्जा पाने की नालिश कर सक्ता है कि जब राहिन की तरफ से जर रहन के पटाने में कसूर किया जावे—(इं ला. रि कलकत्ता जिल्द १० सफा ६८ मदनमोहन—बनाम—असद अली)—

जब किसी रहननामा में यह लिखा हो कि राहिन को कब्जा दे दिया गया, लेकिन दरअसल कब्जा न दिया गया हो, तो मुर्तहिन रहननामा की तारीख से १२ साल के अन्दर कब्जा की नालिश कर सक्ता है—(पंजाब रि नं० १३४ सन १८८३ ई० रामचन्द्र—बनाम—ध्यानचन्द) लेकिन अगर राहिन १२ साल से जियादा अरसा तक काबिज बना रहे तो मुर्तहिन की नालिश इस मद के रू से बेरू मियाद हो जावेगी, हालांकि वह इस तौर पर बइजाजत मुर्तहिन काबिज रहा हो—

एक मुकदमा में मुर्तहिन को जायदाद मरहूना पर कब्जा उस हालत में दिया गया कि जब राहिन ने जर रहन पटाने में कसूर किया, लेकिन वह ऐसी डिक्री की रू से बेदखल किया गया जो मुर्तहिन अव्वल के हक में सादिर की गई थी, फिर पीछे से इस मुर्तहिन का रूपया पटा दिया गया—तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि दूसरा मुर्तहिन उस तारीख से कब्जा पाने का हकदार होगा कि जब मुर्तहिन साबिक का रूपया पटाया गया और राहिन के कायम मुकाम जायदाद मरहूना पर काबिज हुए—(इं. ला. रि अलाहबाद जिल्द १ सफा ३२५ प्रिवी कौंसिल नारायन—बनाम—शिम्भू)—जो नालिश वास्ते दिलापाने कब्जा बजरूय रहन बिलकब्ज के दायर की जावे उस में मद १३५ लागू होगा—(इं ला. रि अलाहबाद जिल्द १ सफा ५५६ शिवलाल—बनाम—गंगा प्रसाद)—

जब कोई राहिन रेहननामा बिलकब्ज लिखदे लेकिन मुर्तहिन को कब्जा न दे तो ठहराव का तोड़ना, जायदाद मरहूना का कब्जा न देने के वक्त से समझा जावगा और इसी वक्त से मियाद भी शुरू होगी—(इं. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द १२ सफा २०१ हिम्मतराम—बनाम—इमामअली)—

मद न० १३५ ऐसे मामले में लागू न होगा जब कि राहिन, सिर्फ बतौर कार्रवाई जाब्ता के मुद्दायलेह बनाया गया हो और जिस में असली झगड़ा यह हो कि आया दूसरा मुर्तहिन पहले मुर्तहेन काबिज जायदाद के पास से जायदाद मरहूना को इनफिकाक कराने और उस पर अपना कब्जा पाने का हक रखता है—या नहीं इजलास कामील की नजीर--(पजाब रि न० ५६ सन १६०७) का उसूल ऐसे मामले में लागू न होगा जब कि मुर्तहिन जायदाद मरहूना का इनफिकाक हक्कन न करा सक्ता हो—(इ. के जिल्द १० सफा २०).

एक बैबात की शर्त वाला रहननामा सन १८३० में तहरीर किया गया था, और उस में यह शर्त थी कि अगर करजा रहन सन १८९० ई० की किसी खास तारीख तक अदा न किया जावेगा तो मुर्तहिन को जायदाद पर कब्जा करने का हक हो जायगा—मुर्तहिन को उस तारीख पर कोई अदाई नहीं की गई और न जायदाद मरहूना के बैबात के लिये कोई दरखास्त बमूजिब रेग्यूलेशन न० ७ सफा १८०६ पेश की गई—तारीख ११ जुलाई सन १९१० ई० को मुर्तहिन ने बैबात की नालिश दायर किया—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि नालिश बेरू मियाद है, क्योंकि बिनाय दावा सन १८५० ई० में तारीख मुकर्रर को राहिन की तरफ से जर रहन अदा न करने पर पैदा हुई- और मुर्तहिन का हक निस्बत कब्जा जायदाद मरहूना बमूजिब दफा १ फिकरा १२ एक्ट १९ सन १८५६ ई० उसी वक्त नष्ट हो गया जब कि वाजबुलअदा की तारीख से १२ साल का अरसा गुजर गया और यह भी तजवीज करार पाई कि पीछे से बैबात की नालिश करने से नष्ट हुआ हक फिर जिन्दा नहीं हो सक्ता—पस दफा ३१ एक्ट मियाद न० ९ सन १९०८ लागू नहीं होती और नालिश बमूजिब मद न० १३९ बेरू मियाद है—(इ. के जिल्द १५ सफा २४०)—

नालिश वास्ते दखलयाबी जायदाद जो कब्जा रखने वाला मुर्तहिन ने राहिन पर की हो जब कि पहिले मुर्तहिन को कब्जा अजरूय रहननामा मिला हो मगर पीछे से वह बेदखल कर दिया गया हो, मुताबिक मद १४२ या १४४ जैसी कि सूरत हो चल सकेगी, मद

न० १३५ वैसी नालिश में लागू न होगा-(नागपूर ला रि. जिल्द ९ सफा १७१)

मद १३६—नालिश खरीदार बै खानगी [आपसी] की तरफ से वास्ते कब्जा जायदाद गैरमनकूला बेंची हुई के जिस हालत में कि तारीख बै को बेंचने वाला बेदखल रहा हो—बारा साल—उस तारीख से कि जब बेचने वाला अव्वल मर्तबा कब्जा पाने का हकदार हो जावे.

तशरीह—बै खानगी का खरीदार अपने खरीद की तारीख से मियाद नहीं शुमार कर सक्ता है, क्योंकि जो मियाद बिनाय मुखासमत के वास्ते मुकर्रर है वह बजरिये इन्तकाल हक बढ़ नहीं सक्ती है-[बी रि जिल्द ४ सफा ३७ वो ३९]-मियाद उस तारीख से शुरू होती है कि जब जायदाद गैरमनकूला के बेंचने वाले को नालिश करने का इस्तेहकाक पैदा हो जावे-[बी. रि जिल्द ३ सफा १७६]—

मद १३६ ऐसी नालिशों में लागू होगा कि जो खानगी खरीदारान की तरफ से ऐसे तीसरे शख्सों पर दायर की जावे जो काबिज जायदाद हों, ऐसे शख्सों के हक में मियाद उसी तरह पर जारी रहेगी कि जैसे वह बमुकाबले मालिक याने बेंचने वाला जायदाद के मुकाबले में जारी रहती-(इ. ला रि बम्बई जिल्द १५ सफा २६४ लछमन-बनाम-बिसूसिंग).

मद १३६ के बमूजिब ऐसी नालिशों की मियाद शुमार की जावगी कि जिन में बै करने के वक्त बेंचने वाला बेंची हुई जायदाद का कबजा पाने का हकदार न हो और इस वजह से कबजे की नालिश उस वक्त तक मुल्तवी रहेगी कि जब तक किसी तीसरे शख्स के इस्तेहकाक का सलसिला खतम कबजा जायदाद मजकूर के न हो जावे—लेकिन यह मद ऐसे शख्स की नालिश में लागू न होगा जिस ने खानगी बै में किसी खरीदार नीलाम के पास से जायदाद मोलली हो सिर्फ इस वजह से कि खरीदार नीलाम खरीद की हुई जायदाद का कबजा पाने का हकदार उस वक्त तक न होगा कि जब तक नीलाम मन्जूर न हो जावे-(इ. ला रि. मद्रास जिल्द १४ सफा ३३१)

जब मदयून डिक्री, नीलाम इजराय डिक्री की तारीख के नीलाम शुदा

जायदाद पर काबिज़ हो तो जो शख्स ऐसे खरीदार नीलाम के पास से वही जायदाद बजरिये बै खानगी खरीद करे और इस खरीदार नीलाम ने बाजाब्ता अदालत से खरीद की हुई जायदाद का कब्जा न पाया हो, तो ऐसी हालत में वह शख्स इस मद का फायदा न उठा सकेगा—जो नालिश खरीदार खानगी की तरफ से मदयून डिक्री पर दायर की जावे वह उस हालत में बेरू मियाद हो जावेगी कि जब खरीदार अदालत नीलाम की नालिश बमूजिब मद १३८ के मियाद के बाहर समझी जावे—(इ. ला रि मद्रास जिल्द १८ सफा १४४)

जब कोई बेचने वाला किसी तीसरे शख्स की तरफ से बिक्री की तारीख के पहले बेदखल कर दिया जावे तो जो नालिश मोल लेने वाले की तरफ से ऐसे तीसरे शख्स के ऊपर दायर की जावे उस में मद १४२ लागू होगा (इ ला. रि बम्बई जिल्द १६ सफा ३४३ काशीनाथ--बनाम- शिरीधर)

मद न १३६ में यह उसूल बतलाया गया है कि जब जायदाद के बेचने वाले का कबजा बेचने के वक्त जायदाद पर न हो और खरीदार ने वह जायदाद खानगी नीलाम खरीदी हो तो ऐसे खरीदार की हैसियत बेचने वाले की हैसियत से बढ़कर न होगी और उस को अपनी नालिश उसी मियाद के अन्दर दायर करना होगा जो बेचने वाले के लिये मुकर्रर है (इ ला. रि बम्बई जिल्द २५ सफा २७५)—बिनाय दावा की मियाद सिर्फ हक के इन्तकाल करने से नहीं बढ सक्ती है (मुर्से इंडियन अपील जिल्द ७ सफा ३२३)—(३५३) जब कि वैसा हक बेचने वालों ने लगातार एक के बाद दूसरे ने मुन्तकिल किया हो और उन में से किसी का कबजा जायदाद पर न रहा हो—मद न १३६ का मतलब इस तरह निकाल सक्ते हैं कि उस में जो लफ्ज " बेचने वाला " का आया है उस में मिन जुमले उन बेचने वालों के सब से पहला बेचने वाला दाखल हो सक्ता है जो कबजा पाने की नालिश दायर करने का हक रखता था—जब किसी शख्स ने जायदाद ऐसे शख्स से खरीदी हो जिस ने उसे ऐसे तीसरे शख्स से खरीदा था जिसका कब्जा बेचते वक्त न था और कबजा भी बेचने वाले ने खरीदार को न दिया तो ऐसी सूरत में नालिश बेरू मियाद समझी जावेगी क्योंकि वह पहले बेचने वाले के बेदखल होने के १२ साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बाद दायर की गई, गो मुद्दई के बेचने वाले की खरीदी से १२ साल के अन्दर दायर की गई हो—

[...]के जिल्द २४ सफा २१६].

मद १३७- इसी तरह की नालिश मिन जानिब खरीदार [नील]ाम इजराय डिक्री के, जिस हाल में कि मदयून डिक्री व तारीख [नील]ाम बेदखल रहा हो—बारा साल—उस तारीख से कि जब [मद]यून डिक्री अव्वल मरतबा मुस्तहक कबजा का हो जावे.

तशरीह—मद १३६, १३७ वो १३८ में फर्क यह है कि मद १३६ [...] खरीदार जायदाद गैर मनकूला से ताल्लुक रखता है जिस ने जायदाद मजकूर [आप]सी बै में खरीदा हो, यानी इजराय डिक्री में जो अदालत के हुक्म से नीलाम होता [उ]स नीलाम में न खरीदा हो और खरीदार वैसी आपसी बै की खरीदी हुई जायदाद [के क]ब्जा पाने की नालिश करे और बेचने वाले का खुद कब्जा वैसी बेची हुई [जाय]दाद पर बेचते वक्त न रहा हो—मद १३७ वो १३८ में इजराय डिक्री में [अदा]लती नीलाम का जिक्र है, यानी खरीदार ने नीलाम में खरीदा हो, मगर मदयून [डिक्री] का कब्जा नीलाम के वक्त न रहा हो [मद १३७] या रहा हो (मद १३८)

इजराय डिक्री के वक्त नीलाम में जिस शख्स ने जायदाद खरीदी हो और उस [को क]ब्जा न मिला हो, तो वह नबरी नालिश वास्ते दिला पाने कब्जा के दायर [कर] सक्ता है, बशर्ते कि यह साबित किया जाय कि उस ने कारवाई इजराय डिक्री [में क]ब्जा पाने का प्रयत्न किया था मगर मगर उस का प्रयत्न निष्फल गया-(इ[...] [ला] रि. कलकत्ता जिल्द १२ सफा १६६).

अगर ऐसा प्रयत्न खरीदार की तरफ से नीलाम के बाद बारा साल तक [कब्ज]ा पाने के लिये न किया गया हो तो नबरी नालिश नहीं चल सकेगी—(क[...] [...]रि जि. १० सफा २५८)

"अलामती कब्जा" जैसा कि अफसर नाजिर का तरफ से बांस बगैरा गाड़ [कर] दिया जाता है, मियाद को फायदा नहीं पहुचा सकेगा—मियाद बचाने के लिये [खरी]दार को चाहिये कि दर असल कब्जा हासिल करे—अगर ऐसा कब्जा लेने [...] उस के साथ कोई रोक टोक या मुजाहिमत की जाये तो उस को दरखास्त [...]जिब मद न १६५ गुजराना चाहिये या नम्बरी नालिश दायर करना चाहिये— [...]. ला रि. कलकत्ता जि. ९ सफा ३३१)

तारीख २५ सितम्बर सन १८६७ ई० को असामिन ने अपनी अर्जी में लि[खा]

के हाथ बेचा, लेकिन अमरसिंग जमीन पर काबिज बना रहा—सन १८७४ ई० में जब कि बेनीसिंग जमीन मजकूर के कब्जा के बाहर था कल्लूसिंग ने उस डिक्री के इजराय में कि जो उस ने बेनीसिंग पर हासिल की थी, वही जमीन नीलाम में खरीद की—तारीख ९६ सितम्बर सन १८७९ ई० को कल्लूसिंग ने अमरसिंग पर उस जमीन का कब्जा दिला पाने की नालिश दायर की, लेकिन हाई कोर्ट की राय में यह नालिश बे रू मियाद समझी गई, क्योंकि उस तारीख से कि जब बेनीसिंग कब्जा पाने का हकदार हुआ दायरी नालिश तक बारा साल से जियादा का अरसा गुजर चुका था—(इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द ११ सफा २२९ अनन्द कुमारी—बनाम—अली जामिन)

मुद्दईयान ने तारीख २० नवम्बर सन १८९१ ई० को हकूक एक मुसम्मी शिवप्रसाद के खरीद जब कि वैसे हकूक मुद्दायलेहूम को छोड़ कर दूसरे गैर शख्सों के कब्जे में थे—कब्जा बाजाप्ता उनको तारीख २५ नवम्बर सन १८९२ ई० को दिया गया—मुद्दायलेहूम को कब्जा सन १८९७ ई० में उन के जुदा गाना हक की रू से न कि बहैसियत कायम मुकामान गैर शख्स मजकूर के मिला—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि नालिश बेरू मियाद नहीं है, मद न १३७ नालिश बमुकाबले तीसरे शख्स में लागू होता है न कि बमुकाबला मदयून डिक्री या उस के कायम मुकाम के—मद न १४२ लागू न होगा क्योंकि मुद्दईयान का कब्जा दर असल कभी नहीं रहा और न वे बेदखल किये गये—असल मे जो मद लागू होता है वह मद न. १४४ है जिस की रूसे मियाद उस वक्त से शुरू हुई जब कि मुद्दायलेहूम का कब्जा मुखालफाना हुआ—लफ्ज "मुद्दायलेहूम" में ऐसा शख्स भी दाखल है जिस के जरिये मुद्दायलेह पर नालिश दायर किये जाने का हक हासिल होता है—हाल के मुद्दायलेहूम ने अपना हक गैर शख्सों की पहली जमाअत के जरिये हासिल नहीं किया—और उनको यह हक नहीं है कि वे अपने कब्जे की मुद्दत में गैर शख्सों के कब्जे की मुद्दत को जोड़ सकें—(इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ३३ सफा २२४)

अगर किसी डिक्री जर लगान की इजराय में जायदाद नी[illegible] खरीदार ने खरीदी हो और मुद्दई ऐसे खरीदार के [illegible] रखने मुकाम की हैसियत से नालिश वास्ते पाने कब्जा [illegible]

करे, तो ऐसी नालिश, बशर्ते कि मदयून डिक्री का कब्जा नीलाम के वक्त न हो, बमूजिब मद नं० १३७ उस तारीख से १२ साल के अन्दर चल सकेगी—जब कि मदयून डिक्री कब्जा पाने का पहले पहल हकदार हुआ, और अगर नीलाम के वक्त मदयून डिक्री का कब्जा था तो नालिश बमूजिब मद नं० १३८ उस तारीख से २० साल के अन्दर चल सकेगी जब कि नीलाम कतई तौर पर मंजूर हुआ हो—इस बात की सबूती देना जिम्में मुद्दई होगा कि आया मदयून डिक्री का कब्जा नीलाम के वक्त था या नहीं और यह जिम्मेदारी सिर्फ यह साबित करने से दूर न होगी कि तारीख दायरी नालिश के पहिले १२ साल के अन्दर किसी वक्त भी उसका कब्जा था—खरीदार नीलाम का कब्जा जाप्ते के रू से गो मदयून डिक्री के खिलाफ कारआमद हो मगर अजनबी शख्स के मुकाबला में असरदार न होगा—(कलकत्ता ला. जरनल जिल्द १६ सफा २०६)—

मद १३८—इसी तरह की नालिश खरीदार नीलाम इजराय डिकरी की तरफ से जिस हाल में कि मदयून डिकरी नीलाम की तारीख को काबिज हो—बारा साल—उस तारीख से कि जब नीलाम कतई हो जावे—

तशरीह:—यह मद खरीदार के मुन्तकिल अलेह और खरीदार दोनों से ताल्लुक रखता है—(इ ला. रि मद्रास जिल्द १५ सफा ३३१)—

"तारीख नीलाम" से वह तारीख मुराद है कि जिस रोज सचमुच में जायदाद नीलाम की गई हो न कि वह तारीख कि जब वह नीलाम मंजूर किया जावे—(इ ला रि मद्रास जिल्द १७ सफा ८६)—

खरीदार नीलाम आराजी बसीगा इजराय डिकरी को [illegible] जायदाद का कब्जा अदालत की मारफत लेने की कोशिश करना चाहिये—(कलकत्ता ला. रि जिल्द १० सफा २५८ ललित कुमार-बनाम-[illegible])—लेकिन अगर वह एक मर्तबा अदालत की मारफत कब्जा पा लेवे तो [illegible] मद लागू न होगा—(इ. ला. रि बम्बई जिल्द १२ सफा ६७८ [illegible] बनाम-रामा)—लेकिन अगर खरीदार नीलाम को अदालत के [illegible] न दिलाया जावे तो वह कब्जा पाने की [illegible]

है–(इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द ६ सफा ६०२ ईश्वर प्रसाद–बनाम–जैनारायन)—

मुद्दायलेह के यहा एक जायदाद तीन बार रहन थी, मुद्दायलेह ने लगातार एक के बाद एक तीन नालिशें बजरिये उन रहननामों के दायर किया–दो डिकरी की इजराय में उस ने जायदाद मरहूना खुद तारीख २१ फरवरी सन १८६५ ई० को खरीद किया, और तारीख ७ सितम्बर सन १८६८ ई० को और फिर तारीख ३० जनवरी सन १८६६ ई० को उस को बाजाप्ता कब्जा दिया गया–तीसरी डिकरी की इजराय में जायदाद मजकूर मुद्दई ने तारीख २१ अपरेल सन १८६६ ई० को खरीद किया–यह नीलाम ता० १५ मई सन १८६९ ई० को मजूर हुवा- मुद्दई ने नालिश दखलयाबी जायदाद ता० १६ जून सन १६१० ई० में दायर किया इस ब्यान के साथ कि ता०१५ मई सन १८६६ ई० को उस को दरअसल कब्जा मिला था मगर वह जुलाई सन १८६६ ई० में बेदखल कर दिया गया था, मगर वह अपने ब्यान की सबूती नहीं दे सका ताकि उस की नालिश मद न० १४२ में दाखिल हो सके–तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि इस किस्म की नालिश में मद न० १३८ लागू होगा, न कि मद नं० १४४ और यह कि वह बेरूं मियाद है–(अलाहाबाद ला जरनल जिल्द १० सफा १३)—

मद न० १३८ सिर्फ ऐसी नालिशों में लागू होगा कि जिन में खरीदार नीलाम मुद्दई हो और मदयून डिकरी या दूसरा शख्स जो उस के जरिये दावा करता हो मुद्दायलेह हो–(अलाहाबाद ला. जरनल जिल्द ११ सफा ६४२)—

मद १३९—नालिश मालिक जमीन की तरफ से आसामी से कबजा ले लेने के लिये—बारा साल—उस तारीख से कि जब आसामी के दखल की मियाद जावे—

तशरीहः—यह मद सिर्फ उस गा जमीन
ऐसे शख्स के कबजे में हो जो मुद्दई का कोई
जमीन मालिक जमीन से किसी के
करार से न दी जावे- र्त पर दी

लोहार का काम करेगा, और इस खिदमत के बदले वह जमीन जोते, तो ऐसा जोतदार या कबजादार काश्तकार या आसामी न समझा जावेगा, बल्कि वह लेसन्सदार कहा जावेगा (इ ला रि मद्रास जि० १६ सफा ६७)—

जब कोई काश्तकार जमीन का काबिज बहेसियत काश्तकारी साल ब साल का होवे, और अगर उस को कोई अजनबी शख्स बेदखल कर देवे और ऐसा अजनबी शख्स जमीन मजकूर पर तारीख बेदखली से अपना दावा कतई तौर से बमुकाबले मालगुजार वो काश्तकार के करे तो मालगुजार पर लाजिम होगा कि वह अजनबी शख्स मजकूर को ऐसी बेदखली के बारा साल के अन्दर बेदखल करने की नालिश दायर करे, खास करके जब काश्तकार ने दायरी नालिश के पेशतर बारा साल से ज्यादा अर्से से जमीन छोड़ दी हो, ऐसी नालिश में बिनाय मुखासमत उस रोज से पैदा न होगी जब कि मालगुजार काश्तकार को जमीन छोड़ने का नोटिस देवे (इ के जि० १५ सफा १४६)—

मद १४०—नालिश बाबत कबजा जायदाद गैर मनकूला के मिनजानिब ऐसे शख्स के जिस को बाद खतम होने इस्तेहकाक किसी और शख्स के हक्कीयत मिलने वाली हो, या मिनजानिब उस शख्स के जिस पर हक्कीयत आइन्दा पहुंचने वाली हो (सिवाय जमींदार के) या मिनजानिब मुसी अलेह (यानी जिस के नाम वसीयत की गई हो)—बारा साल—उस तारीख से कि जब उस की हक्कीयत पर कबजा किया जाय—

तशरीहः—बमजब कानून धर्म शास्त्र किसी वसीयतनामा के वसीयत पाने वाले को, जायदाद का कबजा वसीयत करने वाले के मरने की तारीख का मिलता है, इस लिये ऐसी जायदाद गैरमनकूला का दावा कि जो मुर्दे को बजरिये वसीयत दी गई हो, उस तारीख से बारा साल के अन्दर पेश होना चाहिए [इ. ला रि कलकत्ता जि० १४ सफा ८०१] हालां कि वसीयतनामा में यह दर्ज हो कि वसीयत पाने वाले के सिवाय दूसरा कोई शख्स उस जायदाद का कुछ अर्से तक इन्तजाम करेगा (इ ला रि. कलकत्ता जि० १७ सफा २७२ करना-बनाम-पशुराम)—

मुल्क पंजाब में खानदानी जायदाद गैरमनकूला का विरासतन दने वाले

है–(इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द ६ सफा १०२ ईश्वर प्रसाद–बनाम–जैनारायन)—

मुद्दायलेह के यहा एक जायदाद तीन बार रहन थी, मुद्दायलेह ने लगातार एक के बाद एक तीन नालिशें बजरिये उन रहननामों के दायर किया–दो डिकरी की इजराय में उस ने जायदाद मरहूना खुद तारीख २१ फरवरी सन १८६५ ई० को खरीद किया, और तारीख ७ सितम्बर सन १८६८ ई० को और फिर तारीख ३० जनवरी सन १८६६ ई० को उस को बाजाप्ता कब्जा दिया गया–तीसरी डिकरी की इजराय में जायदाद मजकूर मुद्दई ने तारीख २१ अपरेल सन १८६६ ई० को खरीद किया–यह नीलाम ता० १५ मई सन १८६९ ई० को मजूर हुवा- मुद्दई ने नालिश दखलयाबी जायदाद ता० १६ जून सन १९१० ई० में दायर किया इस ब्यान के साथ कि ता० १५ मई सन १८६६ ई० को उस को दरअसल कब्जा मिला था मगर वह जुलाई सन १८६६ ई० में बेदखल कर दिया गया था, मगर वह अपने ब्यान की सबूती नहीं दे सका ताकि उस की नालिश मद न० १४२ में दाखिल हो सके–तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि इस किस्म की नालिश में मद न० १३८ लागू होगा, न कि मद न० १४४ और यह कि वह बेरू मियाद है–(अलाहाबाद ला जरनल जिल्द १० सफा १३)—

मद न० १३८ सिर्फ ऐसी नालिशों में लागू होगा कि जिन में खरीदार नीलाम मुद्दई हो और मदयून डिकरी या दूसरा शख्स जो उस के जरिये दावा करता हो मुद्दायलेह हो–(अलाहाबाद ला. जरनल जिल्द ११ सफा ६४२)—

मद १३६—नालिश मालिक जमीन की तरफ से आसामी से कबजा ले लेने के लिये—बारा साल—उस तारीख से कि जब आसामी के दखल की मियाद खतम हो जावे—

तशरीह:—यह मद सिर्फ उस हालत में लागू होगा, कि जब जमीन ऐसे शख्स के कबजे में हो जो मुद्दई का किसान याने आसामी हो—जब कोई जमीन मालिक जमीन की तरफ से किसी शख्स को जर लगान अदा करने के करार से न दी जावे बलकि इस शर्त पर दी जावे कि वह मालगुजार के वास्ते

हार का काम करेगा, और इस खिदमत के बदले वह जमीन जोते, तो ऐसा तदार या कबजादार काश्तकार या आसामी न समझा जावेगा, बल्कि वह सन्सदार कहा जावेगा (इ ला रि मद्राम जि० १६ सफा ६७)—

जब कोई काश्तकार जमीन का काबिज बहैसियत काश्तकारी साल ब साल का वे, और अगर उस को कोइ अजनबी शख्स बेदखल कर देवे और ऐसा अजनबी शख्स मीन मजकूर पर तारीख बेदखली से अपना दावा कतई तौर से बमुकाबले मालगुजार काश्तकार के करे तो मालगुजार पर लाजिम होगा कि वह अजनबी शख्स मजकूर ऐसी बेदखली के बारा साल के अन्दर बेदखल करने की नालिश दायर करे, स करके जब काश्तकार ने दायरी नालिश के पेश्तर बारा साल से ज्यादा सै से जमीन छोड दी हो, ऐसी नालिश में मियाद मुखासमत उस रोज से ा न होगी जब कि मालगुजार काश्तकार को जमीन छोड़ने का नोटिस देवे इ के जि० १५ सफा १४६)—

मद १४०—नालिश बाबत कबजा जायदाद गैर मनकूला मिनजानिब ऐसे शख्स के जिस को बाद खतम होने इस्तेहकाक किसी और शख्स के हक्कीयत मिलने वाली हो, या मिनजानिब स शख्स के जिस पर हक्कीयत आइन्दा पहुंचने वाली हो सिवाय जमींदार के) या मिनजानिब मुसी अलेह (यानी जिस नाम वसीयत की गई हो)—बारा साल—उस तारीख से के जब उस की हक्कीयत पर कबजा किया जाय—

तशरीहः—अजरूय कानून धर्म शास्त्र किसी वसीयतनामा के वसीयत ने वाले को, जायदाद का कबजा वसीयत करने वाले के मरने की तारीख को मिलता इस लिये ऐसी जायदाद गैरमनकूला का दावा कि जो मुद्दई को बजरिये वसीयत गई हो, उस तारीख से बारा साल के अन्दर पेश होना चाहिये [इ. ला रि लकत्ता जि० १४ सफा ८०१] हाला कि वसीयतनामा में यह शर्त हो कि सीयत पाने वाले के सिवाय दूसरा कोई शख्स उस जायदाद का कुछ ... तजाम करेगा (इ ला रि. कलकत्ता जि० १७ सफा २७२ करना-बनाम- राम)—

मुल्क पंजाब में खानदानी जायदाद गैरमनकूला का विरासत पाने वाला

ा उस के बेटे डोमन ने —डोमन की बेवा ने भी कोई दावा नहीं किया, और वह सन १६०७ ई० में मर गई—उस के मरने के बाद मुद्दई हकदार हुआ, और उसने दखलयाबी की नालिश दायर किया—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई, कि मुद्दई को हक नालिश डोमन की बेवा के मरने के बाद हासिल हुआ, इस लिये नालिश बेरू मियाद नहीं है—(इ के जिल्द १७ सफा ५०३)

मद न. १४० सिर्फ ऐसे मामले में लागू होगा जब कि वारिस बहैसियत वारिस कामिल के जायदाद की विरासत पावे, न कि ऐसे मामलों में कि विरासत पाकर वह सिर्फ किसी दूसरे शख्स के लिये हीन हयाती हक पैदा करे—(इ. के जि २२ सफा ८५५)—

मद १४१—इसी तरह की नालिश शख्स हिन्दू या मुसलमान की तरफ से जो मुस्तेहक कबजा जायदाद गैरमनकूला का किसी हिन्दू या मुसलमान औरत के मरने पर हो—बारा साल--उस तारीख से कि जब औरत मर जाय.

तशरीह—यह मद ऐसी नालिशों में लागू होगा जो वारिस मायाद की तरफ से यानी ऐसे शख्स की तरफ से दायर की जावे जिस का हक जायदाद पर वारिस हाल के मरने के बाद पहुंचता हो वैसी जायदाद की दखलयाबी के बारे जिस को किसी हिन्दू बेवा ने मुन्तकिल किया हो—(कलकत्ता ला जरनल जिल्द ६ सफा ४००).

मद न. १४१ न कि मद न. ९१ उस वक्त लागू होगा जब कि वारिस मावाद बेवा के मरने के बाद, मुन्तकिल अलेह से कबजा दिला पाने की नालिश दायर करे (नागपूर ला रि. जिल्द ३ सफा ३५)—और उस को बेवा के हाथ से किये हुये बैनामा या रहननामा को मनसूख कराने की जरूरत न होगी—(नागपूर ला रि. जिल्द ३ सफा ३५)

सन १८४६ ई० में एक बेवा ने बजरिये इकरारनामा [illegible] अपने शौहर मुतवफ्फी मुसम्मी लछमन की जायदाद अपने बहनोई के सिपुर्द करदी—यह बेवा सन १८७८ ई० में मर गई—माह मार्च सन १८७६ ई० में लछमन के [illegible] की तरफ से एक नालिश बाबत दिलाने कबजा उस जायदाद के जो उस के [illegible]

वारिस या दीगर वारिस जायदाद मजकूर पर अपना हक, असली यानी एक ही बुज़ुर्ग (बाप दादे) के जरिये हासिल करता है जो वैसी जायदाद छोड़ कर मरा हो, न कि अखीरी काबिज जायदाद से—इस लिये अगर ऐसा अखीरी काबिज, जायदाद को मुन्तकिल करे तो वैसे काबिज के औलाद नरीना या दीगर वारसान का हक बाबत मंसूखी इन्तकाल जायदाद या बाबत दायरी नालिश निसबत दखलयाबी जायदाद, स्टेट के अखीरी काबिज के जरिये नहीं पहुंचेगा—किसी खानदानी काश्तकारी जमीन का अखीरी मालिक (नरीना) अपनी बेवा वो मा छोड़ कर मरा—बेवा ने जमीन के कुछ हिस्से को बगैर जायज जरूरत के मुन्तकिल किया, और मुन्तकिल अलेह का कब्जा करा दिया, और वह सन १८७६ ई० में मर गई—मा सन १८९२ ई० में मरी—सब से करीबी वारिस जो उस इन्तकाल नामा को रद्द करा सक्ता था सन १९०३ ई० में बगैर उजर करने या मन्जूर करने इन्तकालनामा मजकूर के मरा—सन १९०९ ई० में दूरी वारसान ने मुन्तकिल अलेह के वारसान पर दखलयाबी जमीन की नालिश दायर किया—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई:—कि (१) मद न. १४० वो मद न १४१ दावा मुद्दई को लागू नहीं होते, क्योंकि मुद्दईयान खुद कबजा पाने के हकदार उस वक्त नहीं थे, जब कि मा सन १८९२ ई० में मरी और न स्टेट उस वक्त कबजे में आई, और यह कि इन दो मदों की गरज के लिये सिर्फ उस से करीबी वारिस ही ऐसा शख्स हो सक्ता था कि जो मा के मरने पर कबजा पाने का दावा कर सक्ता था, (२) यह कि मुद्दई का हक निसबत नालिश दखलयाबी बतौर ऐसे हक जुदागाना वो स्वतंत्र के है जो कि करीबी वारिस मावाद से या उस के जरिये हासिल नहीं हुआ वो उस का दावा वास्ते कबजा नहीं पहुंच सक्ता था, जब तक कि करीबी वारिस सन १९०३ में नहीं मरा इस लिये उस के दावा में कबजा मुखालफाना से कोई असर नहीं पड़ सक्ता, पस नालिश मुद्दई बमूजिब दफा १४४ अन्दर मियाद है—(इ के. जिल्द ९ सफा १००)

नारायनसिंग के मरने पर उस की बेवा मुसम्मात सारजी बाई के कब्जे में नारायनसिंग की जमीन, जिस के बारे में नालिश हुई, आई थी, मुसम्मात सारजी ने जमीन मजकूर सन १८९० ई० में बेच डाली—सारजी के मरने पर मुसम्मी हीरालाल जमीन पर दावा करने का हकदार था, उसने खुद दावा नहीं किया और

की जायदाद में मुद्दायलेहुम का यह उजूर था कि उन का यह दावा बेरू मियाद हो गया क्योंकि उन की मा तारीख २२ जन्वरी सन १८७३ ई० को फौत हुई और नालिश तारीख २१ जनवरी सन १८८५ ई० को दायर की गई--अदालत मातहत ने यह तजवीज करके नालिश मुद्दई अजरूय मद १४१ एक्ट मियाद खारिज की कि मुद्दईयान की मा तारीख २२ जनवरी सन १८७३ ई० को फौत हुई--लेकिन हाई कोर्ट ने यह तजवीज की कि मद १४१ जमीमा २ एक्ट मियाद ऐसी नालिश में लागू न होगा जो कानूनी वारिस की तरफ से इस हैसियत पर जायदाद गैरमनकूला के कबजा पाने की गरज से दायर की जावे--बलकि मद मजकूर ऐसी नालिश से मुताल्लुक होगा कि जो किसी हिन्दू या मुसलमान की जानिब से दायर की जावे; और ऐसा शख्स किसी औरत के मरने के पेश्तर हैसियत वारिस मावाद या मुन्तकिल अलेह की रखता हो और औरत मजकूर की मौत पर उस हैसियत से नालिशी हो (इ ला रि इलाहबाद जिल्द १० सफा २४३ हशमत बेगम--बनाम--मजहर बेगम)

मुद्दई ने सन १८७७ ई० में अपने नाना की जायदाद का एक हिस्सा के कब्जा की नालिश की--उसका नाना करीब सन १८४५ ई० में नीचे लिखे वारिसान छोड़ कर फौत हुआ --[१] एक बेवा औरत जो जायदाद की वारिस होकर सन १८४६ ई० में मर गई, [२] बेवा मजकूर से उस की बेटी जिस ने कुल जायदाद मा के मरने के बाद लेकर मुद्दायलेहुम के नाम सन १८५० ई० में मुन्तकिल करदी और यह यानी बेटी नालिश दायर होने के पहिले ही मर गई, [३] मुद्दई की मा जो दूसरी औरत से उस की बेटी थी-मुद्दई की मां ने इस जायदाद में कोई दावी नहीं किया और वह सन १८८३ ई० में मरी--तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि नालिश मुद्दई बे रू मियाद नहीं है-- (इ. ला. रि. मद्रास जिल्द १३ सफा ५१२)--

एक शख्स मुसम्मी रामलाल अपना बेटा गंगाराम और अपनी बेवा जानकी बाई को छोड़ कर मरा--रामलाल के मरने पर गंगाराम, रामलाल की जायदाद का वारिस हुआ और बाद में अपनी बेवा सखुबा बाई जिन्दा छोड़ कर फौत हुआ-- बेवा यानी सखुबा बाई अपने भाई के साथ रहती थी--लेकिन कुल जायदाद रामलाल की बेवा जानकी बाई के कब्जे में रही--सन १८९२ ई० में जानकी

की मिलकियत थी, चद खरीदारान जायदाद मजकूर पर दायर की गई—तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि ऐसे वारिसों की तरफ से यह नालिश अजरूय मद १४१ एक्ट न १५ सन १८७७ ई० के बेरू मियाद न समझी जावेगी, क्योंकि बारा साल से जियादा अरसा तक कबजा जायदाद पर मुखालिफ बेवा के नहीं रहा और जो विनाय मुखालफ बेवा को हासिल थी वह उस वक्त जाती रही कि जब उसने सन १८४६ ई० में इकरारनामा लिखकर जायदाद में अपना कुल हक छोड़ दिया—(इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द ८ सफा ४४२)

अजरूय मद न. १४१ जमीमा २ एक्ट न १५ सन १८७७ ई० जो वारिस जायदाद गैरमनकूला विरासतन पावे उस को कबजा की नालिश दायर करने के लिये उस वक्त से बारा साल की मियाद मिलेगी कि जब वह जायदाद के कबजा पाने का हकदार हो जावे—(इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द ९ सफा ९३४)

एक नालिश किसी बेवा के मरने पर उसके वारिस माबाद की तरफ से वास्ते पाने कबजा जायदाद गैरमनकूला के तारीख २१ अगस्त सन १८७१ ई० को दायर की गई, और यह बेवा तारीख २८ अगस्त सन १८६७ ई० को फौत हुई—सन १८६४ ई० में मुद्दायलेह ने बेवा मजकूर को उस की जायदाद से जबरन बेदखल कर दिया था और उसी तारीख से वह काबिज रहा—तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि अजरूय मद १४१ जमीमा २ एक्ट मियाद न. १५ सन १८७७ ई० के वारिस माबाद को बेवा की मरने की तारीख से नई मियाद मिलेगी, हाला कि बमुकाबले बेवा मियाद का दौड़ शुरू हो गया था—(कलकत्ता ला रि. जिल्द १२ सफा ५४८).

जब अजरूय धर्म सास्त्र कोई मा अपने बेटे की जायदाद बहैसियत वारिस के पावे और उस का यह हक बवजह कबजा मुखालिफ काबिल गैर समाअत हो जावे, तो उस के बेटे के वारिस माबाद को जायदाद मजकूर के कबजा पाने की नालिश के लिये उस वक्त से बारा साल की मियाद मिलेगी—(इ ला रि. कलकत्ता जिल्द ११ सफा ७२१)—मुद्दईयान ने अपने मा बाप के जायदाद के हिस्से की नालिश दायर की—मुद्दायलेहून की फेहरिस्त में भाई, बहन वो मुद्दईयान की सौतेली मा शामिल थी—निस्बत दावा मुद्दईयान बाबत हिस्सा मा

मरा, और जब उस की दोनों बेवायें मर गईं तो जायदाद बहू के कब्जे में आई और बहू १२ साल से ज्यादा अरसा तक काबिज बनी रही, और वारिस माल यो बहू के दरमियान में ऐसा कोई ठहराव नहीं हुवा कि बहू का हक सिर्फ हीन हयाती होगा—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि नालिश वारसान मीयाद के अन्दर मियाद है, क्योंकि उन का बिनाय दावा उस वक्त से शुरू हुवा जब कि उन दोनों बेवाओं में से अखीरी बेवा फौत हुई (अलाहबाद ला जरनल जिल्द ८ सफा-५७).

मुद्दई को सिर्फ खुद अपने ब्यान से यह साबित करना चाहिये कि उस का दावा अन्दर मियाद है—उस को मुद्दायलेह के किसी ब्यान से फायदा उठाने का मौका नहीं दिया जा सक्ता इस बात के जाहिर करने के लिये कि उस का दावा बेरूं मियाद नहीं है (पंजाब ला रि, सफा २१८ सन १९११)

मद १४१ को लागू करने के लिये यह साबित करना जरूर नहीं है कि अखीरी मालिक [नरीना] को बेवा के मरने के बाद किन २ शख्सों का कब्जा था, सिर्फ बेवा के मरने के बाद मियाद का दौड़ खिलाफ दूसरे वारिस के शुरू हो जाता है, गो ऐसा दूसरा वारिस अखीरी मालिक नरीना की खुद लड़की ही हो (अलाहाबाद ला जरनल जि. ११ सफा ३३३)—

मद न. १४१ नालिशात वारसान मावाद में सिर्फ ऐसी सूरतों में लागू होगा, जब कि वैसा वारिस औरत के मरने पर जायदाद गैर मनकूला के कब्जा पाने का हकदार होवे—जब बेवा के मरने के वक्त जायदाद किसी कब्जा रहन वाले मुर्तहन के कब्जे में होवे और मुद्दायलेह ने मदाखलत कर के दायरी नालिश के पेश्तर १२ साल के अन्दर इन्फिकाक कराके जायदाद अपने कब्जे में लाया हो, तो ऐसी सूरत में मद न १४१ लागू न होगा बल्कि मद न. १४४—अगर बेवा के मरने के बाद १२ साल के अन्दर नालिश दायर न की जावे तो फिर वारिस मावाद बेवा के हाथ का किया हुवा रहन पर किसी तरह का उजर करने का हकदार न होगा (अलाहाबाद ला जरनल जि. ११ सफा १८२)

जब किसी हिन्दू की दो लड़कियों को जायदाद बाप के मरने पर मिली हो, और उन में से एक लड़की मर जाय तो दूसरी लड़की का हक [illegible] जायदाद पर बतौर वैसे हक के न समझा जायगा, कि जिस [illegible]

बाई ने जायदाद मजकूर मुद्दायलेहुम को बेंच दी जिन्हों ने उसी वक्त उस पर अपना कब्जा किया—सन १८७४ ई० में जानकी बाई मरी—और उस के पीछे सखया बाई मरी-सन १८८६ ई० में मुद्दई ने बहैसियत वारिस मावाद उस इतकाल नामा के मसूखी की नालिश दायर की जो जानकी ने सन १८६२ ई० में मुद्दायलेहुम के हक में किया था—तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि नालिश मुद्दई बेरू मियाद है—सखया के जीते जी जानकी और उस के मुन्तकिल अलेह का बारा साल से ज्यादा अरसे तक कब्जा मुखालिफ सिर्फ सखया ही के दावा की रूकावट नहीं करेगा, बल्कि उस के मरने के बाद वारिसान जानशीनी के दावी को भी रोकेगा—(इ ला. रि बम्बई जिल्द १४ सफा ३१७).

तारीख २ दिसम्बर सन १८८६ ई० को अमरासिंग ने कुछ जमीन बजरिये रहन सादा बेनीसिंग के पास रहन कर दिया, और कबजा राहिन का रहा—अमरसिंग सन १८८७ ई० को मरा और उस के मरने के बाद ता० ७ नोम्बर सन १८८६ ई० को अमरासिंग की बेवा ने जमीन मरहूना बेनीसिंग को बै कर दिया, और बदल के कुछ हिस्से में वह रूप्या था जो अमरसिंग के रहन पर देना वाजिब था—बेनीसिंग को कब्जा बजरिये बैनामा मिल गया—अमरसिंग की बेवा सन १६०१ ई० के अखीर में मरी—ता० ३ अक्टूबर सन १६०३ ई० को मुद्दई ने बहैसियत वारिस मावाद अमरासिंग के नालिश दखलयाबी जमीन जो बेवा ने बै की थी इस बिना पर दायर किया कि बै बगैर जरूरत था—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि ऐसी नालिश में मद न १४१ लागू होगा और यह कि नालिश अन्दर मियाद है—अमरसिंग के सिर्फ रहन करने से बेनीसिंग को कब्जा करने का हक नहीं पहुचा—हक कब्जा बेनीसिंग को असली बजरिये उस बैनामा के पहुचा जो कि बेवा ने उस को कर दिया था- यह भी तजवीज करार पाई कि खाविन्द का रहननामा बेवा के बैनामे में (जज्ब) शामिल हुवा नहीं समझा जा सक्ता (प रि. नबर २३ सन १९११ ई०)

एक बटा हुवा (याने अलेहदा) हिन्दू अपनी दो बेवा यो एक बहू यो एक बेटे की बेवा, जो बेटा कि बाप के मरने के पाहिले ही मर गया था, छोड़ कर

मुद्दायलेह का) कबजा बतौर मुखालफाना न था जैसा कि उस को मद न १४४ में साबित करना पड़ेगा—(इ ला कलकत्ता जि. १७ सफा १३७ प्रिवी कौंसिल).

जो नालिश इस मद के मुताबिक दायर की जावे उस में मुद्दई को यह साबित करना चाहिये कि वह तारीख दायरी नालिश के पेश्तर बारा साल के भीतर जायदाद गैर मनकूला पर काबिज था और वेदखल किया गया—(इ ला. रि. कलकत्ता जिल्द ६ सफा ७४४ मोहम्मद अली—बनाम—अब्दुलगनी)—

एक मुकदमा में अमरसिंग ने, जो कुछ पड़ी हुई बजर जमीन का मालिक था, जमीन को मुद्दई के हाथ सन १८८१ ई० में बेंच डाला मुद्दायले उस वक्त उस जमीन पर काबिज था लेकिन उस ने सन १८६२ ई० में जमीन मजकूर में अमरसिंग के इस्तहकाक को तसलीम किया था, उस वक्त वह, यानि मुद्दायले उस जमीन पर काबिज न था—तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि मुद्दई को यह साबित करना लाजिम नहीं था कि नालिश दायर किये जाने के पहिले बारा साल के भीतर उसका बेचने वाला बेची हुई जमीन पर काबिज था, बल्कि मुद्दायलेह को यह साबित करना चाहिये था कि उस ने कब्जा मुखालिफ कब लिया (पंजाब रिकार्ड नम्बर ४९ सन १८८४ ई० मुहम्मद—बनाम—गोधर)—

लफ्ज "बेदखली" से मुराद यह है कि जब किसी जायदाद को, कि जो कब्जा में लिये जाने के काबिल हो, कोई दूसरा शख्स अपने कब्जा में दरअसल कर लेवे, लेकिन जब कोई जायदाद ईश्वर की मरजी से इस तरह पर डूब जाये कि वह किसी शख्स के कब्जा में रहने के काबिल न हो तो ऐसी हालत में उस जायदाद की निस्बत बेदखली न कही जावेगी—(देखो तजवीज पुाईट साहेब जस्टिस की मुकदमा इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द ६ सफा ७३६ काली चरन—बनाम—सेक्रेटरी आफ स्टेट)—जब किसी जमीन का कब्जा उठा ले लिया जावे और थोड़े ही अरसा बाद वह शख्स उस जमीन से बेदखल किया जाय तो ऐसी हालत में शख्स मजकूर का कब्जा लेना और उसका बेदखल किया जाना नहीं समझा जावेगा और इस लिये यह मद भी ऐसी सूरत में लागू न होगा—(कलकत्ता ला रि जिल्द १२ सफा ५८ [illegible] अब्दुलगफूर)—जब कोई मुद्दायलेह उन आम से

१४१ में है—जब दोनों लड़कियां का कबजा जायदाद बाप पर १२ साल से ज्यादा अरसा तक न रहा हो और उन में से एक के मरने के बाद दूसरे को कबजा किसी जरिये से मिला हो, तो ऐसी सूरत में उस का कबजा खिलाफ ऐसे शख्स के कायम नहीं रह सक्ता जिस का हक व वजह कबजा मुखालफाना १२ साल तक जायदाद पर पहुच गया, और न उस लड़की का हक कायम रहेगा जो मर गई और जिस का हक बची हुई लड़की को बजरिये बाकी मादगी, न कि बजरिये विरासत, पहुचा—(कलकत्ता वी नो. जि. १८ सफा ९०४).

मद न १४१ ऐसी बेवा को लागू न होगा जिस का कबजा जायदाद पर इस वजह से न हो कि वह क़ानून की रू से विरासत पाने का हीन हयाती हक रखती है, बल्कि इस वजह से हो कि उस ने मदाखलत बेजा की हो या कि वह मूसी अलेह हो यानी वसीयत करने वाले ने वसीयत उस के नाम से हो (इ. के जि. २२ सफा ८५५)

मुतवफ्फी शख्स ने कुछ जायदाद रहन किया, उस के मरने के बाद उस की बेवा ने हक इन्फिकाक रहन मुर्तहन के नाम मुन्तकिल किया—मुर्तहन ने जायदाद को बेच दिया, तो ऐसी जायदाद पर वरिस माबाद की नालिश दखलयाबी में मद न. १४१ लागू होगा, न कि मद न. १३४, क्योंकि यह साफ जाहिर है कि बेंचने के वक्त बेचने वाले को सिवाय अपने रहन के, हक इन्फिकाक रहन भी हासिल था (मद्रास वी नोट सफा ७५५ सन १९१४ ई०).

मद १४२—नालिश वास्ते कबजा जायदाद गैर मनकूला के जब कि मुदई ब हालत कबजा जायदाद, बेदखल किया गया हो, या उस का कबजा मौकूफ हो गया हो,—बारा साल—तारीख बेदखली या मौकूफी कबजा से—

तशरीह:—मद १४२ वो १४४ में फर्क यह है कि मद न १४४ उस सूरत में लागू होगा जब कि वैसी नालिश में कोई दूसरा मद खास तौर से लागू न होता हो—अगर दावी मुदई मद १४२ के अहकाम में दाखिल होता हो तो मुदाय्लेह इस बात को साबित करने पर जीतेगा कि मुदई की बेदखली उस वक्त अमल में आई या उस का कबजा उस वक्त मौकूफ हुआ जब कि वह काबिज जायदाद था—मुदायलेह को यह साबित करना जरूर न होगा कि उस का, (यानी

जो नालिश मुद्दई की तरफ से ऐसी जमीन का कब्जा पाने की गरज से दायर की जावे कि जिस्का कब्जा मुद्दायलेह ने उस शर्तिया बै की रू से ले लिया हो जो मुद्दई की मा ने उसकी नाबालगी की हालत में नाजायज तौर से कर दिया था तो उसमें मद १४२ लागू होगा---(इ ला, रि बम्बई जि १४ सफा २७६ भगवत–बनाम–कोडी).

नालिश बाबत हिस्सा जायदाद खानदानी में, कि जिससे मुद्दई बेदखल किया गया हो, मद १४२ लागू होगा—(इ ला रि बम्बई जि ७ सफा २१७ हन्सजी– बनाम– बल्लभ)—

अगर कोई काश्तकार मौरूसी अपने खेत मौरूसी से मालगुजार की तरफ से बेदखल कर दिया गया हो तो वैसे काश्तकार की नालिश दखलयाबी की मियाद तारीख बेदखली से १२ साल के बमूजिब मद न १४२ होगी (इ , के जि. ११ सफा ५२१)—

मदयूनडिग्री की नालिश बमूजिब आर्डर न २१ कायदा ६३ मजमूआ जाब्ता दीवानी वास्ते इस्तकरार हक कि झगड़े वाली जमीन का मालिक मदयूनडिग्री है बमूजिब मद न १४१, न कि मद न १४४, के दायर होगी गो मदयूनडिग्री का कब्जा दायरी नालिश के पेश्तर १२ साल तक न भी रहा हो (इ ला रि बम्बई जि ३५ सफा ७६)—जबकि एक शामलाती काश्तकार का कब्जा मौजूद है तो क्यास यह किया जावेगा कि उसके दूसरे शरीकदार काश्तकार का भी कब्जा है, गो बेदखली या कब्जा के बन्द हो जाने से नालिश मद न १४२ में दाखल हो सकेगी, ताहम शामलाती काश्तकारी नालिश दखलयाबी में मुद्दायलेह शामिल शरीक काश्तकार के कब्जे का, जो क्यास पैदा होता है उसमें इस बात के साबित करने का बोझा जिम्मे मुद्दायलेह होगा कि मुद्दई का शामलाती कब्जा उसके अलेहदा होने की वजह से बन्द हो गया—अगर जमीन का मुनाफा सिर्फ एकही शरीकदार काश्तकार अपने आप अकेला बहोत अरसे से लेता रहा हो और दूसरे शरीकदार ने उसमें से अपना हिस्सा लेने का हक या दावा कभी न किया हो तो इससे यह बात जाहर होगी कि उस दूसरे शरीकदार [illegible] नहीं है और यह अलेहदा हो गया है–(इ. के जि० १० सफा ५५४)—

[illegible] १४४ का फैसला मद न १४२ से ज्यादा है मद न. १४२

मुद्दई दावी करता हो इकट्ठा करके उठा ले जावे तो इससे मुद्दई की बेदखल पाई जावेगी और दरख्तान मजकूर के कब्जा दिला पाने की नालिश ऐसे बेदखली की तारीख से बारा साल के अन्दर दायर होना चाहिये—(देखो बम्ब हाई कोर्ट के छपे हुए फैसलेजात बावत सन १८९१ ई० सफा १२१ बापू-बनाम—ढोंडी)—

जब कोई जमीन खाली पड़ी रहे और उसका मालिक बहुत दूर के फासले पर रहता तो ऐसा हालत में उस जमीन से मालिक की बेदखली न पाई जावेगी—(पंजाब रिकार्ड नम्बर ४९ सन १८८४ ई०)—जब कोई शख्स दीगर लोगों के बरखिलाफ की डिक्री के इजराय में नीलाम के जरिये से बेदखल किया जाय और कोई हुक्म सरसरी इस मजमून का न सादिर किया गया हो कि यह जमीन ऐसी डिक्री के इजराय में काबिल नीलाम है तो ऐसी हालत में जो फरीक बेदखल किया गया है वह तारीख बेदखली से बारा साल के अन्दर दखलयाबी की नालिश दायर कर सक्ता है—(बी रि जिल्द ७ सफा ५५९, वो जिल्द २० सफा १६५)—

मुद्दईयान ने, जो बाज जमीन के मालिक थे, उसकी जमा मालगुजारी पटाने का माहदा करने से इंकार किये, इस बजह से मुद्दायलेहूम के साथ यह माहदा किया गया और उन को जमीन मजकूर का कब्जा भी दिया गया—तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई, कि हस्व मनशाय मद हाजा मुद्दईयान की बेदखली वकूअ में आई और मुद्दई के नालिश की मियाद उस तारीख से शुरू होगी कि जब मुद्दायलेहूम को उस जमीन का कब्जा दिया गया—(इ ला. रि., कलकत्ता जिल्द १७ सफा १३७ नव्वाब मोहम्मद—बनाम—बदनसिंग)—

इस मुकदमा में म्यूनिसिपल कमेटी ने उस इमारत को तुड़वा डाला कि जिसे मुद्दई ने अपनी जमीन पर बनाया था म्यूनिसिपलटी का दावा था, कि यह जमीन आम सड़क का जुज है—इस पर मुद्दई ने जमीन मजकूर के दखलयाबी की नालिश दायर की—तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि ऐसी नालिश बमूजिब मद नम्बर १४२ समझी जावेगी और वह उस वक्त से बारा साल के अन्दर दायर होनी चाहिये कि जब मुद्दई की इमारत अव्वल मर्तबा तोड़ी गई—(इ ला रि बम्बई जिल्द ६ सफा ५८०)—

आवेगी, और नालिश दखलयाबी की बेरू मियाद होने की वजह से मुद्दई के सब हक हकूक़ (जायल) नष्ट हो जावेंगे और नालिश दखलयाबी खारिज होने पर इस्तकरार हक की भी डिक्री सादिर न हो सकेगी (कलकत्ता ला जरनल जि १८ सफा ६०१)–अमरसिंग एक ऐसी इस्टेट का मालिक है जिस में झगड़े वाली जमीन वाके है और अमरसिंग वो बेनीसिंग दोनों एक दूसरी करीबी इस्टेट के शामलाती मालकान भी है और झगड़े वाली जमीन अमरसिंग वो बेनीसिंग के कब्जे में आपसी रजामन्दी से नालिश के दायरी के पेश्तर १२ साल से ज्यादा अरसे से बतौर हिस्सा शामलाती इस्टेट के थी और उन को उस जमीन की निस्बत अपने २ वाजिब हुकूक का इल्म न था, तो ऐसी सूरत में मियाद मुताबिक मद १४२ उस वक्त से शुरू होगी जब कि अमरसिंग का कब्जा खारिज हो जावे, या मुताबिक मद न. १४४ उस वक्त से शुरू होगी जब कि बेनीसिंग का कब्जा मुखालफाना होवे [कलकत्ता वा. नोट जिल्द १७ सफा ५६५].

अमरसिंग को बेदखल कराने की नालिश में बेनीसिंग अमरसिंग के इन बयान पर से फरीक बनाया गया कि जायदाद को कब्जा के साथ अमरसिंग ने बेनीसिंग के पास रहन की थी और यह कि उस रहन की रू से बेनीसिंग अभी उस जायदाद पर काबिज है–जब बेनीसिंग इस तरह फरीक बनाया गया उस वक्त मुद्दई की बेदखली हुई, जो अमरसिंग की तरफ से हुई थी, १२ साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका था–तजवीज हाई कोर्ट करार पाई: [१]कि मुद्दई की नालिश खिलाफ बेनीसिंग बेरू मियाद है, चाहे मद १४२ या मद १४४ लागू किया जावे, (२) कि मुद्दई खिलाफ अमरसिंग डिक्री दखलयाबी पाने का हकदार है, (३) कि बेनीसिंग को सिर्फ हक रहन हासिल हुआ और जब मुद्दई को अमरसिंग के खिलाफ जमीन का कब्जा मिल गया तो वह जायदाद को बेनीसिंग के रहन से छुड़ाने का हकदार हो गया—(इ. के जि १६ सफा ४२०).

मद न १४२ की मनशा में ऐसी नालिश बाबत इस्तकरारी जायदाद गैर मनकूला दाखल होगी जब कि मुद्दई का कब्जा जायदाद मजकूर पर था [illegible] बेदखल कर दिया गया था, या उस का कब्जा बंद हो गया था–यह मद ऐसी सूरत में लागू न होगा जब कि मुद्दई का कब्जा था [illegible] [illegible] यह दावा करता है उस जायदाद पर कभी भी न [illegible]

नालशात दखलयाबी जायदाद गैर मनकूला से ताल्लुक रखता है वो मद १४४ में अलावा दखलयाबी के जायदाद गैर मनकूला के हक हकूक भी शामिल हैं अपनी हद के बाहर मछली मारने के घाट पर हक, जायदाद गैर मनकूल में दाखल न होगा—मगर वैसा हक बतौर हक जायदाद गैर मनकूला का समझा जावेगा—नालिश वास्ते दखलयाबी घाट मछली मारने का जो अपनी सरहद में वाके हो बमूजिब मद न १४४ दायर होगी—(कलकत्ता ला जरनल जि० १४ सफा ५७२)—

नालिश दखलयाबी जायदाद गैर मनकूला, जिस पर से मुद्दई करता है कि मुद्दायलेह ने उसको या दीगर शख्स को जिसकी तरफ से वह दावा करता है बेदखल कर दिया था मुताबिक मद न १४२ न कि मद न. १४४ के दायर होगी, और इस बात की सबूती का बोझा जिम्मे मुद्दई होगा कि उसका कब्जा या उस शख्स का कब्जा जिसकी तरफ से वह दावा करता है तारीख दायरी नालिश के पेश्तर १२ साल के अन्दर तक रहा था—(मद्रास वी० नो० जि० १ सफा ५५२)—

एक जायदाद बमूजिब दफा १४६ मजमूआ जाब्ता फौजदारी तारीख ७ मार्च सन १८९९ ई० को कुर्क की गई थी और वह कुरकी में तारीख २६ फरवरी सन १९०३ तक बनी रही—इस पिछली तारीख को साहब मजिस्ट्रेट ने मुद्दई के फरीकसानी की जमीन के खरीदार की दरखास्त देने पर, जिसको कार्रवाई बमूजिब दफा १४५ मजमूआ जाप्ता फौजदारी में अदालत दीवानी से कब्जा दिलाया गया था, उसी जमीन का कब्जा फिर दिला दिया—फिर मुद्दई ने ता० २८ फरवरी सन १९०६ को दखलयाबी की नालिश दायर किया—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि ऐसी नालिश में मियाद बमूजिब मद न १४२ या १४४ लागू होगी और नालिश बेरू मियाद नही समझी जावेगी—(कलकत्ता वी. नो. जि० १६ सफा १०७३)—

अगर मुद्दई दखलयाबी की नालिश इस बयान के साथ दायर करे कि वह बेदखल कर दिया गया था तो उस को यह साबित करना होगा कि, उस की नालिश बेदखली की तारीख से १२ साल के अन्दर दायर हुई है और अगर वह यह बात साबित न कर सका तो उस की नालिश दफा २८ एक्ट मियाद में

और जिस हालत में कि एक मौरूसी काश्तकार अपने गांव को छोड़ कर मौजे में आबाद हो गया हो, बल्कि उस ने अपना खेत भी दूसरे शख्स के कर दिया हो, तो ऐसी सूरत में बमोजिब नजीर पंजाब चीफ कोर्ट के बारा से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बाद उस गांव का मालिक उन खेतों कब्जा की नालिश करने का हकदार न होगा (देखो पंजाब रिकार्ड नम्बर १ सन १८८३ ई० धपानसिंग–बनाम–मोहनसिंग)

अजरूय एक इकरार नामा जो उस के शरीकदार के साथ किया गया था एक हि बेवा मुसम्मात अनूपा ने यह इकरार किया कि जिस जायदाद के वे शामलाती में हकद हैं वह उन के शामलाती कब्जा में बहिस्सा मसावी (बराबर २) बनी रहेगी, औ मु० अनूपा उस जायदाद का मुन्तकिल करने की मजाज न होगी, बल्कि उस मरने पर जायदाद मजकूर उस के शरीकदार को मिल जावेगी– लेकिन बाद मु० अनूपा ने अपना हिस्सा बेंच डाला–तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि ऐसा इन्तकाल सिर्फ बेवा की जायदाद के निस्बत और उस के जीते जी जायज रहेगा–यह भी तजवीज हुई कि जायदाद मजकूर के इन्तकाल की रुकावट के बारे में कोई इबारत ऊपर लिखे इकरार नामा में दर्ज नहीं है, लेकिन अगर ऐसी इबारत भी हो, ताहम उस इकरार नामा में जब्ती के बारे में कोई अलफाज न थे–और कोई ऐसा कायदा कानून भी नहीं है, कि जिस की रू से शर्त की टूट पर जायदाद जब्त की जावे–इस लिये ऐसी नालिश में यह मद लागू न होगा, बल्कि उस से मद १४४ मुताल्लिक होगा, और मु० अनूपा की मौत की तारीख से मियाद शुरू होगी (इ ला रि कलकत्ता जिल्द ८ सफा २२४ बमुकद्दमा सहोद्रा–बनाम–रायजग)–अगर बेवा दुबारा अपनी शादी कर लेती तो अलबत्ता बमोजिब एक्ट न. १५ सन १८५६ ई०दफा २ के जब्ती पहुंच आती और नालिश मजकूर में यह मद लागू होता—

जब किसी मुकद्दमा में मुर्तहिन, जर रहन की पहिली किश्त का रुपया न पटाये जाने की सूरत में जमीन मरहूना का कब्जा पाने का हकदार होवे तो नालिश दखलयाबी उस जमीन में इस मद के बमोजिब मियाद उस तारीख से शुरू होगी, कि जब उस किश्त का रुपया पटना चाहिये था (देखो फैसलेजात बम्बई हाई कोर्ट बाबत सन १८७६ ई० सफा ४ नम्बर–९१७

सफा २१६)—एक जमींदार ने, जो कि एक मंदिर का अमानतदार भी था, मंदिर की जायदाद को ठेके में दे दिया गो ठेका नामा में ठेका देने वाले की हैसियत बतौर जमींदार ही के बतलाई गई—जब मंदिर का अमानतदार दूसरा शख्स मुकर्रर हुआ तो इस दूसरे अमानतदार ने पहिले ठेकेदार को बेदखल कराने की नालिश दायर किया—ऐसी नालिश में तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि ठेकेदार का कब्जा ठेका की तारीख से मंदिर के मुकाबला में बतौर मुखालफाना नहीं समझा जावेगा और ऐसी नालिश में मद न. १४२ लागू होगा—(मद्रास ला. जरनल जि २७ सफा १६५)—एक शामिल शरीक हिन्दू खानदान का मेंबर सन १८६१ ई॰ में जात से खारिज हो कर खानदानी जायदाद से अलग कर दिया गया और उस तारीख से बारा साल से ज्यादा तक उस ने खानदानी जायदाद से कुछ फायदा नहीं उठाया—ऐसी सूरत में उस की खारजी पक्की समझी जावेगी और अगर वह अपना हिस्सा पाने का दावा करेगा तो वह बेरू मियाद समझा जावेगा—(मद्रास ला टाईम्स जिल्द १५ सफा १८६)—अगर मुद्दई की जमीन पर मुद्दायलेह ने नाजायज तौर से मकान बान्ध लिया हो वो दरख्त लगाये हों तो मुद्दई की नालिश वास्ते दखलयाबी जमीन, मकान वो झाड़ों को छोड़ कर बमूजिब मद न १४२ चलेगी और ऐसी नालिश और नालिश वास्ते हटाने दरख्तान में फर्क है—(अवध केस जिल्द १७ सफा २५२)

मद १४३—उसी तरह की नालिश, जिस हाल में कि मुद्दई बवजह किसी जब्ती या खिलाफ वर्जी यानी टूट किसी शर्त के मुस्तेहक हुवा हो—बारा साल—उस वक्त से कि जब जब्ती हुई या शर्त की टूट वकूअ में आई—

तशरीह—यह मद सिर्फ उस सूरत में लागू होगा, जब मुद्दई बवजह जब्ती या जमीन की निस्बत किसी शर्त की टूट से कब्जा पाने का हकदार हो, यह मद ऐसे मामले में लागू न होगा, कि जब मुद्दई इस सबब से कब्जा पाने का हकदार हो कि मुद्दायलेह ने अदालत के किसी हुक्म की तामील नहीं की—(कलकत्ता वीकली नोट जिल्द ३ सफा ४६४ इजलास कामिल)

जब किसी गांव के वाजबुल अर्ज में यह शर्त हो, कि अगर कोई बाशिन्दा किसी गांव का, दूसरी जगह आबाद होने की गर्ज से उस मौजे को छोड़ दे तो वह अपनी जमीन की कास्त और कब्जा का हकदार न होगा,

बाबत सन १८६४ ई० सफा ४२ सखाराम–बनाम–सिराम)—

अमरसिंग के मरने पर उसकी जायदाद का कब्जा कल्लूसिंग ने अजरूय एक बैनामा के कर लिया, अमरसिंग के वारसों की तरफ से जो नालिश बाबत दखलयाबी कब्जा वो मन्सूखी बैनामा के दायर की जावे उस में यही मद लागू होगा—(कलकत्ता ला. रि जिल्द २ सफा १० त्रीलोचन–बनाम–नोबीं किशोर)—

पुराने कानून के रू से मुद्दई पर यह साबित करना लाजिम था कि वह अन्दर १२ साल के काबिज था. लेकिन हाल के कानून के रू से यह अमर लाजिम नहीं रखा गया है–अब सिर्फ उसे यह जाहिर करना काफी है कि उस वक्त से १२ साल के अन्दर नालिश दायर की गई कि जब मुद्दायलेह का कब्जा मुखालिफ याने विरुद्ध मुद्दई के हुआ–(इ ला रि अलाहाबाद जिल्द ५ सफा १ राम करन–बनाम–राजा बाकर)–और अगर मुद्दई जमीन दावा की हुई में अपना कोई इस्तहकाक जाहिर करे तो ऐसी हालत में सबूत का बोझा इस अमर का जिम्मे मुद्दायलेह रहेगा कि कम से कम बारा साल तक उसका कब्जा मुखालिफ रहा है–(इ ला रि बम्बई जिल्द १३ सफा ४२४ वो अलाहाबाद जिल्द ११ सफा ४३८)—

जब कोई मुद्दायलेह किसी जायदाद पर बिला शिरकत गैर के बारा साल से जियादा अरसा तक काबिज हो तो उसको इस मद के बमुजिब जाहिरा में जायदाद मजकूर पर इस्तहकाक बमुकाबले कुल दुनिया भर के हासिल रहेगा–(इ ला रि कलकत्ता जिल्द ९ सफा २४१ चरन–बनाम–गोविन्द चन्द्र)—

"कब्जा मुखालिफ" से वह कब्जा मुराद है जो कोई शख्स अपने ही तरफ से या किसी ऐसे दूसरे शख्स की तरफ से कि जो असली मालिक न हो, किसी जायदाद पर रखे और उस जायदाद का असली मालिक फौरन कब्जा पाने का मुस्तहक हो–(इ ला. रि कलकत्ता जिल्द ४ सफा ३२७)–कुछ जमीन पर बब्बूलाल का कब्जा बहैसियत मुर्तहिन बमूजब एक रहननामा के जो कल्यानसिंग ने लिख दिया था, सन १८६६ ई० से १८७२ ई० तक रहा–इस साल रहन का इनफिकाक किया गया और [illegible] जायदाद का कब्जा छोड़ दिया–सन १८७५ ई० में [illegible]

करना)—

मद १४४—नालिश बाबत कब्जा जायदाद गैर मनकूला या किसी हक्कीयत वाकै जायदाद मजकूर के जिस्के वास्ते कोई मियाद खास इस जमीमा में दर्ज नहीं है—बारा साल—उस तारीख से कि जब कब्जा मुदायलेह का मुखालिफ मुदई के हो जाय—

तशरीह:—यह नालिश सिर्फ उन्हीं नालिशात दखलयाबी जायदाद गैर मनकूला में लागू होगा कि जिन में दूसरा कोई मद उसी किस्म की नालिशों के मुताल्लुक लागू न होता हो (वी. रि जिल्द २५ सफा ५२३)—और जब तक ऐसी नालिशों के लिये मियाद का मुकर्रर किया जाना किसी दूसरे मद की रू से साफ तौर पर पाया न जावे तब तक इस मद के अहकामात लागू न होंगे.

यह मद नालिशात बाबत कब्जा ऐसी जायदाद से ताल्लुक रखेगा कि जिस से मुद्दई यह नहीं बयान करता है कि वह बे दखल किया गया (इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द १० सफा ७०८ गोपी नाथ--बनाम--भगवत प्रसाद)—जब कोई शख्स किसी जमीन पर काबिज हो और इस जमीन का जरलगान अदा करने के वास्ते उसे अदालत माल ने मजबूर किया हो, अगर ऐसा शख्स जमीन मजकूर में अपना हक मालिकी करार पाने का नालिश दायर करे तो ऐसी हालत में वह दरअसल बतौर नालिश बाबत कब्जा जायदाद बहैसियत मालिक के समझी जावेगी और इस लिये उस में यह मद लागू होगा और मियाद उस की उस डिक्री की तारीख से शुरू होगी कि जिस्की रू से उसे उस जमीन का जरलगान पटाना पड़ा (इ ला. रि अलाहाबाद जिल्द ३ सफा ४० देवी प्रसाद -बनाम--जाफर अली).

नालिश वास्ते दिलाने कब्जा जमीन जलकर में कि जो बतौर हक्कीयत वाकै जायदाद गैर मनकूला के समझी जाती है, मद १४४ लागू होगा—(इ. ला रि कलकत्ता जिल्द ३ सफा २७६)—नालिश बाबत पाने कब्जा एक दरख्त के, कि जो किसी जमीन पर खड़ा हो, बतौर नालिश दखलयाबी जायदाद गैर मनकूला तसौव्वर की जावेगी—(पंजाब रिकार्ड नम्बर ११२ सन १८८४ ई० जैमल—बनाम—लछा) हाला कि मुद्दई का इरादा उस दरख्त को कब्जा मिलने के बाद फौरन काट डालने का हो—(छपे हुए फैसलेजात बम्बई हाई कोर्ट

सफा ७१८ शिवप्रशाद-बनाम-उदेसिंग)—जब किसी जमीन का नाबालिग मालिक अपनी जमीन को अपने रिश्तेदारों के कब्जा वो निगरानी में करदे तो इन रिश्तेदारों का इजाजती कब्जा उस वक्त तक जारी रहेगा कि जब तक कोई ऐसी बात वजूद में न आवे जिससे उन लोगों का जमीन मजकूर पर कब्जा मुखालिफ होना पाया जावे, और यह सबूत करने का बोझा उन्हीं रिश्तेदारों के जिम्मे रहेगा बल्कि उनको यह भी साबित करना पड़ेगा कि इजाजती कब्जा कब खतम हुआ और मुखालिफ कब्जा कब से शुरू हुआ—(पंजाब रि० नं. ९४ सन १८८४ ई० बेतसिंग-बनाम-बुगा)—

जिस जायदाद गैर मनकूला का कब्जा मुद्दायलेहुम ने नाजायज तौर पर किसी बे के रू से कर लिया हो उसके दखलयाबी की नालिश के वास्ते, मियाद बमूजिब मद १४४ जमीमा २ एक्ट मियाद १२ साल की मुकर्रर है—ऐसा कोई कानून नहीं है कि जिसके रू से ऐसा मुद्दई कब्जा की डिक्री पाने का मुस्तहक न हो सके कि जो मियाद नालिश की अनकरीब खतम होने तक खामोश बैठा रहा हो (सी. पी ला रि जि० ३ सफा १६२ खेतसिंग— बनाम -मुसम्मात राधो)—कोई जमीन मुद्दईया व दीगर दो शख्स के कब्जा में बतौर शरीकदारान थी—इन दो शख्सों ने जमीन रहन करके कब्जा मुर्तहिन को दे दिया और यह कहा कि दूसरी जमीन मुद्दईया के वास्ते गुजर के दी गई और शाकिनान उसका गुजर चलाने के जिम्मेदार रहेंगे—सन १९०० ई० में उन दो शरीकदारों में से एक ने जमीन को राहिन के हाथ बिलकुल बेच दिया और यह कहा कि वह अकेला दीगर शरीकदारान की तरफ से जवाब दार है—मुद्दईया ने ... पर कब्जा पाने की नालिश दायर किया इस बयान के साथ कि रहन ना ... उसे पाबन्द नहीं कर सकता—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि चूंकि उसकी ... तारीख बैनामा से १२ साल के अन्दर दायर की गई इस लिये ... नहीं है जहां तक कि उसका ताल्लुक मनसूखी बैनामा से है—मगर ... उसका ताल्लुक रहननामा से है रहननामा बमूजिब मद १४४ ... सकता क्योंकि रहननामा ता० दायरी नालिश से १२ ... और यह कि मद न १२७ की नालिश में ... नंबर २३ सन १९११)—

एक हिस्सा डालचद से खरीद किया और यह शख्स सन १८६६ ई० से उस जायदाद पर कभी काबिज नहीं रहा—सन १८८५ ई० में बब्बूलाल ने अपने खरीद किये हुए हिस्सा का कब्जा दिला पाने की नालिश दायर की—तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि पीछे की खरीदी से बब्बूलाल की हैसियत किसी तरह तबदील नहीं हुई; याने उसको हैसियत मुर्तहिन की हासिल थी, न कि हैसियत असली मालिक की, इस लिये कब्जा की नालिश अजरूय कायदा मियाद बारा साल के, बेरू मियाद समझा जावेगी—(इ ला रि कलकत्ता जिल्द १४ सफा ६७४ नन्दलाल बनाम—जोदूनाथ)—

किसी जायदाद गैर मनकूला का कब्जा उस हालत में मुखालिफ न कहा जावेगा जब कि उसका आरम्भ किसी जायज इस्तेहकाक से मुताल्लुक किया जा सके—(इं. ला रि बम्बई जिल्द २ सफा ४१२)—

किसी घराने के मुन्तजिम का कब्जा उस वक्त तक मुखालिफ न कहा जावेगा कि जब तक वह जायदाद खानदान के इन्तजाम मे साफ तौर पर अपनी अलहेदगी न बतावे (इं ला रि बम्बई जिल्द १७ सफा ७५५)—

जब किसी मुकदमा में डिक्री इस्तकरार हक्क और बाबत किये जाने बटवाड़ा जायदाद के सादिर की जावे लेकिन उस डिक्री के इजराय के बाबत कोई कार्रवाई शुरू न की जावे, बल्कि किसी किस्म का बटवाड़ा किये जाने के बगैर फरीकैन अपनी २ हैसियत पर कायम बने रहें तो ऐसी हालत में जायदाद के किसी हिस्सा के निस्बत किसी फरीक का कब्जा दूसरे फरीक के मुखालिफ न कहा जावेगा—(इ ला. रि अलाहाबाद जिल्द १३ सफा ३०९)—

जब कोई शख्स अपनी जायदाद किसी दूसरे शख्स को बेंच दे तो तारीख तहरीर बैनामा के बाद जायदाद के बेचने वाले का कब्जा बमुकाबले खरीदार के बैनामा की तारीख से मुखालिफ समझा जावेगा—(इ ला. रि कलकत्ता जि० ११ सफा २२९ आनदकुमारी—बनाम—ऊली जामेन)—इसी तरह पर जब कोई बेचने वाला अपनी जायदाद के बेचे जाने के वक्त कब्जा के बाहर हो और पीछे से जायदाद मजकूर का कब्जा हासिल करले तो ऐसी हालत में बेचने वाले का कब्जा सिर्फ उसी वक्त से मुखालिफ समझा जावेगा कि जब उसने बेची हुई जायदाद का कब्जा फिरसे हासिल किया—(इ. ला. रि. अलाहबाद जि० २

वास्ते दिला पाने माल मनकूला अमान्ती या मरहूना के-तीस साल— तारीख अमानत या रहन से

तशरीह—बमोजिब दफा १ फिकरा १५ एक्ट १४ सन १८५९ ई० साहिब कलेक्टर मालिकाना हकूक के अमानतदार करार दिये गये हैं और अगर ऐसे मालिकाना हक का दावा ३० साल के अन्दर किया जावे तो बेरूं मियाद न समझा जावेगा (वी रि जि ९ सफा २४—२५).

जो रूपया किसी ओहदा के ताल्लुक बतौर जमानत के जमा किया जावे तो, जिस शख्स के पास वैसा रूपया जमा किया जावे वह बतौर अमानतदार के समझा जावेगा (इ ला रि कलकत्ता जि ३१ सफा ५११)

एक किरायेदार को मकान रहने के लिये बगैर किराया के दिया गया और शर्त यह ठहरी कि किरायादार मकान की मरम्मत कराये, तो ऐसी सूरत में वह किरायादार मकान मजकूर का अमानतदार करार नहीं दिया जा सकता (बम्बई हाई कोर्ट अपील केसेज जिल्द ४ सफा १५५).

फर्क दरमियान "जर अमानत" वो "जर कर्ज"—जब रूपया किसी दूसरे शख्स के पास साफ तौर पर बतौर अमानत के जमा किया जावे, या ऐसे हालात में जमा किया जावे जिन से अमानत का गुमान निकल सके, तो यह मामला बतौर "अमानत" समझा जावेगा, अगर रूपया दूसरे शख्स के पास जाहिरा इस तौर पर रखा जावे, कि मांगने पर मये सूद के वह वापिस कर दिया जावे तो वह बतौर "जर कर्जा" तसौवर होगा (इ. ला. रिपोर्ट बम्बई जिल्द १९ सफा ७७५).

"अमानत" की हैसियत बतौर जर करजा वो करजा से बढ़ कर है, मगर "करजा" की हैसियत बतौर अमानत नहीं है (इ. ला. रिपोर्ट बम्बई जिल्द १९ सफा ३६१).

अगर रूपया इस दरखास्त के साथ दिया जावे कि वह उस वक्त तक रखा जाये जब तक कि रूपया का लेने वाला तलब न करे, तो इस सूरत में वह "अमानत" के दरजे को पहुंचेगा (स्टारलिंग साहिब का लिमा[illegible] [illegible] बार [illegible] दूसरा सफा १९१).

अगर किसी खरीदार ने जमीन शरीकदार काश्तकार के हिस्से की खरीद किया हो तो उसकी नालिश दखलयाबी में मद न १४४ लागू होगा जब कि मुद्दायलेह शरीकदार काश्तकार अपने कब्जा मुखाफाना का उजर पेश करता हो, और शराकती से अलेहदा होने या बन्द होने की सबूती जिम्मे मुद्दायलेह होगी–(इं ला. रि. मद्रास जि० ३४ सफा ४०२)—

मद १४४ की रू से बेरू मियाद का उजर पेश करने वाले को यह साबित करना लाजिम होगा कि फरीकमानी या वह शख्स, जिसके जरिये वह दावा करता है, उस का कोइ हक न होने की वजह से झगड़े वाली जमीन का कुछ मुनाफा नहीं पाता था—(मद्रास ला. जरनल जि २० सफा ३२३)

मद १४४ की रू से कब्जा जो मदिर को, बखशीस की हुई जायदाद के मेनेजर की तरफ से मिला हो, मदिर के देवता या दूसरे मेनेजर के मुकाबले में जो मदिर के लिये मुकर्रर किया गया हो, बतौर मुखालफाना कब्जा के समझा जावेगा—(बम्बई ला रिपोर्ट जिल्द १३ सफा ११६९)

मुद्दायलेहुम ने जायदाद पर अपना कब्जा राहिन के इल्म से और रहन का बोझा छुड़ा कर यानी रहन का करजा देकर एक बगैर रजिस्ट्री किये हुए बैनामा की रू से किया–तो ऐसी सूरत में बमूजिब मद न १३२ तारीख बैनामा से १२ साल तक मुद्दायलेहुम का हक जायदाद पर समझा जावेगा और बाद १२ साल के उन का कब्जा बतौर कबजा मुखलफाना शुरू होने के समझा जावेगा, और नालिश मुद्दई वास्ते इनफिकाक बेरू मियाद करार दी जावेगी—(बम्बई ला रि. जि. १३ सफा ८६७)

जब किसी रहेन के बदल का कुछ हिस्सा रद हो या न दिया गया हो या, मुर्तहेन ने उस की अदाई में चूकी की हो तो भी रहन बकदर रकम बदल जो जायज तौर से अदा की गई हो कारआमद समझा जावेगा (मद्रास ला जरनल जि. २१ सफा १६९).

फसल ९—तीस साल

मद १४५—नालिश बनाम अमानतदार, या गिरवीदार के

कामयाबी के साथ चल सकेगी, गो उस का दावा बेनात बेरू मियाद या हो (इ ला रि कलकत्ता जिल्द २७ सफा १८५)

यह मद सिर्फ उन्ही नालिशात से ताल्लुक रखता है जिन में असल जर का कुछ हिस्सा या उसका सूद पटा दिया गया हो, दीगर सूरतों मे श दखलयाबी की उस वक्त से बारा साल के अन्दर दायर होना चाहिये, जब राहिन का कब्जा मुर्तहन के मुखालिफ हो जावे (इ ला रि. कत्ता जिल्द ७ सफा २९६ वो ३०२).

मद १४६—[अ] नालिश मुहकमा मुकामी के नाम से मुहकमा मजकूर की तरफ से वास्ते दिला पाने कब्जा ती आम सडक या गली या उस के हिस्सा के जिस से कमा मजकूर बेदखल कर दिया गया हो, या जिस पर से का कब्जा मौकूफ हो गया हो—तीस साल—तारीख खली से, या मौकूफी कब्जा से—

तशरीह —यह मद पुराने एक्ट मियाद न. १५ सन १८७७ ई० में ये एक्ट न ११ सन १९०० ई० के जोड़ा गया था—यह मद ऐसी कों या गलियों को लागू न होगा जिन को मियूनीसिपल्टी ने अपनी कियत की या हासिल की हुई आराजी में बनाया हो (इ. ला रि मद्रास द २५ सफा ६३५)

यह मद वैसी सूरत में भी लागू होगा चाहे मियूनीसिपल्टी या लोकल बोर्ड न के नीचे की सतह की मालिक हो या न हो [देखो मित्रा साहिब का ला चौथी बार छपा हुआ सफा १०७०]

फस्ल १०—साठ साल.

मद १४७—नालिश मु... की तरफ से वास्ते बैयात या ... से कि जब रहन ताम [बै] के—साठ रूप्या ।

मक्तनजा के लिए ...

जब यह सवाल पैदा होवे कि आया कोई रकम अमानत है या करज तो ऐसा सवाल अमर वाकेआ, न कि अमर कानूनी, समझा जावेगा, और उस का फैसला बजरिये शहादत हालात मुकदमा के किया जावेगा—(सी. पी. ला. रि. जि. १९ सफा १४७)

माल मनकूला अमानती ऐसा माल होना चाहिये, जिस के खास वापसी का ठहराव दरमियान फरीकैन हुवा हो (वीकली रिपोर्टर जिल्द ११ सफा १६४ वो इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द १६ सफा २८ ईश्वरचन्द्र–बनाम–जीवनकुमारी)

जब कोई नालिश वास्ते दिला पाने ऐसे रुप्या के दायर की जावे कि जो किसी ओहदा का काम बराबर चलाने के लिये बतौर जमानत रखा गया हो, तो ऐसी नालिश में मद न. १४५ लागू होगा (इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द १२ सफा ११२)

मद १४६—नालिश मुर्तहन की तरफ से, वास्ते दिला पाने कब्जा, जायदाद गैर मनकूला मरहूना के, राहिन से, जो किसी अदालत मुकर्ररा हस्ब फरमान शाही में बतामील उस के मामूली अख्त्यार समाश्रत इब्तदाई मुकदमात दीवानी के रुजु हो—तीस साल—उस तारीख से कि जब कोई हिस्सा जर असल या सूद का अखीर मर्तबा बाबत करजा उस रहन के अदा किया गया हो

तशरीह—जो नालिशात दखलयाबी इस मद के मुताबिक दायर की जावें, उन में दफा २० वा २१ एक्ट मियाद लागू न होगी—[इ. ला रि. अलाहाबाद जिल्द २६ सफा ११७]

जब राहिन को जायदाद मरहूना अपने कब्जा में ऐसे अरसा तक रखे रहने की इजाजत हो, कि जब तक वह सूद देता जावे तो मुर्तहन को बमोजिब मद न. १३५ नालिश के लिये नया हक हासिल होगा, जब कि वैसी इजाजत बन्द की जावे और राहिन का कब्जा निकाल लिया जावे (वीकली रिपोर्टर जिल्द १६ सफा ३३ प्रीवी काउन्सिल).

अगर मुर्तहन जायदाद मरहूना से नाजयज तौर पर बे दखल कर दिया गया हो, तो उस की नालिश दखलयाबी, अगर अन्दर मियाद दायर की जावे,

यदाद का कब्जा मुर्तहन के हवाला कर देगा, मानो कि वह जायदाद उसके य बेंच दी गई—सन १८७४ ई० में राहिन ने बिला अदा करने करजा रहन जायदाद मरहूना का कब्जा ले लिया—मुर्तहन के मरने पर उस के लडकों तारीख १४ अप्रैल सन १८८८ ई० को नालिश हाल बराबिना रहन गयर और डिग्री बैबात या नीलाम की दादरसी मांगी—तजवीज हाई कोर्ट करार ई कि नालिश मुदई गैर मियाद नहीं है और मुद्दईयान मुस्तहक पाने डिग्री ति मय इस हुक्म के है कि जायदाद मरहूना का कब्जा उन लोगों के हवाला दिया जावे (इ. ला. रि मद्रास जिल्द १६ सफा ६४)—

मद १४८—नालिश बनाम मुर्तहन वास्ते इनफिकाक रहन दिला पाने कबजा जायदाद गैर मनकूला मरहूना के,—साठ ल—उस तारीख से कि जब हक इनफिकाक या दिला पाने बजा का पैदा हो जावे—मगर शर्त यह है कि तमाम दावी फिकाक के जो बजरिये दस्तावेज रहन जायदाद गैर मनकूला के लोअर बरमा में पैदा हुए हों, और उस दस्तावेज की तमील पहली मई सन १८६३ ई० के पेश्तर हुई हो, उन कायदे मियाद समाअत जो कब्ल तारीख मजकूर उस क में जारी थे, असर रखेंगे—

तशरीह—पुराने एक्ट में लफ्ज "ब्रिटिश बरमा" के बदले नये एक्ट लफ्ज "लोअर बरमा" बदले गये है

लफ्ज "मुर्तहन" में मुर्तहन का मुताकिम असह भी शामिल है—(इ. रि. अलाहाबाद जि० ८ सफा १०२)—

जो राहिन इनफिकाक की नालिश करे उसको मय से पहिले पेश रहन बित करना चाहिये कि ... इनफिकाक ... चाहता है, ... साबित करा" ... लिये ... इनफिकाक ... मुर्तहन ... मियाद ... म धान जो कबूल कर ले) (... रि. ... —बनाम—माहिबजान)—

... होगा कि जो मुर्तहिन

में लागू होगा जो अजरूय रहन नामा जायदाद गैर मनकूला पर हो (पंजाब रिकार्ड न १५१ सन १८८८ ई०]

यह मद कुल नालशात बेबात में लागू होगा जो मुर्तहन की तरफ से दायर की जावे [इ. ला रि. बम्बई जिल्द १० सफा ५१६]--

गो मुर्तहन बमूजिब मद नंबर १३५ दखल्याबी की नालिश न कर सके ता हम वह इस मद के मुताबिक बैबात की नालिश कर सक्ता है (पंजाब रिकार्ड नंबर ८३ सन १८८३ ई०)

मद नंबर १४७ सिर्फ "अंग्रेजी किस्म के रहननामों" में लागू होगा, यानी ऐसे रहननामों में जिन में मुर्तहन जायदाद मरहूना के बैबात या नीलाम का दावा कर सके-दीगर रहननामों में मद न. १३२ लागू होगा (कलकत्ता वी नो. जिल्द ११ सफा १००५ प्रि कौ इ ला. रि. मद्रास जिल्द ३० सफा ४२६).

कुछ जमीन, एक कर्जा बजरिये दस्तावेज किस्तबंदी की अदाई के वास्ते मकफूल की गई-इस दस्तावेज में यह शर्त साफ दर्ज थी कि अगर जर करजा न अदा किया जावे तो जायदाद मरहूना बेंच दी जायगी-तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि दस्तावेज मजकूर दरअसल रहननामा है और जो नालिश वास्ते दिला पाने किस्तों के रूपया के, जो दस्तावेज के रू से वाजिब निकले, बजरिये नीलाम जायदाद मरहूना दायर की जावे उस में मद १४७ एक्ट मियाद लागू होगा; और राहिन की जात पर डिक्री हासिल करने के वास्ते तीन साल की मियाद मिलेगी (इ ला. रि बम्बई जिल्द १४ सफा ३७७)-

तारीख २८ मार्च सन १८७१ ई० को मुद्दायलेह के बाप ने मुद्दई के बाप से कुछ रूप्या कर्ज लेकर उस को कुछ जमीन पर कब्जा बजरिये रहननामा दे दिया-इस दस्तावेज में यह शर्त दर्ज थी कि आमदनी में से सब के पहले सूद अदा किया जावे और इसके बाद जो कुछ बाकी बचे वह कुल असल रूप्या में मुजरा दिया जावे-दस्तावेज मजकूर में यह भी शर्त दर्ज थी कि जो कुछ रूप्या राहिन की तरफ से पटना वाजिब निकले वह चार साल में अदा किया जावेगा और अगर रकम मजकूर इस तौर पर न अदा की जाय तो राहिन

बतौर मुर्तैहन के तसव्वर न की जावेगी—अमरसिंग ने अपनी कुछ जमीन दीनदयाल के पास सन १८५६ ई० में गिरवी रखी थी—सन १८८३ ई० दीनदयाल ने अमरसिंग पर नालिश दायर किया और अदालत ने दस्तावेज को गलती से बतौर रहननामा शर्तिया बैवात समझ कर दीनदयाल को डिक्री दिया, और एक साल के बाद दीनदयाल को बतौर मालिक जमीन कब्जा दिला दिया गया—४० साल से ज्यादा के बाद मालिश इनफिकाक में तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि जब दीनदयाल दस्तावेज की रू से कब्जा पाने का मुस्तहक न था और जब कि उसको कब्जा बतौर मालिक के नाजायज तौर से मिला तो उसका कब्जा ऐसा न समझा जायगा कि मानो उसको मुर्तैहन की हैसियत से मिला बल्कि ऐसा समझा जायगा कि उसने अपना कब्जा मदाखलत बेजा के जरिये हासिल किया और जब कि उसका कब्जा पिछली हैसियत से १२ साल से ज्यादा तक रहा है तो वह बेदखल नहीं हो सक्ता—(इ. के जि० ११ सफा ४२६)—

मद १४९—हर नालिश साहिब सेक्रटरी आफ स्टेट हिन्द बइजलास काउन्सिल के नाम से या उन की तरफ से—साठ साल—उस तारीख से कि जब मियाद समायत इस एक्ट के बमोजिब किसी और शख्स की उसी किस्म की नालिश की बाबत शुरू होती—

तशरीह—यह मद ऐसे शख्स की नालिश में लागू न होगा जो सरकार पर दायर की जावे—(इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द ३२ सफा १२६ प्रिवी कौंसिल) न वह सरकार के मुन्तकिल अलेह को लागू होगा—(इ. ला. रि. मद्रास जिल्द ३० सफा २४५)—न सरकार के पट्टादार को लागू होगा, यानी जिसको पट्टा सरकार से मिला हो—(वी रि जिल्द १० सफा ७९)—

जो नालिश बेदखली या इस्तकारार हक की बाबत सरकार की तरफ से दायर की जावे उस में सरकार को इस मद के बमूजिब ६० साल के अन्दर इस्तहकाक मालकियत पर अपना कब्जा साबित करना लाजिम होगा, या अगर मुद्दायलेहूम अपना कब्जा साबित करें तो सरकार पर यह साबित करना लाजिम होगा कि उसी मियाद के भीतर वह कब्जा शुरू हुआ या मुखालिफ हुआ—(इ. ला रि. मद्रास जिल्द ६ सफा १७५)—

के जरिये से दावी करते हों सिवाय उन खरीदारों के जिन्हों ने कीमत प
जायदाद मोल ली हों, लेकिन यह मद नालशात बनाम गैर शख्सों के ताल्लुक
रखेगा और न उन नालिशों में मद मजकूर लागू होगा कि जो नालिश
इनफिकाक की न हों--(इ ला रि. मद्रास जि० २ सफा २२८) सन १८६१ ई०
में (स) ने एक डिक्री ब इस्तकरार इस अमर के हासिल की कि वह बा
जायदाद के इनफिकाक का हकदार है और कुछ रूप्या के अदा करने प
जायदाद मजकूर का कब्जा भी पा सकेगा, लेकिन डिक्री में यह हुक्म नहीं थ
कि अगर मुकर्रर की हुई मियाद के अन्दर जायदाद मरहूना का इनफिकाक न
किया जावे तो (स) के हक में जायदाद मजकूर का बैनात हो जावे—तजवीज
हाई कोर्ट यह करार पाई कि (स) जायदाद मजकूर के इनफिकाक की नालिश
सन १८८१ ई० में दायर करने से रोका न जावेगा (इ ला रि. मद्रास जि०
६ सफा ११६)—

जब कई राहिनान में से एक कुल जायदाद मरहूना का इनाफिकाक करे
तो उसको जायदाद मरहूना के उस जुज के निस्बत मुर्तहिन की हैसियत मिलेगी
कि जिस्में दीगर राहिनान का इस्तहकाक हो, और जो नालिश इनाफिकाक दीगर
राहिनान की तरफ से दायर की जावे उसमें मद १४८ जमीमा २ एक्ट मियाद
नं. १५ सन १८७७ ई० लागू होगा, और ऐसी नालिश के वास्ते मियाद
उस तारीख से शुरू होगी कि जब असली रहन काबिल इनाफिकाक हो गया
हो और न कि उस तारीख से कि जब रहन मजकूर का इनाफिकाक ऊपर
लिखे हुए राहिन ने किया हो--(इ ला रि अलाहाबाद जि० १४ सफा १
अशफाक अहमद बनाम--वजीरअली)—

इनफिकाक रहन की ६० साल की मियाद सिर्फ ऐसी नालिश में लागू
होगी जिसमें दखलयाबी ऐसे शख्स के पास से दिला पाने की चारा जोई की
गई हो जिसका कब्जा जायदाद पर बहैसियत मुर्तहन के हुआ था, न कि ऐसी
नालिश में जिस्में दखलयाबी ऐसे शख्स के पास से चाही गई हो जिसने अपना
कब्जा मदाखलत बेजा करके किया हो, गो जमीन उसके यहां बतौर
जर करजा गिरवी रखी गई हो—सिर्फ इस बात से कि मदाखलत
की हैसियत बतौर साहूकार के थी यानी उसने कर्ज दिया था उसकी

अरसा गुजरा हो और नकल इजरा करने में यानी देने में जो देर लगी हो वह सब अपील दायर करने की मियाद में मुजरा की जावेगी, याने इतने दिन और भी मिलेंगे—(इ. ला रि. बम्बई जिल्द २८ सफा ६४३)—

वेरू मियाद वाली अपील को दायर करते वक्त देरी का सबब जिस की वजह से वैसी अपील दायर करने में देर की गई दर्ज करना चाहिये—(पंजाब रिकार्ड नम्बर २२ सन १९०३ ई०)—

मद १५२—अपील बअदालत डिस्ट्रिक्ट जज (यानी जज जिला) बमूजिब मजमूआ जाब्ता दीवानी—तीस दिन—उस डिगरी या हुक्म की तारीख से कि जिस की नाराजी से अपील हो—

तशरीह—जो फरीक इब्तदाई डिगरी से नाराज हो (हालां कि डिगरी की तरमीम या तबदीली उस के हक में की गई हो) वह उस हुक्म को कि जो दरख्वास्त तजवीज सानी पर सादिर हुवा हो, बतौर कतई डिगरी या हुक्म मुकदमा के तसौव्वर करने का मुस्तहक होगा—(इ ला रि कलकत्ता जिल्द ६ सफा २२)—मध्य प्रदेश के अदालत हाय दीवानी के एक्ट न० १६ सन १८८५ ई० के रू से जो अपील साहब कमिश्नर की अदालत में पेश की जाए उस के लिये साठ दिन की मियाद मुकर्रर की गई है—

मद १५३—अपील बअदालत हाई कोर्ट बमूजिब मजमूआ जाब्ता दीवानी बनाराजी हुक्म अदालत मातहत जिस के जरिये अपील बहुजूर मालिक मोअज्जम बादशाह बइजलास काउन्सिल दायर करने की इजाजत न दी गई हो—तीस दिन—तारीख हुक्म से—

तशरीह:— यह मद पुराने एक्ट के मद १५३ के मुताबिक नहीं है इस में तरमीम की गई है—

मद १५४—अपील किसी अदालत में सिवाय हाई कोर्ट बमूजिब मजमूआ जाब्ता फौजदारी मसद्दरा सन १८९८ के—तीस दिन—उस हुक्म सजा या हुक्म की तारीख

यह मद सिर्फ नालिशात से ताल्लुक रखता है और जो जो मियाद दीगर मदों में दरख्वास्तें और अपीलों के वास्ते मुकर्रर है वे सब सरकार से भी मुताल्लुक होंगे–(इ. ला रि मद्रास जिल्द ४ सफा १५५)—

यह मद ऐसे मुन्तकिल अलेह की नालिशात से लागू न होगा, जिस को इन्तकालनामा सेक्रेटरी आफ स्टेट की तरफ से मिला है–(कलकत्ता ला जरनल जिल्द १३ सफा ६२५)—

दूसरा हिस्सा—अपीलें.

मद १५०—बमोजिब मजमुआ जाब्ता फौजदारी नम्बर ५ सन १८९८ ई० के अपील बनाराजी हुक्म सजा मौत, कि जो अदालत सेशन्स जज ने सादिर किया हो—सात दिन—तारीख हुक्म सजा से.

तशरीह— किसी कैदी की तरफ से अपील जेलर याने दरोगा जहल के पास पेश होना अदालत में पेश किये जाने के बराबर है (इ ला रि मदरास जिल्द ९ सफा २५१).

मद १५१—अपील बनाराजी डिगरी या हुक्म मसदरे अदालत आलिया हाइ कोर्ट मुकाम फोर्ट विलियम (कलकत्ता) वो मदरास वो बम्बई के या अदालत आलिया चीफ कोर्ट पंजाब के या चीफ कोर्ट लोअर बरमा के जो उस ने बतासील अपने अख्त्यार समाअत इब्तदाई के सादिर किया हो—बीस दिन—तारीख डिगरी या हुक्म से—

तशरीह:—अल्फाज "तारीख डिगरी" से वह तारीख मुराद है कि जो डिगरी में दर्ज हो, और बमूजिब दफा २०५ (आर्डर २०, कायदा ७) मजमूआ जाब्ता दीवानी डिगरी में वही तारीख दर्ज की जायगी, कि जिस रोज फैसला सुनाया जावे–इस लिये इस मद के मुताबिक तारीख सुनाए जाने फैसला से बीस दिन के अन्दर अपील दायर होना चाहिये--

यह मद सिर्फ हाई कोर्ट कलकत्ता, मदरास वो बम्बई और पजाब वो लोअर बरमा के चीफ कोर्ट से ताल्लुक रखता है—फैसले की नकल लेने में जो

दाखिल होनी चाहिये, तो ऐसी हालत में डिक्री उस वक्त कतई समझी जायगी कि जब मुद्दत मजकूर गुजर जाय—(इं ला रि इलाहाबाद जिल्द १ सफा १३२ सेख एवज—बनाम—मोकूना)—और जब वह मियाद उस वक्त खतम हो जाय कि जब अदालत में तातील रहे तो जब तक अदालत फिर से न खुले तब तक डिकरी कतई न समझी जावेगी—(इं ला. रि इलाहाबाद जिल्द ७ सफा १०७ रामसहाए—बनाम—गया)—इस लिये अपील करने की मियाद उस तारीख से शुरू होगी कि जब डिकरी कतई हो जाय—(वीक्ली. रि जिल्द ५ सफा ९१ मिरजा हिम्मत—बनाम—गोविंदा)—

अदालत जुडिशियल कमिश्नर मध्य प्रदेश में अपील दायर करने की मियाद ९० दिन की मुकर्रर है—अगर किसी डिक्री पर दस्तखत हाकिम अदालत न हुए हों तो वैसे दस्तखत करने में जो दिन लगे हों वे दिन सिर्फ उस हालत में मुजरा मिलेंगे, जब नकल की दरखास्त डिक्री पर दस्तखत होने के पेश्तर गुजरानी गई हो—(सी पी ला रि. जिल्द १३ सफा ७८)—

मद १५७—अपील बनाराजगी तजवीज बरियत बमूजिब मजमूआ जाब्ता फौजदारी मसदरा सन १८९८ ई० के—छै महिना—उस हुक्म की तारीख से कि जिस की अपील हो—

तशरीह—पेश्तर मजमूआ जाब्ता फौजदारी के रू से ऐसी अपीलों के लिये मियाद मुकर्रर थी—

तीसरा हिस्सा—दरख्वास्तें

मद १५८—दरख्वास्तें बमोजिब मजमूआ जाब्ता दीवानी सन १९०८ ई० वास्ते रद्द कराने फैसला पंचायती के—दस दिन—उस तारीख से कि जब फैसला मजकूर अदालत में पेश किया जावे—

तशरीह—अगर मुकर्रर की हुई मुद्दत के अन्दर पंचों का फैसला रद्द कराने के वास्ते (जब कि कोई झगड़ा दरमियान म [illegible] अदालत में [illegible] पंचायत के पास तसफिया के वास्ते भेजा हो [illegible] तो बमूजिब मजमूआ जाब्ता दीवानी [illegible]

मे कि जिस की नाराजी से अपील हो—

तशरीह:—यह मद ऐसी अपीलों की मियाद के बास्ते है कि जो मजिस्ट्रेट दरजा दूसरा या तीसरा के हुक्म सजा की नाराजी से मजिस्ट्रेट जिला की अदालत में, या मजिस्ट्रेट जिला या मजिस्ट्रेट दरजा अव्वल के हुक्म सजा की नाराजी से साहब सेशन्स जज की अदालत में पेश की जावे—

मद १५५—अपील बअदालत हाई कोर्ट बमूजिब मजमूआ मजकूर सिवाय उन सूरतों के कि जिन का जिक्र मद नम्बर १५० वो मद नं० १५७ में है—साठ दिन— उस हुक्म सजा या हुक्म की तारीख से जिस की नाराजी से अपील हो—

तशरीह:— जितना अरसा किसी कैदी की दरखास्त वास्ते मिलने नकल के भेजने में और उस अदालत से नकल मजकूर जहल खाना में पहुंचने में लगे वह सब कैदी के अपील की मियाद शुमार करते वक्त खारिज किया जायगा (इ. ला. रि मदरास जिल्द ६ सफा २५८ वो पंजाब रिकार्ड नं० ५ सन १८८८ ई०)—

अगर अपील लोकल गवर्नमेंट की तरफ से मुलजिम की बरीयत की नाराजगी से तारीख बरीयत के ६ माह के अन्दर की गई हो तो वह अन्दर मियाद समझी जावेगी वो ६० दिन का कायदा लागू न होगा–(इ ला रि कलकत्ता जिल्द २ सफा ४३६ इजलास कामिल)—

दफा ५ एक्ट मियाद अपील फौजदारी में लागू न होगी–(इ. ला रि. अलाहाबाद जिल्द ११ सफा १०)—

मद १५६—अपील बअदालत हाई कोर्ट बमूजिब मजमूआ जाब्ता दीवानी सन १६०८ ई० सिवाय उन सूरतों के जिन का जिक्र मद नं० १५१ वो मद नं० १५३ मे है—नब्वे दिन—उस डिगरी या हुक्म की तारीख से जिस की नाराजी से अपील हो—

तशरीह—नालिश हक शफा में जब डिगरी में एक ऐसी रकम के पटाय जाने के बावत शर्त हो कि जो अदालत में एक खास मुद्दत के अन्दर

मतालबा खफीफा या वह अदालत जिस को मुफस्सिल की अदालत मतालबा खफीफा का अखत्यार बख्शा गया हो, अखत्यार मजकूर की तामील करते वक्त फैसला की तजवीज सानी करे—पन्दरह दिन—डिगरी या हुक्म की तारीख से—

तशरीह—यह मद मुताबिक मद नम्बर १६० (अ) पुराने एक्ट मियाद नम्बर १५ सन १८७७ ई० के है—

मद १६२—दरखास्त इस मुराद से कि अदालत हाई कोर्ट मुकाम फोर्ट विलियम (कलकत्ता) वो मद्रास वो बम्बई या अदालत चीफ कोर्ट पंजाब, या चीफ कोर्ट लोअर बरमा, बताभील अपने अखत्यार समाअत इब्तदाई के फैसला की तजवीज सानी करे—बीस दिन—डिगरी या हुक्म की तारीख से—

नोट:—देखो दफा ११४ आरडर ४७ कायदा १ मजमुआ जाब्ता दीवानी एक्ट न ५ सन १६०८ ई०

मद १६३—दरखास्त मिनजानिब मुद्दई बमुराद मंसूखी हुक्म मनसूखी डिसमिसी जो अदम पैरवी में या तलबाना न पटाने या खरचा की जमानत न पेश करने की वजह से की गई हो—तीस दिन—डिसमिस होने की तारीख से—

तशरीह—जब किसी मुकदमा की पैरवी के लिये मुद्दई तारीख पेशी पर हाजिर न आवे और उसकी गैर हाजिरी में मुकदमा अदम पैरवी में डिसमिस किया जाए तो वह इस मद के बमूजिब तारीख डिसमिसी से तीस दिन के अन्दर दरखास्त इस मजमून की पेश कर सकता है कि हुक्म डिसमिसी का मसूख होकर मुकदमा नम्बर साबिक पर कायम किया जाय—

इस मद में कुछ तरमीम की गई है यानी अलफाज तलबाना न देने या खरचा जमानत न पेश करने की वजह से बढ़ाये गये हैं—

अगर कोई वकील सिर्फ पेशी बढ़वाने के लिये हाजिर होवे और कहे कि उसे मुकदमा की पैरवी के लिये मुवक्किल की तरफ से [illegible] हुक्म नहीं है तो वकील की ऐसी हाजरी बगैर हाजरी के समझी [illegible]

अदालत की मुताबिक फैसला पचायती अपना फैसला सुनाना लाजिम है, बशर्ते कि अदालत की फैसला मजकूर पचो के पास दुबारा लिहाज के लिये वापस करने में काफी सबब जान पड़े—मद १५८ दफा ५२५ (जमीमा २ दफा १४ में लिखे हुए वजूहात में से किसी वजूहात पर फैसला पचायती की मसूख कराने की दरखास्त से ताल्लुक रखता है (इ ला. रि. अलाहबाद जिल्द ८ सफा ६४)—

यह मद ऐसी दरख्वास्त में लागू होगा जो पचायत के, फैसला को इस बिना पर मसूख कराने के लिये गुजरानी जावे कि फैसला पचायती के वक्त पाच पचो में से तीन पच गैर हाजिर थे (इ ला रि कलकत्ता जिल्द २६ सफा ३६)—

दस रोज की मियाद उस वक्त से शुमार की जावेगी जब कि पचायती फैसला रजिस्ट्रार के दफ्तर में वसूली के लिये पहुचा—न कि उस वक्त से जब वह शामिल किया गया—(कलकत्ता वी नो. जिल्द ५ सफा ८१३)—

मद १५६—दरख्वास्त वास्ते इजाजत हाजिर होने और जवाब देही करने नालिश बमोजिब कार्रवाई सरसरी मुतजिक्करे दफा १२८ (२) च, मजमूआ जाब्ता दीवानी सन १६०८ ई० के—दस दिन—उस तारीख से कि जब समन की तामील हो जावे—

नोट—देखो दफा १३३ मजमूआ जाब्ता दीवानी एक्ट न० १४ सन १८८२ ई० यानी आरडर न० ३७ कायदा ३ एक्ट ५ सन १६०८—

मद १६०—दरखास्त वास्ते हुक्म हस्व मजमूआ मजकूर ऐसी दरखास्त तजवीज सानी को फिर से नम्बर पर कायम कराने के लिये, जो बइल्लत अदम हाजरी सायल बवक्त पेशी दरखास्त नामंजूर हुई हो,—पन्द्रह दिन—उस तारीख से जब दरखास्त तजवीज सानी की नामंजूर की जाय—

तशरीह—यह मद उस वक्त लागू होगा कि जब दरखास्त तजवीज सानी की सायल की गैर हाजिरी में नामजूर की जावे.

मद १६१—इस मुराद से कि मुफस्सिल की अदालत

६ सफा ८९९) और न तारीख नीलाम से तीस दिन के अन्दर दरखास्त पेश हो सकती है (इ ला रि अलाहाबाद जिल्द ७ सफा ३४५ हर प्रसाद बनाम-- जाफरअली)—

मद १६५—दरखास्त बमोजिब मजमुआ जाब्ता दीवानी (एक्ट सन १९०८ ई०) के उस शख्स की तरफ से कि जो जायदाद गैर मनकूला से बेदखल किया गया हो, और डिगरी दार या खरीदार नीलाम इजराय डिगरी के जायदाद मजकूर पर कब्जा दिलाये जाने के इस्तहकाक पर उजर रखता हो— तीस दिन—तारीख बेदखली से--

तशरीह:—जो दरखास्त डिगरीदार या खरीदार नीलाम की तरफ से, कि जो बाजाब्ता कब्जा हासिल करने से रोका जावे, पेश की जावे उस में मजमुआ जाब्ता दीवानी की दफा ३२८, वो ३३४, ३३५ आरडर २१ कायदा ९७,९८, १०३ और एक्ट मियाद के मद १६७ का लागू होगा अदालत से बाजाब्ता कब्जा मिल जाने के बाद डिगरीदार या खरीदार नीलाम मदयून डिगरी पर नालिश नम्बरी बाबत कबजा के अगर जरूरत पड़े दायर कर सकता है (इ, ला रि. कलकत्ता जिल्द ११ सफा ९३) और खरीददार नीलाम भी इसी तरह की नालिश, डिगरी जारी करने वाली अदालत में, कोई दरख्वास्त पेश न करने के बगैर, दायर कर सकता है (इ ला रि कलकत्ता जिल्द १४ सफा ६४४ दो जिल्द १० मदरास सफा ५३)

इस मद के बमूजिब दरखास्त बनाम डिगरीदार या खरीदार के दी जा सकती है (देखो दफा ३३२ वा ३३५ आरडर २१ कायदा १००, १०१, १०२, १०३, ९७, ९९) मजमूआ जाब्ता दीवानी—

जब किसी डिगरी के इजराय में अदालत से नीलाम मंजूर कर लिया गया और खरीदार को कब्जा भी दे दिया जावे तो खरीदार मजकूर को बेदखल करने की गरज से उस तारीख के तीस दिन गुजर जाने के बाद कि जब मायम बेदखल किया गया। कोई दरख्वास्त पेश न हो सकेगी सिवाय इस सूरत के कि जो इस एक्ट में दर्ज है (इ ला रि. कलकत्ता जिल्द ७ सफा ६१ मोहम्मद हुसैन बनाम—क [illegible] सिंग)

जब पेशी बढ़ाने की दरखास्त ना मजूर की जावे और वह मुकदमा से हाथ खींच लेवे और नालिश खारिज हो जावे, तो ऐसे फैसला की निसबत इस मद की मनशा के लिये ऐसा समझा जावेगा कि वह बइल्लत अदम पैरवी खारिज किया गया (इं० ला रि. अलाहाबाद जि० २२ सफा ६५ इजलास कामिल)

मद १६४—दरखास्त मुद्दायलेह की तरफ से बमुराद हासिल करने हुक्म मंसूखी फैसला एक तरफा के—तीस दिन—तारीख डिगरी से या जब समन की तामील न हुई हो, तो उस तारीख से जब सायल को डिगरी का इल्म हुवा हो—

तशरीह:—देखो दफा १०८ यानी आरडर ९ कायदा १३ मजमूआ जाब्ता दीवानी और मुलाहिजा करो मद १६९ एक्ट मियाद हाल का—

मुद्दायलेह पर एक तरफा डिगरी सादिर हो जाने के बाद वह किसी वक्त भी उस डिगरी के मसूख कराने की दरखास्त पेश कर सकता है लेकिन जब तक डिगरी मजकूर का दर असल इजराय न किया जाये तब तक ऐसी दरखास्त के लिये मियाद शुरू न होगी—

जब कोई मुद्दायलेह किसी मुकदमा की पहली पेशी पर हाजिर आवे लेकिन बढ़ाई हुई पेशी पर वह हाजिर न हो और इस तारीख को उस के बरखिलाफ डिगरी सादिर की जाए तो ऐसी हालत में यह डिगरी बतौर डिगरी एक तरफा हस्ब मनशाय दफा १०८ (आरडर ९ कायदा १३) मजमूआ जाब्ता दीवानी के न समझी जावेगी (इ. ला रि कलकत्ता जिल्द २१ सफा २६९ सीतल हरी--बनाम--हीरालाल)—

इस मद के बमूजिब तारीख इजराय हुक्म नामा वास्ते जारी करने फैसला के वह तारीख समझी जावेगी कि जब मदयून डिगरी के जान या माल की कुर्की के वास्ते किसी हुक्म नामा की तामील दर असल की जावे, न कि वह तारीख कि जब इत्तला नामा बनाम मुद्दायलेह इस मजमून का जारी हो कि डिगरी न जारी किये जाने का वह सबब बतलावे (इ ला रि कलकत्ता जिल्द २ सफा १२३)--कुरकी के बाद, न कि इश्तेहार नीलाम के बाद तीन दिन के अंदर इस मद के बमूजिब दरखास्त पेश होना चाहिये (इ. ला. रि. कलकत्ता जि०

मद १६७—दरखास्त इस्तगासा रोक टोक या मजाहमत हवालगी कब्जा जायदाद गैर मनकूला जिस की डिगरी हुई हो या जो बइल्लत इजराय डिगरी नीलाम हुई हो—तीस दिन—तारीख रोक टोक या मजाहमत से

तशरीह:—यह मद ऐसी दरखास्तों से ताल्लुक रखता है जो हस्ब दफा ३२८ [आर्डर २१ कायदा ९७] मजमूआ जाब्ता दीवानी के पेश की जावे—जब वारट कब्जा जमीन की तामील इस वजह से न की जावे कि मदयून डिग्री ने माह सितम्बर सन १८८० ई० में कब्जा देने में मुजाहमत की आर इस के बाबत कोई दरखास्त अदालत में न दी जाए बल्कि पीछे से वारट सानी जारी किया जावे और इस वारट की तामील में भी मुजाहमत माह जनवरी सन १८८१ ई० में की गई हो, तो ऐसी हालत में जो दरखास्त दुबारा मुजाहमत की तारीख से तीस दिन के भीतर पेश की जावे वह अन्दर मियाद समझी जाएगी—(इ. ला' रि. मद्रास जिल्द ५ सफा ११३)

डिगरीदार पर दरखास्त बमूजिब दफा ३२८ [आर्डर २१ कायदा ९७] मजमूआ जाब्ता दीवानी सन १८८२ ई० के देना लाजिम नहीं है, बल्कि वह बजरिये नालिश नम्बरी कार्रवाई कर सक्ता है (इ ला रि बम्बई जिल्द ८ सफा १०२,) और अगर वह तीस दिन के अन्दर दरखास्त मजकूर न पेश कर सके तो वह सिर्फ बजरिये नालिश कार्रवाई कर सक्ता है—(इ ला रिपोर्ट कलकत्ता जिल्द ५ सफा ३३१)

जब कोई नाबालिग खरीद की हुई जायदाद में मुजाहमत किये जाने के बाद बालिग हो जावे तो वह बालिग होने के बाद एक महिना के अन्दर अपनी दरखास्त पेश कर सक्ता है (इ ला रि बम्बई जिल्द ११ सफा ४७३ विनायकराव—बनाम—देवराव).

मद १६८—दरखास्त ऐसी अपील को नये सिरे से मंजूर होने के लिये, जो अदम पैरवी में खारिज की गई हो—तीस दिन—खारिज होने की तारीख से

तशरीह:—यह मद पुराना एक्ट मियाद न० १५ सन १८७७ ई० के मद १६८ से मिलता है और उन दरखास्तों से मुताल्लुक है कि जो बमूजिब दफा

मद १६६—दरख्वास्त बमूजिब जाब्ता दीवानी वास्ते मंसूखी नीलाम इजराय डिकरी —तीस दिन—नीलाम की तारीख से—

तशरीह.—यह मद पुराने एक्ट न. १५ सन १८७७ ई० के मद १६६ वो १७२ से लिया गया है

जो दरखास्त बमूजिब दफा ३१४ आरडर २१ कायदा ७२ वो ३११ कायदा ६० आरडर २१ मजमुआ जाब्ता दीवानी के वास्ते मसूखी नीलाम बर बिनाए बेजाब्तगी मुश्तहरी या तामील नीलाम वगैरा के पेश की जावे उस मे यह मद लागू होगा, लेकिन यह म दरखास्त मनसूखी नीलाम बर बिना फरेब में लागू न होगा, और यह फरेब ऐसे इकरार के बर खिलाफ कार्रवाई करके वकूअ में आया कि जो दरमियान डिगरीदार और मदयून डिगरी के ठहरा हो और वे या नीलाम मजकूर का इल्म फरेबन मदयून डिगरी से छुपा रखा गया हो (इं. ला रि. बम्बई जिल्द ६ सफा ४६८ सखाराम—बनाम—दामोदर)

जब नीलाम बमूजिब दफा ३१२ (आरडर २१ कायदा ६२) मजमुआ जाब्ता दीवानी के मजूर किया जाय तो ऐसी हालत में दरखास्त मसूखी नीलाम मजकूर हस्ब दफा ३११ (आरडर २१ कायदा ६०) मजमुआ मजकूर की न सुनी जाएगी हाला कि यह ब्यान किया गया हो कि उस नीलाम का इल्म सायल से फरेबन छुपा रखा गया था लेकिन अगर मजूरी नीलाम के पेश्तर और तारीख नीलाम के तीस दिन बाद फरेब बयान करके कोई दरखास्त पेश की जाय तो ऐसी दरखास्त इस एक्ट की दफा १८ के मुताबिक सुनी जा सकती है बशर्ते कि फरेब साबित कर दिया जावे (इ ला. रि. कलकत्ता जिल्द १४ सफा १७६ गोविन्दचन्द—बनाम—उमाचरन)

एक मदयून डिक्री की जायदाद नीलाम हो गई थी, उस ने जरूरी रकम को बमूजिब आर्डर नं. २१ कायदा ८६ मजमुआ जाब्ता दीवानी के नीलाम की तारीख से ३० दिन के अन्दर दाखिल कर दिया—मगर इस मुद्दत के अन्दर उस ने दरखास्त वास्ते मन्सूखी नीलाम पेश नहीं किया, तो ऐसी सूरत में सिर्फ रूप्या जमा कर देने से यह न समझा जावेगा कि उस ने मन्सूखी की दरखास्तभी दिया, चूंकि दरखास्त मन्सूखी ३० दिन गुजरने के बाद दी गई, इस लिये वह बेरूं मियाद करार दी गई—(इ ला रि कलकत्ता जिल्द ३८ सफा ३५५)

नक़ल हासिल करने में लगे हों अगर दरख्वास्त वास्ते मिलने इजाजत अ[illegible] मुफलिसी की मियाद के बाहर पेश की जाने तो अदालत, हस्ब मनशा दफा एक्ट हाजा के ऐसी देरी माफ करके दर्ख्वास्त मजकूर को अन्दर मियाद नहीं कर दे सक्ती है, हालाकि देरी का माकूल सबब बतलाया गया हो [इ० ला रि मद्रा जिल्द २ सफा २३० वो अलाहाबाद जिल्द १२ सफा ७६)

मद १७१—दरख्वास्त बमोजिब मजमूआ जाब्ता दीवानी सन १९०८ ई० वास्ते मंसूखी उस हुक्म के जो साकित होने की बाबत हो—साठ दिन —उस हुक्म की तारीख से जो साकित होने की बाबत हो

तशरीह:—यह मद पेश्तर एक्ट न ६ सन १८७१ ई० में न था और एक्ट मियाद सन १८७७ में बजरिये एक्ट न १२ सन १८७६ ई० के यह मद बढाया गया था.

अगर मुद्दई मर जाए और उस का जायज कायम मुकाम ६० दिन के अन्दर मुद्दई करार दिये जाने की कार्रवाई न करे तो मुकदमा साकित होगा यानी कार्रवाई बन्द हो जावेगी, लेकिन अगर जायज कायम मुकाम देरी का माकूल सबब जाहिर करे तो अदालत वैसे कायम मुकाम की दरखास्त पेश होने पर मुकदमा को असली नंबर पर कायम कर सक्ती है—[इ ला रि कलकत्ता जि ५ सफा १२६].

मद १७२—दरख्वास्त बमोजिब मजमूआ जाब्ता दीवानी किसी दिवालिया मुद्दई या अपीलान्ट के मुन्तकिल अलेह या रिसीवर की तरफ से वास्ते हुक्म मंसूखी डिसमिसी नालिश या अपील के—साठ दिन—तारीख डिसमिसी से—

तशरीह—यह मद पुराने एक्ट के मद न. १७१ में मिलता है—

मद १७३—दरख्वास्त तजवीज सानी फैसला सिवाय उन सूरतों के जिन की निस्बत मद नं १६१ और मद नं १६२ में हुक्म दर्ज है—नव्वे दिन—तारीख डिगरी या हुक्म से—

तशरीह—दरख्वास्त तजवीज सानी, हाला कि यह इस मद के मुताबिक अन्दर मियाद हो, पूरे स्टाम्प पर होना चाहिये, अगर यह ८६ दिन के बाद

५५८ (आर्डर ४१ कायदा १६) मजमूआ जाब्ता दीवानी के पेश की जाए.

यह मद ऐसी दरखास्त में लागू न होगा जो वास्ते नये सिरे से मजूर किये जाने ऐसे अपील के गुजरानी जावे जिसकी पेशी बमूजिब दफा ५५१ (आर्डर ४१ कायदा ११ मजमूआ जाब्ता दीवानी) मुकर्रर की गई हो और अपीलाट के वकील की अदम पैरवी की वजह से खारिज की गई हो—(पंजाब रिकार्ड नं ७६ सन १८८२)

मद् १६६—दरखास्त वास्ते समाअत नये सिरे से उस अपील की जो एक तरफा सुनी गई हो—तीस दिन—तारीख डिगरी से जो अपील मे सादिर हुई हो, या जब अपील का नोटिस बाजाब्ता तामील न हुवा हो तो उस तारीख से कि जब सायल को डिगरी का इल्म होवे

तशरीह:- —यह मद पेश्तर एक्ट न. ९ सन १८७१ ई० में न था—वह सिर्फ दरखास्तें बमूजिब दफा ५६० [आर्डर ४१ कायदा २१] मजमूआ जाब्ता दीवानी सन १८८२ ई० में लागू होगा—जो मुद्दत इस मद में दर्ज है उस के बढ़ाने का अख्त्यार अदालत को नहीं है—(पंजाब रिकार्ड न ६६ सन १८८५ ई० शेर—बनाम—मोहनसिंग).

मद न. १६६ सिर्फ वैसी सूरत में लागू होगा जब कि अपील रिस्पानडेंट की गैर हाजरी में इक तरफा सुनी गई हो—मगर मद १६४ ऐसी दरखास्त में लागू होगा जो बमूजिब दफा १०८ (आर्डर ९ कायदा १३) मजमूआ जाब्ता दीवानी असली डिक्री की मन्सूखी के वास्ते गुजरानी जावे चाहे वैसी दरखास्त अदालत इबतदाई में या अदालत अपील में गुजरानी जावे—(मद्रास ला जरनल जि. १७ सफा ४३६).

मद् १७०—दरख्वास्त वास्ते मिलने इजाजत अपील मुफलिसी के—तीस दिन—उस डिगरी की तारीख से कि जिस की अपील हो.

तशरीह —यह मद दरखास्त हस्ब दफा ५९२ (आर्डर ४४ कायदा १) मजमूआ जाब्ता दीवानी से ताल्लुक रखता है—जब कि वाद मुजरा करने वह दिन कि जिस तारीख को फैसला सुनाया गया और उस अरसा के कि जो डिगरी की

ब्ता दीवानी किसी रूप्या की अदाई के बाबत डिगरी सादिर हो जाने के बाद अदालत को अख्त्यार है कि मद्यून डिगरी की दरखास्त पर और डिगरीदार की रजामन्दी के साथ यह हुक्म देवे कि जर डिगरी बजरिये किस्त अदा किया जाय, लेकिन जब किस्तों के जरिये अदाई का ऐसा हुक्म, दोनों फरीकैन की दरखास्त पर तारीख डिगरी के बाद छे महीना से ज्यादा अरसा के गुजर जाने पर सादिर किया जावे तो ऐसी हालत में हुक्म मजकूर की पाबन्दी फरीकैन पर लाजिमी है चाहे मद १७५ में कुछ भी लिखा हो (इ ला रि. कलकत्ता जिल्द १५ सफा ५०२ मनमोहन–बनाम–दुरगाचरन).

मद १७६—दरखास्त बमोजिब मजमुआ जाब्ता दीवानी इस बारे में कि मुतवफ्फी मुद्दई या मुतवफ्फी अपीलान्ट का जायज कायम मुकाम फरीक बनाया जावे—छे महिना—तारीख मौत मुद्दई मुतवफ्फी या अपलिान्ट मुतवफ्फी के—

तशरीह:—यह दो मद १७६ वो १७७ पुरान एक्ट मियाद न १५ सन १८७७ ई० के तीन मद यानी १७१ (अ) व १७१ (ब) व १७५ (क) के एवज में कायम किये गये हैं, यह कार्रवाई हस्ब मशा तिफारश खास कमेटी सन १९०७ ई० से की गई.

यह मद नालिशों और अपीलों में सिर्फ उन दरखास्तों से ताल्लुक रखता है कि जो हस्ब दफा ३६९ [आरडर २२ कायदा ३(१)] मजमूआ जाब्ता दीवानी के डिगरी सादिर किये जाने के पहिले पेश की जावे.

इस मुकदमा में अपीलान्ट मुतवफ्फी के नाबालिग बेटों की तरफ से एक दरखास्त इस गरज से पेश की गई, कि उन का नाम मिस्ल में अपीलान्ट मुतवफ्फी की जगह पर दर्ज किया जावे—ऐसी दरखास्त उस सूरत में पाबन्द मियाद समझी जावेगी, कि जब अपील के बारे में दरखास्त की तारीख को कोई कतई हुक्म न सादिर हुआ हो, हालांकि दरखास्त मजकूर उस मुद्दत के गुजर जाने के बाद पेश की गई हो कि जो इस मद में लिखी है (पंजाब रिकार्ड नम्बर १०३ सन १८८१ ई० सरवरजान–बनाम–दीना)

मद १७७—दरखास्त बमोजिब मजमूआ जाब्ता दीवानी इस बारे में कि मुतवफ्फी मुदायलेह या मुतवफ्फी रिस्पांडेन्ट का

पेश की जाय, याने वह मियाद गुजर जाने पर जो वजरिये मद ४ जमीमा १ एक्ट कोर्ट फीस के मुकर्रर की गई है, लेकिन अगर दरखास्त तजवीज सानी, तारीख डिगरी से नव्वे दिन के पेश्तर पेश की जाय तो वह आधे स्टाम्प पर होगी—

दरखास्त तजवीज सानी के साथ नकल डिक्री या हुक्म या फैसला जिस की तजवीज सानी चाही जावे शामिल करने की जरूरत न होगी (इ. ला रि. इलाहाबाद जिल्द १७ सफा २१३).

मद १७४—दरख्वास्त वास्ते इजराय (नोटिस) इत्तलानामा, बमोजिब मजमूआ जाब्ता दीवानी मजकूर बगर्ज दिखाने इस वजह के कि किस लिये अदालत के बाहर का जर डिगरी या तसफिया डिगरी बतौर तसदीक के कलमबन्द न किया जाय—नव्वे दिन—उस तारीख से कि जब रूपया अदा किया गया हो या तसफिया अमल मे आया हो—

तशरीह—जब डिगरीदार किसी रकम की अदाई या जर डिगरी के तसफिया की तसदीक अदालत में पेश करना चाहे तो उस के वास्ते कोई मियाद मुकर्रर नहीं है और वह कितना भी अरसा गुजर जाने के बाद ऐसी तसदीक कर सकता है (इ. ला रि. बम्बई जिल्द ११ सफा ५०६ परमानन्द--बनाम--बल्लभदास) डिगरीदार अपनी दरखास्त इजराय डिगरी में जर डिगरी के अदाई या उस के दीगर तौर पर तसफिया की तसदीक लिख सकता है (देखो दफा २३५ (आरडर २१ कायदा ११) मजमूआ जाब्ता दीवानी)

यह मद पुराने एक्ट मियाद न. १५ सन १८७७ के मद न. १७३ [अ] के एवज में कायम किया गया है और पुराना मद न १७४ नये एक्ट से खारिज किया गया है, क्योंकि वह मद अजरूय एक्ट दिवालिया (प्रावंशल इनसाल वेन्सी) सन १६०७ जो १ जनवरी सन १६०८ से अमल में आया मंसूख किया गया

मद १७५—दरख्वास्त वास्ते अदा होने जर डिगरी वजरिये किस्तों के—छे महीना—तारीख डिगरी से.

तशरीह—अजरूय दफा २१० (आरडर २० कायदा ११]मजमूआ जा-

ब्ता दीवानी किसी रूप्या की अदाई के बाबत डिगरी सादिर हो जाने के बाद अदालत को अख्त्यार है कि मद्यून डिगरी की दरख़ास्त पर और डिगरीदार की रजामन्दी के साथ यह हुक्म देवे कि जर डिगरी बजरिये किस्त अदा किया जाय, लेकिन जब किस्तों के जरिये अदाई का ऐसा हुक्म, दोनों फरीकैन की दरखास्त पर तारीख डिगरी के बाद छे महीना से ज्यादा अरसा के गुजर जाने पर सादिर किया जावे तो ऐसी हालत में हुक्म मजकूर की पाबन्दी फरीकैन पर लाजिमी है चाहे मद १७५ में कुछ भी लिखा हो (इ ला रि. कलकत्ता जिल्द १५ सफ़ा ५०२ मनमोहन–बनाम–दुरगाचरन).

मद १७६—दरख्वास्त बमोजिब मजमुआ जाब्ता दीवानी इस बारे मे कि मुतवफ्फी मुद्दई या मुतवफ्फी अपीलान्ट का जायज कायम मुक़ाम फरीक़ बनाया जावे—छे महिना—तारीख मौत मुद्दई मुतवफ्फी या अपलिान्ट मुतवफ्फी के—

तशरीह—यह दो मद १७६ व १७७ पुराने एक्ट मियाद न १५ सन १८७७ ई० के तीन मद यानी १७१ (अ) व १७१ (ब) व १७५ (क) के एवज में कायम किये गये हैं, यह कार्रवाई हस्ब मन्शा सिफ़ारश खास कमेटी सन १९०७ ई० से की गई

यह मद नालिशों और अपीलों में सिर्फ उन दरखास्तों से ताल्लुक रखता है कि जो हस्ब दफा ३६९ [आरडर २२ कायदा ३(१)] मजमूआ जाब्ता दीवानी के डिगरी सादिर किये जाने के पहिले पेश की जावे

इस मुकदमा में अपीलान्ट मुतवफ्फी के नाबालिग बेटों की तरफ से एक दरखास्त इस गरज से पेश की गई, कि उन का नाम मिसल में अपीलान्ट मुतवफ्फी की जगह पर दर्ज किया जावे—ऐसी दरखास्त उस सूरत में अन्दर मियाद समझी जावेगी, कि जब अपील के बारे में दरख्वास्त की तारीख को कोई हुक्म न सादिर हुवा हो, हालांकि दरखास्त मजकूर उस मुद्दत के गुजर जाने के बाद पेश की गई हो कि जो इस मद में लिखी है (पंजाब रिकार्ड नम्बर १०१ सन १८८१ ई० सरदारजान–बनाम–दीवा).

मद १७७—दरख्वास्त बमोजिब मजमूआ जाब्ता दीवानी इस बारे मे कि मुतवफ्फी मुदायलेह या मुतवफ्फी रिस्पान्डेन्ट या

पेश की जाय, याने वह मियाद गुजर जाने पर जो बजरिये मद ४, जमीमा १ एक्ट कोर्ट फीस के मुकर्रर की गई है, लेकिन अगर दरखास्त तजवीज सानी, तारीख डिगरी से नब्वे दिन के पेश्तर पेश की जाय तो वह आधे स्टाम्प पर होगी–

दरखास्त तजवीज सानी के साथ नकल डिक्री या हुक्म या फैसला जिस की तजवीज सानी चाही जावे शामिल करने की जरूरत न होगी (इ ला रि, अलाहाबाद जिल्द १७ सफा २१३).

मद १७४—दरख्वास्त वास्ते इजराय (नोटिस) इत्तलानामा, बमोजिब मजमूआ जाब्ता दीवानी मजकूर बगर्ज दिखाने इस वजह के कि किस लिये अदालत के बाहर का जर डिगरी या तसफिया डिगरी बतौर तसदीक के कलमबन्द न किया जाय— नब्वे दिन—उस तारीख से कि जब रूपया अदा किया गया हो या तसफिया अमल में आया हो—

तशरीहः—जब डिगरीदार किसी रकम की अदाई या जर डिगरी के तसफिया की तसदीक अदालत में पेश करना चाहे तो उस के वास्ते कोई मियाद मुकर्रर नहीं है और वह कितना भी अरसा गुजर जाने के बाद ऐसी तसदीक कर सकता है (इ. ला रि. बम्बई जिल्द ११ सफा ५०६ परमानन्द--बनाम--बल्लमदास) डिगरीदार अपनी दरखास्त इजराय डिगरी में जर डिगरी के अदाई या उस के दीगर तौर पर तसफिया की तसदीक लिख सकता है (देखो दफा २३९ (आरडर २१ कायदा ११) मजमूआ जाब्ता दीवानी).

यह मद पुराने एक्ट मियाद न. १९ सन १८७७ के मद न. १७३ [अ] के एवज में कायम किया गया है और पुराना मद न १७४ नये एक्ट मे खारिज किया गया है, क्योंकि वह मद अजरूय एक्ट दिवालिया (प्राविन्शल इनसालवेन्सी) सन १९०७ जो १ जनवरी सन १९०८ से अमल में आया मंसूख किया गया .

मद १७५—दरख्वास्त वास्ते अदा होने जर डिगरी बजरिये किस्तों के—छे महीना—तारीख डिगरी से.

तशरीहः—अजरूय दफा २१० (आरडर २० कायदा ११]मजमूआ जा-

क्योंकि सन १६०८ ई० का एक्ट मियाद ता० १ जनवरी सन १६०६ ई० को अमल में आया था गो वह ता० ७ अगस्त सन १६०८ ई० को मजूर हुवा था–(इ ला. री. मदरास जिल्द ३४ सफा २६२)—

मद १७८—दरख्वास्त बमूजिब मजमूआ जाब्ता दीवानी के इस गरज से कि एक पचायती फैसला किसी मामला का जो अदालत के हुक्म से या किसी मामला का जो बगैर तवस्सुत अदालत के पंचो के पास फैसला के वास्ते भेजा गया हो, अदालत मे दाखिल किया जावे—छे महीना—तारिख फैसला से—

तशरीह:—तारीख फैसला पचायती से सिर्फ वह खास तारीख दरखास्त करने की मुराद नही है जो फैसला मजकूर में दर्ज हो, बल्कि उस से वह तारीख मुराद है कि जब फैसला पचायती फरीकैन को दिया गया, और जब वह फैसला का दरअसल असर रखे और उन के हवाला कर दिया जाए कि जिस मे व लोग उस के मुताबिक कार्रवाई कर सकें (वीकली रिपोर्टर जिल्द २१ सफा २४८)—नोट—यह नजीर बमुकदमा इ. ला रि कलकत्ता जिल्द ६ सफा ५७५ (दत्तोसिंग–बनाम–दोसदबहादुर) में पसन्द की गई है—

यह मद पुराने एक्ट मियाद न. १५ सन १८७७ ई० के मद न १७६ के मुताबिक है, हाल के मद में दरखास्त की तफसील खोल दी गई है—

मद १७६—दरखास्त ऐसे शख्स की तरफ से, जो मद्दूजर मालिक मुअज्जम बादशाह बइजलास कौंसिल, बमूजिब मजमूआ जाब्ता दीवानी अपील पेश करना चाहता हो, वास्ते मिलने इजाजत वैसी अपील दायर करने के—छे माह—तारीख डिगरी से जिस की नाराजी से अपील हुई हो.

तशरीह—यह मद पुराने एक्ट मियाद सन १८७७ ई० के मद नं. १७६ के मुताबिक है, मगर दरखास्त की तफसील पुराने मद में सही तौर से खोली नहीं गई थी—

दफा ५६८(आरडर ४५ कायदा २) मजमूआ जाब्ता दीवानी सन १८८२ ई० में वैसी दरखास्त का जिक है, जो अपील करने वालों की तरफ से

जायज कायम मुकाम फरीक बनाया जावे—छे महिना—तारीख मौत मुदायलेह मुतवफ्फी या रिस्पाडेन्ट मुतवफ्फी से—

तशरीह:—यह मद पुराना एक्ट मियाद न. ९ सन १८७१ ई० में दर्ज न था और एक्ट मियाद सन १८७७ ई० में बजरिये एक्ट नं. १२ सन १८७९ के बढाया गया था.

दफा ३६८ (आडर २१ कायदा ४) मजमूआ जाब्ता दीवानी में यह हुक्म है कि अगर छे महीना के भीतर कायम मुकाम फरीक न बनाये जावें तो नालिश की कार्रवाई बन्द हो जावेगी सिवाय उस सूरत में कि जब मुद्दई अदालत को इतमीनान इस बात का करदें कि देरी के वास्ते काफी सबब था.

जो दरख्वास्त पहिली जौलाई सन १८८८ ई० के मुकदमा में कायम मुकाम के शामिल करने के बारे में पेश की जावे, वह फरीक मुतवफ्फी की मौत से छे माह के अन्दर होना चाहिये—(इ ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ११ सफा ४०८)—

यह मद सिर्फ दरखास्तें दौरान कार्रवाई नालिश नम्बरी में लागू होगा, न कि उस किस्म की दरख्वास्तों में कि जो मुतवफर्कात कार्रवाई में गुजरानी जावें (देखो छपे हुए फैसलेजात बम्बई हाई कोर्ट बाबत सन १८८४ ई० सफा ७२)—

यह मद मुफलिसी में लागू करने के लिये इजाजत मिलने की दरख्वास्त में लागू न होगा जब कि रिस्पान्डन्ट मर जाय और दरख्वास्त करने वाला रिस्पान्डन्ट के जायज कायम मुकाम को उस की जगह पर गरदाने की दरख्वास्त करता हो (इ ला री. बबई जिल्द ७ सफा २७३ जनार्धन—बनाम—अनन्त)—

मद १७७ एक्ट १५ सन १८७७ ई० वो दफा ३६८ (आरडर २२ कायदा ४) मजमूआ जाब्ता दीवानी एक्ट १४ सन १८८२ ई० कार्रवाई इजराय डिगरी में लागू न होंगे (इ. के जिल्द १० सफा ४०५)—

दफा ३० एक्ट मियाद, दरख्वास्तों को लागू न होगी, और दरख्वास्त वास्ते दर्ज कराने मिसल में नाम जायज कायम मुकामों का जो नया एक्ट मियाद के जारी होने की तारीख पर मद न० १७७ की रू से बेरू मियाद हो, अन्दर मियाद नहीं समझी जावेगी, चाहे उससे बड़ी तकलीफ या बेइन्साफी होवे,

जाब्ता फौजदारी के पेश की जावे–(इ. ला रि इलाहाबाद जिल्द १० सफा ३५०)—

यह मद ऐसी दरख्वास्त में भी लागू न होगा कि जो हस्ब दफा ८९ एक्ट इन्तकाल जायदाद सन १८८२ ई० के जायदाद मरहूना के नीलाम की डिगरी को कामिल कराने की गर्ज से पेश की जाय (इ ला रि इलाहाबाद जिल्द १६ सफा २३)—

दूसरी दरख्वास्त वास्ते इजराय डिगरी उसी किस्म की ऐसी पहिली दरख्वास्त के सिलसिले में वो उसी को सरसब्ज रखने की करार दी जायगी जिसमें उजरदारी या दावेदार पेश होने की वजह से खलल पड़ गया था, गो वैसी उजरदारी वो दावा बेबुनियाद था, या जिस की पहिली इजराय बसबब हुक्म इमतनाई या दीगर खलल पड़ने से मुल्तवी की गई थी–सब किस्म की दरख्वास्तें जो अदालत में पेश की जावें एक्ट मियाद की मनशा में अहकाम में दाखिल न होंगी–एक्ट मियाद ऐसी दरख्वास्त में लागू न होगा जो अदालत से वैसी कार्रवाई करा पाने के लिये गुजरानी जाय जिस की इन्कारी अदालत के अख्त्यार में न हो, और न एक्ट मजकूर ऐसी दरख्वास्त में लागू होगा जो अदालत को मुल्तवी कार्रवाई के खतम करने के लिये दी जाय या जिस में अखीर हुक्म मुदायलेह के फायदा के वास्ते या अदालत के सुबीता के वास्ते मुल्तवी रखा गया हो- मद नम्बर १८१ एक्ट मियाद ऐसी दरख्वास्त को लागू न होगा जो बमोजिब आर्डर न० ३४ कायदा ३ मजमूआ जाब्ता दीवानी बतौर हुक्म सादिर होने के लिये दी जाये (इ ला रि कलकत्ता जिल्द ३७ सफा ७६६)—

दूसरी दरख्वास्त इजराय डिगरी की पहिली दरख्वास्त के सिलसिले में उस सूरत में समझी जावेगी जब कि पहिली दरख्वास्त में इजराय डिगरी की आइन्दा कार्रवाई में मदयून डिगरी के हाई कोर्ट में अपील करने की वजह से खलल वाकै हुआ हो–कानून में ऐसा कोई हुक्म नहीं है कि जिस के जरिये डिगरीदार दौरान मुल्तवी अपील में अपनी इजराय डिगरी की कार्रवाई करने के लिये मजबूर किया जाए, खास कर जब कि वह डिगरी जो दर असल मनशा अपील के फैसला पर हो पस मद १८१ लागू होगा, और दूसरी दरख्वास्त

गुजरानी जावे, दफा ६०३ (आरडर ४५ कायदा ८ में अपील के मंजूर करने का जिक्र है--दफा ५९८ में हुक्म है कि दरखास्त में इस बात का सार्टीफिकट मिलने की अर्ज की जाय कि मामला वाजिब है, और उस में अपील करने की गुंजायश है--दफा ६०३ (आरडर न. ४५ कायदा ८) में यह हुक्म नही है कि दरख्वास्त वास्ते मंजूरी अपील के की जावे---

तशरीह:—जितना अरसा नक़ल फैसले के हासिल करने में, कि जिस की अपील की जावे, लगे, इस मद के मुताबिक मियाद शुमार करते वक्त खारिज न किया जावेगा-(इ ला रि अलाहाबाद जिल्द १सफा ६४४ वो मद्रास जिल्द १० सफा ३७३ वो मद्रास जिल्द १५ सफा १९९)—

मद १८०—दरख्वास्त ऐसे खरीदार जायदाद गैरमकूला की तरफ से जिसने इजराय डिगरी के नीलाम मे खरीदा हो वास्ते दिला पाने कब्जा के— तीन साल—उस तारीख से जब नीलाम कतई करार दिया जावे—

तशरीह:—यह मद नया कायम किया गया है—

मद १८१—वे दरखास्तें जिन के लिये इस जमीमा में या मजमूआ जाब्ता दीवानी सन १९०८ ई० की दफा ४८ में कोई मियाद मुकर्रर न हो—तीन साल—उस तारीख से कि जब दरख्वास्त गुजराने का हक पैदा हो—

तशरीह—यह मद पुराने एक्ट मियाद नम्बर १५ सन १८७७ ई० के मद नम्बर १७८ के मुताबिक है---

यह मद ऐसी दरख्वास्त से ताल्लुक न रखेगा कि जो वास्ते हुसूल सार्टीफिकट नीलाम बाद नीलाम इजराय डिगरी के पेश की जावे-(इ ला. रि. बम्बई जिल्द ६ सफा ५८६ विट्ठल जनार्दन—बनाम—विठोजीराव)—

जो दरख्वास्त इस गरज से किसी अदालत में पेश की जाय कि उस तसफिया पचायती के मुताबिक फैसला सादिर किया जावे कि जो अदालत मजकूर में दाखिल हो चुका है उस दरख्वास्त में यह मद लागू न होगा-(इ ला. रि. बम्बई जिल्द ७ सफा ३१६)--और न यह मद ऐसी दरख्वास्त से ताल्लुक रखेगा कि जो वास्ते चलाने मुकदमा फौजदारी बमुजिब दफा १९५ मजमूआ

ाब्ता फौजदारी के पेश की जावे—(इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द १० सफा ३५०)—

यह मद ऐसी दरख्वास्त में भी लागू न होगा कि जो हस्ब दफा ८९ ऐक्ट इन्तकाल जायदाद सन १८८२ ई० के जायदाद मरहूना के नीलाम की डिगरी को कामिल कराने की गर्ज से पेश की जाय (इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द १६ सफा २३)—

दूसरी दरख्वास्त वास्ते इजराय डिगरी उसी किस्म की ऐसी पहिली दरख्वास्त के सिलसिले में जो उसी को सरसब्ज रखने की करार दी जायगी जिसमें उजरदारी या दावेदार पेश होने की वजह से खलल पड़ गया था, गो ऐसी उजरदारी वो दावा बेबुनियाद था, या जिस की पहिली इजराय बसबब हुक्म इमतनाई या दीगर खलल पड़ने से मुल्तवी की गई थी—सब किस्म की दरख्वास्तें जो अदालत में पेश की जावें एक्ट मियाद की मनशा वो अहकाम में दाखिल न होंगी—एक्ट मियाद ऐसी दरख्वास्त में लागू न होगा जो अदालत में वैसी कार्रवाई करा पाने के लिये गुजरानी जाय जिस की इन्कारी अदालत के अखत्यार में न हो, और न एक्ट मजकूर ऐसी दरख्वास्त में लागू होगा जो अदालत को मुल्तवी कार्रवाई के खतम करने के लिये दी जाय या जिस को अखीर हुक्म मुद्दायलेह के फायदा के वास्ते या अदालत के सुभीता के वास्ते मुल्तवी रखा गया हो- मद नम्बर १८१ एक्ट मियाद ऐसी दरख्वास्त को लागू न होगा जो बमोजिब आर्डर न० ३४ कायदा ३ मजमूआ जाब्ता दीवानी कतई हुक्म सादिर होने के लिये दी जावे (इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द ३७ सफा ९६)—

दूसरी दरख्वास्त इजराय डिगरी की पहिली दरख्वास्त के सिलसिले में उस सूरत में समझी जावेगी जब कि पहिली दरख्वास्त में इजराय डिगरी की आइन्दा कार्रवाई में मदयून डिगरी के हाई कोर्ट में अपील करने की वजह से खलल वाके हुआ हो—कानून में ऐसा कोई हुक्म नहीं है कि जिस के रू से डिगरीदार दौरान मुल्तवी अपील में अपनी इजराय डिगरी की कार्रवाई करने के लिये मजबूर किया जाय, खास कर जब कि उस डिगरी पर ... दरख्वास्त ... अपील के फैसला पर हो पस मद १८१ लागू होगा, और दूसरी दरख्वास्त

इजराय डिगरी की बेरू मियाद न समझी जावेगी—(इ. के. जिल्द ११ सफा ६७२)—

इस मुकदमा में डिगरीदार को रहननामा की रू से जायदाद मरहूना के नीलाम करा पाने की डिगरी मिली—मदयून डिगरी ने अपील किया—मगर उस की अपील हाई कोर्ट से ता० ८ अप्रेल सन १८६३ ई० को खारिज की गई—अपीलान्ट ने अपील बहुजूर प्रीवी काउन्सल पेश किया, मगर उस ने उस की पैरवी की कुछ कार्रवाई नहीं किया—अपील प्रीवी काउन्सल अदम पैरवी में ता० १३ मई सन १६०१ को खारिज की गई—ता० १४ मई सन १६०४ ई० को डिगरीदार ने अदालत मातहत में हुक्म बेबात कतई करार देने की दरख्वास्त गुजरानी—दरख्वास्त इस विनाय पर खारिज की गई कि कार्रवाई बमोजिब दफा ६१० (आर्डर ४५—कायदा १५) मजमूआ जाब्ता दीवानी सन १८८२ ई० की तामील अमल में नहीं लाई गई—

डिगरीदार ने फिर ता० ११ जून सन १६०६ ई० को बमोजिब दफा ६१० (आरडर ४५ कायदा १५) दरख्वास्त पेश किया—और डिगरी अदालत मातहत को वास्ते इजराय भेजी गई—फिर यह हाल की दरख्वास्त वास्ते करार देने हुक्म कतई के दी गई—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि जो मदयून डिगरी की अपील अदम पैरवी में खारिज हुई थी वैसी खारजी से हाई कोर्ट की डिगरी हस्ब मन्शा दफा ५६६ मजमुआ जाब्ता दीवानी सन १८८२ ई० (यानी दफा ११० जा० दीवानी सन १६०८) बतौर बहाल समझी जावेगी, इस से कुछ मतलब नहीं कि अपील किन वजूहात पर खारिज हुई, हुजूर बादशाह शहनशाह मोअज्जम का हुक्म निस्बत खारिजी अपील अदम पैरवी में बतौर बहाली डिगरी हाई कोर्ट तसौवर होगा और वह काबिल तामील समझा जावेगा, और जो दरख्वास्त ऐसे हुक्म की तामील अमल में लाने के लिये तारीख हुक्म से बारा साल के अन्दर गुजरानी जाये, उस में मद न. १८० एक्ट मियाद सन १८७७ ई० (मद १८३ एक्ट मियाद सन १६०८) लागू होगा और वैसी दरख्वास्त अन्दर मियाद समझी जावेगी (इ ला रि अलाहाबाद जिल्द ३३ सफा १६४).

मुर्तहन को रहननामा की रू से इन्तदाई डिगरी ता० १६ दिसम्बर सन १८८६ ई० को हाई कोर्ट से मिली थी, उस ने हुक्म वैबात को कतई

करार देने के लिये दरख्वास्त ता० ३ जुलाई सन १९०६ ई० को पेश किया, वैसी दरख्वास्त बमोजिब मद न १८३ बेरू मियाद करार दी गई, क्योंकि दरख्वास्त मजमून मुताबिक मन्शा मद न १८३ ऐसी समझी जायगी कि जो फ़ैसला की तामील कराने की गर्ज से दी गई लफ़्ज "तमील कराना" के मायनी सिर्फ इस बात पर महदूद नहीं है, कि इजराय करा कर रकम वसूल की जाय, उस का मतलब चौड़ा वो फैलाव के साथ निकालना चाहिये (कलकत्ता वीकली नोट जिल्द ११ सफा ४१)

मद १८२—दरख्वास्त इजराय डिगरी या हुक्म अदालत दीवानी की, जिस के लिये मद नं. १८३ या मजमूआ जाब्ता दीवानी सन १९०८ ई० की दफा ४८ में हुक्म नहीं है—तीन साल—या जिस हाल में कि तसदीक शुदा नकल डिगरी या हुक्म की दर्ज रजिस्टर हुई हो तो—छे साल—

(१) तारीख डिगरी या हुक्म से, या

(२) जिस हाल में कि अपील हुई हो, तो अदालत अपील के अखीर डिगरी या हुक्म की तारीख से, या अपील की वापसी से—

(३) जिस हाल में कि तजवीज सानी की गई हो, तो उस तजवीज सानी के फैसला की तारीख से, या

(४) जिस हाल में कि डिगरी तरमीम की गई हो, तो तारीख तरमीम से, या

(५) (जिस हाल में कि दरख्वास्त जिस का जिक्र आगे किया जाता है) दरख्वास्त की तारीख से, जो मुताबिक कानून अदालत मुनासिब में वास्ते इजराय डिगरी, या वास्ते अमल में लाने किसी तदबीर बमदद इजराय डिगरी या हुक्म के की गई हो; या

(६) (जिस हाल में कि इत्तलानामा जिस का जिक्र आगे किया जाता है, सादिर किया गया हो) तो

तारीख सदूर इत्तलानामा से जो ऐसे शख्स के नाम किया गया हो, जिस पर इजराय डिगरी चाही गई हो, यह वजह जाहिर करने की गरज से कि उस पर डिगरी क्यों न इजराय की जाय, जब कि ऐसे इत्तलानामा का सादिर होना मजमूआ जा०ना दीवानी सन १६०८ ई० की रु से दरकार हो; या

(७) जिस हाल में कि दरख्वास्त वास्ते दिलाये जाने रूप्या के हो, जिस के अदा करने के लिये डिगरी या हुक्म में कोई खास तारीख लिखी गई हो तो, उसी तारीख से—

समझावना—जिस हाल मे कि डिगरी या हुक्म एक से ज्यादा शख्सों के हक में जुदागाना सादिर हुवा हो, और तफसील हिस्से जात झगड़े वाली चीज की इस तौर पर लिखी हो, कि हर एक को इस कदर अदा करना, या हवाला करना चाहिये, तो दरख्वास्त मुतजिक्करे जिमन ५ मद हाजा सिर्फ उन शख्सो के हक में या उन के कायम मुकामों के हक में, जिन्हों ने दरखास्त दी हो, असर रखेगी—लेकिन जिस हाल में डिगरी, या हुक्म एक से ज्यादा शख्सों के हक में शराकत मे हो, तो ऐसी दरख्वास्त, अगर उन मे से एक या कई ने या उस के या उन के कायम मुकामों ने दी हो, उन सब के हक में असर रखेगी

जब डिगरी या हुक्म एक से ज्यादा शख्सों पर जुदागाना इस तफसील के साथ हो, कि हर एक को उस कदर हिस्सा झगड़े वाली चीज का अदा करना या हवाला करना होगा, तो दरखास्त सिर्फ उन शख्सों या उन के कायम मुकामों में से उन पर असर रखेगी, जिन पर कि गुजरानी जाय—लेकिन जिस हाल में कि डिगरी

एक से ज्यादा शख्सों पर शराकत में हुई हो तो वह दरख्वास्त उन में से, अगर एक या कई पर, या उस के या उन के कायम मुकामों पर हो उन सब पर असर रखेगी

समझावना—२ अलफाज "अदालत मुनासिब" से वह अदालत मुराद है, जिस का लाजिमी काम डिगरी या हुक्म के इजराय करने का हो—

तशरीह:—इस मद में तरमीम करने का सबब यह है, कि फिकरा (२) की निसबत अदालत हाई कोर्ट में इख्तलाफ राय थी, मसलन, अपील की वापस लेने की सूरत में हाई कोर्ट मद्रास की यह राय थी (देखो इ ला रि मद्रास जिल्द ३० सफा १ इजलास कामिल) कि मियाद तारीख हुक्म अदालत अपील से शुरू की जावेगी जिस के जरिये ऐसी अपील बवजह वापसी खारिज की गई, मगर हाई कोर्ट बम्बई की राय—(बमुकदमा इ ला. रि बम्बई जिल्द २२ सफा ५००-५०६) यह थी कि मियाद असल डिगरी की तारीख से शुमार की जाना चाहिये—इसी तरह निस्बत तरमीम डिगरी के मुन्दरजा फिकरा न. ४ इख्तलाफ राय थी—हाई कोर्ट कलकत्ता की यह राय थी (देखो मुकदमा काली प्रसन्न—बनाम लालमोहन इ. ला रि कलकता जि. २५ सफा २५८ व मुकदमा [illegible] व [illegible] इ ला रि. कलकत्ता जि ३२ सफा ६०८) कि मियाद तारीख तरमीम शुदा डिगरी से शुरू होगी। क्योंकि दरखास्त निसबत कराने तरमीम डिगरी बतौर दरख्वास्त तजवीज सानी समझी जावेगी, मगर हाई कोर्ट इलाहाबाद की यह राय हुई (इ. ला रि जि. २७ सफा ५७५) कि ऐसी दरखास्त निसबत तरमीम डिगरी बमोजिब दफा २०६ (दफा १५२ आर्डर २० कायदा ६) मजमूआ जाब्ता दीवानी बतौर दरखास्त तजवीज सानी नहीं तसौवर की जा सकी, इस लिये मियाद असली डिगरी की तारीख से शुमार की जावेगी.

इसी तरह फिकरा न. ६ के बारे में भी अदालत हाय हाई कोर्ट की राय जुदी २ थी—कलकत्ता वो मद्रास हाई कोर्ट की राय थी कि यह तारीख शुमार [illegible] है जिस तारीख को इत्तलानामा दर असल जारी हुआ. न कि वह तारीख जिस तारीख को इत्तलानामा जारी करने का हुक्म अदालत ने दिया ([illegible]

५ सफा ६९६ इ. ला. रि. मद्रास जि० ३० सफा ३०)—मगर हाई कोर्ट बम्बई वो अलाहाबाद की यह राय हुई कि ऐसी तारीख मुराद है कि जिस तारीख को अदालत ने वैसा इत्तलानामा जारी करने का हुक्म दिया [इं ला रि. बम्बई जिल्द २८ सफा ४१६ अलाहाबाद वी. नो जि. १ सफा १४७].

मद न. १८२ के मुसतसना की रू से हकरसी की मियाद जाचने के लिये वही अदालत मजाज है जहा से कि डिगरी मजकूर सादिर की गई, न कि वह अदालत जिस के यहा वह डिगरी इजराय के लिये भेजी गई—गो डिगरी को सादिर करने वाली अदालत ने दूसरी अदालत को वास्ते इजराय मुन्तकिल किया हो ताहम कई बातों में उस के इजराय करने के अख्त्यारात उसी अदालत के हाथ में रहते हैं जिस ने वैसी डिगरी सादिर किया—अगर कोई डिगरी अदालत प्रेसीडेन्सी इस्माल काज कोर्ट [यानी अदालत खफीफा प्रेसीडेन्सी] से अदालत सिटी सिविल कोर्ट में वास्ते इजराय मुन्तकिल हुई हो तो वैसी डिगरी की मियाद की जाच बमोजिब मद न. १८२ एक्ट मियाद होगी, न कि बमोजिब दफा ४८ मजमूआ जाब्ता दीवानी (मद्रास ला. जरनल जि २१ सफा ७७७)

कानून बनाने वालों की मन्शा यह थी कि लिहाज पूरी डिगरी पर किया जावे गो वैसी डिगरी के जुज या बहुत छोटे हिस्से का अपील दायर की गई हो, या उस की नजर सानी या तरमीम चाही गई हो— डिगरी के टुकडों की जुदी २ मियाद एक ही मुद्दायलेह के खिलाफ उसी सूरत में ली जावेगी जब कि डिगरी में अदाई करने के लिये जुदी २ तारीखें मुकर्रर की गई हों—जब कि जर डिगरी के किसी हिस्से की जाच आयन्दा पर छोडी गई हो तो पूरी डिगरी की इजराय की मियाद उस तारीख से लगाई जावेगी जब कि वैसी रकम की जाच की गई हो—जब कि डिगरी कोई खास रकम की सादिर की गई हो और अदालत मातहत अपील के खर्चे की निस्बत यह हुक्म हो कि खर्चा, अदालत मातहत अपील से तहकीक वो तशखीस किया जावे तो पूरी डिगरी की इजराय की मियाद उस तारीख से शुमार की जावेगी जब कि खर्चा मजकूर वैसी अदालत से तहकीक वो तशखीश हुवा (मद्रास ला जरनल जि० २१ सफा ५४६)—

अगर कोई मदयूने डिगरी एक मरतबा किसी इजराय डिगरी में गिरफतार होकर जहल भेजा गया हो और व, बमूजिब दफा ३४९ मजमुआ जाब्ता दीवानी

दिया हुवा हो ताहम वह उसी इजराय डिगरी में फिर भी गिरफतार किया जा सक्ता है—पस दरखास्त जो मदयून डिगरी के दुबारा गिरफतारी के वास्ते दी जावे वह बतौर ऐसी दरखास्त समझी जावेगी कि मानों वह कानून की रू से दी गई और उस से नई मियाद मिल सकेगी, गो मदयून डिगरी पहिली दरख्वास्त पर से गिरफतार होकर कैद किया गया था और ता फैसला दरख्वास्त दीवालिया रिहा हुवा था और इस की दरखास्त दीवालया खारिज हुई थी (अलाहाबाद ला, जरनल जि० ८ सफा ४)

दरखास्त जो ऐसा अदालत को दी जाय जहा से डिगरी सादिर की गई हो निस्बत मुन्तकिल करने डिगरी मजकूर दीगर अदालत को वास्ते इजराय के, बतौर दरख्वास्त इजराय डिगरी न समझी जावेगी (इ के जि० ६ सफा २४६)

मुसम्मियान दीनदयाल वो बिशनू दोनों भाई आपस में इकट्ठे रहा करते थे, मगर डिगरी सिर्फ बहक दीनदयाल सादिर हुई और सिर्फ उसी ने उस की इजराय की दरख्वास्त दी—अखीर दरख्वास्त तारीख १८ अप्रेल सन १९०५ ई० को दी गई इस के बाद भाई २ अलहदा हो गये बटवारे में बिशनू उस डिगरी का हकदार हुवा मगर दीनदयाल की तरफ से उस को डिगरी का तहरीरी इन्तकाल नामा नहीं मिला बिशनू ने इजराय डिगरी की दरख्वास्त ता० ३ जून वो ता० २७ जोलाई सन १९०८ ई० को दिया वहस इस बात की पेश हुई कि बिशनू इजराय डिगरी का मजाज न था अदालत ने बिशनू को दीनदयाल के हाथ का लिखा हुवा इन्तकालनामा पेश करने की मोहलत दिय—नतीजा हाई कोर्ट करार पाई कि ३ जून सन १९०८ ई० की दरख्वास्त में जो जाब्ता का नुख्स था उसको दुरुस्तगी पीछे से तहरीरी इन्तकालनामा पेश करने से समझी जावे, इस लिय दरख्वास्त ता० २७ जुलाई सन १९०८ ई०बतौर जाब्ते के समझी जावे (बम्बई ला, रि जि० १३ सफा २२)

किसी इजराय डिगरी की दरख्वास्त की निस्बत यह न समझा जावगा कि वह डिगरी की मुन्तकली की दरख्वास्त के सिल सिले में की गई है (इ के जि० १४ सफा २७७)

अपीलान्ट डिगरीदार ने सन १९०० ई० में इजराय डिगरी करने वास्

मदयून डिगरी की जायदाद को कुर्क वो नीलाम कराने की दरख्वास्त दिया इ॰ दरख्वास्त पर यह हुक्म सादिर हुवा कि माल गैर मनकूला कुर्क किया जावे, दरख्वास्त खारिज मगर कुर्की जारी रहे--इस के बाद की तारीख को डिगरीदार ने कुर्क किये हुऐ माल के नीलाम कराने की दरख्वास्त पेश किया, मगर दरख्वास्त खर्चा न पटाने की वजह से सन १९०१ ई० में खारिज की गई सन १९०६ ई० में हाल की दरख्वास्त वास्ते इजराय डिगरी गुजरानी गई ऐसी दरख्वास्त की निस्वत यह ततौवर नहीं किया गया कि वह सन १९०० ई० की कार्रवाई के सिलसिले में दी गई पस वह वेरू मियाद समझी गई (इ. के जि० १३ सफा १६०)

अगर एक ही मदयून डिगरी के कई कायम मुकाम होवे और उन में से एक पर डिगरी जारी की गई हो तो ऐसी इजराय एक पर करने से दूसरे कायम मुकामों के खिलाफ मियाद में कुछ फर्क न होगा (मद्रास ला. जरनल जि० २२ सफा १६६) —

किसी डिगरी को कुर्क कराने का असर यह होता है कि वह डिगरी मुन्तकिल न हो सके और दरख्वास्त जो डिगरीदार की तरफ से वैसी कुर्क की गई डिगरी की इजराय के वास्ते दी जाये तो वह बतौर ऐसी दरख्वास्त समझी जावेगी कि जो कानून की रू से दी गई [मद्रास ला जरनल जि० २२ सफा १४६]---

जो हुक्म हाई कोर्ट सीगा नजर सानी के अखत्यार अजाम देने में जो उसे अजरूय अहकाम दफा ११५ मजमुआ जाब्ता दीवानी सन १९०८ हासिल है, सादिर करे वह बतौर हुक्म अपील मद १८२ (२) एक्ट मियाद की मन्शा में दाखिल न होगा कि जिस के जरिये नई मियाद मिल सके अगर दरख्वास्त नजरसानी खारिज हुई हो तो खारजी से नई मियाद नहीं मिल सकी (मद्रास वी. नो. जि० २ सफा १९८ सन १९११)—

इजराय डिगरी की दरखास्त पेश होने के बाद जो दरख्वास्त मुहलत वास्ते लेने नकल डिगरी वो फैसला गुजरानी जावे वह बतौर तदवीर व मदद इजराय डिगरी बमूजिब मद न. १८२ (४) समझी जावेगी (इ. ला. रि बम्बई जि० ३६ सफा ६३८)—

इस मुकदमा में डिगरी अदालत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सादिर की गई डिगरी

मज़कूर अदालत मुन्सिफ को वास्ते इजराय के भेजी गई—यह अदालत मुन्सि[illegible] मातहत अदालत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी जिस के यहा से डिगरी सादिर हुई थी और उसी जिले में थी—डिगरीदार ने सन १९०५ ई० में अदालत मुनसफ में कुछ गैरमनकूला जायदाद कुर्क कराया—सन १९०७ ई० में कुर्क की हुई जायदाद के नलिाम की दरख्वास्त अदालत डिस्टक्ट कोर्ट में पेश की गई और दरख्वास्त में नोटिस हस्व दफा २४८ (आरडर २१ कायदा २२ मजमुआ जाब्ता दीवानी नम्र १४ सन १८८२ ई० जारी करने के लिये) अर्ज की गई-इस के सिवाय और कुछ कार्रवाई नहीं की गई, पीछे से सन १९१० में इजराय डिगरी की दरख्वास्त फिर दी गई —तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि गो सन १९०७ ई०की दरख्वास्त वास्ते जारी कराने नोटिस बतौर तदबीर बमदद इजराय के थी, ताहम वह अदालत मजाज में नहीं दी गई थी इस लिये उस की तारीख से नई मियाद मुताबिक मनशा मद न १८२ (४) नहीं मिल सक्ती (मद्रास ला जरनल जि० २३ सफा २३६)—

मामला को एक्ट मियाद सन १८७७ ई० की मद न १७६ यानी १८२ एक्ट हाल फिकरा (४) में दाखिल करने के लिये डिगरीदार को सिर्फ यह जाहिर करना काफी न होगा कि उस ने इजराय डिगरी की मदद में तदबीर किया, बल्कि उस को यह साबित करना होगा कि उस ने अदालत को ऐसी इजराय की मदद में तदबीर करने के लिये दरख्वास्त दिया, सिर्फ नाजिर की फीस अदा कर देने से मामला इस फिकरे में दाखिल न हो सकेगा—मियाद दरख्वास्त गुजरने की तारीख से शुरू होती है न कि उस तारीख से कि जिस को अदालत ने उसका फैसला किया [इ ० जि०१३ सफा १८६]—

यह मद और मद न. १८३ कुल ऐसी दरख्वास्तों से ताल्लुक होंगे जो किसी अदालत दीवानी में इस एक्ट के जारी होने के बाद बिला लिहाज उस एक्ट के कि जो वर वक्त दायरी नालिश नाफिज हो पेश की जाय (इं ला रि. बम्बई जि० ७,सफा ४५६)—

जब डिगरी बाबत कब्जा जायदाद गैर मनकूला की इजराय [illegible] और मुद्दई दरख्वास्त बाबत तहकीकात व वासिलात के पेश करे जो डिगरी के [illegible] दिया गया हो, तो मियाद इजराय डिगरी का वासिलात [illegible]

अखीर हुक्म से शुरू होगी कि जिसकी रू से रकम मजकूर तजवीज हो चुकी हो (इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द ४ सफा ६२६).

जब किसी डिगरी का इजराय अजरूय कानून वेरू मियाद हो जाये और मुद्दई डिगरी को तरमीम करा लेवे तो वह तरमीम शुदा डिगरी की इजराय की मियाद तारीख तरमीम से न पा सकेगा (इ ला रि. अलाहाबाद जिल्द ८ सफा ४६२)

मद १८३—दरख्वास्त वास्ते इजराय फैसला या डिगरी या हुक्म सदरा बमनसब मामूली अख्त्यार समाअत इब्तदाई बसीगा दीवानी ऐसी अदालत के जो अजरूय सनद शाही मुकर्रर की गई हो, या वास्ते इजराय हुक्म मसदरा जनाब मलिक मौअज्जम बादशाह बइजलास कान्सिल के—बारा साल—उस तारीख से कि जब फैसला या डिगरी या हुक्म के इजराय का हक मौजूदा हाल किसी ऐसे शख्स को हासिल हुवा था, जो उस हक को छोड़ सकता था, मगर शर्त यह है कि जब फैसला या डिगरी या हुक्म जिन्दा किया गया हो, या किसी जुज असल जर डिगरी की उस की रू से रक्षा की गई या ऐसे रूपया का कुछ सूद अदा हुवा हो, या कोई तहरीर व तसलीम इस्तहकाक डिगरी मजकूर दस्तखती मदयून जर असल वो सूद मुन्दरजा डिगरी या उस के गुमास्ता की तरफ से उस शख्स को दी गई हो, जो मुस्तेहक उस के पाने का हो या उस के गुमास्ता को दी गई हो तो मियाद बारा साल की उस तजदीद (वैसे जिन्दा किये जाने की) या अदाय जर या तसलीम की तारीख से या जो तारीख अखीर तजदीद या अदाय जर या तसलीम की हो, उस से शुमार की जायगी, यानी जैसी कि सूरत हो—

तशरीह:—यह मद पुराने एक्ट मियाद न. १५ सन १८७७ ई० के मद न. १८० के मुताबिक है—

हाई कोर्ट की डिगरी की इजराय में मियाद बमोजिब मद न १८३ उस

तारीख से शुरू होगी जब से हक पैदा हुवा, यानी तारीख डिगरी से और न कि ऐसे वक्त से कि जब डिगरीदार का मोजूदा हक इजराय डिगरी के लिये बचा रहे—अगर हाई कोर्ट ने अपनी डिगरी दूसरी अदालत को वास्ते इजराय भेजी हो तो इस से यह जाहिर न होगा कि हाई कोर्ट की यह राय थी कि हकरसी बेरू मियाद नहीं थी, मियाद का देखना न देखना उस अदालत का काम है कि जिस में डिगरी इजराय की गई—अगर मदयून डिगरी भी ऐसे नोटिस की निस्बत जो बमोजिब आर्डर न २१ कायदा २२ मजमूआ जाब्ता दीवानी जारी हो कुछ उजर न करे ताहम वह मजमूआ जाब्ता दीवानी के अहकामात का फायदा उठा सक्ता है, जिन की रू से वह उस वक्त उजरदारी पेश कर सक्ता है जब कि उस की जायदाद कुर्क की जावे—डिगरी मुन्तकिल करने की दरख्वास्त से डिगरी कुछ सरसब्ज नहीं हो सक्ती—जब इजराय बगैर इजाजत अदालत न की जावे तो ऐसी इजाजत मिलने से डिगरी सरसब्ज हो सकेगी—मगर जब कि मदयून डिगरी की गिरफ्तारी की निस्बत कोई ऐसी इजाजत की जरूरत न हो तो हस्ब दफा २४५ (ब) (आर्डर २१, कायदा ३७) मजमूआ जाब्ता दीवानी नोटिस के जारी होने से डिगरी की सरसब्जी न समझी जावेगी—(इ के जि ११ सफा २१६)

यह मद मजमूआ जाब्ता दीवानी सन १८८२ ई० की दफा २३० (दफा ४८ आर्डर २१, कायदा १०-२१) से ताल्लुक नहीं रखता है (देखो इं ला रि. बम्बई जि ६ सफा २५८)

…न	नंबर	नाम कानून	किस कदर मंसूख हुवा
…९२	६	एक्ट मियाद हिन्द वो मजमूआ जाब्ता दीवानी के तरमीम का एक्ट सन १८९२ ई०	सिरनामा वो तमहीद में लफ्ज़ "एक्ट मियाद हिन्द सन १८७७ ई० वो दफा १.
…८९९	१०	एक्ट इस्मालान—सन १८९९ ई०	दफा ३
…९००	६	एक्ट अदालत हाय लोअर बरमा सन १९०० ई०	दफा ४७ वो पहिले जमीमा का उस कदर हिस्सा जो एक्ट मियाद हिन्द सन १८७७ ई० से ताल्लुक रखता है
१९००	११	कानून मियाद हिन्द के तरमीम का एक्ट सन १९००ई	पूरा—
१९०६	६	एक्ट प्रान्तीय अदालत हाय खफीफा सन १९०६ ई०	दफा ५—



समाप्त